समकालीन भारत

कक्षा IX के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक

लेखक मंडल

हरि ओम सविता सिन्हा
सुप्ता दास नीरजा रश्मि

संपादक

पी.एस.खरे

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

प्रथम संस्करण
नवंबर 2002 कार्तिक 1924
प्रथम पुनर्मुद्रण
अप्रैल 2003 चैत्र 1924
PD 200T SC

ISBN : 81-7450-087-1

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2002

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन विभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैम्पस	108, 100 फीट रोड, होस्डेकेरे	नवजीवन ट्रस्ट भवन	सी.डब्लू.सी. कैम्पस
श्री अरविंद मार्ग	हेली एक्सटेंशन बनाशंकरी III इस्टेज	डाकघर नवजीवन	32, बी.टी. रोड, सुखचर
नई दिल्ली 110016	**बैंगलूर 560 085**	**अहमदाबाद 380 014**	**24 परगना 743 179**

प्रकाशन सहयोग

संपादन शशि चड्डा
उत्पादन अरूण चितकारा
सुनील कुमार

आवरण

अमित श्रीवास्तव

रु. 45.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटर मार्क 70 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित

प्रकाशन विभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा दिल्ली प्रैस, ई-3, झण्डेवालान एस्टेट, नई दिल्ली 110 055 द्वारा मुद्रित।

प्राक्कथन

विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – 2000 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान की शिक्षा को इसलिए महत्त्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह विद्यार्थियों को एक मानवीय दृष्टि प्रदान करने के साथ-साथ जानकार, विवेकपूर्ण तथा उत्तरदायी नागरिकों के रूप में उनके विकास में सह [illegible] है। राष्ट्र के शिक्षकों के लिए भी सामाजिक विज्ञान की शिक्षा पर बल देना आवश्यक है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – 2000 के अनुरूप, सभी विषयों के लिए नए पाठ्यक्रम तैयार किए गए। नए पाठ्यक्रम के आधार पर क्रमशः विभिन्न स्तरों के लिए शिक्षण-सामग्रियों का निर्माण भी किया जा रहा है। प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक 'समकालीन भारत' (नवीं कक्षा के लिए) माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के लिए *समकालीन भारत* शृंखला में पहली कड़ी है।

नए पाठ्यक्रम पर आधारित इस पुस्तक में पहली बार समेकित विषयक पद्धति अपनाई गई है जिसके विषय मुख्य रूप से भूगोल, इतिहास, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र से लिए गए हैं। पुस्तक में, विभिन्न कालों और स्थानों के परिप्रेक्ष्य में, समाज के विभिन्न विषयों और समस्याओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। परिणाम तथा अवधारणााओं की दृष्टि से विद्यार्थियों के बोझ को काफी कम किया गया है। सामाजिक विज्ञान की चार पुस्तकों के स्थान पर अब केवल एक ही पुस्तक होगी जिसके द्वारा एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान से विद्यार्थियों का परिचय होगा। पुस्तक में *समकालीन भारत* विषय पर आधारित तीन इकाइयां हैं जो इस प्रकार संयोजित हैं कि विषयों की अंतर्निर्भरता उचित रूप से स्पष्ट हो सके।

पहली इकाई : *बीसवीं शताब्दी का विश्व और भारत* में बीसवीं शताब्दी में अन्य प्रमुख विषयों के साथ भारत के स्वतंत्रता-संग्राम के अध्ययन का वर्णन है। यह इकाई आगामी इकाइयों में समकालीन भारत के अध्ययन की पृष्ठभूमि प्रदान करती है।

दूसरी इकाई : *आधुनिक राष्ट्र का निर्माण* में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के पुनर्गठन का वर्णन है। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण तथा इसकी मुख्य विशेषताएं, भारत सरकार की संरचना, मौलिक अधिकारों और कर्त्तव्यों तथा भारतीय लोकतंत्र की कार्य-प्रणाली की जानकारी दी गई है। इससे विद्यार्थियों को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की कार्य-व्यवस्था को समझने में आसानी होगी।

तीसरी इकाई : *देश तथा निवासी* में भारत की भूमि, पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों तथा निवासियों के माध्यम से हमारे प्राकृतिक पर्यावरण तथा समृद्ध संसाधनों का विवरण दिया गया है। इस इकाई में विद्यार्थियों का परिचय हमारे पर्यावरण की विविधता तथा विपुलता से होगा।

आशा है यह पुस्तक विद्यार्थियों को जानकार, विवेकपूर्ण और उत्तरदायी नागरिकों के रूप में विकसित करने में सहायक होगी ताकि वे विकास और राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में प्रभावपूर्ण योगदान कर सकें।

मैं उन संपादकों, विषय-विशेषज्ञों, शिक्षकों तथा शिक्षक-प्रशिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस पुस्तक की पांडुलिपि के निर्माण तथा इसको वर्तमान स्वरूप प्रदान करने में सक्रिय योगदान दिया है।

पुस्तक में सुधार हेतु परिषद् पाठकों के विचारों और सुझावों का स्वागत करेगी।

जगमोहन सिंह राजपूत
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

सितम्बर 2002
नई दिल्ली

समीक्षक मंडल

बी.एस. पारख
पूर्व प्रोफेसर
राधा प्रिया टेरेस
कार्वे नगर, पुणे

प्रेमशंकर खरे **(अनुवादक एवं सम्पादक)**
पूर्व प्राचार्य
अग्रसेन इंटर कालेज
इलाहाबाद

सतीश मित्तल
पूर्व प्रोफेसर, इतिहास विभाग
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय
कुरुक्षेत्र

हरिओम **(लेखक)**
प्रोफेसर, इतिहास विभाग
जम्मू विश्वविद्यालय
जम्मू

एस.एम. शर्मा
पूर्व प्राचार्य
एस.आर.एस.डी. उच्चतर मा. विद्यालय
लाजपत नगर, नई दिल्ली

बी.एस. नेगी
प्रवक्ता
शहीद भगत सिंह कालेज
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

जी.एस. नेगी
प्राचार्य
भारतीय विद्या भवन
नई दिल्ली

मो. अख़तर हुसैन
रीडर
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
भोपाल

विजया लक्ष्मी
पी.जी.टी.
ग्रीन फील्डस् स्कूल
नई दिल्ली

कुसुम लता खरे **(अनुवादिका)**
पूर्व प्रवक्ता
आर्य कन्या इंटर कालेज
इलाहाबाद

रुद्र प्रकाश श्रीवास्तव **(अनुवादक)**
पूर्व प्राचार्य
सी.एम.पी. महाविद्यालय
इलाहाबाद

बाबू लाल गुप्ता
पूर्व रीडर
मानसरोवर पार्क
शाहदरा, दिल्ली

जगदीश भारतीया
पूर्व उप-प्राचार्य
टैगोर गार्डेन
नई दिल्ली

वीणा व्यास
पी.जी.टी., प्रायोगिक विद्यालय
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
भोपाल

एस.एस. रस्तोगी
पूर्व प्राचार्य
सरस्वती विहार
दिल्ली

आर.के. बत्रा
पूर्व प्राचार्य
रा.बाल.एस. उच्च विद्यालय
सरोजनी नगर
नई दिल्ली

चित्रा श्रीनिवास
पी.जी.टी.
सरदार पटेल विद्यालय
लोधी इस्टेट
नई दिल्ली

एम.आर. गोस्वामी
पी.जीटी.
केंद्रीय विद्यालय
नई दिल्ली

सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग एन.सी.ई.आर.टी. के संकाय सदस्य

सविता सिन्हा, *प्रोफेसर* **(लेखिका)**

सुप्ता दास, *सलेक्शन ग्रेड प्रवक्ता* **(लेखिका)**

नीरजा रश्मि, *रीडर* **(लेखिका)**

बासबी खान बनर्जी, *रीडर*

मिली राय, *प्रवक्ता*

जे.पी. सिंह *प्रोफेसर* **(संयोजक)**

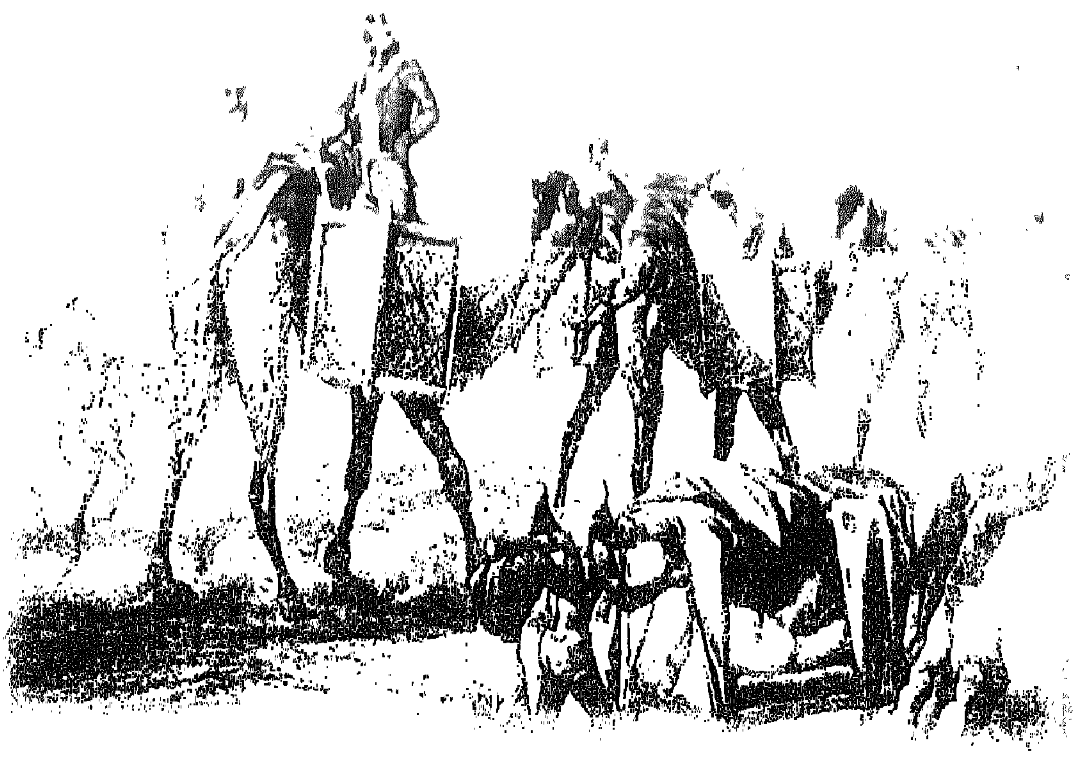
विषय-सूची

इकाई तीन : देश तथा निवासी

इकाई एक

बीसवीं शताब्दी का विश्व और भारत

बीसवीं शताब्दी में होने वाली विश्व की अनेक घटनाओं के दूरगामी परिणाम हुए। उनमें से प्रमुख घटनाएं थीं - एशिया और अफ्रीका में यूरोपीय शक्तियों द्वारा अपनाई गई उपनिवेशीकरण प्रक्रिया का अंत, यूरोपीय उपनिवेशीय शक्तियों के मध्य प्रतिद्वंद्विता, प्रथम विश्व युद्ध, रूस में सत्ता परिवर्तन, द्वितीय विश्व युद्ध, अणु बम का प्रयोग, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, दो महान शक्तियों – संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ का उदय, मॉस्को तथा वाशिंगटन के नेतृत्व में दो गुटों के मध्य शीत युद्ध, बर्लिन की दीवार को तोड़े जाने के बाद जर्मनी का एकीकरण और शक्तिशाली सोवियत संघ का विघटन। ऐतिहासिक बींसवी शताब्दी में विश्व ने तानाशाही प्रवृत्तियों को फासीवाद और नाजीवाद के रूप में उभरते तथा बढ़ते हुए देखा। साम्यवाद भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि यह एक खास वर्ग के अधिनायक तंत्र को प्रदर्शित करता था। इन घटनाओं के अतिरिक्त इस इकाई में अन्य घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है। ये सभी घटनाएं विश्व परिदृश्य का एक पहलू प्रस्तुत करती हैं। दूसरा पहलू है, एशिया, अफ्रीका तथा विश्व के अन्य क्षेत्रों में होने वाले स्वातंत्र्य आंदोलनों का चित्रण, जिसमें भारतीय राष्ट्रीयता के विकास एवं स्वतंत्रता संग्राम भी सम्मिलित हैं। यहां भारतवासियों द्वारा अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता-प्राप्ति हेतु प्रयुक्त तरीकों तथा बलिदानों पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया है और संपूर्ण भारत - उत्तर , दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के पुरुषों-स्त्रियों, किशोर-किशोरियों की गौरवमयी उत्साहपूर्ण भागीदारी का चित्र प्रस्तुत किया गया है। अधिक महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि इस प्रस्तुतीकरण में उपनिवेशीय शासन का विरोध करने तथा उसे चुनौती देने के लिए जनसाधारण का दृढ़संकल्प व्यक्त होता है। साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जाने वाली कठोर यातनाओं एवं बर्बरतापूर्ण प्राणदंड सहित अन्य सजाओं का स्वेच्छा से वरण करने की विलक्षणता भी व्यक्त होती है। यह आवश्यक है कि हम उन्हें सदैव स्मरण रखें, घोर परिश्रम से उपलब्ध की गई स्वतंत्रता की रक्षा करें और भारत की एकता, अखंडता एवं बहुमुखी प्रगति के लिए प्रयास करें।



1 विश्व : घटनाक्रम

ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में प्रादुर्भाव (1757) तथा उसका अंतिम रूप से विलुप्त होना (1947) आधुनिक विश्व इतिहास का महत्त्वपूर्ण अध्याय है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर स्थित, अल्प जनसंख्या वाले छोटे-से द्वीप के लोग किस प्रकार भारत के सागर-तटों पर पहुंच सके और धीरे-धीरे उस पर प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हो सके? आज–कल की तरह उन दिनों यातायात व संचार के द्रुतगामी साधन उपलब्ध नहीं थे। इंग्लैंड से भारत पहुंचने में समुद्री जहाज को लगभग छः महीने लग जाते थे। पहले के ब्रिटिश इतिहासकार यह गर्व से कहा करते थे कि अंग्रेजों ने भारत पर भारतीयों की ही सहायता और उन्हीं के धन-रक्त से विजय पाई थी। यदि ऐसा है तो हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि आकार और जनसंख्या में इंग्लैंड से कई गुना बड़ा देश किस प्रकार अपनी स्वाधीनता खो बैठा? यह कौन सोच सकता था कि ब्रिटिश साम्राज्य, जो अपनी सैन्य शक्ति और सभ्यता के बल पर सर्वोच्च शिखर पर आसीन था और अजेय समझा जाता था, वह एक शताब्दी में ही जनता के स्वाधीनता संग्राम में ध्वस्त हो जाएगा।

ये दोनों घटनाएं इतिहास में किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। ये शून्य में घटित नहीं हो सकती थीं। विश्व के संदर्भ में उन्हें समझने के लिए हमें उनका अध्ययन करना होगा। पहला प्रश्न तो हमारे सामने यही आता है कि अंग्रेजों को किन परिस्थितियों में और कब भारत में आना पड़ा? यह प्रश्न हमें पंद्रहवी शताब्दी के मध्यकाल में ले जाता है, जब भारत और यूरोप के व्यापार मार्ग मुसलमान शासकों के नियंत्रण में थे और यूरोप भारतीय बाजारों तक सीधा संपर्क बनाने को बेचैन था। ईसा से कई शताब्दी पूर्व से यूरोप भारत से कपड़ा,मसाले,जवाहरात तथा विलासिता के अन्य सामान आयात करता था। किन्तु अब उन्हें अरब व्यापारी बिचौलियों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी।

समुद्री रास्ते से भारत में व्यापार

इस पृष्ठभूमि में ईसाई समुदाय के सर्वोच्च सत्ताधारी पोप ने एक धार्मिक आदेश जिसे *पापलबूल* कहते थे, जारी किया। उसके अनुसार यूरोप के दो राज्यों – स्पेन तथा पुर्तगाल को भारत पहुंचने के लिए वैकल्पिक समुद्री मार्ग की खोज का अधिकार दिया गया। इटली का एक नौ-चालक कोलंबस स्पेन के राजा की आर्थिक सहायता से पश्चिम की ओर जलयात्रा करते हुए एक अनाम द्वीप में पहुंच गया। उसने उस स्थान को भारत समझा और उसका नाम 'इंडीज' रख दिया और उसके निवासियों को 'इंडियंस' कहने लगा। बहुत वर्ष बाद यह पता चल पाया कि यह नई खोज वाला द्वीप 'इंडिया' नहीं था। अतः उसका नाम 'वेस्ट इंडीज' रख दिया गया। इसी बीच एक पुर्तगाली नौ-चालक वास्को डि गामा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट पहुंच गया। इस प्रकार यूरोप द्वारा भारत पहुंचने की लालसा के फलस्वरूप नए महाद्वीपों की खोज हो गई और विश्व का वर्तमान मानचित्र बना।

पोप के आशीर्वाद और अधिकार-पत्र द्वारा स्पेन और पुर्तगाल को नवीन खोजी हुई भूमि, उसकी संपत्ति तथा समुद्री व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त हो गया। उत्तर से दक्षिण तक अपने विवेक से रेखा खींच कर पोप ने पुर्तगाल को रेखा के पूर्वी भाग पर तथा स्पेन को पश्चिमी भाग पर एकाधिकार स्थापित करने की आज्ञा दी। पुर्तगाल ने शीघ्र ही अपने व्यापारिक केंद्र जिन्हें *फ़ैक्ट्री* कहा जाता था, भारत के समुद्री तट के लगभग सभी मुख्य बंदरगाहों पर स्थापित कर लिए। कुछ भारतीय नरेशों ने उन्हें पूरा सहयोग दिया। इसके बाद उन्होंने उन व्यापारिक केंद्रों की किलेबंदी करना शुरू कर दिया। गोवा को जीत कर 1510 में वे एक राजनीतिक शक्ति बन गए। वहां उन्होंने बड़ी संख्या में हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना प्रारंभ कर दिया। इसका असर यह हुआ कि उन्होंने भारतीयों की सहानुभूति तथा लोकप्रियता खो दी। इनके जहाज लूट के सामान, व्यापार के माल तथा गुलामों से लदे होते थे। इससे यूरोपीय राज्यों में ईर्ष्या और अत्यधिक स्पर्धा उत्पन्न हो गई। पोप की तटस्थता, निष्पक्षता और धार्मिक सत्ता के प्रति उनकी निष्ठा का आधार हिल गया।

संयोग से मार्टिन लूथर, नॉक्स और केलविन के नेतृत्व में धर्म सुधार के लिए विरोध प्रारंभ हो गया था। इस प्रकार विश्व की नई खोजों के साथ ही धार्मिक संघर्ष के युग का भी सूत्रपात हुआ। फलस्वरुप प्रोटेस्टेंट मत का उदय हुआ ('प्रोटेस्ट' का अर्थ है विरोध करना, प्रोटेस्टेंट मत पोप की सर्वश्रेष्ठता और सत्ता का विरोधी था) और वह रोमन कैथोलिक चर्च से अलग हो गया। समुद्र तट पर स्थित छोटा-सा देश हालैंड जो जलयात्रा में दक्षता प्राप्त कर चुका था, इस दिशा में अग्रणी हुआ। इसका अनुकरण इंग्लैंड ने किया। उन्होंने धन व दासों से लदे पुर्तगाल तथा स्पेन के जहाजों की लूटमार प्रारंभ कर दी। स्पेनी आधिपत्य समाप्त करने के लिए हालैंड संघर्ष करने लगा। 1588 में हालैंड तथा इंग्लैंड ने मिलकर इंग्लैंड के तट के निकट स्पेन का जहाजी बेड़ा 'अर्माडा' नष्ट कर दिया। यह पोप के आदेश को खुली चुनौती थी। हालैंड के जहाज अंग्रेज नाविकों के साथ भारत तथा जावा, सुमात्रा आदि पूर्वी द्वीपों की ओर चल पड़े।

1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसके दो वर्ष बाद हालैंड ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की। डच लोगों ने पुर्तगालियों के भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया और उन्होंने भारत के समुद्र तटों पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर दीं। 1612 में सर टॉमस रो के प्रयास से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट जहांगीर से फ़रमान (व्यापार करने का राजकीय अधिकारपत्र) प्राप्त करने में सफल हो गई। उन्होंने अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थापित किया। सूरत एक मुगल व्यापारिक बंदरगाह था। हालैंड और इंग्लैंड, जो कभी सहयोगी थे, अब एक-दूसरे के शत्रु हो गए। 1623 में ऐंबोयना (इंडोनेशिया) में अंग्रेजों की बड़ी संख्या में की गई हत्या के कारण अंग्रेजों को डच लोगों के लिए जावा छोड़ना पड़ा और उन्होंने भारत पर अपना ध्यान केंद्रित किया।

धीरे-धीरे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सभी महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर लीं। इस दौड़ में फ्रांस सबसे बाद में शामिल हुआ। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री सूरत में 1668 में स्थापित हुई। वस्त्र, चीनी, कालीमिर्च और नील भर कर एक जहाज हिन्द महासागर में स्थित फ्रांसिसी स्वामित्व के मेडागास्कर को भेजा गया। मेडागास्कर को फ्रांस और भारत के बीच एक संपर्क स्थान के रूप में उपनिवेश बना लिया गया था। फ्रांसीसियों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियां पूर्वी तट पर भी बढ़ा लीं। उन्होंने मसुलीपट्टम, पांडिचेरी और चंद्रनगर में अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित कीं। पांडिचेरी को उनका मुख्यालय बनाया गया। इस स्पर्धा में शामिल होने के लिए डेनमार्क ने भी प्रयास किया। वास्तव में उसने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी अलग से बना ली, किंतु उनका कारोबार मुख्यतः कोरोमंडल तट पर ट्रैंकाबर और बंगाल में सीरमपुर तक ही सीमित रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय भूमि पर पैर जमाने और व्यापार में अधिकतम अंश हड़पने के लिए विभिन्न यूरोपीय राज्यों में गहरी होड़ लग गई।



ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का चित्र

यह होड़ केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी। इसने विश्वव्यापी रूप ले लिया। नयी दुनिया में विशेषकर उत्तरी महाद्वीप में जिसे आजकल उत्तर अमेरिका कहा जाता है, उपनिवेश बसाने के लिए छीना झपटी होने लगी। इस दौड़ में डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी शामिल हो गए। स्पेनी प्रभाव दक्षिण अमेरिका तक सीमित था। अफ्रीका गुलामों के व्यापार का स्रोत बन गया। विभिन्न समुद्रों में फैले हुए अनेक द्वीपों को उपनिवेश बना लिया गया। यूरोप की मुख्य भूमि पर स्थित होने के कारण हालैंड पहले स्पेन और बाद में फ्रांस के साम्राज्यवादी विस्तार का सहज शिकार हो गया। चूंकि इंग्लैंड एक द्वीप है अतः वह महाद्वीपीय राजनीति से अधिक

प्रभावित नहीं हुआ और वह अपनी शक्ति को दूर देशों में केंद्रित कर सका। कुछ समय बाद, भारत और उत्तर अमेरिका में फ्रांस और इंग्लैंड मुख्य प्रतिद्वंद्वी रह गए।

दक्षिण भारत में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य तीन कर्नाटक युद्ध (1746-63) हुए। दोनों की प्रतिद्वंद्विता का अंत 1763 में इंग्लैंड के पक्ष में हुआ। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व दक्षिण में पांडिचेरी और बंगाल में चंद्रनगर तक सीमित हो गया। बंगाल में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के बाद ब्रिटिश अपने साम्राज्यवादी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वतंत्र हो गए। 1776 में उत्तर अमेरिका के ब्रिटिश उपनिवेशों ने फ्रांसीसियों की मदद से अपने को अपनी मातृभूमि से अलग कर लिया। अमेरिका के स्वतंत्र हो जाने से ब्रिटेन को गहरा धक्का लगा; किंतु यह मानव स्वतंत्रता की लंबी यात्रा में मील का पत्थर सिद्ध हुआ।

अब फ्रांस की बारी थी। 1789 में 'फ्रांस की राज्यक्रांति' हुई जिसका नारा था "स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व"। इसने राजतंत्र समाप्त कर दिया नेपोलियन, जो कि एक तानाशाह था, ने भी फ्रांस की राज्यक्रांति द्वारा उत्पन्न जनतंत्र व गणतंत्र के भाव को जीवित रखा। भारत पर लक्ष्य साधे हुए नेपोलियन ने मिस्र को (1798) जीत लिया और स्वेज नहर के निर्माण की योजना बनाने लगा । किंतु वह यूरोपीय महाद्वीप के युद्धों में फंस गया और अति क्रूर शीत जलवायु में रूस पर आक्रमण करके उसने अपना सर्वनाश आमंत्रित कर लिया। यूरोपीय युद्धों से ब्रिटेन को सर्वाधिक लाभ हुआ। उसने भारत स्थित सभी डच उपनिवेशों और भारत के मार्ग में पड़ने वाले श्री लंका सहित अन्य द्वीपों पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन नेपोलियन-विरोधी यूरोपीय गुट के नेता के रूप में उभर कर आया। ऑर्थर वेलेजली के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के विरुद्ध युद्ध करते हुए नेपोलियन को वाटर लू नामक स्थान पर (1815) पराजय का मुख देखना पड़ा। पराजित नेपोलियन बंदी बना लिया गया और सेंट हेलेना नामक द्वीप में निर्वासित करके भेज दिया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई।

ब्रिटेन का एक महाशक्ति के रूप में उदय

वाटर लू के युद्ध के पश्चात् विश्व में ब्रिटेन एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया। भारत में भी मराठा महासंघ की पराजय (1818) के पश्चात् वह एक महाशक्ति बन गया। मुगल साम्राज्य का अस्तित्व नाममात्र का था और वह हर दृष्टि से शक्तिविहीन था। 1803 में मराठों के स्थान पर दिल्ली में अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो गया।

इतिहास का यह एक दिलचस्प संयोग कहा जाएगा कि भारत में ब्रिटिश शक्ति का प्रसार और यूरोप में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्रांति का विस्तार साथ ही साथ हुआ। प्लासी के युद्ध (1757) ने भारत में अंग्रेजों के प्रवेश के द्वार खोल दिए। 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्णायक सैन्य सफलता प्राप्त हुई। 1765 में, इंग्लैंड में वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ। यह महान औद्योगिक क्रांति का वाहक था। यातायात तथा संचार के द्रुतगामी साधनों के आविष्कार हुए, जैसे वाष्प इंजन, वाष्प जहाज और तार (टेलीग्राफ)। 1835 में भारत में स्टीमर का प्रयोग होने लगा। वस्तुतः यूरोप में क्रांतिकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे थे। पुरानी सामाजिक,आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाओं का स्थान नई संस्थाएं लेने लगीं। यूरोप और उनके उपनिवेशों के संबंधों में भी परिवर्तन होने लगे। अब इंग्लैंड तथा यूरोप के अन्य देशों को अपने आवश्यकता से अधिक उत्पादों की खपत तथा मशीनों द्वारा अधिक उत्पादन हेतु कच्चे माल की प्राप्ति के लिए बाजारों की आवश्यकता थी। भौतिक सभ्यता की दृष्टि से एशिया की तुलना में यूरोप की उत्तरोत्तर प्रगति हो रही थी। अपनी भौतिक प्रगति और नई सभ्यता के गर्व के कारण यूरोप के अहम् ने प्रजातीय भेदभाव का रूप ले लिया। एशिया और अफ्रीका को कच्चे माल का स्रोत तथा यूरोपीय उत्पादों की खपत के लिए बाजार के रूप में देखा जाने लगा। यह उल्लेखनीय है कि 1914 तक लगभग पूरा एशिया और अफ्रीका तथा विश्व के कुछ अन्य भाग यूरोप के किसी न किसी उपनिवेशीय शक्ति के अधीन हो चुके थे।

1835 में कलकत्ता (कोलकाता) में पश्चिमी ढंग पर एक मेडिकल कॉलेज खोला गया। उसी वर्ष अंग्रेजी भाषा में पश्चिमी ज्ञान दिए जाने के उद्देश्य से अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकॉले ने अपना मत व्यक्त किया। मैकॉले भारत में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो रक्तरंग से तो भारतीय हो किंतु, रुचि, आदर्श एवं नैतिकता की दृष्टि से अंग्रेज हो। भारत के विस्तृत भूखंड एवं विशाल जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें स्पष्ट हो गया कि भारत ब्रिटेन के लिए कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता तथा औद्योगिक उत्पाद की खपत का बाजार हो सकता था, और इस प्रकार भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के राजमुकुट का रत्न माना जाने लगा।

एक ओर भारत में ब्रिटेन का साम्राज्य विस्तार हो रहा था और उसका प्रशासनिक शिकंजा कसता जा रहा था, दूसरी ओर यूरोप के राज्य फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न

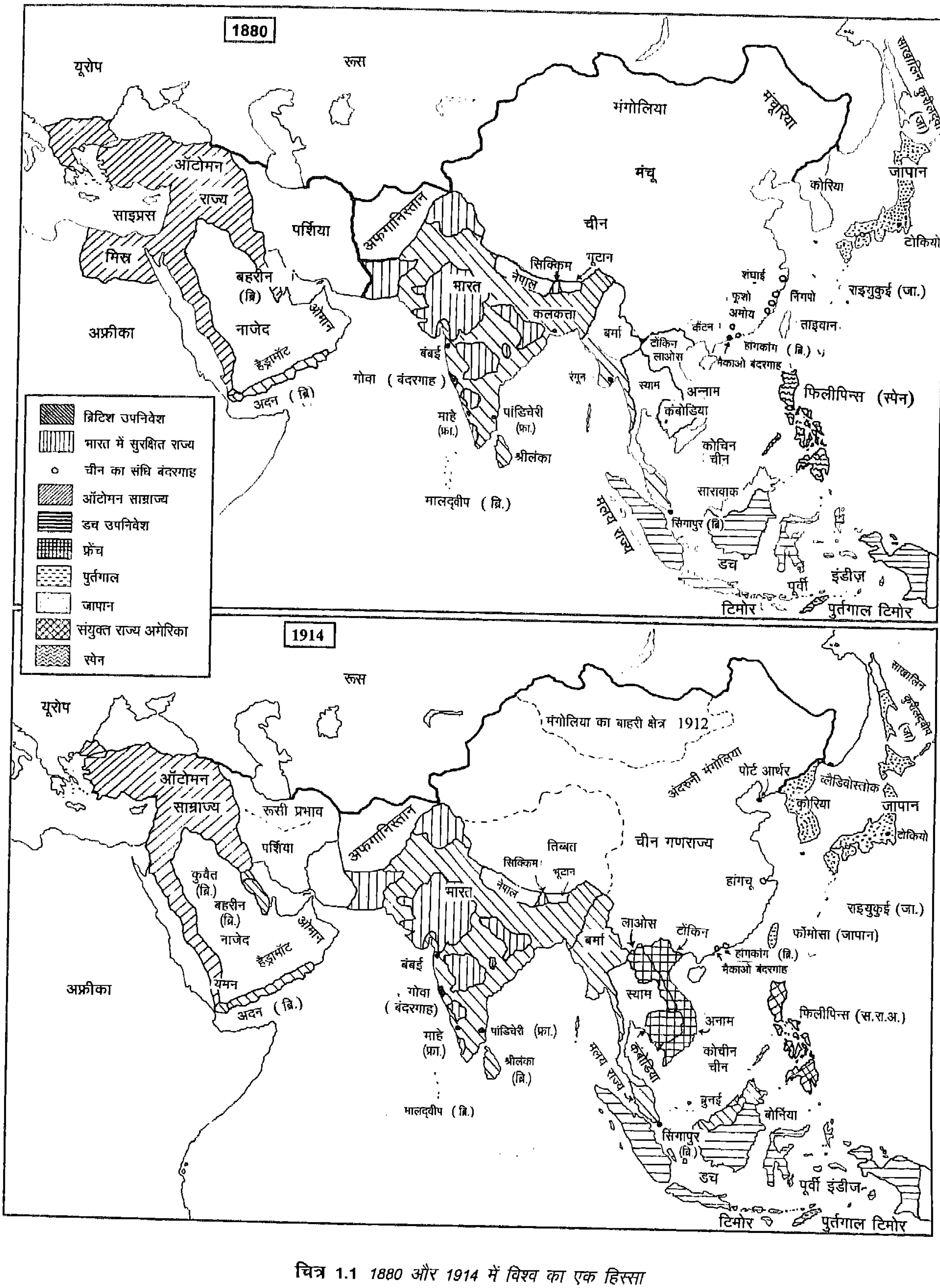
राष्ट्रवाद की प्रतिस्पर्धा के कारण लड़-झगड़ रहे थे, ताकि उन्हें कच्चा माल और निर्मित वस्तुओं के लिए अफ्रीका में अधिकाधिक बाजार सुलभ हो सके। समुद्री-सीमा तक पहुंचने की इच्छा से प्रेरित रूस पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम दिशा की ओर बढ़ना चाहता था। इससे भारत में ब्रिटिश आधिपत्य को खतरा हो सकता था। उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश विदेश नीति एवं सुरक्षा नीति का केंद्रबिंदु भारत था। ब्रिटेन ने दक्षिण की ओर रूस के विस्तार को रोकने के लिए भारत के चारों ओर सुरक्षा का विस्तृत प्रबंध कर रखा था। उन्नीसवीं शताब्दी में यह ब्रिटेन की मुख्य चिंता थी। राष्ट्रीयता की लहर अवरुद्ध करने के उद्देश्य से ब्रिटेन ने टर्की के ऑटोमन साम्राज्य के संरक्षक की भी भूमिका का निर्वाह किया। वहां लोग शताब्दियों से ऑटोमन साम्राज्य की अधीनता में कराह रहे थे। दूसरी ओर रूस उन पूर्वी यूरोपीय लोगों के समर्थन से आगे बढ़ा जो टर्की के ऑटोमन शासन का विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों और रूसियों के मध्य इस प्रतिस्पर्धा के कारण क्रीमिया का युद्ध (1854-1856) हुआ।

एशिया में ब्रिटेन ने रूस को दक्षिण की ओर फारस में बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। रूस को आगे बढ़ने से रोकने का बहाना बनाकर ब्रिटेन का अफगानिस्तान से दो बार विध्वंसकारी युद्ध हुआ। भारत में लॉर्ड डलहौजी (1846-1856) संपूर्ण भारत को जीतने की जल्दी में था। वह प्रारंभ से ही यथासंभव भारत का अधिक से अधिक भाग ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करने के लिए कृतसंकल्प था। उसका उद्देश्य भारत में अंग्रेजी माल के निर्यात का प्रसार करना था। उसने साम्राज्य विस्तार की नीति क्रियान्वित करने में जिस साधन का प्रयोग किया वह था 'विलय का सिद्धांत' (Doctrine of Lapse), जिसके विषय में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे।

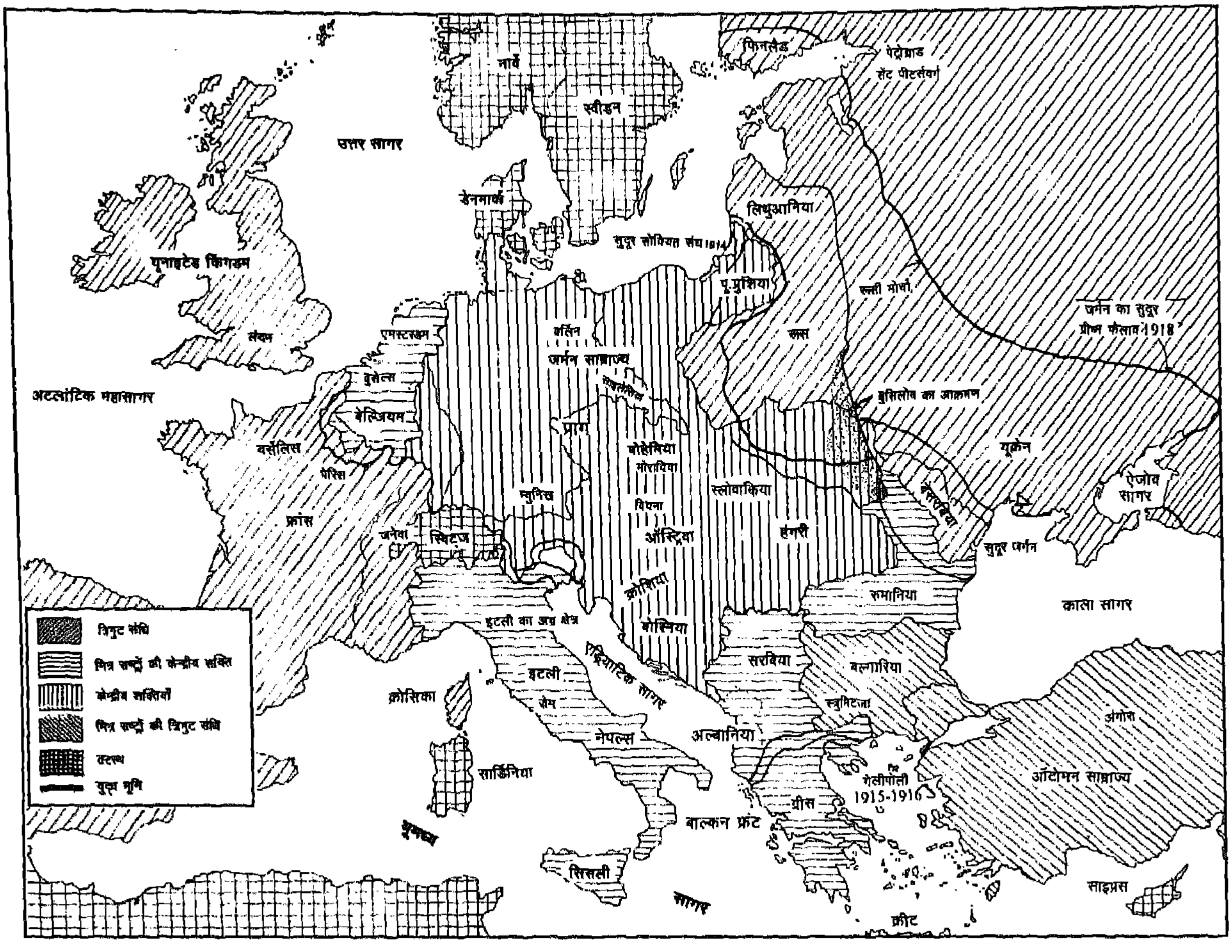
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यूरोपीय औपनिवेशिक नीति संपूर्ण विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित थी। उसके बाद राजनीतिक आकांक्षाएं प्रकट हुईं और उसके बाद धार्मिक उद्देश्य सामने आए। व्यापार से वे राजनीतिक विजय की ओर अग्रसर हुए तथा राजनीतिक शक्ति का प्रयोग ईसाई धर्म के प्रचार में किया गया। भारत में, पुर्तगालियों ने इस दिशा में पहल की। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी धार्मिक तटस्थता के नाम पर ईसाई धर्म को अधिकतम सहायता और समर्थन दिया। धार्मिक दमनात्मक कार्रवाइयों के अंतर्गत अंग्रेज उपनिवेशवादियों ने गाय और सुअर की निषिद्ध चर्बी से युक्त कारतूसों का प्रयोग ब्रिटिश सेना में प्रारंभ किया गया। इसका उल्टा परिणाम हुआ जो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों को मिली सफलता को बर्बरता पर सभ्यता की विजय के रूप में देखा गया। उन दिनों इसे चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित 'विकासवादी सिद्धांत' के साथ भी जोड़ा गया था। इस सिद्धांत के अनुसार मानव 'प्रकृति द्वारा चयन' की लंबी प्रक्रिया से गुजरता हुआ बंदर की संतति के रूप में विकसित हुआ है न कि आदम की संतति के रूप में। इस सिद्धांत के अंतर्गत 'अस्तित्व के लिए संघर्ष' होने तथा 'योग्यतम के जीवित रहने का नियम' प्रतिपादित किया गया।

विकासवाद के सिद्धांत से यूरोप और अमरीका की चिंतनधारा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। "श्वेत मानव का दायित्व" नामक एक नए सिद्धांत का जन्म हुआ। यह समझा गया कि एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में यूरोपीय उपनिवेश वाली श्वेत जातियों को ईश्वर की ओर से अन्य लोगों को सभ्य बनाने का दायित्व सौंपा गया है। भारत पर ब्रिटिश विजय इसी प्रकार सभ्य बनाने के उद्देश्य की पूर्ति का एक प्रयास माना गया।

यूरोप में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चल रही थी। लेकिन जर्मनी और इटली में प्रादेशिक राजनीतिक एकीकरण के लिए संघर्षरत था। जर्मन भाषाभाषी बहुत से छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्यों में बंटे हुए थे और यही स्थिति इटली के लोगों की भी थी। दोनों देशों में शक्तिशाली बौद्धिक आंदोलन प्रदेशों को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहे थे। जर्मन राष्ट्रवाद के समक्ष राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में फ्रांस मुख्य शत्रु था। दूसरी ओर इटली के राष्ट्रवाद के मार्ग में मुख्य बाधक ऑस्ट्रिया था। जर्मन राष्ट्रवादी ब्रिटेन से उसके परंपरागत प्रतिद्वंद्वी फ्रांस के विरुद्ध सहायता चाह रहा था और उसे सहायता उपलब्ध भी हो गई। फ्रांस के विरुद्ध एंग्लो-जर्मन सहयोग बौद्धिक क्षेत्र में भी परिलक्षित हुआ। उदाहरण स्वरूप, जर्मनी का युवा संस्कृत विद्वान मैक्समूलर 1846 में इंग्लैंड में आकर बस गया और 1900 में अपनी मृत्यु तक इंग्लैंड तथा जर्मनी के बीच बौद्धिक सेतु के रूप में कार्यरत रहा। मैक्समूलर ने आर्य जाति और भारत में आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत को अधिकाधिक प्रचारित किया। वास्तव में, इस सिद्धांत ने भारत की सामाजिक, धार्मिक, भाषायी और क्षेत्रीय विविधता की नस्ल पर आधारित व्याख्या की आधारशिला रखी। आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत से "विभाजित करो और राज करो" की प्रसिद्ध ब्रिटिश नीति को बढ़ावा मिला, साथ ही ब्रिटिश राजनीतिक विजय को



चित्र 1.1 *1880 और 1914 में विश्व का एक हिस्सा*



चित्र 1.2 *गठबंधन और प्रथम विश्व युद्ध*

स्थायी सांस्कृतिक विजय में परिवर्तित करने का आधार भी प्राप्त हुआ।

प्रशा के चांसलर बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी ने राजनीतिक एकीकरण का लक्ष्य 1871 में प्राप्त कर लिया। उसी वर्ष इटली को एकीकरण की उपलब्धि हुई। किंतु ब्रिटेन को यूरोप के मानचित्र में दो नए राज्यों के उदय होने की खुशियां क्षणिक सिद्ध हुईं। एकीकृत जर्मनी औद्योगीकरण, व्यापार तथा उपनिवेशीकरण की दौड़ में शामिल होने के लिए शीघ्रता कर रहा था। वास्तविक स्थिति यह थी कि उसने औद्योगीकरण तथा सैन्यकरण की ओर अधिकतम ध्यान केंद्रित किया और कच्चे माल, बाजार एवं उपनिवेशों में अपने अंश की भी मांग प्रस्तुत की। अपने दावे को मजबूत करने के लिए उसने शक्तिशाली नौसेना भी तैयार की। इस प्रकार वह विश्व में शक्ति की दौड़ में शामिल होने की कोशिश करने लगा। 1871 में हुए जर्मनी के एकीकरण के दो दशाब्दियों के मध्य ब्रिटेन को यह पता चल गया कि जर्मनी अब उसका मित्र नहीं रह गया है बल्कि उसका मुख्य प्रतिद्वंद्वी हो गया है।

अपनी एशियाई नीति का अनुसरण करते हुए जर्मनी ने टर्की की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया और बर्लिन-बगदाद रेलवे योजना बनाई। इसे ब्रिटेन ने अपने एशिया, विशेषकर भारत में निहित स्वार्थों के लिए एक बड़ा खतरा माना। 1890 के पश्चात् जर्मनी की गतिविधियां ब्रिटेन की विदेशी नीति तथा रक्षा नीति के लिए चिंता का विषय हो गईं। ब्रिटेन ने अपने परंपरागत प्रतिद्वंद्वियों – फ्रांस तथा रूस से शत्रुता समाप्त करने का निर्णय किया। शीघ्र ही उसने इन दोनों से मैत्रीपूर्ण संधियां कर लीं । 1905 में एशिया के एक छोटे-से देश जापान द्वारा पराजित होने के कारण रूस का मनोबल क्षीण हो गया था। यूरोप की एक बड़ी शक्ति को पराजित कर देने से एशिया में उत्साह और आशा की लहर दौड़ गई।

दो विश्व युद्ध

टर्की जो पहले कभी रूसी विस्तारवाद और पूर्वी यूरोप के स्वतंत्रता युद्ध के विरुद्ध ब्रिटेन द्वारा संरक्षित था, जर्मनी की ओर झुकाव रखने के कारण ब्रिटिश समर्थन से वंचित हो गया। अब ब्रिटेन की रुचि ऑटोमन साम्राज्य के विघटन को रोकने में नहीं थी। यह उस समय स्पष्ट हो गया जब बाल्कन युद्धों (1912-1913) के फलस्वरूप रूमानिया और बल्गारिया आदि राज्य टर्की से अलग और स्वतंत्र हो गए। जर्मनी, टर्की तथा परंपरागत प्रतिद्वंद्वी फ्रांस एवं रूस के प्रति ब्रिटिश व्यवहार ने एक पुरानी कहावत को चरितार्थ कर दिया कि राजनीति में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, केवल निजी स्वार्थ ही स्थायी होता है। प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) का मुख्य कारण ब्रिटेन तथा जर्मनी के स्वार्थों की दृष्टि से बढ़ते हुए मतभेद थे। यद्यपि इस युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के सम्राट के भतीजे आर्चड्यूक फ्रेंज फर्डीनेन्ड की 28 जून,1914 को साराजीवो में हुई हत्या को माना जाता है।

प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन तथा फ्रांस आदि मित्र राष्ट्र विजयी हुए। पराजित जर्मनी को अपने नवविजित उपनिवेशों से हाथ धोना पड़ा। उसका सैन्य संगठन तहस-नहस कर दिया गया। उसके स्वयं के आधिपत्य वाले प्रदेशों में से कुछ की सीमाओं को घटाकर शेष क्षेत्र को छीनकर पड़ोसी देशों में बांट दिया गया। उसके मित्र देशों जैसे ऑस्ट्रिया और टर्की को भी इसी प्रकार दंडित किया गया। यूरोप का मानचित्र परिवर्तित कर दिया गया और उसके मध्य में चेकोस्लोवाकिया नाम से एक नया राज्य बनाया गया। रूस में राजनीतिक क्रांति हुई। पीढ़ियों से चले आ रहे जार का शासन बोलशेविक दल के नेता लेनिन ने विद्रोह करके नष्ट कर दिया। यह सामान्यतया "रूसी क्रांति" के नाम से जाना जाता है। विश्व में यह राजनीतिक परिवर्तन मार्क्सवाद और साम्यवाद की विचारधाराओं से भी प्रेरित हुआ। रूस अब सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ में बदल गया। जर्मनी से मित्रता के कारण टर्की के ऑटोमन साम्राज्य को भारी कीमत चुकानी पड़ी। टर्की के सुल्तान की जिसे मुसलमानों के *खलीफा* के रूप में देखा जाता था, वह गरिमामय स्थिति नहीं रही। टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में आंतरिक क्रांति हुई। *खलीफा* का पद ही समाप्त कर दिया गया। टर्की के साथ हुए दुर्व्यवहार के फलस्वरूप मुसलमानों में, विशेषकर भारत में, ब्रिटिश शासन विरोधी भावनाएं उत्पन्न हो गईं और वहां 1920 के दशाब्द में *खिलाफत* आंदोलन हुआ।

प्रथम विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप एक महान संस्था (10 जनवरी,1920) जिसे 'लीग ऑफ नेशंस' कहते हैं, का जन्म हुआ। इसकी स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की अगुवाई तथा उनके आग्रह को है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्धों की रोकथाम करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और शांति-सुरक्षा की स्थापना करना था।

लीग ऑफ नेशंस (राष्ट्र संघ) ने अनेक साधारण प्रादेशिक विवादों को निपटाया। इसने स्वीडन और फिनलैंड के ऑकलैंड द्वीप संबंधी विवाद का समाधान किया। इसने जर्मनी और पोलैंड के मध्य अपर साइलेसिया संबंधी कठिन समस्या का भी समाधान किया। इसने बालकान क्षेत्र में तीन बार सफलतापूर्वक हस्तक्षेप किया। इसने यूगोस्लाविया के आक्रमण (1921) से अल्बानिया की रक्षा की। 1923 में इसने ग्रीस को इटली के संभावित आक्रमण से संरक्षण दिया। दो वर्ष बाद राष्ट्र संघ ने ग्रीस और बल्गारिया को संभावित टकराव से बचा लिया। राष्ट्र संघ द्वारा टर्की एवं ईराक के मध्य सीमा विवाद (1926) को भी निपटाया गया।

राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसके पास ऐसा कोई यंत्र नहीं था जिससे वह अपने निर्णयों का क्रियान्वयन करवा सकता था। एक अन्य दोष यह भी था कि इसने इंग्लैंड और फ्रांस जैसी यूरोपीय शक्तियों को अपने ऊपर हावी होने दिया। अतः यह शांति स्थापित करने, युद्ध रोकने, बड़ी शक्तियों से संबंधित विवादों के मामले में सदस्य-राज्यों की प्रादेशिक अखंडता और स्वतंत्रता सुरक्षित रखने में असफल रहा। उदाहरण के लिए, यह हिटलर पर नियत्रंण नहीं रख पाया, न तो यह अबीसीनिया पर इटली के आक्रमण को (1935) रोक पाया और न ही जापान का मंचूरिया पर आक्रमण रोक सका। वास्तविकता यह है कि राष्ट्र संघ राजनीतिक क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता प्राप्त न कर सका। जो कुछ भी सफलता इसे मिल पाई वह इथिओपिया और मंचूरिया (1931) जैसे छोटे देशों की कीमत पर ही संभव हो सकी।

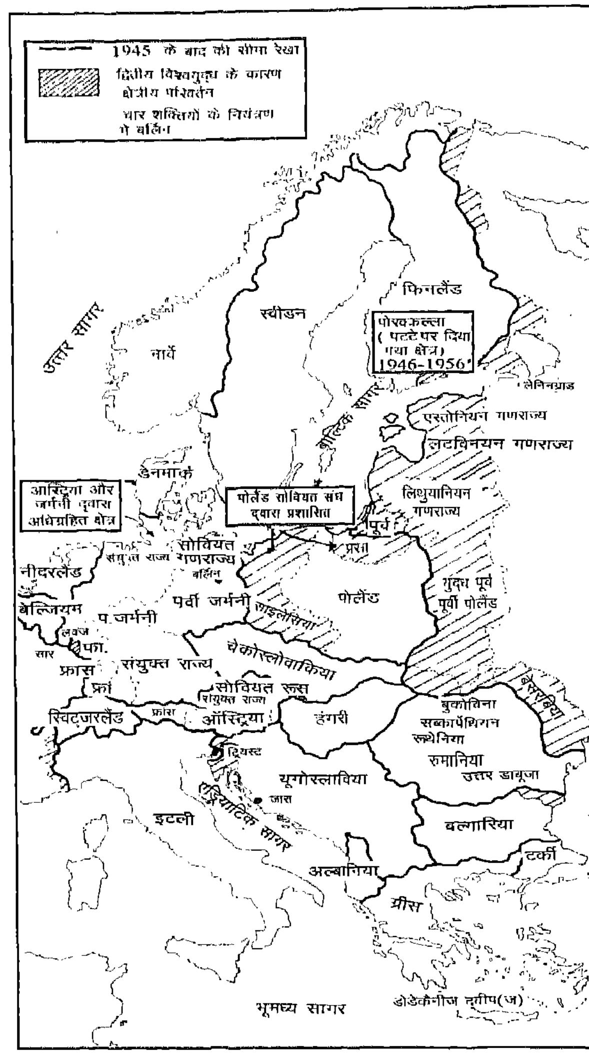
किंतु राष्ट्र संघ को सामाजिक एवं मानवीय कार्य-क्षेत्र में अधिक सफलता मिली। महिलाओं, बच्चों के अनैतिक व्यापार, दास प्रथा तथा बेगार जैसी प्रथाओं के विरुद्ध संघर्ष करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसने विश्व भर में शैक्षिक सहयोग तथा स्वास्थ्य एवं वैज्ञानिक संस्थाओं से संबंधित कार्यकलापों में बढ़ावा देने तथा स्वास्थ्य व वैज्ञानिक संस्थाओं से संबंधित कार्यकलापों के संयोजन करने में काफी काम किया।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद अनेक संधियों पर हस्ताक्षर करने के बीस वर्षों के अंदर विश्व को कहीं अधिक बड़े और विनाशकारी संघर्ष का सामना करना पड़ा जिसे 'द्वितीय विश्व युद्ध' कहते हैं। सच तो यह है कि इस युद्ध के बीज 'वर्साय की संधि' (1919) की भांति प्रथम विश्व युद्ध के सभी शांति समझौतों में मौजूद थे जिनको हारे हुए राष्ट्र स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण और भेदपूर्ण मानते थे ।

नाज़ियों के अधीन जर्मन राष्ट्रवाद, जिसने तथाकथित आर्य नस्ल की शुद्धता और प्राचीनता के आधार पर श्रेष्ठता की भावना विकसित की थी, वर्साय की संधि की अपमानजनक शर्तों से व्यथित था। जर्मनी की इस निराशाजनक स्थिति ने हिटलर के व्यक्तित्व को आकार दिया जिसने नाजी पार्टी की स्थापना की। नाजी पार्टी की विचारधारा में राष्ट्रवाद और समाजवाद का समन्वय था। जर्मन राष्ट्रवाद की उफनती लहर में बदला लेने की तीव्र भावना आंदोलित हो रही थी। जर्मन-वासियों ने हिटलर को तुरंत अपना नेता स्वीकार कर लिया और उसकी तानाशाही के प्रति समर्पित हो गए।

इसी प्रकार इटली में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में *ब्लैक शर्ट* आंदोलन शुरू हुआ जो बाद में 'फासिज्म' (फासीवाद) के रूप में विकसित हुआ। मुसोलिनी तथा उसकी फासिस्ट पार्टी ने समाज के अनेक वर्गों को आकृष्ट किया क्योंकि, जैसा कि उसने स्वयं कहा था, उसका लक्ष्य "इटली को दुर्बल सरकार से छुटकारा दिलाना" था। नाजीवाद और फासीवाद एक प्रकार से स्टालिन द्वारा सोवियत संघ पर थोपा गया सर्वहारा (श्रमिक) वर्ग का अधिनायक वाद का ही रूप था। यह विचारणीय है कि यूरोप का एक बड़ा भाग तानाशाही के प्रभाव में क्यों आ गया। यह भी उल्लेख करना रोचक प्रतीत होता है कि स्टालिन पहला यूरोपीय नेता था जिसने हिटलर से शांति समझौता किया था, भले ही वह अल्पकाल के लिए शांति चाहता रहा हो।

यूरोप दो गुटों में बंट गया था – 'मित्र राष्ट्र', जिसका नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था और 'धुरी राष्ट्र', जिसका नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। युद्ध के प्रथम चरण में धुरी राष्ट्रों को सर्वत्र विजय मिलती चली गई। कुछ समय के लिए ब्रिटिश सेनाओं को डनकर्क में तेजी से पीछे हटना पड़ा। पहली बार हिटलर ने युद्ध का प्रकोप इंग्लैंड के भीतर तक पहुंचा दिया। इंग्लैंड सदा से दूसरों की भूमि पर रक्षात्मक युद्ध लड़ता रहा था और उसे अपने घर में विनाश का सामना नहीं करना पड़ा था। यह पहली बार था कि जर्मनी ने उसकी राजधानी लंदन सहित ब्रिटिश नगरों में बम गिराए।



चित्र 1.3 *पूर्वी यूरोप–1945 के बाद की सीमाएं*

1941 में जर्मनी के आक्रमण ने रूस को पीछे धकेल दिया और विश्व में सर्वत्र साम्यवाद में विश्वास करने वाले लोग जर्मनी के विरोधी खेमे में चले गए। भारत में, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 'भारत छोड़ो' आंदोलन छेड़ दिया और सभी कांग्रेसी नेता जेल में बंद कर दिए गए। लेकिन सोवियत संघ के प्रति निष्ठा रखने के कारण भारतीय साम्यवादियों ने अपना समर्थन ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों के प्रति घोषित किया। इसी युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाटकीय ढंग से ब्रिटिश कारावास से निकल भागे और जर्मनी पहुंच गए। इसके बाद वह एक पनडुब्बी में जापान गए। जापान के नैतिक तथा भौतिक समर्थन से वह और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी, मणिपुर के कुछ भाग को स्वतंत्र कराने में सफल हो सके। किंतु जापान सहित धुरी

राष्ट्रों (जर्मनी, इटली तथा जापान) की पराजय से भारतीय स्वतंत्रता का यह शौर्यपूर्ण प्रयास आगे न बढ़ पाया। यह प्रयास भारतीय स्वतंत्रता तथा विश्व युद्ध के इतिहास का एक रोमांचकारी अध्याय है। यह हमें स्मरण कराता है कि किस प्रकार दक्षिण-पूर्वी एशिया में वर्षों पूर्व बसे हुए लाखों भारतीय देशभक्तों ने उदारता एवं शौर्यपूर्वक अपना रक्त व धन देकर अपने पूर्वजों की भूमि को आजाद करने के लिए अपना योगदान दिया।

युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रवेश करने और इंग्लैंड, फ्रांस तथा सोवियत संघ आदि मित्र राष्ट्रों को दिए गए समर्थन से धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध पासा पलट गया। अमेरिका को जापान द्वारा पर्लहार्बर (अमेरिकी नौसेना अड्डा) पर (7 दिसबंर, 1941) आक्रमण किए जाने से युद्ध में कूदना पड़ा। उसके पहले वह तटस्थ था, यद्यपि उसने ब्रिटेन को भारी आर्थिक सहायता दी थी। 6 अगस्त, 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम गिराया जिससे लगभग 84,000 लोग मारे गए। तीन दिन के बाद उन्होंने जापान के एक अन्य नगर नागासाकी पर अणु बम गिराया जिसमें लगभग 40,000 लोग मारे गए। जापान पर अणु बम का गिराया जाना युद्ध की संपूर्ण घटनाओं में सर्वाधिक विनाशकारी और विवादास्पद घटना थी।

युद्ध के बाद की राजनीति

यद्यपि युद्ध ग्रेट ब्रिटेन के प्रारंभिक नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों के पक्ष में समाप्त हुआ था, किंतु आर्थिक तथा सैन्य दृष्टि से वह अत्यंत शक्तिहीन हो गया। अमेरिका और रूस, दो महान शक्तियों के रूप में उभर कर आए। वस्तुतः युद्ध के बाद राजनीति का अमेरिका और रूस के मध्य ध्रुवीकरण हो गया। अपनी आंतरिक दुर्बलताओं तथा इन दो महान शक्तियों के दबाव के कारण ब्रिटेन भारत पर कब्जा बनाए रखने की स्थिति में नहीं रह गया था। अतः उसने वहां से हट जाने का निर्णय लिया। लेकिन इस प्रक्रिया में उसने भारत को भीषण मानवीय विपत्ति और विस्थापन सहित सांप्रदायिक विभाजन की ज्वाला में झोंक दिया।

द्वितीय युद्धोत्तर काल यूरोपीय उपनिवेशों की समाप्ति का युग था। भारत की स्वतंत्रता लगभग सभी एशियाई और अफ्रीकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता का अग्रदूत बन गई। राष्ट्र संघ का 'संयुक्त राष्ट्र संघ' (यू.एन.ओ.) के नाम से पुनर्जन्म अक्तूबर, 1945 में हुआ। उसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा से हटा कर अमेरिका के न्यूयार्क में कर दिया गया। यह परिवर्तन अमेरिका के महान् शक्ति के रूप में उभर कर आने का प्रतीक है। किंतु उसे अब साम्यवादी राष्ट्रों के नेता के रूप में सोवियत संघ का मुकाबला करना था । इसका अर्थ था – दोनों महान शक्तियों में निरंतर शीतयुद्ध। (शीतयुद्ध से तात्पर्य है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य कड़ी प्रतिद्वंद्विता होना, किंतु पूर्णरूपेण अथवा खुला युद्ध न करने का दृढ़ निश्चय।) किंतु स्वतंत्र भारत ने गुट-निरपेक्षता का मार्ग अपनाया। गुट-निरपेक्ष आंदोलन, युद्ध, निर्धनता, असहिष्णुता और अन्याय विहीन एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है। यह नई व्यवस्था शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा वास्तविक स्वतंत्रता की भी समर्थक है।

1945 के बाद विश्व में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उनमें से जर्मनी का एकीकरण (अक्टूबर,1990) तथा साम्यवादी सोवियत संघ का पतन (दिसंबर 1991) उल्लेखनीय हैं। जर्मन प्रजातांत्रिक गणराज्य (German Democratic Republic) तथा पश्चिमी जर्मनी संघीय गणराज्य (Federal Republic of Western Germany) का एकीकरण जर्मन प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में हुआ। यह 1989 में घटित उन दो मुख्य घटनाओं का परिणाम था – एक, सत्तारूढ़ सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी में तथा सरकार में परिवर्तन तथा दूसरा नए नेतृत्व द्वारा बर्लिन की दीवार का हटाया जाना, जो जर्मनी के विभाजन के समय खड़ी की गई थी। जहां तक सोवियत संघ के विघटन का प्रश्न था, इसके कई कारण थे, जिसमें व्यापक आर्थिक एवं राजनीतिक असंतोष, एक दशक तक रूस द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया जाना और धार्मिक व जातीय संघर्ष शामिल हैं। साम्यवादी सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक प्रभाव यह पड़ा कि शीतयुद्ध समाप्त हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

   (i) अंग्रेज भारत क्यों और कब आए?

   (ii) *पापलबूल* से आप क्या समझते हैं?

   (iii) वास्को डि गामा कौन था? वह भारत कब आया?

   (iv) 1588 तथा 1623 के मध्य डच और अंग्रेजों के संबंधों पर विचार व्यक्त कीजिए।

   (v) फ्रांस की क्रांति कब हुई? इसका क्या उदेदश्य था?

   (vi) नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका पर विचार व्यक्त कीजिए। उसका पतन क्यों हुआ?

   (vii) मशीन सभ्यता अथवा औद्योगिक क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा?

   (viii) एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेशीकरण पर औद्योगिक क्रांति का क्या योगदान था?

   (ix) मैकॉले की शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था?

   (x) क्रीमिया का युद्ध (1854-1856) क्यों हुआ?

   (xi) अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की धार्मिक नीति पर विचार व्यक्त कीजिए।

   (xii) बाल्कन युद्ध (1912-1913) का ऑटोमन साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा?

   (xiii) प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे?

   (xiv) लीग ऑफ नेशंस की स्थापना क्यों हुई?

   (xv) लीग ऑफ नेशंस पर टिप्पणी लिखिए।

   (xvi) नाजीवाद से आप क्या समझते हैं?

   (xvii) लेनिन का क्या योगदान था?

   (xviii) द्वितीय विश्व युद्ध के कारण लिखिए।

   (xix) जर्मनी पर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों का विवेचन कीजिए।

   (xx) संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पर विचार व्यक्त कीजिए।

   (xxi) शीतयुद्ध से आप क्या समझते हैं?

   (xxii) सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारकों का विवेचन कीजिए।

   (xxiii) सन् 1990 ई· में जर्मनी के एकीकरण के दो कारकों का उल्लेख कीजिए।

   (xxiv) द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति की विवेचना कीजिए।

2. जोड़े बनाइए :

(i)	फ्रांसीसी क्रांति	1815
(ii)	वाटर लू का युद्ध	1919
(iii)	वर्साय की संधि	1789
(iv)	लेनिन	नाजीवाद
(v)	हिटलर	रूस की क्रांति

3. नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथन के आगे (✓) का चिह्न तथा गलत के आगे (x) का चिह्न लगाइए।

   (i) कोलंबस एक पुर्तगाली नाविक था। ( )

   (ii) अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। ( )

   (iii) 'विकासवादी सिद्धांत' का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। ( )

(iv) मैक्समूलर संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान था। ( )

(v) द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे। ( )

मानचित्र कार्य

(i) विश्व के रेखा मानचित्र में 1914 के ऑटोमन साम्राज्य और जापान अंकित कीजिए।

(ii) विश्व के रेखा मानचित्र में, एशिया में, इंग्लैंड के 1914 के दो उपनिवेश दिखाइए।

2 ब्रिटिश नीतियां और भारतीय क्रांतियां

आप प्रथम अध्याय में पढ़ चुके हैं कि वास्को डि गामा पहला नौ-चालक था जो 1498 में भारत पहुंचा। वह एक भारतीय की सहायता से भारत पहुंचा था। संपूर्ण यूरोप के लिए यह एक क्रांतिकारी सूचना थी। इससे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश लोगों को भारत का शोषण करने का अवसर प्राप्त हुआ।

किंतु इसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता प्राप्त हुई। अन्य सभी देश भारत में अपना पैर जमाने के लिए ब्रिटिश प्रतिद्वंद्वियों से संघर्ष करते रहे। वे ब्रिटिश कूटनीति और धोखा-धड़ी तथा उनके दृढ़ निश्चय के आगे टिक न सके। इंग्लैंड की रानी ऐलिजाबेथ ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार 31 दिसंबर, 1600 में ही दे दिया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 150 वर्षों से भी अधिक समय तक एक व्यापारिक कंपनी के रूप में कार्य करती रही। उसके आगे के 100 वर्ष, भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने तथा ब्रिटिश सरकार की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने में लग गए। 1858 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अधिकारों से वंचित कर दिया गया और भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के अधीन कर लिया गया। यह ज्ञातव्य है कि भारत में ब्रिटिश शासन का उत्थान और विकास का काल वही था जो यूरोप में औद्योगिक क्रांति का था। इस क्रांति का तात्कालिक परिणाम था तैयार माल के लिए नए बाजार और अधिकाधिक कच्चे माल की आवश्यकता।

ब्रिटिश शासन का प्रभाव

ब्रिटिश नीतियों का उद्देश्य भारत में अपने शासन को सुसंगठित करना और उसे जारी रखना था। उनकी नीतियों का यह भी लक्ष्य था कि ब्रिटिश लोग भारतीयों का आर्थिक शोषण तथा उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकें। उनकी शोषण योजनाओं में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ने काफी मदद की। अतः ब्रिटिश शासन का भारत पर अनर्थकारी प्रभाव पड़ा।

ब्रिटिश शासन की राजस्व नीति ने छोटे किसानों और कृषि पर निर्भर बहुत-से लोगों को बर्बाद कर दिया। शासन का मुख्य स्वार्थ प्रचुर मात्रा में राजस्व एकत्र करना था। राजस्व, नक़द या उपज के रूप में निर्दयतापूर्वक वसूले जाने से किसानों की उत्पादन क्षमता नष्ट हो गई और अपने परिवार के भरणपोषण के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। परिणामस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में किसानों को गांव छोड़ कर भागना पड़ा। इस कारण कृषि उत्पादन में अत्यधिक गिरावट आने लगी और घोर अकाल पड़ने लगे। इतना ही नहीं, किसान कर्जदार हो गए और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता बढ़ने लगी।

ब्रिटिश आर्थिक नीति से नगरों की दस्तकारी तथा कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। लाखों कारीगर और कलाकार बेरोजगार हो गए। अंग्रेजों के लिए मॉनचेस्टर, लंकाशायर तथा ग्लास्गो की तरह अन्य विकासशील औद्योगिक नगर अधिक महत्त्व रखते थे। समय-समय पर अपनाई गई ब्रिटिश कर नीति इससे भिन्न नहीं थी। भारत में निर्मित माल पर उत्पादन शुल्क लगाया जाना और वस्तुतः ब्रिटिश माल पर आयात कर न लगाया जाना, एक ऐसा हथकंडा था जिससे ब्रिटिश माल को भारतीय माल की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया जाने लगा। किसी-किसी मामले में यह शुल्क 40 प्रतिशत तक पहुंच जाता था। इस नीति से भारतीय व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के हितों को नुकसान पहुंचा। स्वतंत्र व्यापार के सिद्धांत ने भी भारतीय शिल्प कला को राज्य के संरक्षण से वंचित रखा। इन सबका परिणाम यह हुआ कि भारत के निर्यात में तेजी से कमी आई। इससे भारतीयों के कष्ट बढ़ते गए। ब्रिटिश सरकार ने उनकी दशा में सुधार लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। दूसरी ओर आधे पेट खाकर जीने वाले भारतीयों को नित्य के प्रयोग में आने वाले नमक, जलाने वाला तेल, कमर तक पहनने वाले सूती वस्त्र के टुकड़ों पर भी कर देने को विवश किया गया। इसके अलावा देश के धन का भी खूब दोहन किया गया।

देश की परंपरागत अर्थव्यवस्था को नष्ट करना ब्रिटिश शासन का एक पक्ष था। दूसरा पक्ष था प्रजातीय या नस्ली भेदभाव। इस नीति के अंतर्गत समान पद और उसी विभाग में कार्यरत भारतीयों तथा अंग्रेजों के वेतन, शक्तियों

तथा प्रतिष्ठा में भेद किया जाता था। आधुनिक इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश शासक भारतीयों का कितना तिरस्कार करते थे। यह भी स्पष्ट था कि रक्षा, राजस्व तथा न्याय विभागों में उच्च पद केवल अंग्रेजों के लिए ही आरक्षित थे। भारतीयों को केवल साधारण पदों के योग्य ही समझा जाता था।

ब्रिटिश सरकार ने ऐसी नीतियों का अनुसरण किया जिससे भारतीय समाज जातियों और संप्रदायों में विभाजित हो गया। इन नीतियों का उद्देश्य ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना था जिससे अंग्रेज भारत में सुगमता से शासन कर सकें। उनका एक अन्य उद्देश्य यह भी सिद्ध करना था कि उनकी संस्कृति अधिक श्रेष्ठ, वैज्ञानिक तथा मानवीय थी। वे यह भी प्रचारित करना चाहते थे कि भारतीय समाज की बुराइयों के लिए भारतीय संस्कृति और धर्म उत्तरदायी है। कुल मिलाकर उनका मुख्य अभिप्राय भारतीयों में हीन भावना उत्पन्न करना और सभी मामलों में अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त करना था। संक्षेप में, कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन ने भारत को राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से नष्ट कर दिया। इसके अतिरिक्त इसने भारत में राज्यभक्तों का एक वर्ग तैयार किया जो पहले जमींदार वर्ग के रूप में और बाद में मध्यम वर्ग के रूप में उदित हुआ। इन्हीं सब कारणों से भारतीयों में रोष व्याप्त हो गया।

भारत में असंतोष उत्पन्न करने में कुछ अन्य कारक भी सहायक हुए। ईसाई मिशनरियों को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया जाना, मिशनरी संस्थाओं द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना और न्यायालय तथा राजकीय कामकाज में फारसी भाषा का हटाया जाना आदि कुछ ऐसे ही कार्य थे। इन्हीं के परिणामस्वरूप धार्मिक अयोग्यता कानून (Religious Disabilities Act), विधवा पुनर्विवाह कानून (Widow Remarriage Act) बनाए गए और इससे भारतीयों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ गई।

दूसरा पक्ष

समय-समय पर अंग्रेजों ने अपने राजनीतिक एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि तथा अपने साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए। उनमें से कुछ थे - रेल और स्टीमरों का प्रयोग, डाकतार की प्रणाली लागू करना तथा समस्त भारत के लिए, कुछ परिवर्तनों के साथ समान प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना। ये सभी कदम परोक्ष रूप से भारतवासियों के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुए। ये सब अधिक जागरूक भारतीयों को ब्रिटिश नीतियों में अंतर्निहित अर्थों को समझने और उनके विरुद्ध जनमत निर्माण करने में सहायक हुए। इनकी प्रेरणा से कई लोकोपकारी भारतीय, देश के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा करने, देशवासियों की दुर्दशा स्वयं देखने और उनसे सपर्क स्थापित करने में सफल हुए।

जन-विद्रोह

ब्रिटिश नीतियों से भारतीय समाज के सभी वर्गों को आघात पहुंचा। भारतीय नरेश भी जो इस देश के काफी बड़े भू-भाग पर शासन कर रहे थे, अंग्रेजों से अप्रसन्न थे। एक नरेश को दूसरे से लड़वा देने की नीति, लॉर्ड वेलेजली की सहायता संधि की नीति, लॉर्ड डलहौजी का विलय सिद्धांत तथा इसी प्रकार के अन्य तरीके अपनाने का उद्देश्य इन नरेशों के राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला लेना तथा जनता को अपने अधीन कर लेना था। उदाहरणस्वरूप लॉर्ड डलहौजी ने अंतिम दो स्वतंत्र राज्यों, पंजाब (1849) और अवध (1856) सहित आठ राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। उसने पूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को पेंशन देना बंद कर दिया और झांसी की रानी को शासन करने के अधिकार से वंचित कर दिया। वास्तव में कई अन्य ब्रिटिश शासकों ने ऐसे ही उत्तेजना उत्पन्न करने वाले कार्य किए।

अंग्रेजों के इन कार्यों से भारतीयों का धैर्य समाप्त हो गया। उनका असंतोष विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय लोकप्रिय विद्रोह के रूप में फूट पड़ा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भीलों ने विद्रोह कर दिया। बिहार और बंगाल में संथालों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। उड़ीसा में खोंड तथा गोंड लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठा लिए। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में उन्हें कोल जातियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार राजस्थान में मेर, महाराष्ट्र में कोली और मेघालय में खासी लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बगावत की। दक्षिण राज्यों में भी अंग्रेज विरोधी अनेक बगावतें (1795-1805) हुईं। इनमें से सबसे शक्तिशाली बगावत मारुडु पांडयान जैसे महान नेता के नेतृत्व में पोलिगार या जमीदारों द्वारा की गई।

ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उपजा असंतोष केवल सामान्य नागरिकों तक ही सीमित नहीं था। ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को भी अंग्रेजों के विरुद्ध शिकायतें थीं। उन्होंने कई बार विद्रोह किए। उनमें से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विद्रोह 1924 में दक्षिण भारत के वेलूर तथा कलकत्ता (कोलकाता)

के निकट बैरकपुर के विद्रोह थे। ब्रिटिश सरकार ने इन सभी विद्रोहों को कुचल दिया। इनमें सैनिकों सहित सैकड़ों भारतीयों ने अपने प्राण गंवाए। ब्रिटिश दमन का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि केवल संथालों के प्रसिद्ध विद्रोह (1855-56) में ही पंद्रह हजार से भी अधिक विद्रोहियों की नृशंस हत्या कर दी गई और फांसी दे दी गई।

1857 का विद्रोह

जैसा कि पहले कहा जा चुका है भारतीय समाज के सभी वर्ग विभिन्न कारणों से ब्रिटिश सरकार से विमुख हो चुके थे और ब्रिटिश उपनिवेशीय आधिपत्य से छुटकारा पाने को आकुल थे। जैसे-जैसे समय बीतता गया, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सभी मामलों में असंतोष बढ़ता गया। अंततः इसकी परिणति 1857 के विद्रोह में हुई। नाना साहब पेशवा के निकट सहयोगी अजीमुल्लाह खां के कथनानुसार क्रीमिया के युद्ध में ब्रिटिश सेना की प्रारंभिक पराजय से भारत में विद्रोह की आशा बलवती हो गई। 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा जाता है।

हाल में हुए अनुसंधानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित कार्य था। इसका विस्तार अखिल भारतीय था। सेना के सिपाहियों और साधारण नागरिकों को मौखिक संदेशों तथा प्रतीकात्मक रूप से कमल के फूल व रोटियों के वितरण द्वारा संगठित किया गया था। प्लासी के युद्ध की शताब्दी वाली तिथि पूरे भारत में विद्रोह किए जाने की तिथि निश्चित की गई थी। इस संपूर्ण योजना के पीछे मूल विचार पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहब का था।

तात्कालिक कारण

हिंदू तथा मुसलमान सैनिकों को चर्बीयुक्त आवरण वाले कारतूसों का दिया जाना विद्रोह का तात्कालिक कारण था। इससे तीव्र उत्तेजना उत्पन्न हो गई और भारतवासियों द्वारा इसे अपने धर्म का घोर अपमान समझा गया। भारतीय सैनिकों ने नए कारतूसों का प्रयोग करने को क्यों मना कर दिया ? क्योंकि इनमें गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। जिसका प्रयोग क्रमशः हिंदू तथा मुस्लिम धर्म में वर्जित था। नई राइफलों में इनका प्रयोग करने के पूर्व उनके आवरण को दांतों से काटकर हटाना पड़ता था। ब्रिटिश अधिकारियों के इस कार्य से हिंदुओं और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा।

दमदम में स्थित फौजों ने 23 जनवरी 1857 को इन कारतूसों का प्रयोग करने से इंकार कर दिया। बैरकपुर में एक सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च को एक यूरोपीय अफसर को घायल कर दिया। अंग्रेजों ने उसे सूली पर लटका दिया। उसकी पैदल सिपाहियों की टुकड़ी से शस्त्र रखवा लिए तथा उस टुकड़ी का तबादला मेरठ कर दिया। मेरठ में जिन सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से इंकार कर दिया उन्हें दस वर्ष का कारावास दिया गया तथा 9 मई को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और उन पर व्यंग्य किए गए। 10 मई को तीन भारतीय फौजी दस्तों ने अपने अफसरों को जान से मार डाला। उन्होंने जेलों के ताले तोड़ कर भारतीय सैनिकों को मुक्त करा दिया। तत्पश्चात् वे दिल्ली की ओर कूच कर गए और उस पर अपना कब्जा कर लिया। उन्होंने अंतिम मुगल सम्राट बहादुरशाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया।

मेरठ से प्रारंभ होकर यह विद्रोह देश के अनेक भागों में फैल गया। विद्रोह के प्रमुख केंद्र अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद व उसके निकटवर्ती क्षेत्र तथा पश्चिमी बिहार थे। विद्रोह की चपेट में दक्षिण भारत के क्षेत्र भी आए। औरंगाबाद तथा कोल्हापुर सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र थे। विद्रोह के नेताओं में नाना साहब पेशवा, अजीमुल्लाह खां, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, जगदीशपुर (बिहार) के कुंवर सिंह, राजकुमार फीरोजशाह, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह, बरेली के बख्त खां और नवाब खां तथा लखनऊ की बेगम हजरत महल के नाम प्रमुख थे।



नाना साहब



रानी लक्ष्मी बाई और तात्या टोपे

दृढ़ता से लड़ते रहे, किंतु वह धोखे के शिकार होकर अंग्रेजों के हाथ पड़ गए और उन्हें फांसी दे दी गई। नाना साहब भारत से नेपाल चले गए। अत्यधिक प्रयास करने पर भी अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाए।

इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की सफलता में कई कारक सहायक हुए। उनमें से कुछ थे – टेलीग्राफ या तार प्रणाली, स्टीमर सेवाओं का उपलब्ध होना तथा कूटनीति का प्रयोग। टेलीग्राफ प्रणाली से उन्हें समय पर सूचनाएं प्राप्त हो जाती थीं। स्टीमर के माध्यम से वे शस्त्र, गोला बारूद तथा फौजों को विद्रोह स्थल पर भेजने में समर्थ हो जाते थे। इसी प्रकार कूटनीतिक प्रयासों से उन्हें विद्रोहियों के विरुद्ध नेपाल, पटियाला, नाभा तथा जिन्द का समर्थन प्राप्त हुआ तथा कुछ प्रधान मंत्रियों जैसे ग्वालियर के दिनकर राव और हैदराबाद के सालारजंग का भी समर्थन मिला। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने भारतीयों के धार्मिक, जातिगत तथा क्षेत्रीय मतभेदों का भरपूर लाभ उठाया। क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय के बाद अंग्रेजों को टर्की से फौजें हटा लेने और उन्हें भारत में भेजने का अवसर मिल गया। किंतु विद्रोह की असफलता का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण यह था कि यह अपनी निश्चित तिथि (31 मई, 1857) से पहले ही प्रारंभ हो गया। समय से पहले विस्फोट हो जाने से विभिन्न क्षेत्रों के भारतीय नेताओं एवं सेनाओं में सामंजस्य नहीं हो पाया। दूसरी ओर इसने ब्रिटिश शासकों को समय से पूर्व ही सचेत कर दिया जिससे वे उसकी रोकथाम के उपाय कर सके।

विद्रोह की असफलता

कुछ समय के लिए मेरठ में अचानक विद्रोह और दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा दोनों घटनाओं से अंग्रेज भौंचक्के रह गए। किंतु शीघ्र ही वे सामान्य हो गए और हाल ही में पंजाब में गठित सेनाओं की सहायता से दिल्ली पर पुनः अपना अधिकार कर लेने में समर्थ हो गए। यह विद्रोह के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। अंग्रेजों ने बहादुरशाह को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा चलाया और उन्हें निष्कासित करके बर्मा (म्यांमार) में रंगून भेज दिया गया। अप्रैल 1858 में, अंग्रेजों से संघर्ष करते समय गंभीर रूप से घायल हो जाने के कारण कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। दो महीने बाद अंग्रेजों ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया। झांसी की रानी, लक्ष्मी बाई ने अंग्रेजों के साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया किंतु भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। उन्हें झांसी छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। रानी ने 1858 के जून मास में शत्रुओं से मोर्चा लेते हुए प्रेरणादायक मृत्यु का आलिंगन किया। तात्या टोपे दो वर्ष तक मध्य भारत तथा राजपूताना में अंग्रेजों के विरुद्ध

दमन और पुरस्कार की नीति

विद्रोह को दबा देने के पश्चात् अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्वक दमन और पुरस्कार की नीति का अनुसरण किया। जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था उनके साथ अमानवीय अत्याचार किए गए। सामान्य नागरिकों तथा किसानों को भी अंग्रेजों के क्रोध का सामना करना पड़ा। बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर अंग्रेजों द्वारा सैकड़ों भारतीयों की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई। उन्हें गोली से मार दिया गया अथवा फांसी पर लटका दिया गया। पुनः जीते हुए तथा अन्य नगरों में उन्होंने लूटमार तथा आगजनी की। जनता में भय उत्पन्न करने के लिए बनारस (वाराणसी)

और इलाहाबाद के बीच गंगा नदी के किनारे पेड़ों पर उन्होंने मारे गए लोगों को लटका दिया। केवल अवध में ही हिंदू तथा मुसलमान मिला कर एक लाख व्यक्ति मारे गए। दूसरी ओर, जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी उन्हें उपाधियां, सनद, जागीर तथा इसी प्रकार के अन्य पुरस्कारों से अलंकृत किया गया।

इतना ही नहीं, इस समय कुछ अन्य परिवर्तन भी हुए। अगस्त 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया जिसके द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत में अंग्रेजों की सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया ने उसी वर्ष एक घोषणा-पत्र जारी किया जिसमें भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का वर्णन किया गया। अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन सुदृढ़ करने तथा भारतीय समाज में भेदभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से अनेक कदम उठाए। समाज को दुर्बल बनाने हेतु उठाए गए कदमों में भारत की समस्त जनता का निःशस्त्रीकरण तथा फौजों का जाति, संप्रदाय तथा क्षेत्रीय आधार पर पुनर्गठन था। अंग्रेजों ने अपनी नींव दृढ़ रखने के लिए यह आवश्यक समझा कि भारतीय राजाओं का अस्तित्व सुरक्षित रखा जाए जिससे कि भविष्य में होने वाले किसी विद्रोह की रोकथाम कर सकें। उन्होंने यह भी सुनियोजित किया कि विधायिका में स्वामिभक्तों को ही स्थान मिले। उन्होंने राजाओं की स्वामिभक्ति प्राप्त करने के लिए उनके राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला लेने की पुरानी नीति का परित्याग कर दिया तथा स्वामिभक्त भारतवासियों का विधायिका में सहयोग पाने के लिए 1861 में इंडियन काउंसिल ऐक्ट बनाया।

विद्रोह का महत्त्व

यद्यपि यह विद्रोह विफल हो गया किंतु भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में यह एक युगांतरकारी घटना है। संगठित सेनाओं तथा नरेशों पर आधारित पुरानी व्यवस्था द्वारा किया गया यह एक अंतिम संगठित प्रयास था। इसकी विफलता ने उस राजनैतिक एवं सैन्य प्रक्रिया को पूरा किया जिसकी शुरूआत अंग्रेजों ने प्लासी (1757) में की थी। इसने राष्ट्र के सामने गौरवपूर्ण वीरता के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए। पराजित भारतीय रानी लक्ष्मी बाई, तात्या टोपे तथा अन्य लोगों के महानतम बलिदानों से भारतवासी अत्यंत प्रभावित एवं प्रेरित हुए।

विरोध की भावना

1857 के विद्रोह की विफलता तथा अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के विरुद्ध फैलाए गए आतंक से भी उनकी विरोध भावना पूर्णतया नष्ट नहीं हो पाई। परिणामस्वरूप, 1857 के बाद भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए। उनमें से कुछ संशस्त्र विद्रोह थे।

बनारस (वाराणसी) में गृह कर लगाए जाने के विरुद्ध सामूहिक विरोध संगठित किया गया। एक प्रत्यक्षदर्शी के शब्दों में, बनारस तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में तीन लाख से भी अधिक नागरिक अपने मकानों से बाहर आ गए, उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दीं, अपने खेतों के काम स्थगित कर दिए और गृह कर आदेश वापस लिए जाने हेतु धरने पर बैठ गए। इसी तरह, 1860 में आयकर लगाए जाने से बंबई प्रेसीडेंसी के विभिन्न भागों में उपद्रव हुए। थाना (ठाणा), कल्याण, भिवंडी, पनवेल और शाहपुर के क्षेत्र इनमें सम्मिलित थे। सूरत में भी 1878 में उस समय उपद्रव हुए जब अकाल पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए नया लाइसेंस टैक्स लगाया गया। लोगों ने अप्रैल की पहली तारीख़ को हड़ताल आयोजित की। चार दिन बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन पर पड़े हुए गेहूं के भंडार को छीनने के लिए हमला कर दिया।

मणिपुर में सेनापति टिकेंद्रजीत ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह की योजना बनाई। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि



गुरु राम सिंह



वासुदेव बलवंत फड़के

अंग्रेज लोग मणिपुर के स्वतंत्र राज्य के आंतरिक मामलो में हस्तक्षेप करने लगे थे। एक लंबे संघर्ष के बाद टिकेंद्र ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। गुरुराम सिंह ने पंजाब में "कूका आंदोलन" चलाया। इसका उद्देश्य खोई हुई स्वतंत्रता को पुनः पाना था। यह आंदोलन उन लोगों के विरुद्ध भी था जो गो-वध करते थे। एक अनुमान के अनुसार गुरु राम सिंह ने दो लाख सिक्खों (नामधारियों) को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने तथा उन्हें पंजाब से निकाल बाहर करने के लिए प्रेरित किया था। अंग्रेजों ने 1872 में गुरु राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया और रंगून की जेल में बंद कर दिया। महाराष्ट्र क्रांतिकारी सभा में वासुदेव बलवंत फड़के ने ब्रिटिश राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए 1879 में एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :
   - (i) अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए।
   - (ii) भारत में अंग्रेजों की नीतियों का क्या उद्देश्य था?
   - (iii) भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पड़ा?
   - (iv) ब्रिटिश सरकार की जातीय नस्ल भेद की नीति का वर्णन कीजिए।
   - (v) ब्रिटिश शासन का भारतीय समाज और संस्कृति पर पड़े प्रभाव की व्याख्या कीजिए।
   - (vi) भारत में 1857 से पूर्व हुए कुछ लोकप्रिय विद्रोहों के नाम लिखिए।
   - (vii) 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था?
   - (viii) 1857 के विद्रोह में उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह करने वाले पांच महत्त्वपूर्ण नेताओं के नाम बतलाइए।
   - (ix) 1857 का विद्रोह क्यों असफल हुआ?
   - (x) 1857 का विद्रोह कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया?
   - (xi) 1857 के विद्रोह का क्या महत्त्व था?
   - (xii) पंजाब में कूका आंदोलन किसने चलाया और क्यों?
   - (xiii) टिकेंद्रजीत तथा वासुदेव बलवंत फड़के ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्या किया ?

2. सही जोड़े बनाइए :

(i)	मंगल पांडे	अंतिम मुगल सम्राट
(ii)	बहादुरशाह	झांसी
(iii)	कुंवर सिंह	लखनऊ
(iv)	रानी लक्ष्मी बाई	बैरकपुर
(v)	बेगम हजरत महल	जगदीशपुर

3. नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथन के आगे (✓) का चिह्न तथा गलत के आगे (x) का चिह्न लगाइए।
   - (i) ब्रिटिश सरकार की औद्योगिक नीति ने भारतवासियों की सहायता की। ( )
   - (ii) विलय का सिद्धांत लॉर्ड वेलेजली से संबंधित था। ( )

(iii) नाना साहब पूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था। ( )

(iv) 1857 का विद्रोह निश्चित समय पर प्रारंभ हुआ। ( )

(v) अंग्रेजों ने 1849 में पंजाब पर विजय प्राप्त की। ( )

परियोजना कार्य

- भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मी बाई की भूमिका पर एक वाद-विवाद आयोजित कीजिए।
- 1857 के विद्रोह के कारणों पर एक विचार-विमर्श आयोजित कीजिए।

कांग्रेस, नई चेतना और मुस्लिम लीग

द्वितीय अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि संघर्ष की गति रोकने के लिए अंग्रेजों ने किस प्रकार दमनात्मक नीति का अनुसरण किया। 1878 में गवर्नर-जनरल लॉर्ड लिटन ने इंडियन आर्म्स ऐक्ट (शस्त्र कानून) पारित किया जिसके अंतर्गत कोई भारतीय जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए भी शस्त्र नहीं रख सकता था। उसी वर्ष लॉर्ड लिटन ने 'वर्नाकुलर प्रेस एक्ट' (देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम) जैसे कड़े प्रतिबंध प्रेस (समाचारपत्र) की स्वतंत्रता पर लगाए। इन दमनात्मक कार्रवाईयों से उन्हें मनोवांछित परिणाम नहीं मिले। अतः ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रवादियों एवं जमींदारों के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने की नीति अपनाई। नए वाइसराय लॉर्ड रिपन ने प्रेस को नियंत्रित करने वाले कानून को रद्द कर दिया। कार्यकारिणी समिति के सदस्य इलबर्ट द्वारा प्रस्तावित विधेयक (बिल) का लॉर्ड रिपन ने समर्थन किया। इलबर्ट बिल का उद्देश्य न्यायालयों में प्रजातीय (नस्ली) भेदभाव को समाप्त करना था। किंतु ब्रिटिश अफसरों और व्यापारियों के विरोध के कारण इसके विधायिका में पारित होने की संभावना समाप्त हो गई। इस प्रकरण तथा इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों से संबंधित संघर्षों के कारण भारतीय राष्ट्रवादी एकजुट होकर देशव्यापी आंदोलन करने की ओर प्रवृत्त हुए।

इंडियन नेशनल कांग्रेस

यह उल्लेखनीय है कि अंग्रेजी शिक्षा पाए हुए भारतीय पहले ही यूरोपीय शैली के अनुरूप राजनीतिक संगठन और संवैधानिक तरीके अपनाने का प्रयास कर रहे थे। उनकी धारणा थी कि भारत में राजनीतिक एवं आर्थिक विकास की गति तेज करने का सर्वोत्तम उपाय है कि भारत की दुर्दशा और भारतीयों के प्रति ब्रिटेन के कर्तव्यों के संबंध में ब्रिटिश जनमत निर्मित किया जाए। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक संगठन स्थापित किए गए। उनमें से कुछ थे – दादा भाई नौरोजी की ईस्ट इंडिया एसोसियेशन (1866), महादेव रानाडे की पूना सार्वजनिक सभा (1870), सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की इंडियन एसोसियेशन (1876), मद्रास की महाजन सभा (1884) तथा बॉम्बे प्रेसीडेंसी एसोसियेशन (1885)।

यह भी उल्लेखनीय है कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय सिविल सेवा में सम्मिलित होने के लिए अत्यधिक इच्छुक रहते थे जिसकी परीक्षा इंग्लैंड में ही होती थी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित अधिकतम आयु जो 1859 में 23 वर्ष थी उसे 1878 में उन्नीस वर्ष कर देने के बावजूद कुछ बंगाली नवयुवकों ने ब्रिटिश परीक्षार्थियों के मुकाबले प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त की। उनमें से एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ब्रिटिश सरकार की इच्छा के विरुद्ध वे सरकारी सेवा में आ गए। अंततः एक मामूली बहाना लेकर उन्हें सेवा से हटा दिया गया। इस कार्रवाई से अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतवासियों का अंग्रेजों की प्रजातीय समानता व न्याय के प्रति विश्वास डिग गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्वयं पूरे भारत का दौरा किया जिसका उद्देश्य शिक्षित भारतीयों का एक राष्ट्रीय संगठन स्थापित करना था। परिणामस्वरूप, इंडियन एसोसियेशन की स्थापना हुई।

इंडियन एसोसिएशन का स्थापित होना भारत और इंग्लैंड के अनेक अंग्रेजों को रुचिकर नहीं लगा। अतः उन्होंने इस संगठन का एक विकल्प सोचा। इस प्रकार इंडियन नेशनल कांग्रेस शिक्षित अभिजात्य वर्ग के संगठन के रूप में उभर कर आई। इस दिशा में मुख्य रूप से पहल करने वालों में एक अवकाशप्राप्त अंग्रेज उच्चाधिकारी ए.ओ. ह्यूम थे। गवर्नर-जनरल लॉर्ड डफरिन ने उन्हें पूरा सहयोग दिया (किंतु इस विचार से कुछ इतिहासकार सहमत नहीं हैं।) ह्यूम इस बात से आश्वस्त थे कि भारत की जनता में तेजी से बढ़ते हुए असंतोष को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाना जरूरी था। उनका यह विचार था कि सामाजिक तथा आर्थिक असंतोष को रोकने और दूसरी दिशा में मोड़ देने का प्रयास यदि विफल हो गया तो भारत में ब्रिटिश शासन का विनाश सुनिश्चित हो जाएगा। ह्यूम का आधारभूत उद्देश्य एक ऐसे संगठन का निर्माण करना था जो भारतीय असंतोष को रोकने में सुरक्षा-कवच का कार्य कर सके। दूसरे शब्दों में, कांग्रेस की स्थापना किसी प्रकार के ब्रिटिश-विरोधी जन-विद्रोह की संभावना समाप्त करने के उद्देश्य से की गई थी क्योंकि उन्हें ऐसे जन-विद्रोह की आशंका थी।

उदारवादी काल

कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई (मुंबई) में 29-30 दिसंबर, 1885 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता डब्लू.सी. बनर्जी ने की थी और इसमें 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। 1885 और 1905 के मध्य कांग्रेस में अधिकतर वकील और जमींदार वर्ग के लोग होते थे। वे वर्ष में एक बार एकत्र होते थे और कुछ प्रस्ताव पारित करते थे। वे अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उनमें से कुछ लोग ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान समझते थे। उनकी मुख्य मांगें थीं : ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रारंभ किया जाना तथा सरकारी सेवाओं में भारतीयों को अधिक स्थान देना। उनकी अन्य मांगों में भू-राजस्व तथा सेना के व्यय में कटौती करना तथा भारत के धन का भारतीयों के लिए उपयोग करना शामिल था। शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके तथा मांग पत्र देना उनकी कार्य-प्रणाली थी। कुछ समय बाद वे उदारवादी कहे जाने लगे।

सरकार का रुख

ब्रिटिश शासकों ने कांग्रेस की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जबकि ये मांगें हर दृष्टि से बहुत सामान्य थीं। इसके प्रतिकूल उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण रुख अपनाया। उनमें से कुछ लोगों ने इसे "राजद्रोह का कारखाना" कहकर इसकी भर्त्सना की। लॉर्ड डफरिन ने, जिनके आशीर्वाद से इसकी स्थापना हुई थी, "सूक्ष्म अल्पसंख्यकों" का प्रतिनिधि कहकर इसे तिरस्कृत किया। कांग्रेस ने एक मांग यह रखी थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल (तत्कालीन विधायिका) में निर्वाचित सदस्यों को सम्मिलत किया जाए। एक प्रकार से वह भारत में निर्वाचन पद्धति शुरू करने की मांग कर रही थी। किंतु ब्रिटिश सत्ताधारियों ने इस मांग को पूर्णतया ठुकरा दिया। इसके विपरीत, जब उन्होंने 1892 में इंडियन कौंसिल ऐक्ट पारित किया तो उसमें मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था की गई। कांग्रेस की अन्य मांगों के प्रति भी अंग्रेजों की प्रतिक्रिया द्वेशपूर्ण थी। वस्तुतः उन्होंने यह घोषित किया कि भारतीय लोग संसदात्मक संस्थाओं के योग्य नहीं है। लॉर्ड कर्जन ने तो यहां तक कह दिया कि "भारत के लोग किसान हैं। उनके जीवन में राजनीतिक आकांक्षाओं का स्थान ही नहीं हैं।" इसका भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा।

नई चेतना का विकास

इसी समय देश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरण की लहर चल रही थी जिसे 'भारतीय पुनर्जागरण' के नाम से जाना जाता है। इसकी पृष्ठभूमि बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती तथा रामकृष्ण परमहंस ने तैयार की थी। बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध गीत *वंदे मातरम्* 1893 के आते-आते भारतीय राष्ट्रवाद का मूलमंत्र बन गया था। उन्होंने प्राचीन भारतीय आदर्शों तथा मातृभूमि के प्रति प्रेम पर विशेष बल दिया।



स्वामी दयानंद सरस्वती

इसी प्रकार, स्वामी दयानंद सरस्वती के उद्घोष वाक्य "वेदों की ओर लौटो" ने स्वदेशी एवं प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के प्रति गौरवान्वित होने की भावना भारतीयों के ह्रदय में भर दी। इसके पूर्व 1867 में राज नारायण बोस ने नबगोपाल मित्रा की सहायता से एक स्वदेशी मेला प्रारंभ किया जिसका उद्देश्य बंगालियों में देशभक्ति की भावना विकसित करना था। इस नई चेतना के विकास में राजा राममोहन राय, देबेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आदि समाज-सुधारकों तथा भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों की भूमिका कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं थी। जहां तक रामकृष्ण परमहंस का प्रश्न है, वे भारतीय शिक्षित युवकों के आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शक बन गए थे। उन्होंने विवेकानंद जैसे देशभक्त पैदा किए।



स्वामी विवेकानंद

परिणामस्वरूप, 1893 का वर्ष हमारे स्वतंत्रता संघर्ष की विचारधारा में ऐतिहासिक सिद्ध हुआ। इस वर्ष रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने शिकागो (अमरीका) में आयोजित धर्म-संसद (Parliament of Religions) में भाग लिया। उन्होंने

वहां पश्चिमी विचारकों के समक्ष भारतीय विचारधारा तथा संस्कृति की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। उसी वर्ष अरबिंदो घोष इंग्लैंड से भारत वापस आए। उन्हें 7 वर्ष की आयु में शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। वहां उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा दी। वहां से लौटने के तुरंत बाद उन्होंने "न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड" शीर्षक से एक लेख माला प्रकाशित की जिसमें कांग्रेस की नीति को भिक्षावृत्ति मानते हुए तिरस्कृत किया। इन लेखों में आत्मनिर्भरता की नई विचारधारा तथा नई कार्यपद्धति अपनाए जाने का निवेदन किया गया था।



अरबिंदो घोष

इसी वर्ष आयरलैंड की थियोसोफिस्ट विचारधारा वाली महिला एनी बेसेंट भारत आईं और उन्होंने भारतीयों को समझाया कि उन्हें पश्चिमी देशों की नकल नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह भी बतलाया कि पश्चिमी देशों को ही भारत से बहुत कुछ सीखना है। एक रोचक बात यह है कि इसी वर्ष 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव का आरंभ करके स्वतंत्रता संघर्ष को एक नयी दिशा प्रदान की। उसके बाद 1895 में तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव का आरंभ किया गया। उन्होंने इन उत्सवों को जनता को जागृत करने तथा संगठित करने के लिए अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा" का नारा बुलंद किया। यह एक संयोग था कि इसी समय 1893 में ही मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका गए।

"पंजाब केसरी" के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय तथा विपिन चंद्र पाल की कांग्रेस की नीतियों और कार्य-पद्धति संबंधी विचार वही थे जो तिलक और अरबिंदो घोष के थे। दोनों ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पक्षधर थे। दोनों ही उदारवादियों की आलोचना करते थे। उनके विचार में उदारवादी लोग अंग्रेजों से प्रेरणा लेते थे जिन्होंने भारतीय राज्यव्यवस्था, संस्कृति तथा समाज को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था। उनका यह भी मत था कि उदारवादी लोग लेजिस्लेटिव कौंसिलों जैसे छोटे-मोटे कार्यों में उलझे रहते थे और भारतीय संस्कृति के संरक्षण तथा प्रोत्साहन संबंधी महत्त्वपूर्ण विषयों पर ध्यान नहीं दे रहे थे।

नव चेतना ने पूरे देश की नई पीढ़ी को प्रभावित किया। महाराष्ट्र तथा बंगाल में इसका विशेष प्रभाव हुआ। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी भावना तथा ब्रिटिश विरोधी भावना जागृत करने में तिलक के अंग्रेजी साप्ताहिक *मरहठा*, मराठी साप्ताहिक *केसरी* और परांजपे के मराठी साप्ताहिक *काल* ने यथेष्ठ योगदान दिया। इसके तात्कालिक परिणामस्वरूप चापेकर बंधुओं - दामोदर एवं बालकृष्ण ने 1897 में पूना के कलेक्टर रैण्ड की हत्या कर दी। दोनों भाई गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें फांसी दे दी गई। तत्पश्चात्, एक अन्य चापेकर भाई वासुदेव तथा उसके मित्र रानाडे ने दामोदर के मुकदमें के मुख्य गवाह द्रेविड बंधुओं को मार डाला। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई।



दामोदर हरि चापेकर

तिलक ने *केसरी* में चापेकर बंधुओं का डटकर बचाव-पक्ष रखा और अपने विरुद्ध राजद्रोह का अपराध आमंत्रित किया। उनके कारावास से न केवल भारत में बल्कि यूरोप के सभी भारतीयों में क्षोभ उत्पन्न हो गया। तिलक की विद्वत्ता से प्रभावित होकर मैक्समूलर ने इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को उन्हें जेल से तत्काल मुक्त किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया।

इसी प्रकार बंगाल में स्वामी विवेकानंद की वापसी और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना से राजनीतिक वातावरण में एक नया जोश आ गया। उनके कार्य-कलापों का शिक्षित बंगाली युवकों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1902 में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के बाद उनके मिशन (कार्य) को सिस्टर निवेदिता ने आगे बढ़ाया। वह आयरलैंड में जन्मी थीं किंतु उन्होंने हिंदू धर्म को अपना धर्म तथा भारत को अपना घर मान लिया था। उनकी स्वरचित *काली, द मदर* (1900) तथा *द वेब ऑफ इंडियन लाइफ* (1904)

नामक रचनाओं का नई चेतना के विकास में बहुत योगदान रहा ।

स्वदेशी आंदोलन

लॉर्ड कर्जन के शासन काल (1899-1905) में भारत में नाटकीय परिवर्तन हुए। भारतीयों के विषय में उनके विचार उसी समय स्पष्ट हो गए थे जब वे 1892 में ब्रिटिश संसद में "इंडियन कौंसिल बिल" पर टिप्पणी कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि

> भारत के करोड़ों लोग मूक व्यक्तियों की तरह थे जो न अपनी भाषा को लिखना जानते थे न पढ़ना और शायद वे सब इस बात से भी अवगत नहीं थे कि अंग्रेज लोग उनके देश में शासक के रूप में विद्यमान हैं।

जब लॉर्ड कर्जन ने गवर्नर-जनरल का पद भार संभाला तो उन्होंने सबसे पहले नव चेतना के विकास को अवरुद्ध करने की नीति अपनाई। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद उत्पन्न करने के लिए "फूट डालो और राज करो" की नीति का अनुसरण किया। उन्होंने 1901 में उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत नाम से एक अलग प्रांत बना दिया। उन्होंने 1904 में संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का सरकारीकरण कर दिया क्योंकि वे शिक्षा संस्थाओं को "राजद्रोह का केंद्र" मानते थे। 1905 में उन्होंने बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया - हिंदू-बहुल पश्चिम बंगाल तथा मुस्लिम-बहुल पूर्वी बंगाल। उन्होंने विभाजन करने का यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि वे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रभाव से बहुत भयभीत थे। यह कार्य उन्होंने प्रशासनिक दक्षता के नाम पर किया जो जनता की इच्छाओं के विरुद्ध था।

बंगाल का विभाजन 16 अक्तूबर,1905 को हुआ और परिणामस्वरूप एक वृहद जन-आंदोलन उठ खड़ा हुआ। लोगों ने विरोध व्यक्त करने के लिए संपूर्ण बंगाल में प्रदर्शन किए और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने की शपथ ली। छात्रों ने स्कूल-कालेजों का बहिष्कार किया और वे विभाजन के विरोध में होने वाले आंदोलन तथा स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गए। रवींद्रनाथ टैगोर भी इस आंदोलन में शामिल हो गए और उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से बंगाल के लोगों को प्रेरणा दी। जनता ने उनके आह्वान का स्वागत किया और विभाजन की तिथि को बंगालियों की एकता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से 'रक्षा बंधन दिवस' के रूप में आयोजित किया। उस दिन *वंदे मातरम* की ध्वनि से आकाश गूंज उठा ।

अरबिंदों घोष ने उच्च वेतन वाले बड़ौदा (बड़ोदरा) के एक कालेज के प्रधानाचार्य पद से त्यागपत्र दे दिया और कलकत्ता वापस आ गए। वहां उन्होंने एक नव-स्थापित कालेज के प्रधानाचार्य पद पर 50 रु. के अल्प वेतन पर कार्य करना स्वीकार किया और विपिन चंद्र पाल के साथ *वंदे मातरम* नामक पत्र प्रकाशित करने लगे। वे उस पत्र के माध्यम से बंगाल के उच्च अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अभिजात्य वर्ग को प्रेरित करते रहे।

स्वदेशी आंदोलन के दौरान अरबिंदो घोष हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दर्शन के मुख्य प्रणेता के रूप में उभर कर आए। दयानंद, बंकिमचंद्र और तिलक से प्रेरणा ग्रहण करते हुए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने पहली बार सविनय अवज्ञा तथा पश्चिमी सभ्यता के परित्याग का विचार प्रतिपादित किया था। लगभग उन्हीं दिनों महात्मा गांधी एक गौरव-ग्रंथ की रचना कर रहे थे जिसका नाम *हिन्द स्वराज* था। जिसमें उन्होंने पश्चिम की मशीनी सभ्यता और संसदात्मक लोकतंत्र जैसी पश्चिमी संस्थाओं को अस्वीकृत कर दिया था। उन्होंने 'स्वराज' शब्द को परिभाषित करते हुए यह मत व्यक्त किया कि 'स्वराज' से उनका तात्पर्य है पश्चिमी सभ्यता को भारत से बहिष्कृत कर देना, न कि अंग्रेजों को।

लाल, बाल और पाल की त्रिमूर्ति (लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल) वास्तव में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती थी। इस प्रकार कांग्रेस में उदारवादी और उग्रवादी - दो धाराएं उभर कर आईं। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल ने लोगों को देशभक्ति की उत्कट भावना से ओत-प्रोत कर देने के उद्देश्य से इस अवसर का लाभ उठाया। तिलक की दृष्टि में स्वदेशी आंदोलन एक ऐसा महान अस्त्र था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित प्रशासनिक ढांचे को निरस्त कर सकता था। इन नेताओं का प्रभाव इतना गहरा था कि स्वदेशी आंदोलन संपूर्ण भारत में व्याप्त हो गया। इससे प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त प्रांत, बंबई प्रेसीडेंसी, पंजाब, मद्रास प्रेसीडेंसी तथा मध्य प्रांत आदि थे जहां बंगाल विभाजन आंदोलन के साथ ही बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा। विदेशी वस्तुएं बेचने वाली दुकानों पर धरने दिए गए।

भारतीय राजनीति को भी स्वदेशी आंदोलन ने अत्यधिक प्रभावित किया। इसने भारतीयों को सत्ता का उल्लंघन करने और उसे चुनौती देने को प्रेरित किया। इसने गोपाल कृष्ण गोखले जैसे महान उदारवादी नेताओं का विश्वास

लाल – बाल – पाल



लाला लाजपत राय



बाल गंगाधर तिलक



विपिन चंद्र पाल

डिगा दिया और इससे अंग्रेजों की दयाशीलता एवं न्यायप्रियता में उनकी चिरसंचित निष्ठा शिथिल हो गई। दिसंबर 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था :

> हमारे बंगाली भाइयों पर एक क्रूर अन्याय किया गया है और संपूर्ण देश गहनतम शोक एवं आक्रोश से आंदोलित हो उठा है, जो इसके पूर्व कभी घटित नहीं हुआ। विभाजन की योजना... वर्तमान नौकरशाही द्वारा संचालित शासन पद्धति के निकृष्टतम लक्षणों का जीता-जागता उदाहरण है - जनमत की घोर अवमानना, अपनी श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता का अहंकारपूर्ण प्रदर्शन, लोगों की हार्दिक भावनाओं का निरादर, न्यायप्रियता के प्रति निवेदन करने का मखौल ....

छात्रों के विरुद्ध अंग्रेजों का रोष

हतोत्साहित होकर अंग्रेजों ने स्वदेशी आंदोलन को कुचल देने के लिए दमन-चक्र चला दिया। *वन्देमातरम* का गाना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। इसके सबसे अधिक भुक्तभोगी छात्रगण हुए। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण सरकार ने उन पर अत्याचार किए। उन्हें परेशान और दंडित किया। उनमें से बहुतों पर जुर्माने किए गए, उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया, और उन्हें कोड़ों से पीटा गया। कुछ छात्रों को स्कूल-कालेजों से स्थायी अथवा अस्थायी रूप से निष्कासित कर दिया गया। आंदोलन के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल के लिए जेल में रखा गया। सरकार ने प्रेस (समाचारपत्रों) तथा सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने जैसी नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा दिया।

इस प्रकार की कार्रवाई से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जैसे नवयुवक छात्रों में क्रांतिकारी स्फूर्ति पैदा हुई। वे कलकत्ता से मुजफ्फरपुर तक किंग्सफोर्ड नामक जज की हत्या करने के उद्देश्य से गए जिसने बंगाली स्वदेशी आंदोलन के स्वयंसेवकों को कठोर दंड दिया था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। खुदीराम बोस को फांसी दी गई, किंतु प्रफुल्ल चाकी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार

स्वदेशी आंदोलन की लोकप्रियता ने उदारवादियों को दिसंबर 1906 में होने वाले कलकत्ता अधिवेशन में अपने राजनीतिक लक्ष्यों एवं कार्यशैली को परिवर्तित करने के लिए बाध्य कर दिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए वे भारतीय राजनीति के



खुदीराम बोस

भीष्मपितामह, दादा भाई नौरोजी को आमंत्रित किया। कई कांग्रेस नेताओं ने ब्रिटिश नीतियों के विरोध में भाषण दिए। उन्होंने बंगाल विभाजन को राष्ट्रीय एकता पर आघात माना और उसकी निंदा की। इस अधिवेशन में प्रत्येक व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने तथा हिंदू-मुस्लिम एकता तथा राष्ट्रीय अखंडता के लिए कार्य करने का संकल्प लिया।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद कांग्रेस ने स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव स्मरणीय था क्योंकि यह पहला अवसर था जब कांग्रेस ने न केवल स्वराज की मांग रखी बल्कि स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करने और ब्रिटिश आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से एक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। यह उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोगों के लिए एक महान विजय थी क्योंकि पहली बार दादाभाई नौरोजी कांग्रेस के मंच से स्वराज के पक्ष में बोले और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन किया। किंतु 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में यह स्पष्ट हो गया कि उदारवादियों द्वारा इस प्रकार स्वदेशी आंदोलन से उत्पन्न देशप्रेम के ज्वार के समक्ष पीछे हट जाना मात्र एक रणनीति थी।

उदारवादी तथा उग्र राष्ट्रवादी

उदारवादी तथा उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के मतभेद कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के बाद भी चलते रहे। उदाहरण के लिए उदारवादी ब्रिटिश शासन का अंत करने के उद्देश्य से स्वराज को राजनीतिक अस्त्र के रूप में कभी प्रयोग नहीं करना चाहते थे। वे स्वराज संबंधी प्रस्ताव का प्रयोग केवल बंगाल विभाजन के विरोधस्वरूप बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। इसके विपरीत उग्र राष्ट्रवादी ब्रिटिश सरकार से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते थे। वे संपूर्ण देश को बहिष्कार आंदोलन में शामिल करना चाहते थे ताकि भारत को यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र स्वराज मिल जाए।

सूरत में कांग्रेस का विभाजन

इस बीच उदारवादियों और उग्र राष्ट्रवादियों के मतभेद चरम सीमा पर पहुंच गए। उग्र राष्ट्रवादी, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन को देशव्यापी बनाने के लिए कांग्रेस पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे । उन्होंने यह मांग रखी कि सूरत में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय करें। किंतु उदारवादियों ने जो बहुमत में थे, रास बिहारी घोष का नाम प्रस्तावित किया। इस प्रकार 1907 में सूरत का कांग्रेस अधिवेशन (जो गोखले का गढ़ था) उदारवादियों और उग्र राष्ट्रवादियों के मध्य रणस्थल बन गया। इस अधिवेशन में दोनों दिन अव्यवस्था बनी रही और पुलिस बुलानी पड़ी। परिणामस्वरूप कांग्रेस का औपचारिक रूप से विभाजन हो गया। उग्र राष्ट्रवादी एक संवैधानिक संशोधन द्वारा कांग्रेस से निष्कासित कर दिए गए। इस प्रकार उनके द्वार राष्ट्रवादियों के लिए बंद हो गए।

सूरत में कांग्रेस विभाजन के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने उग्र राष्ट्रवादियों के विरुद्ध आतंक का तांडव शुरू कर दिया। सरदार अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को देश निकाला दे दिया गया। तिलक को बर्मा (म्यांमार) में मांडले भेज दिया गया। विपिन चंद्र पाल को जेल में बंद कर दिया गया। उनका अपराध यह था कि उन्होंने अरबिंदो घोष के विरुद्ध चलाए गए मुकदमें में उन्हें बचाने का प्रयास किया था। ब्रिटिश सरकार के अगले निशाने पर अरबिंदो घोष थे। उन्हें अलीपुर बम कांड (1908) में फंसा दिया गया। मुजफ्फरपुर की 30 अप्रैल 1908 वाली घटना के बाद पुलिस ने कलकत्ता स्थित अरबिंदो घोष के निवासस्थान मानिकतला गार्डन हाउस की तलाशी ली जहां एक बम फैक्ट्री पाई गई। इसके फलस्वरूप अरबिंदो घोष तथा उनके बड़े भाई बारिन्द्र कुमार घोष सहित बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों के मुकदमें को 'अलीपुर बम कांड' कहा जाता है। अधिकांश अभियुक्तों को दोषी पाया गया और उनमें कुछ लोगों को जिनमें बारिन्द्र भी शामिल थे, आजीवन कारावास दिया गया।

मुस्लिम लीग का उदय

आप पढ़ चुके हैं कि 1857 के विद्रोह में मुसलमानों ने महत्त्वपूर्ण भाग लिया था। उन्होंने अपना खोया हुआ स्थान प्राप्त करने और मुगल साम्राज्य के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष में भाग लिया था। किंतु इस विद्रोह की विफलता के कारण भारत में मुस्लिम शासन का रहा-सहा अस्तित्व भी समाप्त हो गया और ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गई।

इस घटना ने मुसलमानों में व्यापक निराशा उत्पन्न कर दी। कुछ समय तक वे यह नहीं समझ पाए कि बदली हुई परिस्थितियों में उन्हें क्या करना चाहिए। वस्तुतः उनकी

प्रतिक्रिया तीन प्रकार से व्यक्त हुई। उनमें से एक देवबंद स्कूल के रूप में सामने आई जिसने अपने को राजनीति से पूर्णतया अलग कर लिया और केवल धार्मिक शिक्षा तक ही सीमित रखा। देवबंद स्कूल 1867 में मौलाना मोहम्मद कासिम नानावतावी द्वारा स्थापित किया गया था जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए विद्रोह में भाग लिया था। दूसरी प्रतिक्रिया वहाबी आंदोलन को जारी रखने के रूप में व्यक्त हुई जिसने धन और स्वयंसेवक एकत्र करके ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उत्तर-पश्चिम सीमा क्षेत्रों में संघर्ष किया। तीसरी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व सर सैयद अहमद खां ने किया जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में मुंसिफ थे और जिन्होंने विद्रोह की घटनाएं स्वयं अपनी आंखों से देखी थीं।

सर सैयद पहले मुसलमान थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह की विफलता में निहित अर्थों को भलीभांति समझा था। उन्होंने तुरंत दो पुस्तकें लिख डालीं । एक पुस्तक विद्रोह के कारणों से संबंधित थी। दूसरी वफादार मुसलमानों के विषय में थी। उन्होंने बिजनौर की घटनाओं का प्रथम विवरण भी लिखा।

उन्होंने यह महसूस किया कि ब्रिटिश शासन अब टिक गया है और मुसलमानों द्वारा उसका विरोध करने से केवल हिंदुओं के विशिष्ट वर्ग को ही संगठित और सुदृढ़ होने में सहायता मिलेगी। अतः उन्होंने अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। एक ओर उन्होंने अंग्रेजों को यह समझाने का प्रयत्न किया कि मुसलमान लोग 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी नहीं थे तथा दूसरी ओर मुसलमानों को इस बात के लिए राजी किया कि वे अंग्रेजी शिक्षा का लाभ उठाएं और अंग्रेजों को सहयोग दें।

सर सैयद अहमद की ओर से इस प्रकार से की गई पहल का अंग्रेजों ने स्वागत किया। उन्होंने उनको इंग्लैंड में आमंत्रित किया और उन्हें 'सर' की उपाधि दी और अलीगढ़ में मोहम्मद ऐंग्लो-ओरियंटल कालेज की स्थापना करने में उनकी सहायता की। यह 1875 में आरंभ किए गए अलीगढ़ आंदोलन का केंद्र बन गया। भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश ताज (सम्राट या साम्राज्ञी) के लिए योग्य और उपयोगी बनाना अलीगढ़ आंदोलन का एक लक्ष्य था।

सर सैयद के विचार में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बंगाली हिंदू संगठन था जिसका उद्देश्य भारत में लोकतंत्रात्मक संस्थाओं को प्रारंभ करना था। उनका यह मत था कि देश में लोकतंत्रात्मक संस्थाओं की स्थापना से हिंदू बहुमत को ही बल मिलेगा और मुसलमानों के सामान्य राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों एवं हितों को हानि पहुंचेगी। इसलिए शुरू से ही सर सैयद कांग्रेस के विरोधी रहे तथा इसमें मुसलमानों को शामिल होने के लिए हतोत्साहित करते रहे। लखनऊ तथा मेरठ में दिए गए उनके भाषण उनकी विचारधारा को स्पष्ट करते हैं।

सैयद अहमद खां द्वारा किए गए कांग्रेस के विरोध का अमीर अली और नबाव अब्दुल लतीफ खां नामक बंगाल के दो प्रभावशाली मुसलमान नेताओं द्वारा समर्थन किया गया।

1898 के बाद मुस्लिम राजनीति का विकास

सर सैयद अहमद खां की मृत्यु के पश्चात्, मुस्लिम राजनीति का नेतृत्व उनके विश्वासपात्र सहायक नवाब विकार-उल-मुल्क के हाथ में आया। कुछ प्रभावशाली मुसलमानों ने कांग्रेस के समानांतर एक मुस्लिम राजनीतिक संस्था का गठन करने का निर्णय लिया। इस दिशा में पहला कदम नवंबर 1901 में उठाया गया जब वे लखनऊ में एकत्र हुए और उन्होंने एक अलग राजनीतिक संगठन बनाने पर विचार-विमर्श किया। इसके बाद 1903 के जुलाई मास में सहारनपुर की एक सार्वजनिक सभा में 'मोहोम्मडन पोलिटिकल एसोसिएशन' की स्थापना हुई। नवाब विकार-उल-मुल्क उस सभा के संयोजक थे। उन्होंने यह घोषणा की कि उनके संगठन और कांग्रेस के उद्देश्य भिन्न थे और दोनों दलों के उद्देश्यों की पूर्ति के तरीके भी भिन्न थे।

दूसरी घटना जिससे मुसलमान प्रभावित हुए, बंगाल के विभाजन की थी। ढाका के नवाब सलीमुल्ला के नेतृत्व में पूर्वी बंगाल के मुसलमानों ने इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह कदम पूर्वी बंगाल के मुसलमानों के कार्यों की व्यवस्था स्वयं करने में सहायक होगा। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में विभाजन-विरोधी आंदोलन की निंदा की। वास्तव में, बंगाल के विभाजन से मुसलमान दो गुटों में बंट गए। एक गुट 'यूनियनिस्ट' कहलाया। यह गुट कांग्रेस के साथ रह कर काम करना चाहता था। इसका नेतृत्व जिन्ना कर रहे थे। दूसरा गुट 'सैपरेटिस्ट' कहलाया। यह ग्रुप कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार की एकता का विरोधी था। इस गुट में अलीगढ़ के मुस्लिम नेता थे। उनका कहना था कि अपने राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की सुरक्षा और संवर्द्धन के लिए राजनीतिक आंदोलन करने का समय आ गया है। नवाब सलीमुल्ला और आगा खां ने भी इस गुट को सहयोग दिया। आगा खां ने तो 1906 में यह भी घोषणा कर दी कि

मुसलमान राष्ट्र के भीतर एक राष्ट्र हैं और मुसलमानों के लिए एक अलग संगठन होना चाहिए क्योंकि वे कांग्रेस से न्यायोचित व्यवहार की आशा नहीं करते ।

शिमला शिष्टमंडल

1 अक्तूबर, 1906 को आगा खां ने मुसलमानों के एक शिष्टमंडल का नेतृत्व किया और अपनी जाति की कुछ समस्याओं को लेकर वे शिमला में गवर्नर-जनरल लॉर्ड मिंटो से मिले। इसे 'शिमला शिष्टमंडल' भी कहते हैं। हाल ही में हुए अनुसंधानों से यह सिद्ध हो गया है कि शिष्टमंडल का यह विचार स्वयं लॉर्ड मिंटो का ही था। अन्य बातों के साथ आगा खां ने लॉर्ड मिंटो को बताया कि वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल चाहते थे। दूसरे शब्दों में निर्वाचित संस्थाओं के लिए मुसलमान प्रतिनिधियों का निर्वाचन केवल मुसलमानों द्वारा ही किया जाए। आगा खां की इस मांग के प्रति लॉर्ड मिंटो का उत्तर पूर्णतया सकारात्मक था। शिमला शिष्टमंडल से उन मुसलमान नेताओं को बहुत प्रोत्साहन मिला जो कांग्रेस को एक हिंदू संगठन मानते थे।

मुस्लिम लीग की स्थापना

नवाब विकार-उल-मुल्क की अध्यक्षता में 30 दिसंबर, 1906 को कुछ मुसलमान नेता ढाका में मुसलमानों का एक राजनीतिक संगठन बनाने के लिए एकत्र हुए। विचार-विमर्श के बाद उन्होंने 'ऑल इंडिया मुस्लिम लीग' की स्थापना की। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता नवाब सलीमुल्ला ने की। उन्होंने इस संस्था की स्थापना के कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मुसलमान लोग अपने को कांग्रेस की शरारत से सुरक्षित रखना चाहते थे और "वे एक बड़ी बहुमत वाली जाति में विलीन नहीं होना चाहते थे।" बंबई (मुंबई) के प्रसिद्ध बैरिस्टर मौलवी रैफीदिन अहमद, आगा खां, अमीर अली, अली इमाम तथा कुछ अन्य अग्रणी मुसलमान भी इसी मत के थे। मुस्लिम लीग ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वह बंगाल-विभाजन के पक्ष में थी और उसके दो मुख्य उद्देश्य थे। एक उद्देश्य था मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना विकसित करना। दूसरा उद्देश्य था संवैधानिक तरीकों से मुसलमानों के राजनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा और उसका संवर्द्धन करना।

ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग के संबंध

दिसंबर 1911 तक ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग के संबंध मधुर बने रहे। उनमें कटुता तब आई जब दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल-विभाजन को निरस्त कर दिया अर्थात् पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी बंगाल को पुनः एक कर दिया। उनके संबंध उस समय और भी अधिक तनावपूर्ण हो गए, जब अगस्त 1912 में ब्रिटिश सरकार ने अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापित करने का तर्क अस्वीकार कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली घटनाओं के कारण भी ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग के संबंध कटु हो गए। उनमें से एक घटना बालकान युद्ध (1912-1913) की थी जिसके फलस्वरूप यूरोप में टर्की का साम्राज्य वास्तविक रूप में समाप्त हो गया। यह उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व उन्नीसवीं शताब्दी में इंग्लैंड, टर्की साम्राज्य के मुख्य संरक्षक के रूप में आगे आया था। किंतु बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में ऐंग्लो-जर्मन प्रतिद्वंद्विता ने इंग्लैंड और टर्की के संबंध पूरी तरह से परिवर्तित कर दिए। प्रथम विश्व युद्ध (1914-18) के दौरान टर्की ने जर्मनी का पक्ष लिया। इन्हीं सब घटनाओं का मुस्लिम लीग की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा और इससे अंग्रेजों के प्रति लीग के नेताओं का रुख भी बदल गया। वास्तव में लीग और ब्रिटिश सरकार के संबंध 1922 तक तनावपूर्ण बने रहे।

क्रांतिकारी आंदोलन

नई चेतना का अधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष, क्रांतिकारी क्रिया-कलापों में वृद्धि होना था। महाराष्ट्र और बंगाल में गुप्त समितियां स्थापित हो चुकी थीं और अनेक क्रांतिकारी संगठन, मुख्यतः अरबिंदो घोष के प्रयासों से बनते चले गए। उनका कहना था कि "स्वतंत्रता क्रांति द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है न कि दुर्बलता, कायरता, स्वार्थपरता, या अदूरदर्शी भावुकता के द्वारा, जो अ-राष्ट्रीय कांग्रेस में पाई जाती है"।

अरबिंदो ने बड़ौदा (बड़ोदरा) में अपनी *भवानी मंदिर* नामक क्रांतिकारी योजना तैयार की थी। उसके बाद वे देश के अन्य भागों में क्रांतिकारी समितियां गठित करने की योजना पर विचार करने लगे। 1903 में उनके संवादवाहक जतिन बन्दोपाध्याय *अनुशीलन समिति* के प्रमोथनाथ मित्रा से मिले। मित्रा और पुलिन बिहारी बनर्जी की *अनुशीलन समिति* उस प्रांत की अग्रणी और अति महत्त्वपूर्ण क्रांतिकारी संस्था थी। इसकी स्थापना जनरल एसेम्बलीज इन्स्टीट्यूशन के छात्रों द्वारा कुछ समय पहले की जा चुकी थी। वे बंकिमचंद्र और विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रेरित थे।

शीघ्र ही अरबिंदो घोष कलकत्ता आए और उन्होंने मिदनापुर में नवयुवकों के एक समूह को जिसमें हेमचंद्र कानूनगो और सत्येन बोस भी थे, एक क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया। क्रांतिकारी विचारों एवं संगठनों के स्वामी सारदानंद और सिस्टर निवेदिता से भी सहायता और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। *अनुशीलन समिति* के अतिरिक्त सर्वाधिक उल्लेखनीय क्रांतिकारी संगठनों में *युगांतर पार्टी, अभिनव भारती, बड़ौदा सीक्रेट सोसाइटी* थे। *युगातंर पार्टी* के नेता बारीन्द्र घोष थे और *अभिनव भारती* जी.डी. सावरकर और वी.डी. सावरकर नामक दो भाइयों के नेतृत्व में संचालित होती थी। *अनुशीलन समिति* और *युगातंर पार्टी* बंगाल में तथा *अभिनव भारती* एवं *बड़ौदा सीक्रेट सोसाइटी* महाराष्ट्र में सक्रिय थीं।

विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन

क्रांतिकारी आंदोलन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष उनके क्रियाकलापों का इंग्लैंड तथा यूरोपीय देशों में विस्तार व प्रसार होना था। इस संदर्भ में निर्णायक भूमिका का निर्वाह करने वालों में श्याम जी कृष्ण वर्मा, वी.डी. सावरकर, मदनलाल धींगरा, मैडम भीकाजी कामा, सरदार सिंह राना, तारकनाथ दास, लाला हरदयाल, वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय के अतिरिक्त सोहन सिंह भाकना, सुब्रमण्य भारती तथा चम्पक रमन पिल्लै के नाम उल्लेखनीय हैं।

इनके द्वारा स्थापित क्रांतिकारी केंद्रों से भारत को शस्त्र तथा साहित्य लुके-छिपे भेजे जाते थे। वे सभी क्रूर अधिकारियों तथा देशद्रोहियों की हत्या कर देने के पक्ष में थे। वे इंग्लैंड के शत्रु देशों से मिलकर सैन्य-षड्यंत्र गठित करने के भी पक्ष में थे। उनके *वन्दे मातरम* नामक एक पैंफलेट (पत्रक) में कहा गया था :

> अंग्रेज तथा भारतीय अधिकारियों को आंतकित कर दो, तब शत्रुओं का संपूर्ण तंत्र समाप्त हो जाएगा। जनता को उत्तेजित करने का सर्वोत्तम तरीका अलग-अलग हत्या करने का अभियान चलाना तथा नौकरशाही को लुंज-पुंज कर देना है।

वी.डी. सावरकर की टोली के सदस्य, मदन लाल धींगरा ने लंदन में 1 जून,1909 को सर विलियम कर्जन-वाइली की हत्या कर दी। उन्होंने इस हत्या को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया कि कई नवयुवक भारतीय देशभक्तों को अमानुषिक फांसी देने और देश से निर्वासित करने के लिए वाइली व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी था। बाद में धींगरा को फांसी दे दी गई। धीगंरा ने उस अवसर पर एक स्मरणीय बयान दिया जो इस प्रकार है :

> मेरी तरह न अमीर न सुयोग्य, वरन् एक निर्धन पुत्र मातृभूमि की स्वाधीनता की बलिवेदी पर अपने रक्त का बलिदान करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकता है।.....मैं इसी मातृभूमि पर पुनः जन्म लेना चाहूंगा जब तक कि मेरा लक्ष्य पूरा न हो जाए और वह मानवता की भलाई एवं ईश-गौरव के लिए आजाद न हो जाए।

वी.डी. सावरकर के निकट सहयोगी श्याम जी कृष्ण वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 10 अप्रैल 1910 को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। यह एक रोचक प्रसंग है कि वी.डी. सावरकर अपने को बचाकर जहाज से किस प्रकार भाग निकले। समुद्र तैरकर वे फ्रांसीसी समुद्र तट पर पहुंच गए जहां उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। यह भी जानना महत्त्वपूर्ण है कि ब्रिटिश अधिकारियों



लाला हरदयाल



वी.डी. सावरकर

द्वारा 1857 के विद्रोह के विषय में किए गए अनुसंधान पर आधारित *भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम* नामक उनकी पुस्तक जब्त कर ली गई, किंतु वे भारत में इसे गुप्त रूप से पहुंचाने में सफल हो गए।

मैडम कामा 1902 से यूरोप और अमरीका में क्रियाशील थीं। उन्होंने एक बार कहा था : "बिना स्वतंत्रता के जीवन क्या है?" इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए शक्ति प्रयोग करने का भी परामर्श दिया। उनका तर्क यह था कि इंग्लैंड ने भारतीयों को शक्ति प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं छोड़ा है।

गदर-पार्टी

कैलिफोर्निया में 1907 में तारकनाथ तथा उनके क्रांतिकारी मित्रों ने 'इंडियन इंडिपेंडेंस लीग' की स्थापना की। 1911 में लाला हरदयाल के आने से लीग की गतिविधियां तेज हो गईं । 1913 में उन्होंने तथा सोहन सिंह भाकना ने सेन फ्रांसिसको में गदर पार्टी की स्थापना की। उन्होंने अमरीका का व्यापक दौरा किया। वहां पर बसे हुए भारतीयों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत कीं। उन्होंने यह प्रचारित किया कि पृथ्वी पर ब्रिटिश सरकार सबसे निकृष्ट सरकार है। यहां तक कि उन्होंने यह भी कह दिया कि "रोमन साम्राज्य, क्रांति के पूर्व का फ्रेंच साम्राज्य और रूसी साम्राज्य भी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की अपेक्षा अधिक खराब नहीं थे।" और यह भी कहा, "इसे समाप्त कर देना चाहिए।"

उनके साप्ताहिक पत्र *हिन्दुस्तान गदर* ने 1 नवबंर 1913 को यह लिखा था :

> आज से विदेशों में, किंतु देशी भाषा में, ब्रिटिश राज के विरुद्ध एक युद्ध शुरू किया जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? *गदर*। तुम्हारा काम क्या है? *गदर* - यह कहां है? भारत में। एक समय आएगा जब कलम और स्याही के स्थान पर राइफल और खून का प्रयोग होगा।

गुरु नानक जहाज

यह वही समय था जब कनाडा में बसे भारतवासियों को अनेक अपमानजनक पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा था। गुरदित सिंह ने *कामा-गाटा-मारू* नामक जापानी जहाज को (जिसका नाम गुरु नानक जहाज रख लिया गया था) किराये पर ले लिया और 376 यात्रियों के साथ चल दिया। परन्तु उन्हें वेंक्यूवर, कनाडा में प्रवेश नहीं करने दिया। जब वे बज-बज में 26 सितंबर,1914 को उतरे तो वहां उनसे एक स्पेशल ट्रेन मे बैठने को कहा गया जो उन्हें पंजाब ले जाने के लिए तैनात थी। इस कार्यवाही में गोलियां चल गई जिसके फलस्वरूप चालीस सिक्ख मारे गए। गुरदित सिंह और उसके कुछ सहयोगी निकल भागने में सफल हो गए। जो नहीं भाग सके, उन्हें पकड़ लिया गया और पंजाब की भिन्न-भिन्न जेलों में बंद कर दिया गया। 'तासू मारू' (जहाज का नाम) के 173 यात्रियों का भी जिनमें अमरीका, मनीला, जापान और शंघाई के सिक्ख शामिल थे, वैसा ही दुर्भाग्य रहा। जब वे 28 अक्तूबर 1914 को कलकत्ता पहुंचे तो सरकारी अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मुल्तान तथा मोंटगोमरी की जेलों में बंद कर दिया। दोनों घटनाओं ने आग में ईंधन का काम किया तथा गदर पार्टी के नेतृत्व में ब्रिटिश विरोधी प्रचार अपेक्षाकृत अधिक तीखा हो गया।

सशस्त्र विद्रोह

इसी समय गदर पार्टी के कई अनुयायी अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के उद्देश्य से पंजाब के अंदर प्रवेश पाने में सफल हो गए। उनके नेता करतार सिंह सराभा थे। उन्होंने भारतीय सेना के सैनिकों से संपर्क स्थापित किया और पंजाब में विभिन्न स्थानों पर तैनात कई सैनिक टुकड़ियों को विद्रोह करने के लिए सहमत करने में सफलता प्राप्त की। रास बिहारी बोस को जो जापान जाने के लिए, छद्म नाम से बच निकले थे, इस कार्रवाई का संचालन करना था। सशस्त्र विद्रोह के लिए 21 फरवरी,1915 निश्चित की गई थी। बाद में इस तिथि को बदल कर 19 फरवरी कर दिया गया। किंतु इस योजना का पता अधिकारियों को लग गया। उन्होंने लगभग सभी नेताओं तथा समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। गदर आंदोलन कर्ताओं में से सत्रह व्यक्तियों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। कई लोगों को आजीवन कारावास मिला। इनके अतिरिक्त गदर आंदोलन से संबंधित दो दर्जन अन्य सिक्खों को भी फांसी दे दी गई।

क्रांतिकारी आंदोलनों का प्रभाव

इन क्रांतिकारियों के क्रियाकलापों की जनता में आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया हुई और इससे भारत की राजनीतिक स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। भयभीत ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए सभी प्रकार के दमनात्मक उपाय अपनाए तथा क्रांतिकारियों को राजनीतिक परिदृश्य से हटाने के लिए क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतारा गया। क्रांतिकारियों के प्रति अंग्रेजों की पाशविकता और प्रतिशोध की भावना का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि कम से कम 46 गदर आंदोलनकारियों को फांसी दी गई और 64 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। यद्यपि यह आंदोलन विफल हुआ तथापि इस आंदोलन का स्वतंत्रता संग्राम में यथेष्ट योगदान रहा ।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

   (i) इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में ए. ओ. ह्यूम की भूमिका का वर्णन कीजिए।

   (ii) 1885 और 1905 के मध्य कांग्रेस के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।

   (iii) 1885 और 1905 के बीच कांग्रेस ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिन तरीकों का प्रयोग किया है, उनका विवेचन कीजिए।

   (iv) भारतीय राजनीति में नई चेतना का उदय किन कारणों से हुआ?

   (v) नवीन चेतना के विकास में अरबिंदो घोष, विपिन चंद्र पाल तथा बाल गंगाधर तिलक की भूमिका के संबंध में विचार व्यक्त कीजिए।

   (vi) भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में बंकिम चंद्र चटर्जी, रामकृष्ण परमहंस और दयानंद सरस्वती के योगदान का वर्णन कीजिए।

   (vii) उदारवादी कौन थे ?

   (viii) स्वदेशी आंदोलन और उसके प्रभाव पर विचार व्यक्त कीजिए।

   (ix) स्वेदशी आंदोलन में छात्रों के योगदान पर विचार व्यक्त कीजिए।

   (x) सन् 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ?

   (xi) मुस्लिम लीग के जन्म और उद्देश्यों की विवेचना कीजिए।

   (xiii) मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार के बीच 1922 तक के संबंधों पर विचार व्यक्त कीजिए।

   (xiv) क्रांतिकारी आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इसके क्या उद्देश्य थे?

   (xv) ऐसे पांच क्रांतिकारियों के नाम लिखिए जो भारत के बाहर सक्रिय थे।

   (xvi) गदर पार्टी की स्थापना और उद्देश्य की विवेचना कीजिए।

   (xvii) क्रांतिकारी आंदोलन की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना कीजिए।

2. जोड़े बनाइए :

(i)	*पूना सार्वजनिक सभा*	लाला लाजपत राय
(ii)	इंडियन एसोसियेशन	बंकिम चंद्र चटर्जी
(iii)	ईस्ट इंडिया एसोसियेशन	लॉर्ड कर्जन
(iv)	अलीगढ़ आंदोलन	बाल गंगाधर तिलक
(v)	*वंदे मातरम*	दादा भाई नौरोजी
(vi)	पंजाब केसरी	सुरेन्द्रनाथ बनर्जी
(vii)	बंगाल का विभाजन	सर सैयद अहमद खां
(viii)	स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है	महादेव गोविन्द रानाडे
(ix)	शिमला शिष्टमंडल	ढाका
(x)	मुस्लिम लीग	आगा खां

3. नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथन के आगे (✓) का चिह्न तथा गलत के आगे (x) का चिह्न लगाइए।

   (i) कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष सुरेन्द्रनाथ बनर्जी थे। ( )

   (ii) बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासन काल में हुआ था। ( )

   (iii) मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में हुई थी। ( )

   (iv) लाला हरदयाल एक क्रांतिकारी थे। ( )

(v) *अभिनव भारती* का नेतृत्व जी.डी. सावरकर और वी.डी. सावरकर ने किया था। ( )

(vi) *अनुशीलन समिति* पंजाब में सक्रिय थी। ( )

(vii) मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का विरोध किया था। ( )

(viii) सुब्रमण्य भारती और चंपक रमन पिल्लै क्रांतिकारी थे। ( )

(ix) *कामा-गाटा-मारू* एक जहाज का नाम था। ( )

परियोजना कार्य

- उदार वादियों और उग्र राष्ट्रवादियों की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर एक वाद-विवाद आयोजित कीजिए।
- गदर पार्टी के दो नेताओं के चित्र एकत्रित कीजिए।
- भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय में लॉर्ड मिंटो की भूमिका पर विचार-विमर्श आयोजित कीजिए।

4 लोक-सहभागिता की ओर

मॉर्ले-मिंटो सुधार

1861 के इंडियन काउंसिल ऐक्ट के लागू होने के बाद से ही कांग्रेस भारतीयों के लिए लोकतंत्रात्मक संस्थाओं की मांग करती रही थी। इंग्लैंड में 1905 के आम चुनाव में उदारवादी दल की जीत से भारत के उदारवादियों को यह विश्वास होने लगा कि नई सरकार उनकी मांगे स्वीकार कर लेगी। किंतु बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष ने उसकी आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस का यह उद्देश्य व्यर्थ और असंभव है कि वह ब्रिटिश सरकार को राजी करके भारतीयों के लिए स्वशासन प्राप्त कर लेगी। उनका कथन सही निकला। गवर्नर-जनरल लॉर्ड मिंटो और भारत-सचिव जॉन मॉर्ले ने उदारवादियों की मांगें स्वीकार नहीं कीं। जॉन मार्ले ने यहां तक घोषित किया कि "ऐसा राष्ट्र जहां भारतीय राज है" प्रजातांत्रिक संस्थाओं के योग्य नहीं है। जॉन मॉर्ले ने यह भी कहा कि "अपनी उत्तरदायित्व की अवधि में किसी बड़े परिवर्तन" में भाग लेने का उनका कोई इरादा नहीं है।

कांग्रेस की आपत्तियां

मॉर्ले-मिंटो सुधार अथवा 1909 के भारत सरकार अधिनियम ने उपर्युक्त कथन को सत्य सिद्ध कर दिया। इस अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कांग्रेस की आशाओं के अनुकूल हो। महान उदारवादी मदन मोहन मालवीय और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी इन सुधारों की तीव्र आलोचना की। कांग्रेस ने 1909 के अधिनियम का चार आधारों पर विरोध किया। ये आधार थे – मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन स्वीकार करना, शिक्षित वर्ग के प्रति सामान्य रूप से अविश्वास, एक संप्रदाय (मुसलमानों) को वरीयता प्रदान करना और भारत में ब्रिटिश सत्ताधारियों को विधायिका, कार्यपालिका तथा वित्त-संबंधी व्यापक अधिकारों का दिया जाना।

मुस्लिम लीग मॉर्ले-मिंटो सुधार से बहुत प्रसन्न थी। उसने ब्रिटिश सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि इस सुधार से लॉर्ड मिंटो के द्वारा उन से किए गए वादों की पूर्ति हुई। 1909 का अधिनियम ब्रिटिश सरकार का दूसरा प्रयास था जो कांग्रेस से मुसलमानों को दूर रखने के लिए किया गया था।

महात्मा गांधी का उदय

मॉर्ले-मिंटो सुधार अधिनियम के पश्चात् अनेक ऐसी घटनाएं हुईं, जिनके फलस्वरूप हिंदू-मुस्लिमों में अनूठी एकता और उदारवादियों व उग्र राष्ट्रवादियों में मित्रता स्थापित हो सकी। यूरोप में, बालकान युद्ध (1912-1913) में ब्रिटिश सरकार का टर्की के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण परिलक्षित हुआ। इस परिवर्तित दृष्टिकोण का परिणाम यह हुआ कि रूमानिया, बल्गारिया आदि यूरोपीय देशों में टर्की का प्रभुत्व समाप्त हो गया। इससे भारतीय मुसलमानों में व्यापक असंतोष फैल गया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के निकट आने की पहल की।

1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। इस घटना का, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों में एकता स्थापित होने की प्रक्रिया में यथेष्ट योगदान था। बाल गंगाधर तिलक भी मांडले जेल से 1914 में रिहा कर दिए गए। वह भारत में ऐसे समय पर आए जब एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन को संगठित करने में व्यस्त थीं। उन्होंने भी पश्चिमी भारत में अपनी 'होम रूल लीग' अलग से स्थापित कर ली जो कि उनके क्रियाकलापों का माध्यम बन गई।

इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन लखनऊ में एक साथ ही 1916 में आयोजित हुए और वहां दोनों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत कांग्रेस ने अस्थायी रूप से मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की बात मान ली और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की स्वशासन की मांग का समर्थन करना स्वीकार कर लिया। यह समझौता 'लखनऊ पैक्ट' के नाम से विख्यात है। इस प्रकार अनजाने में एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो गई जिसकी परिणति भारत विभाजन में हुई। रोचक बात यह है कि लखनऊ समझौते में एक ओर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट तथा दूसरी ओर मुहम्मद अली जिन्ना की अग्रणी भूमिका थी।



गोपाल कृष्ण गोखले

किंतु 1909 के पश्चात् सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक घटना मोहन दास करमचंद गांधी का जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटना था। वे लोक-संघर्ष की एक नई विधा लेकर लौटे थे जिसे 'सत्याग्रह' कहा जाता है। अपने राजनीतिक गुरू गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर उन्होंने 1915 से 1918 तक भारत के राजनीतिक जीवन में किसी प्रकार का सक्रिय भाग नहीं लिया। उस अवधि में वे केवल देश की तत्कालीन दशा का अध्ययन करते रहे। वे भारत की जनता की गरीबी से इतने द्रवित हुए कि उन्होंने सादगी का जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया और 'महात्मा' कहे जाने के अधिकारी हो गए। उन्हें 'महात्मा' की उपाधि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने दी थी।

शीघ्र ही उन्होंने अहिंसात्मक सत्याग्रह की कार्यप्रणाली का प्रयोग स्थानीय जन-संघर्षों में किया, जैसे चम्पारन (बिहार) में नील के काश्तकारों, खेड़ा (गुजरात) के किसानों तथा अहमदाबाद में कपड़े के कारखानों के मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष। महात्मा गांधी ने समाज के निर्बल वर्ग के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लिया और वे भारतीय राजनीति में एक नैतिक शक्ति के रूप में उभर कर आए। उपर्युक्त तीन स्थानीय प्रयोगों ने पूरे राष्ट्र को रोमांचित कर दिया और महात्मा गांधी देशभक्तों के एकत्र होने का केंद्रबिंदु बन गए। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया जिसमें इंग्लैंड की विजय हुई और जर्मनी एवं उसके मित्र-राष्ट्र टर्की की पराजय हुई।

इस्लाम धर्म के प्रति प्रतिबद्ध विचारधारा से जुड़ा भारत का मुस्लिम जनमत पराजित टर्की के भविष्य के प्रति अधिक चिंतित हो गया। भारतीय मुसलमान टर्की के विघटन से बहुत दुःखी थे। टर्की के सुल्तान की सत्ता निर्बल हो जाने से भी वे विचलित हुए क्योंकि वह *खलीफा* का पद भी धारण किए हुए था। इन सभी घटनाओं से उन्हें *खलीफा* की सत्ता लुप्त होती दिखलाई दी। उनकी मनोदशा विद्रोह करने की थी।

भारत में राष्ट्रीय जनमत की स्थिति भी निराशाजनक थी। युद्ध में सेवाएं अर्पित करने के बदले में वे लोग ब्रिटिश सरकार से स्वशासन प्राप्त करने की आशा कर रहे थे। किंतु उसके स्थान पर देश को 'भारत सरकार अधिनियम, 1919' (Government of India Act, 1919) मिला जिसने "फूट डालो और राज करो" की नीति को ही बढ़ावा दिया। इस अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों के सिद्धांत में सिक्खों, ऐंग्लो-इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस तथा अन्य लोग भी शामिल कर लिए गए। अन्य परिवर्तनों के अतिरिक्त 1919 के अधिनियम ने प्रांतों में द्विशासन स्थापित कर दिया। इस प्रणाली के अंतर्गत सरकारी अधिकारियों का अधिक महत्त्वपूर्ण विभागों जैसे वित्त विभाग, कानून और शांति से संबंधित विभाग आदि पर नियंत्रण बना रहा और प्रांतीय गर्वनरों का विधायी और वित्तीय मामलों में निषेधाधिकार पूर्ववत् रहा। इसके विपरीत भारतीयों को ऐसे विभाग सौंपे गए जो न तो राजनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण थे और न उनमें अधिक धनराशि ही होती थी।

रौलट सत्याग्रह

जनता में असंतोष की लहर रोकने के लिए दमनात्मक अस्त्र के रूप में सरकार ने 18 मार्च, 1919 को रौलट ऐक्ट लागू किया। इसके बाद गांधी ने राजनीतिक संघर्ष में प्रभावशाली ढंग से भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने इस ऐक्ट को भारतीयों के लिए खुली चुनौती समझा। यह कानून भारतीयों के जबर्दस्त विरोध के बावजूद पारित कर दिया गया। विरोध का आधार यह था कि इस ऐक्ट के अंतर्गत किसी भी भारतीय को किसी बहाने से दो वर्ष तक नजरबंद रखने, उन के नागरिक अधिकारों को नियंत्रित करने तथा स्वशासन के संघर्ष को दबाने के लिए पुलिस को सशक्त बनाना था।

18 मार्च के कानून से उत्पन्न राजनीतिक स्थिति की सबसे अधिक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि सभी प्रकार की विचारधाराओं वाले राजनीतिक नेताओं तथा उग्र राष्ट्रवादी तत्त्वों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया। वे उनकी ओर से निर्देश और कार्रवाई करने की प्रतीक्षा करने लगे। महात्मा गांधी ने इसके प्रत्युत्तर में रौलट ऐक्ट के विरोध में विशाल सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। यह सत्याग्रह *रौलट सत्याग्रह* के नाम से जाना जाता है। 30 मार्च, 1919 को अनेक भारतीय नगरों में हड़ताल रही। 6 अप्रैल, 1919 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने पहली बार देशभर में हड़ताल आयोजित की।

रौलट एक्ट और धर्मसंकट

खाट से उठने की कुछ आशा बांध रहा था और अखबार बगैरा पढ़ने लगा था। इतने में रौलट कमेटी की रिपोर्ट मेरे हाथ में पड़ी। उसकी सिफारिशें पढ़कर मैं चौंक उठा। भाई उमर सुभानी और शंकरलाल ने सलाह दी कि इस विषय में जोरदार कार्रवाई करना चाहिए। लगभग महीने भर बाद मैं अहमदाबाद गया। वल्लभभाई प्रायः नित्य मुझे देखने आते थे। मैंने उनसे बातें की और कहा कि इस विषय में कुछ होना चाहिए। "क्या होना चाहिए?" इसके जवाब में मैंने कहा – "अगर थोड़े से आदमी भी इसकी प्रतिज्ञा लेने वाले मिल जाएं और कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक कानून बन ही जाए तो हमें सत्याग्रह शुरू कर देना चाहिए। मैं खाट पर पड़ा न होता तो अकेला भी जूझता और आशा करता कि दूसरे बाद में आ मिलेंगे। अपनी लाचार हालत में अकेले जूझने की शक्ति मुझमें बिलकुल नहीं है।"

इस बातचीत के फलस्वरूप, मेरे साथ जिनसे मेरा काफी साबिका पड़ चुका था, ऐसे आदमियों की एक छोटी–सी बैठक करने का निश्चय हुआ। मुझे तो साफ दिखाई दे रहा था कि रौलट कमेटी को जो सबूत मिले थे उनके आधार पर जैसे कानून की सिफारिश उसने की है वैसे कानून की कतई जरूरत नहीं है। कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र वैसे कानून को स्वीकार नहीं कर सकता; यह बात भी मेरे लिए उतनी ही स्पष्ट थी।

फिर सभा हुई। उसमें मुश्किल से बीस आदमी बुलाये गए थे। मेरी स्मृति के अनुसार वल्लभभाई के सिवा उसमें श्रीमती सरोजनी नायडू, हार्नीमैन, स्व. उमरसुभानी, शंकरलाल बैंकर, अनसूयाबहन आदि थे।

प्रतिज्ञा-पत्र बनाया गया और जहां तक मुझे याद है जो लोग वहां उपस्थित थे सबने उस पर दस्तखत किये।

गांधी जी की आत्मकथा से उद्धृत

ब्रिटिश सरकार की दृष्टि से 6 अप्रैल की हड़ताल का सफल हो जाना घोर चिंता का विषय था । किंतु उनके लिए उससे भी अधिक चिंताजनक और व्याकुल कर देने वाली बात थी सांप्रदायिक मतभेदों वाले प्रांतों में विलक्षण सांप्रदायिक एकता का होना। रौलट ऐक्ट के विरोध में 30 मार्च और 6 अप्रैल की हड़ताल में पंजाब के हिंदुओं, सिक्खों तथा मुसलमानों की बड़ी संख्या में भागीदारी करने का उदाहरण लिया जा सकता है। अमृतसर में मुसलमानों द्वारा 9 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस में भाग लेना दूसरा महत्त्वपूर्ण उदाहरण है।

जालियांवाला बाग का हत्याकांड

भयभीत होकर ब्रिटिश सत्ताधारियों ने 9 अप्रैल को अमृतसर के अग्रिम पंक्ति के नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को पंजाब से निष्कासित कर दिया। उन्होंने महात्मा गांधी का दिल्ली और पंजाब में प्रवेश निषिद्ध कर दिया। 10 अप्रैल को अमृतसर में ब्रिटिश सेना ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर गोलियां चलाई। इससे अमृतसर की जनता में रोष फैल गया और उसने टाउन हॉल, डाकखानों, बैंकों और रेलवे स्टेशनों सहित सरकार के प्रतीकों पर आक्रमण कर दिया। दो दिन बाद बैसाखी के दिन (13 अप्रैल) जनरल डायर और उसकी फौजी टुकड़ी ने निःशस्त्र ग्रामीणों की एक सभा, जो जलियांवाला बाग में गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए हो रही थी, पर आक्रमण कर दिया। उसने उनके भागने के रास्ते बंद कर दिए और गोली चलाने के आदेश दे दिए। इस बर्बरतापूर्ण कार्य के फलस्वरूप लगभग 400 भारतीयों की जान गई और 1200 निहत्थे शांतिप्रिय नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए। अंग्रेजों की गोलियों से बचने के लिए कई लोग कुएं में कूद गए।

खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन

जलियांवाला बाग के हत्याकांड से समस्त देश को गहरा धक्का लगा। रवींद्रनाथ ठाकुर ने 'सर' की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी ने 'कैसर-ए-हिंद' की उपाधि वापस कर दी। इसके साथ ही महात्मा गांधी ने स्वराज की राष्ट्रीय मांग तथा मुसलमानों की खिलाफत के प्रति चिंता की भावना को एकाकार कर दिया। उन्होंने *खिलाफत* कमेटी से जो समझौता किया उसमें खिलाफत की रक्षा के साथ गो-रक्षा का विषय भी शामिल कर लिया।

महात्मा गांधी का खिलाफत के विषय में समर्थन दिया जाना तिलक, एनी बेसेंट, श्रीनिवास शास्त्री, मदन मोहन मालवीय और सी.आर. दास जैसे पुराने नेताओं को स्वीकार नहीं था; महात्मा गांधी *असहयोग आंदोलन* में इन दोनों विषयों को सम्मिलित कराने के लिए कांग्रेसी नेताओं का बहुमत अपने पक्ष में जुटाने में सफल हो गए। कलकत्ता (कोलकाता) में अनुभवी नेता लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 20 सितंबर 1920 को आयोजित हुआ। इसी वर्ष (दिसबंर 1920) नागपुर में कांग्रेस

का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। दोनों ही अधिवेशनों में कांग्रेस ने महात्मा गांधी के कार्यक्रम का अनुमोदन किया। लगभग सभी कांग्रेसी नेताओं को महात्मा गांधी अपने पक्ष में जुटाने में सफल हो गए। नागपुर अधिवेशन में जिन्ना ने अपने को सामान्य लोगों की भावना से अलग-थलग पाया। अतः उन्होने कांग्रेस छोड़ दी। सच तो यह है कि जिन्ना भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के पदार्पण से अपना आधार खोते जा रहे थे। महात्मा गांधी द्वारा स्वदेशी के पहनावे, भाषा तथा जीवन-शैली अपनाए जाने पर बल दिया जाना उन्हें प्रारंभ से ही नापसंद था।

महात्मा गांधी के अद्वितीय नेतृत्व तथा पथ-प्रदर्शन से प्रभावित कांग्रेस ने अभिजात्य वर्ग वाली संस्था का रूप परित्याग करके एक जनसंस्था का रूप धारण कर लिया जो गांव-गांव तक पहुंच गई। नगरों के अभिजात्य वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के बीच जो खाई दिखलाई पड़ती थी, वह अब पट चुकी थी। अब एक नई कांग्रेस का उदय हुआ। महिलाओं तथा दलित वर्ग ने कांग्रेस में भागीदारी की और इस प्रकार इसे जन-आंदोलन का रूप दिया। अब कांग्रेस एक नए रूप में अवतरित हुई और उसने पूरे देश में एक विशाल असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद से अब तक ब्रिटिश सरकार ही राजनीतिक मामलों में अगुवाई कर रही थी किंतु अब महात्मा गांधी ने स्वयं पहल करना प्रारंभ कर दिया। महात्मा गांधी की गैर-परंपरावादी कार्यप्रणाली और अनिश्चित रणनीति का सामना करना ब्रिटिश सरकार के लिए कठिन हो गया।

असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में तीन बहिष्कार सम्मिलित थे – कचहरी, सरकारी शिक्षण संस्थाओं और निर्वाचन सहित विधायी प्रक्रिया का बहिष्कार। शराब की दुकानों पर धरना देना और सरकारी उपाधियों को वापस करना तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी इसमें शामिल था। अनेक वकीलों ने वकालत छोड़ दी। मद्रास प्रेसीडेंसी सहित देश के विभिन्न भागों में अनेक राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए। उनमें काशी विद्यापीठ (वाराणसी) और गुजरात विद्यापीठ (अहमदाबाद) मुख्य थे।

असहयोग आंदोलन ने समूचे राष्ट्र को उत्तेजित कर दिया और इस विशाल अखिल भारतीय स्तर की उमड़ती लहर को देखकर सरकार स्तब्ध रह गई। इस प्रकार उत्पन्न देशभक्ति के जोश ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन सिविल सर्विस ठुकरा कर स्वराज्य के लिए संघर्ष में कूद पड़ने को प्रेरित किया। पहली बार कई हजार नवयुवक तथा नवयुवतियां स्वेच्छा से जेल गए और हिन्दू-मुस्लिम एकता का अनोखा दृश्य उपस्थित हुआ। 'थीरू वी का' (Thiru Vi Ka) ने बकिंघम और कर्नाटक की कपड़ा मिलों की चार माह तक चली हड़ताल का समर्थन किया। आंध्र में और तमिलनाडु के आंतरिक अंचल में दुकानों पर धरना देना असहयोग का अत्यंत सफल रूप था। यहां सी. राजगोपालाचारी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। आंध्र प्रदेश में कोंडा वेंकटापय्या, टी. प्रकासम और पी. सीतारमैय्या अधिक सक्रिय थे।

ब्रिटिश सरकार द्वारा सेवरस की संधि (Treaty of Sevres) (मई 1920) में टर्की के पक्ष में संशोधन करने से भारतीय मुसलमान काफी नरम पड़ गए थे। किंतु बाद में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की क्रांतिकारियों द्वारा *खलीफा* पद समाप्त घोषित किए जाने से संपूर्ण *खिलाफत* आंदोलन कमजोर पड़ गया। मुसलमानों का आंदोलन के प्रति जोश ठंडा पड़ गया और वे असहयोग आंदोलन से अलग हो गए।

फिर भी धार्मिक जोश से उत्तेजित मुसलमानों की भागीदारी से आंदोलन को एक नयी शक्ति तथा आक्रामकता प्राप्त हुई। साथ ही कृषि/भूस्वामित्व की समस्या को लेकर मालाबार में मोपला दंगों के रूप में धार्मिक जोश के विस्फोट होने के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में हिंदुओं का धर्मांतरण और उनकी हत्याएं हुईं। पर्दे के पीछे ब्रिटिश कूटनीति भी काम कर रही थी जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक मतभेदों को तीव्र करना और मुसलमानों को अहसयोग आंदोलन से अलग कर देना था। इस चरण में कोहाट से कलकत्ता तक संपूर्ण भारत में हिन्दू-मुस्लिम दंगे भड़क उठे । इस प्रवृत्ति ने लाला लाजपत राय को हिंदू-मुस्लिम एकता का अध्ययन करने को प्रेरित किया। उन्होंने *द ट्रिब्यून* में एक लेखमाला प्रकाशित कराई जिसमें उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि यदि इसी प्रकार सांप्रदायिकता पर आधारित निर्वाचन मंडल बनाए जाते रहे तो भारत का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन सुनिश्चित है।

जब असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था उसी समय चौरा-चौरी (गोरखपुर) में 5 फरवरी, 1922 को घटित एक हिंसात्मक घटना के कारण 12 फरवरी को गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। वस्तुतः क्रुद्ध किसानों ने बाइस सिपाहियों को एक थाने में जला कर मार डाला था। इस कारण आंदोलन के अचानक वापस लिए जाने से लोगों को गहरा धक्का लगा और उनमें घोर निराशा हुई। शासनाधिकारी इसी प्रकार के अवसर की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया।

असहयोग आंदोलन का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष यह था कि लोग शासनाधिकारियों द्वारा दी गई यातनाओं और

सजाओं को भोगने के लिए सहर्ष तैयार रहते थे। आंदोलन के समय की घटनाओं ने उतने ही महत्त्वपूर्ण दो अन्य पहलुओं को भी स्पष्ट कर दिया। प्रथम, कांग्रेस वास्तव में पहली बार एक लोक आंदोलन के रूप में उभर कर आई क्योंकि राष्ट्रीय चेतना ने लोगों को न केवल सम्मिलित किया बल्कि उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में "सक्रिय भागीदार" भी बनाया। द्वितीय, कांग्रेस ने एक "शुद्ध क्रांतिकारी संस्था" का रूप धारण कर लिया। अब यह "विचार-विमर्श" करने वाली सभा नहीं थी, बल्कि एक संगठित संघर्षशील शक्ति थी जो क्रांति के लिए कृत-संकल्प थी। इसके अस्त्र तो भिन्न थे किंतु इसके उद्देश्य, लक्ष्य और प्रकृति उग्रवादी राष्ट्रवाद के लक्ष्यों से मेल खाती थी।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :
   - (i) कांग्रेस ने मॉर्ले-मिंटो सुधारों को क्यों अस्वीकृत कर दिया?
   - (ii) मुस्लिम लीग का मॉर्ले-मिंटो सुधार के प्रति क्या दृष्टिकोण था?
   - (iii) महात्मा गांधी भारत में कब वापस आए? 1915 और 1918 के बीच भारत में उनकी क्या भूमिका थी?
   - (iv) 1916 के लखनऊ समझौते का क्या महत्त्व था?
   - (v) महात्मा गांधी ने रौलट सत्याग्रह क्यों शुरू किया?
   - (vi) जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक टिप्पणी लिखिए।
   - (vii) *खिलाफत* आंदोलन क्यों हुआ?
   - (viii) महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रांरभ किया?
   - (ix) असहयोग आंदोलन के प्रभाव पर विचार व्यक्त कीजिए।
   - (x) महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया?
   - (xi) असहयोग आंदोलन में दक्षिण-भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए।
   - (xii) असहयोग आंदोलन में मुसलमानों की भूमिका की विवेचना कीजिए।

2. जोड़े बनाइए :

(i)	जॉन मॉर्ले	खलीफा
(ii)	बाल गंगाधर तिलक	सत्याग्रह
(iii)	महात्मा गांधी	होमरूल लीग
(iv)	टर्की का सुल्तान	भारत सचिव
(v)	13 अप्रैल, 1919	रौलट ऐक्ट
(vi)	8 मार्च, 1919	जालियांवाला बाग

3. नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथन के आगे (✓) का चिह्न तथा गलत के आगे (×) का चिह्न लगाइए।
   - (i) उग्रराष्ट्रवादियों ने मॉर्ले-मिंटो सुधार अस्वीकृत नहीं किए। ( )
   - (ii) एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ( )
   - (iii) महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरू तिलक थे। ( )
   - (iv) भारतीय मुसलमान टर्की साम्राज्य के पतन पर प्रसन्न नहीं थे। ( )
   - (v) सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस का परित्याग कर दिया और स्वराज के संघर्ष में सम्मिलित होने भारत वापस आ गए। ( )

परियोजना कार्य

- जलियांवाला से संबंधित फोटोग्राफ एकत्र कीजिए और 13 अप्रैल 1919 की घटना पर एक विस्तृत निबंध लिखिए।

5

स्वराज के लिए संघर्ष और ब्रिटिश रणनीति

स्वराज पार्टी

असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद भी कांग्रेस कौंसिल बहिष्कार के कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्ध रही। किंतु सी.आर.दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और मदन मोहन मालवीय आदि प्रभावशाली कांग्रेसियों का एक वर्ग ऐसा भी था जो 1919 के ऐक्ट के अतंर्गत चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक था। वे कौंसिल में प्रवेश करके ही अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखना चाहते थे। जब गांधी जी जेल में थे उस समय सी.आर.दास ने 1922 के गया अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में कौंसिल-प्रवेश के पक्ष में जोरदार वकालत की। किंतु सी. राजगोपालाचारी के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने बहुमत से विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया। फलस्वरूप सी.आर. दास ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस के अंतर्गत ही 'स्वराज पार्टी' गठित की। किंतु दास के नेतृत्व में "परिवर्तन चाहने वाले" तथा सी.राजगोपालाचारी के नेतृत्व में "परिवर्तन न चाहने वाले" – दोनों गुटों में वाद-विवाद चलता रहा।

इस बीच स्वराज पार्टी ने नवंबर 1923 में चुनाव लड़े और बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। जेल से छूटने के बाद महात्मा गांधी ने अपने को विचित्र स्थिति में पाया। स्वराज पार्टी वालों से उनकी सहमति इस बात पर हुई कि चुनाव कांग्रेस के टिकट पर नहीं लड़े जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेसियों से यह भी कहा कि वे चार प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से जनसंपर्क करने में अपनी पूरी शक्ति लगाएं। इन रचनात्मक कार्यों के उद्देश्य थे - सामाजिक सुधार,आर्थिक विकास, ग्रामों का पुनर्निमाण और सांप्रदायिक सद्भाव में अभिवृद्धि। ग्रामीण क्षेत्रों में रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत मद्य निषेध अभियान, दलित एवं अस्पृश्य के बीच सामाजिक कार्य, आपातकाल जैसे बाढ़ इत्यादि के समय राहत कार्य, खादी तथा अन्य कुटीर उद्योगों के प्रचार का कार्य तथा राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना आदि शामिल थे।

काकोरी षड्यंत्र

जब महात्मा गांधी अपने ग्रामीण रचनात्मक कार्यक्रम में व्यस्त थे, बंगाल और संयुक्त प्रांत में क्रांतिकारी गतिविधियां पुनर्जीवित हो उठीं। परिणामस्वरूप चंद्रशेखर आजाद की प्रेरणा से अक्तूबर 1924 में 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' की स्थापना कानपुर में हुई। इस संस्था का उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इसकी शाखाएं दिल्ली, पंजाब, बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत और अन्य कई स्थानों में थीं। कुछ प्रमुख क्रांतिकारियों में सूर्य सेन, भूपेंद्रनाथ दत्त, हेमचंद्र कानूनगो, राम प्रसाद 'बिस्मिल', अशफाक उल्ला खां, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी और रोशन लाल के नाम उल्लेखनीय हैं।



अशफ़ाक उल्ला खां

अपने क्रांतिकारी कार्यों के लिए 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन' के सदस्य सरकारी धनराशि को भी लूट लेते थे। 9 अगस्त, 1925 को ये क्रांतिकारी राम प्रसाद 'बिस्मिल' के नेतृत्व में काकोरी रेलवे स्टेशन (संयुक्त प्रांत) पर एक रेलगाड़ी को पटरी पर से उतार देने मे सफल हो गए और उन्होंने उसमें जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना को काकोरी कांड कहते हैं। इस कांड के कारण ही राम प्रसाद 'बिस्मिल', रोशन लाल, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा मिली। इन सभी ने राष्ट्रीय लक्ष्य की पूर्ति के लिए खुशी-खुशी मृत्यु का आलिंगन किया। रोशनलाल *वंदेमातरम्* कहते हुए फांसी के तख्ते पर झूल गए। राम प्रसाद 'बिस्मिल' के अंतिम शब्द थे : "मैं ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की कामना करता हूं।"

साइमन कमीशन

सी.आर. दास की मृत्यु के बाद देश की राजनीति में एक प्रकार का सन्नाटा छा गया था। किंतु नवंबर 1927 में

जॉन साइमन की अध्यक्षता में इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन गठित होने से यह सन्नाटा टूट गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन का अध्ययन करना था और भारतीय प्रशासन में सुधार लाने के लिए सुझाव देना था। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। अंग्रेजों के इस कमीशन को 'साइमन कमीशन' कहते हैं।

इस कमीशन की सदस्यता से भारतीयों को वंचित रखने के कारण इस बात की पुष्टि हो गई कि ब्रिटिश सरकार की वास्तविक संवैधानिक सुधार लाने में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने यह मांग की कि ब्रिटेन के 'हाउस ऑफ कॉमंस' के भारतीय सदस्यों को इसका सदस्य अवश्य नियुक्त किया जाना चाहिए था। उनका तर्क था कि केवल भारतीय लोग ही उनकी समस्याओं को भली-भांति समझ सकते हैं। किंतु ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को न केवल अस्वीकृत कर दिया अपितु भारत-सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों का अपमान भी किया। उन्होंने कहा कि भारतीय लोग न तो संवैधानिक मामलों पर विचार-विमर्श करने की क्षमता रखते हैं और न वे कोई ऐसे संवैधानिक ढांचे की रूपरेखा ही प्रस्तुत कर सकते हैं जो सभी वर्गों को मान्य हो।

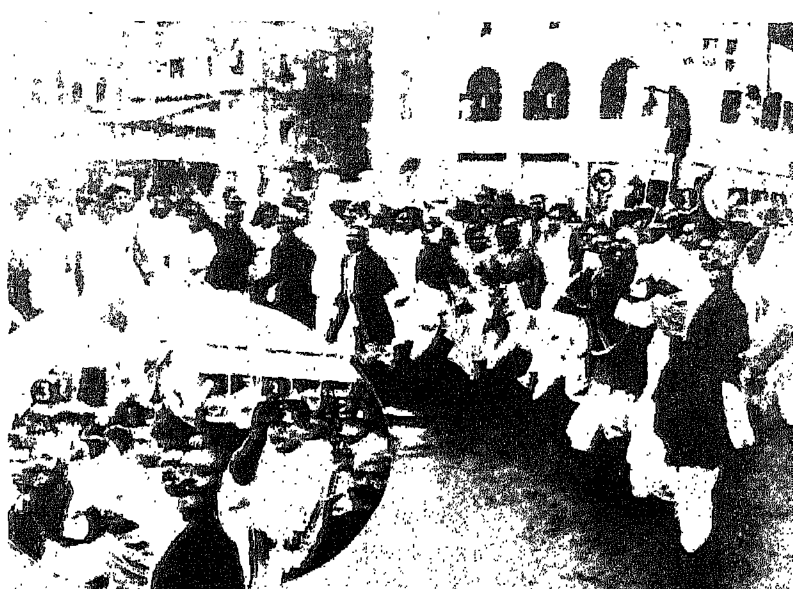
भारत का प्रत्युत्तर

कमीशन की सदस्यता से भारतीयों को वंचित किए जाने तथा बिरकनहेड के उक्त कथन से भारतीय नेताओं का स्वाभिमान बुरी तरह आहत हुआ। परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस तथा जिन्ना की अगुआई में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा आदि राजनीतिक दलों एवं समूहों के नेताओं ने यह घोषणा कर दी कि भारतीय लोग साइमन कमीशन के साथ सहयोग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वे सभी प्रकार से और प्रत्येक स्थान पर उनका विरोध करेंगे। डा.एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी। किंतु सिकंदर हयात खां के नेतृत्व में पंजाब यूनियनिस्ट, मद्रास प्रेसीडेंसी में जस्टिस पार्टी और मुस्लिम लीग में मुहम्मद शफी का दृष्टिकोण कुछ दूसरा ही था। मुहम्मद शफी की मुस्लिम लीग ने तो कमीशन को सहयोग देने का भी निर्णय किया किंतु उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

भारतीयों ने बहिष्कार के आह्वान को पूर्ण समर्थन दिया और संपूर्ण भारत में कमीशन के विरोध में प्रदर्शन आयोजित किए गए। जब 3 फरवरी, 1928 को कमीशन बंबई (मुंबई) पहुंचा तो उस दिन पूरे राष्ट्र ने हड़ताल रखी। कमीशन के सदस्य जहां-जहां भी गए, वहां-वहां उन्हें विरोध में हड़तालें व प्रदर्शन देखने को मिले। हर जगह भारतीयों का यही नारा था - "साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ।"

ब्रिटिश सरकार ने साइमन विरोधी आंदोलन को कुचल देने के लिए दमन नीति का सहारा लिया। हजारों निर्दोष और निहत्थे लोग पुलिस द्वारा पीटे गए। पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय तथा गोविंद वल्लभ पंत जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी नहीं छोड़ा। उन्हें निर्ममता से पीटा गया। फलस्वरूप लाला लाजपत राय की लाहौर में मृत्यु हो गई। गोविंद वल्लभ पंत जीवन भर के लिए विकलांग हो गए। लाला लाजपत राय को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा - "जब तक भारतीय आकाश में सूर्य चमकता रहेगा, लाला जी जैसा व्यक्ति कभी नहीं मर सकता।"

ब्रिटिश सरकार के दमन और 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु से भारतीयों का मनोबल नहीं टूटा। इसके विपरीत उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा



साइमन विरोधी प्रदर्शन



भगत सिंह



राजगुरु



सुखदेव

प्रदान की। सरदार भगतसिंह और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने तो लाला लाजपतराय की मृत्यु का बदला लेने की भी ठान ली और अंग्रेज अफसर जॉन सांडर्स की हत्या कर दी। सांडर्स बीमार लाला लाजपत राय पर लाठी से प्रहार के लिए उत्तरदायी था। भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल, 1929 को दिल्ली के सेंट्रल एसेंबली हॉल के अंदर दो बम फेंक कर पूरे देश में उत्तेजना फैला दी। सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि इसके बाद उन्होंने बचकर भागने का प्रयास नहीं किया और स्वयं को गिरफ्तार हो जाने दिया। वास्तव में, उन्होंने पहले ही यह निर्णय कर लिया था कि वे भागेंगे नहीं क्योंकि वे ब्रिटिश सरकार को स्मरण कराना चाहते थे कि भारतीय युवक उन्हें चैन से बैठने नहीं देंगे। सरकार ने उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जो लाहौर षड्यंत्र कांड के नाम से प्रसिद्ध है। इस मुकदमें का अंत भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड सुनाए जाने के साथ हुआ। लाहौर षड्यंत्र कांड जतिन दास की भूख हड़ताल के लिए भी प्रसिद्ध है जो 64 दिन तक चली और जिसकी परिणति 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु में हुई। " भारत के शहीदों की सूची में एक नाम और जुड़ गया। हमें सम्मान में सिर झुकाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें अपना संघर्ष तब तक जारी रखने की शक्ति मिले जब तक हम विजय प्राप्त न कर लें। वह संघर्ष चाहे जितना लंबा हो और उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो।" ये विचार जतिन दास की मृत्यु के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्त किए थे।

नेहरू कमेटी रिपोर्ट

1927 के पश्चात् राष्ट्रीय आंदोलन की अभिव्यक्ति दो महत्त्वपूर्ण रूपों में हुई। एक रूप था साइमन कमीशन का विरोध और लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध, और दूसरा रूप उनके इस दृढ़ संकल्प में व्यक्त हुआ कि वे एक जन-केंद्रित और राष्ट्र-अभिमुख संवैधानिक प्रारूप (रूपरेखा) प्रस्तुत करने में समर्थ हैं और उन्होंने यह करके दिखला भी दिया। उन्होंने एक सर्वदलीय कांफ्रेंस बुलाई जिसने एक वर्ष से कम की अवधि में एक विशिष्ट संवैधानिक प्रालेख तैयार कर दिया। इस रिपोर्ट के मुख्य प्रारूपकार मोतीलाल नेहरू थे। इसीलिए इस रिपोर्ट को नेहरू कमेटी रिपोर्ट कहते हैं। अन्य बातों के साथ ही इसमें उन्हीं मूलाधिकारों का प्रावधान किया गया था जो हमें इस समय प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की भांति भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई। इसमें वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और भाषा के आधार पर प्रांतीय सीमाओं के पुनर्गठन का भी समर्थन किया गया।

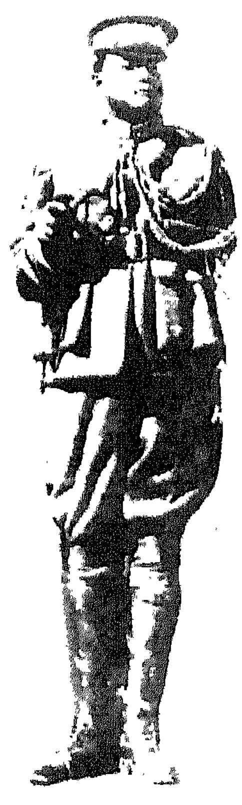
अलगाव की ओर

सर्वदलीय कांफ्रेंस के महत्त्वपूर्ण सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने ऐसा इस आधार पर किया कि यह रिपोर्ट उनकी मांगों के विषय में मौन थी। इसके बाद वे मोहम्मद शफी के गुट में शामिल हो गए जो दो-राष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन करता था। कांग्रेस, हिंदू महासभा तथा सर्वदलीय कांफ्रेंस के अन्य सदस्य जिन्ना की मांगों को सांप्रदायिक, अलगाववादी तथा देश के लिए हानिकर समझते थे। जिन्ना की मांगों में से कुछ इस प्रकार थीं : सेंट्रल एसेंबली में मुसलमानों का एक-तिहाई प्रतिनिधित्व, पंजाब और बंगाल में मुसलमानों

का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में और तीन नए मुस्लिम-बहुल प्रांतों (सिंध, बलूचिस्तान तथा उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत) का सृजन किया जाना। दिसंबर 1928 के बाद जिन्ना ने एक ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जिसका अंत भारत के विभाजन और मुसलमानों के पृथक राज्य की स्थापना में होना ही था। मार्च 1929 में, उन्होंने अपनी 'चौदह-सूत्रीय' मांगें प्रस्तुत की थीं जो 'जिन्ना रिपोर्ट' के नाम से जानी जाती हैं। इनमें प्रमुख थीं – मुस्लिम-बहुल प्रांतों का सृजन, प्रांतीय स्वराज की स्थापना, केंद्र में एक-तिहाई प्रतिनिधित्व तथा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, प्रमुख मांगे थीं। आगा खां और अली बंधुओं ने जिन्ना को पूर्ण समर्थन दिया और पृथक्करण की राजनीति को प्रोत्साहित किया।

औपनिवेशिक स्वराज और सुभाष चन्द्र बोस

इन्हीं दिनों 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। कांग्रेस ने 'नेहरू कमेटी रिपोर्ट' स्वीकार कर ली और ब्रिटिश सरकार से इसको पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेने को कहा। कांग्रेस ने यह भी चेतावनी दी कि यदि एक वर्ष के अंदर ब्रिटिश सरकार ने औपनिवेशक स्वराज की मांग स्वीकार न की तो वह पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तुत करेगी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सुझावों और चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। इसकी कोई आशा भी नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने कलकत्ता कांग्रेस में औपनिवेशक स्वराज की मांग का विरोध किया था तथा पूर्ण स्वराज की मांग का समर्थन किया था, कांग्रेस से पहले ही कह दिया था कि बिना संघर्ष किए ब्रिटिश सरकार यह मांग स्वीकर नहीं करेगी। वास्तव में, उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए एक संशोधन प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था जो थोड़े ही वोटों से पारित न हो सका।



सुभाष चंद्र बोस

पूर्ण स्वराज की मांग

ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को औपनिवेशिक स्वराज न दिए जाने तथा कई अन्य घटनाओं के कारण 1929 में क़ांग्रेस का रुख कड़ा हो गया। उनमें सबसे प्रमुख घटना थी मार्च माह में महात्मा गांधी का कलकत्ता (कोलकाता) में गिरफ्तार हो जाना और बम्बई (मुम्बई), कलकत्ता और जमशेदपुर जैसे नगरों में बहुत बड़े पैमाने पर मजदूरों में असंतोष फैल जाना। उस वर्ष 200 से भी अधिक हड़तालें और तालाबंदी हुईं जिसमें सम्मिलित होने वाले मज़दूरों की संख्या पांच लाख से कम नहीं थी। नई पीढ़ी के युवा नेता, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरु और सत्यमूर्ति ने पूर्ण स्वराज की मांग की। इन्हीं परिस्थितियों में, 1929 के दिसंबर माह में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे।

जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने इससे पूर्व 1928 में निर्धारित किए गए औपनिवेशिक स्वराज के लक्ष्य को कायरतापूर्ण बतलाया। इसके स्थान पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की। 31 दिसंबर,1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर *वन्दे मातरम्* और *इन्कलाब जिन्दाबाद* के नारों के बीच राष्ट्रीय तिरंगा (ध्वज) फहराया गया। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने राष्ट्र का आह्वान किया कि 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए। तत्पश्चात 26 जनवरी 1930, संपूर्ण देश में समर्पित भाव से तथा उत्साहपूर्वक मनाया गया। तभी से 26 जनवरी का दिन हम सभी के लिए चिरस्मरणीय हो गया है।

पूर्ण स्वराज का संघर्ष महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। उनकी कार्यविधि अहिंसात्मक, उच्च कोटि की तथा प्रभावकारी थी। वह जानते थे कि उनके देशवासी ब्रिटिश शासन में किस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे थे। भारतवासी इस बात से भी आश्वस्त थे कि केवल वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो उनका सही नेतृत्व कर सकते थे और विदेशी शासन के उत्पीड़न से भारत को मुक्ति दिला सकते थे।

सविनय अवज्ञा आंदोलन

पूर्ण स्वराज के ध्येय को लेकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा संचालित *सविनय अवज्ञा आंदोलन*, असहयोग आंदोलन से बिलकुल भिन्न था। इसके लक्ष्य तथा उद्देश्यपूर्ति के



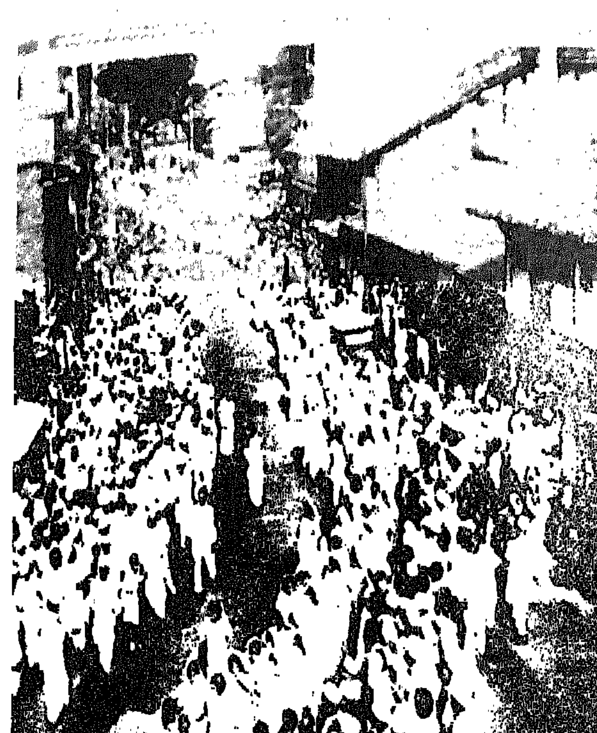
महात्मा गांधी

लिए अपनाई गई कार्यविधि भी भिन्न थी। इस बार लक्ष्य था, *पूर्ण स्वराज* । इसे प्राप्त करने के लिए कानून का उल्लंघन किया जाना था। सरकार को भू-राजस्व (लगान) भी नहीं देना था। विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार करना था। अपना संकल्प व्यक्त करने के लिए स्वतंत्रता-प्रेमी भारतीयों को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन अथवा सत्याग्रह आयोजित करना था। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उपर्युक्त सभी तरीकों से भारतीयों को सभी स्तरों पर सरकार की अवज्ञा करना और सरकार के कार्यसंचालन को कठिन तथा असंभव बनाना था।

डांडी-यात्रा

सविनय अवज्ञा आंदोलन वास्तव में 12 मार्च, 1930 में आरंभ हुआ। इसी दिन गांधी, सरोजिनी नायडू सहित उनके आश्रम के 78 सदस्य नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती (अहमदाबाद) से चल पड़े। समुद्रतट पर पहुंचने की इस यात्रा को सामान्य जनता "डांडी यात्रा" के नाम से जानती है। डांडी गुजरात के समुद्र तट पर एक छोटा-सा गांव है। महात्मा गांधी तथा हजारों भारतीय जो इस यात्रा में सम्मिलित थे, 6 अप्रैल को समुद्र तट पर पहुंच गए। महात्मा गांधी ने उसी दिन समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया। यह एक गैर-कानूनी कार्य था। नमक बनाना सरकार का एकाधिकार था। नमक कानून तोड़ते समय महात्मा गांधी ने कहा : "हमारे उद्देश्य में नैतिक बल है। हमारे साधन पूर्णतया पवित्र हैं और ईश्वर हमारे साथ है। सत्याग्रहियों की कभी पराजय नहीं होती जब तक कि वे सत्य का परित्याग न कर दें।"

महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ने के बाद भारत में उन सभी स्थानों पर भी यह कार्य किया गया जहां नमक बनाया जाता था। नमक सत्याग्रह ने कटक, पुरी और बालासोर (उड़ीसा) जैसे तटीय स्थानों में अधिक प्रभावकारी आंदोलन का रूप ले लिया। सी. राजगोपालाचारी ने डांडी मार्च की तरह नमक कानून तोड़ने के लिए त्रिची से तंजौर समुद्रतट पर वेदारण्यम तक एक यात्रा आयोजित की। इसी प्रकार गुंटूर जिले में कोंडा वेकंटापय्या ने अनेक यात्राएं आयोजित कीं। मालाबार में इस प्रकार की यात्राएं एक कांग्रेसी नेता केलाप्पन ने आयोजित की । इन सब आयोजनों से भारत का राजनीतिक वातावरण बदल गया और सरकार भयभीत हो गई।



बायकॉट आंदोलन

जन-सहभागिता

महिलाओं और अल्पवयस्कों, किसानों और मजदूरों, व्यवसायियों, अमीरों और गरीबों सहित भारत के सभी वर्ग के लोगों ने आंदोलन में भाग लिया। सेंट्रल प्राविंसेज, महाराष्ट्र, बिहार और असम तथा पंजाब के कांगड़ा के पहाड़ी इलाकों की जनजातियों की सहभागिता भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं थी। विरोध में किए गए प्रदर्शनों तथा हड़तालों में जनता की भारी भीड़ प्रतिदिन उपस्थित रहती थी। मुस्लिम लीग और उनके अनुयायियों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया।

जनता ने सरकार को न तो कर दिया और न लगान दिया। जगह-जगह विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर हजारों महिलाओं ने धरना दिया। अनेक महिलाओं ने नमक भी बेचा। *देश सेविका संघ* और उर्मिला गुप्ता (कलकत्ता) की *नारी सत्याग्रह समिति* जैसे महिला संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण थी। भारत के विभिन्न स्थानों पर जनता और पुलिस में संघर्ष भी हुआ। इन स्थानों में कलकत्ता, मद्रास (चेन्नई) और कराची के नाम मुख्य हैं। महात्मा गांधी के शिष्य खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत (अब पाकिस्तान में) के पठान, सूर्य सेन के नेतृत्व में बंगाल के क्रांतिकारियों तथा शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजों को कठिनाई में डाल दिया।



अब्दुल गफ्फार खां और महात्मा गांधी



रानी गेडिलियो

इस संदर्भ में मणिपुर के लोगों की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है। रानी गेडिलियो नाम की एक वीर महिला नागालैंड में भी हुई है। जिस समय वे स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हुईं उनकी आयु केवल तेरह वर्ष की थी। सरकार ने उन्हें 1932 में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित दक्षिण भारत के लोगों की इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका थी।

ब्रिटिश प्रतिक्रिया

इस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निर्दयतापूर्ण उपायों का प्रयोग किया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों को, चाहे वे महिलाएं रही हों अथवा बच्चे, पुलिस ने निर्ममतापूर्वक पीटा। कई स्थानों पर पुलिस ने गोलियां चलाईं। अनेक भारतीय मारे गए। नब्बे हजार से भी अधिक भारतवासी गिरफ्तार किए गए। केवल दिल्ली में ही 1500 महिलाएं गिरफ्तार हुईं। अंग्रेजों ने खान अब्दुल गफ्फार खां, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े-बड़े नेताओं को भी नहीं छोड़ा। सी. राजगोपालाचारी, अब्बास तैयब जी, मदन मोहन मालवीय, के.एम.मुंशी, महादेव देसाई, जे.एम. सेन गुप्ता और विट्ठल भाई पटेल आदि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को भी 5 मई 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर में शांतिपूर्ण पठानों के ऊपर फौजी दस्तों ने गोलियां चलाईं और कई पठान मारे गए। चंदर सिंह गढ़वाली के अधीन गढ़वाल राइफल्स के जिन हिंदू सैनिकों ने निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया था, उनसे हथियार रखवा लिए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। अंग्रेजों ने ख़ान अब्दुल गफ्फार खां के अनुयायियों को नष्ट करने के लिए हवाई जहाज से बम वर्षा भी की। मई में शोलापुर में मार्शल लॉ (फौजी कानून) लागू कर दिया गया। यहां तक कि लगान तथा कर न देने पर अंग्रेजों ने किसानों की कृषि

भूमि, घरेलू सामान और पशु भी जब्त कर लिए, किंतु ब्रिटिश सरकार संघर्ष को दबा न पाई।

संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से सांप्रदायिकता

एक ओर जब भारतीय लोग जेल जा रहे थे और गोली की बौछार और लाठियों के प्रहार सह रहे थे, ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया। उसका उद्देश्य संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम का महत्त्व घटाना और उसे परस्पर विरोधी हितों के मध्य मात्र समझौता वार्ता का रूप प्रदान करना था। वास्तव में ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का राजनीतिकरण करना था और कांग्रेस को देश के अन्य राजनीतिक दलों तथा हित समूहों के समकक्ष मान्यता देना था। ऐसी पृष्ठभूमि में सरकार ने नवंबर 1930 को एक गोलमेज कांफ्रेंस लंदन में आयोजित की। इसमें भारत की समस्याओं तथा साइमन कमीशन के प्रस्तावों पर विचार किया जाना था। इस कांफ्रेंस का कांग्रेस ने, जो कि भारतीय जनता के बहुमत का प्रतिनिधित्व करती थी, बहिष्कार किया।

गांधी-इरविन समझौता

ब्रिटिश सरकार भलीभांति जानती थी कि भारतीय लोग केवल उन्हीं सुधारों को स्वीकार करेंगे जिन्हें कांग्रेस स्वीकार करेगी। उसने यह भी समझ लिया था कि भारत में शांति स्थापित करने के लिए कांग्रेस का सहयोग परमावश्यक है। इसलिए भारत के गवर्नर-जनरल लॉर्ड इरविन ने 1931 के प्रारंभ में द्वितीय गोलमेज कांफ्रेंस में कांग्रेस की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रयत्न किए। उनका यह पूर्व-नियोजित कार्यक्रम था कि महात्मा गांधी को वश में करके उनके हाथ से संपूर्ण राजनीतिक पहल छीन ली जाए। फलस्वरूप गांधी-इरविन समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाले उन सभी राजनीतिक बंदियों को जेल से मुक्त करना स्वीकार किया जो किसी हिंसक अपराध के दोषी नहीं थे। इस समझौते के अंतर्गत कांग्रेस को भी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना था।

परिणामतः कांग्रेस द्वितीय गोलमेज कांफ्रेंस में भाग लेने को सहमत हो गई। इसने महात्मा गांधी को लंदन जाने और कांफ्रेंस में भाग लेने के लिए राजी कर लिया। यह एक व्यक्ति वाला प्रतिनिधि मंडल था। किंतु पहली गोलमेज कांफ्रेंस की तरह यह कांफ्रेंस भी विफल हो गई। इसका मुख्य कारण यह था कि मुसलमान, ऐंग्लो-इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस तथा दलित वर्गों ने अपने-अपने लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्र की मांग रख दी। इन सभी समुदायों ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई करने के लिए एक 'अल्पसंख्यक समुदाय समझौता' कर लिया। महात्मा गांधी ने इन समूहों को यह समझाने का भरसक प्रयास किया कि सांप्रदायिक समस्या के समाधान को संवैधानिक प्रगति के मार्ग में शर्त के रूप में प्रस्तुत न किया जाए, किंतु महात्मा गांधी सफल नहीं हुए। अतः भारत वापस आ गए और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पुनः अत्यंत क्रूरतापूर्वक कार्रवाई की। भारतीयों पर पुलिस ने सभी प्रकार के अत्याचार किए। बिना अपवाद के सभी लोग पुलिस जुल्म के शिकार हुए। सरकार ने महात्मा गांधी तथा अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।

1932 का सांप्रदायिक निर्णय

16 अगस्त,1932 को ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने अपनी ओर से एक सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कर दी। इसके अंतर्गत न केवल मुसलमानों और सिक्खों के लिए बल्कि दलित जातियों के लिए भी पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। महात्मा गांधी और कांग्रेस ने इस निर्णय की इस आधार पर भर्त्सना की कि यह स्वतंत्रता संघर्ष को निर्बल करने की दुष्टतापूर्ण चाल थी। महात्मा गांधी का यह विचार था कि यह सांप्रदायिक निर्णय भारतीय समाज को नष्ट करने तथा हिंदुओं के विरुद्ध हिंदुओं को लड़वाने के लिए ब्रिटिश सरकार की चाल थी। महात्मा गांधी ने, जो उस समय यरवदा जेल में थे, 20 सितंबर,1932 से अनिश्चित कालीन उपवास इस प्रकार का दबाव डालने के लिए प्रारंभ कर दिया कि दलित वर्ग से संबंधित प्रावधान उस निर्णय से निकाल दिए जाएं।

गांधी जी के इस कार्य से देश भर में हलचल मच गई और देश की जनता अपने नेता की प्राण रक्षा के लिए चिंतित हो उठी। मदन मोहन मालवीय तथा अन्य नेताओं ने बी.आर. अंबेडकर से भेंट की जिन्होंने 'अल्पसंख्यक समुदाय समझौता' पर हस्ताक्षर किए थे। उनसे यह कहा गया कि वे दलितों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग पर जोर न दें। अंबेडकर इस बात पर सहमत हो गए। इस सहमति के फलस्वरूप 25 सितंबर,1932 को 'पूना समझौता' पर हस्ताक्षर हुए। अंग्रेजों ने इसे स्वीकार कर लिया और महात्मा गांधी ने अपना उपवास समाप्त कर दिया। इस बीच लंदन में नवंबर 1932 में तीसरी गोलमेज कांफ्रेंस हुई, किंतु इस बार भी

कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। कांग्रेस ने तीसरी गोलमेज कांफ्रेंस में भाग नहीं लिया ।

भारतीय : एकमात्र कारक

सविनय अवज्ञा आंदोलन आगे भी कुछ समय तक चलता रहा और अंतिम रूप से 1934 में वापस ले लिया गया। यद्यपि कांग्रेस अपना निर्धारित लक्ष्य पूरा न कर सकी तथापि यह राष्ट्रीय भावना जागृत करने में सफल रही । इससे पूरे देश में राष्ट्रीयता की लहर उमड़ पड़ी। इसी वर्ष कांग्रेस ने एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करके ब्रिटिश सरकार से मांग की कि वयस्क मताधिकार के आधार पर एक संविधान सभा गठित की जाए। इस प्रस्ताव में यह स्पष्ट कर दिया गया कि यह अधिकार केवल भारतीयों को ही है कि वे किस प्रकार की सरकार चाहते हैं, जो उनके भाग्य का निर्णय कर सके और उन्हें समृद्ध कर सके।

क्रांतिकारी गतिविधियां

सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि में देश के विभिन्न भागों में क्रांतिकारियों द्वारा अनेक वीरतापूर्ण साहसिक कार्य किए गए जिनमें महिला क्रांतिकारियों ने भी भाग लिया। वे जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता पाने के लिए बेचैन थे। उन्होंने सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाया और संयुक्त प्रांत, पंजाब तथा बंगाल में अनेक स्थानीय दल उभर कर आए। दिसंबर 1929 में अन्य क्रांतिकारियों के साथ चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के पास वॉयसराय की स्पेशल ट्रेन को बम से उड़ा देने का प्रयास किया किंतु वे सफल न हो सके। अंत में उन्होंने देश की बलिवेदी पर 27 फरवरी, 1931 को अपने प्राण न्योछावर कर दिए। इलाहाबाद के एक पार्क में उन पर गोलियां चलाई गईं। उनके बलिदान की सूचना पाकर पूरा देश स्तब्ध रह गया।

सूर्य सेन की अगुवाई में क्रांतिकारियों ने 18 अप्रैल, 1930 को चिटागांव बदंरगाह पर आक्रमण द्वारा स्थानीय शस्त्रागार पर अधिकार करके पूरे देश को रोमांचित कर दिया। उन्होंने नारा लगाया – "गांधी राज आ गया।" प्रीतिलता वादेदर और कल्पना दत्त जैसी वीर महिलाओं सहित अनेक क्रांतिकारी सूर्य सेन के साथ थे। किंतु ब्रिटिश सरकार ने इस आक्रमण के प्रत्युत्तर में जो आक्रामक कार्रवाई की उससे चिटागांव का राज्य-विप्लव निष्प्रभावी हो गया। 22 अप्रैल, 1930 को बारह क्रांतिकारी शहीद हो गए।

चिटागांव की घटना के बाद बंगाल में एक के बाद एक करके अंग्रेजों पर निरंतर आक्रमण तथा उनकी हत्याएं होती रहीं। इस संदर्भ में मुख्य भूमिका विनय कृष्ण बोस, बादल और दिनेश की थी। 8 दिसंबर, 1930 को उन्होंने सरकारी मुख्यालय, राइटर्स बिल्डिंग, कलकत्ता पर आक्रमण किया और कर्नल सिम्प्सन को गोली से मार दिया। जब उन्हें विश्वास हो गया कि उनका निकल भागना मुश्किल है तो बोस और बादल ने स्वयं को गोली मार कर आत्महत्या कर ली। दिनेश अवश्य निकल भागने में सफल हो गए किंतु अंततः वे भी पकड़ लिए गए और उन्हें प्राणदंड दिया गया। प्रीतिलता वादेदर के नेतृत्व में क्रांतिकारियों द्वारा चिटागांव में यूरोपियन क्लब पर बमों तथा पिस्तौलों से आक्रमण किया गया। इस आक्रमण के दौरान वे स्वयं घायल हो गईं। इसके तुरंत बाद उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी इहलीला समाप्त कर ली। सूर्य सेन, जो अभी तक मुक्त थे, फरवरी 1933 में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें फांसी दे दी गई। इस दौरान उन्होंने निर्मल सेन तथा अपूर्वा सेन जैसे साथियों के सहयोग से कैप्टेन केमरॉन की गोली मार कर हत्या कर दी।

ज्योति जीबोन घोष, विमल दासगुप्त, प्रद्युत कुमार भट्टाचार्य और प्रोभांशु पाल जैसे क्रांतिकारियों ने अनेक अग्रणी अंग्रेजों को मार डाला। सुनीति चौधरी और शांति घोष की तरह अनेक स्कूली छात्राएं भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने त्रिपुरा के जिला मैजिस्ट्रेट स्टीवेंस की गोली मार कर हत्या कर दी। एक अन्य दिलेर बालिका बीना दास ने बंगाल के गवर्नर स्टेनली जेक्सन की कलकत्ता विश्वविद्यालय में (1932) हत्या करने का असफल प्रयास किया। इन घटनाओं के अतिरिक्त पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टीनेंट-गवर्नर सर माइकेल औ' डायर की लंदन में 13 मार्च, 1940 को ऊधम सिंह द्वारा हत्या कर दी गई। इससे अधिकारीगण भयाक्रांत हो गए। परंतु इसके साथ ही ऐसी घटनाओं ने बहुत-से भारतीयों को अपने देश के निमित्त अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए प्रेरित किया।

1930 के बाद मजदूर संगठनों (ट्रेड यूनियनों) तथा किसानों के संगठनों में वृद्धि होने लगी। किसानों के क्रिया-कलापों में सबसे मुख्य घटना थी - सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय स्तर पर किसानों का संगठित होना। यह संस्था ऑल-इंडिया किसान सभा कहलाती थी। विभिन्न नगरों में मजदूर संगठनों की स्थापना होने लगी।

रजवाड़ों में जन-आंदोलन

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस काल की घटनाओं का आप अध्ययन कर रहे हैं उस काल में वस्तुतः

दो प्रकार के भारत थे। एक प्रकार का भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित होता था जिसे ब्रिटिश भारत कहते थे। दूसरा भारतीय नरेशों तथा नवाबों द्वारा शासित होता था, उन्हें रजवाड़ा कहते थे। नरेशों द्वारा शासित छोटे-बड़े राज्यों की संख्या अनेक थी। ये नरेश वास्तव में स्वतंत्र नहीं थे। ब्रिटिश सरकार इनके दिन-प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती थी। ये नरेश ब्रिटिश शासकों तथा अंग्रेजी रेजीडेंटों के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करते थे। यहां तक कि ब्रिटिश सरकार उनका उपयोग ब्रिटिश भारत की लोकतांत्रिक शक्तियों और वहां चल रहे स्वतंत्रता संघर्ष को कमजोर करने में भी करती थी। ऐसे अनेक नरेश थे जो ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता समर्थक एवं लोकतांत्रिक आंदोलनों को नियंत्रित करने में स्वेच्छा से अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। उनका मुख्य उद्देश्य अपने हितों की रक्षा करना तथा अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करना था।

रजवाड़ों में जनता का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन अत्यंत दयनीय था। यदि हम उनके जीवन की तुलना ब्रिटिश भारत के लोगों के जीवन से करें तो हम उसे अनेक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक हीन पाएंगे। अधिकांश रजवाड़ों में जनता को नागरिक और लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। राजनीतिक तथा आर्थिक मामलों में उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। प्रेस (समाचारपत्रों) को स्वतंत्रता नहीं थी। लोग राजनीतिक मामलों और अपने कल्याण की समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए सभाएं नहीं कर सकते थे। वे न्याय से वंचित रहते थे। शिक्षा की सुविधाएं अत्यंत सीमित थीं। संभवतः जम्मू और कश्मीर, ट्रावनकोर, बड़ौदा और मैसूर के राज्य ही ऐसे थे जहां के नरेशों ने जनता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ उपाय किए थे। उदाहरण के लिए, इन राज्यों के नरेश जनता में शिक्षा प्रसार के लिए पर्याप्त धन व्यय किया करते थे। उन्होंने न्याय प्रणाली को भी संगठित किया था और लोगों को न्याय पाने का अधिकार दिया था। जम्मू और कश्मीर के शासक हरी सिंह ने किसानों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के जीवन-स्तर में सुधार लाने के लिए कुछ कानून भी बनाए थे। इन कानूनों द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि न्यायपालिका जाति या धर्म के आधार पर एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में भेदभाव नहीं करेगी।

कांग्रेस तथा रजवाड़े

यह उल्लेखनीय है कि 1938 तक कांग्रेस ने रजवाड़ों में गंभीरता से रुचि नहीं ली और उसमें निवास करने वाली जनता की समस्याओं के लिए भी उसने कुछ नहीं किया। पहली बार 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस ने घोषित किया कि वह संपूर्ण भारत की स्वंतत्रता के लिए संघर्ष कर रही है न कि केवल ब्रिटिश भारत के लिए। इस संबंध में कांग्रेस ने अगला कदम 1939 में तब उठाया जब जवाहरलाल नेहरू 'ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांफ्रेंस' के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने लगभग बोस की ही नीतियों (घोषणाओं) का अनुसरण किया। इस प्रकार रजवाड़े कांग्रेस के सीधे प्रभाव में आ गए। परिणाम यह हुआ कि इन राज्यों में 1920 से चले आ रहे जन-समर्थक आंदोलनों में तेजी आई और स्वतंत्रता संग्राम और भी दृढ़ हो गया।

रजवाड़ों में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाले लोकप्रिय नेताओं एवं लोक हितैषी व्यक्तियों में सेवासिंह (पंजाब), सारंगधर दास (उड़ीसा), बलवंत राय मेहता, जमना लाल बजाज (गुजरात), माणिक्य लाल वर्मा व विजय सिंह पाठक (राजस्थान), रामनंद तीर्थ (हैदराबाद) प्रमुख थे। इन लोगों तथा जनता को प्रभावित करने वाले अनेक अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से *प्रजामंडलों* की स्थापना हुई। उन्होंने अपने राज्यों में नागरिक स्वतंत्रता तथा उत्तरदायी शासन की मांग की। उन्हीं के प्रयासों के परिणामस्वरूप 1927 में 'ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉफ्रेंस' की स्थापना हुई थी। इन सभी संगठनों का उद्देश्य जनता के लिए कानून का शासन तथा लोकतंत्र प्राप्त करना था। वे रजवाड़ों का भारत में पूर्णतया विलय चाहते थे। इन आंदोलनों से रजवाड़ों में राजनीतिक चेतना तथा एकता की नयी भावना जागृत हुई।

संवैधानिक विकास

आप पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक गत्यावरोध दूर करने के लिए तीन बार गोलमेज कांफ्रेंस आयोजित की, किंतु वह विफल हो गई। उसके बाद ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने संवैधानिक सुधारों के लिए कुछ प्रस्तावों की घोषणा की। भारतीयों ने इन प्रस्तावों को जन-विरोधी और लोकतंत्र विरोधी कहकर अस्वीकृत कर दिया। इसके विपरीत भारतीय नेताओं ने वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा गठित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल वही संविधान स्वीकार्य होगा जो भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा।

1935 का अधिनियम

किंतु देश की सरकार के भावी संवैधानिक स्वरूप पर भारत के राजनीतिक दलों के विचारों में साम्यता नहीं थी। मुस्लिम

लीग कमजोर केंद्र सरकार और सांप्रदायिक मांगों की पूर्ति चाहती थी। कांग्रेस सुदृढ़ केंद्र और धर्मनिरपेक्ष सरकार चाहती थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के विचारों में इस प्रकार के विरोधाभास का ब्रिटिश सरकार ने लाभ उठाया। मार्च 1933 में, इसने एक श्वेतपत्र जारी किया जिसमें भारत के लिए कुछ संवैधानिक सुधारों का उल्लेख था। इसके अंतर्गत एक संयुक्त संसदीय समिति भारत के संपूर्ण संवैधानिक मामलों पर विचार करने के लिए गठित की गई। इस समिति का एक कार्य भारत के लिए संवैधानिक सुधार की योजना भी प्रस्तुत करना था। लेकिन जो योजना प्रस्तावित की गई वह पहली योजना की अपेक्षा अधिक खराब थी। यह योजना भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को सुदृढ़ करने तथा भारतीयों को मूल राजनीतिक और लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने के लक्ष्य से तैयार की गई थी।

यह स्वाभाविक था कि भारतीय लोग इस समिति की संस्तुति पर आधारित योजना की आलोचना करते। वे ऐसे संविधान की मांग कर रहे थे जो अपने राजनीतिक और आर्थिक भविष्य को पूर्णतया निरुपित व नियंत्रित कर सकने में उन्हें सशक्त बना सके। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की भावनाओं की परवाह नहीं की। इसके प्रतिकूल उसने 1935 का अधिनियम पारित कर दिया जो 1 अप्रैल, 1937 से प्रभावी हो गया। मूलतः यह अधिनियम उस योजना पर आधारित था जिसे भारत के नेता पहले ही अस्वीकृत कर चुके थे। इससे यह पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार भारतीय आवश्यकताओं के प्रति कितनी उदासीन थी।

झूठे दावे

ब्रिटिश सरकार ने यह दावे के साथ कहा कि 1935 का अधिनियम भारतीयों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। उदाहरण के लिए इसमें कहा गया था कि इस अधिनियम में प्रांतीय स्वशासन और भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीकरण संबंधी प्रावधान है, यह एक झूठा दावा था। सच यह है कि 1935 का अधिनियम पहले के अधिनियमों की भांति ही था जिनमें प्रांतीय गवर्नरों को राजनीतिक और वित्तीय मामलों में निषेधाधिकार प्रदान किया गया था। वे निर्वाचित विधान सभा के बहुमत या विचारों की अवेहलना कर सकते थे और ब्रिटिश हितों की सुरक्षा के लिए अपने विचार विधान सभा पर थोप सकते थे। इसके विपरीत निर्वाचित विधान सभाएं व्यवहारिक रूप में अवास्तविक और प्रभावहीन थीं। वे इतनी अधिकारविहीन थीं कि वे लोगों की आवश्यकता के अनुकूल अपनी नीतियों का निर्माण नहीं कर सकती थीं। मंत्रीगण सलाह दे सकते थे किंतु उनके परामर्श को अस्वीकृत भी किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त गवर्नर 1935 के अधिनियम की धारा 93 के अंतर्गत प्रांतों का शासन अपने हाथ में ले सकते थे।

इसी प्रकार इस अधिनियम के अंतर्गत संघ निर्माण की योजना वास्तव में संघ के सिद्धांतों के प्रतिकूल थी। ब्रिटिश भारत को जहां एक ओर प्रस्तावित संघ व्यवस्था में शामिल होने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था, वहीं दूसरी ओर रजवाड़ों को संघ में शामिल होने या न होने का विकल्प उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त, पूरी योजना रजवाड़ों को ब्रिटिश भारत की लोकतांत्रिक शक्तियों के विरोध में खड़ा करने तथा स्वतंत्रता संघर्ष को हानि पहुंचाने के लिए प्रस्तावित की गई थी।

इन परिस्थितियों में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने 1935 का अधिनियम पूरी तरह से अस्वीकृत कर दिया, किंतु महत्त्वपूर्ण बात यह है कि दोनों दलों ने इस नियम के अंतर्गत प्रांतीय विधान सभाओं के निर्वाचनों में भाग लिया। कांग्रेस ने प्रारंभ में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वह सत्ता या पद के लिए चुनाव नहीं लड़ रही थी बल्कि उसका उद्देश्य, जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में "गुलामी के पत्रक" (1935 का अधिनियम) के विरुद्ध जनता का जनादेश प्राप्त करना था। दूसरे शब्दों में, कांग्रेस ने कहा कि वह जनादेश का उपयोग ब्रिटिश सरकार को 1935 का अधिनियम वापस लेने को विवश करने हेतु करेगी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि संविधान में उल्लिखित संघीय ढांचे से संबंधित अंश प्रभावी नहीं हुआ क्योंकि रजवाड़े उसमें शामिल नहीं हुए।

निर्वाचन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग

ब्रिटिश भारत के ग्यारह प्रांतों में से पांच प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। चार प्रांतों में यह सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई। मुस्लिम लीग, जो सदा से यह दावा करती रही थी कि वह भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधि संगठन है, का प्रदर्शन निम्नकोटि का रहा। उसने मुसलमानों के लिए निर्धारित 482 में से केवल 109 सीटें जीतीं। मुस्लिम-बहुल प्रांतों जैसे उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत, सिंध, बंगाल और पंजाब में इसकी स्थिति और भी अपमानजनक रही। इन निर्वाचनों ने सिद्ध कर दिया कि मुसलमानों का विशाल बहुमत मुस्लिम लीग के विरुद्ध था। इनसे यह भी सिद्ध हो गया कि मुस्लिम-बहुल प्रांतों

में अल्लाह बख्श (सिंध), सिकंदर हयात खां (पंजाब), फजलुल हक़ (बंगाल), अब्दुल गफ्फार खां (उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत) और सादुल्ला खां (असम) जैसे नेता ही मुसलमानों के वास्तविक नेता थे।

कांग्रेस ने चुनाव के समय दिए गए वादों का सम्मान करते हुए प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाने से इंकार कर दिया। किंतु बाद में उसने नौ प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाया। उसने ऐसा करने के पूर्व भारत के गवर्नर-जनरल से आश्वासन ले लिया कि प्रांतों के गवर्नर दिन-प्रतिदिन के शासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बंगाल और पंजाब में गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल कार्य करते रहे। इन दोनों प्रांतों में क्रमशः कृषक प्रजा पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी की सरकारें बनीं।

यद्यपि कांग्रेस मंत्रिमंडल कोई मौलिक परिवर्तन नहीं कर सका तथापि उन्होंने लोगों की दशा सुधारने का प्रयास किया। कांग्रेस ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध हटा लिए और किसानों तथा मजदूरों के संगठनों को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने की छूट दे दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कृषि सुधार संबंधी कानून बनाए, दलित वर्गों के उद्धार के उपाय किए और शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने ग्रामीण तथा आधुनिक उद्योग पर भी ध्यान दिया।

एक उल्लेखनीय बात यह है कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के मंत्रिमंडल की स्थापना को पसंद नहीं किया। उसकी मुख्य शिकायत यह थी कि प्रांतों में सरकार बनाते समय कांग्रेस ने मुसलमान विधायकों की उपेक्षा की। जिन्ना ने अपने को नितांत अकेला पाया। हताश होकर उनकी लीग ने कांग्रेस के साथ संयुक्त प्रांत में मिली-जुली सरकार बनाने का प्रयास किया, किंतु कांग्रेस की शर्तें इसे स्वीकार नहीं थी। इस गतिविधि से जिन्ना के जीवन में नया मोड़ आया। उन्होंने सर मोहम्मद इक़बाल से, जो कवि भी थे, गुप्त पत्र व्यवहार किया और खुले आम मुसलमानों के लिए अलगाववाद का मोर्चा खोलने का निश्चय किया। उन्होंने 1937 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया जिसमें उन्होंने कांग्रेसी शासन को हिंदू शासन, कांग्रेस पार्टी को फासिस्ट पार्टी तथा महात्मा गांधी को हिंदू धर्म का पुनरुद्धारक कहकर निंदित करने का प्रयास किया। इसी अधिवेशन में मुसलमानों को *वन्दे मातरम* गीत का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया गया।

अपने वचन के प्रति निष्ठावान जिन्ना ने कांग्रेसी सरकारों के विरुद्ध धुआंधार प्रचार प्रारंभ कर दिया और उनके विरुद्ध अनर्गल दोषारोपण किए। मुस्लिम लीग ने कुछ दस्तावेज प्रकाशित किए जिनमें हिंदुओं द्वारा मुसलमानों पर किए गए अत्याचारों का विवरण दिया गया और कांग्रेस सरकार पर तरह-तरह के गंभीर आरोप लगाए गए। जब राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे प्रमुख कांग्रेसी नेताओं ने जिन्ना और मुस्लिम लीग को इन आरोपों को सिद्ध करने की चुनौती दी तो वे आगे नहीं आए। आरोपों को सिद्ध करने के बजाय जिन्ना ने यह कहा कि वे स्वयं इस बात के प्रति आश्वस्त हैं कि मुसलमानों को कांग्रेस सरकार से न तो न्याय की आशा है और न निष्पक्षता की। वे दो-राष्ट्र वाले सिद्धांत का सशक्त रूप से प्रचार करने लगे। उनका एकमात्र लक्ष्य मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक भावनाओं को उत्तेजित करना और विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार करना था।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :
   - (i) सी. आर. दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों की?
   - (ii) काकोरी षड्यंत्र पर एक पैराग्राफ लिखिए।
   - (iii) ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की?
   - (iv) भारतीयों का साइमन कमीशन के प्रति क्या दृष्टिकोण था?
   - (v) भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया?
   - (vi) साइमन-विरोधी आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या उपाय किए, स्पष्ट कीजिए।
   - (vii) अक्टूबर 1928 के बाद सरदार भगत सिंह और उनके सहयोगियों के कार्यकलापों पर एक टिप्पणी लिखिए।

(viii) नेहरू कमेटी रिपोर्ट का महत्त्व क्या था?

(ix) मोहम्मद अली जिन्ना ने 'नेहरू कमेटी रिपोर्ट' क्यों अस्वीकार कर दी?

(x) नेहरू कमेटी रिपोर्ट के विषय मे सुभाष चंद्र बोस का क्या रूख था?

(xi) कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब और क्यो की?

(xii) 26 जनवरी,1930 का क्या महत्त्व है?

(xiii) सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे?

(xiv) डांडी यात्रा पर टिप्पणी लिखिए।

(xv) सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति जनता की प्रतिक्रिया पर विचार व्यक्त कीजिए।

(xvi) सरकार का सविनय अवज्ञा के प्रति क्या रुख था?

(xvii) गांधी-इरविन पैक्ट पर एक पैराग्राफ लिखिए।

(xviii) द्वितीय गोलमेज कांफ्रेंस में महात्मा गांधी की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

(xix) महात्मा गांधी ने 20 सितंबर, 1932 को अनिश्चितकालीन उपवास क्यों किया?

(xx) 1932 के पूना पैक्ट पर विचार व्यक्त कीजिए।

(xxi) क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर विचार व्यक्त कीजिए।

(xxii) रजवाड़ों के लोगों के जीवन पर विचार लिखिए।

(xxiii) भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उन नेताओं के नाम लिखिए जिन्होंने नरेशों द्वारा शासित राज्यों में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।

(xxiv) रजवाड़ों के प्रति सुभाष चंद्र बोस के दृष्टिकोण पर विचार व्यक्त कीजिए।

(xxv) कांग्रेस ने 1935 का अधिनियम क्यों अस्वीकार कर दिया?

(xxvi) कांग्रेस के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के प्रति मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण क्या था?

2. जोड़े बनाइए :

(i)	सी. राजगोपालाचारी	काकोरी षड्यंत्र
(ii)	चंद्रशेखर आजाद	साइमन कमीशन
(iii)	अशफाक उल्ला खां	परिवर्तन न चाहने वाला
(iv)	लाला लाजपत राय की मृत्यु	हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन
(v)	लॉर्ड बिरकनहेड	1927 में कांग्रेस के अध्यक्ष
(vi)	एम.ए. अंसारी	भारत सचिव
(vii)	पूर्ण स्वराज	नेहरू कमेटी रिपोर्ट
(viii)	औपनिवेशिक स्वराज	कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन

3. नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथन के आगे (✓) का चिह्न तथा गलत के आगे (×) का चिह्न लगाइए।

(i) मुस्लिम लीग दो-राष्ट्र के सिद्धांत की पक्षधर थी। ( )

(ii) स्वराज पार्टी महात्मा गांधी द्वारा स्थापित की गई थी। ( )

(iii) खान अब्दुल गफ्फार खां महात्मा गांधी के अनुयायी थे। ( )

(iv) पूना पैक्ट महात्मा गांधी और बी.आर. अंबेडकर के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। ( )

(v) सूर्य सेन क्रांतिकारी नहीं थे। ( )

(vi) ऑल इंडिया पीपुल्स कांफ्रेंस की स्थापना 1927 में हुई थी। ( )

(vii) मुस्लिम लीग ने 1935 के अधिनियम का समर्थन किया था। ( )

(viii) कांग्रेस ने तीसरी गोलमेज कांफ्रेंस में भाग लिया था। ( )

6 विभाजन और स्वतंत्रता

द्वितीय विश्व युद्ध और कांग्रेस

सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। इसका कारण यह था कि वह भारतीय संसाधनों का युद्ध में उपयोग करना चाहती थी। यह एक साम्राज्यवादी युद्ध था और इसका उद्देश्य भारत तथा अन्यत्र साम्राज्यवाद को सुदृढ़ करना था। लेकिन कांग्रेस ने युद्ध में किसी प्रकार का सहयोग देने से इंकार कर दिया। इसके स्थान पर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से यह सुनिश्चित आश्वासन चाहती थी कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। यह आश्वासन नहीं दिया गया। अतः नवम्बर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया।

पाकिस्तान संबंधी प्रस्ताव

जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग इस घटना से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने 22 दिसंबर,1939 को कांग्रेस शासन से मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार से यह भी आग्रह किया कि वह संवैधानिक समस्या पर समग्र रूप से पुनः विचार करे। इसके अतिरिक्त इसने सरकार से यह भी वचन लेना चाहा कि भारत के भावी संविधान के विषय में वह मुस्लिम लीग की सहमति के बिना कोई घोषणा नहीं करेगी। उसने मार्च 1940 में अपना अधिवेशन लाहौर में बुलाया जिसकी अध्यक्षता जिन्ना ने की। अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान "दो अलग-अलग राष्ट्र हैं" और उनके "हित समान नहीं हैं।"

किंतु सबसे अधिक क्षुब्ध कर देने वाली बात पाकिस्तान संबंधी प्रस्ताव था। सांप्रदायिक समस्या के समाधान के रूप में यह प्रस्ताव मुस्लिम लीग द्वारा जिन्ना की अध्यक्षता में 23 मार्च,1940 को पारित हुआ। इस प्रस्ताव में मुसलमानों के लिए एक प्रभुतासंपन्न स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग की गई। इसके अनुसार भारत के उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण



मोहम्मद अली जिन्ना अन्य मुस्लिम लीग नेताओं के साथ

किया जाना था। ये क्षेत्र थे – उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और बंगाल।

लगभग दस वर्ष पूर्व (29 दिसंबर,1930) इसी प्रकार का विचार मुहम्मद इक़बाल ने इलाहबाद में आयोजित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कांफ्रेंस में व्यक्त किया था। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक समस्या का समाधान पंजाब, सिंध, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान को एक मुस्लिम राज्य के रूप में गठित कर देने में निहित है। कैंब्रिज (इंग्लैंड) में पढ़ने वाले कुछ मुसलमान भी इस विचार के प्रति आकृष्ट हुए। उनके नेता रहमत अली थे। उन्होंने पाकिस्तान की स्थापना के लिए 1933 में ही एक योजना तैयार कर ली थी।

रूख में परिवर्तन

पाकिस्तान संबंधी प्रस्ताव पारित होने के तुरंत बाद ब्रिटिश सरकार एवं युद्ध में भारतीय योगदान के विषय में कांग्रेस का दृष्टिकोण बदल गया। उदाहरणस्वरूप, कांग्रेस ने देश की रक्षा के लिए दो मुख्य शर्तों पर सहयोग देने का आश्वासन दिया। एक शर्त यह थी कि ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतंत्रता की मांग स्वीकार करे, दूसरी शर्त यह थी कि सरकार केंद्र में एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार स्थापित करे।

जिन्ना ने भी सहयोग देने का आश्वासन दिया किंतु उनकी शर्त यह थी कि सरकार ऐसा कोई काम न करे जो पाकिस्तान-प्रस्ताव की भावना के प्रतिकूल हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने वॉयसरॉय लिनलिथगो (1936-43) से मांग की कि मुसलमान नेताओं को प्रांत तथा केंद्र सरकार में समान भागीदारी देकर शामिल किया जाए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से यह भी कहा कि वह विभिन्न सरकारी संगठनों में प्रतिनिधि मनोनीत करने के लिए मुस्लिम लीग को अधिकृत कर दे, किंतु प्रतिक्रिया स्वरूप लिनलिथगो उदासीन रहे। उन्होंने इस तर्क को अमान्य ठहराया कि मुस्लिम लीग मुस्लिम समुदाय की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है और यह भी संकेत दिया कि मुसलमान अन्य राजनीतिक दलों में भी शामिल हैं। इससे जिन्ना तथा मुस्लिम लीग का निराश हो जाना स्वाभाविक था।

अगस्त प्रस्ताव (1940)

आप पढ़ चुके हैं कि भारत ने ब्रिटिश सरकार को युद्ध में सहयोग देना अस्वीकार कर दिया था। इससे ब्रिटिश सरकार को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अतः उन्होंने कांग्रेस के बदलते हुए दृष्टिकोण और मुस्लिम लीग से बढ़ते हुए मतभेदों का लाभ उठाया। गवर्नर-जनरल ने 8 अगस्त, 1940 को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार देना स्वीकार कर लिया है और युद्ध के बाद संविधान सभा गठित कर दी जाएगी। मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने यह आश्वासन दिया कि भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करते समय उनके विचारों पर भी ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि युद्ध के दौरान अंतरिम व्यवस्था के रूप में वे कुछ भारतीयों को कार्यकारिणी तथा युद्ध समिति में मनोनीत करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध के बाद भारतीयों द्वारा बनाया गया संविधान ब्रिटिश सरकार को भारत के प्रति अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त नहीं करेगा।

फलस्वरूप, कांग्रेस ने पूरी योजना अस्वीकृत कर दी। इसके विपरीत उसने सरकार से यह स्पष्ट आश्वासन मांगा कि युद्ध की समाप्ति पर भारतीय अपने राजनीतिक भाग्य के निर्माता स्वयं होंगे। मुस्लिम लीग ने भी अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसकी मुख्य आपत्ति यह थी कि लॉर्ड लिनलिथगो ने वॉयसरॉय की कार्यकारिणी में हिंदू और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व देने की उनकी मांग स्वीकार नहीं की।



मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू

व्यक्तिगत सत्याग्रह

इस प्रकार भारत और इंग्लैंड के मध्य गत्यावरोध चलता रहा। 15-16 सितंबर,1940 को मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस ने घोषित कर दिया कि वह केवल उसी योजना को स्वीकार करेगी जो स्वतंत्र भारत में सम्मान और गरिमा के साथ जीवित रहने के अधिकार पर आधारित हो। जीवित रहने का यह अधिकार सत्याग्रह के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और इस सत्याग्रह आंदोलन के प्रमुख संचालक महात्मा गांधी होंगे। कांग्रेस ने 17 अक्तूबर, 1940 को व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे जो एक सार्वजनिक स्थान पर आए और उन्होंने युद्ध का विरोध किया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पश्चात् सरकार ने इसी अपराध में लगभग 30,000 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इसमें कांग्रेस के प्रमुख नेताओं, जैसे सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, सी. राजगोपालाचारी और मियां इफ्तिख़ारुद्दीन आदि सम्मिलित थे।



सरोजिनी नायडू

क्रिप्स मिशन

जापान का युद्ध में शामिल होना और युद्ध में इंग्लैंड के विरुद्ध उसकी प्रारंभिक सफलताओं के कारण परिस्थितियों में भारी परिवर्तन आया। उससे प्रोत्साहित होकर भारतीयों ने इस अवसर का लाभ उठाने का निश्चय किया ताकि ब्रिटिश शासन से छुटकारा मिल सके और स्वाधीनता प्राप्त हो सके। इसी अवसर पर तेज बहादुर सप्रू जैसे उदार नेताओं ने ब्रिटिश प्रधान मंत्री विंस्टन चर्चिल से अनुरोध किया कि वे संवैधानिक सुधारों के द्वारा भारतीय समर्थन प्राप्त करें। लेकिन विंस्टन चर्चिल एवं लिनलिथगो जैसे शासकों ने इस प्रकार की पहल किए जाने का विरोध किया, किंतु वे असफल रहे। ब्रिटिश सरकार ने कुछ अल्पकालीन तथा कुछ दीर्घकालीन प्रस्तावों के साथ सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया। ये प्रस्ताव भारतीयों को संतुष्ट करने और उन्हें अपने पक्ष में कर लेने के उद्देश्य से तैयार किए गए थे।

सर स्टैफर्ड क्रिप्स 23 मार्च, 1942 को भारत आए। 30 मार्च को उनके प्रस्ताव सार्वजनिक किए गए। दीर्घकालीन प्रस्तावों के अनुसार युद्ध के बाद एक संविधान सभा गठित की जाएगी और उसके द्वारा निर्मित संविधान को ब्रिटिश सरकार अनुमोदित करेगी। यह संविधान सभा ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों तथा रजवाड़ों के राजा अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्तियों से मिलकर बनेगी। दीर्घकालीन प्रस्तावों में यह स्पष्ट कर दिया गया कि प्रांतों को यह अधिकार होगा कि वे संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को स्वीकार करें अथवा अस्वीकार कर दें या अपने लिए दूसरा नया संविधान बना लें। इसी प्रकार रजवाड़ों को यह अधिकार दिया गया कि वे चाहें तो संघ (जिसे 'डोमीनियन' कहा गया) में सम्मिलित हों अथवा न हों। अल्पकालीन प्रस्तावों में कहा गया कि रक्षा विभाग के अलावा सभी विभाग गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों के अधीन हस्तांतरित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत गवर्नर-जनरल 1935 के अधिनियम में उल्लिखित सभी शक्तियों का उपभोग करेगा।

कांग्रेस ने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया। उसने जोर देकर कहा कि इन प्रस्तावों को स्वीकार करने का अर्थ होगा कि दो-राष्ट्र के सिद्धांत की स्वीकृति। इसका अर्थ निरंकुशता का समर्थन करना भी होगा। ये प्रस्ताव ब्रिटिश भारत और रजवाड़ों के बीच खाई को और अधिक चौड़ा कर देंगे तथा 'ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कांफ्रेंस' जैसी लोकतांत्रिक शक्तियों को गहरा धक्का पहुंचाएंगे। कांग्रेस चाहती थी कि चर्चिल और अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा 12 अगस्त, 1941 को संयुक्त रूप से प्रसारित अटलांटिक चार्टर (घोषणा-पत्र) को भारत पर भी लागू किया जाए। इस घोषणा-पत्र में अन्य बातों के साथ राष्ट्रों को अपनी पसंद की सरकार निर्वाचित करने के अधिकार को मान्यता दी गई थी। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें उन लोगों को भी स्वशासन का अधिकार वापस दिए जाने का प्रावधान किया गया था जो बलपूर्वक इससे वंचित कर दिए गए थे।

दीर्घकालीन प्रस्तावों में ब्रिटिश प्रांतों को यह अधिकार दिया गया कि वे चाहें तो प्रस्तावित संघ में सम्मिलित हों या न हों। इसके बावजूद मुस्लिम लीग का रुख उदासीनता का रहा। उनकी मुख्य आपत्ति यह थी कि इसमें पाकिस्तान की मांग का उल्लेख नहीं था। लीग की दूसरी आपत्ति यह थी कि क्रिप्स प्रस्तावों को पूर्णरूप से या तो स्वीकार या अस्वीकार किया जाना था। उसमें कुछ भी परिवर्तन किए जाने का प्रावधान नहीं था।


National Herald

India's Last Fight Starts Today

Vinoba to Begin Satyagraha

Wardha Village The Scene Of Action

GOVERNMENT TO WATCH DEVELOPMENTS

WILL MAHATMA GANDHI BE ARRESTED?

No Soviet Troops In Rumania

"TIME OF GREATEST TRIAL"

NEHRU'S CALL TO U.P. CONGRESSMEN

STORM HAVOC IN BOMBAY

भारत का अंतिम संघर्ष : एक समाचार रिपोर्ट

भारत छोड़ो आंदोलन

क्रिप्स मिशन को विफल होना ही था। उसकी विफलता के बाद भारत की राजनीतिक दशा और भी शोचनीय हो गई। सुधार की विभिन्न योजनाओं की विफलता, ब्रिटिश सरकार का सांप्रदायिकता पर बल, कांग्रेस तथा हिंदुओं के विरुद्ध मुस्लिम लीग के तीखे अभियान ने कांग्रेस को स्वराज प्राप्त करने के लिए उग्रतर तरीका अपनाने को बाध्य कर दिया। 8 अगस्त,1942 को कांग्रेस ने बंबई (मुंबई) में एक प्रस्ताव पारित किया और भारतीयों से महात्मा गांधी के नेतृत्व में 'भारत छोड़ो' आंदोलन प्रारंभ करने की अपील की। महात्मा गांधी ने बंबई में 8 अगस्त को जो भाषण दिया उसका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंश वह था जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार अविलंब भारत से चली जाए और "भारत को भगवान के भरोसे अराजकता की स्थिति में छोड़ दे।" इस संपूर्ण योजना का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह था कि उन्होंने "करो या मरो" का नारा बुलंद किया। इसका उद्देश्य भारतीयों को अपने देश के लिए प्राण उत्सर्ग करने तथा दासता की जंजीर तोड़ देने की प्रेरणा प्रदान करना था। उन्होंने यह घोषणा भी की कि "प्रत्येक भारतीय अपने को एक स्वतंत्र व्यक्ति समझे ....केवल जेल जाने से काम नहीं चलेगा।"

किंतु दूसरे दिन प्रातः काल 9 अगस्त, 1942 को महात्मा गांधी तथा कांग्रेस की कार्य समिति के अन्य अनेक प्रमुख सदस्य बंदी बना लिए गए तथा कांग्रेस संगठन को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। सरकार का सबसे प्रभावकारी विरोध कांग्रेस के ही एक मुख्य समूह, कांग्रेसी समाजवादियों द्वारा जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किया गया। ये लोग 9 अगस्त की गिरफ्तारी से बच निकले और भूमिगत हो गए। इन लोगों ने आंदोलन का निर्देशन किया। अन्य समाजवादियों में अच्युत पटवर्द्धन, रामानंद मिश्र, पुरुषोत्तम त्रिकम-दास और एस.एम. जोशी प्रमुख थे।

'भारत छोड़ो' आंदोलन के भयंकर रूप धारण करने से रोकने के लिए विदेशी सरकार ने निर्दयतापूर्ण तरीके अपनाए। चर्चिल और लिनलिथगो आंदोलन को कुचलने के लिए कटिबद्ध हो गए। किंतु इससे भारतीय हतोत्साहित नहीं हुए। उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान का पूरी ताकत से क्रियान्वयन किया। उन्होंने नेताओं की गिरफ्तारी और सरकार की दमनात्मक नीति के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित कीं। युनिवर्सिटी, कॉलेज तथा स्कूल के छात्रों की इन प्रदर्शनों में महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने पुलिस स्टेशनों, डाकखानों, रेलवे लाइनों तथा सरकार के अन्य प्रतीकों पर आक्रमण किए। अनेक स्थानों पर पुलिस और भीड़ के बीच हिंसापूर्ण संघर्ष हुए। स्वयंसेवकों तथा कार्यकर्ताओं द्वारा अनेक स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित कर दी गईं। संयुक्त प्रांत, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली, आंदोलन के मुख्य केंद्र थे। केवल दिल्ली में ही पुलिस ने निहत्थे लोगों पर 48 घंटे में (11 व 12 अगस्त) 47 बार गोली चलाई जिसमें 76 व्यक्ति मारे गए और 100 से भी अधिक लोग प्राणलेवा चोटों से घायल हुए। जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि हुई। कुल मिलाकर 91,836 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने वाले, लाठी और गोली की बौछार सहने वाले लोगों में हिंदू, मुसलमान, सिक्ख तथा अन्य समुदायों के लोग शामिल थे।

केवल भारतीय साम्यवादी और जिन्ना के अनुयायी ही ऐसे राजनीतिक तत्त्व थे जिन्होंने इतने शक्तिशाली और



भारत छोड़ो आन्दोलन की सहभागी महिलाएं जेल में

व्यापक आंदोलन का समर्थन नहीं किया। मुस्लिम लीग तो सरकार को सहयोग भी देने को तैयार हो गई किंतु उसकी शर्त थी कि ब्रिटिश सत्ताधारी भारत को सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजित कर दें और अंतिम रूप से भारत से चले जाएं। जहां तक भारतीय साम्यवादियों का प्रश्न है, उन्होंने लीग के विचारों तथा अंग्रेजों के युद्ध प्रयासों का पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने भारतीय हितों तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारतीय संघर्ष की उपेक्षा करते हुए रूस का आंख मूंद कर समर्थन किया।

भारतीयों द्वारा 'भारत छोड़ो आंदोलन' के अभूतपूर्व क्रियान्वयन से भारत में ब्रिटिश सत्ताधारी चिंतित और भयभीत हो गए। यह बात गवर्नर-जनरल द्वारा 31 अगस्त, 1942 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के नाम लिखे गए एक लंबे पत्र से स्पष्ट हो जाती है : "मैं 1857 के बाद होने वाले सबसे अधिक गंभीर विद्रोह का सामना करने में व्यस्त हूं।... यह ब्रिटिश शासकों के प्रति अत्यधिक घृणा का परिणाम था। इसका सामान्य उद्देश्य यह था कि वे (ब्रिटिश शासक) अविलंब भारत छोड़ दें।"

राष्ट्रीय संकल्प

सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए उपलब्ध सभी कठोर तरीके अपनाए। उसने सशस्त्र वायुयानों का भी प्रयोग किया। 'भारत छोड़ो आंदोलन' आगे भी कुछ दिनों तक जारी रहा। यद्यपि इसका इच्छित परिणाम नहीं निकला तथापि यह आंदोलन राष्ट्रीय संकल्प की दृढ़ता प्रदर्शित करने में सफल हुआ। यह ब्रिटिश विरोधी चेतना का छुट-पुट प्रस्फुटन था। इसने देश के अनेक भागों में ब्रिटिश प्रशासन को हिला दिया और उपनिवेशीय प्रशासन के दमनात्मक स्वरूप को प्रकट कर दिया। इतना ही नहीं, इसने साम्राज्यवादियों को स्पष्ट कर दिया कि अब भारत में उनके दिन लद गए हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने भारत की समस्या को हल करने के लिए भारतीयों से समझौता वार्ता करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी।

आजाद हिंद फौज (आई.एन.ए.)

युद्ध के दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अति विशिष्ट घटनाओं में एक घटना आजाद हिंद फौज (Indian National Army) की स्थापना थी। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटेन की दासता से मुक्त कराना था। आजाद हिंद फौज का गठन भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के महान प्रयासों का परिणाम था जो जापान में बहुत दिनों से रह रहे थे। अनेक भारतीयों ने जो दक्षिण-पूर्व एशिया में बस गए थे, आजाद हिंद फौज के गठन में सहायता की। ब्रिटिश सेना के पूर्व अधिकारी जनरल मोहन सिंह और आनंद मोहन सहाय का इस मामले में महत्त्वपूर्ण योगदान था। आजाद हिंद फौज में लगभग 45,000 सैनिक थे। यह भारतीय युद्धबंदियों तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में बसे हुए भारतीयों से बनी थी।

सुभाष चंद्र बोस, 1943 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में कार्य करने सिंगापुर आए। इसके पूर्व 1939 में महात्मा गांधी से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था और भारत के निमित्त समर्थन प्राप्त करने के लिए जर्मनी चले गए थे। इंडिपेंडेंस लीग भी रास बिहारी बोस द्वारा स्थापित की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को पुनर्गठित कर प्रशंसनीय कार्य किया। उनका लक्ष्य इसको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक शक्तिशाली अंग बनाना था।

किंतु 21 अक्टूबर, 1943 को नेताजी ने एक महान कदम उठाया और स्वतंत्र भारत अथवा *आजाद हिंद* की अंतरिम सरकार गठित करने की घोषणा कर दी। इसके तुरंत बाद उन्होंने अंडमान में भारतीय झंडा फहरा दिया जो उन दिनों जापान के अधिकार में था। इतना ही नहीं, नेता जी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में किए गए आक्रमणों में भी भाग लिया। आजाद हिंद

फौज के कुछ सैनिक कोहिमा पहुंचने में सफल हो गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने पहला काम यह किया कि वे भूमि पर साष्टांग लेट गए, भारतीय ध्वज फहराया और अपनी पवित्र मातृभूमि की धूल माथे से लगाई।

कांग्रेस के कुछ नेता सुभाष चंद्र बोस की कार्यप्रणाली को पसंद नहीं करते थे। उदाहरण के लिए वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जापानियों का समर्थन प्राप्त करने के पक्ष में नहीं थे। उनका यह मत था कि जर्मनी और इटली की तरह जापान भी फासीवाद में आस्था रखता है। परंतु नेताजी उनके विचारों से सहमत नहीं थे। इसके विपरीत नेताजी की यह धारणा थी कि बाहर से जापान की सहायता तथा अंदर से ब्रिटिश-विरोधी संघर्ष दोनों ही भारत में विदेशी शासन समाप्त करने के लिए आवश्यक थे।

सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध को अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने और स्वतंत्रता पाने के लिए उपयुक्त अवसर समझा। किंतु महात्मा गांधी उनके दृष्टकोण से सहमत नहीं थे। प्रसिद्ध इतिहासकार एस.एन. सेन के कथनानुसार वी.डी. सावरकर ने ही 22 जून, 1940 को यह सलाह दी थी कि वे भारत से बाहर जाएं, यूरोप में भारतीय फौज तैयार करें और ब्रिटिश भारत पर शीघ्र से शीघ्र आक्रमण कर दें। भारत के बाहर जाने के पूर्व ही वे भारत रक्षा नियमों के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिए गए। 26 जनवरी, 1941 को बोस पुलिस को झांसा देकर अदृश्य हो गए। वह गुप्त रूप से पेशावर और रूस की यात्रा करते हुए 28 मार्च, 1942 को बर्लिन (जर्मनी) पहुंच गए। जर्मनी में भारतीय समुदाय ने उनका हार्दिक स्वागत किया और उन्हें 'नेताजी' का नाम दिया। उन्होंने उनका स्वागत 'जय हिंद' कहकर किया। अपने देशवासियों को अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने की प्रेरणा देने के लिए बोस ने बर्लिन रेडियो का बहुधा प्रयोग किया।

बोस के विचारों का भारतीयों पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह बात उनके भावोत्तेजक नारों 'जय हिंद' और 'दिल्ली चलो' के प्रति जबर्दस्त समर्थन से स्पष्ट हो जाती है। सत्य तो यह है कि क्षेत्रीय संबद्धता तथा धार्मिक वर्गों का ध्यान दिए बिना सभी भारतीयों ने नेताजी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया और हर प्रकार का त्याग करने का आश्वासन दिया। महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। भारतीय महिलाओं का उत्साह इतना अधिक था कि भारतीय महिलाओं की एक अलग रेजीमेंट (सैन्य टुकड़ी) बनानी पड़ी। इसकी कमांडर कैप्टेन लक्ष्मी सहगल थीं और इस सैन्य टुकड़ी को 'रानी झांसी रेजीमेंट' कहा गया।

निस्संदेह आजाद हिंद फौज भारतीय एकता, समर्पण और उच्च कोटि के त्याग का प्रतीक बन गई थी। भारतीय राष्ट्र और आजाद हिंद फौज को अगस्त 1945 में गहरा धक्का लगा, जब ऐसी सूचना मिली कि जापान की पराजय और आत्मसमर्पण के कुछ ही दिनों बाद वायुयान की दुर्घटना में नेताजी का देहांत हो गया।

ब्रिटिश सरकार का रूख

आजाद हिंद फौज और उसके नेताओं के प्रति ब्रिटिश सरकार का रवैया अत्यंत द्वेषपूर्ण रहा। उन्होंने आजाद हिंद फौज और उसके समर्थकों को नष्ट करने के लिए कोई भी प्रयास शेष नहीं रखा। ब्रिटिश सत्ताधारी, आजाद हिंद फौज के प्रति इतने रुष्ट हुए कि उन्होंने फौज के तीन सबसे प्रमुख अफसरों – गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, शाहनवाज खां और पी.के. सहगल पर दिल्ली के लालकिले में मुकदमा चला दिया। उनका एक ही अपराध था कि वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उत्साहपूर्वक लड़े थे। उन सभी को सजा हुई। किंतु उनकी सजा क्षमा कर दी गई। ब्रिटिश सरकार क्षमा करने को विवश हो गई क्योंकि उत्तेजित भारतीयों, विशेषकर छात्रों द्वारा मुकदमें के विरोध में व्यापक हड़तालें और प्रदर्शन आयोजित किए गए। अधिकारियों का व्यवहार नरम पड़ जाने का एक अन्य कारण यह भी था कि भारतीय लोग स्वतंत्रता पाने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ थे और नौ-सेना में असंतोष बढ़ता जा रहा था। उदाहरणस्वरूप 1946 में रॉयल इंडियन नेवी ने कई स्थानों पर विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में सेना के सैनिकों तथा ब्रिटिश फौजियों में टकराव हो गया और कम से कम 300 व्यक्ति बंबई में मारे गए। नौ-सेना की केंद्रीय हड़ताल समिति (Naval Central Strike Committee) का अंतिम संदेश इस प्रकार था: "हमारे राष्ट्र के जीवन में हमारी हड़ताल एक ऐतिहासिक घटना है। पहली बार सेना के जवानों और साधारण व्यक्तियों का रक्त समान उद्देश्य के लिए एक साथ बहा है। हम सभी सैनिक इस बात को कभी विस्मृत नहीं करेंगे। हम यह भी जानते हैं कि आप सभी भाई-बहन इसे नहीं भूलेंगे। हमारी महान जनता की जय ! जय हिंद !!"

वेवेल योजना

17 मई,1945 को भारत के गवर्नर-जनरल लॉर्ड वेवेल तथा भारत-सचिव लॉर्ड एमेरी ने यह घोषणा की कि मार्च 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव अभी भी पूर्ववत् पूर्णरूप से मान्य है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारतीय लोग इस अवसर का लाभ उठाएंगे और राजनीतिक गत्यावरोध समाप्त करेंगे।

इसके अतिरिक्त लॉर्ड एमेरी ने लार्ड वेवेल के प्रस्तावों पर आधारित एक योजना भी घोषित की जो युद्ध के दौरान संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित थी। यह योजना 'वेवेल योजना' कही जाती है।

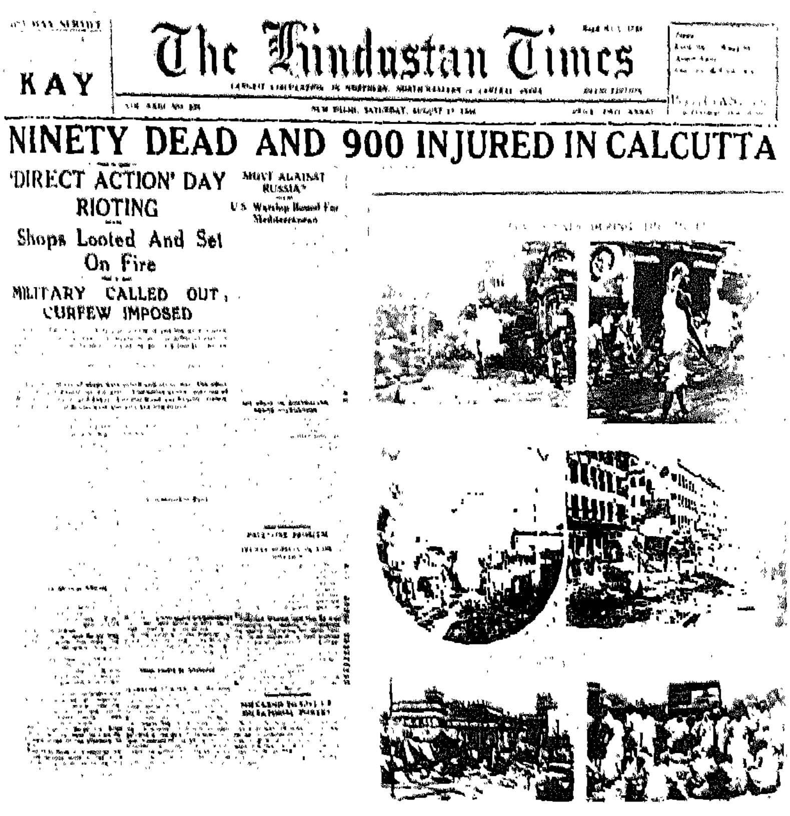
इस योजना के अनुसार निश्चय किया गया कि वॉयसरॉय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाएगा और गवर्नर-जनरल तथ मुख्य सेनापति को छोड़कर इसके सभी सदस्य भारतीय होंगे। इस योजना में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि पुनर्गठित कार्यकारिणी के सदस्य युद्ध में अपना पूरा सहयोग देंगे। इसमें यह भी कहा गया कि रजवाड़ों तथा ब्रिटिश सरकार के संबंधों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

लॉर्ड वेवेल ने इस योजना पर विचार करने के लिए 21 भारतीय नेताओं को शिमला में आमंत्रित किया। शिमला कांफ्रेंस में 25 जून से 14 जुलाई तक इस पर विचार-विमर्श हुआ। किंतु कांफ्रेंस किसी भी परिणाम पर पहुंचने में असफल रही। इसका कारण यह था कि मुस्लिम लीग इस बात पर अड़ी रही कि कार्यकारिणी के सदस्यों को मनोनीत करते समय मुसलमान सदस्यों के नाम प्रस्तावित करने का एकमात्र अधिकार उसी का होगा। लॉर्ड वेवेल और कांग्रेस के नेताओं ने मुस्लिम लीग को समझाने का पूरा प्रयत्न किया किंतु असफल रहे। फलस्वरूप लार्ड वेवेल ने घोषित कर दिया कि शिमला कांफ्रेंस असफल हो गई है।

कैबिनेट मिशन

15 मार्च, 1946 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट ऐटली ने यह वक्तव्य जारी किया कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने का निर्णय ले लिया है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि भारतीयों को अपनी पसंद की सरकार बनाने की स्वतंत्रता रहेगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के तीन वरिष्ठ सदस्य इस विषय पर तथा अंतरिम सरकार के गठन पर विचार करने के लिए भारत जाएंगे।

कैबिनेट मिशन 24 मार्च को दिल्ली पहुंचा। स्वतंत्रता के प्रकरण तथा उससे संबंधित अन्य विषयों पर इसके सदस्य पेथिक लारेंस, क्रिप्स और एलेक्जडेंर ने सभी विचारधाराओं के राजनीतिक नेताओं से विचार-विमर्श किया। जिन्ना तथा उनकी मुस्लिम लीग का रुख सकारात्मक नहीं था। वे कैबिनेट मिशन से स्पष्ट रूप से कहलाना चाहते थे कि *दो-राष्ट्र सिद्धांत* के आधार पर भारत का विभाजन कर दिया जाएगा। जब यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार कर लेगी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर,1946 को अंतरिम सरकार बन जाएगी तो मुस्लिम लीग ने यह घोषणा कर दी कि वह अब संवैधानिक तरीकों का परित्याग करके 16 अगस्त को 'सीधी कार्रवाई दिवस' के रूप में मनाएंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। परिणाम यह हुआ कि पूर्वी बंगाल के कुछ स्थानों, कलकत्ता, बिहार और पंजाब में दंगे, हत्याएं तथा लूटमार एवं आगजनी हुई। लगभग 500 भारतीयों की जाने गईं । लगभग एक लाख भारतीय बिना घर के हो गए। यह स्थिति का एक पहलू था। दूसरा पहलू था मुस्लिम लीग का संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में होने वाले


KAY

The Hindustan Times

NINETY DEAD AND 900 INJURED IN CALCUTTA

'DIRECT ACTION' DAY RIOTING

Shops Looted And Set On Fire

MILITARY CALLED OUT, CURFEW IMPOSED

सीधी कार्रवाई का दिन : एक समाचार रिपोर्ट

चुनावों में भाग लेने से इंकार करना। संक्षेप में, मुस्लिम लीग ने देश की राजनीति का सांप्रदायीकरण कर दिया जिसके विनाशकारी परिणाम हुए।

भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की

लॉर्ड माउंटबेटेन 24 मार्च, 1947 को लॉर्ड वेवेल के स्थान पर गवर्नर-जनरल होकर आए। आने के तुरंत बाद 3 जून 1947 को उन्होंने भारत को दो स्वतंत्र प्रभुतासंपन्न राज्यों – भारत तथा पाकिस्तान में विभाजित करने की अपनी योजना घोषित कर दी। कांग्रेस सांप्रदायिकता के आधार पर कभी भारत का विभाजन नहीं चाहती थी किंतु उसे इस योजना को स्वीकार करना पड़ा क्योंकि जिन्ना ने स्पष्ट कर दिया था कि वे मुसलमानों के लिए स्वतंत्र पाकिस्तान से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे।

माउंटबेटेन योजना की घोषणा के बाद और भी अधिक दंगे हुए। मुस्लिम लीग द्वारा कटुता फैलाए जाने के अनेक खतरनाक परिणाम हुए। जनसाधारण को पाशविकता का शिकार होना पड़ा। लगभग पांच लाख लोग मारे गए और करोड़ों को अपना घर-द्वार छोड़ना पड़ा। महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं का जो सदा से हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए संघर्षरत रहे, सबसे अधिक मोह भंग हुआ। उन्होंने स्थिति पर नियंत्रण रखने का अथक प्रयास किया किंतु असफल रहे।

ऐसी दुःखपूर्ण और दर्दनाक परिस्थितियों में 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। यह स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत घोषित की गई। जिन्ना की जीत हुई और उन्हें उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत, सिंध, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब तथा बलूचिस्तान मिल गया। भारतीयों के लिए, वास्तव में, यह कठिन घड़ी थी। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वे ऐसी अभूतपूर्व करुणाजनक त्रासदी के मध्य सांप्रदायिकता पर आधारित विभाजन के साथ स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे।

जब 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ उस समय महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। वहां वे मुसलमानों और हिंदुओं में सौहार्द स्थापित करने में व्यस्त थे। जब पश्चिम बंगाल के मंत्री महात्मा गांधी से आशीर्वाद लेने के लिए उनसे मिले तो गांधी जी ने उनसे कहा : "नम्र बनो। सत्ता से सावधान रहो। सत्ता भ्रष्ट कर देती है... याद रखो कि तुम अपने पद पर गरीब भारत के गांवों की सेवा करने के लिए हो।" जब गांधी जी 30 जनवरी 1948 को दिल्ली की एक प्रार्थना सभा में भाग लेने जा रहे थे तभी नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। इससे समाज में शांति और सौहार्द लाने के उनके प्रयास का अचानक और दुखद अंत हो गया।

स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित हुई। इसके अधिकांश मंत्री कांग्रेस के सदस्य थे। उनके अतिरिक्त दलित जाति संघ (Scheduled Castes Federation) के नेता बी.आर. अंबेडकर को विधि मंत्री तथा हिन्दू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुकर्जी को उद्योग व आपूर्ति मंत्री नियुक्त किया गया। नई सरकार के सामने सबसे आवश्यक कार्य प्रशासन तंत्र तथा सेना का भारतीयकरण करना था। स्वतंत्रता के तुरंत बाद के वर्षों में भारत को गंभीर आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का सामना करना था। विभाजन से उत्पन्न प्रतिकूल परिणामों पर अभी तक भारत पूर्ण रूप से काबू नहीं पा सका था। युद्धोत्तर मंदी से उद्योगधंधे उबर नहीं पाए थे। देश के अनेक भागों में फसल खराब हो जाने से खाद्यान्न की गंभीर रूप से कमी हो गई थी। पूर्व सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भेजे गए खाद्यान्न से ही भारत का प्रशासन अपनी खाद्य समस्या पर काबू कर सका।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :
   - (i) कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में त्यागपत्र क्यों दे दिया?
   - (ii) मार्च 1940 में पाकिस्तान संबधी प्रस्ताव किन परिस्थितियों में पारित हुआ?
   - (iii) 1940 के अगस्त प्रस्ताव पर टिप्पणी लिखिए।
   - (iv) मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया?

(v) कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्तावों को क्यों अस्वीकार कर दिया?

(vi) मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्तावों को स्वीकार क्यों नहीं किया?

(vii) महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ किया?

(viii) भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस के समाजवादियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

(ix) भारतीय स्वतत्रंता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की भूमिका समझा कर लिखिए।

(x) आजाद हिंद फौज के प्रति ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया पर विचार व्यक्त कीजिए।

(xi) वेवेल योजना का वर्णन कीजिए।

(xii) कैबिनेट मिशन योजना की विवेचना कीजिए।

(xiii) भारत को किन परिस्थितियों में स्वतंत्रता प्राप्त हुई?

(xiv) भारत का विभाजन क्यों हुआ?

2. जोड़े बनाइए :

(i)	मुक्ति दिवस	चर्चिल तथा रूजवेल्ट
(ii)	प्रथम सत्याग्रही	सुभाष चंद्र बोस
(iii)	अटलांटिक चार्टर	मुस्लिम लीग
(iv)	कांग्रेस सोशलिस्ट	विनोबा भावे
(v)	नेताजी	जय प्रकाश नारायण
(vi)	सीधी कार्रवाई दिवस	जून-जुलाई 1945
(vii)	शिमला कांफ्रेंस	8 अगस्त 1942
(viii)	भारत छोड़ो प्रस्ताव	16 अगस्त 1946

3. नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथन के आगे (✓) का चिह्न तथा गलत के आगे (×) का चिह्न लगाइए।

(i) पाकिस्तान संबंधी प्रस्ताव 1940 में सर मुहम्मद इक़बाल की अध्यक्षता में पारित हुआ था। ( )

(ii) मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव ठुकरा दिया। ( )

(iii) क्रिप्स मिशन 1945 में भारत पहुंचा। ( )

(iv) 'करो या मरो' का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ( )

(v) वेवेल योजना मई 1945 में घोषित की गई थी। ( )

(vi) जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय भारत के गवर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबेटेन थे। ( )

7 लोकतांत्रिक गणराज्य एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंध

आप यह पढ़ चुके हैं कि संविधान सभा का निर्वाचन जुलाई 1946 को संपन्न हुआ था। लगभग सभी शीर्ष नेता, प्रमुख राजनीतिज्ञ, प्रशासक तथा प्रख्यात विधिवेत्ता इसके सदस्य थे । ये ब्रिटिश भारत के सभी भागों से लिए गए थे। जहां तक रजवाड़ों का संबंध था, उनके प्रतिनिधियों ने भी संविधान सभा में भाग लिया । किंतु उनके प्रतिनिधित्व के लिए जो विधा अपनाई गई वह भिन्न प्रकार की थी। उदाहरण के लिए, रजवाड़ों के लिए जितनी सीटें निर्धारित हुई थीं उनमें से कम से कम आधी सीटें उन रजवाड़ों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भरी जानी थीं। शेष सदस्यों को वहां के राजा द्वारा मनोनीत किया जाना था। जहां तक जम्मू और कश्मीर का प्रश्न था, उसका प्रतिनिधित्व वहां के प्रधान मंत्री शेख़ अब्दुल्ला और उनके द्वारा मनोनीत सदस्यों को करना था। ऐसा भारत के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर किया गया। संविधान सभा के कई सदस्यों ने इसका विरोध किया ।

संविधान निर्माण : एक कठिन कार्य

संविधान निर्माताओं का कार्य बहुत कठिन था। उनका पहला काम था भारत की अखंडता सुनिश्चित करना। उनकी दूसरी समस्या रजवाड़ों से संबंधित थी। उन्हें आने वाली सरकार या सरकारों में सम्मिलित होने या न होने का अधिकार प्राप्त था। उन्हें यह भी अधिकार था कि वे आने वाली सरकारों के साथ किसी भी प्रकार के राजनीतिक संबंध स्थापित कर सकते थे। इसके अतिरिक्त जनजातियों तथा उनके क्षेत्र से संबंधित समस्याएं भी थीं। उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में समन्वित करने का प्रश्न भी संविधान निर्माताओं के सामने था, किंतु संविधान निर्माताओं के सामने सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य था : "नए संविधान के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना, क्षुधा-पीड़ित लोगों के लिए भोजन जुटाना, निर्वस्त्र जनता के लिए वस्त्र उपलब्ध कराना और प्रत्येक भारतीय को अपनी क्षमता के अनुसार विकास करने का अवसर प्रदान करना"।

संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर, 1946 को संपन्न हुई। 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा के सदस्यों ने एक प्रारूप समिति गठित की जिसके अध्यक्ष बी. आर. अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने अपनी संस्तुतियां संविधान सभा के विचारार्थ 4 नवंबर, 1948 को प्रस्तुत कीं। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी, 1950 को संपन्न हुआ। इसने नए संविधान के अंतर्गत राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत के प्रभुतासंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया।

संविधान 26 जनवरी, 1950 से लागू किया गया । यह तिथि निर्धारित करने का मूल कारण यह था कि कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को लाहौर में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था, सभी भारतवासियों को प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में आयोजित करने का आह्वान किया था। इस संविधान के मुख्य आधार 1935 का अधिनियम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस तथा कनाडा के संविधान थे। विश्व का कोई भी अन्य संविधान इतना विशाल और विस्तृत नहीं है जितना कि भारत का संविधान।

रजवाड़ों का भारत

भारत के सामने मार्च 1946 के पश्चात् सबसे कठिन समस्या 560 से अधिक रजवाड़ों तथा उनके निवासियों के भविष्य की थी। कैबिनेट मिशन योजना के प्रकाश में यह समस्या और भी जटिल हो गई क्यों कि अलगाववाद इस योजना की विशेषता थी। इसमें ऐसे सभी बिंदु विद्यमान थे जो महत्वाकांक्षी राजाओं को अपना पुराना निरंकुश शासन जारी रखने को प्रोत्साहित कर सकते थे। हैदराबाद, भोपाल और ट्रावनकोर जैसे रजवाड़ों ने इस दिशा में पर्याप्त संकेत दिए थे। इसके अतिरिक्त, कोनार्ड कोरफील्ड की भांति कुछ ऐसे अंग्रेज शासक भी थे जो यह नहीं चाहते थे कि रजवाड़ों का भारत में विलय हो जाए।

किंतु, यह देश का बहुत बड़ा सौभाग्य था कि उस समय भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वी.पी. मेनन जैसे नेता और विचारक मौजूद थे। ये लोग राजनीतिक, प्रशासनिक और कूटनीतिक मामलों में दक्ष थे। इसके अलावा एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू यह भी था कि 'ऑल इंडिया

स्टेट्स पीपुल कांफ्रेंस' ने विलय के लिए पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार कर ली थी। भारत में हैदराबाद, जूनागढ़, नीलगिरि और तालचर आदि रजवाड़ों में विलय के पक्ष में पहले से ही आंदोलन चल रहे थे।


सरदार वल्लभ भाई पटेल

जुलाई 1947 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के गृहमंत्री नियुक्त हुए, उस समय रजवाड़ों के भारत में विलय होने की गति में तेजी आ गई। यह इस बात का संकेत था कि राष्ट्र रजवाड़ों के भारत में विलय का पक्षधर था। इसके अतिरिक्त सरदार पटेल द्वारा रजवाड़ों को 5 जुलाई, 1947 को दिए गए आश्वासन के वांछित परिणाम हुए। पटेल ने यह आश्वासन दिया कि कांग्रेस रजवाड़ों और उनके अधीन जनता की सुख-समृद्धि के लिए कृतसंकल्प है ।

15 अगस्त, 1947 तक जब रजवाड़ों पर ब्रिटिश प्रभुता समाप्त हो गई, जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़ कर सभी रजवाड़े विलय-पत्र पर हस्ताक्षर करने को सहमत हो गए। जम्मू और कश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण के परिणामस्वरूप उसने 26 अक्टूबर,1947 को बिना किसी शर्त के भारत में विलय स्वीकार कर लिया। हैदराबाद और जूनागढ़ ही ऐसे दो राज्य थे जिन्होंने कुछ समस्याएं खड़ी कीं। कुछ ऐसे रजवाड़े जिनके शासक मुसलमान थे, भारत से किसी प्रकार के संबंध नहीं रखना चाहते थे। इन रजवाड़ों का भारत में विलय सरदार पटेल की कुशल राजनीति से ही संभव हो सका। इतने अल्प समय में भारत और रजवाड़ों का एकीकरण सरदार पटेल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वे भारत के "लौहपुरुष" के नाम से जाने जाते हैं ।

पांडिचेरी और गोवा

जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय पांडिचेरी और गोवा विदेशी आधिपत्य में थे। भारत में ही विदेशी उपनिवेशों का अस्तित्व देश की अखंडता और स्वतंत्रता की अवधारणा से मेल नहीं खाता था। यह मत पूरे राष्ट्र का ही नहीं, पांडिचेरी तथा गोवा निवासियों का भी था जो अपनी मातृभूमि के साथ पुनः जुड़ना चाहते थे।

पांडिचेरी भारत में पांच फ्रांसीसी उपनिवेशों में से एक था। इसके अलावा अन्य उपनिवेश थे : कराइकल (तमिलनाडु), माहे (केरल), यनाम (आंध्र प्रदेश) और चंद्रनगर (पश्चिम बंगाल) । चंद्रनगर का भारत में विलय जनमत संग्रह के फलस्वरूप हुआ। पांडिचेरी पर फ्रांसीसी आधिपत्य 1697 में हुआ था। 1761 और 1816 के बीच उस पर कभी फ्रांस का तो कभी इंग्लैंड का आधिपत्य हो जाता था। अंत में 26 सितंबर, 1816 को फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी पर पुनः अपना शासन स्थापित कर लिया और यह 31 अक्टूबर, 1954 तक चलता रहा।

किंतु, गोवा पुर्तगाल के अधीन था जो एशिया में प्रवेश करने वाला प्रथम और भारत से हटने वाला अंतिम यूरोपीय देश था। उसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से यह भू-क्षेत्र जीत लिया था। बाद में 1546 और 1559 में दीव और दमन क्रमशः गोवा में मिला लिए गए। दादरा तथा नगर हवेली भी पुर्तगालियों के अधिकार में थे। इन सभी भू-क्षेत्रों को मिला कर गोवा कहा जाता था।

पांडिचेरी स्वतंत्रता संघर्ष

पांडिचेरी तथा गोवा में स्वतंत्रता संघर्ष तथा विलय के पक्ष में संचालित आंदोलन की कहानी यद्यपि संक्षिप्त है तथापि अत्यंत रोमांचकारी है। पांडिचेरी में 'फ्रेंच इंडिया नेशनल कांग्रेस' और 'फ्रेंच इंडिया स्टूडेंटस कांग्रेस' (दोनों 1946 में स्थापित) तथा कुछ अन्य राजनीतिक दलों ने फ्रांस विरोधी संघर्ष में अहम् भूमिका का निर्वाह किया। उन्होंने भारत में विलय के विचार से और फ्रांसीसियों को पांडिचेरी से हटाने के लिए अपनी मांगे व्यक्त करने हेतु जनता को संगठित किया तथा विशाल सार्वजनिक सभाएं आयोजित कीं। फ्रांसीसियों ने भी बदले की कार्रवाई की और स्वतंत्रता संघर्ष को कुचलने के लिए दमन चक्र चलाया किंतु वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए। फिर भी वहां के लोगों ने फ्रांस विरोधी संघर्ष को और अधिक शक्तिशाली बनाया। उनके संकल्प को दृढ़ बनाने में केवल फ्रांसीसियों के अत्याचार ही सहायक नहीं हुए अपितु यह सूचना भी सहायक हुई कि ब्रिटिश शासन के आधिपत्य से भारत की मुक्ति होने ही वाली है।

भारत की स्वतंत्रता की सूचना का इतना गहरा असर पड़ा कि पांडिचेरी के लोगों ने अपना हर्ष व्यक्त करने तथा पांडिचेरी के भारत में विलय की मांग को दुहराने के लिए

विशाल जनसभा आयोजित करने का निश्चय किया। भयाक्रांत फ्रांसीसी सरकार ने सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया जिसके फलस्वरूप जनता के असंतोष की असाधारण अभिव्यक्ति हुई। यह असंतोष अनेक विशाल 'भारत छोड़ो' प्रदर्शनों में परिणत हो गया जिससे फ्रांसीसी सरकार प्रतिबंध हटाने को बाध्य हो गई।

इसके बाद ही 1948 में जनता का एक वृहद् सम्मेलन पांडिचेरी में संपन्न हुआ जिसमें फ्रांसीसियों से वास्तविकता पहचानने और भारत छोड़ने की मांग की गई। भारत सरकार ने भी फ्रांसीसियों से यही बात कही और पांडिचेरी का मामला सुलझाने के लिए वार्ता प्रारंभ कर दी ; किंतु वहां के लोग भारत सरकार की इस पहल से प्रेरित नहीं हुए। वे भारत में हर कीमत पर विलय चाहते थे। अतः उन्होंने अपना संघर्ष और तेज कर दिया। 1954 में कुछ क्षेत्रों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। अन्य फ्रांसीसी उपनिवेशों में भी स्थिति इससे भिन्न नहीं थी। इन क्षेत्रों में भी स्वतंत्रता का तीव्र संघर्ष हो रहा था। उदाहरण के लिए, यनाम में जनता की स्वतंत्रता-वाहिनी ने 13 जून, 1954 को उस क्षेत्र का शासन अपने हाथ में ले लिया।

पांडिचेरी और अन्य स्थानों के निवासियों के ऐसे दृढ़ तथा शौर्यपूर्ण कार्यों से फ्रांसीसी लोग स्तब्ध रह गए। इन घटनाओं का व्यापक प्रचार हुआ। कुछ फ्रांसीसी समाचार-पत्रों ने फ्रांसीसी सरकार को यह परामर्श भी दिया कि वह भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश को छोड़ दे ।

जनता की मनःस्थिति भांप कर फ्रांसिसियों ने भारत सरकार से विचार-विमर्श किया। प्रारंभिक संकोच के बाद फ्रांसीसी सरकार पांडिचेरी छोड़ने को तैयार हो गई। 31 अक्टूबर, 1954 को फ्रांसीसी उपनिवेशों का वास्तविक रूप से हस्तांतरण कर दिया गया। दो वर्ष बाद, एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसमें भारत को पांचों फ्रांसीसी उपनिवेशों का पूरा नियत्रंण सौंप दिया गया। इस संधि पर टिप्पणी करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा- "इसी को मैं वास्तविक समाधान मानता हूं।"

गोवा का विलय

स्वतंत्र भारत में गोवा के विलय की प्रक्रिया भी निर्विघ्न नहीं थी। इसका कारण पुर्तगालियों का कठोर रुख था । वे गोवा को अपनी प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते थे और उस पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहते थे। उनकी यह धारणा भारतीय जनमत के प्रतिकूल थी। जो गोवा पर पुर्तगाली आधिपत्य को भारत की मान-मर्यादा पर आघात समझता था। भारत सरकार ने पुर्तगालियों को गोवा छोड़ देने के लिए राजी करने का भरसक प्रयास किया । वास्तव में उसने पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में इसी उद्देश्य से एक कार्यालय भी स्थापित कर दिया था किंतु भारत के सभी सुझाव अस्वीकृत हो जाने तथा कूटनीतिक प्रयास विफल हो जाने पर 11 जून, 1953 को यह कार्यालय बंद कर दिया गया।

कूटनीतिक प्रयासों के विफल हो जाने पर 'गोवा राष्ट्रीय समिति' नामक संस्था गठित हुई। इसका उद्देश्य गोवा को भारतीय संघ में विलय करने के लिए गोवा के सभी राष्ट्रीय दलों के कार्य-कलापों का समन्वय करना तथा आंदोलन को तेज करना था । इस आंदोलन की मुख्य घटनाओं में 18 जून, 1954 को सत्याग्रह का आयोजन किया जाना, अनेक सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी और राष्ट्रीय तिरंगा (ध्वज) का फहराया जाना था। 'गोवा पीपुल्स पार्टी' तथा जनसंघ समर्थित 'स्वतंत्र गोवा' के स्वयंसेवकों द्वारा 22 जुलाई को दादरा और उसके बाद नगर हवेली पर आधिपत्य हो जाना एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी। 15 अगस्त, 1955 को गोवा आंदोलन ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया। उस दिन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने गोवा, दमन और दीव में प्रवेश किया। इस प्रक्रिया में 200 प्रदर्शनकारी मारे गए।

भारत को उत्तेजित करने के लिए यह पर्याप्त था। भारत के प्रधान मंत्री ने पुर्तगाली व्यवहार को निर्दयतापूर्ण और बर्बर कह कर उसकी भर्त्सना की। भारत के सभी मुख्य नगरों में हड़ताल हो गई। नवबंर 1961 में पुर्तगालियों ने एस.एम. साबरमती जहाज के एक नाविक पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। इसके अतिरिक्त अंजादेव में एक मछुवारे को मार डाला। अतः इस स्थिति से वापस लौटने का सवाल ही नहीं उठता था ।

अंत में, भारत सरकार ने गोवा, दमन व दीव को पुर्तगाली अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए 'ऑपरेशन विजय' प्रारंभ कर दिया। यह अभियान 17 व 18 दिसंबर, 1961 की मध्य रात्रि में जनरल जे.एन. चौधरी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। 19 दिसंबर को अपराह्न 2 बज कर 25 मिनट पर 'ऑपरेशन विजय' समाप्त हो गया और भारतीय फौजों ने गोवा, दमन तथा दीव में तिरंगा झंडा फहरा दिया। इस प्रकार भारत भूमि पर विदेशी अस्तित्व समाप्त हो गया।

विदेशों से संबंध

आपने पहले अध्याय में पढ़ा है कि स्वतंत्रता के बाद से ही भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत गुट-निरपेक्षता का

रहा है। वह अन्य देशों की विदेश नीति को प्रभावित करने के प्रयास में एक नई विश्वव्यवस्था की आवश्यकता पर बल देता रहा है जो एक ओर साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नस्लवाद, जातीय शोषण और हर प्रकार के आतंकवाद का विरोध करती है और दूसरी ओर यह सह-अस्तित्व के सिद्धांत तथा पारस्परिक निर्भरता को बढ़ावा देती है। इसके अलावा, भारत अपने पड़ोसियों अर्थात् पाकिस्तान, चीन, बांग्ला देश, नेपाल, श्री लंका, बर्मा (म्यांमार) और भूटान के साथ मधुर तथा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है। भारत का दृढ़ विश्वास है कि पड़ोसियों से अच्छे संबंध रहने पर गरीबी तथा सामाजिक पिछड़ापन दूर किया जा सकता है तथा स्थायी शांति और समृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। अधिकांश पड़ोसी भारत के इस दृष्टिकोण से सहमत हैं और वे समान हितों के मामलों में मिल-जुल कर कार्य करते हैं ।

किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि भारत और उसके पड़ोसियों में मतभेदों को उत्तेजित करने के अवसर नहीं आते। उदाहरण के लिए, कुछ प्रकरण इस प्रकार हैं : चीन का भारत पर आक्रमण (1962) तथा भारत के एक बड़े भू-खंड पर उसका कब्जा; पाकिस्तान द्वारा भारत पर 1947-48, 1965, 1971 और 1999 में आक्रमण तथा जम्मू और कश्मीर के एक भाग पर आधिपत्य; भारत व बांग्लादेश के मंध्य गंगा नदी के पानी पर विवाद और बांग्लादेश द्वारा चकमा जनजाति के शरणार्थियों को वापस लेने से इंकार ; श्री लंका में तमिलों की राजनीतिक स्थिति का प्रश्न। मतभेद के कुछ अन्य प्रकरण भी हैं जिनको कूटनीतिक ढंग से सुलझाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे अवसर भी आए जब भारत और उसके पड़ोसियों के संबंधों में कटुता आने लगी। किंतु महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अनेक प्रकरण जो भारत और पड़ोसियों के मध्य द्विपक्षीय प्रकृति के थे, आपसी वार्ता द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिए गए। शेष अन्य समस्याओं को भी सुलझाने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास किए गए तथा किए जा रहे हैं, जिससे भारत तथा उसके पड़ोसियों में व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को भी बढ़ावा मिल सके और विश्वस्तर पर आतंकवाद का सामना किया जा सके। वस्तुतः भारत ने अपने पड़ोसियों से कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए अनेक समझौते किए हैं।

दुर्भाग्य से भारत और पाकिस्तान के संबंध वास्तव में अधिक सौहार्दपूर्ण नहीं हैं। दोनों पड़ोसियों में कटुता का मुख्य कारण जम्मू और कश्मीर है। पाकिस्तान का कहना है कि वह जम्मू और कश्मीर के बिना अधूरा है तथा उसका भारत में विलय किया जाना गैर-कानूनी है। ऐसा तर्क देते समय वह यह भूल जाता है कि जम्मू और कश्मीर 26 अक्टूबर, 1947 को भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इस तिथि को उसके शासक हरी सिंह ने, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत रजवाड़ों के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करने हेतु एकमात्र अधिकार प्राप्त था, विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उनके द्वारा हस्ताक्षरित यह विलय-पत्र वैसा ही था जैसा कि अन्य रजवाड़ों का था।

भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि कश्मीर समस्या का हल 1972 के शिमला समझौता के आधार पर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, भारत का यह भी कहना है कि वह पाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर सहित सभी समस्याओं पर विचार करने को तैयार है। यदि पाकिस्तान भारत के दृष्टिकोण को समझ लेता है और शिमला समझौते के अंतर्गत द्विपक्षीय मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए आगे आता है तो स्थिति में अवश्य सुधार आएगा।

भारत-अमेरिका संबंध

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 1947 से 10 सितंबर, 2001 तक के संबंध बहुत अधिक मैत्रीपूर्ण नहीं रहे । दूसरे शब्दों में, विश्व के दो प्रख्यात लोकतंत्रों में जिस प्रकार की स्वाभाविक मैत्री होनी चाहिए थी, उसके प्रतिकूल उनके संबंधों का इतिहास एक प्रकार से परस्पर अविश्वास का इतिहास है। इसके कारणों को खोजने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण है अमेरिका की जम्मू और कश्मीर के प्रति नीति तथा भारत का परमाणु शस्त्र प्रसार निषेध संधि (NPT) तथा व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि (CTBT) पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर देना। इसके अतिरिक्त एक कारण भारत द्वारा 1998 में पोखरन (राजस्थान) में परमाणु परीक्षण किया जाना है। भारत अमेरिका के इस दृष्टिकोण से कभी सहमत नहीं हुआ कि जम्मू और कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और पाकिस्तान को इस संबंध में मुख्य रूप से कुछ करने का अधिकार है। भारत ने सदा से परमाणु विकल्प बनाए रखने का अधिकार अक्षुण्ण रखा है।

किंतु 11 सितंबर, 2001 को आतंकवादियों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका पर आक्रमण किए जाने के बाद के भारत-अमेरिका संबंधों में एक नया मोड़ आया है जिससे आशा की जाती है कि दोनों लोकतंत्रों में परस्पर संबंध प्रगाढ़ हो सकेंगे। इस घटना ने पूरी दुनिया को बदल दिया है और वस्तुतः आतंकवाद से संघर्ष करने में अमेरिका को

भारत से सहयोग करने को प्रेरित किया। इस दिशा में ठोस कदम नवंबर 2001 में भारत के प्रधान मंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के शिखर सम्मेलन के रूप में उठाया जा चुका है ।

रूस के साथ संबंध

भारत और रूस (पहले का सोवियत संघ) के संबंध निरंतर मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। गत पांच दशकों में दोनों देशों के बीच आश्चर्यजनक आर्थिक सहयोग रहा है। हमारे भारी उद्योगों के विकास और रक्षा-संबंधी तैयारी में मास्को की अहम् भूमिका रही है। विश्व स्तर पर न तो मास्को ने और न नई दिल्ली ने कभी एक-दूसरे के विरुद्ध किसी अन्य देश से संधि करने का विचार किया।

सोवियत काल में भारत-रूस संबंधों के संदर्भ में अनेक ऐतिहासिक घटनाएं हुईं। उनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण घटनाएं हैं : भारत-रूस शांति, मित्रता और सहयोग संधि, जिस पर तीस वर्ष पूर्व हस्ताक्षर किए गए थे तथा कश्मीर प्रकरण से संबंधित ताशकंद समझौता (1966)। यह समझौता भारत और पाकिस्तान द्वारा, मास्कों की पहल पर, हस्ताक्षरित किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भी नई दिल्ली और मास्को के संबंध मैत्रीपूर्ण बने हुए हैं। भारत और रूस शांति और आर्थिक सहयोग के लक्ष्य समान हैं।

यद्यपि भारत और रूस दो भिन्न संस्कृतियों एवं सभ्यता वाले देश हैं तथापि अधिकांश रूप में उनकी समस्याएं एक समान हैं। अतः यह स्वाभाविक है कि दोनों देशों के संबंध सौहार्दपूर्ण बने हुए हैं और ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक तथा प्रौद्योगिक चुनौतियों पर आधारित घनिष्ठता अभिव्यक्त करते हैं।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत विश्व की महान शक्ति बनने की अपनी अंतः क्षमता को अक्षुण्ण रखते हुए विश्व की महान् शक्तियों के साथ निकट संबंध बनाए रखने का प्रयास करता रहा है।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

   (i) क्या रजवाड़ों ने संविधान सभा में भाग लिया था?

   (ii) भारतीय संविधान निर्माताओं के कार्य किस प्रकार के थे, वर्णन कीजिए।

   (iii) स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल के योगदान की विवेचना कीजिए। उन्हें भारत का लौहपुरुष क्यों कहते हैं?

   (iv) भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशों के नाम लिखिए।

   (v) उन क्षेत्रों के नाम लिखिए जो पुर्तगाल के अधीन थे।

   (vi) पांडिचेरी के स्वतंत्रता संग्राम पर टिप्पणी लिखिए।

   (vii) गोवा का भारत में विलय किस प्रकार हुआ?

   (viii) 'ऑपरेशन विजय' का वर्णन कीजिए तथा उसका महत्त्व बतलाइए।

   (ix) भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत क्या है?

   (x) भारत और उसके पड़ोसियों के संबंधों की प्रकृति का वर्णन कीजिए ।

   (xi) चीन,पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्री लंका से भारत के संबंधों में मुख्य मतभेद कौन-से हैं?

   (xii) भारत और पाकिस्तान के संबंधों का वर्णन कीजिए।

   (xiii) 11 सितंबर, 2001 के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों की विवेचना कीजिए।

   (xiv) रूस के साथ भारत के संबंधों पर प्रकाश डालिए।

2. जोड़े बनाइए :

(i) बी. आर. अंबेडकर	संविधान सभा के अध्यक्ष
(ii) राजेंद्र प्रसाद	भारतीय रजवाड़ों का विलय
(iii) सरदार वल्लभ भाई पटेल	प्रारूप समिति के अध्यक्ष
(iv) पुर्तगाल	पांडिचेरी
(v) फ्रांस	गोवा

3. नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथन के आगे (✓) का चिह्न तथा गलत के आगे (x) का चिह्न लगाइए।

(i) भारत में हैदराबाद का विलय सरलता से हो गया। ( )

(ii) जम्मू और कश्मीर 26 अक्टूबर, 1947 को भारत का अभिन्न अंग बन गया। ( )

(iii) वी.पी. मेनन भारत के लौहपुरुष के रूप में प्रसिद्ध हैं । ( )

(iv) भारत की आस्था गुट-निरपेक्षता की नीति में नहीं है । ( )

(v) गोवा में पुर्तगालियों का नियंत्रण 1961 में समाप्त हो गया। ( )

इकाई दो

आधुनिक राष्ट्र का निर्माण

बीसवीं शताब्दी की विश्वव्यापी घटनाओं की पृष्ठभूमि में आप भारत का अध्ययन कर चुके हैं। उसमें आपको विश्व की तत्कालीन गतिविधियों का आभास मिल गया होगा। अब इस इकाई में आप पढ़ेंगे कि आधुनिक भारत किस प्रकार अस्तित्व में आया। संक्षेप में, आप यह भी अध्ययन करेंगे कि स्वाधीनता प्राप्ति के समय भारत किन परिस्थितियों से घिरा हुआ था। हम यह भी अध्ययन करेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमारे नेताओं ने इस विशाल तथा विविधतापूर्ण देश की जनता की मांगों एवं आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया। प्रारंभ से ही हर कदम पर लोकतंत्रीय सिद्धांतों का क्रियान्वयन किया गया। संविधान सभा, जिसने संविधान बनाया था, लोकतंत्रात्मक ढंग से निर्वाचित की गई थी। इस संविधान में विश्व के महान लोकतंत्रात्मक देशों के संविधानों की विशेषताएं परिलक्षित [illegible] भाषाओं और संस्कृतियों वाला यह देश लोकतंत्र, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष तथा राष्ट्रीय अखंडता के सिद्धांतों पर शासित किया जा सकता है। अतः संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय भारतीय राज्यव्यवस्था की इस विविधता को ध्यान में रखा। उन्होंने न केवल विस्तृत संविधान का निर्माण किया वरन् उसमें लोकतांत्रिक कार्यपद्धति का भी विस्तार से उल्लेख किया। प्रत्येक वयस्क को सरकार निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया। प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र और समान है तथा उसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है। इससे स्वस्थ जनमत के निर्माण में सहायता मिलती है। राजनीतिक रूप से जागरूक नागरिक जनमत निर्माण के साधनों पर कड़ी निगाह रखते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया भी समय की कसौटी पर खरी उतरी और इससे अधिकांशतः स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में सहायता मिली। बहुदलीय प्रणाली ने विपक्ष के विकास में योगदान दिया जिसके अभाव में सही अर्थों में लोकतंत्र का अस्तित्व संभव नहीं हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारतीय लोकतंत्र के क्रियान्वयन में कोई बाधा नहीं है। बाधाएं तो हैं, फिर भी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की उपलब्धियां विश्व के दृश्य-पटल पर अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं।



8 संविधान का निर्माण

इस इकाई का प्रारंभ दो मानचित्रों के साथ किया जा रहा है। प्रथम मानचित्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय का भारत चित्रित है। दूसरा मानचित्र आज के भारत का राजनीतिक चित्र प्रस्तुत करता है। आप दोनों मानचित्रों का अध्ययन कीजिए तथा 1947 और 2002 के भारत के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे बड़ा काम उन 500 से अधिक रियासतों के एकीकरण का था, जिसका अध्ययन आप.प्रथम इकाई के अंतिम पाठ में कर चुके हैं। स्वतंत्र भारत के सामने यह बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती का सामना भली-भांति किया गया जिससे संपूर्ण राष्ट्र ने संतोष की सांस ली। कुछ भी हो, भाषा, धर्म तथा क्षेत्रीय विविधताओं से युक्त नए भारत का निर्माण सचमुच बहुत ही कठिन कार्य था। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का कार्य संपन्न हो गया। परंतु भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का कार्य कितने वाद-विवाद के बाद संपन्न हो पाया, इसका भी एक संक्षिप्त इतिहास है। आप इसके विषय में अवश्य जानना चाहेंगे।

अंग्रेजी को संपर्क भाषा स्वीकार करते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा का स्तर प्रदान किया गया। संविधान में (हिंदी सहित) 15 भाषाओं की सूची दी गई है। उसके बाद से अब तक इस तालिका में तीन भाषाओं के नाम और जोड़े गए हैं।

संविधान में दी गई भाषाओं का चार्ट बनाइए
और उसे अपनी कक्षा में लगाइए।

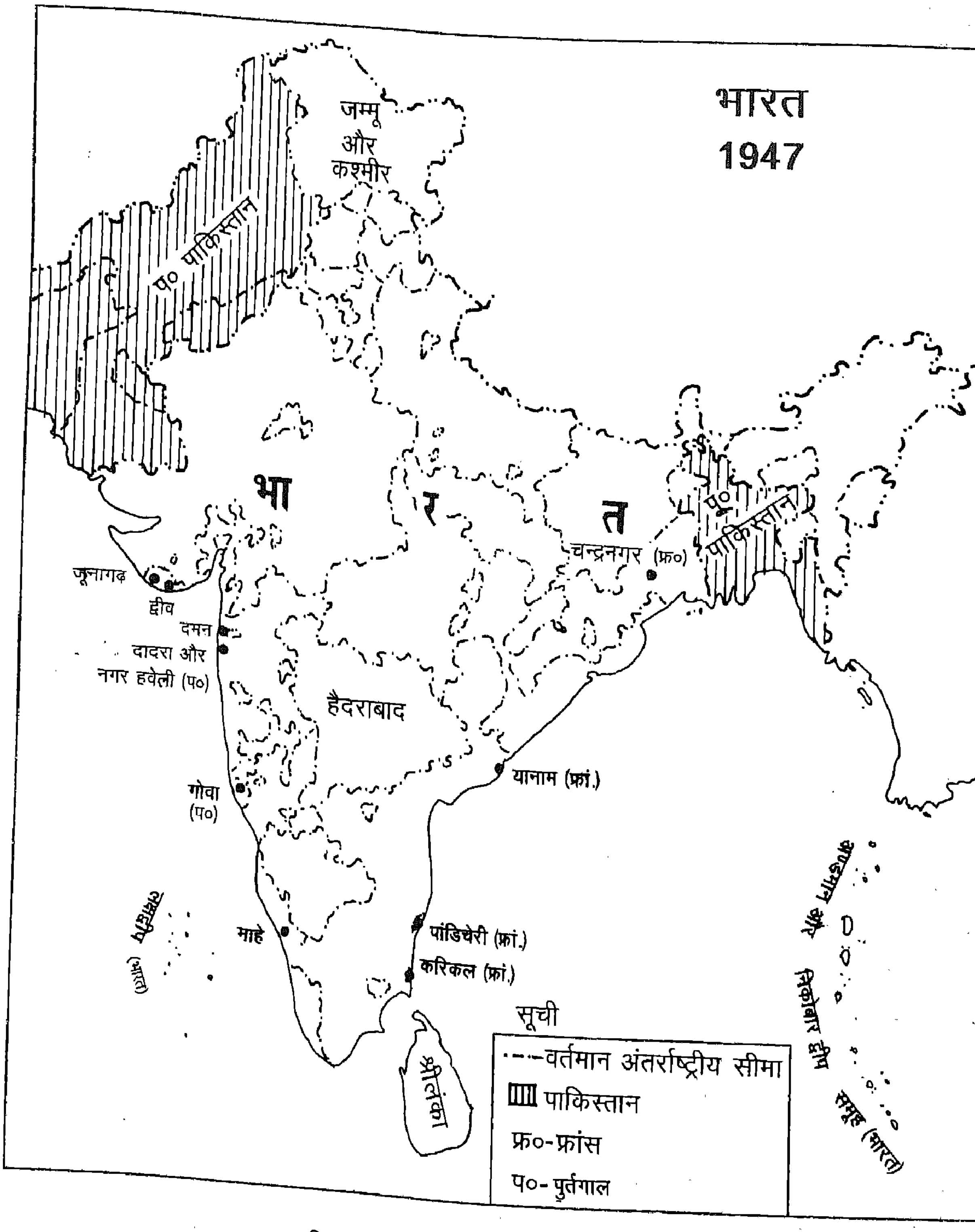
प्रांतों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन किए जाने से यह स्पष्ट हो गया कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं को यथासंभव पूरा करना चाहती थी।

1956 में किया गया राज्यों का पुनर्गठन अंतिम नहीं था। 1956 के बहुत बाद, जनता की मांग को ध्यान में रखकर कुछ नए राज्य बनाए गए। ऐसे राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, गोआ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा हैं। अभी हाल में ही छत्तीसगढ़, झारखंड तथ उत्तरांचल नामक तीन नए राज्यों का निर्माण किया गया है।

अब आप पुनः भारत के राजनीतिक मानचित्र का अवलोकन करें और राज्यों तथा "केंद्रशासित" प्रदेशों की कुल संख्या ज्ञात करें। "केंद्रशासित प्रदेश" शब्द आपको अपरिचित सा लग सकता है। इस संबंध में आप आगे पढ़ेंगे। परंतु इसके पहले कि आप राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विषय में पढ़ें, आपको भारत के संविधान की जानकारी होना परम आवश्यक है। संविधान कैसे बना? किस प्रकार संविधान निर्माताओं ने अपने कठिन परिश्रम तथा अनुकरणीय समर्पण भाव से यह आलेख तैयार किया?

26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया और भारत को "गणतंत्र" घोषित किया गया। तब से लेकर आज तक यह दिन "गणतंत्र दिवस" के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा द्वारा यह संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था, परंतु यह 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। इस कार्य के लिए 26 जनवरी 1950 को ही क्यों चुना गया? इस तिथि के चयन के पीछे भी इतिहास है जो आप प्रथम इकाई के पांचवे अध्याय में पहले ही पढ़ चुकें हैं। 1929 दिसंबर को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का संकल्प लिया था और 1930 में 26 जनवरी प्रथम बार तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यही कारण है कि हमारे नेताओं ने भारतीय संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तिथि निश्चित की, जो भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक है।

भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करने से पहले यह जान लेना रुचिकर होगा कि संविधान का प्रारूप किस प्रकार तैयार किया गया। किंतु इसके पहले कि हम संविधान निर्माण के विषय में पढ़ें, क्या आप यह नहीं जानना चाहेंगे कि संविधान है क्या ?



चित्र 8.1 : *1947 में भारत का राजनीतिक मानचित्र*



भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

© भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2002

समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।

चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।

इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परन्तु अभी सत्यापित होनी है।

इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।

आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

चित्र 8.2 : *2002 में भारत का राजनीतिक मानचित्र*

संविधान का अर्थ

संविधान स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति करता है। प्रत्येक स्वतंत्र देश अपना संविधान बनाता है। यह सरकार के मूल ढांचे को निश्चित करता है जिसके अंतर्गत जनता पर शासन किया जाता है। यह सरकार के मुख्य अंग – विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। संविधान न केवल प्रत्येक अंग के अधिकारों को परिभाषित करता है वरन् उसके उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित करता है। यह तीनों अंगों के मध्य पारस्परिक संबंध तथा इनका जनता से संबंध स्थापित करता है। संक्षेप में, संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार कार्य करती है। संविधान देश के सभी नियमों से श्रेष्ठ होता है। प्रशासन तंत्र द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून संविधान के अनुरूप होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, संविधान में लिखित कानून जिन्हें आधारभूत कानून भी कहा जाता है, स्रोत की भांति हैं जिनके आधार पर किसी देश के प्रशासन हेतु नियम तथा विनियम बनाए जाते हैं।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान का महत्त्व और भी अधिक है। लोकतंत्र में सरकार के क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। यह ऐसी सरकार होती है जिसमें सरकार की शक्तियां स्पष्ट रूप से परिभाषित रहती हैं। इस सरकार में नागरिक के अधिकारों का भी स्पष्ट विवरण दिया होता है। सरकार तथा नागरिकों की गतिविधियों की सीमाएं किस प्रकार निर्धारित की जाएं, यह संविधान द्वारा निश्चित किया जाता है। इस प्रकार आप देखते हैं कि संविधान एक आलेख मात्र नहीं है, अपितु यह क्रियाशील संस्थाओं की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं के साथ निरंतर विकसित होता रहता है। प्रत्येक संविधान की सार्थकता तथा विषय-वस्तु उसके क्रियान्वयन के तरीके तथा उसे क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति पर निर्भर है। इस प्रकार, संविधान एक जीवित आलेख होता है।

क्या आप बता सकते हैं कि किसी देश का संविधान किस प्रकार उस देश की स्वतंत्रता का प्रतीक होता है ?

भारतीय संविधान कैसे निर्मित हुआ ?

भारत का संविधान, जो लोकतंत्र, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय अखंडता जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों का आधार स्तंभ है। दीर्घकालीन वाद-विवाद तथा विचार-विमर्श के उपरांत भारतवासियों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित किया गया है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष के परिणामस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र देश बन गया।

द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ हो जाने पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में तेजी आई। यह युद्ध मई 1945 में समाप्त हुआ। इसी वर्ष जुलाई में इंगलैंड में नई सरकार जिसके विषय में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, सत्ता में आई। इस सरकार ने भारत के संबंध में अपनी नीति घोषित की। ब्रिटेन के सम्राट की ओर से संविधान सभा बनाने का उद्देश्य घोषित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतंत्रता के प्रश्न का समाधान ढूंढने के लिए अपने तीन मंत्रियों को भारत भेजा। इन मंत्रियों का दल "कैबिनेट मिशन" के नाम से जाना जाता है।

कैबिनेट मिशन ने संविधान की रूपरेखा के संबंध में विचार-विमर्श किया तथा संविधान सभा द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली निर्धारित की। भारतीय प्रांतों के लिए नियत की गई 296 सीटों के निर्वाचन का काम जुलाई-अगस्त 1946 में पूरा कर लिया गया। भारत के स्वतंत्र होने के साथ-साथ संविधान सभा पूर्ण रूप से प्रभुतासंपन्न संस्था हो गई। सभा ने 9 दिसंबर से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया।

यह सौभाग्य था कि जब भारत स्वतंत्र देश के रूप में उभरा तो यहां सुयोग्य नेताओं का एक विशिष्ट समूह विद्यमान था। इनमें से कुछ नेता जो संविधान सभा के लिए चुने गए थे, अपने कार्य की गंभीरता के प्रति पूरी तरह से सचेत थे। उनकी दूरदर्शिता तथा राजनीतिक अंतर्दृष्टि संविधान में परिलक्षित हुई, जो देश का सर्वोच्च कानून है। विभिन्न संप्रदायों के इन महान पुरुषों तथा महिलाओं को स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने का महत्त्वपूर्ण काम सौंपा गया। देश के सभी भागों से लोग संविधान सभा में सम्मिलित थे और इस प्रकार इसने भारत का एक लघु रूप धारण कर लिया।



राजेन्द्र प्रसाद

संविधान सभा के सदस्य भारत के विभिन्न संप्रदायों तथा विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित थे। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य भी थे। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह आदि कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने सभा में होने वाले विचार-विमर्श के दौरान पथ-प्रदर्शन किया। सभा में अनुसूचित जातियों के भी तीस से अधिक सदस्य सम्मिलित थे। फ्रैंक एंथोनी ने ऐंग्लों-इंडियन समुदाय का तथा एच.पी. मोदी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, बी.आर. अंबेडकर, के.एम. मुंशी जैसे संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ भी इस सभा के सदस्य थे। सरोजिनी नायडू तथा विजयलक्ष्मी पंडित प्रमुख महिला सदस्य थीं।



बी.आर. अंबेडकर

राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष चुने गए। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अंबेडकर थे।

संविधान सभा की 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अंतराल में 166 बैठकें हुईं। अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। सभा के ख्याति-प्राप्त सदस्यों ने इसके एक-एक करके प्रत्येक अनुच्छेद पर गहरा विचार-विमर्श किया। संविधान में ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस तथा अमरीका के संविधानों की कुछ विशिष्टताओं का समावेश किया गया।

अध्यापक की सहायता से भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस तथा अमरीका की एक-एक विशेषता ज्ञात कीजिए।

यद्यपि संविधान सभा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई थी तथापि इसके अधिवेशन प्रेस तथा जनता के लिए खुले रहते थे। समाचारपत्रों को जनता का दृष्टिकोण तथा उनका परामर्श प्रकाशित करने की स्वतंत्रता थी। इस प्रकार संविधान में भारतवासियों के विचारों एवं उनके अभिमतों का भी समावेश किया गया है।

संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया। 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हुआ। क्या आपको स्मरण है कि 26 जनवरी की तिथि क्यों चुनी गई? इस पाठ के प्रारंभ में लाहौर अधिवेशन तथा पूर्ण स्वराज के विषय में पढ़कर आपको याद आ जाएगा। संविधान में निहित दर्शन जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसके उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया है।

उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु

- भारत एक स्वतंत्र, प्रभुतासंपन्न गणराज्य है।
- भारत 'ब्रिटिश भारत' कहे जाने वाले क्षेत्र, भारतीय रियासतों तथा 'ब्रिटिश भारत' और रियासतों के बाहर के उन क्षेत्रों का जो स्वतंत्र भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं, संघ होगा।
- संघ में सम्मिलित होने वाले क्षेत्र संविधान द्वारा निश्चित की गई सीमाओं अथवा केंद्र में निहित शक्तियों के अतिरिक्त स्वायत्तशासी इकाइयों के रूप में सरकार तथा प्रशासन की सभी शक्तियों का उपभोग करेंगे।
- स्वतंत्र एवं प्रभुता संपन्न भारत संघ तथा उसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न घटकों की शक्ति का स्त्रोत जनता होगी।
- भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का आश्वासन, कानून के समक्ष स्तर तथा अवसर की समता, भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रताएं प्राप्त होंगी।
- अलपसंख्यक वर्गों, पिछड़ी जातियों, जनजातियों, दलित तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
- भारतीय गणतंत्र की भौगोलिक अखंडता तथा इसके भू-भाग, समुद्र तथा वायुमंडल क्षेत्र पर इसकी संप्रभुता की रक्षा न्यायोचित तथा सभ्य राष्ट्रों के कानूनों के अनुसार की जाएगी।
- यह राज्य विश्व शांति तथा मानव मात्र के कल्याण की उन्नति में अपना संपूर्ण तथा स्वैच्छिक योगदान करेगा।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, जिसके विषय में आप आगामी अध्याय में पढ़ेंगे, इन उद्देश्यों में निहित दर्शन को समाहित किया गया है। प्रस्तावना की शब्दावली उन आधारभूत मूल्यों तथा पथ-प्रदर्शक सिद्धांतों को दर्शाती है जिन पर भारत का संविधान आधारित है।

अभ्यास

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

   (i) संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान 26 नवंबर -------- को पारित किया गया।

   (ii) संविधान सभा की -------- बैठकें हुई।

   (iii) कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष का संकल्प -------- अधिवेशन में किया।

   (iv) राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के -------- थे।

   (v) बी.आर. अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के -------- थे।

2. संविधान किसे कहते हैं ?
3. आपके विचार से लोकतांत्रिक देशों में संविधान का महत्त्व अपेक्षाकृत क्यों अधिक होता है ?
4. 1947 तथा 2002 के भारत के राजनीतिक मानचित्रों का अंतर अपने शब्दों में समझाइए।

परियोजना कार्य

- संविधान सभा के सदस्यों के चित्रों का एलबम बनाइए तथा उसे अपने पुस्तकालय में सबके अवलोकनार्थ रखिए।

9 भारतीय संविधान की विशेषताएं

जैसा कि आप जानते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों तथा उसमें निहित सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किए जा सकते। कोई भी व्यक्ति इस बात को लेकर न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता कि सरकार द्वारा प्रस्तावना को क्रियान्वित नहीं किया गया है। फिर भी प्रस्तावना संविधान के प्रकाश-स्तंभ की भांति है।

संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करने से पहले प्रस्तावना के विषय में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। 1976 तक प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 1976 में इसमें 'समाजवादी,' 'पंथ निरपेक्ष' तथा 'राष्ट्र की एकता तथा अखंडता' शब्द जोड़ दिए गए हैं। जब आप संविधान की विभिन्न विशेषताओं के विषय में पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि संविधान में प्रस्तावना की भावना किस प्रकार परिलक्षित हुई है।

विस्तृत एवं लिखित संविधान

भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। यह बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति द्वारा बनाया गया है। क्या आपको स्मरण है कि इसको पूरा करने में संविधान सभा को कितना समय लगा? यदि स्मरण न हो तो पिछले अध्याय को पढ़ कर ज्ञात कीजिए। संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है तथा इसमें 395 धाराएं तथा 8 अनुसूचियां हैं। (बाद में चार अनुसूचियां और बढ़ाई गई हैं।)

विश्व के अन्य किसी संविधान में इतना सूक्ष्म विवरण नहीं दिया गया है जितना कि भारत के संविधान में। संविधान में केंद्र, राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर प्रशासनिक ढांचे के अतिरिक्त नागरिकता, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व, केंद्र-राज्य संबंध, व्यापार तथा वाणिज्य सेवाएं, निर्वाचन, आपातकालीन उपबंध तथा प्रतिनिधित्व का भी विशद वर्णन किया गया है। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के समय भारत को अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा था। हमारे संविधान निर्माता संविधान में ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे जिससे भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न हो जाए। वे संविधान के किसी भाग को अस्पष्ट नहीं रखना चाहते थे। उनका विचार था कि कोई भी बात संदेह के घेरे में नहीं रहनी चाहिए। परिणामतः संविधान अत्यंत विस्तृत और विशाल हो गया।



जवाहरलाल नेहरू संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए

संशोधन-प्रक्रिया

क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान को 'जीवित आलेख' क्यों कहा जाता है ? संविधान सभा के कुछ सदस्य लिखित और विस्तृत संविधान बनाना चाहते थे। वे प्रत्येक विवरण को लिपिबद्ध कर देना चाहते थे जब कि विशेषज्ञों का एक समूह ऐसा भी था जो द्रुत गति से परिवर्तित होते हुए भारतीय समाज के प्रति सचेत था। ऐसे गतिशील समाज को सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों से संबंधित सुविस्तृत कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। उनका तर्क

प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को संपूर्ण
प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष,
लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके
समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, **धर्म**
और उपासना की **स्वतंत्रता;**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता,**
प्राप्त कराने के लिए;

तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाला **बंधुत्व** बढ़ाने के लिए
दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में**
आज दिनांक 26 नवंबर, 1949 ई.
को एतद्द्वारा इस **संविधान को अंगीकृत,**
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

था कि संविधान में इस बदलती हुई स्थिति से अनकूलन करने की क्षमता होनी चाहिए। यह संशोधन समुचित कानूनी प्रक्रिया द्वारा ही संभव है। संविधान में संशोधन की तीन प्रक्रियाओं का उल्लेख है। पहली प्रक्रिया के अनुसार संसद के दोनों सदनों के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किए हुए प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के बाद संशोधन हो जाता है। दूसरी प्रक्रिया के अनुसार संशोधन के लिए विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के अनुसार संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। तत्पश्चात् वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाता है। संशोधन की तीसरी प्रक्रिया सचमुच अत्यंत जटिल है। दूसरी प्रक्रिया में वर्णित संसद के दोनों सदनों के विशिष्ट बहुमत के अतिरिक्त संशोधन विधेयक को कुल राज्यों की कम से कम पचास प्रतिशत विधायिकाओं का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए।

शिक्षक की सहायता से संविधान में दी गई विभिन्न संशोधन प्रक्रियाओं से संबंधित एक-एक विषय का उल्लेख कीजिए।

प्रभुतासंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य

संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रभुतासंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। भारत प्रभुतासंपन्न राज्य है। यह बाहरी नियंत्रण से सर्वथा मुक्त है। आंतरिक रूप से यह अपनी नीतियां निर्धारित कर सकता है। इस कार्य में इसे कोई विदेशी सत्ता आदेशित नहीं कर सकती। भारत अपनी विदेश नीति निर्धारित करने में भी स्वतंत्र है।

आपके विचार से भारत कब प्रभुतासंपन्न घोषित हुआ ?

भारत एक लोकतंत्र है। जनता सभी स्तरों पर अपनी सरकार को वयस्क मताधिकार द्वारा चुनती है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और जो किसी कारण से मताधिकार से वंचित नहीं किया गया है, निर्वाचन में अपना मत देने का अधिकारी होता है। जाति, धर्म, रंग, लिंग अथवा शिक्षा के आधार पर बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।

प्रारंभ में भारत में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। बाद में यह आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पता करिए कि ऐसा कब किया गया।

प्रस्तावना में भारत को गणराज्य घोषित किया गया है। इसका अर्थ है कि राज्य का प्रधान अर्थात् राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होगा। ब्रिटेन के सम्राट की भांति राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होता है।

समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष राज्य

संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी पंथ-निरपेक्ष राज्य कहा गया है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार द्वारा यहां के नागरिकों को राजनीतिक समता प्रदान की गई है। परंतु सामाजिक तथा आर्थिक समता के अभाव में समता का अधिकार अधूरा ही है। भारत ऐसे समाज के निर्माण का प्रयास करेगा जिसमें व्यक्तियों के बीच आर्थिक असमता अधिक न हो।

भारत एक पंथ-निरपेक्ष राज्य है। धार्मिक विश्वासों में विभिन्नता के बावजूद कानून की दृष्टि में सभी नागरिक

समान हैं। सरकार ऐसी नीतियां नहीं बना सकती जो भारत में रहने वाले व्यक्तियों में धर्म या संप्रदाय के आधार पर भेदभाव करती हो।

संघात्मक विशेषताएं

आप जानना चाहेंगे कि संघात्मक सरकार किसे कहते हैं? संघात्मक सरकार में सरकारों के दो स्तर होते हैं – संघ सरकार (भारत के संविधान में 'यूनियन' शब्द का प्रयोग किया गया है।) तथा राज्यों की सरकारें। संविधान में दोनों प्रकार की सरकारों के कार्य-क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है।

किंतु भारत के संविधान में 'संघात्मक' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि 'भारत राज्यों का संघ है'। संविधान में उन विषयों का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है जिनके संबंध में केंद्र तथा राज्यों की सरकारें कानून बना सकती हैं। इसे केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन कहा जाता है। संविधान में केंद्र तथा राज्य सरकारों की शक्तियों की सीमा-रेखा विभिन्न विषयों की सूची बनाकर सुनिश्चित कर दी गई है। इन सूचियों को 'केंद्र सूची', 'राज्य सूची' तथा 'समवर्ती सूची' कहा जाता है। राष्ट्रीय महत्त्व के विषय जैसे रक्षा, विदेश संबंध, आणविक ऊर्जा, बैंकिंग, डाक-तार आदि केंद्र सूची में सम्मिलित किए गए हैं। इस सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। केंद्र सूची में 97 विषय हैं। राज्य सूची में जिन विषयों का उल्लेख है उन पर राज्यों की सरकारें कानून बना सकती हैं। पुलिस, स्थानीय स्वशासन, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची में 66 विषय हैं। शक्ति-विभाजन की किसी संदिग्धता से बचने के लिए संविधान में एक तीसरी सूची भी दी गई है जिसे 'समवर्ती सूची' कहा जाता है। इस सूची के विषय - केंद्र और राज्य - दोनों सरकारों के लिए समान महत्त्व के हैं। सामान्यतया इस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य - दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। किंतु यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों में विरोधाभास हो तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। इस सूची में दीवानी तथा फौजदारी दंड प्रक्रिया, विवाह और तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन तथा ट्रेड यूनियन जैसे विषय सम्मिलित हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। हमारे संविधान निर्माता दोनों सरकारों के बीच शक्ति-विभाजन को अधिक सुनिश्चित कर देना चाहते थे। अतः तीनों सूचियों के अतिरिक्त उन्होंने 'अवशिष्ट शक्तियों' का भी प्रावधान कर दिया है। वे विषय जो शक्ति-विभाजन में सम्मिलित नहीं हैं, अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। यह सोचा गया कि कुछ ऐसे विषय भी हो सकते हैं जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में न हो। ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है।

अन्य संघों से भिन्न, भारत में राज्यों की अपेक्षा केंद्र अधिक लाभप्रद स्थिति में है। केंद्र सूची में विषयों की संख्या भी अधिक है तथा वे विषय राष्ट्रीय महत्त्व के हैं। समवर्ती सूची पर भी केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्ति प्राप्त है। क्या आप बता सकते हैं, कैसे? शक्ति-विभाजन के अतिरिक्त किसी संघ में सामान्यतया दोहरी नागरिकता होती है। संयुक्त राज्य अमरीका एक संघ है। वहां पर प्रत्येक व्यक्ति संयुक्त राज्य का भी नागरिक है और अपने संबंधित राज्य का भी। किंतु भारत में केवल इकहरी नागरिकता है। निर्वाचन के समय यहां पर नागरिक एक व्यक्ति अथवा भारतवासी के रूप में मतदान करता है न कि बंगाली, पंजाबी, तमिल अथवा गुजराती के रूप में। संविधान में कुछ अन्य प्रावधान भी हैं जिन्हें आपातकालीन प्रावधान कहा जाता है। इसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया है जिनमें आपातकाल घोषित किया जा सकता है। आपातकाल में केंद्र को और अधिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जिनका अध्ययन आप आगे करेंगे।

संसदात्मक प्रणाली

भारत में संसदात्मक सरकार है। इस प्रणाली में संसद सर्वोच्च होती है और जनता का प्रतिनिधित्व करती है। केंद्र की विधायिका को पार्लियामेंट अथवा संसद कहा जाता है। संसद द्विसदनात्मक है अर्थात् इसमें दो सदन हैं।

उन राज्यों के नाम ज्ञात कीजिए जहां द्विसदनात्मक विधायिका है।

यद्यपि केंद्र का शासन राष्ट्रपति के नाम पर तथा राज्यों का शासन राज्यपाल के नाम पर किया जाता है, तथापि वास्तविक प्रशासन मंत्रि-परिषद् द्वारा किया जाता है जिसका प्रमुख केंद्र में प्रधान मंत्री तथा राज्यों में मुख्य मंत्री होता है। मंत्रि-परिषद्, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यह जनता के प्रतिनिधियों से निर्मित होती है। यही तथ्य विधायिका या संसद को सर्वोच्च बनाता है।

कल्याणकारी राज्य

संविधान में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है। कल्याणकारी राज्य का अर्थ ऐसे राज्य से है जिसमें राज्य के सारे कार्य जनता के कल्याण की दृष्टि से किए जाते हैं। ऐसे राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा कृषि जैसे विषयों को उतना ही महत्त्व दिया जाता है जितना सुरक्षा तथा विदेश संबंध को।

उपर्युक्त के अतिरिक्त पांच अन्य विषयों के नाम ज्ञात कीजिए जो जनकल्याण से संबंधित हैं।

राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों का उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है। इनके विषय में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे।

आपातकालीन प्रावधान

भारतीय संविधान की एक अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषता आपातकालीन उपबंध हैं। कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब सामान्य परिस्थितियों की भांति शासन चलाना असंभव प्रतीत होता है। ऐसी विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए संविधान में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। आप इन प्रावधानों के विषय में आगामी अध्याय में पढ़ेंगे।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका

संविधान द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। आप पढ़ चुके हैं कि भारत में सरकारों के दो स्तर हैं। यदि दोनों प्रकार की सरकारों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो न्यायपालिका की भूमिका क्रिकेट मैच के अम्पायर की भांति होगी। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका निष्पक्ष होकर निर्णय करेगी। संविधान में व्यवस्था की गई है कि केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक विवाद के मामले (ऐसे मामले जो संविधान से संबंधित हों) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय हमारी न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय है। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे।

भारत का संविधान अपने विशाल आकार के अनुरूप अनेक विशेषताओं से युक्त है। इस अध्याय में आपने केवल उन विशेषताओं के बारे में जाना है जिनकी सरकार के क्रियाकलापों में अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इन विशेषताओं के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषताएं भी हैं जैसे - मूल अधिकार, नीति-निदेशक तत्त्व, मूल कर्तव्य। इन सबके विषय में आप आगे अध्ययन करेंगे।

अभ्यास

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1. संविधान की प्रस्तावना अत्यंत महत्त्वपूर्ण क्यों है?
2. संविधान में संशोधन की तीन प्रक्रियाओं से आप क्या समझते हैं?
3. भारत का संघात्मक स्वरूप अन्य संघों से किस प्रकार भिन्न है?
4. संसदात्मक शासन प्रणाली क्या हैं?
5. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :
   (i) समवर्ती सूची
   (ii) अवशिष्ट शक्तियां
   (iii) प्रभुतासंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य
   (iv) समाजवादी पंथ-निरपेक्ष राज्य
   (v) कल्याणकारी राज्य

परियोजना कार्य

- अपने विद्यालय के पुस्तकालय से संविधान की प्रति प्राप्त कीजिए। चार्ट पेपर पर संविधान के एक भाग, एक अनुच्छेद तथा एक सूची को अंकित करिए तथा उसे अपनी कक्षा में लगाइए।

10 सरकार
कार्यपालिका तथा विधायिका

पिछले अध्याय में आपने भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में पढ़ा है। आप जानते हैं कि भारत एक संघ है। जहां एक सरकार केंद्र में हैं तो वही दूसरी ओर राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें हैं। इन सरकारों का गठन तथा कार्य संसदात्मक शासन प्रणाली के मानदंडों तथा परंपराओं के अनुसार किए जाते हैं। केंद्र तथा राज्यों की सरकारों के तीन अंग होते हैं – कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। इस पाठ में हम कार्यपालिका तथा विधायिका के विषय में विचार करेंगे। हम सरकार की कार्यप्रणाली में लोक सेवाओं की भूमिका के संबंध में भी विचार करेंगे।

संघ की कार्यपालिका

केंद्र की कार्यपालिका, जिसे संघ कार्यपालिका भी कहते हैं, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रि-परिषद् को मिलाकर बनती है।

राष्ट्रपति

भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होता है। संघ की महत्त्वपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित होती हैं। कार्यपालिका द्वारा सारे कार्य उसी के नाम पर किए जाते हैं। वह राज्य का प्रधान होता है और भारतीय गणतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है।

योग्यताएं, निर्वाचन तथा कार्यकाल

राष्ट्रपति भारत की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। ब्रिटेन जैसे देशों में राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता वरन् वंशानुगत उत्तराधिकार के सिद्धांत के आधार पर अपना पद प्राप्त करता है। भारत में राज्य का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है। इसीलिए इसे गणतंत्र कहा जाता है।

भारत का नागरिक जिसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी हो सकता है। उसे संघ या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद प्राप्त न हो तथा उसमें लोक सभा का सदस्य बनने की योग्यता हो।

राष्ट्रपति का चुनाव एक समिति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है जिसे निर्वाचक मंडल कहते हैं। इस निर्वाचक मंडल में राज्यों की विधान सभाओं तथा संसद के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित रहते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है।

राष्ट्रपति पांच वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। अवधि समाप्त होने पर वह दुबारा भी चुनाव लड़ सकता है। उसे प्रतिमाह 50,000 रु. वेतन के रूप में मिलता है। यह वेतन उसके कार्यकाल में घटाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है।

कार्यकाल समाप्त होने के पहले राष्ट्रपति को एक विशेष प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को 'महाभियोग' कहते हैं। राष्ट्रपति पर संविधान की अवहेलना करने के आरोप पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरूद्ध आरोप लगाकर प्रारंभ की जा सकती है। आरोप एक नोटिस के रूप में होता है जिस पर सदन की कुल संख्या के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यह नोटिस राष्ट्रपति को प्रेषित कर दिया जाता है और उसके चौदह दिन बाद उस पर विचार किया जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। पारित हो जाने के बाद प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाता है जो आरोपों की जांच करता है। इस प्रक्रिया की अवधि में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होकर अथवा प्रतिनिधि भेजकर अपने बचाव में तर्क तथा तथ्य उपस्थित करने का अधिकार है। यदि दूसरा सदन भी दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को महाभियोग के आधार पर अपदस्थ कर दिया जाता है।

राष्ट्रपति को अपदस्थ करने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल बनाई गई है क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति का स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

राष्ट्रपति की शक्तियां

राष्ट्रपति को अनेक अधिकार प्राप्त हैं। वह साधारण काल तथा आपातकाल में अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है।

किंतु इन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधान मंत्री तथा मंत्रि-परिषद् द्वारा किया जाता है।

कार्यपालिका संबंधी शक्तियां

संविधान के अनुसार केंद्र सरकार की संपूर्ण कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। वह लोक सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रधान मंत्री पद पर नियुक्त करता है। प्रधान मंत्री की सलाह से वह मंत्रि-परिषद् के मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उनके विभागों का वितरण करता है। मंत्रि-परिषद् अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रह सकती है। परंतु वास्तविकता यह है कि मंत्रि-परिषद् लोक सभा के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रह सकती है। जब तक मंत्रि-परिषद् को लोक सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है तब तक उसे अपदस्थ नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति रक्षा सेनाओं का भी प्रधान होता है। वह युद्ध और शांति की घोषणा करता है तथा अन्य देशों से संधियां कर सकता है।

राष्ट्रपति महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करता है। वह राज्यपालों, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा अन्य न्यायाधीशों, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को नियुक्त करता है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूत तथा उच्चायुक्त भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दूसरे देशों के राजदूत एवं उच्च आयुक्त अपना प्रमाण-पत्र राष्ट्रपति के सामने ही प्रस्तुत करते हैं।

न्यायिक शक्तियां

कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होने के नाते राष्ट्रपति किसी अपराधी की सज़ा को कम कर सकता है तथा क्षमादान भी कर सकता है। कोई ऐसा प्रश्न जो कानून संबंधी व्याख्या अथवा सार्वजनिक हित से संबंधित हो, उस पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। परंतु परामर्श को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है।

विधायी शक्तियां

राष्ट्रपति संसद के अधिवेशनों को आमंत्रित करता तथा उनका सत्रावसान करता है। वह लोक सभा को भंग कर सकता है। उसके ये अधिकार औपचारिक हैं। वह इन अधिकारों का प्रयोग प्रधान मंत्री तथा मंत्रि-परिषद् की सलाह से ही करता है। निर्वाचन के उपरांत तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सत्र के प्रारंभ में वह उद्घाटन भाषण प्रस्तुत करता है। इस अवसर पर दिए गए अभिभाषण में वह सरकार की नीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। संसद द्वारा पारित किया गया कोई विधेयक तब तक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता जब तक उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिल जाती। वित्त विधेयक के अतिरिक्त किसी भी अन्य विधेयक को वह पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। परंतु यदि संसद का सत्र न चल रहा हो और सरकार किसी विषय पर कानून का बनाना आवश्यक समझे तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसा अध्यादेश संसद के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाता है। संसद का अगला सत्र प्रारंभ होने की तिथि से छः सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश संसद द्वारा स्वीकृत नहीं होता है तो छः सप्ताह बाद उसकी वैधता स्वतः समाप्त हो जाती है। राष्ट्रपति की अनुमति से वार्षिक बजट लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई धन विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।

आपातकालीन शक्तियां

असामान्य और असाधारण परिस्थितियों का सामना करने के लिए राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत के संविधान में तीन प्रकार के संकटों का उल्लेख किया गया है :

(i) युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट ;

(ii) किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने से उत्पन्न संकट ; तथा

(iii) वित्तीय स्थिरता अथवा भारत की साख के लिए संभावित खतरे से उत्पन्न संकट।

युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट

यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को खतरा है तो वह संपूर्ण भारत अथवा इसके किसी भू-भाग में आपात्काल की घोषणा कर सकता है। वह इस प्रकार की घोषणा मंत्रि-परिषद् की लिखित संसूचना पर ही कर सकता है। इस घोषणा को एक माह के अंदर संसद का अनुमोदन मिल

जाना चाहिए। इस आपातकालीन घोषणा के दो महत्त्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। पहला यह कि नागरिकों के मूल अधिकार नियंत्रित अथवा निलंबित किए जा सकते हैं। उदाहरणस्वरूप नागरिकों को संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। दूसरा यह कि इस काल में सामान्य संघात्मक व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। आपातकाल में देश के प्रशासन का संचालन एकात्मक व्यवस्था की भांति किया जाता है। आपातकाल में संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है तथा संघ कार्यपालिका राज्यों को आवश्यक निर्देश भी दे सकती है, परंतु यदि संसद की स्वीकृति मिल जाए तो उसकी छः माह के लिए पुनः उद्घोषणा की जा सकती है।

राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकट

यदि संबंधित राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट द्वारा अथवा किसी अन्य स्रोत से राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि उस राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चला पाना संभव नहीं हो पा रहा है तो वह उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस घोषणा के उपरांत राष्ट्रपति विधान सभा को भंग या निलंबित कर सकता है और कार्यपालिका के समस्त कार्य अपने हाथ में ले सकता है। इस काल में संसद, राज्य के लिए कानून बना सकती है और राज्य के लिए बजट भी पारित कर सकती है। राज्य का शासन राष्ट्रपति के नाम पर राज्यपाल करता है। इस प्रकार के संकट की उद्घोषणा को एक माह के अंदर संसद का अनुमोदन प्राप्त हो जाना चाहिए। "राष्ट्रपति शासन" छः माह तक प्रभावी रहता है। संसद का अनुमोदन प्राप्त करके इसे छः माह तक और बढ़ाया जा सकता है। परंतु इस प्रकार का आपातकाल तीन वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।

वित्तीय संकट

यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत की वित्तीय स्थिरता अथवा आर्थिक साख को खतरा उत्पन्न हो गया है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसे संकट के समय में राष्ट्रपति सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती कर सकता है। राज्यों की विधायिका द्वारा पारित सभी वित्त विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे। वह राज्य को वित्त से संबंधित मामलों में कुछ विशेष नियमों का पालन करने के लिए निर्देश दे सकता है।

भारत के राष्ट्रपति के उपर्युक्त अधिकारों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह सर्वाधिक शक्तिसंपन्न कार्यपालक अधिकारी है। किंतु संविधान में उसके लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधान मंत्री तथा मंत्रि-परिषद् की सलाह से ही करेगा। व्यवहार में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग प्रधान मंत्री करता है और सभी मंत्रालयों से संबंधित निर्णय राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं ।

उप-राष्ट्रपति

राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अथवा उसकी अस्वस्थता की दशा में राष्ट्रपति के सभी कार्य उप-राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे अथवा उसकी मृत्यु हो जाए तो नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होने तक उस पद पर उप-राष्ट्रपति कार्य करता है। यह निर्वाचन पद रिक्त होने के छः माह के अंदर हो जाना चाहिए। उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन एक "निर्वाचक मंडल" द्वारा किया जाता है जिसमे संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल रहते हैं। वह पांच वर्ष के लिए चुना जाता है। उप-राष्ट्रपति वही व्यक्ति हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो और वह राज्य सभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। उप-राष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है।

प्रधान मंत्री

प्रधान मंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं केंद्र सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियां औपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। किंतु इन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में प्रधान मंत्री के नेतृत्व में मंत्रि-परिषद् द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार में सर्वाधिक शक्तिशाली पद प्रधान मंत्री का है।

प्रधान मंत्री की नियुक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधान मंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है जो लोक सभा में बहुमत दल का नेता होता है। किंतु जब किसी भी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति लोक सभा के कई दलों के गठबंधन से निर्मित बहुमत का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है अथवा लोक सभा के सबसे बड़े दल के नेता को आमंत्रित कर सकता है जिसे लोक सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। प्रधान मंत्री मंत्रि-परिषद् के सदस्यों का चयन करता है जिनकी औपचारिक

रूप से नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधान मंत्री मंत्रियों के विभाग आबंटित करता है तथा किसी मंत्री को अपदस्थ भी कर सकता है। वह मंत्रि-परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह सरकार की नीतियों का निर्धारण करता है। वह विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों का समन्वय करता है। प्रधान मंत्री, योजना आयोग का, जो योजना निर्माण की केंद्रीय संस्था है, अध्यक्ष होता है। मंत्रि-परिषद् में प्रधान मंत्री की श्रेष्ठ स्थिति के कारण संपूर्ण सरकार उसी के नाम से जानी जाती है।

मंत्रि-परिषद्

मंत्रि-परिषद् का मुखिया प्रधान मंत्री होता है। इसमें तीन श्रेणियों के मंत्री होते हैं। एक श्रेणी कैबिनेट मंत्रियों की होती है जो अत्यधिक महत्त्व वाले मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। दूसरी श्रेणी राज्य मंत्रियों की होती है जिनके पास किसी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार होता है अथवा जो किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। तीसरी श्रेणी उपमंत्रियों की होती है जो कैबिनेट तथा राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं। मंत्रि-परिषद् के मंत्रियों के लिए संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि प्रधान मंत्री अथवा मंत्रि-परिषद् का कोई सदस्य संसद का सदस्य नहीं है तो उसके लिए नियुक्ति की तिथि से छः मास के अंदर संसद की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है।

मंत्रीगण अपने मंत्रालय एवं उनके विभागों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। यह उत्तरदायित्व उन्हें प्रधान मंत्री के माध्यम से सौंपा जाता है। मंत्रि-परिषद् सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह सत्ता में तभी तक रह सकती है जब तक उसे लोक सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है। यदि लोक सभा मंत्रि-परिषद् के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरे मंत्रि-परिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रि-परिषद् में लिए गए निर्णयों के लिए पूरी मंत्रि-परिषद् सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि लोक सभा किसी विशेष प्रकरण पर सरकार की नीति को अस्वीकार कर देती है तो केवल उसी विभाग का मंत्री उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता वरन् पूरी मंत्रि-परिषद् अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करते हुए त्यागपत्र दे देती है।

राज्य की कार्यपालिका

राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल तथा मुख्य मंत्री सहित मंत्रि-परिषद् को मिलाकर बनती है।

राज्यपाल

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री के नेतृत्व में मंत्रि-परिषद् की सलाह से करता है। राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। भारत का कोई नागरिक, जिसकी आयु 35 वर्ष अथवा उससे अधिक हो, राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। उसका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रह सकता है। उसे अपने पद से कार्यकाल समाप्त होने के पहले भी हटाया जा सकता है।

राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है। राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित रहती हैं। वह मुख्य मंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्य मंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेता है।

राज्यपाल को महत्त्वपूर्ण विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। वह राज्य की विधायिका के सत्रों को आहूत करता तथा उनका सत्रावसान करता है। वह किसी राज्य की विधान सभा, उसकी अवधि समाप्त होने के पहले भी भंग कर सकता है। प्रत्येक निर्वाचन के बाद के तथा प्रत्येक वर्ष विधान सभा के प्रथम सत्र में अपना अभिभाषण प्रस्तुत करता है। वह अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्य की विधायिका द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति मिलने पर ही कानून बन सकता है।

आपातकाल की अवधि में जिसे 'राष्ट्रपति शासनकाल' कहा जाता है, राज्यपाल अत्यंत महत्त्वपूर्ण शक्तियों का उपभोग करता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल की घोषणा तभी करता है जब राज्यपाल उस राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की सूचना उसे देता है। इस अवधि में वस्तुतः राज्य सरकार का संचालन राज्यपाल ही करता है।

राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति की है। व्यवहार में उसकी शक्तियों का प्रयोग मुख्य मंत्री के नेतृत्व में मंत्रि-परिषद् ही करती है। परंतु राज्यपाल अपनी कुछ शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक भी कर सकता है।

मुख्य मंत्री तथा मंत्रि-परिषद्

संविधान में राज्यपाल को अपनी शक्तियों के प्रयोग में सहायता करने तथा सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् की व्यवस्था की गई है जिसका प्रधान मुख्य मंत्री होता है। मुख्य मंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल विधान सभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्य मंत्री बनाता है। यदि विधान सभा में किसी एक दल का बहुमत न हो तो संयुक्त दलों के नेता को, जो अपना बहुमत स्थापित कर सके अथवा विधान सभा में सबसे बड़े दल के नेता को जो विधान सभा का समर्थन प्राप्त कर सके, मुख्य मंत्री पद पर नियुक्त करता है। मंत्रि-परिषद् के अन्य सदस्यों की नियुक्ति वह मुख्य मंत्री के परामर्श से करता है। व्यवहार में, राज्यपाल में निहित सभी शक्तियों का प्रयोग मुख्य मंत्री तथा मंत्रि-परिषद् द्वारा किया जाता है।

विधायिका

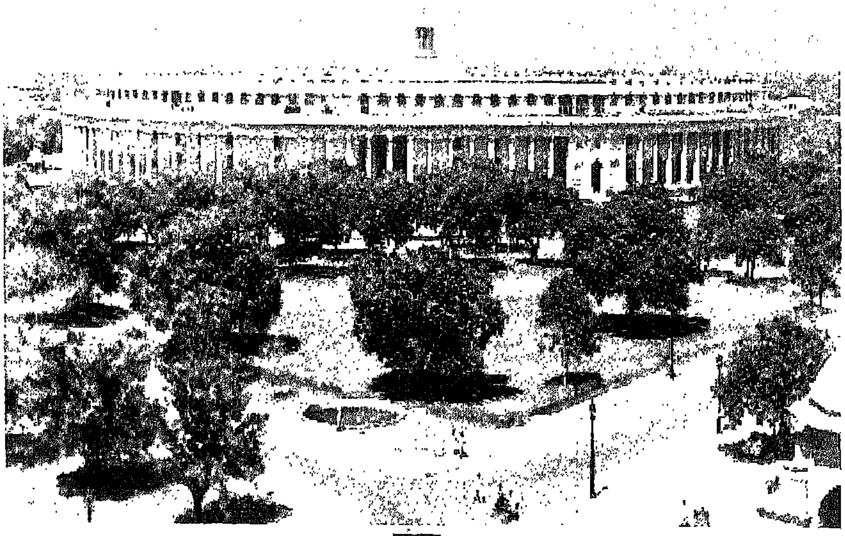
केंद्र में विधायिका को संसद कहा जाता है। संसद द्विसदनात्मक विधायिका है क्योंकि इसमें दो सदन होते हैं। प्रथम अथवा निचले सदन को लोक सभा अथवा "हाऊस ऑफ पीपुल" कहा जाता है। दूसरा अथवा उच्च सदन राज्य सभा अथवा "काउंसिल ऑफ स्टेट्स" कहलाता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद के दोनों सदनों का गठन भिन्न प्रकार से किया जाता है। उनकी शक्तियां भी समान नहीं हैं।

लोक सभा के सदस्यों की संख्या स्थिर कर दी गई है

संविधान की मूल व्यवस्था में लोक सभा के सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों की संख्या इस प्रकार निश्चित की गई थी कि यथासंभव प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या तथा उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों में एक समान रहे। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण मूल व्यवस्था में निश्चित की गई प्रतिनिधि संख्या में भी वृद्धि होती गई। लोक सभा के सदस्यों की संख्या भी 500 से बढ़कर 550 तक हो गई। जिन राज्यों की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक गति से बढ़ी वे लाभ की स्थिति में हो गए और जिन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया गया वे घाटे में रहे। इसी कारण संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1971 की जनगणना के आधार पर लोक सभा के सदस्यों की संख्या 2001 तक के लिए निश्चित कर दी गई। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार स्थिरता की यह सीमा 2026 तक के लिए बढ़ा दी गई ताकि राज्य की सरकारों को जनसंख्या संतुलित रखने का प्रयास करने की प्रेरणा मिले।

लोक सभा

लोक सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है। इसमें 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं हो सकते। इनमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों तथा 20 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है। चुने हुए सदस्यों के अतिरिक्त लोक सभा में मनोनीत सदस्य भी होते हैं। यदि लोक सभा में ऐंग्लो-इंडियन समुदाय को प्रतिनिधित्व न मिला हो तो राष्ट्रपति



संसद

इस समुदाय के दो सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए भी कुछ सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

सभी भारतीय नागरिकों को, जिनकी आयु 18 वर्ष अथवा उससे अधिक है, मत देने का अधिकार है। यही नागरिक लोक सभा के सदस्यों को चुनते हैं। लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

लोक सभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से पांच वर्ष का होता है। आपातकाल में यह कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है। किंतु आपातकाल समाप्त होने के बाद कार्यकाल छः माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। लोक सभा निर्धारित पांच वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के पहले भी भंग की जा सकती है।

लोक सभा अध्यक्ष (स्पीकर)

लोक सभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष (स्पीकर) तथा एक उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) चुनते हैं। यह अध्यक्ष लोक सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है तथा उसके कार्यों का संचालन करता है। वह किसी भी दल का सदस्य हो सकता है। परंतु एक बार अध्यक्ष हो जाने के बाद वह कार्य का संचालन निष्पक्षतापूर्वक करता है। वह सदन में व्यवस्था बनाए रखता है। सदन में मतदान के समय वह अपना मत नहीं दे सकता है। किंतु यदि दोनों पक्षों के मत बराबर हों तो वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष लोक सभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है।

राज्य सभा

राज्य सभा संसद का उच्च सदन है। इस सदन के माध्यम से राज्य केंद्र के विधायी क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इसमें अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। उनमें से 238 सदस्य राज्यों तथा केंद्रशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्य सभा का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

राज्य सभा में राज्यों के प्रतिनिधि, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। केंद्रशासित क्षेत्रों में जहां विधान सभाएं नहीं हैं वहां के प्रतिनिधि विशेष निर्वाचक मंडलों द्वारा चुने जाते हैं। राज्य सभा स्थायी सदन है। यह भंग नहीं की जा सकती। प्रत्येक दो वर्ष पर इसके एक-तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल छः वर्ष का होता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारत का उप-राष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। राज्य सभा के सदस्य अपने में से एक उपसभापति भी चुनते हैं।

संसद की शक्तियां एवं कार्य

संसद को केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। यह साधारण और धन विधेयक दोनों प्रकार के विधेयक पारित करती है। धन विधेयकों के संबंध में राज्य सभा की अपेक्षा लोक सभा को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान में संशोधन करने की शक्ति मुख्यतया संसद के पास है। यह भी अनिवार्य है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद द्वारा उसका सत्र प्रारंभ होने पर शीघ्र से शीघ्र अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा को भी संसद का अनुमोदन मिलना आवश्यक है।

संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। भारत का उप-राष्ट्रपति लोक सभा तथा राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। संसद राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर अपदस्थ कर सकती है। उप-राष्ट्रपति को भी राज्य सभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर लोक सभा का समर्थन प्राप्त करके हटाया जा सकता है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी राष्ट्रपति द्वारा तभी हटाए जा सकते हैं जब संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करें।

संसद कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है। यह वह स्थान है जहां सरकार को अपनी नीतियों का लेखा-जोखा देना पड़ता है। जब भी कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो सदस्यगण को सरकारी नीतियों के गुण-दोषों की विवेचना करने का अवसर मिल जाता है। सरकार की नीतियों के विषय में विचार-विमर्श करने के लिए संसद सर्वोच्च संस्था है।

संसद अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए कुछ नियमों का पालन करती है। इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव सम्मिलित हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव "अविश्वास प्रस्ताव" होता है। विपक्षी दल इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत

करता है कि लोक सभा का मंत्रि-परिषद् पर विश्वास समाप्त हो गया। यदि सदन का बहुमत प्रस्ताव के विपक्ष में मत देता है तो मंत्रि-परिषद् अपने पद पर बनी रहती है किंतु यदि सदन का बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करता है तो मंत्रि-परिषद् को त्यागपत्र देना पड़ेगा। विश्वास प्रस्ताव पर सरकार सदन से पक्ष में मत देने के लिए कहती है। सामान्यतया इन दोनों स्थितियों में सरकार तथा विपक्ष - दोनों को सरकार की प्रशंसा तथा आलोचना करने का अवसर मिल जाता है।

उपर्युक्त कार्य के अतिरिक्त और भी कई विधियों से संसद सदस्य, सरकार पर नियंत्रण रखते हैं जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव आदि। इन प्रस्तावों में सदस्यगण अध्यक्ष से किसी प्रकरण विशेष पर विचार-विमर्श करने की अनुमति मांगते हैं।

इस संबंध में प्रश्नकाल विशेष तौर पर महत्त्वपूर्ण होता है। चूंकि मंत्रीगण विभिन्न सरकारी विभागों के प्रधान होते हैं इसलिए सदस्यगण उनसे संबंधित विभागों के विषय में प्रश्न पूछ सकते हैं। सामान्यतया प्रश्न लिखित रूप में पूछे जाते हैं। प्रश्नकर्ता प्रश्न लिखकर सदन के सचिव को दे देता है। सामान्यता मंत्री वांछित सूचना संबंधित विभाग से एकत्र करने के लिए समय मांग लेता है। यदि कोई सदस्य अपने प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने प्रश्न को तारांकित करना होता है। ऐसे प्रश्न "तारांकित प्रश्न" कहे जाते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से वह मंत्री द्वारा सदन में दिए गए उत्तर से संबंधित कुछ अन्य प्रासंगिक सूचना भी मांग सकता है। ऐसे प्रश्नों को "पूरक प्रश्न" कहते हैं। "तारांकित प्रश्नों" के अलावा अन्य प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। मंत्रियों द्वारा दिए गए इन सभी प्रश्नों तथा पूरक प्रश्नों के उत्तर सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं।

विधायी प्रक्रिया

कानून के प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक तथा धन विधेयक। कोई विधेयक जब तक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से पारित नहीं हो जाता तब तक उसे कानून नहीं कहा जा सकता।

साधारण विधेयक

साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक किसी मंत्री अथवा सदन के किसी अन्य निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक की प्रस्तुति के बाद उसके तीन वाचन होते हैं।

प्रथम वाचन में संबंधित मंत्री अथवा निजी सदस्य सदन से विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति मांगता है। इस स्तर पर किसी प्रकार का वाद-विवाद नहीं होता है। केवल विधेयक का उद्देश्य समझा दिया जाता है।

द्वितीय वाचन के प्रथम चरण में विधेयक पर सामान्य रूप से विचार-विमर्श किया जाता है। तत्पश्चात् या तो विधेयक एक समिति को सौंप दिया जाता है अथवा उसकी प्रतियां सदस्यों में वितरित कर दी जाती हैं। द्वितीय वाचन में विधेयक की एक एक धारा पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया जाता है।

तृतीय वाचन में विधेयक को अंतिम रूप से स्वीकृति के लिए सदन के सम्मुख रखा जाता है। उसके बाद संपूर्ण विधेयक पर मतदान किया जाता है। यदि विधेयक सदन में साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक को पुनः उसी प्रक्रिया से गुजरना होता है। जब संसद के दोनों सदन विधेयक को पारित कर देते हैं तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है।

यदि विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आमंत्रित करता है जिसमें बहुमत से निर्णय लिया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोक सभा का अध्यक्ष करता है।

दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। यदि विधेयक संशोधन सहित या बिना संशोधन किए पुनः दोनों सदनों से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने के बाद विधेयक कानून बन जाता है।

धन विधेयक

संविधान में धन विधेयक को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है। उसके लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह विधेयक पहले लोक सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है

अथवा नहीं, इसका निर्णय लोक सभा का अध्यक्ष करता है। जब धन विधेयक लोक सभा से पारित हो जाता है तो राज्य सभा के पास भेजा जाता है। अपनी सिफारिशों के साथ राज्य सभा को विधेयक 14 दिन के अंदर लौटा देना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करती तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा।

राज्यों की विधायिका

प्रत्येक राज्य में एक विधायिका होती है। कुछ राज्यों की विधायिका में दो सदन होते हैं। निचले सदन को विधान सभा कहा जाता है और उच्च सदन को विधान परिषद् कहते हैं। अधिकांश राज्यों में एक ही सदन अर्थात् विधान सभा है।

विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं की सदस्य संख्या में भिन्नता है। संविधान की व्यवस्था के अनुसार किसी भी विधान सभा में 500 से अधिक अथवा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। इसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 25 वर्ष अथवा उससे अधिक हो, विधान सभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है किंतु उसे कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही भंग किया जा सकता है। विधान सभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष (स्पीकर) तथा उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) चुन लेते हैं।

विधान परिषद् का गठन भिन्न प्रकार से होता है। यह राज्य की विधान सभा से बड़ी नहीं हो सकती। इसके 1/3 सदस्य जिला परिषदों (जिला पंचायतों), नगरपालिका परिषदों तथा नगर महापालिकाओं जैसी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा, 1/12 सदस्य राज्य के स्नातकों द्वारा तथा 1/12 सदस्य माध्यमिक विद्यालयों, डिग्री कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। शेष 1/6 सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज-सेवा आदि क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव रखते हों। भारत का कोई नागरिक जो 30 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु का हो, वह विधान परिषद् का सदस्य चुना जा सकता है। विधान परिषद् एक स्थायी सदन है। प्रत्येक सदस्य छः वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। प्रत्येक दो वर्ष के बाद सदन के एक-तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं तथा उनके स्थान पर नव-निर्वाचित सदस्य आते हैं। बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए विधान परिषद् के सदस्य अपनो में से ही एक सभापति तथा एक उपसभापति चुन लेते हैं।

जैसा कि आपने संसद के बारे में पढ़ा है, राज्य की विधायिका में भी विधान सभा, विधान परिषद् की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सदन है। साधारण विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यदि किसी साधारण विधेयक को विधान सभा पारित कर दे और विधान परिषद् उसे अस्वीकृत कर दे अथवा उसमें परिवर्तन कर दे या उसे तीन माह के अंदर विधान सभा को वापस न करे तो विधान सभा उसे फिर से पारित कर सकती है। यदि विधान परिषद् उसे पुनः अस्वीकार कर दे अथवा उसमें परिवर्तन कर दे या उसे एक माह तक विधान सभा को वापस न करे तो विधेयक दोनों सदनों से पारित हुआ माना जाएगा। धन विधेयक पहले विधान सभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। विधान सभा द्वारा पारित हो जाने के बाद विधेयक विधान परिषद् में भेजा जाता है। यदि विधान परिषद् उस विधेयक को कुछ परिवर्तन के साथ वापस करती है तो विधान सभा उस परिवर्तन को स्वीकार कर सकती है अथवा अस्वीकृत भी कर सकती है। यदि विधान परिषद् 14 दिन तक कोई संस्तुति नहीं करती तो विधेयक दोनों सदनों से पारित हुआ मान लिया जाएगा। राज्य की विधायिका द्वारा पारित किया गया विधेयक राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।

नौकरशाही

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सरकार की कार्य-प्रणाली में नौकरशाही की अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे लोक सेवा भी कहा जाता है। इसके कुछ काम इस प्रकार हैं : राजस्व संग्रह, शांति व्यवस्था बनाए रखना, राजनीतिक कार्यपालिका को प्रशासनिक तथा तकनीकी सहायता देना तथा दिन-प्रति-दिन का प्रशासन करना। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के विकास कार्य भी नौकरशाही द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यह देश के विकास से संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में सरकार की सहायता करती है। राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात् मंत्रीगण अपने पद पर एक विशेष अवधि तक ही रहते हैं किंतु नौकरशाहों द्वारा स्थायी कार्यपालिका निर्मित होती है। उनके द्वारा सरकार में निरंतरता बनी रहती है। चूंकि उनमें व्यावसायिक क्षमता विकसित होती रहती है इसलिए सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन में उनका अत्यधिक सहयोग रहता है। इन लोक सेवकों से

अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखेंगे क्योंकि वे विभिन्न समयों पर विभिन्न दलों की सरकारों से संबंधित रहते हैं।

लोक सेवा आयोग

चूंकि भारत एक संघ है इसलिए लोक सेवकों की भर्ती (चयन) दो स्तरों पर होती है : केंद्र में लोक सेवकों का चयन संघ लोक सेवा आयोग की सहायता से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य के स्तर पर उनका चयन राज्य सरकार के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सहायता से किया जाता है। यद्यपि भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा चयन किया जाता है किंतु चयनित व्यक्तियों की नियुक्ति केंद्र और राज्य, दोनों मे से किसी के अधीन हो सकती है।

अभ्यास

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1. भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां तथा कार्य क्या हैं?
2. प्रधान मंत्री की शक्तियों तथा कार्यों की विवेचना कीजिए।
3. सरकार की शक्तियां क्या हैं?
4. संसद की शक्तियों और कार्यों की विवेचना कीजिए।
5. संसद में साधारण विधेयक किस प्रकार पारित होता है?
6. राज्य में विधान परिषद् का गठन किस प्रकार होता है?
7. साधारण विधेयक तथा धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया के दो प्रमुख अंतर लिखिए।
8. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :
   (i) उप-राष्ट्रपति।
   (ii) संघ की मंत्रि-परिषद्।
   (iii) लोक सभा का अध्यक्ष।
   (iv) राज्य की विधायिका।

परियोजना कार्य

- विद्यालयों में युवा संसद का एक अधिवेशन आयोजित किया जाए। इस कार्य को करने से पहले छात्रों को भली-भांति समझा दिया जाए कि लोक सभा की कार्यवाही किस प्रकार होती है।
- छात्रों को राज्य की विधान सभा अथवा संसद के प्रश्नकाल का अवलोकन करने का अवसर दिया जा सकता है। उनसे अपने अनुभवों की आख्या तैयार करने को कहा जाए तथा उस आख्या से अन्य छात्रों को भी अवगत कराया जाए।
- छात्र किसी ब्लॉक अथवा जिला मुख्यालय में जाकर प्रखंड विकास अधिकारी (B.D.O.) अथवा उप-जिलाधिकारी से उनके कार्य करने के तरीकों के विषय में विचार-विमर्श करें।

11 भारत की न्यायपालिका

भारत की संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां पर केंद्र तथा राज्यों की सरकारें एक ही समय में साथ-साथ काम करती हैं। संविधान में केंद्र तथा राज्यों के कार्य-क्षेत्रों का विभाजन कर दिया गया है। इसके लिए तीन सूचियां बनाई गई हैं : संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। परंतु फिर भी विभिन्न प्रकार की सरकारों के बीच विवाद की संभावना बनी रहती है। ऐसी परिस्थिति में न्यायपालिका निर्णायक भूमिका का निर्वहन करती है। भारत के संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों या राज्यों के आपसी विवादों का निर्णय न्यायपालिका द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका की यह भी जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों के अधिकारों का सम्मान एवं सुरक्षा भी सुनिश्चित करे। वह यह भी देखे कि सरकारें अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य न करें। भारत की न्याय-व्यवस्था अन्य संघ-राज्यों से भिन्न है। भारत में संपूर्ण देश के लिए एकीकृत न्याय-व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय का भारत की न्याय-व्यवस्था में शीर्ष स्थान है। राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की व्यवस्था है और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय हैं।

सर्वोच्च न्यायालय

भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 25 अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति इन नियुक्तियों में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श लेता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लिया जाता है।



सर्वोच्च न्यायालय

न्यायाधीशों की योग्यताएं

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है तथा वह किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में वह ख्याति-प्राप्त विधिवेत्ता हो। एक बार नियुक्त हो जाने के बाद न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है।

पदच्युति

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक विशेष प्रक्रिया द्वारा ही अपने पद से हटाया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदन एक ही सत्र में उसके व्यवहार तथा कार्यक्षमता से संबंधित प्रमाणों के आधार पर पदच्युति का प्रस्ताव पारित करें तो किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। पदच्युति का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से जो सदन की कुल संख्या का भी बहुमत हो, पारित होना चाहिए।

वेतन व भत्ते

भारत का मुख्य न्यायाधीश का वेतन प्रतिमाह 33,000 रु. है। अन्य न्यायाधीशों का वेतन 30,000 रु. है। उनको कुछ भत्ते तथा अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। सामान्यतया कार्यकाल में उनके वेतन तथा अन्या सुविधाओं में कटौती नहीं की जा सकती। अवकाश प्राप्त करने के बाद वे किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते।

क्षेत्राधिकार

सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तीन प्रकार के होते है – *प्रारंभिक, अपीलीय* तथा *परामर्श संबंधी।*

प्रारंभिक क्षेत्राधिकार

उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित प्रकार के विवादों के संबंध में व्यापक अधिकार प्राप्त हैं :

(i) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद।

(ii) एक ओर भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों की सरकारों और दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों की सरकारों के बीच विवाद।

(iii) दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद।

अपीलीय क्षेत्राधिकार

सर्वोच्च न्यायालय में तीन प्रकार के वादों की अपील की जा सकती है। प्रथम, उच्च न्यायालय के किसी निर्णय के विरूद्ध उस दशा में अपील की जा सकती है जब उच्च न्यायालय इस आशय का प्रमाणपत्र दे दे कि उस प्रकरण में संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न निहित हैं। द्वितीय, दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय के विरूद्ध अपील की जा सकती है, यदि उच्च न्यायालय इस आशय का प्रमाणपत्र दे दे कि संबंधित मामले में सारगर्भित कानूनी प्रश्न निहित है। तृतीय, फौजदारी मामलों में भी सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील की जा सकती है। यदि किसी फ़ौजदारी मामले में नीचे के न्यायालय ने अभियुक्त को निर्दोष घोषित करके छोड़ देने का आदेश दिया हो परंतु अपील होने पर उसी मामले में उच्च न्यायालय ने उसे मृत्युदंड की सज़ा दी हो या जब उच्च न्यायालय ने किसी फौजदारी मुकदमें को उसके निर्णय के पहले ही अपने पास मंगा कर उस मामले में अपराधी को मृत्युदंड देने का निर्णय किया हो, तो ऐसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय स्वयं निचले न्यायालय के किसी निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किए जाने की अनुमति दे सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए किसी निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि किसी न्यायालय में चल रहे किसी मुकदमें में कानून की व्याख्या में सारगर्भित प्रश्न निहित है तो वह उसे अपने पास मंगवा सकता है। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि भी कर सकती है।

परामर्श का क्षेत्राधिकार

सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने का भी अधिकार है। देश का सर्वोच्च न्यायालय होने के कारण राष्ट्रपति किसी मामले में इस न्यायालय से परामर्श ले सकता है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि किसी न्यायलय में कानूनी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण प्रश्न आया हो अथवा उसके आने की संभावना है तो वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों पर विचार करके अपनी सलाह राष्ट्रपति को देगा । परंतु उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय देश भर में सरकार को लागू करने पड़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का एक अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य नागरिकों के संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संरक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत यदि किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में न्याय के लिए जा सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के रक्षक के रूप में शक्ति प्रदान करता है।

अभिलेख न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका अर्थ यह है कि इस न्यायालय के सभी निर्णयों को अभिलेख (रिकार्ड) के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। इन निर्णयों को भविष्य में देश के किसी भी न्यायालय में पूर्ववर्ती उदाहरण (नज़ीर) के रूप में उद्धृत किया जाता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो वह अपनी मानहानि के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है।

उच्च न्यायालय

साधारणतया प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। किंतु दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। उदाहरण के लिए, असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा के लिए एक ही उच्च न्यायालय है।

उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या समान नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। अन्य न्यायाधीश भी इसी

प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। परंतु उनकी नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह ली जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत होते हैं। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित भी किया जा सकता है। न्यायाधीश अपने पद से उसी प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए जा सकते हैं जिस प्रक्रिया द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पदच्युत किए जा सकते हैं।

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। वह दस वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो अथवा दस वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो या राष्ट्रपति की दृष्टि में ख्याति-प्राप्त विधिवेत्ता हो। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह 30,000 रु. तथा अन्य न्यायाधीशों को 27,000 रु. प्रतिमाह वेतन के रूप में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। साधारणतया उनके कार्यकाल में उनके वेतन व भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती।

क्षेत्राधिकार

उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तीन प्रकार के हैं – *प्रारंभिक, अपीलीय* तथा *प्रशासनिक*। यदि किसी व्यक्ति, अधिकारी अथवा सरकार द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है तो *प्रारंभिक क्षेत्राधिकार* के अंतर्गत उच्च न्यायालय उससे संबंधित निर्देश, आदेश या 'रिट' जारी कर सकता है। संसद अथवा विधान सभा या स्थानीय स्वशासन संस्था के निर्वाचन को चुनौती देने वाले मामले संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यह न्यायालय, दीवानी और फ़ौजदारी मामलों का भी निर्णय करता है। इसे *अपीलीय क्षेत्राधिकार* भी प्राप्त हैं जिनके अंतर्गत यह दीवानी और फ़ौजदारी मामलों में अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध अपील सुन सकता है। *प्रशासनिक क्षेत्राधिकार* के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय *अभिलेख* का भी न्यायालय है यह अपने निर्णयों का अनुपालन न करने वाले व्यक्ति को अपनी मानहानि के लिए दंडित कर सकता है।

अधीनस्थ न्यायालय

कुछ मामूली स्थानीय भिन्नताओं के अलावा पूरे देश में अधीनस्थ न्यायालयों का गठन तथा कार्य एक समान है। सभी अधीनस्थ न्यायालय संबंधित उच्च न्यायालय की देख-रेख में कार्य करते हैं। प्रत्येक जिले में दीवानी और फ़ौजदारी अदालतें हैं। जिले में जिला न्यायाधीश की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। जिले का न्यायाधीश जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे *जिला न्यायाधीश* कहा जाता है और जब फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे *सत्र न्यायाधीश* कहा जाता है। इन न्यायालयों के अलावा उप-न्यायाधीश (सब-जज), मुंसिफ के न्यायालय तथा लघुवाद संबंधी न्यायालय भी होते हैं। जिले में द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के भी दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) होते हैं।

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से उस राज्य का राज्यपाल करता है। कोई भी व्यक्ति जो सात वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो अथवा जो संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में अधिकारी के रूप में कार्य कर चुका हो, उसे जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य पदों पर नियुक्तियां उच्च न्यायालय तथा राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऐसी नियुक्तियों के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम तीन वर्ष तक वकालत करने का अनुभव होना आवश्यक है। जिला न्यायाधीश, उप-न्यायाधीश के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करता है। यह संपत्ति, विवाह तथा तलाक के मुकदमों को सुनता है। ऐसे मामलों में जिला न्यायालय, अवयस्क तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के संरक्षण के विषय में अपने अधिकारों का प्रयोग करता है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता

लोकतांत्रिक व्यवस्था में विशेषकर नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा को देखते हुए यह आवश्यक है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका के प्रभाव से स्वतंत्र रहे। न्यायपालिका में सरकार के प्रति पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर भली-भांति सुनिश्चित की गई प्रक्रिया के अंतर्गत की जाती है। उन्हें कार्यपालिका द्वारा मनमाने ढंग से हटाया नहीं जा सकता। उनकी नियुक्ति निश्चित समय के लिए की जाती है। उनके पारिश्रमिक तथा सेवा शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीशों द्वारा उनके पद से

संबंधित कर्तव्यों के बारे में संसद अथवा विधान सभा में चर्चा नहीं की जा सकती। उनके कार्यकाल में उनके वेतन-भत्तों में उनके हितों के विरुद्ध परिवर्तन अथवा कमी नहीं की जा सकती।

लोक अदालतें तथा जनहित याचिकाएं

निर्धन तथा दलित वर्ग को शीघ्र तथा सुगमतापूर्वक न्याय दिलाने के लिए हमारे देश में एक नई व्यवस्था प्रारंभ की गई है। न्याय में विलंब समाप्त करने के लिए लोक अदालतों तथा जनहित याचिकाओं की व्यवस्था की गई हैं। लोक अदालतें लंबित प्रकरणों का शीघ्र ही निराकरण कर देती हैं। ये ऐसे मामलों का भी निपटारा कर देती हैं जो न्यायालयों में प्रस्तुत तक न किए गए हों। उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था करके एक नए अध्याय का शुभारंभ किया है। इस व्यवस्था में व्यक्ति आवेदन पत्र देकर अथवा पोस्टकार्ड पर डाक द्वारा अपनी शिकायत भेज सकता है और उस संबंध में आवश्यक आदेश पारित किए जाते हैं।

अभ्यास

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1. उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है ?
2. उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए।
3. उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है ?
4. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।
5. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :
   (i) उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार
   (ii) अधीनस्थ न्यायालय
   (iii) अभिलेख न्यायालय
   (iv) न्यायपालिका की स्वतंत्रता
   (v) लोक अदालत

परियोजना कार्य

- छात्रों को उपमंडलीय / जिला कार्यालय / उच्च न्यायालय ले जाया जाए जहां वे न्यायालय की कार्य-प्रणाली का अवलोकन करें तथा उसकी आख्या तैयार करें। विद्यालय के अन्य छात्रों के साथ उसकी चर्चा भी करें।

12 मूल अधिकार, राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व तथा मूल कर्तव्य

क्या आप जानते हैं कि चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों तथा अन्य खतरे वाले स्थानों पर काम करते हैं ? क्या आप ऐसे स्थानों पर बच्चों के काम पर लगाए जाने का विरोध नहीं करना चाहेंगे? आप ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं ?

नीचे की कक्षाओं में आपने भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के विषय में पढ़ा है। संकट के समय में ये मूल अधिकार आपकी रक्षा कर सकते हैं। ये मूल अधिकार क्या हैं ?

लोकतांत्रिक देश होने के कारण यहां के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्हें अभिव्यिक्ति की स्वतंत्रता है। संविधान में 'छः' मूल अधिकारों का आश्वासन दिया गया है। ये अधिकार संविधान के अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाग हैं। संविधान में वर्णित मूल अधिकार निम्नलिखित हैं :

(i) समता का अधिकार
(ii) स्वतंत्रता का अधिकार
(iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार
(iv) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
(v) संस्कृति और शिक्षा-संबंधी अधिकार
(vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

ये अधिकार 'मूल' क्यों कहे जाते हैं ?

ये अधिकार मौलिक एवं आधारभूत हैं। सभी व्यक्तियों को इनका उपभोग करने का अधिकार है। ये अधिकार संविधान द्वारा आश्वासित किए गए हैं। लोकतांत्रिक देश के प्रत्येक नागरिक के संतुलित एवं उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए ये अधिकार नितांत आवश्यक हैं। मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने की प्रक्रिया संविधान में दी गई है। यदि किसी नागरिक को इन अधिकारों से वंचित किया जाता है तो वह न्यायालय की शरण में जा सकता है। ये कुछ महत्त्वपूर्ण कारण हैं जो इन अधिकारों को मौलिक बनाते हैं ताकि बच्चों का अच्छे मानव के रूप में विकास हो सके।

समता का अधिकार

संविधान में इस बात का आश्वासन दिया गया है कि राज्य के सभी नागरिकों को कानून का संरक्षण समान रूप से प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में, समता के अधिकारों में यह बात निहित है कि जाति, लिंग, जन्मस्थान, वर्ण अथवा धर्म के आधार पर राज्य नागरिकों में भेदभाव नहीं करेगा। नियुक्तियां करने में भी राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। सभी व्यक्ति सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। परंतु समता के अधिकार के कुछ अपवाद भी हैं। समता के अधिकार के आश्वासन के बावजूद सरकारी सेवाओं में आरक्षण के रूप में विशेष प्रावधान किया गया है। आरक्षण की यह व्यवस्था अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिए की गई है। इसी प्रकार स्त्रियों तथा बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। हमारे समाज में आज भी विभिन्न प्रकार की असमानताएं मौजूद हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि किस प्रकार कुछ लोग असमानता के व्यवहार का शिकार होते हैं। वस्तुतः विशेष प्रावधानों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को बराबरी के स्तर पर लाकर उन्हें अन्य लोगों की समानता पर लाने का प्रयास किया गया है।

समता के अधिकार के अंतर्गत हमारे संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। अस्पृश्यता को अपराध माना गया है। अस्पृश्यता को व्यवहार में लाने वाले व्यक्ति को कानून द्वारा दंडित किया जा सकता है। इसी अधिकार के अंतर्गत सेना और शिक्षा की उपाधियों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की उपाधियों की परंपरा समाप्त कर दी गई है।

स्वतंत्रता का अधिकार

स्वतंत्रता का अधिकार वस्तुतः निम्नलिखित छः अधिकारों का समूह है :

(i) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
(ii) बिना शस्त्र लिए हुए शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता
(iii) समुदाय अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता
(iv) भारत राज्य के किसी क्षेत्र में स्वेच्छा से कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता
(v) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता
(vi) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार तथा कारोबार करने की स्वतंत्रता।

स्वतंत्रता का अधिकार कुछ बहुत ही महत्त्वपूर्ण अधिकारों का आश्वासन देता है। किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के समय प्रचलित कानून द्वारा निश्चित दंड से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को छोड़ कर अन्य किसी प्रकार से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को उसके जीवन तथा स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जाएगा जब उसने कानून का उल्लंघन किया हो या कोई अपराध किया हो। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बंदी बनाए जाने पर किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के अधिवक्ता के माध्यम से अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी। बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित करना होगा। परन्तु इस सामान्य व्यवस्था का एक अपवाद भी है। निवारक निरोध के अंतर्गत सरकार कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किए बिना बंदी बना सकती है। यह निवारक निरोध क्या है ? इसका अर्थ यह है कि यदि सरकार को संदेह हो कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र रहते हुए शांति व्यवस्था अथवा देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है तो उस संभावित खतरे को रोकने के लिए उस व्यक्ति को नज़रबंद या गिरफ्तार किया जा सकता है। परंतु ऐसा तीन माह से अधिक के लिए नहीं किया जा सकता। तीन माह के पश्चात् निवारक निरोध के मामले को समीक्षा के लिए सलाहकार बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा।

संविधान द्वारा इन अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता तथा अखंडता के हित में सरकार इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसी प्रकार सरकार नैतिकता तथा सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था के हित में भी स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

क्या आपने कभी 'बलात् श्रम' अथवा 'बेगार' शब्द सुना है ? प्रारंभिक समय में जमींदार लोग या अन्य धनी वर्ग के लोग साधारण व्यक्तियों से बिना पारिश्रमिक दिए हुए काम करवाया करते थे। इसी को 'बलात् श्रम' या 'बेगार' कहा जाता था क्योंकि इस श्रम के बदले में कोई मज़दूरी नहीं मिलती थी। अब बेगार को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है जो कानून द्वारा दंडनीय है।

संविधान ने 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से कारखानों और खदानों जैसे खतरनाक स्थानों में काम करवाना वर्जित कर दिया है। बच्चे समाज की सम्पत्ति हैं। अतः जब तक वे छोटे हैं उन्हें शिक्षा प्राप्त करने तथा आनंदपूर्ण बचपन बिताने का अवसर दिया जाना चाहिए। व्यवहार में हम उनको बहुत कम वेतन पर काम करता हुआ देखते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बालश्रम सस्ता होता है। बच्चे व्यस्कों के बराबर काम नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें कम वेतन दिया जाता है। यह संविधान में दिए गए प्रावधानों और भावनाओं का घोर उल्लंघन है। आधुनिक काल में व्यक्तियों को इस कार्य के प्रति सतर्क और जागरूक होने तथा इसके विरुद्ध जनमत निर्मित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार का शोषण नागरिक चेतना द्वारा कम किया जा सकता है। ऐसी चेतना से बच्चों के अधिकारों का संरक्षण होगा। आधुनिक काल के बच्चों के संरक्षण के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार कानूनी शस्त्र की भांति है। यह कानूनी शस्त्र इसलिए है क्योंकि यदि इस अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को धर्मपालन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे तथा किसी भी धर्म को दूसरे धर्म पर वरीयता नहीं दी जाएगी। नागरिक अपने धर्म पालन के लिए स्वतंत्र होंगे। इस अधिकार का सबसे मुख्य उद्देश्य देश में पंथ-निरपेक्षता के सिद्धांत को प्रोत्साहित करना है। राज्य द्वारा संचालित किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। धार्मिक संप्रदाय अपनी निजी संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। वस्तुतः अनेक शिक्षण संस्थाएं इस प्रकार के दान से ही संचालित की जाती हैं। परंतु इन संस्थाओं के क्रियाकलापों का आधार धर्म नहीं हो सकता। वहां के क्रियाकलाप सरकार द्वारा निश्चित किए गए नियमों के अनुसार ही संपन्न किए जाते हैं। परोपकारी संस्थाओं की स्थापना को सार्वजनिक कानून-व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

भारत अनेक धर्मों, भाषाओं तथा संस्कृतियों का देश है। इसलिए संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। किसी भी समुदाय को अपनी भाषा तथा अपनी लिपि की रक्षा करने का अधिकार है। सरकारी संस्थाओं तथा सरकार द्वारा अनुदानित संस्थाओं

में किसी नागरिक के प्रवेश में भाषा अथवा धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भाषा या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक माने जाने वाले समुदाय अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। यह कार्य उनकी अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं विकास में सहायक होते हैं।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

संवैधानिक उपचारों का अधिकार अत्यंत विशेष प्रकार का अधिकार है। यह अधिकार नागरिकों को इस बात के लिए अधिकृत करता है कि इन मूल अधिकारों में से किसी भी अधिकार को वंचित किए जाने की दशा में न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। इन अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय एक प्रहरी की भांति होता है। यदि सरकार किसी नागरिक के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग अन्यायपूर्ण ढंग से करती है अथवा उसे गैर-कानूनी ढंग से बिना किसी कारण के दंडित करती है अथवा बंदी बना लेती है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, पीड़ित व्यक्ति को सरकार द्वारा किए गए ऐसे कार्य के विरुद्ध न्यायालय से न्याय पाने में सशक्त बनाता है।

संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है। उदाहरण के लिए बंदी बनाए जाने की स्थिति में नागरिक न्यायालय से प्रार्थना-पत्र देकर पूछ सकता है कि क्या उसकी गिरफ्तारी देश के कानून के अनुकूल है? यदि न्यायालय समझता है कि ऐसा नहीं है, तो उस व्यक्ति को रिहा कर दिया जाएगा। नागरिकों द्वारा मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय की शरण में जाने की विभिन्न विधियां हैं। इसके लिए न्यायालय विभिन्न प्रकार की रिट जारी करता है। ये रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा तथा उत्प्रेषण कहे जाते हैं। अन्य मूल अधिकारों की भांति संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में भी एक महत्त्वपूर्ण अपवाद है। जब आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो केंद्र सरकार द्वारा यह अधिकार निलंबित कर दिया जाता है। आपातकाल के बाद यह अधिकार फिर से प्रभावी हो जाता है।

राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व

"लोकतन्त्र" केवल राजनीतिक शब्द नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ "जनता की सरकार" अथवा "जनता के प्रतिनिधियों की सरकार" जैसे अर्थों से कहीं अधिक व्यापक है। लोकतंत्र का उद्देश्य ऐसी सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं का सृजन करना है जिनमें रहकर कोई नागरिक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। इस दिशा में संविधान में दिए गए नीति-निदेशक तत्त्व महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति-निदेशक तत्त्व वस्तुतः केंद्र तथा राज्यों की सरकारों को संविधान द्वारा दिए गए वे निर्देश हैं जिनके आधार पर ये सरकारें ऐसी नीतियां बनाएंगी जो देश में न्यायसंगत समाज की स्थापना करने में सहायक होंगी। इनमें से कुछ सिद्धांत सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों के रूप में हैं। नीति-निर्देशक तत्त्वों की सूची में काम पाने का अधिकार, चौदह वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा जीविका के पर्याप्त साधन पाने का अधिकार सम्मिलित हैं। ये अधिकार बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं और आज के भारतीय नागरिकों को इनके उपभोग की बड़ी आवश्यकता है।

सभी नीति-निदेशक तत्त्वों का स्वरूप सामाजिक एवं आर्थिक नहीं है। उनमें से कुछ विभिन्न मामलों में सरकार को दिए गए निर्देश हैं। उदाहरण के लिए संविधान में कहा गया है कि राज्य संपत्ति को केंद्रित होने से रोकने का प्रयास करेगा। राज्य सुनिश्चित करेगा कि कारखानों से संबंधित निर्णय लेने में वहां के श्रमिकों की भी भागीदारी हो। राज्य, पंचायती राज संस्थाओं की उन्नति तथा उनका विकास करेगा। राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पशुपालन की उन्नति करेगा तथा गाय और अन्य दुधारू पशुओं के वध तथा मद्यपान को रोकने का प्रयास करेगा। कुटीर उद्योगों की उन्नति, वन, देश के वन्यजीवों तथा प्राचीन स्मारकों की रक्षा की भी आवश्यकता है। अंततः, महत्त्वपूर्ण बात यह है की राज्य को सदैव ऐसी नीतियों का पालन करना चाहिए जिससे अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास हो सके तथा विश्वशांति बनी रहे।

क्या नीति-निदेशक तत्त्वों से वंचित किए जाने पर कोई व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है?

इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है। मूल अधिकारों तथा नीति-निदेशक तत्त्वों में अंतर है। मूल अधिकार से वंचित किए जाने पर व्यक्ति न्याय के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है परंतु क्या इसका अर्थ यह है कि नीति-निदेशक तत्त्व निरर्थक तथा संविधान की सजावट मात्र है? पुनः इसका उत्तर नकारात्मक है। क्या दोनों कथनों में विरोधाभास है? नहीं, ऐसा नहीं है। नीति-निदेशक तत्त्व ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिससे नागरिकों का जीवन सुविधापूर्ण तथा सार्थक बनता है। यदि सरकार इन दशाओं का सृजन करने में असफल रहती है तो नागरिकों को स्वतंत्रता रहती है कि आगामी निर्वाचन में उसके विरुद्ध मतदान करके नई सरकार निर्वाचित करें। मतदाता की इस शक्ति के कारण नीति-निदेशक तत्त्व यथार्थ में बदल जाते हैं। इस इक्कीसवीं सदी में, नागरिक मानवों के साथ होने

वाले अमानवीय व्यवहार के प्रति सचेत हैं। अतः हमारे नीति-निर्माताओं को इस स्थिति को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण करना चाहिए ताकि हमारा जीवन जीने योग्य बन जाए। केवल मूल अधिकारों से ही नहीं बल्कि उनके साथ-साथ नीति-निदेशक तत्त्वों का सामंजस्य स्थापित करके सरकार ऐसे समाज का सृजन कर सकती है जिसमें न्याय तथा कल्याण का वातावरण सुनिश्चित हो सके।

मूल कर्तव्य

मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए संवैधानिक दायित्व हैं। वस्तुतः ये सामाजिक और नैतिक दायित्व देश की शांति एवं उन्नति को सुनिश्चित करने के लिए है।

मूल कर्तव्य संविधान में 1976 में सम्मिलित किए गए। इन कर्तव्यों का प्रयोजन नागरिकों में देशभक्ति की भावना में वृद्धि करना, राष्ट्र को सुदृढ़ बनाना, देश की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा करने के लिए आचार संहिता का पालन कराना तथा समरसता की भावना विकसित करना है।

इन मूल कर्तव्यों के अनुपालन द्वारा नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि वे - (i) संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र-ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें ; (ii) स्वतंत्रता संग्राम के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा उनका पालन करें ; (iii) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे ; (iv) देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें ; (v) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं ; (vi) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें ; (vii) प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, और उसका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें ; (viii) वैज्ञानक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें ; (ix) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहें ; (x) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई-नई ऊंचाइयों को छू ले।

अभ्यास

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिएः

1. अधिकारों को मूल क्यों कहा जाता है?
2. समता के अधिकार के किहीं दो अपवादों का उल्लेख कीजिए।
3. राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों में से किन्हीं पांच तत्त्वों का उल्लेख कीजिए।
4. राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व किस प्रकार अत्यंत प्रभावशाली हो सकते हैं?
5. संविधान में मूल कर्तव्यों को क्यों सम्मिलित किया गया है?
6. किन्हीं पांच मूल कर्तव्यों का उल्लेख कीजए।
7. "स्वतंत्रता का अधिकार छः स्वतंत्रताओं का समूह है।" इस कथन की व्याख्या कीजिए।
8. "संवैधानिक उपचारों का अधिकार अत्यंत विशिष्ट अधिकार है।" इस अधिकार की विशिष्टता क्या है?
9. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :
   (i) शोषण के विरुद्ध अधिकार
   (ii) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
   (iii) संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

परियोजना कार्य

- भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों तथा मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा की धाराओं का तुलनात्मक चार्ट बनाइए।

13 भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार कार्य करता है

सार्वभौम वयस्क मताधिकार

आपकी दृष्टि इस वाक्य पर अवश्य पड़ी होगी कि भारत विश्व का विशालतम लोकतंत्र है। पिछले पाठ में आप पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान के आधारभूत सिद्धांतों में से एक सिद्धांत लोकतंत्र का सिद्धांत भी है। भारत का लोकतंत्र विश्व में विशालतम इसलिए है कि सरकार को निर्वाचित करने वाले भारतीय मतदाताओं की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। आपको विदित है कि जनता केवल केंद्र सरकार का ही निर्वाचन नहीं करती है बल्कि राज्य सरकारों तथा स्थानीय स्तर की सरकारों का भी निर्वाचन करती है। संविधान की आधारभूत विशेषताओं का अध्ययन करते समय आपने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के विषय में भी पढ़ा होगा।

संविधान सभा का सबसे अधिक साहसपूर्ण कार्य भारतवासियों के लिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकार करना और उसे अंगीकृत करना था। संविधान सभा का यह कार्य अत्यंत साहसिक इसलिए था क्योंकि उस समय का भारत अधिकांशतः निरक्षर, निर्धन तथा रूढ़िवादी व्यक्तियों का देश था। निरक्षर, निर्धन और रूढ़िवादी व्यक्तियों को अपनी सरकार निर्वाचित करने का अधिकार देना वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। भारत सही अर्थ में एक लोकतंत्र के रूप में उभरकर आया जहां वयस्क मताधिकार के आधार पर 13 आम चुनाव हो चुके हैं।

संविधान सुनिश्चित करता है कि भारत के लोग स्वतंत्र एवं समान हैं और उन्हें जाति, धर्म, रंग, लिंग अथवा जन्म स्थान का भेद किए बिना मतदान करने का अधिकार है। वयस्क मताधिकार की प्रणाली "एक व्यक्ति एक वोट" के सिद्धांत पर आधारित है। यह देश में राजनीतिक समानता सुनिश्चित करती है। संविधान में निहर्ताओं का उल्लेख है। जो लोग दिवालिया या मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है।

लोकतंत्र का प्रभावी ढंग से कार्य करना नागरिकों की गुणवत्ता पर निर्भर है। सरकार का निर्वाचन करने वालों को सदैव जागरूक रहना चाहिए और उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही उन्हें अपने देश तथा विश्व की अद्यतन घटनाओं से अवगत रहना चाहिए। यह आवश्यक है कि वे अपनी ज्ञानवृद्धि के लिए समाचारपत्रों, रेडियो, टेलीविजन, सार्वजनिक सभाओं तथा अन्य प्रचार-प्रसार के साधनों का उपयोग करें। दुर्भाग्य यह है कि यद्यपि वयस्क मताधिकार प्रत्येक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले नागरिकों को वोट देने को अधिकृत करता है तथापि सभी नागरिक अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करते। कुछ लोग आलस्य के कारण और कुछ मात्र उदासीनता के कारण अपना वोट डालने नहीं जाते। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतदान केंद्र पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि वे किसी भी प्रत्याशी को नहीं जानते। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं जो नागरिकों को मतदान से विमुख करते हैं। मतदाताओं का यह आचरण लोकतंत्र को कमज़ोर बनाता है। नागरिकों को यह स्मरण रखना चाहिए कि निर्वाचनों में मतदान करना नागरिकों का अधिकार ही नहीं है, यह उनका कर्तव्य भी है।



एक महिला मतदाता अपना वोट डाल रही है

पता करो कि तेरहवें आम चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत कितना था ?

जनमत

लोकतंत्र में विभिन्न समस्याओं पर जनता का मत ज्ञात किया जाता है। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता का आधार जनता है। अधिकांशतः यह जनमत पर निर्भर है। प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में प्रत्येक सरकार को अपनी नीतियों के संबंध में जनता की प्रतिक्रिया जानना आवश्यक होता है। कोई भी सरकार यह नहीं चाहेगी कि वह एक ही बार सत्ता में आए। वस्तुतः वह सत्ता में बनी रहना चाहती है। दुबारा सत्ता में आना आगामी चुनाव पर निर्भर है और यह इस बात पर निर्भर है कि सत्ता में रहकर उसके द्वारा किए गए कार्यों के विषय में जनता की प्रतिक्रिया क्या है। सत्ता में आने, सरकार बनाने तथा आगामी वर्षों में सत्ता में बने रहने के लिए सुदृढ़ जनमत की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। जनमत ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है कि सरकार न तो कुशासन कर सकती है और न देश की उपेक्षा कर सकती है। जागरूक एवं प्रबुद्ध जनता यदि भली-भांति तथ्यों से अवगत रहती है, तो वह किसी भी सरकार से उपेक्षित नहीं रह सकती है। सरकार यह भी जानती है कि इस प्रकार जागरूक जनता की भावनाओं की उपेक्षा करने से वह तुरंत अलोकप्रिय हो जाएगी और अगले चुनाव में उसकी सत्ता में आने की संभावना क्षीण हो जाएगी।

जनमत निर्माण के साधन

जनमत निर्माण में सहायक विभिन्न साधन इस प्रकार हैं :

प्रिंट मीडिया

आजकल लोग विश्व की घटनाओं की जानकारी दो प्रकार के साधनों से प्राप्त करते हैं। प्रिंट मीडिया (छापेखाने द्वारा मुद्रित सामग्री) से तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा प्रसारित सूचनाओं) से। समाचारपत्र, मैगज़ीन तथा पत्रिकाओं में विश्व के समाचार छपते रहते हैं। जनमत अधिकतर प्रेस (समाचारपत्र) पर निर्भर है। समाचारपत्रों में प्रकाशित सूचनाएं यदि सही ढंग से प्रस्तुत की जाती हैं तो वे सही प्रकार का जनमत निर्माण करने में सहायक होती हैं। एक ही घटना के विषय में भिन्न-भिन्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। किंतु महत्त्वपूर्ण बात यह है कि तथ्यों का सही-सही उल्लेख किया जाए। तथ्यों का सही विवरण दिया जाना प्रेस (समाचारपत्रों) की स्वतंत्रता पर निर्भर है। कभी-कभी प्रेस व्यक्तिनिष्ठा तथा पूर्वाग्रह से प्रभावित समाचार प्रकाशित कर देते हैं।

किसी ग़लत प्रकाषित समाचार का उदाहरण दीजिए और उसके प्रभावों पर विचार-विमर्ष कीजिए।

कुछ ऐसे अवसर आते हैं जब सरकार अनावश्यक रूप से प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करती है। इससे समाचारों के स्वतंत्र प्रसार में बाधा पड़ती है। प्रेस के माध्यम से सरकार केवल अपने कार्यों और उपलब्धियों का ही प्रचार करेगी। सरकार नहीं चाहेगी कि उसकी असफलताओं और अलोकप्रिय कार्यों की जानकारी साधारण जनता को हो सके। ऐसी स्थिति में नागरिकों को सरकार की नीतियों और कार्यों के विषय में आंख और कान खुले रखने पड़ेंगे। उन्हें यह देखना होगा कि प्रेस की स्वाधीनता पर नियंत्रण न होने पाए और उन्हें विकृत समाचार के स्थान पर संतुलित समाचार प्राप्त हो सकें। समाचारपत्रों के अतिरिक्त पत्रिकाओं की भूमिका भी जनमत निर्माण में समान रूप से महत्त्वपूर्ण है चाहे वे साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक अथवा त्रैमासिक हों। भारत जैसे देश में जहां क्षेत्रीय भाषाएं भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं, विश्व की घटनाओं को प्रकाशित करने में क्षेत्रीय भाषाओं की पत्रिकाओं की भी भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है।

दो अंग्रेजी तथा दो हिंदी की पाक्षिक पत्रिकाओं के नाम बताइए।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

जनमत निर्माण में रेडियो, टेलीविज़न या सिनेमा के महत्त्व की उपेक्षा विशेषकर भारत जैसे देश में जहां निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची है, नहीं की जा सकती। वस्तुतः समाचार-पत्रों अथवा पत्रिकाओं की अपेक्षा रेडियो की पहुंच कहीं अधिक घरों में है। जो लोग पढ़ नहीं सकते, उनके लिए रेडियो या टेलीविज़न वरदान स्वरूप है। जो सुनना चाहते हैं वे रेडियो का प्रयोग कर सकते हैं। आपने समाचार सुनने के लिए लोगों को पान या चाय की दुकानों या ग्रामों, छोटे नगरों अथवा बड़े नगरों के सामुदायिक केंद्रों पर भीड़ लगाते देखा होगा। कभी-कभी आपने यह भी देखा होगा कि लोग गांवों की चौपालों में चुनाव का नतीजा सुनने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। वे केवल नतीजे ही नहीं सुनते बल्कि प्रतिक्रिया स्वरूप अपना निजी मत भी व्यक्त करते हैं, जो जनमत निर्माण में सहायक होता है।

एक अन्य साधन टेलीविज़न है जो न केवल देश-विदेश की खबरें देता है बल्कि लोगों का मनोरंजन भी करता है। एक समय था जब लोग फिल्म देखने सिनेमा हॉल में जाया करते थे। अब लोगों के पास विकल्प है। चाहे वे फिल्म देखने सिनेमा हॉल में जाए अथवा घर में बैठ कर टेलीविज़न में देखें। किंतु आज भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं। सिनेमा में अस्पृश्यता, जातिवाद, दहेज़ प्रथा, गरीबी अथवा लिंगभेद आदि की समस्याओं का भी चित्रण रहता है। हम जो कुछ भी सिनेमा या टेलीविज़न सीरियल में देखते हैं, वह हमारे मस्तिष्क पर एक छाप छोड़ जाता है और हमारे विचारों और कार्यों को प्रभावित करता है। परिणामस्वरूप, यह स्वस्थ अथवा हानिप्रद जनमत का निर्माण कर सकता है। इन साधनों (मीडिया) के हानिप्रद प्रभावों को नियंत्रित करने तथा उन्हें रचनात्मक रूप से अधिक सार्थक बनाने के लिए उपाय करने होंगे। इनके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों तथा राजनीतिक दलों की भी जनमत निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके विषय में आप आगे पढ़ेंगे।

लोकतंत्र में शासक (सरकार) तथा शासित (जनता) दोनों को धैर्यवान तथा सहिष्णु होना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि जनमत को महत्त्व दे। जनता को भी चाहिए कि वह विचारों की विभिन्नता को सहन करे तथा दूसरों के विचारों का सम्मान करे। तभी जनमत निर्माण के विभिन्न माध्यमों से सभी वर्गों के विचारों की अभिव्यक्ति हो पाएगी। लोकतंत्र में कोई राजनीतिक दल सदा के लिए सत्ता में नहीं रह सकता है। यह भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता कि चुनावों का नतीजा क्या होगा। बहुमत वाला दल आगामी चुनाव में अल्प मत में आ सकता है। जनता का मत क्या होगा - यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

निर्वाचन

यह कहा जाता है कि चुनाव लोकतंत्र का मापन यंत्र है और राजनीतिक दल तथा प्रत्याशीगण निर्वाचन की जीवनरेखा हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, निर्वाचन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के कार्यों का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करते हैं। निर्वाचन राजनीति की नई प्रवृत्तियों को जन्म देता है जिनसे देश का भविष्य-पथ निर्मित होता है। निर्वाचन के समय निर्वाचकों को भी देश के सामाजिक-आर्थिक परिवेश का मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार निर्वाचन एक ऐसा परिदृश्य प्रस्तुत करता हैं जहां मतदाताओं को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी ढंग से मतदान करना महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

निर्वाचन जनता का समर्थन पाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य होने वाली प्रतियोगिता है। कभी-कभी व्यक्ति निर्दलीय होकर चुनाव लड़ सकता है। जो भी राजनीतिक दल सबसे अधिक लोगों का समर्थन प्राप्त करता है, वही सत्तारूढ़ होता है और सरकार बनाता है। परन्तु कभी-कभी ऐसा भी होता है जब किसी एक दल को विधायिका में बहुमत नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में एक से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। कभी ऐसी स्थिति भी आती है जब सर्वाधिक मत पाने वाला दल किसी एक अन्य दल अथवा दलों के बाह्य समर्थन से सरकार बना लेता है।

पता करिए कि केंद्र में वर्तमान सरकार का गठन किस प्रकार हुआ ?

कुछ भी हो, राजनीतिक दलों को निर्वाचन के द्वारा जनता का समर्थन प्राप्त करना ही होता है। चुनाव सार्वभौम मताधिकार प्रणाली के आधार पर लड़ा जाता है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं।

उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव

आप यह जानते हैं कि लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाएं सामान्यतया पांच वर्षों के लिए चुनी जाती है। किंतु यह आवश्यक नहीं है कि ये चुनाव सदैव नियत समय पर ही हों और सामान्य परिस्थिति में ही संपन्न कराए जाएं। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि की मृत्यु हो जाती है अथवा उसका पद त्यागपत्र जैसे किसी विशेष कारण से रिक्त हो जाता है तो उस निवार्चन क्षेत्र में नए चुनाव होते हैं। इस प्रकार के चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। किन्तु जब लोक सभा अथवा राज्यों की विधान सभाओं को उनकी अवधि पूरी होने के पहले ही भंग कर दिया जाता है और उनके पुनः गठन के लिए निर्वाचन कराया जाता है तो उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं।

निर्वाचन प्रक्रिया

हमारे देश में निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया एक स्वतंत्र संगठन द्वारा संचालित, नियंत्रित ओर पर्यवेक्षित की जाती है जिसे निर्वाचन आयोग कहते हैं। संसद, राज्यों के विधान मंडल, राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के निर्वाचनों का दायित्व, निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। निर्वाचन आयोग हमारे देश के विभिन्न निर्वाचनों की तिथियां निश्चित करता है। वह यह भी सुनिश्चित करता है कि सत्तारुढ़ दल अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा अनावश्यक लाभ न उठा पाए। यह सुनिश्चित

करने के लिए कि निर्वाचन आयोग बाह्य प्रभावों से अछूता रहे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, उनका कार्यकाल, उनकी सेवा शर्तों तथा उनके अपने पद से हटाए जाने की प्रक्रिया आदि का प्रावधान संविधान में ही कर दिया गया है।

उस मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम ज्ञात कीजिए जिसके कार्यकाल में निर्वाचन संबंधी अनेक सुधार किए गए।

चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसका अर्थ यह है कि किसी को भी यह पता नहीं चल पाता कि मतदाता किस प्रत्याशी को मत दे रहा है। उसकी पसंद को गुप्त रखा जाता है। निर्वाचन प्रक्रिया में चुनाव-तिथियों की घोषणा, नामांकन पत्रों का भरा जाना, उनकी जांच किया जाना, प्रत्याशियों के नामों का वापस लिया जाना, चुनाव का प्रचार होना, मतदान किया जाना तथा परिणाम घोषित होना आदि सम्मिलित है। निर्वाचन की तिथियां घोषित हो जाने के बाद राजनीतिक दलों का कार्य प्रारंभ हो जाता है। राजनीतिक दलों द्वारा चयनित होने के बाद चयनित प्रत्याशी तथा निर्दलीय प्रत्याशी निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र भरते हैं। नामांकन का कार्य पूरा होने पर प्रत्याशियों का नाम वापस लेने के लिए एक तिथि निर्धारित कर दी जाती है। इस तिथि की समाप्ति पर जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में शेष रह जाते हैं वे चुनाव प्रचार करना प्रारंभ कर देते हैं। किंतु उसके पहले प्रत्येक प्रत्याशी को एक चुनाव चिह्न आबंटित किया जाता है। राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्याशी अपने दल का चिह्न प्रयोग करते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिह्न कमल और कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिह्न हाथ है। निर्दलीय प्रत्याशियों को भी निर्वाचन आयोग द्वारा आबंटित चुनाव चिह्न का प्रयोग करना पड़ता है।

चुनाव में प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न की आवश्यकता क्यों पड़ती है ?

अगला चरण चुनाव प्रचार का है जो विभिन्न प्रकार से किया जाता है। यह प्रचार सभाओं, भाषणों, जुलूसों, झंडों तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा किया जाता है। प्रत्याशियों को निर्वाचन क्षेत्रों में सभाएं करनी होती हैं। प्रत्येक दल वायदा करता है कि वह सत्ता में आने के बाद क्या कार्य करेगा। सभी दल अपना-अपना चुनाव घोषणा-पत्र प्रकाशित करते हैं। इनमें सभी दल आंतरिक तथा विदेश नीति, आर्थिक नीति तथा रक्षा नीति आदि महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। यदि ऐसा कोई दल जो सत्तारूढ़ दल के विरोध में है, तो वह स्पष्ट करता है कि वह वर्तमान सरकार से क्यों असहमत है। यदि वह दल सत्ता वाला दल है तो वह यह समझाएगा कि उसके द्वारा किए गए कार्य किन परिस्थितियों में किए गए हैं। प्रचार कार्य मतदान के लिए निर्धारित समय से 48 घंटा पूर्व समाप्त हो जाता है। मतगणना के पश्चात चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाते हैं।

आजकल मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। पता लगाइए वे क्या हैं?

राजनीतिक दल

बिना राजनीतिक दलों के कोई लोकतंत्रात्मक सरकार समुचित रूप से कार्य नहीं कर सकती। आपने निर्वाचनों के विषय में पढ़ लिया है और देखा है कि राजनीतिक दल संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के प्राणस्वरूप हैं। यदि राजनीतिक दल न होते तो चुनावों को कौन संगठित करता ? आप यह जानते हैं कि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को राजनीतिक दलों की छत्र-छाया के बिना किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निर्वाचन आयोग संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के नियंत्रण तथा संपादन हेतु एक उच्चकोटि की संस्था है और वह सभी व्यक्तियों, संगठनों एवं संस्थाओं से ऊपर है। अतः राजनीतिक दलों की भूमिका अहम् हो जाती है। वस्तुतः वर्तमान काल में लोकतंत्रात्मक सरकार राजनीतिक दलों के अभाव में कार्य नहीं कर सकती। चुनाव केवल प्रत्याशियों के बीच ही नहीं होता बल्कि राजनीतिक दलों के बीच भी होता है। आप यह पढ़ चुके हैं कि राजनीतिक दल प्रत्याशियों का चयन करते हैं तथा चुनाव प्रचार करते हैं। इन दलों के प्रत्याशी निर्वाचित होकर विधायिकाओं में जाते हैं। आप यह जानते हैं कि बहुमत प्राप्त करने वाला एक दल अथवा कई दलों का गठबंधन सरकार बनाता है। अन्य सदस्य सदन में विपक्ष के स्थान पर बैठते हैं। बहुमत वाले दल का अथवा गठबंधन वाले दल की आम सहमति से निर्वाचित नेता केंद्र में प्रधान मंत्री और राज्य में मुख्य मंत्री होता है। यदि सत्तारुढ़ दल सदन का विश्वास खो देता है तो किसी अन्य दल के किसी ऐसे नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है जो अपना बहुमत सदन में सिद्ध कर सके। इस प्रकार आपने देखा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है।

भारत में दलीय व्यवस्था

भारतीय राजनीति में कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल प्रभावी हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। आप पढ़ चुके हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार अग्रणी भूमिका रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यह एक मुख्य दल बना रहा और अधिकांश समय तक यह केंद्र तथा अनेक राज्यों में सत्तारूढ़ रहा। किन्तु 1977 के आम निर्वाचन में अनेक विरोधी दलों के विलय से संगठित जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस पार्टी पराजित हो गई। सन् 1980 में कांग्रेस पुनः सत्ता में आई और 1989 तक सत्ता में बनी रही। 1989 में एक परिवर्तन आया। यद्यपि कांग्रेस अकेले सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी किंतु यह किसी अन्य पार्टी का समर्थन न जुटा पाने के कारण लोक सभा में अपना बहुमत सिद्ध न कर सकी। नेशनल फ्रंट ने भारतीय जनता पार्टी तथा लेफ्ट फ्रंट (वाम पंथी दलों) के समर्थन से सरकार गठित की।

पता करिए कि लेफ्ट फ्रंट (वामपंथी दलों) में कौन-कौन से दल सम्मिलित थे।

नेशनल फ्रंट की सरकार अधिक दिनों तक न टिक सकी। दसवीं लोकसभा का निर्वाचन मई-जून 1991 में हुआ। कांग्रेस ने केंद्र में पुनः सत्ता संभाली। 1996 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और उसने सरकार गठित की। किंतु वह लोक सभा में निर्धारित समय के अंदर अपना बहुमत सिद्ध न कर सकी। उसे सत्ता छोड़नी पड़ी। इसके बाद यूनाईटेड फ्रंट ने तेरह पार्टियों के गठबंधन से सरकार बनाई जिसको कांग्रेस और भारतीय साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी) का बाह्य समर्थन प्राप्त था। किन्तु यह सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा न कर पाई। सन् 1998 में आम निर्वाचन के पश्चात् केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ अन्य दलों के सहयोग से सत्ता में आई।

शिक्षक की सहायता से पता लगाइए कि 1998 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल कौन-से थे।

केंद्र की भांति राज्यों में भी क्षेत्रीय दलों के स्वरूप में परिवर्तन आया।

भारत में राजनीतिक दलों के प्रकार

भारत में दो प्रकार के राजनीतिक दल हैं - राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल। राष्ट्रीय दल वे हैं जिनका प्रभाव पूरे भारत में है। किंतु राष्ट्रीय दलों की शक्ति प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न होती है। अपने को राष्ट्रीय दल कह देने मात्र से कोई दल राष्ट्रीय दल नहीं बन जाता। उसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिसका पालन प्रत्येक दल को करना होता है। निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने का आधार एक निर्धारित सूत्र है। जो दल कम से कम चार राज्यों में पिछले आम चुनाव में कुल वैध मतों का न्यूनतम चार प्रतिशत मत प्राप्त कर लेता है उसे राष्ट्रीय दल कहे जाने की मान्यता मिल जाती है। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जनता दल, भारतीय साम्यवादी पार्टी, भारतीय साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी), बहुजन समाज पार्टी का नाम राष्ट्रीय दलों के रूप में उल्लेखनीय है।

इन राष्ट्रीय दलों के अतिरिक्त कुछ क्षेत्रीय दल भी हैं। यद्यपि इन दलों का प्रभाव तथा कार्य-कलाप किसी विशेष राज्य या राज्यों तक सीमित रहता है तथापि वे अपने क्षेत्र में काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। क्षेत्रीय दलों में कुछ मुख्य दल इस प्रकार हैं : तमिलनाडु का ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (AIADMK), द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK), आन्ध्र प्रदेश का तेलगुदेशम, पंजाब का अकाली दल, उत्तर प्रदेष का बहुजन समाजवादी पार्टी तथा समाज वादी पार्टी, बिहार का राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड का झारखंड मुक्ति मोर्चा, जम्मू और कश्मीर का नेशनल कांफ्रेस और असम का असम गण परिषद्।

उपर्युक्त दलों के अतिरिक्त चार क्षेत्रीय दलों के नाम ज्ञात कीजिए।

हित समूह

लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की महत्त्वपूर्ण भूमिका के विषय में आप अध्ययन कर चुके हैं। राजनीतिक दलों के अतिरिक्त अनेक ऐसे संगठन भी होते हैं जो नागरिकों के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने संगठन में तथा सरकार के साथ रहने पर भी वे अपने हित समूह का ध्यान रखते हैं। कभी-कभी वे राजनीतिक दलों की भूमिका में पूरक का कार्य करते हैं। इन समूहों को हित समूह कहते हैं। लोकतंत्र की कार्यशैली में कभी-कभी हित समूहों का योगदान अत्यंत प्रभावशाली होता है।

अभ्यास

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएः

1. उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव में क्या अंतर है?
2. राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों का अंतर समझाइए तथा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के दो-दो उदाहरण दीजिए।
3. निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
4. लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या महत्त्व है?
5 चुनाव घोषणा-पत्र क्या है?
6. चुनाव लोकतंत्र का मापन-यंत्र है - इस वाक्य से आप क्या समझते हैं?
7. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएः
   (i) प्रिंट मीडिया
   (ii) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
   (iii) निर्वाचन आयोग
   (iv) हित समूह

परियोजना कार्य

- किसी निर्वाचन के दौरान प्रकाशित समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं से रोचक अंशों की कतरनें एकत्र कीजिए। अपने शिक्षक की सहायता से कक्षा के लिए उसका एक एलबम तैयार कीजिए। यदि निर्वाचन संबंधी कुछ अच्छे कार्टून उपलब्ध हो सकें तो उन्हें काट कर एक चार्ट पेपर पर चिपकाइए तथा बुलेटिन बोर्ड पर उसे प्रदर्शित कीजिए।

इकाई तीन

देश तथा निवासी

पिछले पृष्ठों में आपने बीसवीं शताब्दी में भारत तथा संसार के विकासक्रम की प्रमुख घटनाओं के बारे में अध्ययन किया है। इससे वर्तमान भारत को समझने में आपको सहायता मिलेगी। बीसवीं शताब्दी में हमारे देश का स्वतंत्रता-संग्राम एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति हमारे लिए सबसे महत्त्वपूर्ण घटना रही है। अपनी प्रमुख विशेषताओं के साथ भारतीय संविधान का निर्माण तथा भारतीय गणतंत्र का क्रियान्वयन, स्वतंत्रता के उपरांत नव-स्वतंत्र राष्ट्र के पुनर्निर्माण तथा विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था के स्पष्ट द्योतक हैं। यह उस देश के अनुरूप ही है जो संसार की कुछ प्राचीनतम संस्कृतियों वाले देशों में से एक है और जिसका हजारों वर्षों का इतिहास है। यद्यपि हमारे देश में लोकतंत्र की अवधारणा 600 वर्ष ई.पू. के गणसंघों से संबंधित है, लेकिन आधुनिक भारतीय लोकतंत्र केवल पचास वर्ष पुराना है। फिर भी यह संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।

इस पृष्ठभूमि के साथ हम, नई शताब्दी के प्रारंभ में अपने देश पर दृष्टिपात करते हैं। पचास वर्षों के नियोजित प्रयासों के बाद यह समय है जब हम विचार करें कि हमने अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं? हम अब कहां हैं? और भविष्य के लिए हमें क्या करना है? अपने अतीत से हम क्या सीख लें जिससे हमारा भविष्य अधिक अच्छा हो सके? संभव है आगामी दो वर्षों में जब आप अपने "समकालीन भारत" का अध्ययन समाप्त करें, तब इन प्रश्नों में से कुछ का उत्तर आप स्वयं दे सकें। अभी हम अपने संसाधनों की स्थिति और उनका अब तब कैसे उपयोग किया गया है, के अध्ययन से अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं।

किसी भी देश की सबसे महत्त्वपूर्ण धरोहर उसकी धरती तथा उसके निवासी होते हैं। किसी भी देश की सामर्थ्य उसकी स्थिति, आकार, उच्चावच तथा संरचना, जलवायु, वनस्पति एवं वहां के निवासियों द्वारा निर्धारित होती है। ये सब मिलकर उस देश के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सौभाग्य से भारत एक विशाल क्षेत्र तथा विभिन्न स्थलाकृतियों, अपवाह तंत्रों, जलवायु दशाओं, वनस्पतियों एवं विविध प्राणियों वाला देश है। इतने संपन्न संसाधनों की दृष्टि से भारत की तुलना संसार के केवल कुछ ही देशों से हो सकती है। मनुष्य भी किसी देश के बहुत महत्त्वपूर्ण संसाधन हैं क्योंकि किसी भी देश का विकास मुख्यतया वहां के निवासियों की दूर-दृष्टि, सूझ-बूझ एवं प्रयासों पर ही निर्भर करता है। वास्तव में मनुष्यों की संख्या की अपेक्षा उनकी गुणवत्ता अधिक महत्त्वपूर्ण है। भारत की जनसंख्या का अध्ययन उसके आकार, वितरण, समय एवं स्थान के संदर्भ में उसके संसाधन एवं परिवर्तन के आधार पर किया जाएगा। इनके अध्ययन से बहुत ही रुचिकर परिणाम प्राप्त होते हैं जिनका गहरा संबंध एक ओर भू-दृश्यों, अपवाह तंत्रों तथा जलवायु विभेदों से और दूसरी ओर हमारे आर्थिक विकास से स्थापित होता है।



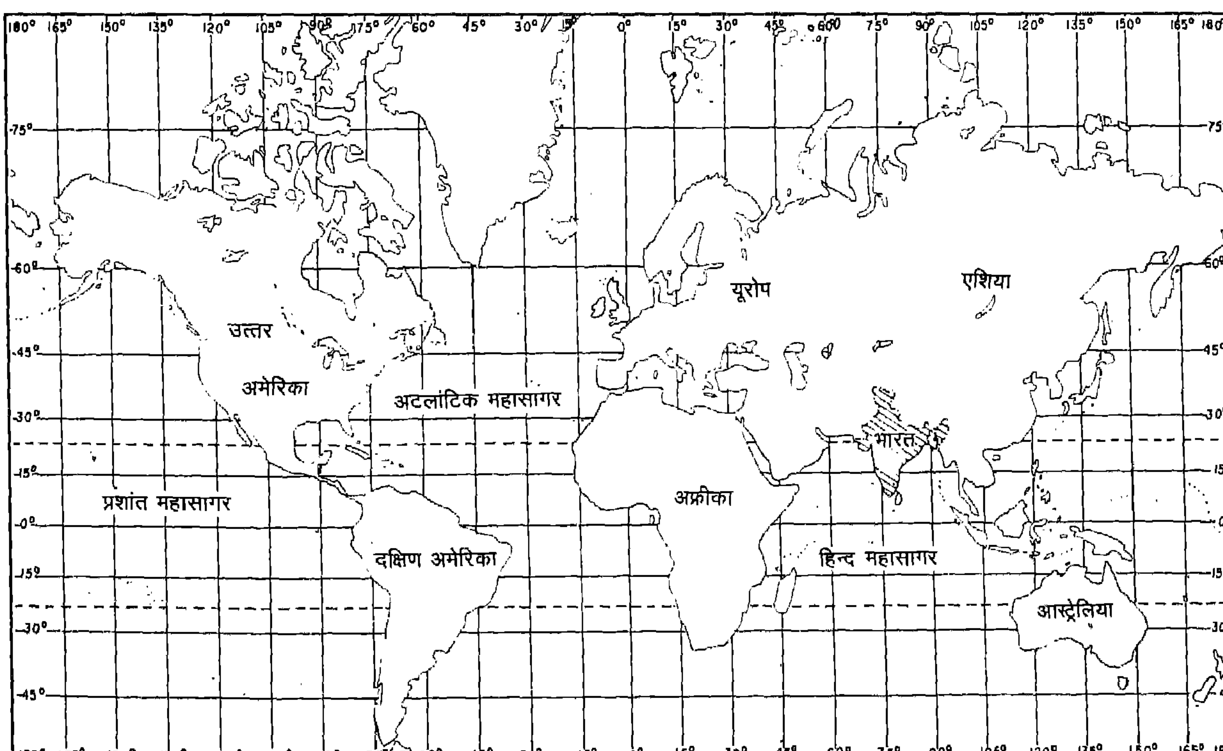
14 अवस्थिति विन्यास

भारत संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। आज यह संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी ऐतिहासिक यात्रा बहुत लंबी तथा महत्त्वपूर्ण घटनाओं से युक्त है। अनेक उतार-चढ़ावों के बावजूद इसने अपनी पूरी शक्ति से निरंतर आगे कदम बढ़ाएं हैं। इसके इतिहास के विकास में इसके भूगोल का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

स्थिति तथा आकार

भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण-मध्य प्रायद्वीप में स्थित है (चित्र 14.1)। मुख्य भू-भाग के अतिरिक्त इसमें दो द्वीपसमूह – अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सम्मिलित हैं।

भारत का मुख्य भू-भाग 8°4´ उत्तर से 37°6´ उत्तर अक्षांश तथा 68° 7´ पूर्व देशांतर से 97°25´ पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। उन राज्यों के नाम ज्ञात कीजिए जो चार प्रमुख दिशाओं में सबसे अंत में स्थित हैं। कन्याकुमारी मुख्य भू-भाग का सबसे दक्षिणी सिरा तीन सागरों के संगम पर स्थित है। ये कौन-से समुद्र हैं? मुख्य भू-भाग के दक्षिण-पश्चिम में लक्षद्वीप तथा दक्षिण-पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह स्थित हैं। ये विस्तृत क्षेत्र पर फैले हुए लंबी पूँछ की तरह हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारतीय समुद्र तट से काफी दूर स्थित हैं। भारतीय संघ का दक्षिणतम सिरा इंदिरा बिंदु है जो निकोबार द्वीपसमूह के सबसे दक्षिण में स्थित है और इंडोनेशिया के द्वीपों से अधिक दूर नहीं है। अपनी एटलस के मानचित्रों की मदद से इसकी स्थिति ज्ञात कीजिए। लक्षद्वीपसमूह अपेक्षाकृत कम बिखरे हुए हैं और भारत के मुख्य तट से निकट भी हैं। भारत की तटरेखा भी बहुत लंबी है जो लगभग 7500 कि.मी. लंबी है।



चित्र 14.1 *संसार के मानचित्र में भारत की स्थिति*



भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

© भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2002

समुद्र मे भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
आंतरिक विवरणो को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

चित्र 14.2 *भारत – राजनीतिक तथा पड़ोसी देश*

चित्र 14.2 को ध्यानपूर्वक देखिए। आप देखेंगे कि भारतीय गणराज्य का दक्षिणी सिरा विषुवत रेखा से केवल कुछ ही अक्षांशों के फासले पर है। विषुवत रेखा के पूर्णतया उत्तर में स्थित होने के कारण भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यदि हम ग्लोब का पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्धों में विभाजन करें तो भारत किस गोलार्ध में होगा?

भारत का क्षेत्रफल 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह संसार का सातवां बड़ा देश है। फिर भी इसको बहुत बड़ा नहीं कहा जाएगा क्योंकि भारत संसार के भू-क्षेत्र का केवल 2.42 प्रतिशत भाग घेरे हुए है। संसार के जो छः देश भारत से बड़े हैं, वे हैं : (i) रूस, (ii) कनाडा, (iii) चीन, (iv) संयुक्त राज्य अमरीका,

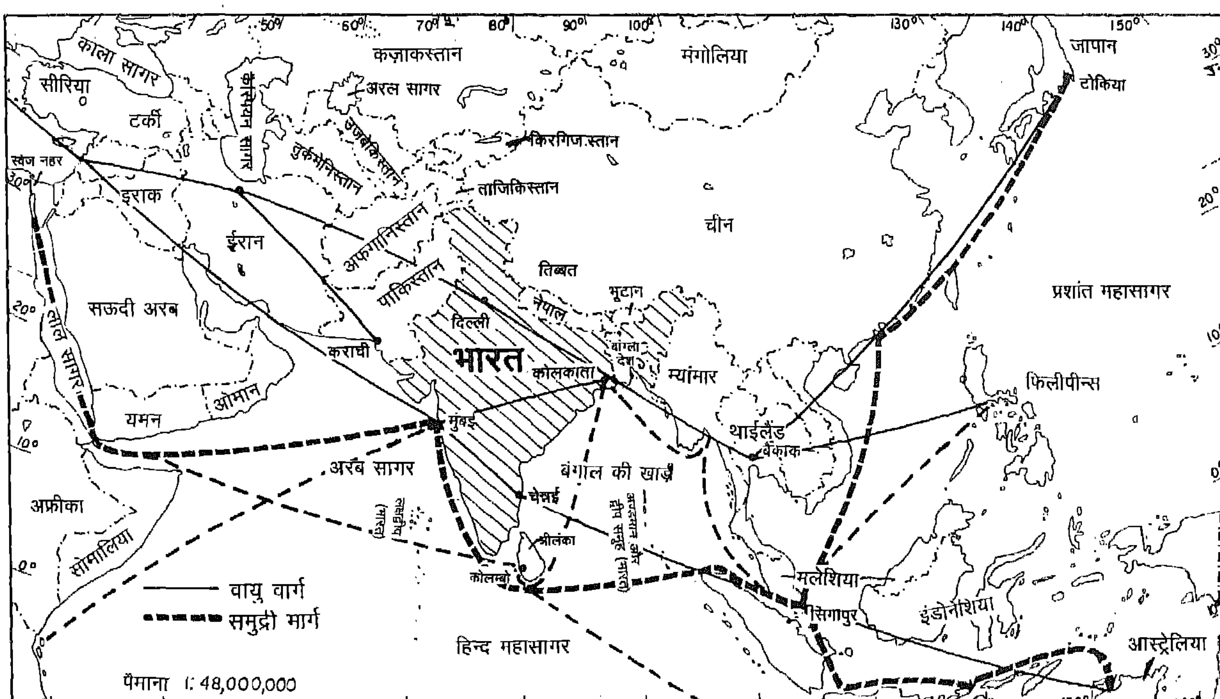
(v) ब्राजील तथा (vi) आस्ट्रेलिया। इनमें से प्रत्येक हमारे देश से दो से पांच गुना तक बड़े हैं।

हमारे देश के देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार दोनों ही लगभग बराबर अर्थात् 30 अंश हैं। फिर भी वास्तविक दूरी में उत्तर से दक्षिण का विस्तार (लगभग 3,200 कि.मी.) पूर्व से पश्चिम के विस्तार (लगभग 3,000 कि.मी.) की तुलना में अधिक है। ऐसा क्यों है? विशाल देशांतरीय विस्तार के कारण इसके पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में दो घंटो का अंतर है। दूसरे शब्दों में, जब अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में सूर्योदय होता है उस समय गुजरात के पश्चिमी भाग में रात रहती है। इसीलिए भारत की मध्याह्न रेखा (82°30´ पूर्व देशांतर), जो इलाहाबाद के निकट से गुजरती है, का समय ही भारत का मानक समय माना जाता है। ज्ञात कीजिए कि यह देशांतर रेखा ही मानक मध्याह्न रेखा क्यों चुनी गई?

कर्क वृत्त (23°30´ उ., अक्षांश) देश को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसका उत्तरी भाग काफी विस्तृत है और पूर्व-पश्चिम दिशा में फैला है। इसके अंतर्गत विशाल मैदान तथा हिमालय पर्वत हैं। कर्क वृत्त से दक्षिण का क्षेत्र आकृति में त्रिभुजाकार है। इसका आधार उत्तर की ओर है और दक्षिण की ओर भू-भाग शीर्षवत पतला होता जाता है। यह मुख्यतयः प्रायद्वीपीय पठार का भाग है जिसमें पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय भाग भी सम्मिलित हैं।

भारत तथा संसार

भारतीय भू-भाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। इसके उत्तर में ऊंचे पर्वतों की एक श्रृंखला हजारों किलोमीटर लंबाई में पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत है। ये एक अभेद्य दीवार की भांति हैं जिसके कारण तिब्बत तथा चीन के साथ आवागमन केवल ऊंचाई पर स्थित कुछ पर्वतीय दर्रों से होकर ही संभव है। दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप तीन ओर से सागरों तथा हिंद महासागर से घिरा हुआ है, फिर भी लोग स्थलीय एवं जलमार्गों से होकर आते-जाते रहें हैं। इसके बावजूद भी स्थलीय भाग के पर्वतीय अवरोधों से घिरे होने पर भी भारत ने बाहर से आने वाले सांस्कृतिक तत्त्वों को आत्मसात किया है और समाज में समरसता तथा एकता का अद्भुत विकास किया है।



भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

© भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2002

समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।

इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।

इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नही हुई है।

आंतरिक विवरणो को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

चित्र 14.3 *व्यापार और वाणिज्य के अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग पर भारत की स्थिति*

जैसा आपको ज्ञात है, भारत पूर्वी गोलार्ध का भाग है जिसमें पूर्वी दुनिया के अन्य देश भी स्थित हैं। प्राचीन काल में आपसी संबंधों के स्वरूप निर्धारण में समुद्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की केंद्रीय स्थिति बहुत महत्त्वपूर्ण है। पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एवं दक्षिणी-पश्चिमी एशिया तथा पूर्वी एशिया के देशों के साथ समुद्री मार्गों से भारत का संबंध प्राचीन काल से रहा है। अतः, भारत ने इन देशों के साथ घनिष्ट सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण स्थापित किए। यह उचित ही है कि भारत के नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया।

सन् 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। आज भी व्यापार एवं वाणिज्य के अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग पर भारत की स्थिति महत्त्वपूर्ण है (चित्र 14.3)। जो देश चारों ओर से स्थलीय देशों से घिरे होते हैं उनकी तुलना में भारत के संबंध अन्य देशों से अधिक आसानी से स्थापित हैं। पूर्वी तथा दक्षिणी-पूर्वी एशिया तथा आस्ट्रेलिया से अफ्रीका तथा यूरोप जाने वाले महासागरीय मार्ग हिंद महासागर से होकर जाते हैं। भारत यूरोप, उत्तरी अमरीका, दक्षिणी अमरीका से आशा अंतरीप (केप ऑफ गुड होप) तथा स्वेज नहर, दोनों मार्गों से जुड़ा है। भारत से प्रशांत महासागर पार करके मलक्का जलसंधि होकर भी कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमरीका पहुंचा जा सकता है।

युगों से भारत का संपर्क संसार के अनेक देशों से रहा है। विचारों एवं वस्तुओं का आदान-प्रदान प्राचीन समय से होता रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्यकला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है।

भारत के पड़ोसी देश

भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमाएं उत्तर-पश्चिम में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से, उत्तर में चीन, नेपाल तथा भूटान से और पूर्व में म्यांमार तथा बांग्लादेश से मिली है। दक्षिण में संकरे समुद्र के पार श्री लंका तथा मालदीव के द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। एशिया के भौतिक उच्चावच के मानचित्र को दखिए। आप देखेंगे कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा भारत सहज ही एक सुस्पष्ट एवं प्राकृतिक भौगोलिक इकाई बनाते हैं। इसे ही भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। इसका एक अलग ही भौतिक एवं सांस्कृतिक अस्तित्व है जो इसे शेष एशिया से पृथक करता है।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए :
   - (i) बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के द्वीपसमूहों का नाम बताइए।
   - (ii) भारत का कौन-सा स्थान तीन सागरों के संगम पर स्थित है?
   - (iii) भारत का कौन-सा द्वीपसमूह इसके दक्षिण-पश्चिम में स्थित है?
   - (iv) भारत तथा यूरोप के बीच की दूरी किस नहर ने कम की है?
   - (v) जलयान द्वारा सिंगापुर से मोगादिशू जाने में किस महासागर को पार करना पड़ेगा?
   - (vi) भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है?
2. बताइए कि अहमदाबाद तथा कोलकाता में मध्याह्न का सूर्य वर्ष में दो बार ठीक सिर के ऊपर क्यों होता है जबकि दिल्ली में ऐसा नहीं होता।
3. भारत के लिए हमें एक मानक मध्याह्न रेखा की आवश्यकता क्यों है? बताइए।
4. देश के भौगोलिक स्वरूप ने भारतीय समाज को एकता एवं समरसता कैसे प्रदान की है? वर्णन कीजिए।

5. हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का इसे किस प्रकार लाभ मिला है?

6. भारत के संसार के अन्य देशों के साथ प्राचीन तथा मध्य काल में संबंधों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

परियोजना कार्य

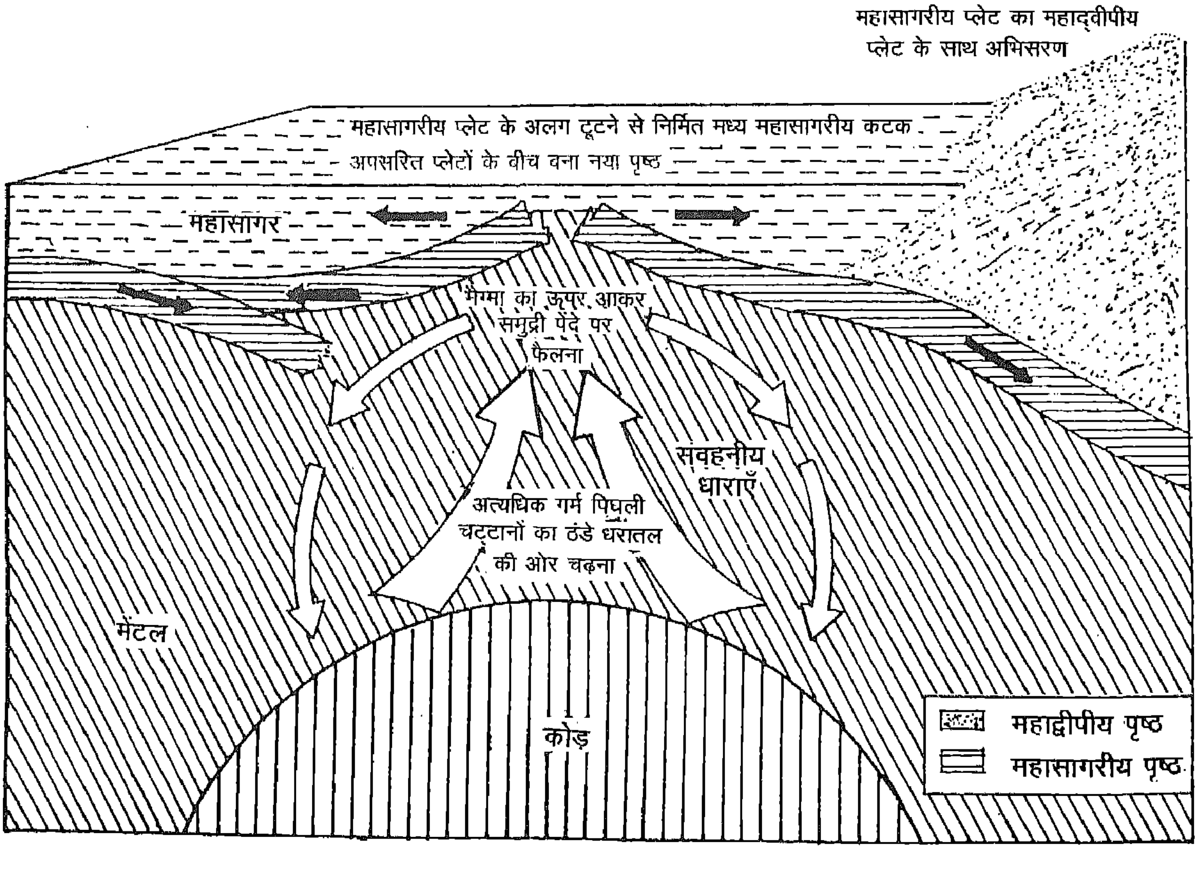
- 'रेशम मार्ग' के बारे में सूचना एकत्र कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि किन नई विकास योजनाओं द्वारा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के मार्ग विकसित किए गए हैं।

15 उच्चावच

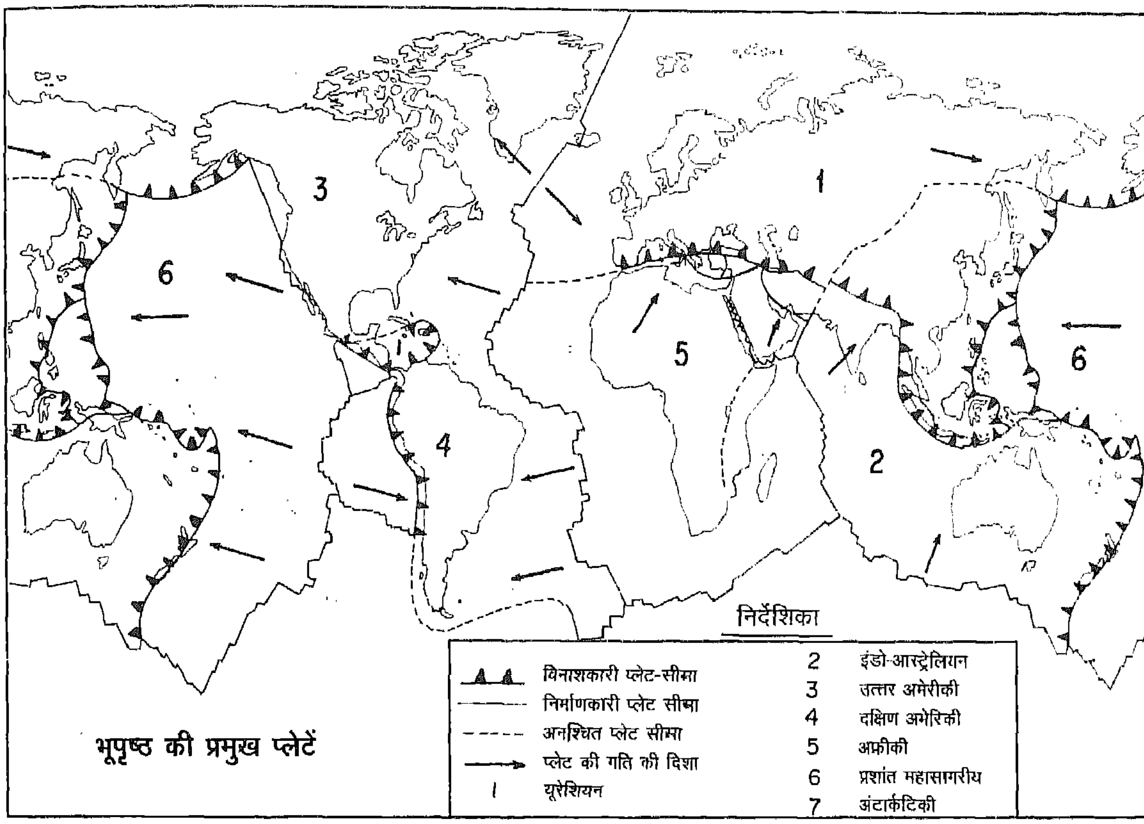
भारत की वर्तमान स्थलाकृतियों का निर्माण लाखों वर्षों में हुआ है। इनका यह स्वरूप भू-पृष्ठ के नीचे होने वाली आंतरिक हलचलों तथा धरातल पर क्रियाशील बाह्यशक्तियों के फलस्वरूप बना है।

आपने पिछली कक्षा में पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ा है। जैसा आपको विदित है, पृथ्वी की ऊपरी सतह दूर्बलतामंडल (Asthenosphere) की अर्ध-द्रवित शैलों के ऊपर तैर रही है। पृथ्वी के भीतर होने वाले विद्युत तरंगीय क्षय से ताप उत्पन्न होता है जो द्रवित शैलों में संवहनिक तरंगे उत्पन्न करता हुआ धरातल की ओर निकलने की चेष्टा करता है (चित्र 15.1)।

ऊपर उठती हुई तरंगों द्वारा ऊपरी परत फटकर बड़े-बड़े टुकड़ों में बंट जाती है जिन्हें 'भूगर्भीय' अथवा 'स्थलमंडली प्लेटें' कहते हैं। ऐसी सात मुख्य भूगर्भीय प्लेटें हैं, जिनके नाम प्रशांत प्लेट, उत्तर अमेरीकन प्लेट , दक्षिण अमेरिकन प्लेट , यूरेशियाई प्लेट , अफ्रीकन प्लेट , इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा अंटार्कटिक प्लेट हैं। कहीं-कहीं ये प्लेटें एक-दूसरे से अलग या दूर हो रही हैं (अपसारी प्लेटें) जबकि अन्यत्र ये एक-दूसरे के निकट आ रही हैं (अभिसारी प्लेटें)। अपसरण तथा अभिसरण की क्रिया से भू-पृष्ठ पर भ्रंशन होता है और वलय (मोड़) पड़ते हैं। इन प्लेटों की गतियों ने लाखों वर्षों में महाद्वीपों के आकार एवं स्थिति को परिवर्तित किया है। भारत की वर्तमान भू-आकृतियों या उच्चावच का विकास इस क्रियाक्रम का एक अंग है।



चित्र 15.1 *मैंटल में संवहनिक धाराएं*

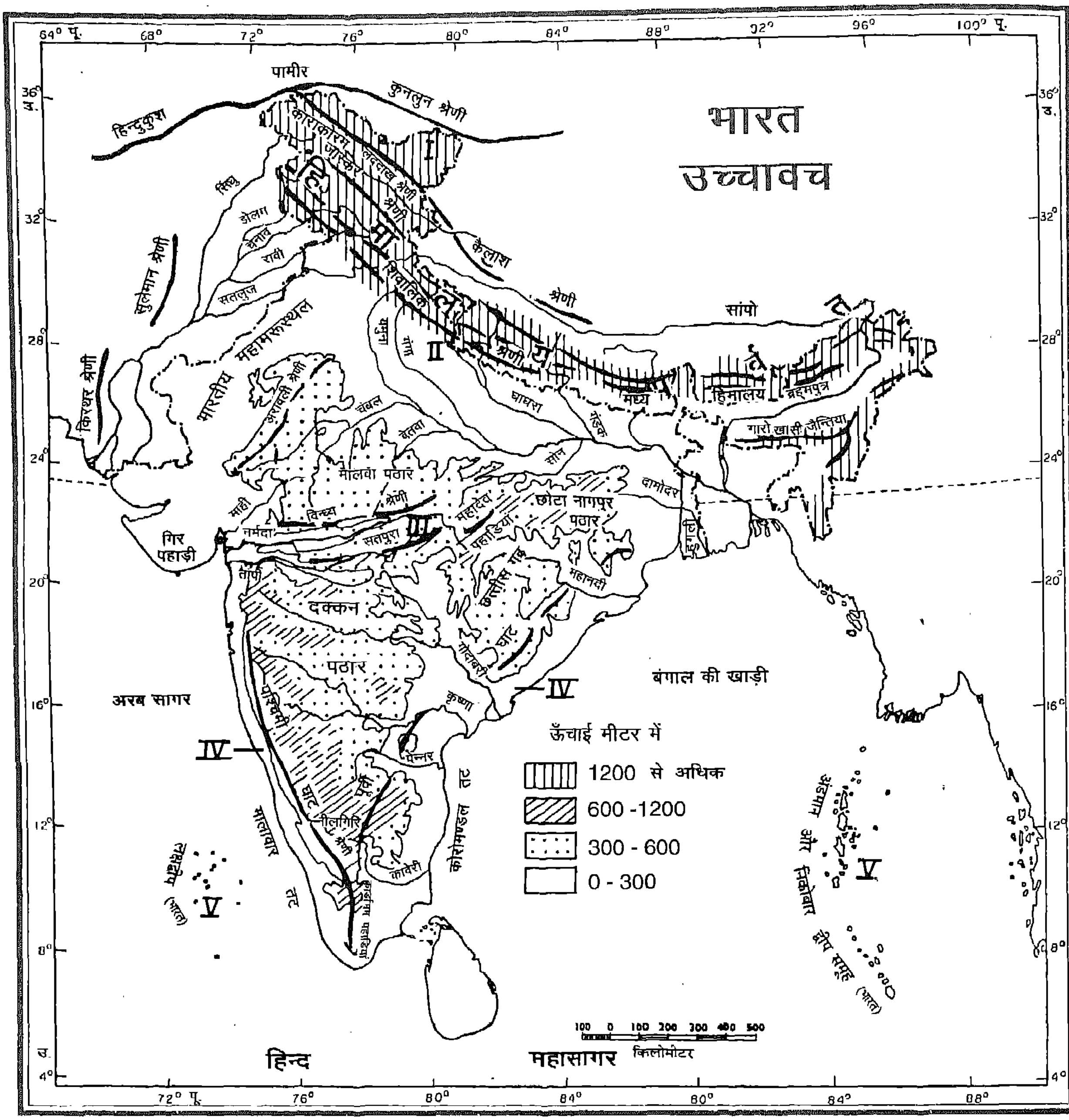


चित्र 15.2 *भू-पृष्ठ की मुख्य प्लेटें*

करोड़ों वर्ष पूर्व भारत गोंड्वानालैंड नामक प्राचीन विशाल भूखंड का भाग था। इस विशाल भूखंड में आज के दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका सम्मिलित थे। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। मैंटल की संवहनिक तरंगों ने इसे अनेक भागों में तोड़ दिया। गोंडवानालैंड से अलग होकर इंडो-आस्ट्रेलियन प्लेट धीरे-धीरे उत्तर की ओर प्रवाहित हुई। यह उत्तरी गोलार्ध की बहुत बड़ी यूरेशियन प्लेट से लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व टकराई। इंडो-यूरेशियन प्लेट का उत्तरी सिरा यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गया। टकराव के इस प्रभाव से बीच के महासागर (टेथ्रिस) की पर्तदार अवसादी शैलें मुड़ गईं और वलय क्रिया से मध्य एशिया के पर्वत-क्रमों, जिनमें हिमालय भी सम्मिलित हैं, का निर्माण हुआ।

हिमालय के दक्षिण में एक द्रोणी अथवा विशाल गर्त बन गया। कालांतर में धीरे-धीरे उत्तर तथा दक्षिण से बहकर आने वाली नदियों ने इसे जलोढ़ से भर दिया। इस प्रकार हिमालय तथा प्रायद्वीपीय पठार के बीच में उत्तर भारतीय मैदान का जन्म हुआ। जिस समय हिमालय का निर्माण हो रहा था, दो अन्य महत्त्वपूर्ण घटनाओं ने प्रायद्वीपीय पठार को प्रभावित किया। पठार के उत्तरी-पश्चिमी भाग में एक विस्तृत ज्वालामुखीय उद्गार हुआ। इसके अतिरिक्त पठार का पश्चिमी भाग टूटकर निमज्जित हो गया। हिंद महासागर का जल इस निमज्जित गर्त में भर गया और इस प्रकार अरब सागर का निर्माण हुआ। इस भू-निमज्जन के कारण ही पश्चिमी घाट अधिक सुस्पष्ट हो गए।

भारतीय भूखंड की भू-आकृतियों अथवा उच्चावच में बहुत अधिक विविधता है। उत्तर में अवसादी तथा कायांतरित शैलों से निर्मित ऊंची-नीची भूमि के विस्तृत विस्तार पाए जाते हैं। यहां उच्च पर्वत शिखर, आवृत्त पठार, संकरी तथा गहरी घाटियां आदि अनेक विशिष्ट स्थल रूप पाए जाते हैं। इसके विपरीत उत्तरी भारतीय मैदान, जहां सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां प्रवाहित होती हैं, जलोढ़ मृदा से बना है। यह निचले भू-दृश्यों वाला भाग है और समतल अथवा लक्षण विहीन धरातल वाला है। दक्षिण में, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय एवं कायांतरित शैलों द्वारा निर्मित है। यह देश का प्राचीनतम भू-भाग है। इसमें प्राचीन पर्वत श्रेणियों के अवशेष तथा कटे-फटे पठार हैं। कहीं-कहीं तो पठार सीढ़ियों की भांति ऊपर उठा है। इसके पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर तटीय मैदान हैं।



भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।
© भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2002
समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परन्तु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

चित्र 15.3 *भारत – उच्चावच*

प्रमुख भू-आकृतिक विभाग

भू-आकृतियों की विविधता के आधार पर भारत निम्नलिखित भू-आकृतिक विभागों (चित्र 15.3) में बांटा जाता है :

(i) उत्तर के विशाल पर्वत ;

(ii) उत्तर भारत का मैदान ;

(ii) प्रायद्वीपीय पठार ;

(iv) तटीय मैदान ; तथा

(v) द्वीपसमूह

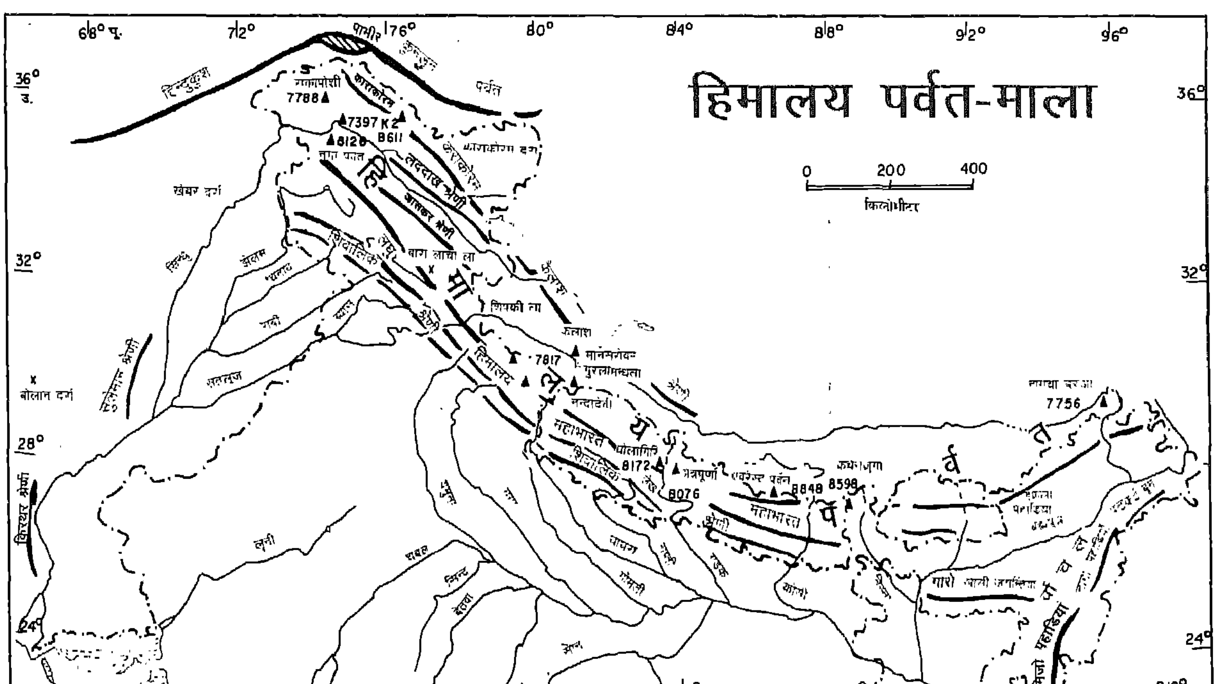
इन विभागों की भू-आकृतियों का मुख्य अंतर उनकी संरचना तथा भूगर्भीय इतिहास के अंतर के कारण है। विभिन्न शैलों में अपरदन को रोकने की क्षमता में बहुत अंतर पाया जाता है। जैसे अवसादी शैल आसानी से अपरदित हो जाते हैं, जबकि ग्रेनाइट जैसी आग्नेय चट्टानें कठिनता से अपरदित होती हैं।

उत्तर के विशाल पर्वत

भारत के उत्तर में मध्य एशिया में पामीर ग्रंथि स्थित है। यहां से अनेक पर्वत श्रेणियां विभिन्न दिशाओं में फैली हैं। हिंदुकुश पश्चिम की ओर फैला है, तेनशान उत्तर-पूर्व की ओर, कुनलुम पूर्व की ओर तथा काराकोरम श्रेणियां दक्षिण-पूर्व की ओर विस्तृत हैं। काराकोरम श्रेणियां कश्मीर में प्रवेश करके दक्षिण-पूर्व दिशा में फैली हैं। यह पूर्व की ओर आगे चलकर तिब्बत में कैलाश श्रेणी के नाम से जानी जाती है। काराकोरम श्रेणियों में ही 'के2' (K2) शिखर स्थित है जो संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत-शिखर है। इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। इस ऊंचे क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा बहुत महत्त्वपूर्ण है। बाल्टोरो तथा सियाचीन इस क्षेत्र की प्रमुख हिमानियां हैं, हिमानी ठोस बर्फ और हिम की मंद गति से खिसकती हुई नदियां हैं।

लद्दाख और जास्कर श्रेणियां काराकोरम के दक्षिण में स्थित समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश श्रेणियों के उत्तर में है, यहां से यह अनेक श्रेणियों को पार करती हुई लद्दाख तथा जास्कर श्रेणियों के बीच दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम को बहती है। उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद यह दक्षिण की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है।

हिमालय पर्वतमाला पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक विस्तृत है। एक उन्नतोदर चाप बनाती हुई ये लगभग 2,400 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में 400 किलोमीटर से पूर्व में 150



चित्र 15.4 *हिमालय तथा उत्तर के अन्य पर्वत*

किलोमीटर के बीच है। परंतु हिमालय के पूर्वी आधे भाग की ऊंचाई पश्चिमी आधे भाग की अपेक्षा अधिक है।

हिमालय नवीन वलित पर्वत हैं। इनमें तीन स्पष्ट पर्वत श्रेणियां हैं जो एक-दूसरे के समानांतर फैली हैं। इनमें सबसे उत्तरवाली श्रेणी को 'विशाल' अथवा 'आंतरिक हिमालय' अथवा 'हिमाद्रि' कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है और हिमालय के सभी प्रमुख शिखर इसी श्रेणी में हैं। माउंट एवरेस्ट शिखर (8,848 मीटर) जो संसार का सर्वोच्च शिखर है, नेपाल में इन्हीं श्रेणियों में स्थित है। कांचनजुंगा (8,598 मीटर) हिमालय का दूसरा सर्वोच्च पर्वत-शिखर है जो भारत के सिक्किम राज्य में है।

हिमालय के दो अन्य प्रमुख शिखर नंगा पर्वत (8,126 मीटर) तथा नंदादेवी (7,818 मीटर) भारत में स्थित हैं। उन राज्यों के नाम ज्ञात करिए जहां ये स्थित हैं।

हिमाद्रि के दक्षिण में 'मध्य हिमालय' अथवा 'हिमाचल श्रेणी' स्थित है। इनकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 3,700 से 4,500 मीटर है। पीर पंजाल, धौलाधर तथा महाभारत श्रेणियां इसी भाग में हैं। उत्तरी भारत के सभी महत्त्वपूर्ण पर्वतीय नगर - धर्मशाला, डलहौज़ी, शिमला, मसूरी तथा दार्जिलिंग इन्हीं श्रेणियों पर स्थित हैं।

'बाह्य हिमालय' अथवा 'शिवालिक श्रेणियां', मध्य हिमालय श्रेणियों के दक्षिण में, 10 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई में स्थित हैं जिनकी ऊंचाई 900 से 1,100 मीटर के बीच है। ये श्रेणियां ठोस अवसादों वाली शैलों से नहीं बनीं। अतः यहां प्रायः भूस्खलन होता रहता है। अनेक स्थानों पर शिवालिक श्रेणियों तथा मध्य हिमालय श्रेणियों के बीच समतल घाटियां पाई जाती है। ये कंकड़, पत्थरों तथा अवसादों के गहरे निक्षेपों से ढकी हुई हैं और इन्हें 'दून' कहते हैं, जैसे देहरादून तथा पाटली दून।

हिमालय की पर्वत श्रेणियों को पश्चिम-पूर्व दिशा में चार भागों में विभक्त किया जाता है। पश्चिमी भाग सिंधु और सतलुज नदियों के बीच जम्मू तथा कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में फैला है। इसे 'पंजाब हिमालय' कहते हैं। जम्मू तथा कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणियों में सुप्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटक स्थल गुलमर्ग तथा पहलगाम हैं। सतलुज तथा काली नदियों के बीच के भाग को 'कुमायूं हिमालय' कहते हैं। यह उत्तरांचल में स्थित है। इसी प्रकार काली तथा तिस्ता नदी के बीच के भाग को 'नेपाल हिमालय' कहते हैं और तिस्ता तथा दिहंग (सांगपो) नदियों के बीच के भाग को 'असम हिमालय' कहते हैं। ये मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं।

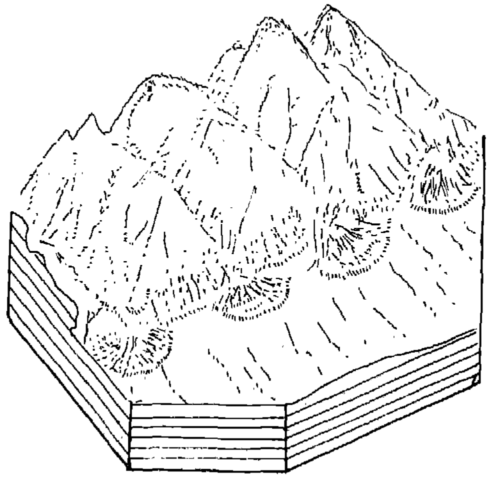
हिमालय पर्वत श्रेणियों में अनेक महत्त्वपूर्ण दर्रे भी हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर शिपकीला, नाथूला तथा बोमडिला दर्रे महत्त्वपूर्ण हैं। मानचित्र में उनकी स्थिति तथा उन राज्यों के नाम ज्ञात कीजिए जहां ये स्थित हैं।

उत्तरी भारत की कुछ प्रमुख नदियां – सिंधु, सतलुज, गंगा, यमुना, कोसी, तिस्ता तथा ब्रह्मपुत्र हैं। इन नदियों का उद्गम हिमालय प्रदेश में है। ये नदियां सतत्वाहिनी हैं और अपने साथ भारी मात्रा में जल तथा अवसाद बहाकर लाती हैं।

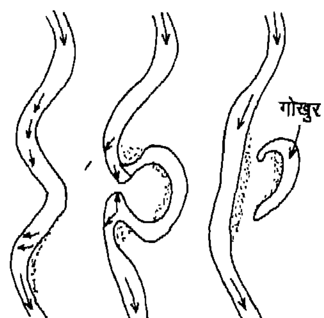
यह एक रोचक तथ्य है कि इन नदियों में से अनेक नदियां हिमालय से भी पुरानी हैं। सिंधु, सतलुज तथा सांगपो (ब्रह्मपुत्र) नदियां हिमालय के उस पार कैलाश मानसरोवर क्षेत्र से एक-दूसरे के निकट ही निकलती हैं। इनमें से सिंधु तथा सतलुज पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि सांगपो हिमालय श्रेणियों के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। यह पूर्व की ओर बहकर नामचा बरवा (7757 मीटर) के पास अंग्रेजी के अक्षर यू (U) की भांति मुड़ती है, जहां इसे दिहंग के नाम से जानते हैं। ये तीनों नदियां, हिमालय श्रेणियों को विभिन्न स्थानों पर अद्भुत दर्शनीय महाखड्ड (गार्ज) बनाती हुई पार करके ,उत्तर के मैदान की ओर बहती हैं। ये महाखड्ड अंग्रेजी के आई (I) अक्षर की आकृति की घाटी जैसे होते हैं जहां नदियों के दोनों किनारे दीवार की भांति खड़े ढाल वाले होते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि जब हिमालय ऊपर उठ रहे थे, तब ये नदियां अपनी घाटियों को काटकर उसी गति से गहरा कर रही थीं। इसी से इन दो विपरीत क्रियाओं, उत्थान एवं कटाव, के बीच संतुलन बना रहा।

हिमालय अपने हिममंडित शिखरों, हिमानियों, स्वच्छ नदियों तथा सुंदर रमणीक घाटियों के लिए विख्यात है। कश्मीर, कुल्लू तथा कांगड़ा की घाटियां अपने रमणीक सौंदर्य तथा शीतोष्ण जलवायु वाले फलों के बागों के लिए विश्वविख्यात हैं।

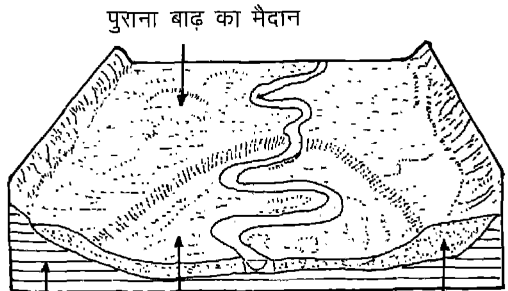
दिहंग (ब्रह्मपुत्र) नदी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है। पर्वत श्रेणियां यहां तेजी से दक्षिण की ओर मुड़ती हैं और भारत की पूर्वी सीमा के सहारे विस्तृत हैं। इन्हें 'पूर्वाचल' कहते हैं। इनके अंतर्गत पटकाई बुम, नागा पहाड़ियां तथा मिज़ो पहाड़ियां सम्मिलित हैं। बीच में पश्चिम की ओर मुड़कर ये श्रेणियां मेघालय में भारत-बांग्लादेश सीमा पर फैली हैं। यहां ये पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः जयंतिया, खासी तथा गारो पहाड़ियों के रूप में विस्तृत हैं।



(अ) जलोढ़ पंखें



(ब) नदी विसर्प तथा गोखुर झीलें



(स) बाढ़ का मैदान

चित्र 15.5 *मैदानों में नदी निर्मित सामान्य स्थलाकृतियां*

उत्तरी मैदान

इस विस्तृत मैदान का निर्माण उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा लाकर जमा की गई जलोढ़ गाद से हुआ है। यह लगभग एक सपाट मैदान है और इसके उच्चावच में बहुत कम अंतर है। यहां की उपजाऊ मृदा, उपयुक्त जलवायु तथा पर्याप्त जल आपूर्ति कृषि कार्य के विकास में बहुत सहयोगी है।

जब हिमालय क्षेत्र में बहने वाली नदियां पर्वतीय ढालों को पारकर मैदानों में पहुंचती हैं तब वे 'जलोढ़पंखों' का निर्माण करती हैं। यह त्रिभुजाकार आकृति वाले निक्षेप होते हैं जिनका आधार मैदान की ओर होता है। इन क्षेत्रों में बाढ़ के मैदान, प्राकृतिक तटबंध, (लेवी) नदी निक्षेप (चैनल बार) तथा कगार (बर्फ़) आदि कुछ अन्य स्थलाकृतियां भी बनती हैं। ये मुख्यतया नदी के निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां हैं।

नदियों के निचले भागों में ढाल और भी मंद हो जाता है। अतः वे धीमी गति से बहती हैं। वे अपने साथ लाए अवसाद तथा पंक, धाराओं के बीच में ही जमा कर देती हैं जिससे छोटे-छोटे द्वीप बन जाते हैं। इनसे बचने के लिए नदी अनेक धाराओं में बंट जाती है जिन्हें 'वितरिकाएं' कहते हैं। जहां 'सहायक' नदियां अपनी घाटी का जल बहाकर मुख्य नदी में मिलाती हैं, वहीं वितरिकाएं मुख्य नदी का जल विभिन्न धाराओं में बांटकर समुद्र में मिलती हैं। इन धाराओं में बंटकर नदी का जल एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। यह विस्तृत जलोढ़ मैदान, जो त्रिभुजाकर होता है, 'डेल्टा' कहलाता है।

उत्तर भारत का मैदान सिंधु नदी के मुहाने से लेकर गंगा-ब्रह्मपुत्र के मुहाने तक लगभग 3,200 किलोमीटर दूरी में विस्तृत है। इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच है। पूर्व की ओर यह संकरा हो जाता है। उत्तरी मैदान को पश्चिम में सिंधु नदी तंत्र तथा पूर्व में गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के मैदानों में विभक्त किया जाता है।

सिंधु तथा इसकी सहायक – झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज नदियां हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। सिंधु नदी पश्चिम की ओर बहकर तेज मोड़ बनाकर दक्षिण की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। स्थानीय भाषा में दो नदियों के बीच की भूमि को द्वाब (द्व अर्थात् दो तथा आब अर्थात् जल) कहते हैं। इसीलिए पांच नदियों से निर्मित मैदान को पंजाब (पंज+आब) कहते हैं। इस मैदान का बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है।

गंगा नदी उत्तरी मैदान में हरिद्वार में प्रवेश करती है और फिर पूर्व की ओर बहती है। समुद्र तक पहुंचने में इसमें अनेक सहायक नदियां, उत्तर तथा दक्षिण से आकर मिलती हैं। पष्चिमी बंगाल में पहुंचने के पष्चात ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है।

जो भारत में अरुणांचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कुछ दूर दक्षिण की ओर बहकर ब्रह्मपुत्र पश्चिम की ओर मुड़ती है और असम राज्य से होकर बहती है। बांग्लादेश पहुंचने पर यह पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना नाम से जानी जाती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है।

उच्चावच के अंतर के आधार पर मैदानी भाग को भी (i) भाबर (ii) तराई (iii) बांगर तथा (iv) खादर भागों में विभाजित किया जाता है। सिंधु नदी से तिस्ता नदी तक शिवालिक पहाड़ियों के गिरिपाद प्रदेश में कंकड़-पत्थरों की एक पतली पेटी पाई जाती है। यह कंकड़-पत्थरों की पेटी नदी की धारा के समानांतर होती है। यह पेटी लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है और इसे 'भाबर' कहते है। भाबर से लगा हुआ 'तराई' क्षेत्र है जो अधिक नम तथा दलदली है। यहां घने वन तथा विविध वन्य जीव पाए जाते हैं। मैदानों की पुरानी जलोढ़ को 'बांगर' कहते हैं। निरंतर जलोढ़ के जमाव के कारण यह एक चबूतरा जैसा बन जाता है जो बाढ़ के मैदान से ऊंचा होता है। बाढ़ के मैदानों की नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं।

प्रायद्वीपीय पठार

यह देश का सबसे प्राचीन भाग है। इस त्रिभुजाकार क्षेत्र का आधार उत्तर की ओर दिल्ली की कटक (Ridge) तथा राजमहल पहाड़ियों के बीच है। भूगर्भ की दृष्टि से शिलांग का पठार इस क्षेत्र का ही एक विस्तार है। इसका शीर्ष दक्षिण में कन्याकुमारी द्वारा बनता है। पठार की सामान्य ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। इसके उत्तरी भाग का ढाल उत्तर तथा पूर्व की ओर है जैसा चंबल, सोन तथा दामोदर नदियों द्वारा स्पष्ट है। सतपुड़ा-मैकाल श्रेणियों के दक्षिण में इसका ढाल पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व की ओर है। परंतु दक्कन के उत्तर-पश्चिम वाले क्षेत्र का जल पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में बहता है।

अरब सागर में गिरने वाली दो बड़ी नदियों के नाम ज्ञात कीजिए।

प्रायद्वीपीय पठार को दो उपभागों : मध्यवर्ती उच्चभूमि तथा दक्कन का पठार में विभाजित किया जा सकता है।

मध्यवर्ती उच्चभूमि : प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग अनेक पठारों, अनाच्छादित पर्वत श्रेणियों तथा नीची पहाड़ियों द्वारा निर्मित है। यह भाग कठोर आग्नेय शैलों द्वारा बना है।

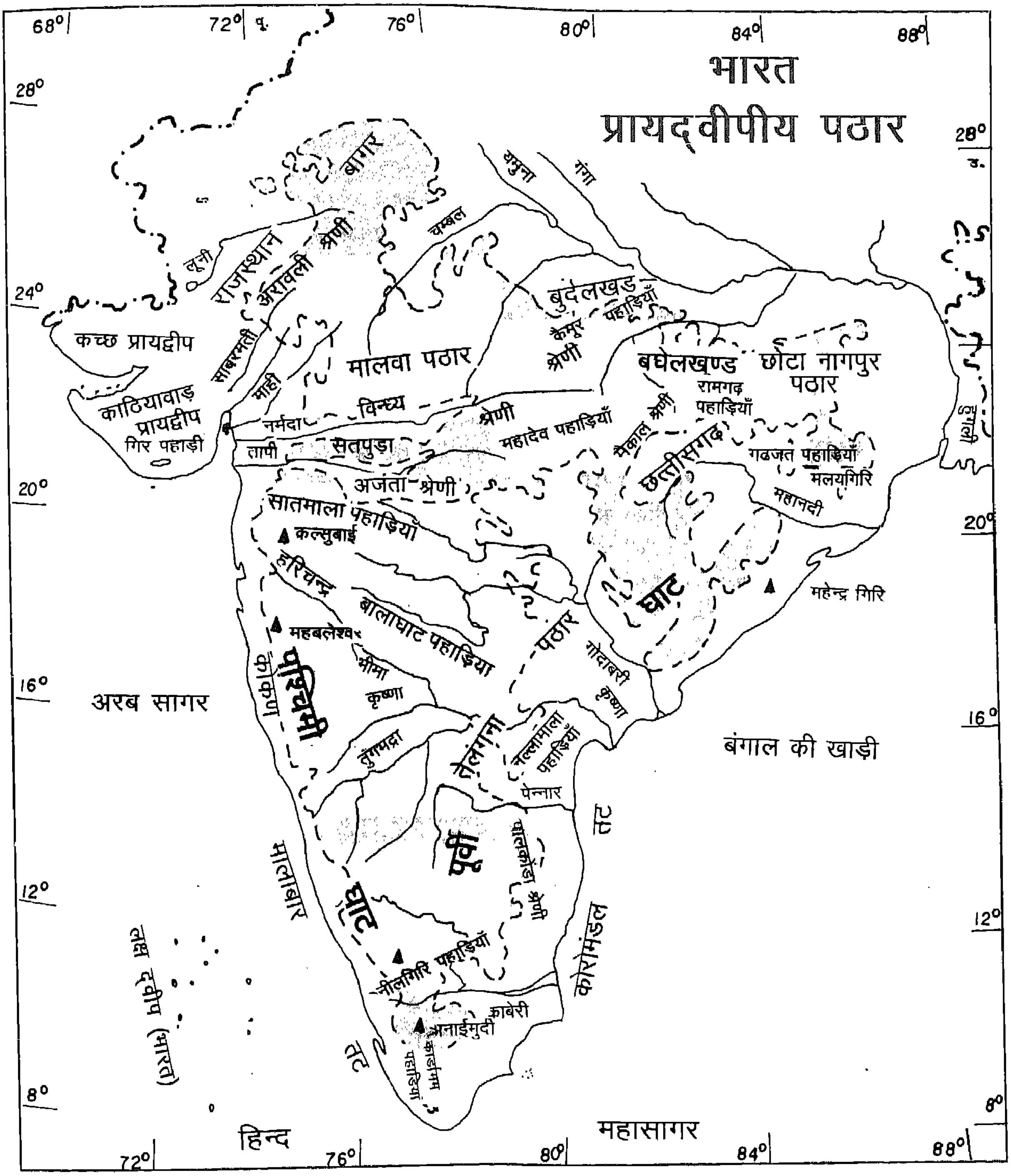
पठार का उत्तर-पश्चिम भाग अरावली पहाड़ियों द्वारा घिरा है जो प्राचीन वलित पर्वतों के अवशिष्ट हैं। अरावली पहाड़ियों का विस्तार दक्षिण-पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर-पूर्व में दिल्ली तक विच्छिन्न पहाड़ियों के रूप में है। थार मरुभूमि इस श्रेणी के पश्चिम में स्थित है। यह एक शुष्क मरुभूमि है। विस्तृत मरुभूमि में विभिन्न आकारों के बालू टिब्बें प्रचुरता से सर्वत्र फैले हैं।

मध्यवर्ती उच्चभूमियों की दक्षिणी सीमा विंध्याचल पर्वतों तथा उनके पूर्वी विस्तार कैमूर पहाड़ियों से निर्धारित होती है। अरावली तथा विंध्याचल पर्वतों के बीच में मालवा पठार स्थित है। यह पठार काफी विस्तृत है और मुख्यतः चंबल तथा बेतवा नदियां इसका जल बहाकर ले जाती हैं। इस पठार का उत्तरी तथा उत्तर-पूर्वी भाग धीरे-धीरे गंगा के मैदान में विलीन हो जाता है। मध्यवर्ती उच्चभूमियों के इस उत्तर-पूर्वी भाग को बुंदेलखंड कहते हैं।

उच्चभूमि क्षेत्र के बीच के भाग में नर्मदा तथा सोन नदी की घाटियों के बीच विंध्याचल-कैमूर पहाड़ियां कगार (खड़े ढाल वाले पर्वत) बनाती हैं। कगार एक दीवाल जैसी खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को कहते हैं जो आस-पास की भूमि के बीच एक लंबे अवरोध के रूप में खड़ी रहती है। सोन नदी से पूर्व की ओर झारखंड का छोटा नागपुर पठार भी इस क्षेत्र का भाग है। यह लावा की क्षैतिज पर्तों के निक्षेपों से बना है। मध्यवर्ती उच्चभूमि की लगभग सभी नदियां दक्षिण से यमुना तथा गंगा में आकर मिलती हैं।

राजमहल की पहाड़ियां तथा शिलांग का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ऐसा लगता है कि इन्हें जोड़ने वाली शैलें अब गंगा के मैदान की जलोढ़ मिट्टी के नीचे दब गई हैं।

दक्कन का पठार : दक्कन का पठार उत्तर में सतपुड़ा, महादेव तथा मैकाल पहाड़ियों से दक्षिण की ओर प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे तक विस्तृत है। पठार का उत्तरी-पश्चिमी भाग मुख्यतया लावा निक्षेपों से निर्मित है। पश्चिम की ओर इसकी सीमा पश्चिमी घाटों द्वारा निर्धारित होती है, जो अरब सागर के तट के सहारे लगभग अविच्छिन्न रूप में उत्तर-दक्षिण दिशा में फैले हैं। इनके अनेक स्थानीय नाम हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में इन्हें सह्याद्रि कहते हैं, तमिलनाडु में इन्हें नीलगिरि के नाम से पुकारते



भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।
समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

© भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2002

चित्र 15.6 *प्रायद्वीपीय पठार*

हैं और केरल-तमिलनाडु सीमा पर इन्हें अन्नामलाई और कार्डामम (इलायची) पहाड़ियों के नाम से पुकारा जाता है। पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे हैं।

दक्षिणी भारत के सबसे ऊंचे पर्वत-शिखर का नाम ज्ञात कीजिए। इसकी क्या ऊंचाई है? इसकी तुलना हिमालय की चोटियों की ऊंचाई से कीजिए। आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं?

साधारणतया दक्कन के पठार की ऊंचाई 900 से 1,100 मीटर है, यद्यपि कहीं-कहीं यह अचानक ऊंचे हो जाते हैं। बहुत कम ऊंचाइयों वाली टूटी-फूटी पहाड़ियां, जिनकी ऊंचाई कदाचित ही कहीं 900 मीटर से अधिक होती हो, टूटी श्रृंखला के रूप में इस पठार की पूर्वी सीमा बनाती है। इन्हें "पूर्वी घाट" कहते हैं। इन में से कुछ पहाड़ियों के नाम ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्र का सामान्य ढाल पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व की ओर है, जैसा नदियों की प्रवाह-दिशा से भी परिलक्षित होता है। नर्मदा तथा तापी, जो पश्चिम की ओर बहती हैं, को छोड़ कर दक्कन पठार की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।

तटीय मैदान

प्रायद्वीपीय पठार कच्छ से उड़ीसा तक मैदानों की संकरी पट्टी से घिरा हुआ है। इसे पश्चिमी तथा पूर्वी तटीय मैदानों में विभक्त किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से केरल तक फैला हुआ है। गुजरात को छोड़कर यह प्रायः संकरा मैदान है। यह बहुत असमान और ऊबड़-खाबड़ है। उत्तरी भाग में इसे कोंकण तट के नाम से पुकारते हैं तथा गोआ के दक्षिण में इसे मालाबार तट कहते हैं। पूर्वी तट के विपरीत यहां केवल कुछ ही बड़ी नदियां – नर्मदा तथा तापी बहती हैं। पश्चिमी तट की नदियां अपने मुहानों पर ज्वारनदमुख (Estuaries) बनाती हैं। अधिकांश ज्वारनदमुख नदी-जल के नीचे डूबी हुई घाटियां हैं जो समुद्रतल के सापेक्षिक ऊपर उठने से बनी हैं। ये मछली पकड़ने और पोताश्रयों के विकास के लिए उपयुक्त स्थितियां प्रदान करते हैं। पश्चिमी तट पर अनेक अच्छे प्राकृतिक पोताश्रय हैं जैसे मुबंई तथा मार्मागावा। सुदूर दक्षिण में, केरल तट अपनी खारे पानी की झीलों या पश्च्जल के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें "लैगून" कहते हैं। इन तटीय भू-आकृतियों में बालूभित्तियां तथा रोधिकाएं मुख्य हैं।

प्रवाल

प्रवाल अल्पजीवी अतिसूक्ष्म जीव होते हैं जो एक साथ रहते हैं। ये छिछले, उष्ण, कीचड़ रहित जल में पनपते हैं। ये कठोर तत्त्व निकालते हैं। इनसे निकला हुआ तथा इनकी अस्थियों एवं सिर के जमाव से दीवारों जैसी प्रवाल भित्तियां बन जाती हैं। यह प्रायः तीन प्रकार की होती हैं: अवरोधक भित्ति , वलयाकार भित्ति तथा तटीय भित्ति। इनमें से पहले प्रकार की प्रवाल भित्ति का अच्छा उदाहरण आस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ़ नामक विशाल अवरोधक भित्ति है। वलयाकार प्रवाल भित्ति अंगूठी या मुद्रिका या घोड़े के नाल की आकार की होती है।

पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा कहीं अधिक चौड़ा है। यहां कावेरी, कृष्णा, गोदावरी व महानदी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में अवसादी निक्षेप काफी गहरे हैं। दक्षिणी आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट के नाम से पुकारते हैं।

द्वीपसमूह : भारत के द्वीपसमूहों – लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह की उत्पत्ति अलग प्रकार से हुई है। लक्षद्वीप अनेक छोटे-छोटे द्वीपों को मिलाकर बना हैं। ये अरब सागर में केरल के तट से थोड़ी दूरी पर स्थित हैं। इन द्वीपसमूहों का सबसे दक्षिणी द्वीप हमारे पड़ोसी देश मालदीव द्वीपों से बहुत निकट हैं। प्रवाल (मूंगे) के निक्षेपों से बने इन द्वीपों को 'एटाल' कहा जाता है। मूल रूप से यह शब्द मलयाली शब्द 'एटोलू' से लिया गया है।

दूसरी ओर अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह आकार में अपेक्षाकृत बड़े हैं। इनकी संख्या भी अधिक है और ये अधिक विस्तृत क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। ये देश के मुख्य भू-भाग से अधिक दूरी पर भी हैं। ये द्वीप निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। इनमें से कुछ ज्वालामुखी क्रिया द्वारा भी बने हैं।

अंडमान द्वीपसमूहों में लगभग 200 द्वीप हैं और निकोबार समूह में 19 द्वीप हैं। इनमें से कुछ की लंबाई ही 60 से 100 किलोमीटर तक हैं। ये द्वीपसमूह लगभग 350 किलोमीटर की दूरी में फैले हैं। ये द्वीपसमूह देश की सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण हैं।

विभिन्न भू-आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है। परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक-दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न का भंडार है। यहां प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। पठारी भाग खनिजों का भंडार है जिसने देश के औद्योगीकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने और पोताश्रयों संबंधी केंद्र स्थापित हैं। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में अनेक विकास की संभावनाएं प्रदान करती हैं।

अभ्यास

1. निम्नलिखित के संक्षेप में उत्तर दीजिए:
   - (i) भारत की वर्तमान भू-आकृतिक स्थिति के लिए कौन-सी दो शक्तियां उत्तरदायी हैं?
   - (ii) भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं?
   - (iii) आज के कौन-से महाद्वीप गोंडवानालैंड के भाग थे?
   - (iv) "भाबर" क्या है?
   - (v) हिमालय के तीन प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए।
   - (vi) अरब सागर कैसे बना था?
   - (vii) शिवालिक में अधिक भूस्खलन क्यों होता है ?
   - (viii) पूर्वी हिमालय के दो दर्रों के नाम बताइए।
   - (ix) अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच में कौन-सा पठार स्थित है?
   - (x) भारत के उस द्वीप-समूह का नाम बताइए जो प्रवालों से निर्मित है।
2. निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए:
   - (i) अपसारी तथा अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें;
   - (ii) डेल्टा तथा ज्वारनदमुख;
   - (iii) सहायक नदी तथा जल वितरिका;
   - (iv) बांगर और खादर;
   - (v) पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट।
3. बताइए, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था।
4. भारत के प्रमुख भू-आकृतिक विभाग कौन-से हैं ? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है?
5. भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए।
6. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए:
   - (i) मध्य हिमालय,
   - (ii) मध्य उच्चभूमि तथा
   - (iii) भारत के द्वीपसमूह।

मानचित्र कार्य

भारत के एक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित दिखाइएः

(i) पर्वत एवं पहाडी श्रेणियां – काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, पटकई बुम, पूर्वाचल, जयंतिया, विंध्याचल, अरावली, कार्डामम पहाड़ियां।

(ii) पर्वत-शिखर – के2, कांचनजुंगा, नंगा पर्वत, अनाइमुदी तथा दोदा बेटा।

(iii) पठार – शिलांग, छोटा नागपुर, मालवा तथा बुंदेलखंड।

(iv) थार मरुभूमि, पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप समूह, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा-जमुना द्वाब तथा कोरोमंडल तट।

16 जलवायु

जलवायु का अर्थ किसी विस्तृत क्षेत्र में एक लंबी अवधि (तीस वर्ष से अधिक) में पाई जाने वाली मौसम की दशाओं के कुल योग से है। मौसम तथा जलवायु के तत्त्व एक ही हैं अर्थात तापमान ,वायुमंडलीय दाब अथवा वायुदाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण। आपने देखा होगा कि मौसम की दशाएं प्रायः कभी-कभी एक दिन के भीतर भी बदलती रहती हैं। परंतु हफ्तों या महीनों में एक से प्रतिरूप भी पाए जाते हैं, जैसे दिन गर्म या ठंढे होते हैं, शांत या तेज हवा वाले होते हैं, बदली वाले या स्वच्छ होते हैं, या सूखे अथवा नम होते हैं। सामान्य मासिक वायुमंडलीय दशाओं के आधार पर वर्ष को ऋतुओं में बांटा जाता है जैसे जाड़ा, गर्मी या वर्षा ऋतु। संसार को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आपको मालूम है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है और ऐसा क्यों है? इसके बारे में हम निम्नलिखित पृष्ठों में अध्ययन करेंगे।

भारत की जलवायु को 'मानसून प्रकार' की जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के *मौसम* शब्द से बना है जिसका अर्थ है, वर्ष में पवनों का ऋतुवत् विपरीत दिशा में चलना। इस प्रकार की जलवायु दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में पाई जाती है। एक अंतर्निहित एकता तथा सामान्य प्रतिरूपों में समानता के बावजूद देश के भीतर जलवायु की दशाओं में काफी क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हम दो महत्त्वपूर्ण तत्त्व तापमान तथा वर्षण लेकर, देख सकते हैं कि वे स्थान-स्थान में तथा एक ऋतु से दूसरी ऋतु में किस प्रकार भिन्न हैं।

गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में तापमान कभी-कभी 50° से. या इससे अधिक हो जाता है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के पहलगाम में यह 20° से. के आसपास ही रहता है। जाड़ों की रात में जम्मू तथा कश्मीर के द्रास स्थान में तापमान - 45° से. तक गिर जाता है जबकि दूसरी ओर, तिरुवनंतपुरम में तापमान 20° से. से अधिक हो सकता है।

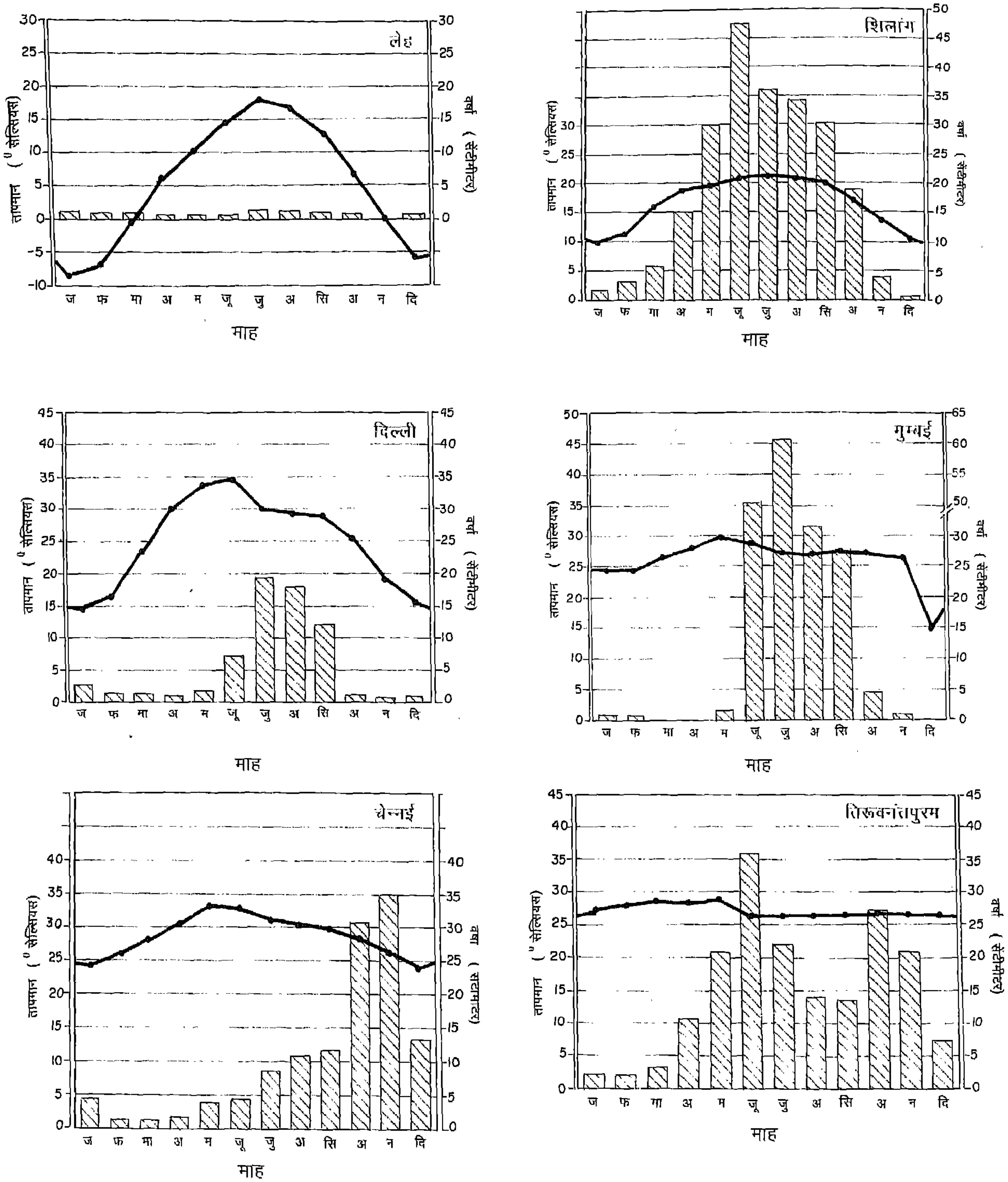
इन मोटे तथ्यों से भी हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत में स्थान-स्थान तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहुत अंतर पाया जाता है। अन्य अनेक स्थितियों में भी ऋतुवत् अंतर मिलता है। वास्तव में कुछ स्थानों में दिन तथा रात के तापमान में बहुत अंतर है। थार मरुभूमि में दिन का तापमान 50° से. हो सकता है और उसी दिन रात का तापमान हिमांक तक नीचा हो सकता है। इसके विपरीत अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह या केरल के दिन व रात के तापमान में बहुत ही कम (7°- 8° से.) अंतर होता है।

अब हम वर्षा या वर्षण के बारे में देखें। केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है वरन वर्षण की मात्रा तथा ऋतुवत वितरण में भी अंतर है। जबकि हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, देश के शेष भागों में जलवृष्टि ही होती है। औसत वार्षिक वर्षण का अंतर मेघालय में 400 सें.मी. से लेकर लद्दाख तथा पश्चिमी राजस्थान में 10 से.मी. से कम तक होता है। देश के अधिकांश भागों में जलवृष्टि (वर्षा) जून-सितंबर के बीच होती है। परंतु कुछ क्षेत्रों, जैसे तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जलवृष्टि शरद् ऋतु तथा जाड़ों के प्रारंभ में होती है। जाड़ों में देश के उत्तरी भागों में पश्चिमी विक्षोभों से जलवृष्टि होती है, जबकि तमिलनाडु में उत्तरी-पूर्वी मानसून से वर्षा होती है।

साधारणतया, तटीय क्षेत्रों में कम ताप परिसर पाया जाता है। देश के आंतरिक भागों में ऋतुवत् अंतर अधिक पाया जाता है। उत्तरी मैदानों में साधारणतया पूर्व से पश्चिम को वर्षा की मात्रा घटती जाती है। इन अंतरों के कारण यहां के निवासियों के जीवन – भोजन, वस्त्रों तथा आवासों में विविधिता पाई जाती है। परंतु मानसून की स्पष्ट एकता का आभास देश की मुख्य आर्थिक प्रक्रिया खेती तथा अन्य सूक्ष्म संवेदनाओं जैसे साहित्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला तथा त्योहार मनाने में देखा जा सकता है।

जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक

किसी स्थान की जलवायु अनेक कारकों के अंतर्संबंधों द्वारा प्रभावित होती है जैसे स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, वायुदाब तथा पवनें, ऊपरी वायुमंडल की वायुधाराएं, आदि। इनमें से अधिकतर एक-दूसरे से संबंधित हैं।



चित्र **16.1** *भारत के कुछ स्थानों के तापमान तथा वर्षण ग्राफ*

ऊपर दिए गए ग्राफों का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित के उत्तर दीजिए:

(i) उन स्थानों के नाम बताइए जहां अधिकतम तथा न्यूनतम वार्षिक ताप परिसर (तापांतर) पाया जाता है।

(ii) किस स्थान पर अधिकतम वार्षिक वर्षा होती है?

(iii) किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है?

(iv) उस स्थान का नाम बताइए जहां अक्तूबर-नवम्बर में अधिक वर्षा होती है।

(v) उस स्थान का नाम बताइए जहां लगभग सभी वर्षा दक्षिण-पश्चिम मानसून से होती है।

(vi) उस स्थान का नाम बताइए जहां तापक्रम विषम है और वर्षा जून तथा सितंबर के बीच केंद्रित है।

स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक

आपको ज्ञात है कि कर्क वृत्त हमारे देश को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इससे दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जबकि उत्तरी भाग उपोष्णकटिबंध में स्थित है।

भारत के उच्चावच मानचित्र (चित्र 15.3) को देखिए। प्रायद्वीपीय पठार के त्रिभुजाकार रूप के कारण इसे घेरे हुए महासागर तथा सागरों का समकारी प्रभाव इसके एक बहुत बड़े क्षेत्र पर पड़ता है। उत्तरी मैदान प्रायः महाद्वीपीय स्थिति वाले हैं क्योंकि वे समुद्र से दूर हैं।

उत्तर में ऊंची पर्वत शृंखला एक प्रभावी जलवायु विभाजक का कार्य करती है। ये मध्य एशिया में उत्पन्न होने वाली ठंढी और बर्फीली पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करती हैं। इन पर्वत शृंखलाओं के कारण ही भारत जाड़ों में अपेक्षाकृत गर्म जलवायु का अनुभव करता है तथा उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय भारत के ताप परिसरों में अधिक अंतर नहीं बढ़ने पाता।

वायुदाब तथा पवनें

भारतीय ऋतु-दशाएं मुख्यतः निम्नलिखित से प्रभावित होती हैं :

(i) वायुदाब के वितरण तथा धरातलीय पवनों से;

(ii) ऊपरी वायुमंडल की वायुधाराओं से; तथा

(iii) पश्चिमी विक्षाभों के जाड़े में आगमन तथा दक्षिण-पश्चिम मानसून के समय उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से।

संसार के वायुदाब की पेटियों तथा भूमंडलीय पवनों को दिखाने वाले मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि भारत उत्तर-पूर्वी संमार्गीय (व्यापारिक) पवनों के क्षेत्र में पड़ता है। यह पवन उत्तरी गोलार्ध की उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं। वहां से ये विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं और अपने दाहिने हाथ की ओर अर्थात पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। ज्ञात कीजिए इन पवनों को 'ट्रेड पवनें' क्यों कहते हैं? (ध्यान रहे इस संबंध में ट्रेड जर्मन भाषा का एक शब्द है।) ये पवनें भारत में आर्द्रता-रहित होती हैं अतः इनसे देश के अधिकतर भागों में वर्षण नहीं होता। इस नाते तो भारत को एक शुष्क देश होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं हैं। क्यों? हमें इसका कारण ज्ञात करना चाहिए।

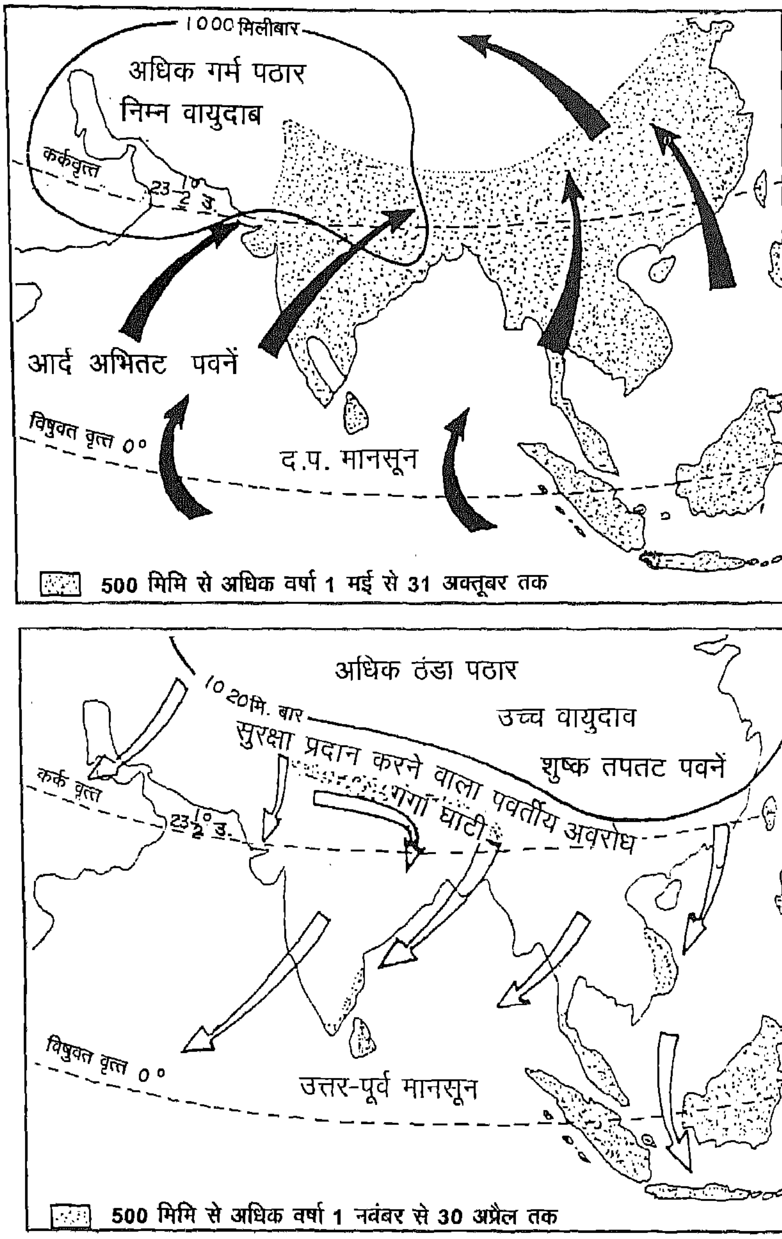
जाड़े की ऋतु में हिमालय के उत्तर में एक उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है। उत्तर से अपेक्षाकृत गर्म दक्षिण की ओर सूखी ठंढी पवनें चलती हैं। वर्ष भर यहां मेघ रहित आकाश पाया जाता है। गर्मियों में, स्थल जल की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है। अतः एशिया के आंतरिक भागों में एक निम्नदाब क्षेत्र विकसित होता है। इसके कारण दक्षिण में हिंद महासागर में केंद्रित उच्च दाब क्षेत्र से पवनें उत्तर के निम्नदाब क्षेत्र की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। इस प्रकार पवनों की दिशा बिल्कुल विपरीत हो जाती है। यह दक्षिण से चलने वाली पवनें भी अपने दाहिने हाथ की ओर मुड़ जाती हैं। इन्हें दक्षिण-पश्चिम मानसून कहते हैं। ये हवाएं समुद्र की ओर से आने के कारण आर्द्रता-युक्त होती हैं और देश के अधिकांश भागों में वर्षण करती हैं।

ऊपरी (उपरितन) वायु धाराएं

वायुमंडल के ऊपरी भागों में वायु धाराओं का प्रतिरूप बहुत ही भिन्न होता है। हिमालय के उत्तर में पश्चिम तथा मध्य एशिया में एक पछुआ वायु धारा चलती है। ये ऊपरी वायुमंडल में एक पतली-सी पेटी में बहुत तेज गति से चलने वाली हवाएं हैं। इन्हें *जेट स्ट्रीम* कहते हैं। तिब्बतीय उच्च भूमि इन पछुआ जेट स्ट्रीम के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है और ये दो भागों में बंट जाती हैं। इनकी दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलती है। ये भारत में जाड़े के मौसम पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव दिखाती हैं। पश्चिमी विक्षोभ, जो भारत में पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम से प्रवेश करते हैं, इन्हीं वायु धाराओं द्वारा यहां लाए जाते हैं। गर्मियों में यह पछुवा जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर खिसक कर मध्य एशिया में तेनशान पर्वतों के उत्तर की ओर स्थित हो जाती है। इसका स्थान एक पूर्वी जेट स्ट्रीम ले लेती है जो उत्तरी भारत में 25° उत्तरी आक्षांश के साथ चलती हैं। स्थलीय भागों में निम्नदाब तथा इस पूर्वी जेट स्ट्रीम के प्रभाव से भारत में गर्मियों में उष्णकटिबंधीय अवदाब प्रवेश करते हैं। यह अवदाब मानसूनी वर्षण को सारे भारत में वितरित करने में सहायक होते हैं।

भारतीय मानसून

ऊपर के संक्षिप्त वर्णन में दी गईं दशाएं - भारत के ऊपर जाड़े तथा गर्मी के महीनों में पाई जाने वाली ऋतु दशाएं - उस विशिष्ट जलवायु तंत्र के विभिन्न पक्ष हैं जिसे भारतीय मानसून कहते हैं।



चित्र 16.2 *भारतीय मानसून*

मानसून का परिदृश्य बहुत प्राचीन है परंतु इसके कारकों तथा स्वभाव पर निरंतर अनुसंधान हो रहे हैं। यद्यपि मानसूनी परिदृश्य केवल 20° उत्तर तथा 20° दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ही सीमित है, पर विश्व स्तर पर इसके परिदृश्य के संबंध में महत्त्वपूर्ण अध्ययन हुए हैं। हिमालय से प्रभावित होने के कारण यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला है।

मानसून का स्वभाव एवं रचना-तंत्र संसार के विभिन्न भागों में, स्थल, महासागरों तथा ऊपरी वायुमंडल से एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा जाता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती (लगभग 18° द. तथा 149° प.) तथा हिंद महासागर में आस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन (12°30´ द. तथा 131° पू.) के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर मापकर मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। भारत का मौसम विभाग 16 कारकों (मापदंडों) के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में काफी समय का पूर्वानुमान लगाता है। पिछले कुछ वर्षों में इसके पूर्वानुमान निश्चित ही सही उतरे हैं।

वार्षिक ऋतु चक्र

मानसून तुल्य जलवायु की विशेषता एक स्पष्ट ऋतु चक्र है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की दशाएं बहुत बदल जाती हैं। यह परिवर्तन देश के भीतरी भागों में विशेष रूप से देखे जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में तापमान के अधिक अंतर का अनुभव नहीं होता पर वर्षण के प्रतिरूप में निश्चित अंतर पाया जाता है। भारत में चार मुख्य ऋतुएं हैं और उनके निश्चित क्रम ये हैं :

(i) ठंडी शीत ऋतु
(ii) गर्म ग्रीष्म ऋतु
(iii) आगे बढ़ते हुए मानसून की ऋतु
(iv) पीछे हटते (लौटते) हुए मानसून की ऋतु

***ठंडी शीत ऋतु* :** उत्तरी भारत में मध्य नवंबर से शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती हैं और फरवरी तक रहती हैं। दिसंबर जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर घटने लगता है। जबकि चेन्नई में औसत तापमान 24° से. से 25° से. के बीच रहता है, उत्तरी मैदानों में यह 100 से. से 150 से. के बीच रहता है। दिन प्रायः गरम रहते हैं पर रातें ठंडी होती हैं, ऊंचे क्षेत्रों में सामान्यतया पाला पड़ता है।

इस ऋतु में देश के ऊपर उत्तरी-पूर्वी संमार्गी व्यापारिक पवनें चलती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं अतः देश के अधिकतर भाग में यह सूखी ऋतु होती है। फिर भी तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में इन्हीं पवनों से वर्षण होता है क्योंकि यहां ये समुद्र को पार करके स्थल में पहुंचती हैं।

देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्चदाब वाला क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में मंद पवनें बाहर की ओर चलने लगती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर गंगा की घाटी में यह पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम दिशा से बहती हैं। मौसम प्रायः सुहावना रहता है, आकाश स्वच्छ तथा तापमान एवं आर्द्रता कम होते हैं।

उत्तरी भाग के मैदानों में शीत ऋतु की एक खास विशेषता पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम से आने वाले विक्षोभ हैं। इन निम्नदाब के प्रक्रमों को पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, जो भूमध्य सागर तथा पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होते हैं। ये पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं और भारत में पछुआ जेट स्ट्रीम द्वारा लाए जाते हैं। इनसे मैदानी भागों में बहु-प्रतीक्षित वर्षा तथा हिमालय क्षेत्रों में हिमपात होता है। यद्यपि जाड़ों में वर्षा की मात्रा कम होती है परंतु रबी की फसल के लिए यह बहुत मूल्यवान है।

प्रायद्वीपीय क्षेत्र में शीतऋतु बहुत स्पष्ट नहीं होती। समुद्र के प्रभाव के कारण, तापमान के वितरण में यहां अधिक ऋतुवत अंतर नहीं पाया जाता।

गर्म ग्रीष्म ऋतु : सूर्य के उत्तरायण होने के कारण विश्व की उष्मा-पेटी दक्षिण से उत्तर की ओर खिसक जाती है। फलतः भारत में मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु होती है। परंतु उष्मा-पेटी के खिसकने का प्रभाव विभिन्न अक्षांशों पर स्थित विभिन्न स्थानों के मार्च से मई के तापमानों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दक्कन के पठार में मार्च के महीने में अधिकतम तापमान लगभग 38° से. पाया जाता है। अप्रैल के महीने में गुजरात तथा मध्यप्रदेश में तापमान 42° से. के आसपास पाए जाते हैं। मई के महीने में देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में 48° से. के आसपास तापमान का होना सामान्य बात है। प्रायद्वीपीय भारत में महासागर के तापमान पर समकारी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है (दक्कन पठार में 38° से.)। देश के उत्तरी-पश्चिमी भाग में 48° से. तापमान इस बात का प्रतीक है कि समुद्र से बहुत दूर होने के कारण यहां के तापमान पर समुद्र का समकारी प्रभाव नहीं पड़ता।

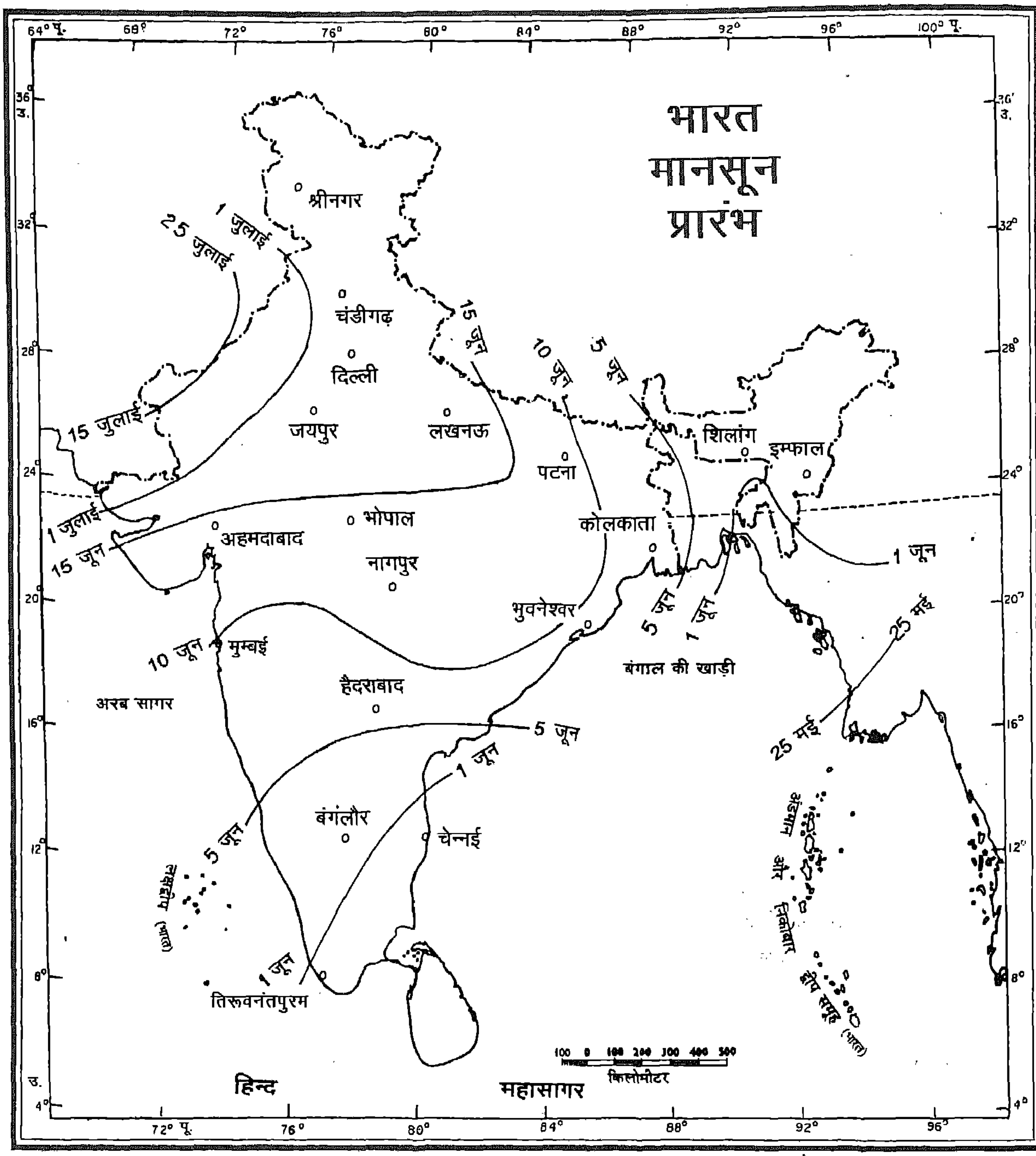
ग्रीष्म ऋतु में देश के उत्तरी भाग में बढ़ते हुए तापमान तथा घटते हुए वायुदाब का अनुभव होता है। मई के अंत तक यहां एक लंबा निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है जो उत्तर-पश्चिम में थार की मरुभूमि से पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक फैला होता है। वायु का परिसंचरण इस निम्नदाब क्षेत्र (गर्म) की ओर प्रारंभ हो जाता है।

ग्रीष्म ऋतु का एक विशिष्ट लक्षण गर्म हवा 'लू' है। ये उत्तरी तथा उत्तरी-पश्चिमी भारत में चलने वाली शुष्क, गर्म तथा तेज़ हवाएं हैं। ये अधिकतर अर्धरात्रि तक भी चलती रहती हैं। इन गर्म हवाओं का संपर्क कभी-कभी प्राण घातक भी हो सकता है। इस क्षेत्र में मई के महीने में शाम को आने वाले अंधड़ तथा तूफान बहुत साधारण घटना हैं। इन आंधियों के बाद कभी-कभी हल्की वर्षा हो जाने से शीतल हवाएं बहने लगती हैं, इनसे तापमान कम हो जाता है और कष्टदायक गर्मी से, अस्थायी ही सही, राहत मिलती है। स्थानीय तूफानों के उत्पन्न होने के साथ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, मूसलाधार वर्षा होती है तथा कभी-कभी ओले गिरना भी सामान्य बात है।

ग्रीष्म ऋतु के अंत में केरल तथा कर्नाटक में मानसून - पूर्व फुहारें पड़ना सामान्य बात है। आम के फलों के शीघ्र पकने में सहायक होने के कारण इस फुहार को स्थानीय भाषा में 'आम्रवृष्टि' कहा जाता है।

आगे बढ़ता हुआ मानसून - वर्षा ऋतु : उत्तरी -पश्चिमी मैदानों में जून के प्रारंभ तक निम्नदाब दशाएं और अधिक तीव्र हो जाती हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध की संमार्गी (व्यापारिक) पवनों को आकर्षित करने में काफी सक्षम होती हैं। ये दक्षिणी-पूर्वी संमार्गी (व्यापारिक) पवनें महासागरों में उत्पन्न होती हैं। हिंद महासागर के ऊपर से बहती हुई ये पवनें विषुवत वृत्त को पार करती हैं और दक्षिण-पश्चिम दिशा से चलने लगती हैं। विषुवत रेखीय गर्म जल धारा के ऊपर से गुजरने के कारण ये अपने साथ भारी मात्रा में आर्द्रता लेकर आती हैं। संमार्गी(व्यापारिक) पवनों की भांति मानसून पवनें उतनी नियमित नहीं होतीं। इनकी प्रकृति स्पंदनयुक्त होती है।

ये पवनें तेज चलती हैं और इनकी औसत गति 30 किलोमीटर प्रतिघंटा होती है। सुदूर उत्तर-पश्चिम को छोड़कर, ये पवनें एक महीने में ही सारे देश में फैल जाती हैं। आर्द्रता से युक्त इन पवनों के साथ ही बादलों की तेज गड़गड़ाहट,



भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।
समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

© भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2002

चित्र 16.3 *आगे बढ़ता हुआ मानसून*

बिजली चमक और मूसलधार वर्षा होती है। इसे 'मानसून का फटना' कहते हैं।

भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन के साथ मौसम में पूरा परिवर्तन हो जाता है। भारतीय प्रायद्वीप मानसून को दो शाखाओं में बांट देता है : अरब सागर की शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा।

मानसून की अरब सागर शाखा के मार्ग में पश्चिमी घाट पर्वत अवरोध के रूप में आ जाते हैं। सह्याद्रि पर्वतों के पवनाविमुख ढालों पर बहुत भारी वर्षा होती हैं। पश्चिमी घाटों को पार करके, ये हवाएं दक्कन के पठार तथा मध्य प्रदेश में पहुंचती हैं। यहां इनसे अच्छी मात्रा में वर्षा होती है। उसके बाद ये गंगा के मैदान में प्रवेश करती हैं और मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा से मिल जाती हैं। अरब सागर की शाखा का दूसरा भाग सौराष्ट्र प्रायद्वीप तथा कच्छ में प्रवेश करता है। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर से आगे बढ़ता हुआ यहां यह हल्की वर्षा करता है। पंजाब तथा हरियाणा में यह भी बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाता है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के साथ मिलकर पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में वर्षा करती हैं।

बंगाल की खाड़ी की शाखा स्वाभाविक रूप से म्यांमार के तट तथा बांग्लादेश के दक्षिणी-पूर्वी भागों की ओर बढ़ती हैं। परंतु म्यांमार के तट के साथ विस्तृत अराकान पहाड़ियों के कारण मुड़कर इस शाखा का अधिकांश भाग दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व दिशा से बांग्लादेश तथा पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करता है। हिमालय तथा उत्तरी-पश्चिमी भारत के तापीय निम्नदाब के कारण यह शाखा दो भागों में बंट जाती हैं। एक भाग पश्चिम की ओर गंगा के मैदान से होते हुए पंजाब के मैदानों तक पहुंचता है। दूसरा भाग ब्रह्मपुत्र की घाटी में ऊपर उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ता है और उत्तर-पूर्वी भारत में खूब वर्षा करता है। खासी पहाड़ियों की दक्षिणी श्रेणी के शीर्ष पर स्थित माउसिनराम में संसार की सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है। चेरापूंजी, जो माउसिनराम से 16 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, ने वर्षा के कुछ अन्य कीर्तिमान स्थापित किए हुए है।

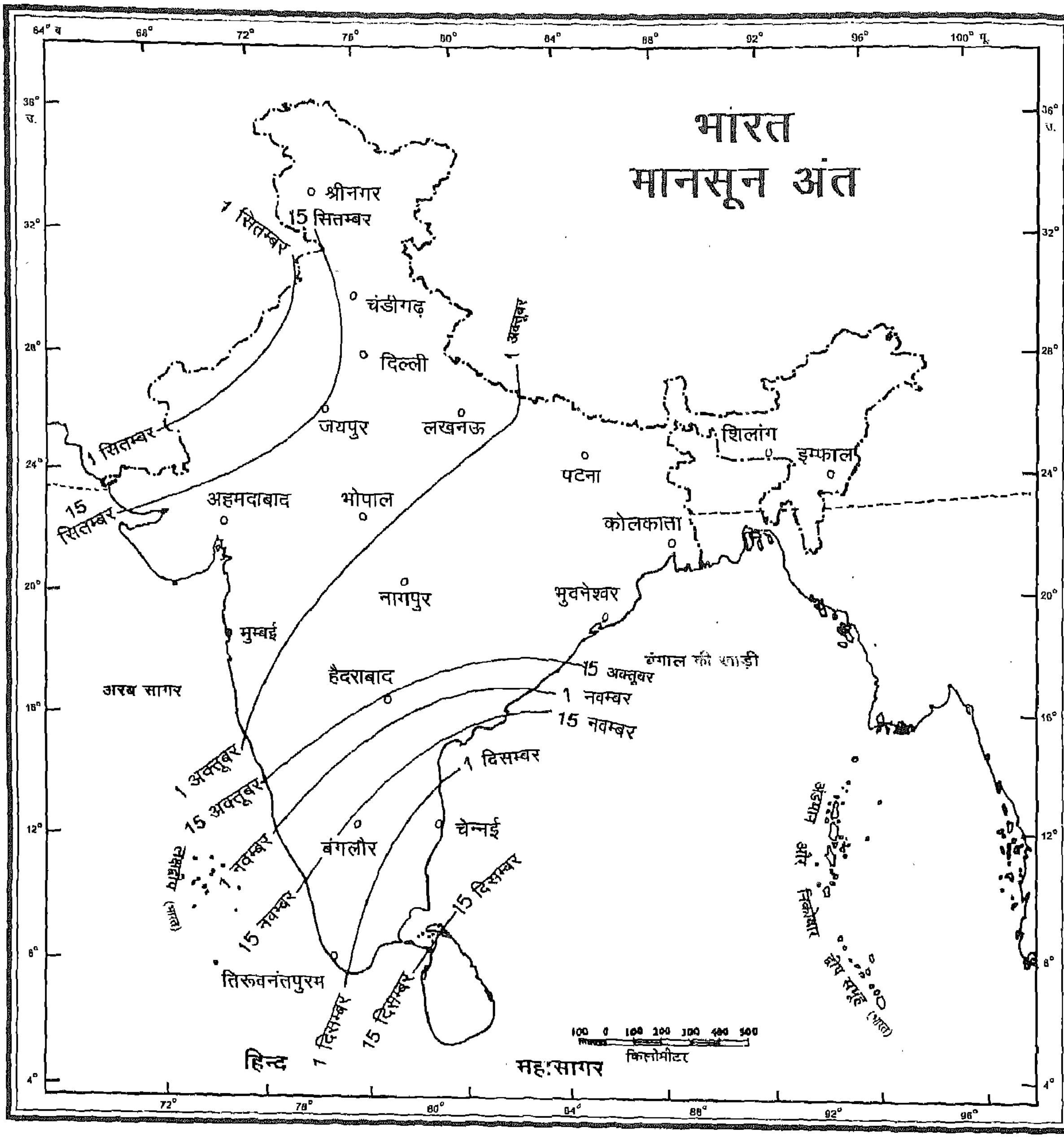
दक्षिण-पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा का वितरण देश के उच्चावच से प्रभावित है। उदाहरणस्वरूप पश्चिमी घाट पर्वतों के पवनाभिमुख ढालों पर 250 से.मी. से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। इसके विपरीत इन घाटों के वृष्टि-छाया प्रदेश में 50 से.मी. से कम वर्षा होती है। इसी प्रकार उत्तरी-पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा यहां की पहाड़ियों तथा पर्वत श्रेणियों के कारण होती है। इस ऋतु में कोलकाता में 120 से.मी., पटना में 102 से.मी., इलाहाबाद में 91 से.मी. तथा दिल्ली में 56 से.मी. वर्षा होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की यह घटती हुई मात्रा समुद्र से बढ़ने वाली दूरी के कारण है।

मानसून की प्रवृत्ति के संबंध में दूसरा महत्त्वपूर्ण तथ्य इसका 'टूटना' या क्रम-भंग होना है। इसलिए इसमें सूखे और आर्द्र अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में, मानसूनी वर्षा एक साथ केवल कुछ दिनों तक होती है। इनके बीच में वर्षा-रहित अंतराल होते हैं। मानसून के ये क्रम-भंग उष्णकटिबंधीय अवदाब की तीव्रता तथा आवृत्ति से संबंधित हैं। ये अवदाब बंगाल की खाड़ी के शीर्ष भाग में उत्पन्न होते हैं और फिर मुख्य भू-भाग पर आगे बढ़ते हैं। इस अवदाब का मार्ग 'निम्नदाब के मानसूनी गर्त' के अक्ष के साथ-साथ होता है। अनेक कारणों से यह गर्त तथा इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है जिससे वर्षा का धरातलीय वितरण निर्धारित होता है। जब इस मानसून गर्त का अक्ष मैदानों के ऊपर रहता है तब इन भागों में अच्छी वर्षा होती है। इसके विपरीत जब यह अक्ष हिमालय के निकट खिसक जाता है तब, हिमालय से निकलने वाली नदियों के अपवाह-क्षेत्रों में, अधिक वर्षा होती है और मैदानों में लंबी अवधि का सूखा मौसम हो जाता है। पर्वतीय ढालों पर भारी वर्षा के फलस्वरूप विनाशकारी बाढ़ें आती हैं जिससे मैदानी भागों में जन-धन की भारी हानि होती है।

मानसून अपनी अनिश्चितता तथा स्वेच्छाचारिता के लिए विख्यात है। तीव्रता, आवृत्ति तथा अवधि की दृष्टि से सूखे तथा वर्षा के दिनों का क्रम बदलता रहता है। किसी एक भाग में इनसे बाढ़ें आ सकती हैं जबकि दूसरे भाग में ये सूखे के लिए उत्तरदायी होंगी। मानसून अपने आगमन और वापसी में अनियमित एवं अनिश्चित होता है इससे देश के करोड़ों कृषकों के कृषि-कार्यों में बाधा पड़ती है और अव्यवस्था होती है।

पीछे हटता हुआ मानसून

अक्टूबर और नवंबर के महीनों में, निम्नदाब का मानसून गर्त कमजोर पड़ जाता है और उसका स्थान धीरे-धीरे उच्च वायुदाब ले लेता है। मानसून की पहुंच कम हो जाती है और यह धीरे-धीरे पीछे हटने लगता है। इसे ही मानसून का पीछे हटना कहते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून उत्तरी मैदानों से पीछे हटने लगता है।

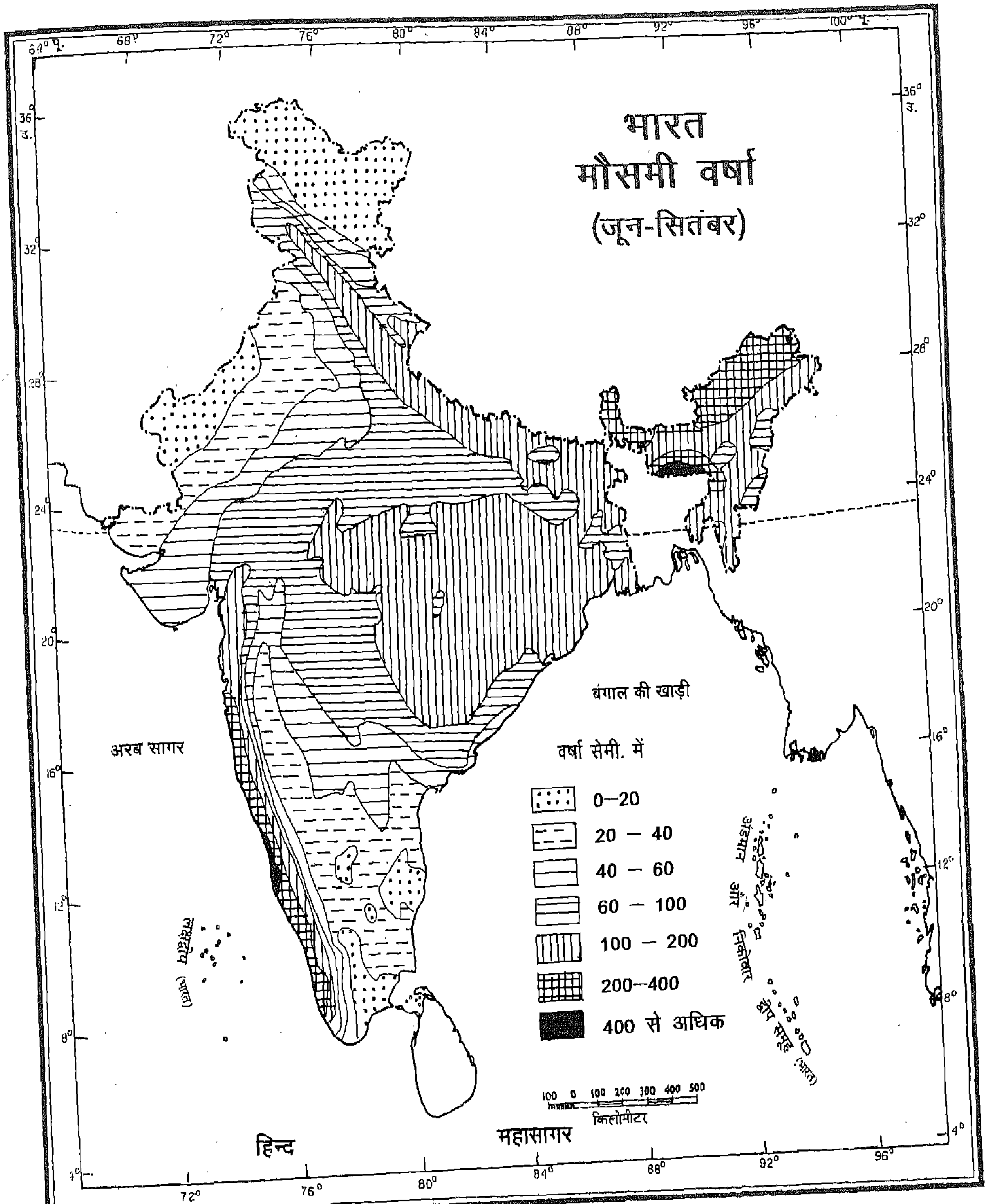


भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।
समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परन्तु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
आतंरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।
इस मानचित्र में दर्शित आक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

© भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2002

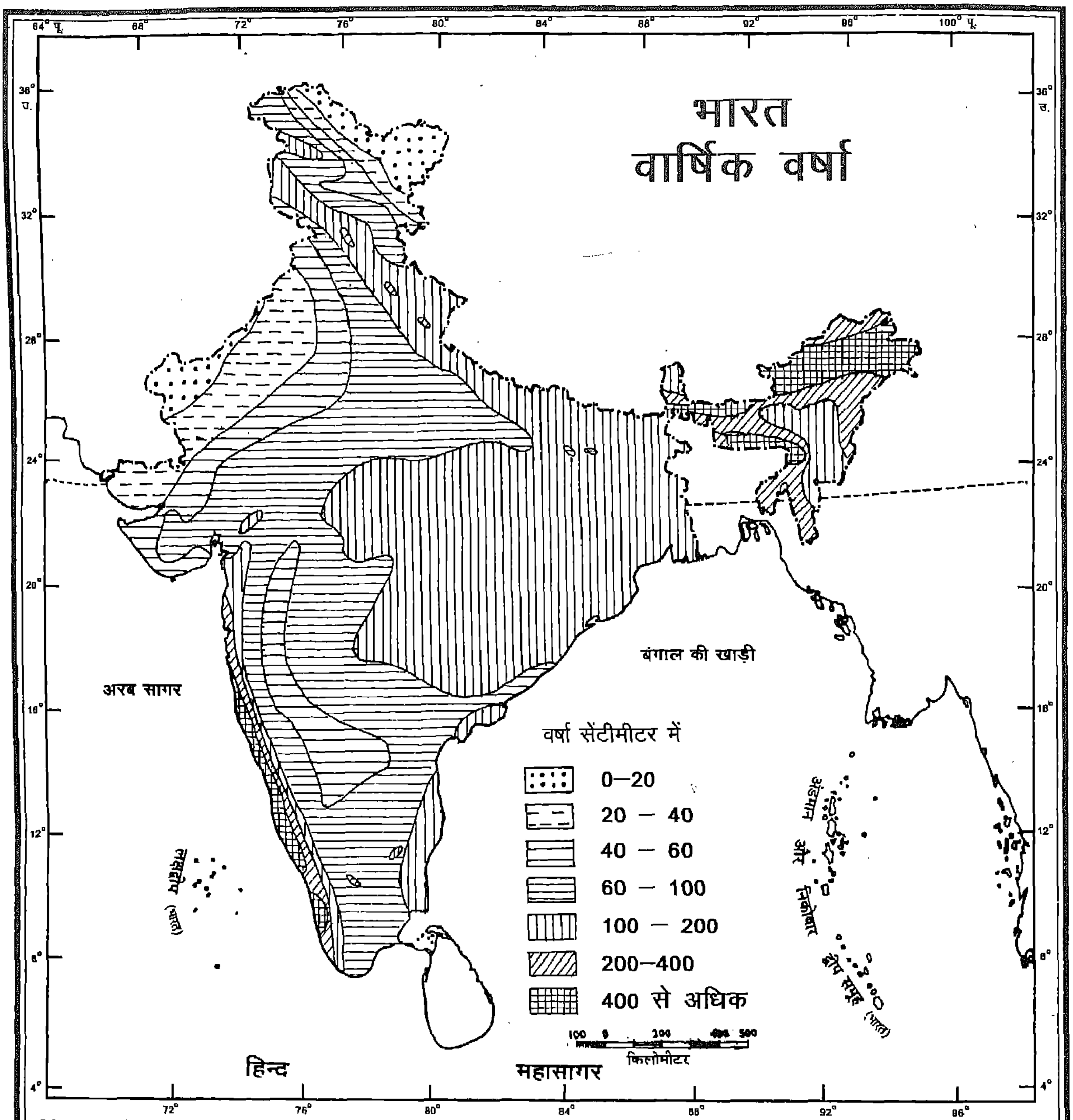
चित्र 16.4 *पीछे हटता हुआ मानसून*

अक्टूबर-नवंबर के महीने संक्रमण के समय हैं जब गर्म वर्षा ऋतु के स्थान पर शुष्क शीतकालीन दशाएं प्रारंभ होती हैं। स्वच्छ आकाश तथा बढ़ता हुआ तापमान पीछे हटते मानसून के द्योतक हैं। दिन में तापमान बढ़ जाते हैं और रातें ठंडी तथा सुखद होती हैं। भूमि अभी आर्द्र रहती है। उच्च तापमान तथा आर्द्रता की दशाओं के



चित्र 16.5 *ऋतुवत् वर्षा (जून-सितंबर)*

कारण दिन का मौसम कष्टदायक हो जाता है। इसे सामान्य भाषा में 'क्वांर की उमस' कहते हैं। अक्टूबर के उत्तरार्ध में, विशेषकर उत्तरी भारत में, तापमान तेजी से गिरने लगता है।



भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

© भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2002

समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

चित्र 16.6 *वार्षिक वर्षा*

नवंबर के प्रारंभ में उत्तरी-पश्चिमी भारत में पहले से बना निम्न वायुदाब क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाता है। इस स्थानांतरण का संबंध उन चक्रवातीय अवदाबों से है जो अंडमान सागर में उत्पन्न होते हैं। इनमें से जो अवदाब

अवदाब भारत के पूर्वी तट को पार कर जाते हैं वे व्यापक तथा भारी वर्षा करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः बहुत विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के सघन बसे डेल्टा प्रदेशों में ये चक्रवात अक्सर आते हैं ओर इनसे जन-धन की बहुत हानि होती है। कभी-कभी यह चक्रवात उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तथा बांग्लादेश में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है।

वर्षण का वितरण

भारत के पश्चिमी तट तथा उत्तरी-पूर्वी भागों में वार्षिक वर्षा 300 सें.मी. से अधिक है। परंतु पश्चिमी राजस्थान तथा इसके निकटवर्ती गुजरात, हरियाणा तथा पंजाब के भागों में इसकी मात्रा 50 सें.मी. से भी कम होती है। इसी प्रकार सह्याद्रि के पूर्व में दक्कन पठार के आंतरिक भागों में भी वर्षा कम होती है। कम वर्षण वाला एक तीसरा क्षेत्र लेह के आसपास जम्मू तथा कश्मीर में है। देश के शेष भागों में साधारण वर्षा होती है। हिमपात हिमालय क्षेत्रों तक ही सीमित है।

मानसून की स्वेच्छाचारिता के कारण वार्षिक वर्षा की मात्रा वर्ष-प्रतिवर्ष बहुत घटती-बढ़ती रहती है। वर्षा की यह विषमता (परिवर्तनशीलता) निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों, जैसे राजस्थान, गुजरात तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टिछाया प्रदेशों, में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है।

मानसून : एकता का परिचायक

हम यह पहले पढ़ चुके हैं कि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की अत्यंत ठंडी पवनों से रक्षा करते हैं। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च आक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं। परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु-चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि-चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार-उत्सव, सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए :

   (i) 'मानसून' का क्या अर्थ है?

   (ii) मौसम तथा जलवायु के तत्त्वों के नाम लिखिए।

   (iii) भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है?

   (iv) भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों के नाम लिखिए।

   (v) 'जेट स्ट्रीम' क्या हैं?

   (vi) भारत में कितनी ऋतुएं मानी जाती हैं? उनके नाम लिखिए।

   (vii) भारत में दक्षिणी-पश्चिमी पवनों से वर्षा क्यों होती है?

   (viii) 'लू' शब्द से क्या अर्थ है?

   (ix) भारत में किस स्थान पर संसार की सर्वाधिक वर्षा आलेखित की गई है?

   (x) भारत के अधिक वर्षा वाले चार महीनों के नाम बताइए।

   (xi) 'पीछे हटती मानसून' का क्या अर्थ है?

   (xii) 'मानसून फटने' का क्या अर्थ है?

2. कारण बताइए :

(i) भारतीय उपमहाद्वीप में पवनों की दिशा ऋतुवत विपरीत होती है।

(ii) भारत की अधिकांश वर्षा केवल कुछ महीनों में ही होती है।

(iii) तमिलनाडु तट पर जाड़े में वर्षा होती है।

(iv) गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के डेल्टाओं में चक्रवात प्रायः आते हैं।

(v) राजस्थान, गुजरात तथा पश्चिमी घाट के वृष्टिछाया क्षेत्र सूखा से प्रभावित हैं।

3. भारत की जलवायु दशाओं की क्षेत्रीय विषमताओं को उपयुक्त उदाहरण देते हुए समझाए।

4. भारत की जलवायु दशाओं को नियंत्रित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।

5. भारत की जलवायु के निर्धारण में स्थिति एवं उच्चावच का महत्त्व बताइए।

6. भारत में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कीजिए।

7. भारत में वर्षण का वितरण स्पष्ट कीजिए। इसके असमान वितरण के प्रभाव भी बताइए।

8. मानसून भारत में एकता कैसे स्थापित करता है, समझाइए।

मानचित्र कार्य

भारत के रेखामानचित्र में निम्नलिखित दिखाइए :

(i) 300 से.मी. से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र।

(ii) 20 से.मी. से कम वर्षा वाले क्षेत्र

(iii) भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून की दिशा।

(iv) उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के सामान्य मार्ग।

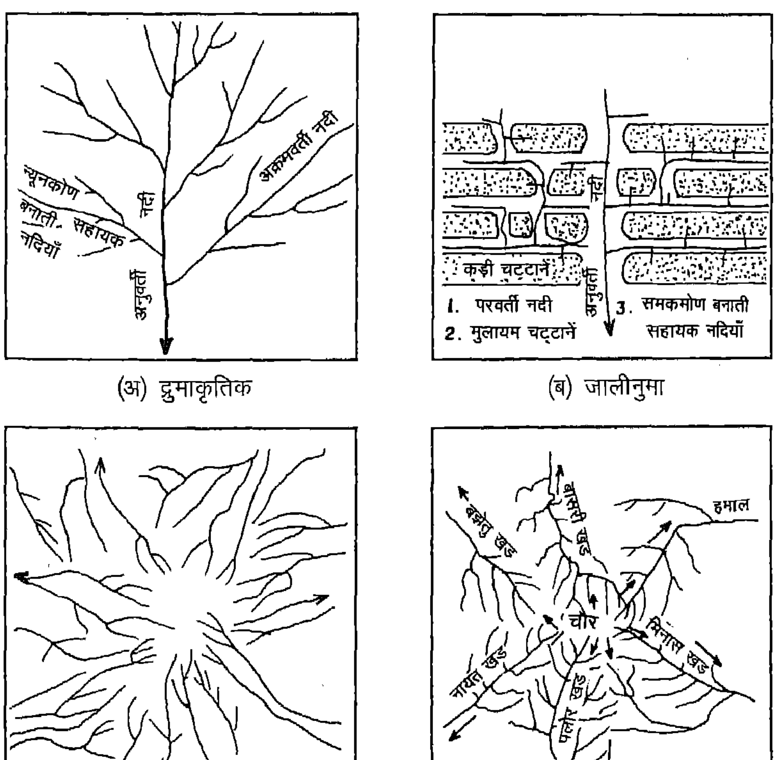
परियोजना कार्य

- ज्ञात कीजिए कि आपके क्षेत्र में कौन-से गीत, नृत्य, त्योहार तथा विशेष भोजन ऋतुओं से संबंधित हैं। क्या उनकी भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों से भी कुछ समानता है ?
- भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विशेष ग्रामीण मकानों तथा लोगों की वेशभूषा के फोटोग्राफ इकट्ठे कीजिए। देखिए कि क्या उनमें और उन क्षेत्रों की जलवायु की दशाओं तथा उच्चावच में कोई संबंध है।

17 अपवाह

'अपवाह' या 'प्रवाह' शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र के नदी तंत्रों के अध्ययन के लिए किया जाता है। किसी भी प्राकृतिक मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि छोटी धाराएं विभिन्न दिशाओं से बहकर आती हैं और मिलकर मुख्य नदी का निर्माण करती हैं, जो अंततः बहकर जल के बहुत बड़े भाग जैसे एक झील, अथवा समुद्र अथवा महासागर में मिलती हैं। किसी एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक 'प्रवाह द्रोणी' या 'नदी द्रोणी' कहते हैं। अधिक गौर से देखने पर आप पाएंगे कि एक ऊंची भूमि, जैसे पर्वत या उच्चभूमि, दो पड़ोसी प्रवाह द्रोणियों को पृथक करती है। ऐसी उच्च भूमि को जल-भाजक अथवा जल-विभाजक कहते हैं।

एक प्रवाह-द्रोणी में धाराओं की व्यवस्था काफी रोचक होती है। उच्चावच, भूगर्भीय संरचना तथा जलवायु की दशाओं के आधार पर नदियां अनेक प्रतिरूप बनाती हैं जैसे वृक्षाकार, जालीनुमा तथा अपकेंद्री। जैसा नाम से ही स्पष्ट होता है 'वृक्षाकार प्रतिरूप' में एक मुख्य नदी और उसकी सहायक धाराएं होती हैं जो वृक्ष की शाखाओं के समान दिखाई पड़ता है। 'अपकेंद्री प्रतिरूप' में धाराएं एक केंद्रीय शिखर या गुंबदाकार भाग से विभिन्न दिशाओं में चारों तरफ प्रवाहित होती हैं। जब एक बड़ी नदी में अनेक छोटी धाराएं, प्रायः समकोण बनाती हुई, मिलती हैं तो इससे एक आयताकार प्रणाली, जिसे 'जालीनुमा प्रतिरूप' कहते है, बनती है।



(अ) द्रुमाकृतिक (ब) जालीनुमा (स) अरीय (द) यमुना द्रोण का एक हिस्सा

चित्र 17.1 *प्रवाह प्रतिरूप (अ) वृक्षाकार (ब) अपकेंद्री (स) जालीनुमा (द) गिरी द्रोणी, यमुना की एक सहायक नदी*

इस पृष्ठभूमि के साथ हम भारत के प्रवाह तंत्र को भली प्रकार समझ सकते हैं। प्रवाह तंत्र वास्तव में देश के प्रमुख भू-उच्चावच की विकास प्रक्रिया का परिणाम है। उद्गम के आधार पर भारत के नदी तंत्रों को दो भागों में विभाजित किया जाता हैः

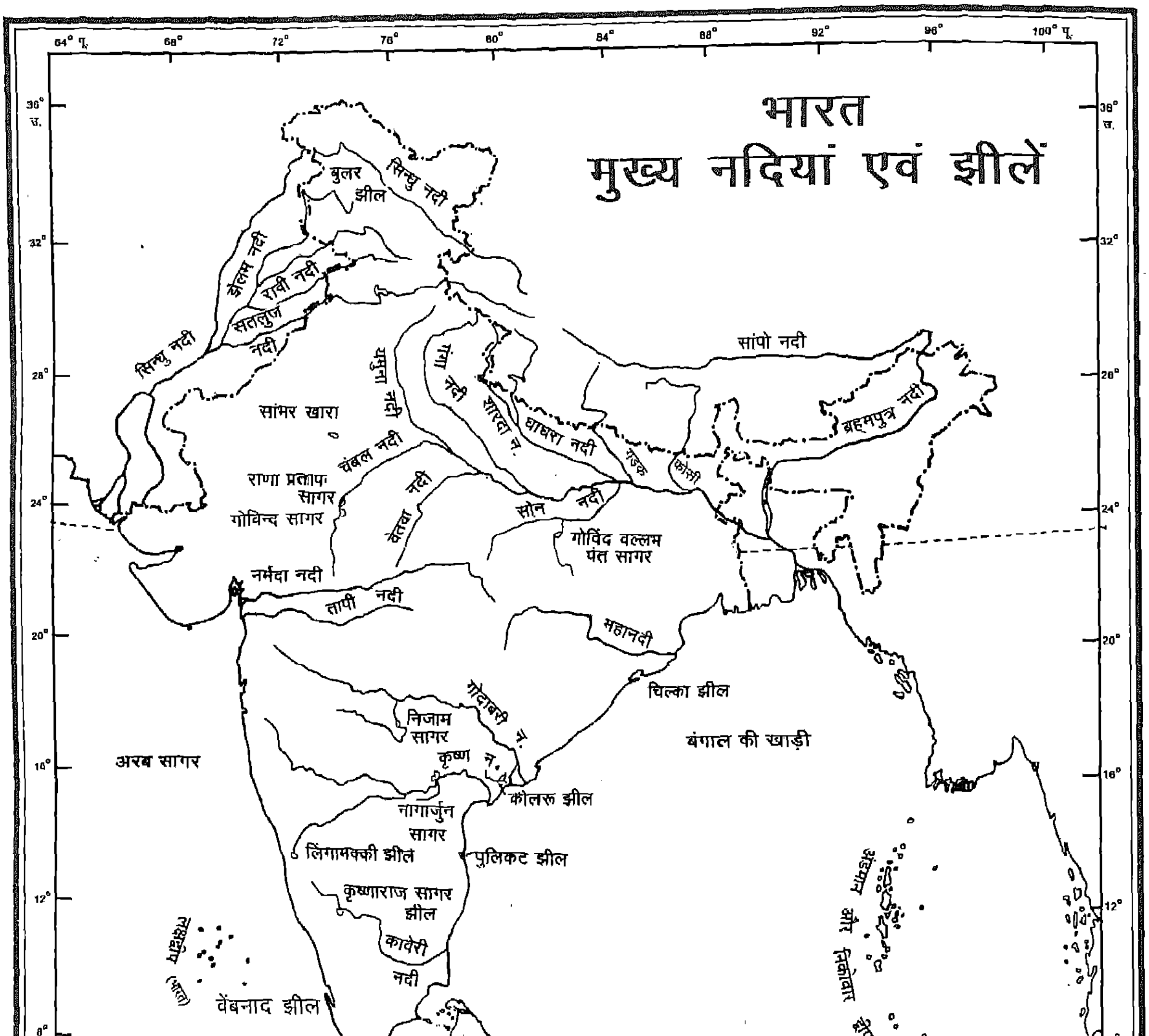
(i) हिमालय की नदियां, तथा

(ii) प्रायद्वीपीय नदियां

इन दो वर्गों की नदियों में महत्त्वपूर्ण अंतर है। हिमालय की नदियों की द्रोणियां बड़ी हैं। अनेक नदियां हिमालय से होकर गुजरती हुई बहुत ही दर्शनीय महाखड्ड (गार्ज) बनाती हैं। ये गहरी घाटियां जिनके किनारे तेज ढाल वाले हैं, हिमालय के उत्थान के समय इन नदियों द्वारा होने वाले गहरे कटाव के फलस्वरूप बनी हैं। ये नदियां *सदावाहिनी* हैं क्योंकि इन्हें वर्षा तथा बर्फ के पिघलने से भी जल प्राप्त होता है। ये नदियां ऊपरी भागों में अत्यधिक अपरदन करती हैं और विशाल मात्रा में बालू तथा मिट्टी बहाकर ले जाती हैं। मैदानों में ये विशाल मोड़ या विसर्प बनाती

हैं तथा अवसाद के निक्षेपों से विभिन्न प्रकार की आकृतियां जैसे बाढ़ के मैदान, तटबंध तथा तेज़ ढाल वाले टीले आदि बनते हैं।

प्रायद्वीपीय नदियां कम गहरी घाटियों से होकर बहती हैं। इनमें से अधिकांश मौसमी हैं क्योंकि उनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर होता है। गर्मी के दिनों में बड़ी नदियों की धाराओं



भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।
समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ मे है।
इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।
इस मानचित्र मे दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

© भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2002

चित्र 17.2 *भारत की प्रमुख नदियां तथा झीलें*

में भी बहुत कम पानी का बहाव होता है। उनके मंद ढाल के कारण उनमें अपरदन की क्रिया अपेक्षाकृत कम होती है। कठोर शैलों वाली तली तथा बालू और गाद की कमी के कारण इन नदियों में कोई विशेष विसर्पण नहीं हो पाता। इसलिए अनेक नदियों के मार्ग सीधे तथा रैखिक हैं।

अपवाह तंत्र

हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां अनेक अपवाह द्रोणियों में विभाजित हो सकती हैं। *हिमालय से निकलने वाली नदियां तीन नदी तंत्रों में विभाजित की जा सकती हैं :*

(i) सिंधु नदी तंत्र;

(ii) गंगा नदी तंत्र; तथा

(iii) ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र।

सिधुं नदी तंत्र : सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम की ओर बहती हुई यह भारत में जम्मू और कश्मीर में प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय महाखड्ड (गार्ज) का निर्माण करती हैं। कश्मीर क्षेत्र में इसमें कई सहायक नदियां जैसे - जास्कर, श्योक, नूबरा, हुंजा आदि मिलती हैं। यह लद्दाख, बालतिस्तान तथा गिलगित होते हुए बहती है और अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। पंजाब की पांच प्रसिद्ध नदियां - सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम का सम्मिलित जल सिंधु नदी में मिठान-कोट के थोड़ा-सा ऊपर मिलता है। सिंधु नदीं पाकिस्तान के मध्य से होकर दक्षिण की ओर बहती है और कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिलती है। सिंधु के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है और यह संसार की लंबी नदियों में से एक है। सिंधु की द्रोणी का एक-तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब) में स्थित है। सिंधु के जल के बंटवारे के विषय में भारत तथा पाकिस्तान के बीच एक समझौता है। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों के अनुसार, भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20 प्रतिशत जल उपयोग कर सकता है। इस नदी तंत्र के जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए करते हैं।

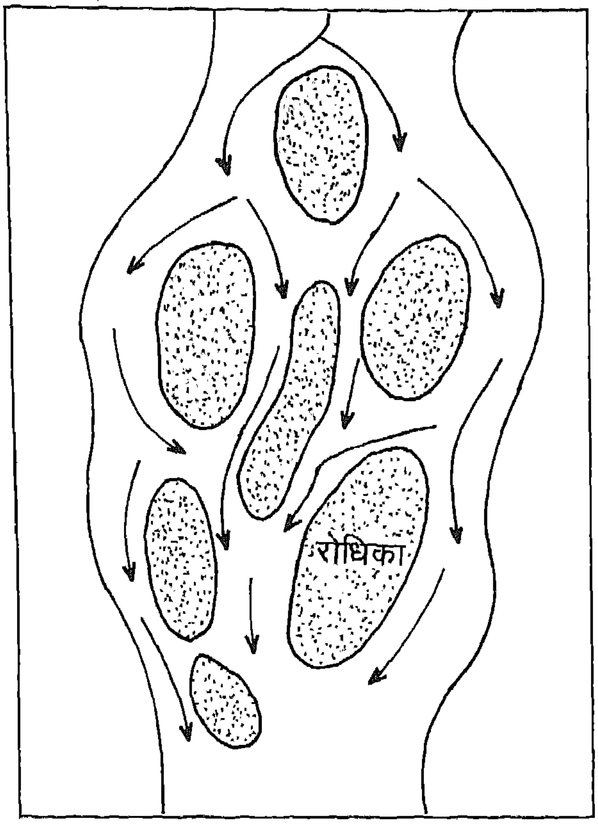
गंगा नदी तंत्र : गंगा अपना यह नाम देवप्रयाग, जहां इसकी दो शीर्ष धाराएं - अलकनंदा तथा भागीरथी मिलती हैं, के पश्चात धारण करती है। गंगा हरिद्वार में हिमालय पर्वत से निकल कर मैदान में प्रवेश करती है। उत्तर की ओर से आकर इसमें बड़ी संख्या में सहायक नदियां मिलती हैं। इनमें से घाघरा, गंडक तथा कोसी भारत के उत्तरी मैदानों में नेपाल से प्रवेश करती हैं। इन नदियों में बहुत अधिक जलशक्ति उत्पन्न करने की तथा भारत और नेपाल दोनों में सिंचाई करने की संभावित क्षमता है। आपसी विश्वास तथा सहयोग द्वारा विकास कार्यों के लिए नदियों के जल का उपयोग करने से दोनों देशों के निवासियों की संपन्नता में वृद्धि हो सकती है।

यमुना तथा सोन, गंगा के दाहिने किनारे से मिलने वाली दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। उस स्थान का नाम ज्ञात कीजिए जहां यमुना गंगा से मिलती है।

फरक्का से आगे, गंगा दक्षिण-पूर्व से पूर्व की ओर बहकर पद्मा के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। मुख्य नदी की एक शाखा, जिसे भागीरथी-हुगली कहते हैं दक्षिण की ओर डेल्टाई मैदानों से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। मुख्य धारा पद्मा बांग्लादेश में दक्षिण की ओर बहती है जहां इसमें ब्रह्मपुत्र मिलती है जिसे यहां जमुना कहते हैं। और आगे इसमें मेघना मिलती हैं और जब तक यह बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती इस सम्मलित धारा का नाम मेघना ही है। गंगा के जल के बंटवारे के बारे में भारत तथा बांग्लादेश के बीच एक समझौता है।

गंगा की लंबाई 2,500 किलोमीटर से अधिक है। भारत में इसकी द्रोणी सबसे बड़ी है। उत्तर भारत का अधिकांश जल गंगा नदी तंत्र द्वारा बहाया जाता है। चित्र 15.4 तथा 17.2 देखिए। गंगा नदी तंत्र कौन-सा अपवाह तंत्र है ? अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल-विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है। परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में, प्रति 6 किलोमीटर की दूरी में गिरावट पर ढाल केवल एक मीटर है। इसलिए यहां नदियों में अनेक बड़े-बड़े मोड़ या विसर्प बन जाते है।

ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र : ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सिंधु तथा सतलुज नदियों के उद्गम के निकट से ही निकलती है। यह सिंधु से थोड़ी अधिक लंबी है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर (7,757 मी.) के पास



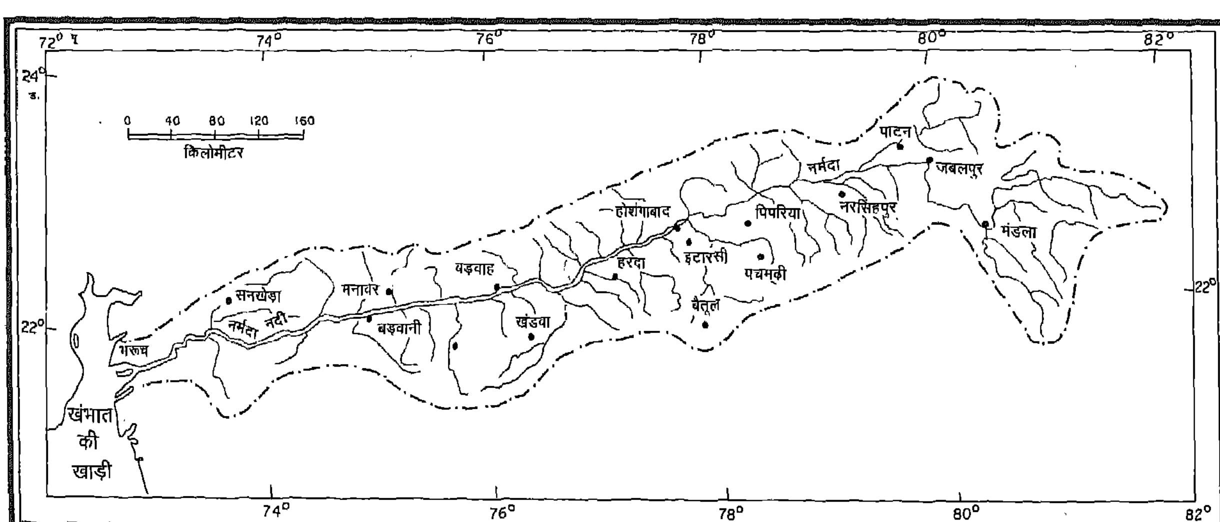
चित्र 17.3 *गुंफित नदी*

पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू (U) अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। इस शक्तिशाली नदी द्वारा यहां 5,500 मीटर गहरा महाखड्ड बनाया गया है। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश तथा असम से होकर बहती है और इसमें अनेक सहायक नदियां मिलती हैं। तिब्बत में इस नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। यहां इसमें कम पानी मिलता है और इसमें गाद (बालू मिट्टी) भी कम है। परंतु भारत में यह एक ऐसे क्षेत्र से गुजरती है जहां बहुत भारी वर्षा होती है। इसलिए इस नदी में विशाल मात्रा में जलराशि तथा गाद भी बहकर आती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुंफित नदी के रूप में बहती है जिसकी धारा के बीच में कुछ बड़े द्वीप भी हैं।

नदी की धाराओं का खिसकना या मार्ग परिवर्तन बहुत सामान्य घटना है। वर्षा के समय नदी का प्रकोप बहुत अधिक होता है। ब्रह्मपुत्र के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बाढ़ से भयंकर विनाश होता है। इसके विपरीत कुछ बड़े क्षेत्रों में सूखे का भी प्रकोप होता है। इसके लिए आवश्यक है कि भारत तथा बांग्लादेश मिलकर नदी के जल प्रबंधन के संयुक्त प्रयास करें जिससे दोनों देशों का हित हो सके।

प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक पश्चिमी घाट हैं जो पश्चिमी तट के काफी निकट है। प्रायद्वीप की अधिकांश प्रमुख नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहानों के निकट डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी घाट पर्वतों के पश्चिम की ओर असंख्य छोटी-छोटी नदियां बहती हैं। नर्मदा तथा तापी ही दो बड़ी नदियां है जो पश्चिम की ओर बहती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। इस भाग की मुख्य अपवाह द्रोणियां निम्नलिखित हैं।

नर्मदा द्रोणी : नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट है। पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम दिशा में एक



चित्र 17.4 *नर्मदा द्रोणी*

गर्त में लगभग 1,300 किलोमीटर दूर तक बहने के पश्चात यह अरब सागर में एक ज्वारनदमुख (Estuary) बनाती हुई मिलती है। इसकी संपूर्ण द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्यों में सीमित है। मध्य प्रदेश की संगमरमर शैलों में (भेड़ाघाट, जबलपुर) इसका महाखड्ड बहुत ही सुंदर है। इस नदी में सहायक नदियों के तंत्र की कमी है। इसकी कोई भी सहायक नदी 200 किलोमीटर से अधिक लंबी नहीं है। क्या यह एक जालीनुमा नदी प्रतिरूप बनाती है ?

तापी द्रोणी : तापी का उद्‌गम मध्य प्रदेश के बेतूल जिले में है। यह नर्मदा के समानांतर एक गर्त में प्रवाहित होती है। यह लंबाई में नर्मदा से बहुत छोटी है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। यह आकार में भी नर्मदा की द्रोणी की अपेक्षा छोटी है।

गोदावरी द्रोणी : यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1,500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीप की नदियों में इसकी द्रोणी सबसे बड़ी है। इसकी द्रोणी का लगभग 50 प्रतिशत भाग केवल महाराष्ट्र में है और शेष भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्रप्रदेश में है।

गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं जैसे पूर्णा, वर्धा, प्रान्हिता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। इनमें से आखिरी तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार तथा विस्तार के कारण ही गोदावरी को वृद्‌ध गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं।

महानदी द्रोणी : महानदी का उद्‌गम छत्तीसगढ़ में है। यह उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी द्रोणी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र राज्यों में है।

कृष्णा द्रोणी : महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1,400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्रप्रदेश में फैली है।

कावेरी द्रोणी : यह पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिर श्रेणी से निकलती है। 800 किलोमीटर से अधिक बहकर यह कावेरीपटनम के निकट बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसकी द्रोणी केरल, कर्नाटक, तथा तमिलनाडु में विस्तृत है।

इसके अतिरिक्त, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कुछ अन्य छोटी नदियों की द्रोणियां भी हैं जैसे पेन्नार, सुवर्णरेखा तथा माही नदियों की द्रोणियां।

झीलें तथा अंतःस्थलीय अपवाह

इतना बड़ा देश होते हुए भी भारत में प्राकृतिक झीलें अपेक्षाकृत कम है। 'झील' एक जलाशय है जो भूतल के किसी विस्तृत गड्ढे या गर्त में जल भर जाने से बनती है और हर ओर से स्थल से घिरी होती है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हैं। दूसरे शब्दों में, ये तब बनी जब हिमानियों ने या तो कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी के मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वूलर झील भूगर्भीय क्रिया के कारण बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बड़ापानी भारत की कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सांभर एक नमकीन या खारे पानी की झील है। इसका जल नमक तैयार करने के लिए प्रयोग होता है। उड़ीसा में चिल्का झील एक बहुत बड़ी लैगून (पश्चजल) झील है जो मुख्य समुद्र से, जिसका यह कभी भाग थी, धीरे-धीरे अलग होती जा रही है (चित्र 17.2)। भारत की अनेक झीलें मानव-निर्मित हैं जो नदियों में बांध बनाकर बनाई गई हैं।

भारत में अंतःस्थलीय अपवाह केवल शुष्क तथा अर्ध-शुष्क उत्तरी-पश्चिमी भागों में, विशेषकर राजस्थान की मरुभूमि में पाया जाता है। अंतःस्थलीय अपवाह से हमारा आशय उस अपवाह से है जिससे नदियां किसी सागर या महासागर तक नहीं पहुंचती और अपना जल किसी झील या आंतरिक समुद्र में ही गिरा देती हैं। भारत के उत्तर - पश्चिमी भाग में अनेक खारे पानी की झीलें हैं। इनमें छोटी तथा मौसमी जलधाराएं जल बहाकर लाती हैं और कभी-कभी वर्षा ऋतु में इनमें अचानक बाढ़ें आ जाती हैं। वर्षा समाप्त होने के बाद ये शुष्क हो जाती हैं।

भारत में धरातल के कुल जल का दो-तिहाई भाग बहकर बंगाल की खाड़ी में जाता है। शेष का लगभग 20 प्रतिशत अरब सागर में बहकर जाता है। 10 प्रतिशत से कम भाग राजस्थान के अंतःस्थलीय अपवाह के रूप में और जम्मू और कश्मीर के अक्साई चिन में पाया जाता है।

इसका कुछ भाग सिंधु नदी की द्रोणी तथा शेष प्रायद्वीपीय नदियों के भाग हैं। लगभग एक प्रतिशत जल म्यांमार में इरावदी नदी की सहायक नदियों द्वारा अंडमान सागर में ले जाया जाता है।

नदियां : मानव सभ्यता की जीवन रेखाएं

नदियां देश की एक अभिन्न अंग हैं। एक नदी केवल जल मात्र ही नहीं है जो बहकर समुद्र में जाता है। यह अपने साथ केवल जल ही बहाकर नहीं ले जाती वरन विभिन्न प्रकार के अवसाद तथा घुले हुए खनिज भी ले जाती है। ज्वारनदमुख, जहां नदियों का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी में मिलता है, संसार के सबसे अधिक जैविक उत्पादनों वाले क्षेत्र होते हैं। नदियों पर सभी समाज और सभ्यताएं आश्रित रहीं हैं। चाहे वह आखेट करने वाले रहे हों या फल संग्रह करने वाले, पशुपालक रहे हों या कृषक, सभी विभिन्न रूपों में जल का प्रयोग करने के लिए नदियों पर निर्भर रहे हैं। नगर तथा शहरों में लोग नदियों के जल का उपयोग करते हैं और उनमें कूड़ा-करकट आदि फेंककर उनका दुरुपयोग भी करते हैं। नदियां, वाणिज्य और व्यापार के लिए यातायात का महत्त्वपूर्ण साधन हैं। सिंचाई एवं जलविद्युत प्राप्त करने के लिए उन पर बांध बनाए गए हैं।

कुछ समय पहले तक सिंचाई हेतु जल की बढ़ती हुई आवश्यकता के लिए तथा कम मूल्य पर प्रदूषण रहित जलविद्युत (ऊर्जा) प्राप्त करने का अंतिम समाधान बड़े बांध माने जाते थे। बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग (International Commission on Large Dams) के अनुसार 'बड़े बांध' वे बांध हैं जिनकी ऊंचाई नींव से शीर्ष तक 15 मीटर या उससे अधिक हो, अर्थात जो चार-तले वाले भवनों से ऊंचे हों। आज, जल संसाधन विकास के किसी बड़े कार्यक्रम को लोग पर्यावरण के लिए खतरा मानते हैं। इससे उपजाऊ भूमि के जलाशय के जल में डूबने, लोगों

गंगा कार्य योजना

चिंता का विषय

- 1970 तथा 1980 के दशकों में, गंगा में बढ़ता हुआ प्रदूषण चिंता का विषय बन गया। गंगा नदी तंत्र पर मानवीय बस्तियों तथा विकास-कार्यों के प्रभावों की जांच हेतु अध्ययन किए गए।

प्रदूषण के कारण

- गंगा से नहरों द्वारा सिंचाई के लिए निरंतर अधिकाधिक जल निकालने के कारण जल के प्रवाह में कमी।
- गंगा नदी के किनारे से 100 नगरों तथा शहरों से सीधे बहने वाले गंदे नालों तथा औद्योगिक कूड़े-कचरें के कच्चे रूप में गंगा में मिलने के कारण जल का गंदा या प्रदूषित होना।

नियोजित कार्य

- गंदे पानी (सीवेज) को रोकना, उसे साफ करना तथा सीधे नदी में बहकर न जाने देना।
- औद्योगिक कूड़े-कचरे की ठीक से सफाई सुनिश्चित करना।
- सुरक्षित पेयजल, विद्युत शव-दाह गृहों का निर्माण, नहाने के घाटों का विकास, प्रकाश एवं जल व्यवस्था आदि कार्यों को प्रोत्साहित करना तथा उन कार्यों में सहयोग देना।
- नदी जल की गुणवता की नियमित देखरेख।

प्रगति

- 260 योजनाओं में से 45 पूरी की जा चुकी हैं और उनके परिणाम सकारात्मक हैं।
- बुरी तरह अपरदित क्षेत्रों में वृक्ष लगाए गए हैं और नदियों की ऊपरी धाराओं में अवरोध बांध बनाए गए हैं।
- वाराणसी, कानपुर तथा पटना आदि नगरों में गंदे जल तथा औद्योगिक गंदगी वाले अनेक नालों को रोककर, मार्ग बदलकर, गंगा के जल में प्रदूषण के स्तर को काफी कम किया गया।
- कुछ वर्षों से कछुआ और डालफिन मछलियां गंगा से समाप्त हो गई थीं। ये अब वाराणसी में फिर दिखाई देने लगे हैं जिससे गंगा के जल स्वास्थ्य में सुधार दिखाई दे रहा है।

के विस्थापित होने, वन एवं कृषि योग्य भूमि के ह्रास, बांधों के पारिस्थितिकी कुप्रभाव, बांधों की सुरक्षा, बाढ़, निक्षेपण तथा स्वास्थ्य से संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न होने की आशंका रहती हैं। ये सारे तथ्य निःसंदेह बहुत महत्त्वपूर्ण हैं परंतु सभी बड़ी योजनाओं को बुरा कहना भी बहुत सत्य एवं न्यायसंगत नहीं होगा। विकास के लिए उनकी आवश्यकता है। परंतु निश्चित रूप से पर्यावरण से संबंधित प्रभावों का मूल्यांकन तथा पर्यावरण की सुरक्षा अवश्य सुनिश्चित की जानी चाहिए। जब कुछ समस्याएं हल की जाती हैं तब प्रायः उनके स्थान पर नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं का भी साहसपूर्वक निदान करना चाहिए। इसी प्रकार मुनष्य ने संसार में अब तक प्रगति एवं विकास किया है।

नदियों का प्रदूषण

नदियां कृषि-कार्यों, पीने, घरेलू तथा औद्योगिक उपयोगों हेतु जल प्रदान करती हैं। परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या, नगरीकरण तथा औद्योगीकरण के साथ, जल की मांग भी बढ़ रही है। फलस्वरूप अधिक से अधिक मात्रा में नदियों से जल प्राप्त किया जा रहा है। इसके विपरीत, बहुत भारी मात्रा में नालियों का गंदा पानी, कीचड़ और मल तथा औद्योगिकी कूड़ा-करकट इन नदियों में बहाया जाता है। बहते हुए जल में स्वयं साफ करने की क्षमता होती है। उदाहरणस्वरूप दूर तक प्रवाहित होने पर, गंगा का जल बड़े शहरों से 20 किलोमीटर के भीतर ही, प्रदूषक भारों को घोलकर आत्मसात कर लेता है। परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ऐसा भी नहीं हो पा रहा और अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। 1980 के दशक में गंगा में बढ़ते हुए प्रदूषण के बारे में चिंता के कारण ही गंगा कार्य योजना (Ganga Action Plan) प्रारंभ की गई।

पूरी नदी की धारा को साफ करने की एक वृहत् योजना अपनाई गई है। इसके परिणाम आशाजनक रहे हैं। अन्य नदियों में भी इसी प्रकार की योजनाओं के लिए मांग की जा रही है।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए:

   (i) नदी द्रोणी क्या है?

   (ii) 'जल विभाजक' का क्या कार्य है?

   (iii) हिमालय के तीन मुख्य नदी-तंत्रों के नाम बताइए।

   (iv) प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक कौन हैं?

   (v) भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन-सी है?

   (vi) सिंधु नदी कहां से निकलती है?

   (vii) गंगा की दो शीर्ष धाराओं के नाम लिखिए। उनका किस स्थान पर मिलकर सम्मिलित धारा का नाम गंगा पड़ा?

   (viii) लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों है?

   (ix) प्रायद्वीपीय भारत की कौन-सी दो नदियां घाटी गर्तों से होकर बहती हैं?

   (x) भारत के पूर्वी तट की दो खारे पानी की झीलों के नाम बताइए।

2. नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं। इन्हें प्राकृतिक तथा मानव-निर्मित वर्गों में बांटिए :-

(क) वूलर	(ख) डल	(ग) नैनीताल	(घ) भीमताल
(ङ) गोविंद सागर	(च) लोकताक	(छ) बड़ापानी	(ज) चिल्का
(झ) सांभर	(ञ) राना प्रताप सागर	(ट) वेंबनाद	(ठ) निजाम सागर
(ड) पुलीकट	(ढ) नागार्जुन सागर	(ङ) गांधी सागर	(ण) हीराकुड।

3. हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए।

4. प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व तथा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए।

5. नदियों को मानव सभ्यता की जीवन-रेखाएं क्यों कहते हैं ?

6. बड़े बांधों के खिलाफ मुख्य तर्क दीजिए। यह व्याख्या कीजिए कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि बड़े बांधों से पर्यावरण को खतरा न हो।

मानचित्र कार्य

भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित दिखाइए तथा उनके नाम लिखिए :

(i) झीलें - लोकताक, डल, चिल्का, सांभर व पुलीकट

(ii) नदियां - गंगा, सिंधु, सतलुज, दामोदर, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी, कृष्णा व कावेरी

18 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य-प्राणी

पृथ्वी के धरातल पर एक विशाल विविधता वाला वनस्पति आवरण पाया जाता है। ये पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले पहले जैविक रूप के प्रतिनिधि हैं, इनके बाद पशु तथा मनुष्य उत्पन्न हुए। हमारे लिए ये बहुत महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि हर प्रकार के जीवन जीवित रहने के लिए उन पर आश्रित रहते हैं। क्या आपको ज्ञात है कि ऐसा क्यों है ? ऐसा इसलिए है कि वनस्पति ही ऐसे प्रकार का जीवन है जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। अतः उनसे वे प्रारंभिक उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनपर पशु और मनुष्य अपने जीवन के लिए निर्भर होते हैं।

पारिस्थितिक तंत्र

पृथ्वी पर पादपों तथा जीवों का वितरण मुख्यतः जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। इसे प्रभावित करने वाले अन्य तत्त्व मृदा, उच्चावच तथा अपवाह हैं, यद्यपि इनमें से अधिकांश अंतर्संबंधित होते हैं। 'वनस्पति' शब्द किसी विशेष क्षेत्र या समय के पादपों, जिनकी विभिन्न जातियां तथा वर्ग होते हैं, का बोध कराता है। इसी प्रकार जीवों की जातियां तथा वर्ग होते हैं,जो प्राणियों का बोध कराते हैं। किसी क्षेत्र के पादपों की प्रकृति काफी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवन को प्रभावित करती है। जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी-जीवन भी बदल जाता है। एक दिए हुए क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर्संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी इस पारिस्थितिक तंत्र का अविच्छन्न भाग है। मनुष्य भी प्राणी जगत के अंग होते हैं। परंतु अपनी विशेष योग्यताओं के कारण वे पर्यावरण के अन्य जीवों के ऊपर अपना प्रभाव रखते हैं। इस गुण को उन्होंने अपने हित के लिए प्रयोग किया है, परंतु कभी-कभी इस प्रक्रिया में भू-दृश्य ही परिवर्तित हो गए हैं और कुछ प्रजातियां तो बिल्कुल विलुप्त हो गई हैं।

जीवोम

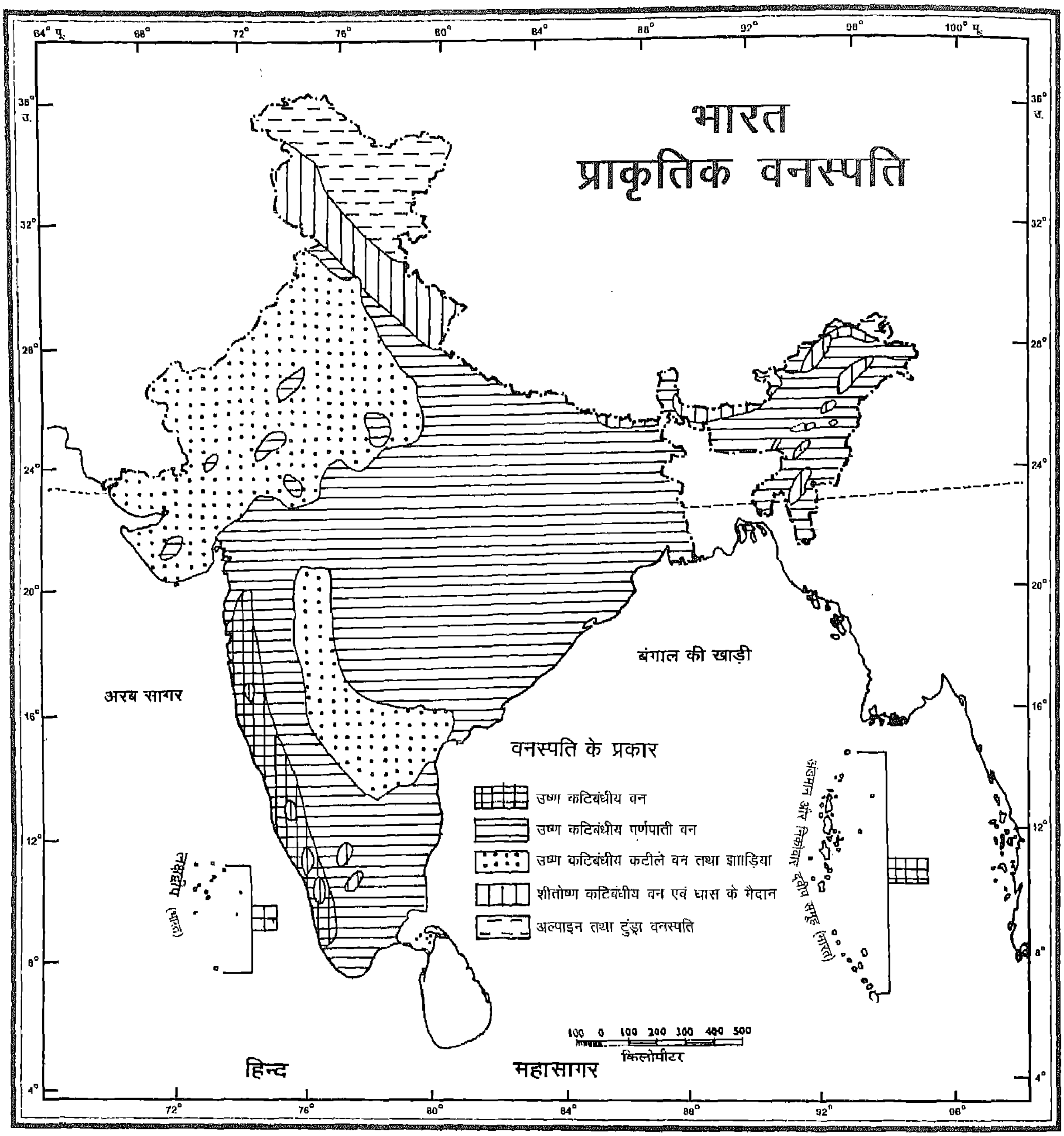
धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को 'जीवोम' (Biome) कहते हैं। एक दी हुई पर्यावरण रूपरेखा में एक दूसरे से मिलकर रहने वाले पादप-जातियों के समुदाय को 'वनस्पति' कहते हैं। यद्यपि जीवोम में जीव भी सम्मिलित होते हैं, तथापि पादपों के वर्ग उनके वर्गीकरण के आधार होते हैं। इस प्रकार, मृदा, जल तथा उष्मा (गर्मी) की उपलब्धि के आधार पर पांच प्रमुख जीवोम पाए जाते हैं : वन, सवाना, घास के मैदान, मरुभूमि तथा टुंड्रा। एक जीवोम के भीतर पादपों तथा प्राणियों के मेल में बहुत अंतर पाया जाता है। इस प्रकार संसार के वनस्पति आवरण के प्रतिरूप का अध्ययन करने में जीवोम उपयोगी हैं। छोटे पैमाने पर प्राकृतिक वनस्पति को समझने में वनस्पति के वितरण प्रतिरूप बहुत उपयुक्त हैं।

प्राकृतिक वनस्पति

भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं जो विविधता की दृष्टि से संसार में दसवें स्थान तथा एशिया में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 जातियों के फूलों वाले पौधे पाए जाते हैं, जो सारे संसार के छः प्रतिशत हैं। हमारा देश बिना फूलों वाले पौधों जैसे फर्न, शैवाल (एलगी) तथा कवक (फंजाई) में भी संपन्न है। इस

औषधीय पादप

भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी-बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। इन पादपों का में से 90 प्रतिशत तो घने जंगलों से प्राप्त होते हैं। इनमें से बहुत-से तो विलुप्त होने के खतरे में हैं। विश्व संरक्षण संघ (World Conservation Union) की लाल सूची में 352 औषधीय पादप हैं जिनमें से 52 अतिसंकट तथा 49 संकट में हैं। (रवोल्फिया सर्पेंटाइना), जो रक्त चाप के निदान के लिए प्रयोग होता है, केवल भारत में पाया जाता है। इसकी संसार भर में मांग है। इस प्रजाति को बनाए रखना भविष्य की दृष्टि से चिंता की बात है। इसके अतिरिक्त संपत्ति के बौद्धिक अधिकारों की भी समस्या है। अपने स्थान/क्षेत्र के कुछ महत्त्वपूर्ण औषधीय पादपों/जड़ी-बूटियों के नाम ज्ञात कीजिए।



भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।
समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

© भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2002

चित्र 18.1 *भारत की प्राकृतिक वनस्पति*

देश में उष्णकटिबंधीय प्रदेश से ध्रुवीय प्रदेश तक मिलने वाली सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यह विविधता मुख्यतः देश के उच्चावच, तापमान तथा वर्षा की दशाओं की विविधता के कारण पाई जाती है। हिमालय तथा प्रायद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों में देशज वनस्पति पाई जाती है। इनमें से कुछ केवल भारत में पाई जाती हैं और संसार में अन्यत्र

कहीं नहीं मिलतीं। 40 प्रतिशत पादप प्रजातियां भारत में बाहर से आई हैं। ऐसी प्रजातियां मुख्यतः उत्तर भारत के मैदानों तथा थार मरुभूमि में पाई जाती हैं। कृषि तथा औद्योगिक विस्तार के कारण वन नष्ट होने से बहुत-सी पादप जातियां नष्ट हो रही हैं।

भारत के विभिन्न भागों में वनस्पतीय आवरण अब सही अर्थों में 'प्राकृतिक' नहीं रह गया है। केवल हिमालय तथा थार मरुभूमि के आंतरिक भागों जैसे अभेद्य क्षेत्रों को छोड़कर, कुछ स्थानों में तो मानवीय हस्तक्षेप के कारण वनस्पति या तो नष्ट कर दी गई है या बदल दी गई है या अपविकसित हो गई है। अतः जब हम ' प्राकृतिक वनस्पति' शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ उस पादप समूह से ही है जो लंबे अरसे से अबाधित रूप से विद्यमान है और जिसकी विभिन्न प्रजातियां वहां की जलवायु एवं मृदा की स्थितियों के साथ अपना सह-संबंध बनाए हुए है।

वनस्पति के प्रकार

तापमान या गर्मी और वर्षण जैसे जलवायु के कारक यह निर्धारित करते हैं कि किन विशेष जलवायु दशाओं में कौन-से पादप विकसित हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त मृदा, उच्चावच तथा प्रवाह (जल की मात्रा) भी स्थानीय परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार भारत में वनस्पति के निम्नलिखित मुख्य प्रकार पाए जाते हैं :

(i) उष्णकटिबंधीय वर्षा वन
(ii) उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन
(iii) उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियां
(iv) शीतोष्ण कटिबंधीय वन एवं घास के मैदान
(v) अल्पाइन तथा टुंड्रा वनस्पति।

भारत की प्राकृतिक वनस्पति (चित्र 18.1) को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र की उच्चावच (चित्र 15.3) और वार्षिक वर्षा (चित्र 16.6) के मानचित्रों से तुलना कीजिए। आप देखेंगे कि यह उच्चावच तथा वर्षा दोनों के साथ कितना अच्छा मेल खाती हैं। निम्नलिखित पृष्ठों में वनस्पति के प्रकारों का वर्णन वन, घास के मैदानों तथा झाड़ियों के रूप में किया गया है जिनसे पादपों के प्रकार तथा आकार समझने में सरलता होगी। वातावरण की दशाएं भी बताई गई हैं।

उष्णकटिबंधीय वर्षावन

ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों तथा लक्षद्वीप एवं अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों तक सीमित हैं। ये उन क्षेत्रों में भली-भांति विकसित हैं जहां 200 से.मी. से अधिक वर्षा से साथ एक छोटी सूखी ऋतु पाई जाती हैं। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक, की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। चूंकि यह क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा तर रहते हैं अतः यहां हर प्रकार की वनस्पति – वृक्ष, झाड़ियां व लताएं, खूब भली-भांति उगते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता। अतः ये वन सारे वर्ष हरे-भरे लगते हैं।

इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्त्व के कुछ वृक्ष आबनूस (एबोनी), महोगनी तथा रोज़उड हैं। इस प्रकार के वनों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहां एक बड़ी संख्या की प्रजातियों के वृक्ष एक साथ मिलते हैं। इससे उनकी किसी विशेष प्रजाति के व्यापारिक उपयोग में कठिनाई आती है।

उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन

ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहां 70 से.मी. से 200 से.मी. तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों वाले वृक्ष गर्मियों में छः से आठ सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। हर प्रजाति के वृक्षों के पतझड़ का अपना समय होता है। अतः वन वर्ष के किसी एक समय में बिल्कुल पत्तीविहीन नहीं लगते।

जल की सुलभता के आधार पर इन वनों को आगे आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सें.मी. तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों - उत्तरी-पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों के ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन और खैर अन्य व्यापारिक महत्त्व वाली प्रजातियां हैं।

शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से.मी. से 100 से.मी. के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीप पठार के ऐसी वर्षा वाले क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन तथा अन्य वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। अधिक सूखें क्षेत्रों में ये वन झाड़ियों तथा कंटीले वनों को स्थान दे देते हैं।

कंटीले वन तथा झाड़ियां

जिन क्षेत्रों में 70 से.मी. से कम वर्षा होती है, वहां प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी-पश्चिमी भागों में पाई जाती है जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया, खूजर (पाम), यूफोरबिया तथा नागफनी (कैक्टाई) यहां की मुख्य पादप-प्रजातियां हैं। इन वनों के वृक्ष छीतरे (बिखरे) हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके।

शीतोष्ण कटिबंधीय वन एवं घास के मैदान

पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा बढ़ती हुई ऊंचाई के अनुसार प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर हो जाता है। इसलिए जैसा अंतर हम उष्णकटिबंध से टुंड्रा क्षेत्रों की ओर देखते हैं। वैसा ही अंतर पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पति की पेटियों में पाया जाता है। आपने पहले पढ़ा है कि हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों में उष्टकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनके ऊपर के भागों में 1,000 से 2,000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1,500 से 3,000 मीटर की ऊंचाई के बीच कोणधारी वृक्ष जैसे चीड़ (पाइन), देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन अधिकतर हिमालय के दक्षिणी ढालों में पाए जाते हैं । ऐसा क्यों ? अधिक ऊंचाई में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं।

अल्पाइन तथा टुंड्रा वनस्पति

अधिक ऊंचाइयों में, प्रायः समुद्र तल से 3,600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती हैं। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे-जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बक्करवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है।

वन्य प्राणी

वनस्पति की भांति ही, भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहां जीवों की 89,000 प्रजातियां मिलती हैं। देश में 1,200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल संसार की 13 प्रतिशत हैं। यहां मछलियों की 2,500 प्रजातियां हैं जो संसार की लगभग 12 प्रतिशत हैं। भारत में संसार के 5 से 8 प्रतिशत तक उभयचारी, सरीसृप तथा स्तनपाई भी पाए जाते हैं।

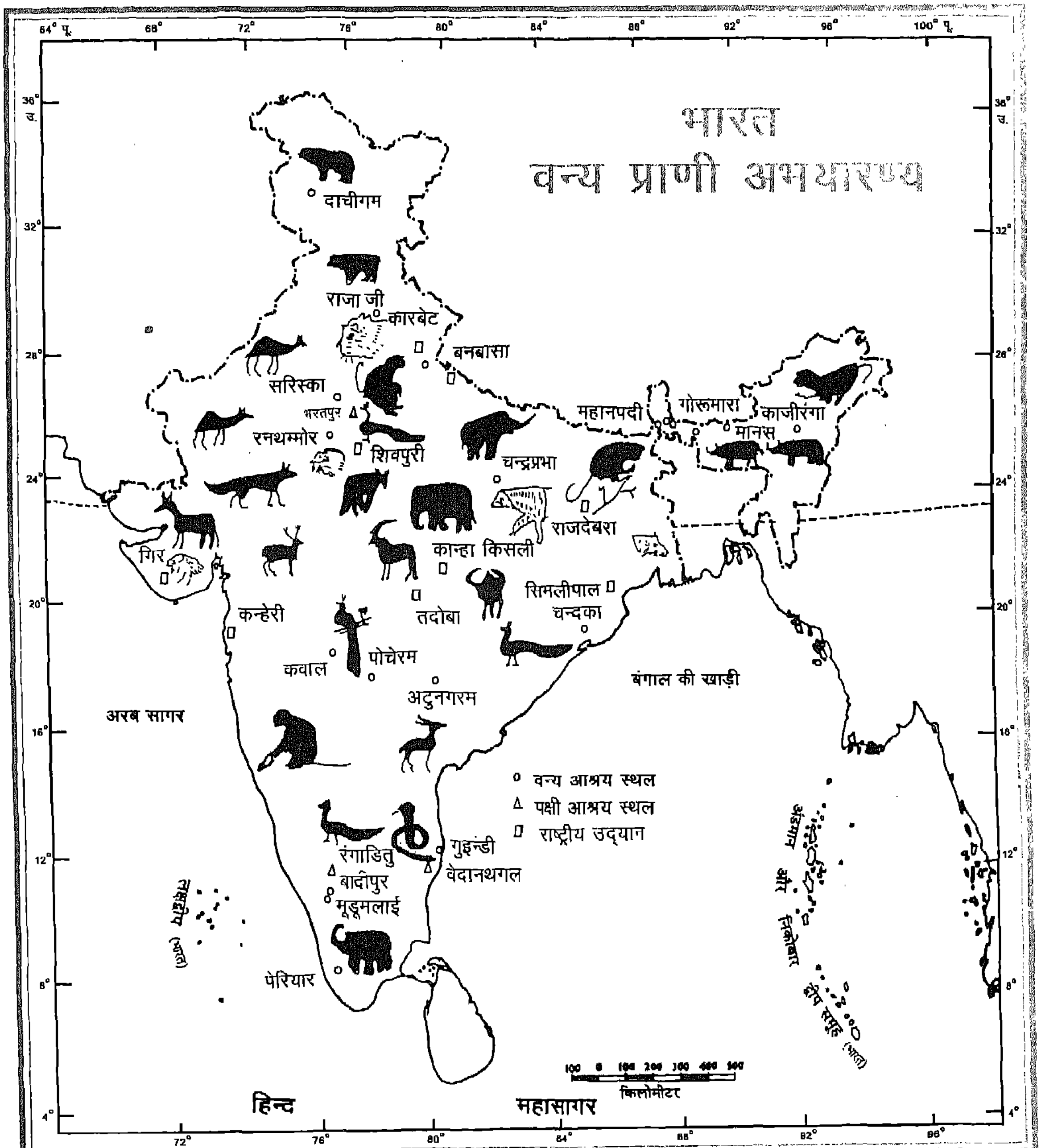
स्तनपाई पशुओं में हाथी सबसे अधिक महिमा-मंडित होता है। ये असम, कर्नाटक तथा केरल के उष्ण तथा आर्द्रवनों में पाए जाते हैं। क्या अफ्रीकी तथा भारतीय हाथियों की आकृति में कोई अंतर है ? एक सींग वाला गैंडा दूसरा महत्त्वपूर्ण पशु है जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहता है। कच्छ के रन तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंधा, छोटा मृग (gazel) तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य पशु हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहां बंदरों की भी अनेकों प्रजातियां पाई जाती हैं।

भारत संसार का अकेला देश है जहां सिंह (Lion) तथा शेर (Tiger) दोनों पाए जाते हैं। भारतीय सिंहों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल हैं। शेर मध्य प्रदेश के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुए भी हैं। वे शिकारी पशुओं में मुख्य हैं। घड़ियाल तथा कछुए नदियों तथा तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

हिमालय क्षेत्रों में अधिक श्रमशील प्रकार के पशु पाए जाते हैं जो अत्यंत ठंढ में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की जमने वाली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं जो लगभग एक टन भार का सींगों वाला बैल जैसा जीव है। तिब्बतीय

प्रवासी पक्षी

भारत के कुछ आर्द्र क्षेत्र प्रवासी पक्षियों द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं। जाड़ों में, साइबेरियन सारस जैसी चिड़िया बड़ी संख्या में यहां आती हैं। पक्षियों का एक ऐसा प्रिय स्थान कच्छ का रन है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र में मिलती है वहां लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लैमिंगो, हजारों की संख्या में आती हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती हैं और बच्चों को पालती हैं। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है। क्या यह हमारी एक कीमती धरोहर नहीं है ?



भारत के महारार्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

© भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2002

समुद्र में भारत का जनप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चडीगढ, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परन्तु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र मे अतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
आंतरिक विवरणो को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।
इस मानचित्र मे दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

चित्र 18.2 *वन्य-जीव संरक्षण क्षेत्र*

बारहसिंघा, भारल (नीली भेड़), जंगली भेड़ तथा कियांग (तिब्बती जंगली गधा) भी यहां पाए जाते हैं। कहीं-कहीं आइबेक्स, भालू, हिम-तेंदुआ और बहुत कम पाए जाने वाले लाल पैंडा भी कुछ भागों में पाए जाते हैं।

नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगर और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल, मगर की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो संसार में केवल भारत में पाया जाता है।

भारत में अनेक रंग-बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, फीजेंट, बतख, तोता-मैना (Parakeets), सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहते हैं।

जैव-विविधिता का संरक्षण

देश में वनस्पति तथा पशु संसाधनों की बेरोकटोक दोहन के कारण यहां का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत नष्ट हो गया है। बड़ी संख्या में पादप तथा जीवों की प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं, कुछ के विनष्ट होने का खतरा है। इन प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। लगभग 1300 पादप-प्रजातियां संकट में है और 20 प्रजातियां तो संभवतः विनष्ट हो चुकी हैं क्यों कि पिछले छः से दस दशकों में उन्हें देखा ही नहीं गया। केवल वनस्पति तथा जीवों के संरक्षण के ही लिए प्रयास नहीं किए जा रहे बल्कि देश में वनों के पुनर्जीवन और जीवों तथा उनके प्राकृतिक वासों को पुनर्स्थापित करने के प्रयास भी हो रहे हैं। अतः समय-समय पर पादपों तथा जीवों की सर्वेक्षण द्वारा उनकी गणना की जाती है जिससे इस दिशा में उनकी स्थिति तथा स्वरूप का ज्ञान हो सके। शेर तथा गैंडों को बचाने की योजनाएं प्रारंभ की गई थीं जिससे उन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके। शेर (बाघ) संरक्षण योजना सफल रही है। भारत में 16 शेर आरक्षित क्षेत्र हैं। राजस्थान की सोहन चिड़िया (Indian bustard) भी एक संकटग्रस्त प्रजाति है। देश के विभिन्न भागों में वन्य-जीव अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं जिनसे हमारे वनों तथा जीवों की रक्षा हो सके। इस समय देश में 480 वन्य जीव अभयारण्य तथा 86 राष्ट्रीय उद्यान हैं।

अपने देश की जैव-विविधिता सुरक्षित रखने तथा उसका संरक्षण करने की दृष्टि से जीव आरक्षण क्षेत्र (biosphere reserves) बनाए जा रहे हैं। ये बहुद्देशीय संरक्षित क्षेत्र हैं जहां प्रत्येक पादप तथा जीव प्रजाति को उसके प्राकृतिक भूदृश्य में संरक्षित किया जाता है। इनके मुख्य उद्देश्य हैं :

(i) प्राकृतिक विरासत की विविधता तथा पूर्णता को इसके पूरे स्वरूप में अर्थात प्राकृतिक वातावरण, वनस्पति एवं जीवों के रूप में बनाए रखना एवं संरक्षित रखना ;

(ii) पारिस्थितिकी संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के अन्य पहलुओं पर शोध कार्य को बढ़ावा देना; तथा

(iii) शिक्षा, जागरूकता तथा प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना। ऐसे संरक्षण क्षेत्रों को स्थापित करने का मुख्य लक्ष्य संकटग्रस्त प्राकृतिक पारिस्थितिक-तंत्रों में जैव विभिन्नता को संरक्षित रखना है।

इस योजना के अंतर्गत देश में निम्नलिखित जीव आरक्षण क्षेत्र स्थापित किए गए हैं :

(i) नीलगिरि, (कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल के मिलन क्षेत्र में), (ii) नंदा देवी (उत्तरांचल), (iii) नोकरेक (मेघालय), (iv) ग्रेट निकोबार, (v) मनार की खाड़ी (तमिलनाडु), (vi) मानस (असम), (vii) सुंदरवन (पश्चिम बंगाल), (viii) सिमिली पाल (उड़ीसा), (ix) डिब्रू-साइखोवा, (x) देहांग-देबांग (अरुणाचल प्रदेश), (xi) पंचमढ़ी (मध्य प्रदेश) (xii) कंचनजुंगा (सिक्किम) तथा (xiii) अगस्तयमलाई (तमिलनाडु)। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों का महत्त्व हम सभी के जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण अनुभव किया जाना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए :

   (i) पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं?

   (ii) पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्त्वों द्वारा निर्धारित होता है?

   (iii) भारत में मुख्य वनस्पति प्रकार कौन-से हैं?

   (iv) भारत में कौन-सी प्राकृतिक वनस्पति सबसे अधिक मिलती है?

(v) भारतीय शेर का प्राकृतिक वास स्थल बताइए।
(vi) जीव आरक्षण क्षेत्र क्या है?

2. निम्नलिखित में अंतर कीजिए :
   (i) वनस्पति तथा जीव
   (ii) सदाबहार तथा पर्णपाती वन
   (iii) आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वन
   (iv) विलुप्त एवं संकटग्रस्त प्रजातियां

3. वनस्पति के क्या अर्थ हैं? भारत की प्राकृतिक वनस्पति आज कितनी प्राकृतिक है?

4. जीवोम किसे कहते हैं? जीवोमों की संख्या बताइए जिनमें देश का पारिस्थितिक तंत्र विभाजित है? उनके विभाजन का आधार भी बताइए।

5. भारत में उच्चावच तथा वर्षा प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को कैसे प्रभावित करते हैं, बताइए।

6. हिमालय क्षेत्र की प्रमुख वनस्पति-पेटियों का वर्णन कीजिए।

7. भारत में वन्य-जीवों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

8. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए :
   (i) भारतीय वनस्पति
   (ii) उष्णकटिबंधीय वर्षा वन
   (iii) जैव-विविधिता का संरक्षण

मानचित्र कार्य

भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित दिखाइए :

(i) कांटेदार वनों तथा झाड़ियों वाले क्षेत्र
(ii) एक वन्य-जीव अभयारण्य
(iii) कारबेट नेशनल पार्क
(iv) नीलगिरि जीव आरक्षित क्षेत्र।

परियोजना कार्य

- उस क्षेत्र की वनस्पति तथा जीवों पर, जहां आपका विद्यालय स्थित है, सूचनाएं इकत्र कीजिए। इसमें उस क्षेत्र की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची भी होनी चाहिए और यह सूचना भी होनी चाहिए कि उन्हें बचाने के लिए क्या किया जा रहा है।

19

जनसंख्या

इस इकाई के पिछले अध्यायों में आपने भारत के स्थल संसाधनों के बारे में अध्ययन किया है। इस अध्याय में जनसंख्या के बारे में सूचनाएं दी जाएंगी जो हमारा मानव-संसाधन है। इसमें आप जनसंख्या के आकार, वृद्धि-दर को प्रभावित करने वाले कारकों, प्रवसन तथा नगरीकरण, आयु संरचना, आश्रित-दर तथा व्यावसायिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे।

एक निश्चित समय में किसी देश में रहने वाले मनुष्यों की कुल संख्या वहां की जनसंख्या कहलाती है। मनुष्य, जिन्हें मिलाकर जनसंख्या बनती है, विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादक होने के साथ-साथ उनके उपभोक्ता भी होते हैं। वस्तुतः जनसंख्या के अध्ययन का महत्त्व मुख्यतया इस बात में है कि इससे उत्पादन के लिए सुलभ कुल मानव शक्ति तथा उनके उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है।

जनगणना

किसी देश में एक निश्चित समय में रहने वाले लोगों के विविध पक्षों से संबंधित सूचनाओं के संग्रह, संकलन और प्रकाशन की प्रक्रिया को जनगणना कहते हैं। इसकी आवश्यकता मुख्यतः सरकार के प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए होती है। जनगणना में लोगों के सामाजिक और आर्थिक पक्षों से संबंधित विविध विवरण भी होते हैं। सामान्यतः प्रति दस वर्षों में जनगणना की जाती है। स्वतंत्रता के बाद तक भारतीय सरकार द्वारा 6 जनगणनाएं की जा चुकी हैं। पिछली जनगणना 2001 में हुई थी।

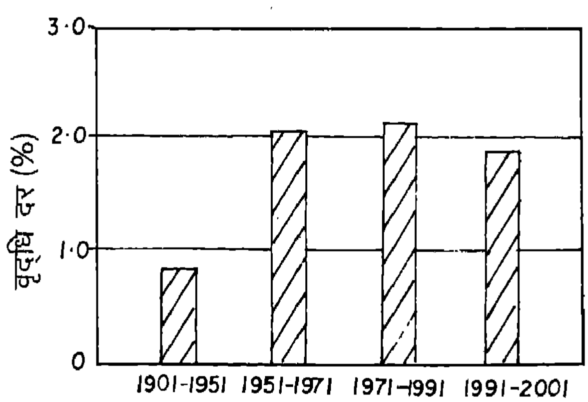
सारणी 19.1 भारत में जनसंख्या वृद्धि; 1901—2001

वर्ष	कुल जनसंख्या (करोड़ में)	वार्षिक वृद्धि दर (% में)
1901	23.84	–
1911	25.21	0.56
1921	25.13	–0.03
1931	29.90	1.04
1941	31.87	1.33
1951	36.11	1.25
1961	43.92	1.96
1971	54.82	2.20
1981	68.33	2.22
1991	84.34	2.14
2001	102.70	1.93

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में हमारे देश की जनसंख्या केवल 23.84 करोड़ (1901) थी, जो एक शताब्दी के कालखंड में लगभग चार गुना बढ़कर 102.7 करोड़ (2001) हो गई (सारणी 19.1)।

पिछली शताब्दी में भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। पिछली शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की जनसंख्या केवल डेढ़ गुना बढ़ी, परंतु उत्तरार्ध में यह और तेजी से बढ़ी तथा इसमें तीन गुनी वृद्धि हुई।

भारत में जनसंख्या की वृद्धि ने विश्व-प्रारूप का अनुसरण किया है। 1830 ई. तक संसार की जनसंख्या 100 करोड़ थी। अगली 100 करोड़ अगले 100 वर्षों में बढ़ी, तीसरी 100 करोड़ 30 वर्षों में ही बढ़ी और चौथी 100 करोड़ केवल 15 वर्षों में ही बढ़ी। संसार की वर्तमान जनसंख्या लगभग 600 करोड़ है।



चित्र 19.1 *जनसंख्या की वृद्धि दर (% में)*

जनसंख्या के आकार में भारत संसार में, चीन के बाद, दूसरे स्थान पर है। भारत में संसार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत भाग है जिसमें संसार की कुल जनसंख्या का 16.7 प्रतिशत भाग रहता है। ऐसा अनुमान है कि 2045 ई. तक भारत चीन से आगे बढ़कर संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा।

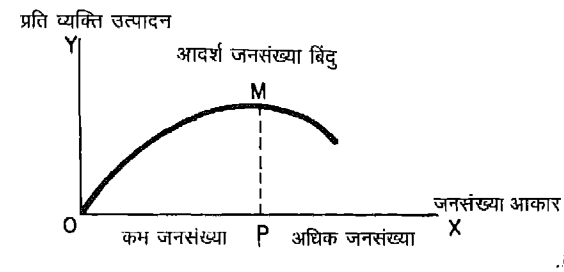
1921 ई. तक भारत में जनसंख्या की वृद्धि अनियमित थी। इसलिए वर्ष 1921 को 'विशाल जनसांख्यिकीय विभाजक' कहते हैं। 1921 से 1951 तक भारत में जनसंख्या की वृद्धि की दर मंद रही। 1951 से तीन दशकों तक जनसंख्या की वृद्धि तेज रही। 1951 से 1981 के बीच भारत की जनसंख्या लगभग दुगुनी हो गई। 1980 के दशक में भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.14 प्रतिशत थी जो, 1990 के दशक में घटकर 1.93 प्रतिशत हो गई। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 102.7 करोड़ है, इसमें 53.1 करोड़ (51.7 प्रतिशत) पुरूष हैं और 49.6 करोड़ (48.3 प्रतिशत) स्त्रियां हैं।

जनसंख्या का वितरण

भारत में जनसंख्या घनत्व 2001 में लगभग 324 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. था। आइये, जनसंख्या के घनत्व को दर्शाने वाले मानचित्र का अध्ययन करें (चित्र 19.3)। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में जनसंख्या का घनत्व अति निम्न से निम्न है। नतोन्नत धरातल तथा अनुपयुक्त जलवायु दशाएं मूल रूप में इन क्षेत्रों में विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा असम में जनसंख्या का घनत्व मध्यम है। यहां पर जनसंख्या का घनत्व कम होने के कारण हैं – क्षेत्र की शैलीय प्रकृति, कम से लेकर सामान्य वर्षा और कम गहरी तथा कम उपजाऊ मिट्टी का होना। उत्तर भारत का मैदान, तमिलनाडु और केरल में जनसंख्या का घनत्व उच्च तथा अति उच्च है क्योंकि ये क्षेत्र मैदानी, समृद्ध तथा उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त वर्षा और सामान्य जलवायु के हैं।

जनसंख्या का आकार

जनसंख्या का आकार बड़ा होने का अर्थ यह नहीं है कि देश में जनाधिक्य है। जनाधिक्य ऐसी स्थिति है जब जनसंख्या के आकार के लिए संसाधन बहुत कम हों। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी देश की जनसंख्या एक उपयुक्त जीवन स्तर नहीं रख पाती। उदाहरणस्वरूप, यूनाइटेड किंगडम में जनाधिक्य की स्थिति नहीं कही जा सकती क्योंकि वहां उनकी 5.8 करोड़ जनसंख्या के उपभोग के लिए पर्याप्त

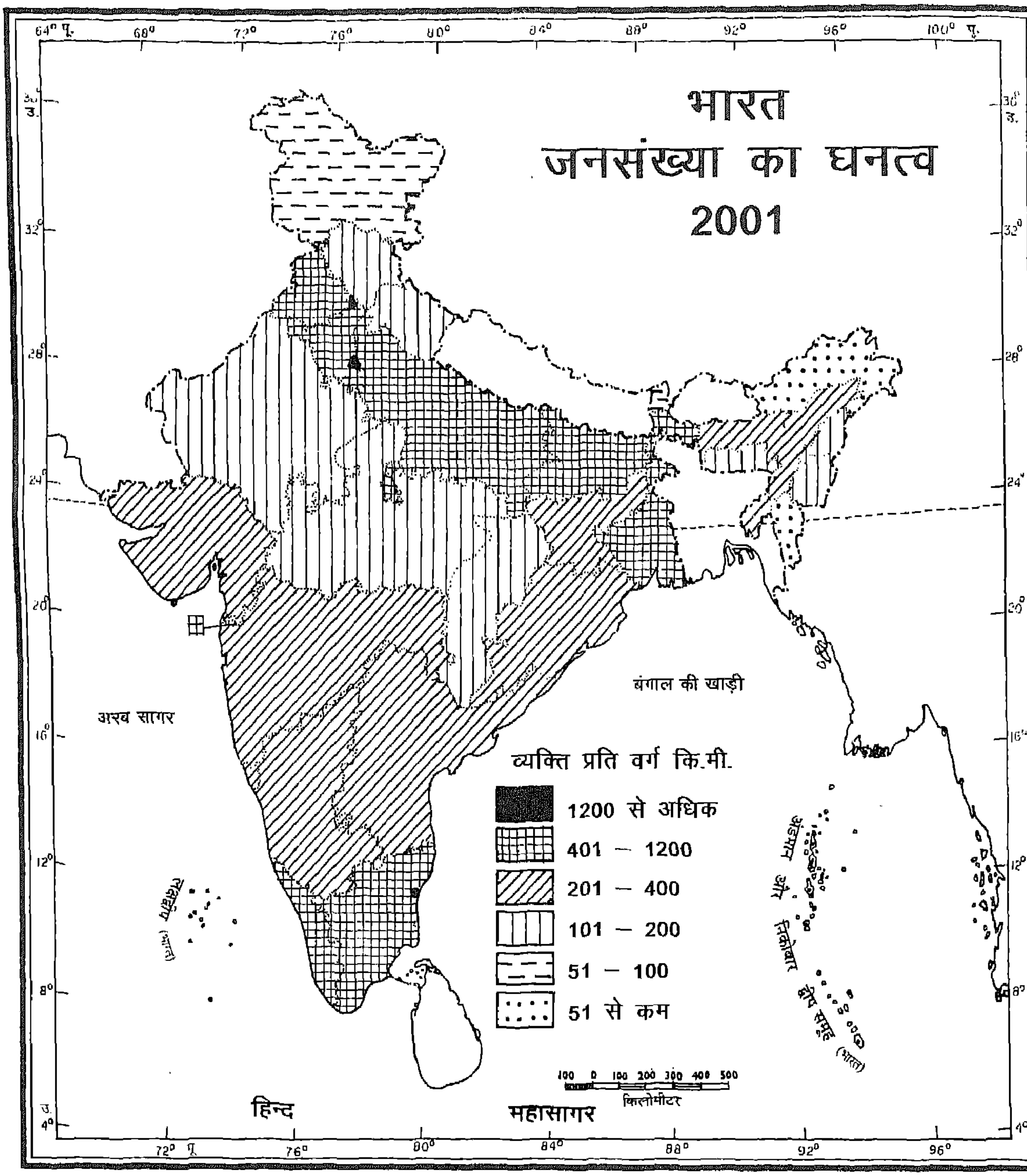


चित्र 19.2 *अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति*

वस्तुएं तथा सुविधाएं हैं। हमारे देश में वर्तमान जनसंख्या बहुत अधिक प्रतीत होती है क्योंकि हमारी जनसंख्या का आकार उसके भरण-पोषण के लिए उपलब्ध संसाधनों से अधिक बड़ा है।

आदर्श अथवा अनुकूलतम (Optimum) जनसंख्या उस जनसंख्या-आकार को निर्दिष्ट करती है, जो वहां के संसाधनों के सहयोग से अधिकतम मात्रा में वस्तुएं तथा सुविधाएं उत्पन्न करती हैं। किसी देश की जनसंख्या जब बढ़ती है तो प्रारंभ में उत्पादन में भी वृद्धि होती जाती है। परंतु एक सीमा के बाद संभव है कि उस बढ़ती हुई जनसंख्या को उसकी आवश्यकता की आधारभूत वस्तुएं व सेवाएं न प्राप्त हो सकें। संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण, प्रतिव्यक्ति वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धि कम हो जाएगी।

चित्र 19.2 देखिए। OX अक्ष पर जनसंख्या P बिंदु तक धीरे-धीरे बढ़ती रहती है। P बिंदु तक हम कह सकते हैं कि देश में जनसंख्या कम है। हम यह देख सकते हैं कि M बिंदु तक प्रतिव्यक्ति उपलब्ध उत्पादन (वस्तुएं तथा सेवाएं) बढ़ता रहा है। M बिंदु के बाद यह संभव नहीं है कि उसी मात्रा में वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं क्योंकि संसाधन कम हो जाते हैं और सीमा से अधिक प्रयुक्त भी होने लगते हैं। M के बाद वक्र नीचे जाने लगता है। अतः



भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

© भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2002

समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

चित्र 19.3 *भारत में जनसंख्या का घनत्व*

देश के लिए अनुकूलतम अभीष्ठ या आदर्श जनसंख्या का आकार OP होगा। यदि जनसंख्या बढ़ती जाती है और P बिंदु से अधिक हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि जनाधिक्य हो रहा है।

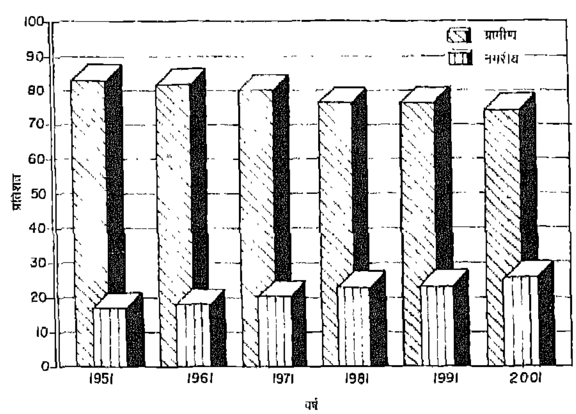
जनसंख्या परिवर्तन को निर्धारित करने वाले कारक

जनसंख्या को निर्धारित करने के तीन कारक हैं, ये हैं - जन्म दर, मत्यु दर तथा प्रवसन।

प्रति हजार व्यक्तियों में प्रतिवर्ष जितने जीवित बच्चों के जन्म होते हैं उसे 'जन्म दर' कहते हैं। इसी प्रकार 'मत्यु दर' प्रति हजार व्यक्तियों में एक वर्ष में मृत होने वाले लोगों की संख्या होती है। भारतीय जनसंख्या के अधिक तेज दर से बढ़ने का मुख्य कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर के बीच बढ़ता हुआ असतुंलन है। स्वतंत्रता के बाद जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही घटे हैं, परंतु मृत्यु दर बहुत तेजी से घटी है। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में जन्म दर 49.2 (प्रति हजार) थी। शताब्दी की समाप्ति पर यह घटकर 26.1 (प्रति हजार) हो गयी है। परंतु उसी अवधि में मृत्यु दर 42.6 (प्रति हजार) से घटकर 8.7 (प्रति हजार) हो गयी। मृत्यु दर प्लेग, चेचक आदि अनेक संक्रामक रोगों पर नियंत्रण पाने के फलस्वरूप घटी है। ऐसा इसलिए संभव हुआ है कि चिकित्सा सेवाओं का पिछले तीन दशकों में अधिक विकास हुआ है और जनस्वास्थ्य प्रयासों में भी सुधार हुआ है। दूसरी ओर छोटी आयु में विवाह, शिक्षा की कमी तथा जन्म दर कम करने के अप्रभावी प्रयास के कारण जन्म दर बढ़ी है।

'प्रवसन' का अर्थ है विभिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों में जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान या क्षेत्र में जाना। प्रवसन आंतरिक (देश के भीतर) या अंतर्देशीय (देशों के बीच) होता है। आंतरिक प्रवसन से देश की जनसंख्या के आकार में परिवर्तन नहीं होता परंतु जनसंख्या के घनत्व में परिवर्तन होता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का प्रवसन मुख्यतया इसलिए हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ी है और कृषि कार्यों में श्रमिकों की मांग घटी है। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के बढ़े हुए अवसर, बेहतर शिक्षा तथा रहन-सहन का अच्छा स्तर अन्य कारण हैं। नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक सेवाओं के विकास के कारण भी ऐसा होता है। प्रवसन की स्थिति के कारण नगरों तथा शहरों की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। नगरीय जनसंख्या 17.29 प्रतिशत (1951) से बढ़कर 25.72 प्रतिशत (1991) हो गई है, जैसा चित्र 19.4 में दिखाया गया है।

परंतु नगरीय जनसंख्या समानरूप से नहीं बढ़ी। ऐसा इसलिए है कि नौकरी, रोजगार तथा अन्य आर्थिक अवसर, जो काम करने वाली जनसंख्या को आकर्षित करते हैं, सभी नगरीय क्षेत्रों में एक समान नहीं पाए जाते हैं। हमारे देश में 35 शहर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या दस लाख या उससे अधिक है। प्रत्येक नगर या शहर के केंद्र के आस-पास नगरीय अधिवासों के समूह विकसित हो गए हैं जो उस शहर की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। इन्हें 'नगर समूह' कहते हैं। नगर समूह नगरों के विस्तार मात्र हैं परंतु वे एक निश्चित नगरपालिका की सीमा में नहीं होते हैं। दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता आदि शहरों में अपेक्षाकृत अधिक प्रवसन हुआ है। इससे यह परिलक्षित होता है कि ये विशाल नगर समूह बहुत बड़ी संख्या में प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। यहां अन्य नगरों की अपेक्षा अधिक मात्रा में सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन नगरों की जनसंख्या उनकी आर्थिक क्षमता से अधिक बढ़ रही है। वर्तमान नगरीय व्यवस्थाएं तथा सेवाएं जैसे बिजली, जल-आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, यातायात आदि बढ़ती हुई मांग को पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उच्च घनत्व तथा पर्यावरण-प्रदूषण की समस्याएं भी बढ़ रही हैं।



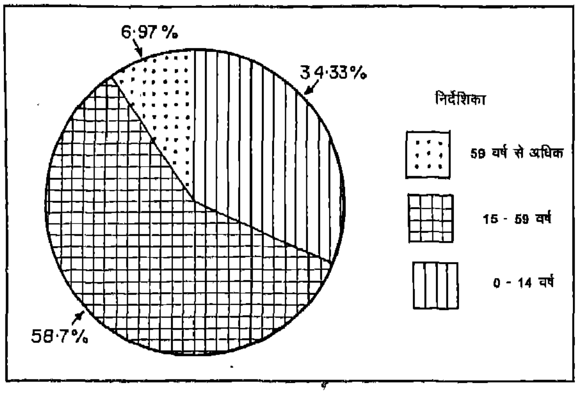
चित्र 19.4 *ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या*

लिंग अनुपात

प्रति हजार पुरुषों की जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। हमारे देश में लिंग अनुपात पुरुषों के पक्ष में रहा है। बीसवीं शताब्दी के शुरु में भारत में लिंग अनुपात 972 (1901) था। अगले दशकों में यह और कम हो गया। पिछले दशक में इसमें थोड़ा सुधार हुआ है जब यह 1991 में 929 से 2001 में बढ़कर 933 हो गया, जो उत्साहवर्धक है। केरल (1058) और पांडीचेरी (1001) दो राज्य हैं, जहां लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में है।

आयु संरचना

जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों के अनुसार भी बांटी जाती है। जनसंख्या की आयु-संरचना मोटे तौर पर प्रायः तीन आयु वर्गों में बांटी जाती है : काम करने की आयु से कम आयु वाले बच्चे (15 वर्ष से कम), काम करने वाली आयु के लोग (15 से 59 वर्ष तक) तथा काम करने की आयु से अधिक आयु वाले वृद्ध लोग (59 वर्ष से अधिक)। जो



चित्र 19.5 *भारत में जनसंख्या की आयु-संरचना*

कोई व्यक्ति किसी उत्पादक कार्य में लगा है और उत्पादन की क्षमता रखता है वह अर्जक जनसंख्या का भाग है। यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी हैं। गृहिणियां, पूर्णकालिक विद्यार्थी तथा जो 60 वर्ष की आयु के बाद भी कार्य करते रहते हैं वे अर्जक जनसंख्या में सम्मिलित हैं। 15 वर्ष से कम आयु और 59 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। चित्र 19.5 भारत में उपरोक्त तीन आयु वर्गों में जनसंख्या का वितरण दिखाता है।

व्यावसायिक संरचना

देश की जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना का अर्थ विभिन्न व्यवसायों के अनुसार लोगों के वितरण से है। मौटे तौर पर व्यवसायों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है – प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्रियाएं। कृषि, पशु-पालन, वानिकी तथा मत्स्य पालन आदि व्यवसाय संयुक्त रूप से प्राथामिक क्रियाएं या प्राथामिक व्यवसाय माने जाते हैं। ये प्राथमिक इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि यहां प्रकृति के सहयोग से उत्पादन किया जाता है। वस्तु निर्माण उद्योगों को द्वितीयक व्यवसाय कहा जाता है। यातायात, संचार के साधन, बैंकिंग सेवाएं आदि तृतीयक व्यवसाय कहे जाते हैं।

अधिकांश विकसित देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन आदि में प्राथमिक कार्यों में लगी जनसंख्या का अनुपात केवल 2 से 7 प्रतिशत के बीच है, जबकि भारत में यह 67 प्रतिशत है। यह विकास के स्तर का एक महत्त्वपूर्ण द्योतक है।

अर्थव्यवस्था के विकास तथा व्यावसायिक संरचना में बहुत घनिष्ट संबंध है। यदि द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायों में जनसंख्या का अधिक अनुपात लगा रहता है तब लोगों की आय का स्तर अधिक होता है। दूसरी ओर कृषि अथवा अन्य प्राथमिक व्यवसायों में अधिक निर्भर होने से आय का स्तर कम होता है। हमारे देश में कृषि पर आश्रित जनसंख्या का अनुपात 67 प्रतिशत (1991) है। द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायों में लगे लोगों का प्रतिशत क्रमशः लगभग 13 तथा 20 है। हमारे देश में पिछले पांच दशकों में बढ़ते हुए औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के कारण द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों में लगे लोगों का प्रतिशत बढ़ा है। यह प्रवृत्ति विकसित राज्यों जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक व केरल में स्पष्ट है। परंतु कम विकसित राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि में अधिक जनसंख्या अभी भी मुख्यतया कृषि पर निर्भर है।

साक्षरता

साक्षर उसे कहते हैं जो कुछ समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है तथा सात वर्ष या उससे अधिक आयु का है।, साक्षरता का संबंध सामान्यतः स्कूल जाने से होता है - चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक। भारत में साक्षरता का स्तर 5 प्रतिशत (1901) से बढ़कर 65.35 प्रतिशत (2001) हो गया है। हमारे देश के लगभग 75 प्रतिशत पुरुष तथा 54 प्रतिशत महिलाएं आज साक्षर हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे देश के तीन-चौथाई पुरुष और आधी से अधिक महिलाएं साक्षर हैं। केरल में साक्षरता 90 प्रतिशत है जो सब राज्यों से अधिक है और उसके बाद 88.49 प्रतिशत साक्षरता के साथ मिजोरम दूसरे स्थान पर तथा 87.52 प्रतिशत के साथ लक्षद्वीप तीसरे स्थान पर है। हमारे देश में बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है (जनगणना 2001)। जनसंख्या की वृद्धि और निरक्षरता के बीच एक घनात्मक संबंध है। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है और इन राज्यों में जनसंख्या की

वृद्धि दर अधिक है। इस संबंध में महिला साक्षरता का विशेष महत्त्व है।

स्वास्थ्य

विकास प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण घटक स्वास्थ्य है। स्वतंत्रता के पश्चात निरंतर प्रयासों से जनता की स्वास्थ्य स्थिति में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है। प्लेग तथा चेचक जैसी बीमारियां लगभग समाप्त कर दी गई हैं। मलेरिया पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है। मृत्यु दर भी पहले की तुलना में आधे से भी कम हो गई है। जीवन प्रत्याशा जो वर्ष 1951-61 में केवल 41 वर्ष थी, 2001 में बढ़कर 61 वर्ष हो गई है। यद्यपि काफी उपलब्धियां हुई हैं, परंतु भारत में स्वास्थ्य की स्थिति अभी भी चिंता का विषय है। प्रतिव्यक्ति कैलोरी उपभोग अब भी वांछित स्तर से बहुत नीचे है। (आयु, लिंग तथा व्यवसाय के आधार पर विभिन्न जनसंख्या समूहों के लिए आहार विशेषज्ञों द्वारा कैलोरी की मात्रा स्वीकृत की गई है। कैलोरी उपभोग की औसत मात्रा नगरीय क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी है।) इससे बहुत भयंकर कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होती है। पीने योग्य सुरक्षित पानी तथा सामान्य सफाई की सुविधाएं, जो जल द्वारा फैलने वाले रोगों को रोकने के लिए आवश्यक हैं, ग्रामीण जनसंख्या के केवल एक-तिहाई भाग को उपलब्ध हैं। अतः इन समस्याओं का निदान देश में एक उपयुक्त जनसंख्या योजना द्वारा ही किया जा सकता है।

किशोर जनसंख्या

भारत की जनसंख्या का सबसे महत्त्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का पांचवा भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्त्वपूर्ण मानव संसाधन हैं। किशोरों के लिए पोषक तत्त्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा व्यस्कों से अधिक होती हैं। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है। परंतु भारत में किशोरों को उपलब्ध भोजन, पोषक तत्त्वों की दृष्टि से अपर्याप्त रहता है। बहुत-सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर अब तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ायी जा सकती है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

जनसंख्या की स्थिरता के लिए भारत 1952 से जनसंख्या नीति कार्यान्वित करता रहा है। इसका उद्देश्य देश का विकास करना तथा लोगों के जीवन की गुणवत्ता को विकसित करना रहा है। हमें मृत्यु दर घटाने में सफलता मिली है। पिछले वर्षों में इस नीति का प्रमुख ध्येय परिवार नियोजन तथा जन्म दर पर नियंत्रण रहा है। इसके अतिरिक्त 2000 ई. की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (National Population Policy, NPP) का लक्ष्य सन 2045 ई. तक जनसंख्या को स्थिर करना है। इस नीति के अनुसार यह लक्ष्य विवाह की आयु बढ़ाकर, 14 वर्ष की आयु तक के लिए स्कूल शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाकर तथा प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या को घटाकर पूरा किया जाएगा।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर/किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की, जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पौषणिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन–संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर/किशोरियों की संरक्षा जैसी अन्य महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया है। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनका उद्देश्य देर से विवाह और संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, किशोर/किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भनिरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पौषणिक सेवाएं उपलब्ध करवाना और बाल विवाह को रोकने के कानूनों को सुदृढ़ करना है।

अभ्यास

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1. जनगणना क्या होती है?
2. लिंग अनुपात की परिभाषा दीजिए।
3. जन्म दर तथा मत्यु दर की व्याख्या कीजिए।
4. जनसंख्या के अध्ययन का महत्त्व क्या है?
5. आदर्श अथवा अनुकूलतम जनसंख्या की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।
6. किसी एक कारक का विवरण दीजिए जिससे भारत में जनसंख्या बढ़ी हो।
7. व्यवसायिक संरचना किसी देश के विकास के स्तरों को कैसे दर्शाती है?
8. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए :
   (i) भारत में नगरीकरण
   (ii) जनसंख्या की आयु-संरचना तथा आश्रित दर
   (iii) भारत में किशोर जनसंख्या
   (iv) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति
   (v) महिलाओं की साक्षरता तथा जनसंख्या-वृद्धि

परियोजना कार्य

- एक प्रश्नावली बनाकर कक्षा की जनगणना कीजिए। प्रश्नावली में कम से कम पांच प्रश्न होने चाहिए। ये प्रश्न विद्यार्थियों के परिवारजनों, कक्षा में उनकी उपलब्धि, उनके स्वास्थ्य आदि से संबंधित हों। प्रत्येक विद्यार्थी को वह प्रश्नावली भरनी चाहिए। बाद में सूचना को संख्याओं में (प्रतिशत में) संग्रहीत कीजिए। इस सूचना को वृत्त रेखा, दंड आरेख या अन्य किसी प्रकार से प्रदर्शित कीजिए।

पारिभाषिक शब्दावली

अध्यादेश (Ordinance)	जब संसद अथवा विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो और किसी विशेष उद्देश्य से किसी कानून की तुरंत आवश्यकता हो तब राष्ट्रपति या राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसकी वही शक्ति होती है जो संसद अथवा विधानमंडल द्वारा बने कानून की होती है।
अधिकार अधिनियम या अधिकार पत्र (Charter Acts)	ब्रिटिश संसद द्वारा समय-समय पर पारित ऐक्ट जिनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां एवं स्थितियां निर्धारित की जाती थीं, अधिकारपत्र कहलाते थे।
अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)	यह आदेश किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध दिया जाता है जो किसी सार्वजनिक पद को पाना चाहता है या अपनाए रहता है। इस आदेश के द्वारा न्यायपालिका यह जांच करती है कि उस व्यक्ति का उस पद पर क्या अधिकार है ?
अधिराज्य (Dominion)	स्थिति अथवा पद, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ देशों जैसे कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका संघ, आयरलैंड, न्यूफाउंडलैंड आदि की 1939 के पूर्व की स्थिति। इसका अर्थ है ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर समान स्थिति वाले स्वायत्तशासी समुदाय, जो किसी भी आंतरिक या बाह्य क्षेत्र में एक-दूसरे के आश्रित नहीं थे परंतु ब्रिटिश राजमुकुट से एक-सी राज्यनिष्ठा द्वारा बंधे हुए थे और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य थे।
अपील का क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction)	यह एक ऊंचे न्यायालय द्वारा अपेक्षाकृत निचले न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने व उस पर निर्णय देने का क्षेत्र अधिकार है।
अवदाब (Depression)	ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों से होता है।
अवसादी शैलें (Sedimentary Rocks)	अवसादों से बनी हुई शैलें जिनमें प्रायः परतदार संरचना होती है।
आंतरिक अपवाह (Inland Drainage)	एक ऐसा अपवाह तंत्र जिसमें नदियों का जल महासागरों में नहीं पहुंचता वरन् आंतरिक समुद्रों या झीलों में गिरता है।

आग्नेय शैलें (Igneous Rocks)	वे शैलें जो मैग्मा या लावा के पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के भीतर जम जाने से बनती हैं।
उच्चावच (Relief)	धरातल अथवा समुद्र की तलेटी पर प्राकृतिक रूपरेखा में पाए जाने वाले ऊंचाइयों के अंतर को उच्चावच कहते हैं।
उत्प्रेषण (Certiorari)	यह उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्गत एक आदेश है जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित किए जाते हैं। यह विशेष प्रकार का आदेश प्रायः किसी ऊपर की न्यायपालिका द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायपालिका को निर्गत किया जाता है, जिसमें किसी वाद से संबंधित अभिलेख विचारार्थ ऊपर की न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश होते हैं।
उपनिवेशवाद (Colonialism)	एक व्यवस्था जिसके द्वारा कोई देश अपने विजित उपनिवेशों का अपने आर्थिक लाभ के लिए शोषण करता है।
उपमहाद्वीप (Subcontinent)	एक बहुत बड़ा भूखंड, जो महाद्वीप के शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्टतया अलग होता है।
एकतंत्र (Autocracy)	यह एक ऐसा शासनतंत्र है जहां राज्य की सर्वोच्च सत्ता किसी एक व्यक्ति, निरंकुश व्यक्ति, के हाथ में होती है।
एकल या इकहरी न्यायपालिका (Single Judiciary)	यह किसी देश में न्यायपालिका की संरचना का एक रूप है। एकल या इकहरी न्यायपालिका में न्यायालयों के पद-सोपान होते हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर होता है।
कगार (Escarpment)	किसी पर्वत श्रेणी का तीव्र ढाल।
कार्य स्थगन प्रस्ताव/काम रोको प्रस्ताव (Adjournment Motion)	यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके द्वारा सदन के कार्यक्रम को स्थगित करके सार्वजनिक महत्त्व के किसी अत्यावश्यक विषय पर तुरंत विचार किया जा सके।
किशोरावस्था (Adoloscence)	किशोरावस्था वह आयु है जब कोई व्यक्ति बाल्यावस्था से अधिक आयु का होता है किंतु उसकी आयु प्रौढ़ से कम होती है। ऐसा व्यक्ति प्रायः 10 से 19 वर्ष के आयु-वर्ग में होता है।

चुनाव घोषणापत्र (Election Manifesto)	चुनाव या निर्वाचन के समय प्रत्येक राजनैतिक दल (पार्टी) अपनी नीति एवं कार्यक्रम बनाता है, जिसमें वह अपने उद्देश्य घोषित करता है। राजनैतिक दल कुछ वायदे भी करते हैं। अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों के आधार पर वे लोगों से मत (वोट) मांगते हैं। जिस अभिलेख में ये नीतियां एवं कार्यक्रम लिखे होते हैं उसे चुनाव घोषणापत्र कहते हैं।
जन्म दर (Birth Rate)	प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या।
जनगणना (Census)	यह अधिकारिक रूप से किसी निर्धारित तिथि पर एक दिए हुए क्षेत्र में कुछ आर्थिक व सामाजिक सूचनाओं के साथ की जाने वाली जनसंख्या की गणना है। यह एक निश्चित समय के अतंर (यह सामान्यतया भारत में हर 10 वर्षों की अवधि के बाद) पर की जाती है।
जनसंख्या का घनत्व (Density of Population)	प्रति इकाई क्षेत्रफल में, जैसे एक वर्ग किलोमीटर में, रहने वाले लोगों की संख्या।
जनमत (Public Opinion)	सार्वजनिक महत्त्व के कुछ या किसी विषय पर जनता के विचार जनमत कहलाते हैं। जनमत की अभिव्यक्ति समाचारपत्रों, पत्रिकाओं, आकाशवाणी या दूरदर्शन आदि के माध्यम से होती है।
जनसंख्या की वृद्धि दर (Growth Rate of Population)	जनसंख्या की वृद्धि दर जनसंख्या बढ़ने की गति बताता है। वृद्धि दर में बढ़ी हुई जनसंख्या की आधार वर्ष की जनसंख्या से तुलना की जाती है। इसे वार्षिक या दशकीय गति में ज्ञात किया जा सकता है।
जलवायु (Climate)	पृथ्वी के एक बड़े क्षेत्र की लंबी अवधि (साधारणतया कम से कम 30 वर्ष) की ऋतुओं की दशाओं का औसत।
जलोढ़ मैदान (Alluvial Plain)	नदियों द्वारा बहाकर लायी गई महीन गाद या शिला कणों वाली कांप अथवा जलोढ़ मिटटी के निक्षेपण से बना समतल भू-भाग।
जीवोम (Biome)	एक-सी जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले पादप-समूह।
झील (Lake)	एक जलराशि जो पृथ्वी के सतह के एक गर्त/गड्ढे में हो और चारो ओर से पूर्णतया स्थल से घिरी हो।

दुर्बलता मंडल (Asthenosphere)	ऊपरी मैंटिल की एक शैलीय पर्त जो भूपृष्ठ के ठीक नीचे अर्ध-द्रवित (प्लास्टिक) अवस्था के रूप में होती है।
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (Calling Attention Notice)	विधायिका के सदस्य सार्वजनिक महत्त्व के किसी अत्यावश्यक विषय की ओर संबद्ध मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह सूचना देते हैं। यह सूचना विधायिका के किसी भी सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में दी जा सकती है ताकि सरकार उस विषय की ओर तुरंत ध्यान दे सके।
नाज़ीवाद (Nazism)	नाज़ीवाद, जिसे राष्ट्रीय समाजवाद भी कहते हैं, एकाधिकारवाद की नीति थी ,जिसके नेता एडोल्फ हिटलर थे। यह जर्मनी में विकसित हुआ था और एडोल्फ हिटलर के अद्वितीय व्यक्तित्व से इसे दिशा मिली थी।
निमज्जन (Subsidence)	जलवायु विज्ञान में यह हवा की नीचे जाने वाली गति है। भूगर्भ विज्ञान में इसका अभिप्राय धरातल की सतह के नीचे धसने की क्रिया से है।
नौकरशाही (Bureaucracy)	इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'कार्यालय का शासन' या 'कर्मचारियों/अधिकारियों का शासन'। नौकरशाही का अभिप्राय उन सभी संगठनों, अधिकारियों तथा निश्चित प्रक्रियाओं से है जो देश के प्रशासनिक तंत्र से संबंधित हैं। व्यापक अर्थ में इसका संबंध नियमित प्रतिरूपों, अधिक कार्यभार तथा सरकारी कार्यालयों की निष्पक्षता से भी है।
पठार (Plateau)	विस्तृत ऊपर उठा हुआ एक भू-भाग जिसके ऊपर का भाग अपेक्षाकृत समतल हो और किनारे तेज ढाल वाले हों।
पर्वत (Mountain)	पृथ्वी के धरातल का ऊपर की ओर उठा हुआ एक भाग जो काफी ऊंचा होता है और साधारणतया तीव्र ढालों वाला होता है।
पर्यावरण (Environment)	वह परिवेश अथवा परिस्थितियां जिसमें एक व्यक्ति अथवा वस्तु रहती है और अपना विशेष आचरण-स्वभाव विकसित करती है। इसके अंतर्गत भौतिक तथा सांस्कृतिक दोनों तत्त्व आते हैं।
पशु-पक्षी (Fauna)	किसी दिए हुए क्षेत्र की जैव संपदा।

पूंजीवाद (Capitalism)	वह व्यवस्था जिसमें उत्पादन तथा वितरण के साधन कुछ व्यक्तिगत हाथों में रहते हैं जो उनका उपभोग अपने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए करते हैं।
प्रभुतासंपन्न (Sovereign)	कोई देश या लोग तब प्रभुतासंपन्न होते हैं जब वह किसी राज्य या दूसरे देश के अधीन नहीं होते हैं। इन्हें दूसरे राज्यों से अपने संबंध निर्धारित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है।
प्रवसन (Migration)	लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवसन कहलाता है। आंतरिक प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक ही देश में आना-जाना तथा बाह्य प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना-जाना। जब लोग एक देश से दूसरे देश में आते हैं तो इसे आप्रवास (Immigration) कहते हैं और जब वे उस देश को छोड़ते हैं तब इसे उत्प्रवास (Emigration) कहते हैं।
पारिस्थितिक तंत्र (Ecosystem)	एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों से मिलकर बना है।
पोताश्रय (Harbour)	गहरे जल का विस्तृत क्षेत्र जहां जलयान लंगर डाल सकें और प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भू-आकारों के कारण समुद्र के तूफानों से सुरक्षित रह सकें।
फासिज्म (Fascism)	एक राजनैतिक अभियान जिसने इटली में 1922-43, के दौरान शासन किया। साधारणतया यह शब्द दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी एकदलीय अभियान या सरकार के बारे में प्रयोग किया जाता है।
बजट (Budget)	यह आगामी वर्ष के लिए होने वाले अनुमानित आय तथा व्यय का विवरण है। इसमें सरकार के आय के स्रोत तथा जिन मदों पर उनका व्यय होना है, सम्मिलित किए जाते हैं।
भारतीय मानक समय (Indian Standard Time)	भारत की मानक मध्याह्न रेखा (82° 30′ पूर्व देशांतर) का स्थानीय समय सारे भारत का प्रमाणिक समय माना जाता है।
भूगर्भीय (Tectonic)	पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली शक्तियां जो धरातल की भू-आकृतियों में विस्तृत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं।

भ्रंश (Fault)	आंतरिक हलचलों के कारण भू-पृष्ठ पर पड़ी दरारें जिन के सहारे चट्टाने खिसक जाती हैं।
मृत्यु दर (Death Rate)	प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं।
मानसून (Monsoon)	एक बड़े क्षेत्र मे पवनों का बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना जिससे ऋतु या मौसम में अंतर उत्पन्न हो जाता है।
मैंडमस (Mandamus)	यह किसी न्यायालय द्वारा निचले न्यायालय, शासकीय अधिकारी, प्राधिकरण या संस्था द्वारा निश्चित आदेश के अनुपालन का निर्देश है।
मैदान (Plain)	समतल अथवा बहुत कम ढाल वाली भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र।
युवा/नवीन पर्वत (Young Mountains)	पृथ्वी के भूपटल के नवीनतम दौर में बने मोड़दार या वलित पर्वत जैसे हिमालय, आल्प्स, एण्डीज़ तथा रॉकी पर्वत।
राष्ट्र निर्माण (Nation Building)	इस शब्द से एक प्रक्रिया का बोध होता है जिसके द्वारा लोग अपने को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करते हैं और स्थायित्व देते हैं। इससे उन प्रक्रियाओं एवं संस्थाओं के निर्माण का बोध होता है जिससे एक राष्ट्र प्रभुतासंपन्न स्वायत्त राज्य का निश्चित रूप प्राप्त करता है।
राष्ट्रीय उद्यान (National Park)	एक आरक्षित क्षेत्र जहां उसकी प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव-जंतुओं तथा प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता है।
रूपांतरित या कायांतरित शैलें (Metamorphic Rocks)	पूर्व-निर्मित आग्नेय अथवा अवसादी शैलों पर अधिक दबाव या ताप के कारण भौतिक तथा रासायनिक परिर्वतन द्वारा बनी नई शैलें।
लिंगानुपात (Sex Ratio)	भारत में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं।
लैप्स का सिद्धांत (Doctrine of Lapse)	भारत के गवर्नर-जनरल लार्ड डलहौज़ी द्वारा प्रयुक्त एक सिद्धांत जिसके द्वारा उन भारतीय राज्यों को जिनके शासकों की बिना किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाती थी, ब्रिटिश भारत में विलय कर दिया जाता था।
वनस्पति (Flora)	किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पेड़-पौधों का आवरण।

वलय (Fold)	पृथ्वी की पपड़ी पर दबाव पड़ने से किसी क्षेत्र की शैल-पर्तों में पड़ने वाले मोड़ या वलय।
शक्ति-संतुलन (Balance of Power)	राष्ट्रों के समूह के सदस्यों के बीच शक्ति का ऐसा संतुलन जिसमें सभी सदस्य इतने शक्तिमान हों कि उनमें से कोई एक अपना प्रभुत्व दूसरे पर न जमा सके।
संशोधन (Amendment)	संशोधन का अर्थ है परिवर्तन अथवा सुधार। सामान्यतया इस शब्द का प्रयोग किसी देश के संविधान में एक या एक से अधिक परिवर्तनों के लिए किया जाता है।
स्थलमंडलीय प्लेटें (Lithospheric Plates)	दुर्बलतामंडल के ऊपर तैरने वाले महाद्वीपीय भू - पृष्ठ या महासागरीय अधस्तल के बड़े -बड़े भाग।
स्वायत्ता (Autonomy)	स्वायत्ता (स्व-शासन) स्वयं शासन करने का अधिकार है। विदेशी सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्ति के लिए राजनीतिक मांग।
संघवाद (Federalism)	संघवाद एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जो विभिन्न राज्यों या अन्य राजनैतिक इकाइयों को एक सर्व-प्रभुता संपन्न व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार जोड़े रहता है कि इनमें से प्रत्येक अपनी आधारभूत राजनैतिक स्वायत्ता बनाए रखे।
संसद को बुलाना (Summoning of Parliament)	जब किसी निश्चित दिन या समय पर राष्ट्रपति संसद का सदन बुलाते हैं तब इसे 'संसद को बुलाना' या 'संसद आहूत करना' या 'संसद का आह्वान' कहते हैं।
स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement)	लार्ड कार्नवालिस द्वारा 1793 में प्रारंभ किया गया जमीन का लगान इकट्ठा करने का तरीका। इस योजना के अंतर्गत ज़मींदारों को जमीन पर वंशानुगत अधिकार मिल गए जिसके फलस्वरूप उन्हें सरकार को स्थायी रूप से निर्धारित लगान देना पड़ता था।
समाजवाद (Socialism)	ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन तथा वितरण के साधन पूरे समाज द्वारा या राज्य द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।
सहायक संधि (Subsidiary Alliance)	संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम गर्वनर-जनरल लार्ड वेलेज़ली द्वारा किया गया था, जिससे भारतीय राज्यों (रियासतों) पर नियंत्रण रखा जाता था। उन रियासतों पर वास्तविक आधिपत्य प्राप्त किए बिना ही उन पर नियंत्रण बना रहता था।

सत्रावसान
(Prorogat_

संसद के सत्र का समापन।

सामूहिक उत्तरदायित्व
(Collective Responsibility)

यह संसदीय शासन प्रणाली की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। मंत्रि-परिषद के किसी निर्णय या कार्य के लिए सभी मंत्री संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। यदि उनके कार्य संसद द्वारा पुष्ट नहीं किए जाते तो पूरे मंत्रि-परिषद को त्यागपत्र देना होता है।

साम्यवाद
(Communism)

यह शब्द लैटिन भाषा के 'कम्यूनिस' शब्द से बना है। इसका प्रयोग उस पद्धति या विचारधारा के लिए किया जाता है जिसमें आर्थिक जीवन पर सामाजिक नियंत्रण होता है। इस व्यवस्था में उत्पादन एवं वितरण दोनों ही राज्य के नियंत्रण में होते हैं।

साम्राज्यवाद
(Imperialism)

भिन्न राष्ट्रीय इकाइयों को मिलाकर एक साम्राज्य बनाने, उन्हें संगठित करने तथा अपने अधीन बनाए रखने की नीति जिसमें एक केंद्रीकृत सत्ता हो।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
(Universal Adult Suffrage)

इसका अभिप्राय जाति, धर्म, वर्ण, लिंग अथवा शिक्षा के आधार पर बिना भेदभाव के किसी देश के सभी वयस्क नागरिकों के मत देने के अधिकार से है।

सी.टी.बी.टी.
(C.T.B.T.)

यह एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें परमाणु शस्त्रों के उत्पादन एवं परीक्षण पर रोक लगाने के लिए कोई हस्ताक्षरकर्ता देश सहमत होता है।

हिमानी
(Glacier)

बर्फ या हिम का ढेर जो गुरूत्वाकर्षण के कारण अपने मूल स्थान से एक निश्चित मार्ग के सहारे धीरे -धीरे गतिशील होता है।

हीबस कारपस
(Hebeas Corpus)

किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह याचिका बहुत महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उलंघन करने या अवैधानिक रूप से जेल में रखने के विरूद्ध उच्चतम या उच्च न्यायालय में दायर की जाती है।

क्षतिपूर्ति
(Indemnity)

यह एक नया तरीका है जिसके द्वारा सफल सैन्य अभियान के पश्चात् विजेता देश अपने युद्ध खर्च का पूरा या आंशिक भाग हारे हुए देश से वसूल करता है। इसे सैन्य क्षतिपूर्ति भी कहते हैं।

reliability of the Value Conflict Solution Ability Test.

Intrinsic validity of the test was found by calculating product moment coefficients of correlation between scores on the subtest and the total test scores. Their values have been shown in table 2.11. Observation of the table shows that all correlations are significant at .05 level. So, the subtests measure the test's true score components, i.e the test possess intrinsic validity.

TABLE 2.11

Coefficients of correlation showing intrinsic validity of Value Conflict Solution Ability Test

Subtest	Group	Correlation with OVCSA
CVIT	1	.2614*
	2	.6294**
SRT	1	.6671**
	2	.6485**
PTT	1	.6807**
	2	.7593**
QST	1	.7462**
	2	.5946**

N for each group = 51

** significant at .01 level

* significant at .05 level

TABLE 2.12

Intercorrelations between ten items of
Value Conflict Solution Ability Test

Variable No.	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1
1.2	.6184	-							
1.3	.5852	.7608	-						
1.4	.6028	.6049	.6854	-					
2.1	.4939	.5399	.5285	.5186	-				
2.2	.4222	.4899	.5504	.4332	.6592	-			
3.1	.5423	.5613	.5311	.5517	.5133	.5111	-		
3.2	.5603	.5011	.5134	.5785	.5776	.5057	.6759	-	
4.1	.4067	.4448.	.4424	.4779	.4820	.4690	.5720	.5561	-
4.2	.3807	.3451	.4038	.4069	.4058	. 386	.5297	.4397	.6874

N = 102

TABLE 2.13

Rotated factors (Varimax) for Value Conflict Solution Ability Test

Variables : item no.	Factor I	Factor II
1.1	.75368	.24216
1.2	.84557	.18307
1.3	.84263	.21553
1.4	.75677	.29620
2.1	.62203	.43385
2.2	.56783	.43671
3.1	.53874	.60586
3.2	.57164	.54671
4.1	.26819	.84676
4.2	.15587	.86387

Table 2.12 presents intercorrelations among the ten items included in the test. Principal component factor analysis of the intercorrelations with varimax rotation was carried out for extraction of factors. Perusal of the table 2.13 reveals existence of two factors. Factor I has high loadings for all items included in the CVIT and SRT tests. Factor II has high loadings for the PTT and QST tests. Factor loadings for the two items of PTT are nearly alike. Factor I may be labelled as 'Conflict Resolution Ability' while factor II can be named as 'Stance Refining Ability'.

2.6.0 EXPERIMENTATION

Sample for this study consisted of 153 girls studying in two schools. Two experimental groups and one control group were formed. Each group consisted of 51 students. The three groups were equivalent with regard to intelligence. After pretest students of the first experimental group were exposed to Jurisprudential Inquiry Teaching. During teaching sessions case materials related to the following could be used -

1. Tehri Dam
2. Self immolation
3. Railway property
4. Atomic weapons

5. Postal bill
6. Election improvement
7. Cultural pollution
8. Convenient death
9. Five day week
10. Repealing article 370
11. National Anthem versus Religious Songs
12. Private coaching
13. Rath Sobha Yatra
14. Sati pratha
15. Bycot of English
16. Admission Test Controversy

Teaching was based on the syntax, social system, principles of reaction and support system for Jurisprudential Inquiry Model of Teaching as described in Chapter I. Jurisprudential inquiry teaching activities as performed during the experimentation belong to the following five phases -

1. Orientation to the case
2. Identification of issues,
3. Taking a position,
4. Exploration of stances,
5. Refining and qualifying the position.

worksheets were used by students. After 16 JIT sessions two tests of dependent variables were administered again. Personality Questionnaire and Deprivation Scale were administered before the commencement of experimentation.

Students of the second experimental group were exposed to 16 individualized jurisprudential inquiry sessions on the sixteen issues mentioned earlier. They were asked to go through IJI worksheets and respond to questions/instructions mentioned therein. Value Conflict Solution Ability Test, Social Consciousness Test, Deprivation Scale, and Personality Questionnaire were administered before and just after experimentation.

Students of the control group were not exposed to any treatment. Pre- and Post - tests on dependent variables were administered.

2.7.0 STATISTICS USED

Analysis of variance was used to compare gain scores on social consciousness and value conflict solution ability of students belonging to experimental and control groups. Between group comparisons were made with the help of t - test. Product moment coefficients of correlation were computed to find out the extent to which gains in value conflict solution ability and social consciousness are related to intelligence.

deprivation, concerned present status and personality traits. Stepwise Multiple Regression Analysis was performed to find out the predictors of gains in social consciousness and value conflict solution ability.

CHAPTER III

RESULTS AND DISCUSSION

The present study on 'Effect of Jurisprudential Strategy of Teaching on the Development of Social Consciousness and Ability to Solve Value Conflicts' was undertaken to find out the relative effectiveness of two variations in Jurisprudential Teaching Strategy. These variations were Jurisprudential Inquiry Teaching* and Individualised Jurisprudential Inquiry**. Two experimental groups and one control group, each consisting of 51 students were formed. They were equated on the basis of intelligence. Results of ANOVA for checking equivalence of experimental and control groups have been presented in table 3.01.

TABLE 3.01

Summary of ANOVA showing equivalence of E_1, E_2 and C groups on Intelligence

Source of variation	Sum of squares	df	Mean square	F
Group	75.503	2	37.752	.316*
Error	17939.805	150	119.599	
Total	18015.309	152		

* Not significant at .05 level

* JIT

** IJI

It can be seen from table 3.01 that the F value of .316 is not significant at .05 level with df = 2 and 150. This indicates the equivalence of the three groups with respect to intelligence.

During experimentation students of E_1 group were taught through the Jurisprudential Strategy of Teaching while students of E_2 group were asked to go through and respond to instructions given in the semistructured Jurisprudential Inquiry Learning Material i.e. Individualized Jurisprudential Inquiry Work book. Students belonging to C group were not exposed to any treatment. Pretest and posttest scores on the dependent variables*, OVCSA, CVI, SR, PT, QS, OSC, GP, TPS and TCPS were collected. Data on 22 personality traits and deprivation was collected from students of E_1 and E_2 groups. Gain scores were

---

* OVCSA - Overall Value Conflict Solution Ability
CVI - Ability to Identify Value Conflicts
SR - Social Reasoning
PT - Perspective Taking Ability
QS - Ability to Suggest Qualifiers
OSC - Overall Social Consciousness
GP - Guessing Problems
TPS - Thinking of Problem Solutions
TCPS - Thinking of Consequences of Solutions of Social Problems.

calculated for each student belonging to E_1, E_2 and C groups. Analysis of Variance and t - test were used for analysis of data. The present chapter embodies the results of the analysis and discussion of the findings.

3.1.0 EFFECTIVENESS OF JURISPRUDENTIAL STRATEGY OF TEACHING FOR DEVELOPING VALUE CONFLICT SOLUTION ABILITY

One of the objectives of the present study was to study the effectiveness of Jurisprudential Inquiry Teaching and Individualized Jurisprudential Inquiry for developing value conflict solution ability. Three hypotheses were formulated to achieve this objective. They are -

1. Jurisprudential Inquiry Teaching is effective for developing value conflict solution ability.
2. Exposure to Individualized Jurisprudential Inquiry brings about improvement in value conflict solution ability.
3. Individualized Jurisprudential Inquiry and Jurisprudential Inquiry Teaching are equally effective for developing value conflict solution ability.

ANOVA and t- test were used to compare gain scores for students of E_1, E_2 and C groups. This section describes the results of the analysis leading to testing

of the three hypotheses enumerated earlier.

TABLE 3.02

Summary of ANOVA of gain scores on Value Conflict Solution Ability of Students of E_1, E_2 and C groups

Source of Variation	df	Sum of Squares	Mean Square	F
Treatment	2	5352.366	2676.183	120.309*
Error	150	3336.628	22.244	
Total	152	8688.994		

* Significant at .01 level

Observation of table 3.02 shows that F value of 120.309 is significant at .01 level with df equal to 2 and 150. It indicates that the mean gain scores of students belonging to E_1, E_2 and C groups differ significantly. Thus, the null hypothesis that the mean OVCSA gain scores of students exposed to JIT and IJI and control group do not differ significantly, stands rejected. The data was further analysed by using t - test to determine the relative efficacy of the two variations in Jurisprudential Teaching

Strategy. The results have been shown in table 3.03.

TABLE 3.03

Mean, Standard Deviation and t ratios for gain scores on Value Conflict Solution Ability of students of E_1, E_2 and C groups

Groups	N	Mean	SD	Group compared	t -ratio
E_1	51	14.2941	5.707	E_1 & C	12.94*
E_2	51	2.8431	3.455	E_2 & C	2.40**
C	51	0.8824	4.714	E_1 & E_2	12.26*

*/** significant at .01/.05 level

It is evident from the table 3.03 that the t-value of 12.94 for E_1 and C groups is significant at .01 level with df equal to 100. It means that mean OVCSA gain scores of students belonging to E_1 and C groups differ significantly from each other. The mean OVCSA gain score of E_1 group (= 14.2941) is significantly higher than that of C group. This indicates that Jurisprudential Inquiry Teaching is effective for developing value conflict solution ability.

Further observation of table 3.03 shows that the t ratio of 2.40 for E_2 and C groups is significant at .05 level with df equal to 100. This shows that mean OVCSA gain scores for students of E_2 and C groups differ significantly from each other. The mean OVCSA gain score of students exposed to IJI (=2.8431) is significantly higher than that of students of control group (i.e. C). Thus, it can be concluded that Individualized Jurisprudential Inquiry brings about significant improvement in overall value conflict solution ability of students.

From table 3.03 it can be seen that t - value of 12.26 for E_1 - E_2 pair is significant at .01 level with df equal to 100. This reflects that mean OVCSA gain score of E_1 group is significantly different from that of E_2 group. The mean gain score for E_1 group (= 14.2941) is significantly higher than that for E_2 group (=2.8431). So, students exposed to Jurisprudential Inquiry Teaching gained more than those exposed to Individualized Jurisprudential Inquiry in their overall value conflict solution ability.

Value conflict solution ability consists of four elements. They are CVI, SR, PT and GS. It is quite possible that JIT and IJI are effective for developing some components of value conflict solution ability. Results of ANOVA have been presented in table 3.04.

TABLE 3.04

Summary of ANOVA for various dimensions of Value Conflict Solution Ability

Sl. No.	Dimension	Source of variation	df	Sum of squares	Mean square	F
1. CVI :	Ability to identify value conflicts	Treatment	2	754.131	377.065	95.673*
		Error	150	591.177	3.941	
		Total	152	1345.307		
2. SR :	Social reasoning	Treatment	2	194.915	97.458	36.185*
		Error	150	404.000	2.693	
		Total	152	598.915	3.940	
3. PT :	Perspective taking ability	Treatment	2	342.131	171.065	51.103*
		Error	150	502.118	3.347	
		Total	152	844.248		
4. QS :	Ability to suggest qualifiers	Treatment	2	186.288	93.144	20.354*
		Error	150	686.432	4.576	
			152	872.719		

* Significant at .01 level

F value for CVI, SR, PT and QS dimensions of VCSA (= Value conflict solution ability) are 95.673, 36,185, 51.103 and 20.354 respectively. All of them are significant at .01 level with df = 2 and 150. It indicates that the mean gain scores of students belonging to E_1, E_2 and C groups on each dimension of VCSA differ significantly. Further analysis was done with the help of t - test so as to find out the relative efficacy of JIT and IJI. Table 3.05 presents t - ratios for E_1 group (i.e. the experimental group exposed to JIT) and control group.

From table 3.05 it can be seen that t - ratios for CVI, SR, PT and QS dimensions of VCSA are 10.64, 7.02, 8.10 and 5.98 respectively. All of them are significant at .01 level with df = 100. Mean CVI gain score for E_1 and C groups are 4.4510 and -.451. For SR the mean gain score for E_1 and C groups are 2.8431 and 1,447. Mean PT gain score for E_1 and C groups are 3.72 55 and .451. Mean QS gain score for E_1 and C groups are 3.2941 and .6667. They indicate that mean gain scores on various dimensions of VCSA for E_1 group are significantly higher than those for C group. So, it can be concluded that exposure to Jurisprudential Inquiry Teaching brings about improvement in students' ability to identify value conflicts, social reasoning, perspective taking ability and ability to suggest qualifiers.

TABLE 3.05

Mean, Standard Deviation and t- ratios for gain scores on various dimensions of Value Conflict Solution Ability of Students of E_1 and C groups

Row No.	Dimension	Group	N	Mean	SD	t-ratio
1.	CVI : Ability to identify value conflicts	E_1	51	4.4510	2.239	10.64*
		C	51	-0.4510	2.411	
2.	SR : Social reasoning	E_1	51	2.8431	2.248	7.02*
		C	51	0.2157	1.447	
3.	PT : Perspective taking ability	E_1	51	3.7255	2.192	8.10*
		C	51	0.4510	1.880	
4.	QS : Ability to suggest qualifiers	E_1	51	3.2941	2.548	5.98*
		C	51	0.6667	1.829	

* significant at .01 level

TABLE 3.06

Mean, Standard Deviation and t - ratios for gain scores on various dimensions of Value Conflict Solution Ability of students of E_2 and C groups

Row No.	Dimension	Group	N	Mean	SD	t-ratio
1.	CVI : Ability to identify value conflicts	E_2	51	-0.0392	0.999	1.13
		C	51	-0.4510	2.411	
2.	SR : Social reasoning	E_2	51	0.7843	0.966	2.33*
		C	51	0.2157	1.447	
3.	PT : Perspective taking ability	E_2	51	0.6667	1.306	0.67
		C	51	0.4510	1.880	
4.	QS : Ability to suggest qualifiers	E_2	51	1.4314	1.972	2.03**
		C	51	0.6667	1.829	

** significant at .05 level

Table 3.06 present results of analysis of data for studying effectiveness of the IJI for developing value conflict solution abilities. It is evident from the table that t ratio for SR (=2.33) and QS (=2.03) are significant at .05 level with df = 100. Mean SR gain score for E_2 and C groups are .7843 and .2157. Mean QS gain score for E_2 and C groups are 1.4314 and .5667. So, Mean gain scores related to SR and QS abilities are higher for E_2 group than those for control group. This reflects the effectiveness of Individualised Jurisprudential Inquiry for developing social reasoning and ability to suggest qualifiers for value conflict solutions.

Observation of the table 3.06 also shows that t-ratios for CVI and PT abilities are 1.13 and .67. They are not significant at .05 level with df equal to 100. It means that students of E_2 and C groups show equal gains in CVI and PT abilities. It indicates that exposure to IJI does not facilitate the development of ability to identify value conflicts and perspective taking ability.

It was also hypothesized that Individualized Jurisprudential Inquiry and Jurisprudential Inquiry Teaching are equally effective for developing value conflict solution ability. It is evident from table 3.07

TABLE 3.07

Mean, Standard Deviation and t - ratios for gain scores on various dimensions of Value Conflict Solution Ability of students of E_1 and E_2 groups

Row No.	Dimension	Group	N	Mean	SD	t-ratio
1. CVI	: Ability to identify value conflicts	E_1	51	4.4510	2.239	13.08*
		E_2	51	- 0.0392	0.999	
2. SR	: Social reasoning	E_1	51	2.8431	2.248	6.01*
		E_2	51	0.7843	0.966	
3. PT	: Perspective taking ability	E_1	51	3.7255	2.192	8.56*
		E_2	51	0.6667	1.306	
4. QS	: Ability to suggest qualifiers	E_1	51	3.2941	2.548	4.13*
		E_2	51	1.4314	1.972	

* significant at .01 level

that t - ratios for CVI(=13.08), SR (=6.01), PT (=8.56) and QS (=4.13) are significant at .01 level with df equal to 100. Mean CVI gain score for E_1 and E_2 groups are 4.4510 and -0.0392. Mean SR gain score for E_1 and E_2 group are 2.8431 and .7843. Mean PT gain score for E_1 and E_2 groups are 3.7255 and .6667. Mean QS gain score for E_1 and E_2 groups are 3.2941 and 1.4314. So, the mean gain score for each dimension of VCSA for E_1 group is higher than that for E_2 group. This reflects the superiority of E_1 group meaning thereby that JIT is more effective than IJI for developing value conflict solution abilities.

SUMMARY AND DISCUSSION

People use reasoning for resolution of the value conflicts. This minimizes opposition between values producing emotional tension. This ability involves ability to identify conflicting values, social reasoning, ability to assume the roles and arguments of those that have contradictory opinions (i.e. perspective taking ability) and ability to suggest qualifiers. Results described in the present section have shown that Jurisprudential Inquiry Teaching is effective for developing OVCSA as well as the four dimensions of it namely, CVI, SR, PT and QS, exposure to IJI brings about improvement in OVCSA as well as two dimensions of it namely, SR and QS; and JIT is more effective than IJI for developing OVCSA as well as all dimensions of it.

Results pertaining to effectiveness of Jurisprudential Inquiry Teaching draw support from the findings of Pandey (1990). He found that teaching based on the Jurisprudential Inquiry Model of Teaching is effective for developing fourteen jurisprudential inquiry abilities namely, ability to identify social issues, ability to identify factual questions, ability to identify definitional questions, ability to solve definitional problems, ability to identify values related to social problem, ability to identify value conflicts, ability to take a position, ability to justify one's position, ability to assume arguments of others, ability to establish a point at which value is violated, ability to predict consequences, ability to suggest analogies, ability to assert one value over other and ability to justify one's position. According to Joyce & Weil (1980) mastery of the framework for analyzing issues is the major direct learning outcome and this includes skill in identifying policy questions, application of social values to policy stances, the use of analogies to explore issues and ability to identify and resolve definitional, factual and value problems. Results of studies conducted by Sorot (1988); Passi, et.al. (1988), Agarwal (1987) and Tewari (1986)lend indirect support to our findings. Sorot (1988) found that Jurisprudential Inquiry model is effective for developing the values of dedication, nationalism and perseverance. Passi, Sansanwal &

Singh (1988) found that training in the Jurisprudential Inquiry Model brings positive changes in student teachers with respect to specific instructional outcomes namely, not losing temper while arguing, analysing controversial issues, thinking from others' point of view, listening to others carefully and arguing logically. Agarwal (1986) and Pandey (1990) found that teaching based on Jurisprudential Inquiry model of teaching is effective for developing social values. Tewari (1986) concluded that exposure to six jurisprudential inquiry sessions produces significant positive change in students' stances. He also found that JIT has no effect on shift in value preferences in terms of right to equality and freedom.

Results of the present study have also revealed that exposure to IJI (i.e. Individualized Jurisprudential Inquiry) brings about improvement in value conflict solution ability, particularly the social reasoning and the ability to suggest qualifiers. However, IJI is not effective for developing students' ability to identify value conflicts and perspective taking ability. It seems that exposure to 16 IJI lessons is not enough to contribute significantly to development of CVI and PT abilities. Significant findings reflect the direct effects of IJI as well as the adequacy of 16 IJI lessons for developing SR and QS abilities. Perhaps exposure to the given consequences of two contradictory solutions helps students in

developing the tendency to think of arguments to support their solutions to social problems and determining qualifiers for a particular solution.

Jurisprudential Inquiry Teaching has been found to be superior to Individualized Jurisprudential Inquiry. This reflects the importance of teacher directed activities and direct instruction. Though both JIT and IJI utilise different kinds of argumentation to explore students' stance, it is quite possible that IJI does not allow complete exploration of students' stances. Argumentation in JIT is carried out in confrontational style. This seeks to produce the strongest possible stance. Such is not the case with IJI. IJI appears to be less successful in creating disequilibrium within a student who may not feel the need to refine his stances than JIT. JIT provides opportunities for interactions among students. Students see their peers participating in the process of jurisprudential inquiry and get opportunities to know others' justifications, arguments and qualifiers, etc. So, JIT can be more effective than IJI for developing value conflict solution abilities.

3.2.0 EFFECTIVENESS OF JURISPRUDENTIAL STRATEGY OF TEACHING FOR DEVELOPING SOCIAL CONSCIOUSNESS

This section describes analysis and interpretation of data leading to the study of effectiveness of JIT and IJI for developing social consciousness. Three hypotheses were formulated -

1. Jurisprudential Inquiry Teaching is effective for developing social consciousness.
2. Individualized Jurisprudential Inquiry improves students' social consciousness.
3. Individualized Jurisprudential Inquiry and Jurisprudential Inquiry Teaching are equally effective for developing social consciousness.

Results of analysis pertaining to the testing of these hypotheses have been presented in table 3.08 to 3.13.

From table 3.08 it can be seen that F-value of 92.863 is significant at .01 level with df equal to 2 and 150. It indicates that the mean gain scores on social consciousness of students belonging to E_1, E_2 and C groups differ significantly. So, the null hypothesis that the mean social consciousness gain scores of students of experimental and control groups do not differ significantly, stands rejected. It means that students of the two experimental

TABLE 3.08

Summary of ANOVA of gain scores on Social Consciousness of students of E_1, E_2 and C groups

Source of Variation	df	Sum of squares	Mean square	F
Treatment	2	10966.915	5483.458	92.863*
Error	150	8857.331	59.049	
Total	152	19824.246		

* significant at .01 level

groups and the control group exhibit significant differences in development of social consciousness. Further analysis was done with the help of t - test to find out the effectiveness of different treatments. The results are presented in table 3.09.

The t-ratio of 11.27 for E_1 and C groups is significant at .01 level with df equal to 100. This allows us to reject the null hypothesis - 'Mean gain score on social consciousness for students exposed to Jurisprudential Inquiry

TABLE 3.09

Mean, Standard Deviation and t - ratios for gain scores on Social Consciousness of students of E_1, E_2 and C groups

Groups	N	Mean	SD	Group Compared	t-ratio
E_1	51	19.000	10.656	E_1 & C	11.27*
E_2	51	4.0980	4.187	E_2 & C	4.51*
C	51	-0.9412	6.786	E_1 & E_2	9.29*

* significant at .01 level

Teaching does not differ significantly from that for students of control group'. It means that mean OSC gain score for E_1 group differs significantly from that for C group . Mean OSC gain score for E_1 and C groups are 19.0000 and -.9412. Mean score for E_1 group is higher than that for C group. This reveals the effectiveness of Jurisprudential Inquiry Teaching for developing overall social consciousness.

The mean OSC gain score for E_2 and C groups are 4.0980 and -.9412. The value of t ratio (=4.51) is significant at .01 level. The mean OSC gain score for students exposed to Individualized Jurisprudential Inquiry is significantly higher

than that for students of control group. Thus, it can be inferred that exposure to Individualised Jurisprudential Inquiry brings about improvement in students' social consciousness.

It may also be seen from table 3.09 that the t - ratio of 9.29 for overall social consciousness is significant at .01 level. It indicates that students exposed to JIT and IJI show differential gains in social consciousness. Mean for E_1 group is significantly higher than that for E_2 group. So, as compared to IJI, JIT is more effective for developing social consciousness.

Overview of discussion of results based on table 3.08 and 3.09 has shown that JIT is effective for developing social consciousness, IJI is also effective and JIT is more effective that IJI for developing social consciousness. Table 3.10 presents results of ANOVA for determining the effectiveness of JIT and IJI for developing the three component dimensions of social consciousness. All F-values are significant at .01 level with df equal to 2 and 150. This indicates that mean gain scores on GP, TPS and TCPS. for students belonging to E_1, E_2 and C groups are significantly different. Further analysis was done with the help of t - test in order to determine the relative effectiveness of different treatments (i.e. JIT and IJI)

TABLE 3.10

Summary of ANOVA for various dimensions of Social Consciousness

Sl. No.	Dimension	Source of variation	df	Sum of squares	Mean Square	F
1.	Guessing problems (GP)	Treatment	2	1606.954	803.477	39.257*
		Error	150	3070.038	20.467	
		Total	152	4676.992		
2.	Thinking of problem solutions (TPS)	Treatment	2	1189.922	594.961	60.044*
		Error	150	1486.314	9.909	
		Total	152	2676.235		
3.	Thinking of consequences of sollutions of social problems (TCPS)	Treatment	2	1000.248	500.124	63.541*
		Error	150	1180.627	7.871	
		Total	152	2180.875		

* significant at .01 level

for developing various dimensions of social consciousness. Results of the an-lysis have been shown in table 3.11, 3.12 and 3.13.

TABLE 3.11

Mean, Standard Deviation and t - ratios for gain scores on various dimensions of Social Consciousness of students of E_1 and C groups

Row No.	Dimension of Social Consciousness	Group	N	Mean	SD	t-ratio
1.	Guessing problems (GP)	E_1	51	6.8039	6.627	6.73*
		C	51	-0.2941	3.579	
2.	Thinking of problem solutions (TPS)	E_1	51	6.3137	3.685	9.34*
		C	51	-0.2941	3.460	
3.	Thinking of consequences of solutions of social problems (TCPS)	E_1	51	5.8824	3.314	10.21*
		C	51	-0.3529	2.834	

* significant at .01 level

Observation of table 3.11 shows that t-ratios for GP, TPS and TCPS are 6.73, 9.34 and 10.21 respectively. All of them are significant at .01 level with df equal to 100. Mean GP gain

score for E_1 and C groups are 6.8039 and -.2941. Mean TPS gain score for E_1 and C groups are 6.3137 and -.2941. Mean TCPS gain score for E_1 and C groups are 5.8824 and -.3529. Mean gain scores for E_1 group are significantly higher than those for the control group. It means that Jurisprudential Inquiry Teaching is effective for developing the capacity to guess social problems, to think of solutions of social problems and to think of consequences of solutions of social problems.

TABLE 3.12

Mean, Standard Deviation and t - ratios for gain scores on various dimensions of Social Consciousness of students of E_2 and C groups

Row No.	Dimension	Group	N	Mean	SD	t-ratio
1.	Guessing problems (GP)	E_2	51	0.1765	2.161	0.80
		C	51	-0.2941	3.579	
2.	Thinking of problem solutions (TPS)	E_2	51	1.5098	2.043	3.21*
		C	51	-0.2941	3.460	
3.	Thinking of consequences of solutions of social problems (TCPS)	E_2	51	2.2549	2.143	5.24*
		C	51	-0.3529	2.834	

* significant at .01 level

It can be seen from table 3.12 that t-ratio for TPS (=3.21) and TCPS (= 5.24) are significant at .01 level. Mean TPS gain score for E_2 and C groups are 1.5098 and -.2041. Mean TCPS gain score for E_2 and C groups are 2.2549 and -.3529. Means for E_2 groups are significantly higher than those for the control group. So, it can be concluded that exposure to Individualized Jurisprudential Inquiry brings about improvement in students' capacity to think of problem solutions and their consequences. It is also evident from table 3.18 that the t - ratio for capacity to guess problems (= 0.80) is not significant at .05 level. It means that mean GP gain scores for E_2 and C groups are not significantly different. It reflects that Individualized Jurisprudential Inquiry is not effective for improving students' capacity to guess problems.

Observation of table 3.13 shows that the three t - ratios calculated to find out the relative effectiveness of JIT and IJI for developing different dimensions of social consciousness namely, GP, TPS and TCPS are significant at .01 level. Mean GP gain scores for E_1 and E_2 groups are 6.8039 and .1765. Mean TPS gain scores for E_1 and E_2 groups are 6.3137 and 1.5098. Mean TCPS gain scores for E_1 and E_2 groups are 5.8824 and 2.2549. As compared to mean gain scores for E_2 group, mean gain scores for E_1 group are

TABLE 3.13

Mean, Standard Deviation and t - ratios for gain scores on various dimensions of Social Consciousness of students of E_1 and E_2 groups

Row No.	Dimension	Group	N	Mean	SD	t-ratio
1.	Guessing problems (GP)	E_1	51	6.8039	6.627	6.79*
		E_2	51	0.1765	2.161	
2.	Thinking of problem solutions (TPS)	E_1	51	6.3137	3.685	8.14*
		E_2	51	1.5098	2.043	
3.	Thinking of consequences of solutions of social problems (TCPS)	E_1	51	5.8824	3.314	6.56*
		E_2	51	2.2549	2.143	

* significant at .01 level

higher. This reflects the superiority of Jurisprudential Inquiry Teaching. In other words it can be said that Jurisprudential Inquiry Teaching is more effective than Individualised Jurisprudential Inquiry for developing students' capacity to guess social problems, find out their solutions and think of consequences of problem solution.

SUMMARY AND DISCUSSION

Results of analysis shown in table 3.08 - 3.13 have revealed the effectiveness of JIT for developing OSC, GP, TPS and TCPS. IJI for developing OSC, TPS and TCPS. JIT was found to be more effective than IJI. These findings draw support from the results of studies done by Hasan (1987), Dubey (1989) and Pandey (1990). Hasan (1987) has found that exposure to twelve jurisprudential inquiry teaching sessions is effective for developing social competence. Dubey (1989) found that exposure to even eight jurisprudential inquiry teaching sessions brings about significant improvement in students' social problem solving.

When students are exposed to JIT and IJI, they get opportunities to know about several problems, their solutions, students' justifications for their own stances and consequences of various social decisions. So, it is not amazing to see that JIT as well as IJI are effective for developing social consciousness, capacity to think of problem solutions and

capacity to think of consequences of solutions. IJI was not found effective for developing the capacity to guess social problems. This may be attributed to lack of discussion of controversial issues during IJI. Such is not the case during JIT. During IJI students do not have the opportunity to listen to exploration of stances similar or different to their own. This may be responsible for not significant gains in students' sensitivity to social problems. It seems that these two factors are responsible for the ineffectiveness of IJI for developing students' capacity to guess problems. Perhaps more exposures to IJI will be needed for developing GP capacity. Fraenkel (1977) also thought that participation in discussion provides more sensitivity to other's feelings. Inagaki and Hatano (1977) were of the view that students experiencing conceptual conflict resulting from controversy are able to generalize the principle to a wider variety of situations. These views lend support to our findings of superiority of Jurisprudential Inquiry Teaching.

3.3.0 CORRELATES OF DEVELOPMENT OF SOCIAL CONSCIOUSNESS AND VALUE CONFLICT SOLUTION ABILITIES

The overview of findings discussed in the preceding pages has shown that exposure to Jurisprudential Inquiry Teaching brings about significant improvement in students' social consciousness as well as value conflict solution ability; exposure to semistructured jurisprudential inquiry learning material (= Individualized Jurisprudential Inquiry) fosters social consciousness, thinking of problem solutions, thinking of consequences of solutions of social problems, overall value conflict solution ability, social reasoning and ability to suggest qualifiors and Jurisprudential Inquiry Teaching is more effective than Individualized Jurisprudential Inquiry for developing students' overall value conflict solution ability, overall social consciousness, and various dimensions of social consciousness and value conflict solution ability. It seemed that students' intelligence, deprivation, personality traits and pretest scores on relevant variables may be related to development of social consciousness and value conflict solution abilities. It also appeared that some of these independent variables can contribute to prediction of development of overall social consciousness and value conflict solution ability. The present section embodies the results of analysis done to find out relationship of independent and dependent variables.

Table 3.14 and 3.15 depict coefficients of correlation between the independent and dependent variables for students taught through Jurisprudential Inquiry Teaching. A close look at table 3.14 shows that out of 125 correlations only ten are significant. They reveal existence of - positive relationship between ability to identify value conflicts and three personality traits namely, crookedness (r = .331), independence (r = .327) and egoism (r = .315); negative relationship between analytical power and social reasoning(r =-.317); positive relationship between crookedness and overall value conflict solution ability (r = .320); negative relationship between gain scores on overall value conflict solution ability as well as each of its four dimensions and pretest scores on the concerned variable (r = -.456 to r = -.675).

Observation of table 3.15 shows that out of 100 coefficients of correlation only five are significant. They point to existence of -significant positive relationship between tolerance and overall social consciousness (r = .334) as well as 'thinking of consequences of solutions of social problems' (r= .344); negative relationship between deprivation and guessing problems, a dimension of social consciousness (r = -.306); negative relationship between pretest and gain scores on 'thinking of problem solutions (r= .-378); and

TABLE 3.14

Correlates of development of value conflict solution ability among students exposed to Jurisprudential Inquiry Teaching

SN	Independent variable	Value of r with gain in				
		CVI	SR	PT	QS	OVCSA
1.	Intelligence	-.251	.040	.128	-.003	-.041
2.	Deprivation	-.147	-.089	.051	.016	-.065
3.	Planned working	-.127	-.254	-.002	-.009	-.158
4.	Crookedness	.331*	.168	.248	.060	.320*
5.	Self sufficiency	-.031	.007	.003	.006	-.009
6.	Reticence	.135	.126	.053	.105	.174
7.	Egoism	.315*	.085	-.090	.096	.167
8.	Social orientation	-.052	-.105	.206	.202	.103
9.	Emotional disturbance	.026	.116	.201	.083	.170
10.	Analytical power	-.079	-.317*	.125	-.176	-.188
11.	Alienation tendency	-.070	.002	.114	.045	.041
12.	Hesitation	.033	.012	-.108	.066	.006
13.	Independence	.327*	-.131	-.175	.039	.026
14.	Group dependence	-.067	-.155	.019	-.162	-.155
15.	Perseverance	-.200	-.056	.130	-.188	-.130

Contd.....2

SN	Independent variable	Value of r with gain in				
		CVI	SR	PT	QS	OVCSA
16.	Lethargy	.090	-.124	.079	-.138	.048
17.	Dominance	.022	.046	-.195	.098	.001
18.	Questioning attitude	.133	.036	.184	.166	.215
19.	Initiative	.115	-.045	.074	.109	.104
20.	Pessimism	.154	.102	.182	.104	.211
21.	Work anxiety	-.243	-.036	.177	.166	.031
22.	Creative motivation	.036	-.045	.019	-.060	-.021
23.	Adaptability	.107	.132	.060	.064	.039
24.	Tolerance	.091	.105	.066	.236	.204
25.	Pretest	-.675	-.660*	-.541**	-.655**	-.456**

*/** significant at .05/.01 levels

CVI = Ability to identify value conflicts; SR = Social reasoning; PT = Perspective taking ability; QS = Ability to suggest qualifiers; OVCSA = Overall Value Conflict Solution Ability

TABLE 3.15

Correlates of development of social consciousness among students exposed to Jurisprudential Inquiry Teaching

SN	Independent Variable	Value of r with gain in			
		GP	TPG	TCPS	GSC
1.	Intelligence	.154	.123	-.193	.078
2.	Deprivation	-.306*	-.036	-.112	-.238
3.	Planned working	-.097	-.210	.060	-.114
4.	Crookedness	-.026	.105	.269	.104
5.	Self sufficiency	-.211	-.221	-.094	-.237
6.	Reticence	-.149	-.055	-.008	-.114
7.	Egoism	-.064	.202	.189	.089
8.	Social orientation	.076	-.024	-.019	.033
9.	Emotional disturbance	-.129	-.060	.045	-.087
10.	Analytical power	.179	.182	.070	.196
11.	Alienation tendency	-.094	.058	.116	-.003
12.	Hesitation	.206	.115	.055	.185
13.	Independence	.002	-.071	.220	.045

Contd...2

SN	Independent Variable	Value of r with gain in			
		GP	TPS	TCPS	OSC
14.	Group dependence	.079	-.044	.053	.050
15.	Perseverance	.156	-.002	-.041	.085
16.	Lethargy	.053	.108	.015	.075
17.	Dominance	.153	-.063	.029	.083
18.	Questioning attitude	-.196	-.014	.176	.145
19.	Initiative	-.188	.219	-.106	-.079
20.	Pessimism	-.083	.116	-.040	-.089
21.	Work anxiety	.082	.085	.020	-.016
22.	Creative motivation	.072	.164	-.038	.036
23.	Adaptability	.233	.131	.122	.128
24.	Tolerance	-.005	.238	.344*	.334*
25.	Pretest	-.096	-.378**	-.430**	-.163

*/** significant at .05/.01 levels

OSC = Overall social consciousness, GP = Guessing problems, TPS = Thinking of problem solutions, TCPS = Thinking of consequences of problem solutions.

negative relationship between pretest scores and gain scores on 'thinking of consequences of solutions of social problems (r = -.430).

Coefficients of correlations between the independent and dependent variables for students exposed to Individualized Jurisprudential Inquiry have been given in table 3.16 and 3.17. Observation of table 3.16 shows that out of 125 coefficients of correlation only seven are significant. They reveal existence of - negative relationship between overall value conflict solution ability and adaptability trait of personality (r = .325), negative relationship between perspective taking ability and intelligence (r= -.283), hesitation trait of personality and ability to identify value conflicts (r =-.301), and negative relationships between pretest scores and gain scores on overall value conflict solution ability (r = -.412) and three dimensions of it namely, ability to identify value conflicts (r =-.442), social reasoning (r = -.514) and ability to suggest qualifiers (r = -.560).

Perusal of coefficients of correlation given in table 3.17 shows that out of 100 coefficients of correlation only eleven are significant. They point to existence of positive relationship between intelligence and guessing problems (r = .340), negative relationship between deprivation and gain scores on 'guessing problems' dimension of social

TABLE 3.16

Correlates of development of value conflict solution ability among students exposed to Individualized Jurisprudential Inquiry

SN	Independent Variable	Value of r with gain in				
		CVI	SR	PT	QS	OVCSA
1.	Intelligence	.038	.072	.283*	-.01	-.015
2.	Deprivation	-.064	-.082	-.03	.161	-.174
3.	Planned working	.082	-.074	-.241	-.219	-.061
4.	Crookedness	-.188	-.232	-.162	-.105	-.199
5.	Self sufficiency	.053	.210	.081	-.012	.179
6.	Reticence	-.071	.116	.049	-.128	.077
7.	Egoism	-.07	.085	.127	-.089	.007
8.	Social orientation	.081	-.051	-.079	.182	-.176
9.	Emotional disturbance	-.074	.002	.258	-.002	-.152
10.	Analytical power	-.002	-.181	.055	-.231	-.211
11.	Alienation tendency	.002	.024	-.138	-.118	-.036
12.	Hesitation	-.301*	-.165	-.223	-.198	-.187
13.	Independence	-.102	-.153	-.231	.052	-.057
14.	Group dependence	-.046	.203	.258	.047	.102

Contd....

SN	Independent Variable	Value of r with gain in				
		CVI	SR	PT	QS	OVCSA
15.	Perseverance	-.129	.119	.209	.022	.096
16.	Lethargy	-.041	.080	.104	-.192	.156
17.	Dominance	.069	-.060	.058	-.129	-.021
18.	Questioning attitude	-.127	-.164	.000	.094	-.096
19.	Initiative	.126	.084	.077	-.186	.037
20.	Pessimism	-.067	-.053	.075	-.180	-.152
21.	Work anxiety	.013	-.041	.086	-.243	.090
22.	Creative motivation	.054	.048	-.058	.068	.131
23.	Adaptability	.145	.25	.029	.130	.325*
24.	Tolerance	.112	-.007	.032	.012	.172
25.	Pretest	-.442**	-.514**	-.104	-.560**	-.412**

*/** significant at .05/.01 levels

CVI = Ability to identify value conflicts; SR= Social reasoning ;
PT = Perspective taking ability; QS = Ability to suggest qualifiers;
OVCSA = Overall Value Conflict Solution Ability

TABLE 3.17

Correlates of development of social consciousness among students exposed to Individualized Jurisprudential Inquiry

SN	Independent Variable	Value of r with gain in			
		GP	TPS	TCPS	OSC
1.	Intelligence	.340*	-.138	.103	.154
2.	Deprivation	-.311*	-.006	-.028	-.241
3.	Planned working	.063	-.078	-.314*	-.145
4.	Crookedness	-.174	-.081	-.100	-.199
5.	Self sufficiency	-.269	-.016	.037	-.148
6.	Reticence	-.136	.148	-.013	.031
7.	Egoism	-.070	-.143	-.172	-.152
8.	Social orientation	-.095	-.019	.188	-.034
9.	Emotional disturbance	-.003	.071	-.072	-.016
10.	Analytical power	-.014	.073	-.049	-.032
11.	Alienation tendency	-.086	-.278*	-.176	-.257
12.	Hesitation	-.018	.149	-.082	.063
13.	Independence	.002	.049	.052	.038
14.	Group dependence	-.146	.004	.108	-.059
15.	Perseverance	.083	.007	.021	.108

Contd.....

SN	Independent Variable	Value of r with gain in			
		GP	TPS	TCPS	OSC
16.	Lethargy	-.102	.173	-.093	.013
17.	Dominance	-.192	-.115	-.177	-.209
18.	Questioning attitude	-.061	-.001	-.073	-.026
19.	Initiative	-.138	-.337*	-.328*	-.373**
20.	Pessimism	-.144	.168	.024	-.032
21.	Work anxiety	-.131	-.020	-.075	-.190
22.	Creative Motivation	-.018	.002	.043	.033
23.	Adaptability	-.110	.009	.040	-.018
24.	Tolerance	-.050	.229	.076	.141
25.	Protest	-.3821**	-.454**	-.407**	-.447**

*/** significant at .05/.01 level

OSC = Overall social consciousness,

GP = Guessing problems,

TPS = Thinking of problem solutions,

TCPS = Thinking of consequences of problem solutions.

consciousness (r = .311), negative relationship between 'planned working' trait of personality and 'thinking of consequences of social problem - solutions, (r = -.314), negative relationship between alienation tendency and 'Thinking problem solutions' dimension of social consciousness (r = -.278), negative relationship between initiative trait of personality and overall social consciousness (r = -.373) as well as two dimensions of it namely, thinking of problem solutions (r =-.337) and thinking of consequences of problem solutions (r = -.328); and negative relationship between pretest and gain scores on overall social consciousness (r = -.447) as well as three dimensions of it (r = -.382 to -.454).

SUMMARY AND DISCUSSION

To sum up it can be said that development of overall value conflict solution ability and overall social consciousness as well as all dimensions of them is related to some personality traits, intelligence and deprivation. The sets of effective factors for various dependent variables are different for different experimental groups (i.e. groups exposed to Jurisprudential Inquiry Teaching/Individualized Jurisprudential Inquiry). Pretest scores on dependent variables exhibited negative relationship with gain scores on the same variables. This finding is quite obvious because the scope for development

of value conflict solution ability and social consciousness, among high scorers will be limited than that for low scorers and others. Development of ability to identify value conflicts is positively related with crookedness, egoism and independence. This ability (i.e. CVI) demands analysis of problematic situations, identification of values involved in the problem and finding out the values that are in conflict. When students are taught through Jurisprudential Strategy of Teaching, this ability is used in each teaching session. It is quite natural that students who always think of oneself, are not straight - forward and are self governed and independent will derive more benefit from teaching. Development of social reasoning is negatively related to analytical power i.e. the capacity for using analysis or examining in order to know about some phenomena, problems, ideas, objects or behaviour. It means that students with high analytical power will derive less benefit from exposure to JIT than those with less analytical power. It seems that students' analytical power is positively related with social reasoning and students with greater analytical power would have higher initial level social reasoning with less scope for development. The coefficient of correlation between pretest score on social reasoning and analytical power is .24. Perspective taking ability is not related to any personality trait. Same is the case with the ability to suggest qualifiers.

Development of overall social consciousness (i.e. OSC) is positively related with tolerance trait of personality. This means that students with greater tendency to endure unpleasant opinions, behaviours etc. without protest will derive more benefits from exposure to JIT. Same is the case with one dimension of social consciousness i.e. thinking of consequences of solutions of social problems The results are quite obvious because lack of tolerance may lead to aggressive behaviours or power assertion. These behaviours can block communication between students having different views. The inability to consider and tolerate different views will ultimately bring about less development of social consciousness. The tendency to guess problems is negatively related to deprivation. This means that the deprived students when exposed to JTS will derive less benefits and the non deprived or less deprived will derive comparatively more benefits. It seems that the effect of deprivation is quite harmful and even exposure to JTS does not help the depriveds to develop their tendency to guess social problem to a level exhibited by the nondepriveds.

Development of overall value conflict solution ability among students exposed to Individualized Jurisprudential Inquiry (= IJI) is positively related to adaptability but negatively related to pretest scores. It means that students with initial higher status on Value Conflict solution

ability (=OVCSA) will derive less benefits from exposure to IJI and students with low level OVCSA will derive more benefits. It is quite obvious. Existence of significant positive relationship between adaptability and OVCSA implies that possession of the quality to make necessary intra-personal and interpersonal adjustments will facilitate the development of OVCSA among students exposed to IJI. Gain scores on all the four dimensions of value conflict solution ability are negatively related to pretest scores on respective dimensions. This points to greater utility of IJI for those students who possess low level value conflict solution abilities. Ability to identify value conflicts is negatively associated with hesitation. It means that presence of the signs of unwillingness or uncertainty in speech or action can adversely affect the development of the ability to identify value conflicts. It seems that hesitation decreases the involvement of students in the process of finding out values in conflict. The gains inperspective taking ability are negatively related with intelligence. It implies that intelligence adversely affects the development of perspective taking ability among students exposed to IJI. It is quite obvious because development of perspective taking ability demands use of creative thinking and decreased or no reliance on the convergent thinking.

Gain scores on overall social consciousness (OSC) are negatively related with pretest OSC scores. This also holds truth for each dimension of social consciousness. It implies that students possessing low level social consciousness will derive more benefit from exposure to IJI and students possessing high level social consciousness will exhibit less gains from IJI. The gain scores in overall social consciousness and two dimensions of it - thinking problem solutions (TPS) and thinking consequences of problem solutions (TCPS) are negatively related to initiative. In other words students with low initiative will derive more benefit from exposure to IJI than those with higher initiative. The Individualized Jurisprudential Inquiry uses a semistructured learning material. Students go through the given instructions and responses and write additional responses. So, students with lower tendency to make introductory moves will have enough first hand experiences to make introductory moves towards solving social problems through jurisprudential inquiry. TCPS gain scores are negatively related to planned working. It means that those with lower disposition to work in an organized systematic manner derive more benefits so far as gains in thinking consequences of problem solutions are concerned. Gain scores in thinking of problem solutions are negatively related to alienation tendency while gain scores in guessing social problems are negatively related to deprivation and positively related to intelligence. These

findings point to more utility of Individualized Jurisprudential Inquiry for students possessing more intelligence but less alienation tendency and deprivation.

Thus, it is evident that development of social consciousness and value conflict solution ability - overall as well as various dimensions, is related to different factors. It is quite possible that variables that yielded significant relationships may or may not contribute to prediction of overall value conflict solution ability and overall social consciousness among students exposed to JTS or IJI. Step-wise regression analysis was done to find out the predictors of gains in social consciousness and value conflict solution abilities.

3.4.0 PREDICTION OF DEVELOPMENT OF VALUE CONFLICT SOLUTION ABILITY AND SOCIAL CONSCIOUSNESS

Till now the investigator tried to predict development of value conflict solution ability and social consciousness among students exposed to Jurisprudential Teaching and Individualized Jurisprudential Inquiry on the basis of single isolated personality traits, intelligence, deprivation and pretest scores on the concerned variables. It is necessary to consider combination of factors at the time of predicting the gains in value conflict solution ability as well as social consciousness. Table 3.18 to table 3.21 depict the results of stepwise regression analysis.

In the first two stepwise regression analyses overall value conflict solution ability score was treated as the dependent variable. In the other two stepwise regression analyses overall social consciousness score was treated as the dependent variable. Intelligence (X_1), Deprivation (X_2), Planned Working (X_3), Crookedness (X_4), Self Sufficiency (X_5), Reticence (X_6), Egoism (X_7), Social Orientation (X_8), Emotional Disturbance (X_9), Analytical Power (X_{10}), Alienation tendency (X_{11}), Hesitation (X_{12}), Independence (X_{13}), Group Dependence (X_{14}), Perseverance (X_{15}), Lethargy (X_{16}), Dominance (X_{17}), Questioning Attitude (X_{18}),

Initiative (X_{19}), Pessimism (X_{20}), Work Anxiety (X_{21}), Creative Motivation (X_{22}), Adaptability (X_{23}), Tolerance (X_{24}) and Pretest scores on relevant dependent variable (X_{25}) were treated as independent variables.

Table 3.18 shows that the single best predictor of development of value conflict solution ability (=VCSA) among students exposed to Jurisprudential Inquiry Teaching (JIT) is pretest score on VCSA (X_{25}). The second best predictor is crookedness (X_4). The third best predictor is questioning attitude (X_{18}). Thus, out of 25 variable only three contribute significantly to the development of VCSA. The remaining 23 variables do not contribute to development of value conflict solution ability. All of them make significant increments in R. The value of multiple correlation at the first step is .4563. The value of R^2 for pretest VCSA scores is .2082. The value of correlation is -.4563. So, it can be said that lower the initial status on VCSA, greater will be the chances for more development of VCSA. The value of R^2 is .2082. It indicates that 20.82% of the variance in development of VCSA among students exposed to JIT is explained by pretest scores on VCSA. Further observation of table 3.18 shows that the second best predictor is crookedness. The value of multiple correlation is .5462 and the value of R^2 is .2984. It indicates that VCSA - pretest score and

TABLE 3.18

Summary of stepwise multiple regression for prediction of development of value conflict solution ability among students taught through Jurisprudential Inquiry Teaching

Step	Variable	Multiple R	R^2	F	df	R^2 Change	Constant	B	Beta	R
I	X_{25}: Pretest score on VCSA	.4563	.2082	12.887^{**}	1,49	.2082	13.9971	-.5597	.4391	-.4563
II	X_4: Crookedness	.5462	.2984	10.206^{**}	2,48	.0901		.9372	.3706	.3203
III	X_{18}: Questioning attitude	.6192	.3834	9.741^{**}	3,47	.0850		.9281	.2999	.2146

*/** significant at .05/.01 level

VCSA refers to Value Conflict Solution Ability

crookedness can explain 29.84 percent of the variance in VCSA gains. The value of R^2 increment at second step is .0901. The F value (= 10.206, df = 2,48) is significant at .01 level. 'Questioning Attitude' is the next variable entered into the stepwise regression analysis. The multiple correlation (R = .6192) is significant at .01 level (F = 9.741, df = 3,47). The value of R^2 discloses that 38.34% of variance in gains in value conflict solution ability among students exposed to JIT is explained by these three variables. The regression equation for predicting development of value conflict solution ability among students taught through Jurisprudential Teaching Strategy will be as given below -

$$Y_1 = 13.9971 - .5597\, X_{25} + .9372\, X_4 + .9281\, X_{18}$$

Remaining 22 independent variables were not considered in the analysis as tolerance level for each of them was not significant for further computation.

Observation of table 3.19 shows that the first variable entered into the stepwise multiple regression analysis is pretest score on VCSA. The multiple R is .4124. It is significant at .01 level (F = 10,041, df = 1,49). The value of R^2 (= .1701) discloses that pretest scores on VCSA account for 17.01% of the variance in VCSA gain scores. The value of partial regression coefficient and correlation

TABLE 319

Summary of stepwise multiple regression for prediction of development of value conflict solution ability among students exposed to Individualized Jurisprudential Inquiry

Step	Variable	Multiple R	R^2	F	R^2 Change	Constant	B	Beta	r
I	X_{25} : Pretest score on value conflict solution ability	.4124	.1701	10.041**	.1701	3.7427	-.2865	-.3892	-.4124
II	X_{23} : Adaptability	.5064	.2564	8.275**	.0863		.5185	.2948	.3254

*/** significant at .05/.01 level

for pretest VCSA scores are -.2865 and -.4124 respectively. The second best predictor of the dependent variable is adaptability. The value of multiple correlation is .5064 and the value of R^2 is .2564. So, the value of increment in R^2 is .0863. The two variables namely, pretest scores on VCSA and adaptability when put together, explain 25.64% of the variance in the development of value conflict solution ability among students exposed to Individualized Jurisprudential Inquiry. The values of partial regression coefficients and correlations for adaptability are -.5185 and .3254. The regression equation for predicting gains in VCSA among students exposed to IJI will be as given below -

$$Y_2 = 3.7427 - .2865\, X_{25} + .5185\, X_{23}$$

The remaining 23 independent variables were not considered in the analysis as tolerance level for each of them was not significant for further computation.

Summaries of stepwise regression analyses for predicting gains in social consciousness among students exposed to JIT and IJI have been depicted in table 3.20 and 3.21. Perusal of table 3.20 shows that the single best predictor of the dependent variable is the 'tolerance' trait of personality. The value of multiple R (= .3342) is significant (F = 6.163, df = 1,49). The value of R^2 (= .1117) discloses that tolerance

TABLE 3.20

Summary of stepwise multiple regression for prediction of development of social consciousness among students taught through Jurisprudential Inquiry Teaching

Step	Variable	Multiple R	R^2	F	df	R^2 Change	Constant	B	Beta	R
I	X_{24} : Tolerance	.3342	.1117	6.163*	1,49	.1117	-7.3762	2.0664	.4627	.3342
II	X_{22} : Creative motivation	.4278	.1830	5.376**	2,48	.0713		2.637	.2963	.0956

*/** significant at .05/.01 level

accounts for 11.17% of the variance in dependent variable. The value of partial regression coefficient and correlation for this variable are 2.0664 and .3342 respectively. The second best predictor of the dependent variable is 'creative motivation'. The values of partial regression coefficient and correlation for this variable are 2.637 and .0956 respectively. The value of multiple correlation is .4278 and the value of R^2 is .1830. The value of increment in R^2 due to introduction of creative motivation is .0713. Thus, tolerance and creative motivation jointly explain 18.30% of the variance in the development of social consciousness among students taught through Jurisprudential Strategy of Teaching. The regression equation for the dependent variable has only two predictors. Remaining 23 independent variables were not considered in the analysis as tolerance level of each of them was not significant for further computation. The regression equation is as follows -

$$Y_3 = 2.0664\,X_{24} + 2.637\,X_{22} - 7.3762.$$

It can be observed from table 3.21 that the best predictor of development of social consciousness (=SC) among students exposed to IJI (i.e. Individualized Jurisprudential Inquiry) is pretest score on SC. The value of multiple R (= .4473) is significant at .01 level (F = 12.256, df = 1, 49). The values of partial regression coefficient for this variable is -.225 and the coefficient of correlation between pretest SC scores and gain in SC scores is (-.4473). The value

TABLE 3.21

Summary of stepwise multiple regression for prediction of development of social consciousness among students exposed to Individualized Jurisprudential Inquiry

Step	Variable	Multiple R	R^2	F	df	R^2 change	Constant	B	Beta	R
I	X_{25} : Pretest score on social consciousness	.4473	.2001	12.256**	1,49	.2001	12.4863	-.2250	-.3909	-.447
II	X_{19} : Initiative	.5349	.2862	9.621**	2,48	.0861		-.8604	-.2988	-.372

*/** significant at .05/.01 level

of R^2 (= .2001) discloses that pretest social consciousness scores account for 20.01% of the variance in gain scores on SC. The second best predictor of gain in SC is 'initiative'. The value of multiple correlation is .5349. The value of R^2 (= .2862) exhibits an increment of .0861 in the value of R^2 after introduction of the second predictor. The two variables namely, pretest SC scores and initiative trait of personality jointly explain 28.62% of the variance in development of social consciousness among students exposed to IJI. The values of partial regression coefficient and coefficient of correlation between initiative trait and gains in SC are -.8604 and -.3726 respectively. The regression equation for predicting gains in social consciousness among students exposed to Individualised Jurisprudential Inquiry will be as given below -

$$Y_4 = 12.4863 - .225\ X_{25} - .8604\ X_{19}$$

The remaining 23 independent variables were not considered in the analysis as tolerance level for each of them was not significant for further computation.

SUMMARY AND DISCUSSION

To sum up it can be said that -

1. 38.34% of the variance in development of value conflict solution ability of students taught through Jurisprudential Teaching Strategy is accounted for by 'pretest scores on

VCSA, crookedness and questioning attitude'.

2. 'Pretest scores on VCSA' and 'adaptability' jointly explain 25.64% of the variance in development of VCSA (i.e. Value Conflict Solution Ability) among students exposed to Individualized Jurisprudential Inquiry.

3. The two best predictors of development of social consciousness among students taught through Jurisprudential Teaching Strategy are 'tolerance' and 'creative motivation'. The two variables explain 18.30% of the variance in gain scores.

4. The two best predictors of gains in social consciousness among students exposed to Individualized Jurisprudential Inquiry are 'pretest scores on social consciousness' and 'initiative'. They jointly explain 28.62% of the variance in gains.

It has been concluded that pretest value conflict solution ability score, crookedness and questioning attitude are the three best predictors of value conflict solution ability gains. It is quite obvious that those with high pretest scores will benefit less from exposure to Jurisprudential Inquiry Teaching and those with low scores will derive more benefit. During JIT students get an opportunity to think about their own responses and refine them after taking help from argumentation by the teacher. They also become aware of many points at which values

are violated and qualifiers for solutions. This means that students with higher questioning attitude can derive more benefit from exposure to JIT. The crooked students have the tendency to think of themselves and they are not straight forward. Exposure to JIT can stimulate students to think about the thoughts and feelings of other students. So, the more crooked students can benefit more from JIT than their less crooked counterparts so far as development of value conflict solution ability is concerned.

Tolerance and creative motivation are the two best predictors of development of social consciousness among students exposed to JIT. Human beings live in society. Many students tend to endure unpleasant opinions, behaviours, etc. of others without protest. Student having high level creative motivation are willing to make efforts to think of many different and novel solutions of problems and communicate them. Such students will derive more benefit from JIT. It seems that the creatively motivated students will take full advantage of the opportunities to know about problems of society and think of solutions of social problems and the consequences of problem solutions. Such opportunities are provided by JIT. This shows that creative motivation and tolerance can contribute to the development of social consciousness among students exposed to JIT.

Pretest social consciousness status and initiative trait of personality are the two best predictors of development of social consciousness among students exposed to IJI (i.e. Individualized Jurisprudential Inquiry). Pretest value conflict solution ability is the single best predictor of development of value conflict solution ability. Pretest scores on the OVCSA and the OSC act as suppressor variables. Students possessing high level OVCSA and OSC exhibit less development of OVCSA and OSC respectively when exposed to sixteen IJI lessons. It seems that students with greater initiative will be more eager to initiate the process of jurisprudential inquiry and learn it. This will help them in becoming more interested in knowing about the social problems, their solutions and the consequences of solutions. Adaptability has emerged as the second best predictor of value conflict solution ability. According to Oliver and Shaver (1974) when two values conflict the best solution is one in which each value is compromised somewhat or violated minimally. They felt that the best stance on an issue reflects a balance of values. Such a balance can be achieved if students try to understand the reasons and assumptions behind the others' positions.

Exposure to Individualized Jurisprudential Inquiry makes students aware of the consequences of two contradictory stances on a public issue and the conditions in which the decisions can be undertaken. It provides for rational consent and asks students to arrive at useful compromises. It is quite natural that students with high adaptability will tend to be more inclined to arrive at such compromises and those with low adaptability may be quite slow in this process.

CHAPTER IV

CONCLUSIONS, SUGGESTIONS AND IMPLICATIONS

Our society is passing through critical times. Numerous problems baffle persons. Value conflicts frequently occur and make persons feel stress and strain. These problems demand urgent solutions acceptable to persons having contradictory views. Students may learn the process of solving value conflicts by observing others or interacting with them. We can no longer afford postponement or neglect of efforts to develop social consciousness and value conflict solution ability among students in the classroom. If our teachers use jurisprudential strategy of teaching to teach children about the process of taking stances on various problems, exploring them and refining them, students' social consciousness and value conflict solution ability will develop. The present project was undertaken to find out whether exposure to Jurisprudential Inquiry Teaching or Individualized Jurisprudential Inquiry can develop social consciousness and value conflict solution ability. It also attempted to find out the correlates and predictors of gains in social consciousness and value conflict solution ability among students exposed to different treatments.

To begin with efforts were made to develop case materials and semistructured workbooks for Individualized Jurisprudential Inquiry, tests were prepared for measuring

value conflict solution ability, social consciousness and understanding of the Jurisprudential Teaching Strategy. Worksheets for Jurisprudential Inquiry Teaching and Observation schedules for giving feedback while peer practice were prepared. A three day workshop was organised to train teachers and the project fellow in effective use of Jurisprudential Teaching Strategy. Then a sample of 153 students was selected from girls studying in class IX of two schools of Allahabad. Three groups were formed and each consisted of 51 subjects. They were equated with respect to intelligence. First experimental group was exposed to 16 Jurisprudential Inquiry Teaching sessions. Second experimental group was exposed to 16 Jurisprudential Inquiry session. The third group, control group, was not exposed to any treatment. Pretest - Posttest experimental group - control group design was used. Social Consciousness Test and Value Conflict Solution Ability Test were administered before and after experimentation. Data on deprivation and 22 personality traits were collected from students of the two experimental groups. Analysis of Variance, t-test, product moment coefficients of correlation and multiple regression analysis were used for analysis of data. The present chapter embodies the major findings of the study, implications of findings, delimitations of the study and suggestions for further research.

4.1.0 FINDINGS

4.1.1 Effectiveness of Jurisprudential Strategy of teaching for developing value conflict solution ability

1. Jurisprudential Inquiry Teaching is effective for developing overall value conflict solution ability.

2. Exposure to JIT* brings about improvement in students' ability to identify value conflicts, social reasoning, perspective taking ability and ability to suggest qualifiers.

3. Exposure to IJI** brings about significant improvement in overall value conflict solution ability.

4. Exposure to IJI brings about significant improvement in social reasoning and ability to suggest qualifiers for value conflict solutions.

5. Jurisprudential Inquiry Teaching is more effective than Individualized Jurisprudential Inquiry for developing students' overall value conflict solution

---

* JIT = Jurisprudential Inquiry Teaching

** IJI = Individualized Jurisprudential Inquiry

ability as well as four dimensions of it namely, ability to identify value conflicts, social reasoning, perspective taking ability and ability to suggest qualifiers.

4.1.2 Effectiveness of Jurisprudential strategy of teaching for developing social consciousness

1. Jurisprudential Inquiry Teaching is effective for developing overall social consciousness.
2. Exposure to JIT brings about improvement in students' capacity to guess social problems, think of solutions of social problems and think of consequences of solutions of social problems.
3. Exposure to Individualized Jurisprudential Inquiry improves students' social consciousness.
4. Exposure to Individualized Jurisprudential Inquiry improves students' capacity to think of solutions of social problems and their consequences.
5. Jurisprudential Inquiry Teaching is more effective than Individualized Jurisprudential Inquiry for developing social consciousness - overall as well as three dimensions of it.

4.1.3 Correlates of development of social consciousness and value conflict solution abilities

1. Development of value conflict solution ability among students exposed to Jurisprudential Inquiry Teaching is positively related to crookedness and negatively related to pretest value conflict solution ability. Gains in ability to identify value conflicts (CVI) are positively related to crookedness, egoism and independence and negatively related to pretest CVI status. Gains in social reasoning (SR) are negatively related to analytical power and pretest SR status. Gains in perspective taking (PT) ability are negatively related to pretest PT status. Gains in ability to suggest qualifiers (QS) are negatively related to pretest QS status.

2. Development of value conflict solution ability (VCSA) among students exposed to Individualized Jurisprudential Inquiry is positively related to adaptability and negatively related to pretest VCSA status. Gains in CVI, SR and QS abilities are negatively related to pretest status on CVI, SR and QS abilities respectively. Gains in CVI are negatively related to hesitation. Gains in PT are negatively related to intelligence.

3. Development of social consciousness (OSC) among students exposed to Jurisprudential Inquiry Teaching is positively related to tolerance. Gains in capacity to guess problems is negatively related to deprivation. Gains in capacity to think of problem solutions and think of consequences of problem solutions are negatively related to pretest status on these capacities respectively. Gain in capacity to think of consequences of problem solutions is positively related to tolerance.

4. Development of social consciousness (OSC) among students exposed to Individualized Jurisprudential Inquiry is negatively related to initiative and pretest OSC status. Gain in capacity to guess problems (GP) is negatively related to deprivation and pretest GP status and positively related to intelligence. Gain in capacity to think of problem solutions (TPS) is negatively related to alienation tendency, initiative and pretest TPS status. Gain in capacity to think of consequences of problem solutions (TCPS) is negatively related to planned working, initiative and pretest TCPS status.

4.1.4 Prediction of development of value conflict solution ability and social consciousness

1. Pretest score on value conflict solution ability (X_{25}) crookedness (X_4) and questioning attitude (X_{18}) can predict development of value conflict solution ability among students exposed to Jurisprudential Inquiry Teaching. The regression equation is as follows -

$$Y_1 = 13.0971 - .5597\ X_{25} + .9372\ X_4 + .9281\ X_{18}$$

2. Pretest score on value conflict solution ability (X_{25}) and adaptability (X_{23}) can predict gains in overall value conflict solution ability among students exposed to Individualized Jurisprudential Inquiry. The regression equation is as follows -

$$Y_2 = 3.7427 - .2865\ X_{25} + .5185\ X_{23}$$

3. Tolerance (X_{24}) and creative motivation (X_{22}) can predict gains in social consciousness among students exposed to Jurisprudential Inquiry Teaching. The regression equation is as follows -

$$Y_3 = 2.0664\ X_{24} + 2.637\ X_{22} - 7.3762$$

4. Development of social consciousness among students exposed to Individualized Jurisprudential Inquiry

can be predicted from initiative and pretest status on social consciousness. The regression equation is as follows -

$$Y_4 = 12.4863 - .225\, X_{25} - .8604\, X_{19}$$

4.1.5 Development of teaching competence

The training strategy consisted of seven phases namely - (1) reading about how to rejuvenate teaching and theory of Jurisprudential Inquiry strategy of teaching; (2) demonstration; (3) going through tentative script of a lesson; (4) explanation of lesson plan format, Teaching Analysis Guide, Jurisprudential Inquiry Teaching Feedback Schedule; (5) Feedback on theory checkup and discussion to ensure mastery learning; (6) peer teaching using readymade lesson plans; (7) real teaching using self-made or ready-made case materials and lesson plans. It was found effective for developing teachers' competency to use Jurisprudential Teaching Strategy.

4.2.0 IMPLICATIONS

The present research project was undertaken to findout the effectiveness of Jurisprudential Inquiry Teaching and Individualized Jurisprudential Inquiry

for the development of social consciousness. Efforts were made to find out correlates and predictors of gains in social consciousness and value conflict solution abilities. A three day workshop was conducted for training teachers to use Jurisprudential Teaching Strategy. Case materials, worksheets, tests and lessons were prepared. The implications of the findings of this study emnate from the results of the efforts made to achieve different objectives of the study. The implications are constrained by limitations related to the contont and numbers of policy issues explored during teaching, willingness of students to participate in the process of Jurisprudential Inquiry Teaching, students' willingness to respond to requests for jurisprudential inquiry. The implications of this study are as follows -

1. Both Jurisprudential Inquiry Teaching (JIT) and Individualized Jurisprudential Inquiry (IJI) are effective for developing social consciousness and value conflict solution ability. Our teachers can use JIT to enable students to develop their social consciousness and value conflict solution abilities. They can depend upon the case materials developed for the present project. They can also use the IJI workbook. Students can go through and do the assigned tasks at home or in free periods. Teachers will find it easy to develop more IJI lessons and case materials

for JIT/IJI when they use the instructional materials developed for the present study.

2. All students do not derive equal benefits from exposure to teaching based on a particular teaching strategy. Findings of this study have revealed different sets of predictors for gains in social consciousness and value conflict solution ability. It seems that JIT is effective for developing value conflict solution ability among students who are more crooked and have high level questioning attitude; JIT is effective for developing social consciousness among students who are tolerant and have more creative motivation; IJI is effective for developing value conflict solution ability among students with more adaptability and IJI is effective for developing social consciousness among students who have less initiative. JIT and IJI are more effective for students who possess low level ability to solve value conflicts. IJI is more effective for students possessing low level social consciousness. Thus, teachers need to consider the entering level with respect to social consciousness and value conflict solution ability and the personality traits in order to select JIT or IJI.

3. Students find it difficult to solve various value conflicts and findout appropriate solutions of various social problems. They can use IJI lessons to develop

their own ability to solve value conflicts and social consciousness. Thus, they will protect themselves from personality disintegration, frustration, stress, strain and maladjustment because of their developed abilities to solve value conflicts and social consciousness.

4. Everyone has a right to education. Principle 7 of the Declaration on the Rights of the Child, adopted by the United Nations on November 20, 1959, states- "The child is entitled to receive education, which shall be free and compulsory, at least in the elementary stages. He shall be given an education which will promote his general culture, and enable him on a basis of equal opportunity to develop his abilities, his individual judgement and his sense of moral and social responsibility, and to become a useful member of society." Our country is trying to make primary education free and compulsory. All children do not get right type of education. Awareness about the rights of children can be developed if teachers use JTT or IJI.

5. Teachers can use the Value Conflict Solution Ability Test and Social Consciousness Test for measuring students' value conflict solution ability and social consciousness.

6. While training teachers to use Jurisprudential Teaching Strategy, efforts were made to prepare an achievement test

for measuring teachers' understanding of theory about the teaching strategy. This can be used by teacher educators to assess student teachers' understanding of Jurisprudential Teaching Strategy. The training strategy developed by us can be used for training teachers to use a teaching strategy.

4.3.0 DELIMITATIONS

Following have been the delimitations of the present study -

1. The test used for measuring value conflict solution ability consists of four subtests. These subtests measure ability to identify value conflicts, social reasoning, perspective taking ability and ability to suggest qualifiers for a solution.

2. The Social Consciousness Test measures students' capacity to guess social problems, think of solutions of social problems and think of consequences of social problem solutions.

3. Students of the two experimental groups could be exposed to 16 JIT/IJI sessions. The time taken for exploring the policy stances was not the same for each session.

4.4.0 SUGGESTIONS FOR FURTHER RESEARCH

The present study attempts to study the effectiveness of exposure to 16 JIT/IJI sessions. Researchers may investigate the effectiveness of more exposures. Studies may be undertaken to find out the suitability of JIT and IJI for developing value conflict solution ability and social consciousness of students differing with respect to personality traits, intelligence, deprivation, creativity, inquisitiveness and formal reasoning.

There is a need to undertake studies to find out the effectiveness of Jurisprudential Teaching Strategy for developing values such as scientific temper, dedication, equality, national integration, protection of the environment, observance of small family norm, secular mindedness, social cognition, civic, sense, justice, morality, fratornity and nonviolence.

Video lessons may be prepared and used for developing various values. Studies need to be undertaken to establish utility of the video lessons.

BIBLIOGRAPHY

Agarwal, P. Vidyarthion Ke Mulyon Ke Vikas per Nyayik Shikshan Pratiman Ka Prabhav, M.A. dissertation, University of Allahabad, 1987.

Anderson, N. & Graesser, C. An Information Integration Analysis of Attitude Change in Group Discussion. Journal of Personality and Social Psychology, 1976, 34, 210-222.

Bajpai, A. An Experimental Study of an Educational Intervention Curriculum for Value Development and Its Facilitative Effect upon the Development of Moral Judgement. Unpublished thesis, Lucknow University, 1990.

Berndt, T.J.; Mc Cartney, K.; Caparulo, B.K. and Moore, A.M. The Effects of Group Discussion on Children's Moral Judgement. Psychological Abstracts, 1985, 72, 10-12.

Dubey, V. The Effect of Jurisprudential Inquiry Model of Teaching for Developing Social Problem Solving Ability and Seculamindedness. M.Ed. Dissertation, University of Allahabad, 1989.

Fraenkel, J.R. How to Teach About Values ? Englewood Cliffs : Prentice Hall Inc. 1977.

Garrett, H.E. Statistics in Psychology and Education Bombay : Vakils, Feffer and Simons Ltd. 1966.

Govt. of India, Programme of Action : National Policy on Education 1986. New Delhi : Ministry of Human Resources and Development.

Hasan, S. The Effect of Intelligence and Jurisprudential Inquiry Model of Teaching on the Development of Social Competence. M.Ed. dissertation, University of Allahabad, 1987.

Inagaki, K. & Hatano, G. Implications of Cognitive Motivation and Its Effect on Epistemic Observation. American Educational Research Journal, 1977, 14, 485-491.

Joyce, B. & Weil, M. Models of Teaching. New Delhi : Prentice Hall of India, 1985.

Joyce, B. & Weil, M. Models of Teaching. New Jersey : Prentice Hall, 1972.

Knibbe, D.S. The Effect of the Cognitive Conflict Discussion Strategy on the Levels of Honesty and Moral Reasoning of Innercity High School Students : A Field Experiment. Dissertation Abstract International, 1985, 46(3-4), 601-A.

Kaplan, M. Discussion Polarization Effects in a Modern Jury Decision Paradigm : Informational Influences. Sociometry, 1977, 40, 262-271.

Kaplan, M. & Miller, C. Judgements and Group Discussions : Effect of Presentation and Memory Factors on Polarization. Sociometry, 1977, 40,337-343.

Oliver, D. & Shaver, P. Teaching Public Issues in the High School. Boston : Houghton Mifflin, 1966.

Pandey, S.P. Instructional and Nurturant Effects of Jurisprudential Inquiry Model of Teaching. Unpublished doctoral thesis, University of Allahabad, 1990.

Passi, B.K.; Sansanwal, D.N. and Singh, A. Models of Teaching - Relative Effectiveness of Different Training Strategies. New Delhi : NCERT, 1988.

Passi, B.K. & Singh, P. Value Education. Agra : National Psychological Corporation, 1991.

Raths, L.E.; Harmin, M. & Simon, S.B. Values and Teaching. Columbus, Ohio : Charles E. Merill Publishing Co. 1966.

Singh, A.K. Comparison of Value Discussion Model with Conventional Approach in Terms of Value Clarification of B.Ed. Students. M.Phil. dissertation, DAVV, Indore, 1988.

Singh, R.N. A Study of Value Analysis Model in Developing the Competencies of Value Clarification in Student Teachers. M.Ed. dissertation, DAVV, Indore, 1989.

Singh, L.C. & Singh, P, Effectiveness of Value Clarifying Strategies in Value Orientation of B.Ed. students. Report of ERIC Funded Research Project. New Delhi : NCERT, 1986.

Sorot, K.S. Effectiveness of JIM in Developing Value Clarifying Competencies of B.Ed. Students. M.Phil. dissertation, DAVV Indore, 1988.

Tewari, K.K. Effect of Jurisprudential Inquiry Model on Shift in Value Preferences in Terms of Right to Equality and Freedom upon VIII Grade Students. M.Phil. dissertation, DAVV, Indore, 1986.

Tjosvold, D. & Johnson, D.W. The Effects of Controversy on Cognitive Perspective Taking. Journal of Educational Psychology, 1977, 69, 679-685.

Tjosvold, D. & Johnson, D.W. Controversy, Cooperation and Competition and Accuracy of Cognitive Perspective Taking. Contemporary Educational Psychology, 1978, 3, 376-386.

LIST OF ANNEXURES

1. टिहरी बाँध परियोजना विवाद

"उत्तर प्रदेश के गढ़वाल मंडल में भागीरथी नदी पर बाँध बनाया जा रहा है। अब तक इस बहुउद्देशीय परियोजना में चार अरब रुपये व्यय भी हो चुके हैं। टिहरी बाँध को लेकर सर्वाधिक विवाद इस तथ्य पर है कि जिस क्षेत्र में यह बांध बनाया जा रहा है उस क्षेत्र में भूकम्प की प्रबल आशंका रहती है तथा यह बांध इतना मजबूत नहीं है कि वह भूकम्प के झटकों को सह पावे। विशेषज्ञों की चेतावनी के अनुसार एक भूकम्प इस बाँध को नष्ट कर देगा तथा इसका पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। कहा जाता है कि हिरोशिमा पर गिराये गये बमों से जितनी क्षति हुई उससे 1500 गुना अधिक क्षति बाँध के टूटने से होगी। बाँध के समर्थक विशेषज्ञों का मानना है कि देश की बिजली तथा कृषि साधन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने का और कोई रास्ता नहीं है। उनके अनुसार जिस क्षेत्र में टिहरी बाँध परियोजना चल रही है वहाँ भूकम्प की संभावना अवश्य है किन्तु इस योजना की भूकम्प सम्बन्धी क्षमता की जाँच पड़ताल कर ली गई है और यदि यह परियोजना पूरी हो गई तो विकास की दिशा में भारत की यह एक और उपलब्धि होगी।

2. शिक्षा जगत से अंग्रेजी का बहिष्कार

अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान के विस्तृत संसार में झाँकने के लिए इसका ज्ञान अनिवार्य था। आधुनिक लोग हिन्दी भाषा की अपेक्षा अंग्रेजी को अधिक महत्त्व देते हैं। देश का प्रशासनिक ढाँचा अंग्रेजियत से रंग गया है। वर्तमान सरकार ने आधुनिक शिक्षा को अंग्रेजी से मुक्त कराने का निश्चय किया है। सरकार के अनुसार अंग्रेजी लिखना बोलना हमारी गुलाम मानसिकता का द्योतक है। इसने हमें लाभ कम तथा हानि ज्यादा पहुँचाई है परन्तु कुछ विशिष्ट लोगों का कहना है कि यदि हम अंग्रेजी का तिरष्कार करेंगे तो हमारे देश का पतन होगा तथा विद्यार्थी बहुत सी सुविधाओं से वंचित हो जायेंगे। कुछ छात्रों का कहना है कि अंग्रेजी विषय के न रहने पर शिक्षा जगत में समानता आयेगी तथा लोगों में राष्ट्रप्रेम का विकास होगा।

3. चुनाव सुधार विधेयक

15 दिसम्बर 1988 द्वारा लोक सभा में पारित चुनाव सुधार विधेयक के अनुसार चुनाव में वोट देने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई है। इस संशोधन की व्याख्या करते हुए कानून मंत्री ने कहा कि आज के युवक युवतियाँ पढ़े लिखे और समझदार हैं। अतः वोटिंग की उम्र कम कर देने से युवा वर्ग को अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा और वे भी राजनैतिक प्रक्रिया का अंग बन सकेंगे। बहुत लोगों का मानना है कि 18 वर्ष का बालक या बालिका 21 वर्ष के व्यक्ति के समान समझदार नहीं हो सकता है तथा उसके द्वारा गलत निर्णय की संभावना अधिक होती है।

5. पाँच दिन का सप्ताह

आजकल केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में सप्ताह में पाँच दिन कार्य होता है व दो दिन अवकाश रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे कर्मचारियों की कुशलता नहीं बढ़ी है। इससे उन्हें मनोरंजन के लिए प्रतिदिन एक अतिरिक्त घंटा मिल गया है। वे राजनीतिक उलझनों पर चर्चा करते हैं या अपनी घरेलु समस्यायें सुलझाते हैं। महिलायें इस समय स्वेटर की बुनाई करती हैं। इस प्रकार राजकीय कार्यों की गति को बढ़ाने के लिए किया गया कार्य निष्प्रभावी हो गया। अतः आजकल लोग पुनः यह कहते हुए सुने जाते है कि सरकार को पुनः छः दिन का सप्ताह कर देना चाहिए।

5. राष्ट्रगान में धर्मगान के स्वर

केरल के एक स्कूल के तीन छात्र स्कूल की प्रार्थना में गाया जाने वाला राष्ट्रगान इस लिए नहीं गाते थे क्योंकि उनका धर्म इसकी इजाजत नहीं देता था। एक विधायक ने जब यह मामला उठाया तो तीनों छात्रों को स्कूल से निकाल दिया गया। अपने निष्कासन के विरुद्ध छात्रों ने उच्च न्यायालय में याचिका दी जहाँ के फैसले में कहा गया कि राष्ट्रगान में कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जो किसी भी धर्म के खिलाफ जाती है। याचिका खारिज हो गई छात्र उच्चतम न्यायालय जा पहुँचे। उच्चतम न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 19।1। तथा 23।1। का हवाला देते हुए निर्णय दिया कि छात्रों का निष्कासन इस अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों में हस्तक्षेप है और छात्रों को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस निर्णय पर कुछ लोगों ने कहा कि यह निर्णय धर्म के पक्ष में आया है और धर्म राष्ट्र से श्रेष्ठ हुआ। इन लोगों का कहना है कि संसद को एक कानून बनाना चाहिए ताकि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सके व धर्म

राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए खतरा न बन सके। कुछ अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षक इस निर्णय से प्रसन्न हुए। उनकी यह धारणा बनी कि विद्यालय में प्रार्थना में राष्ट्रगान के बजाय धर्मगान गाया जाय।

6. निजी कोचिंग

निजी कोचिंग पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की माँग को लेकर छात्र राष्ट्रीय संगठन के तत्वावधान में आन्दोलन करना चाहते हैं। छात्र नेताओं का मत है कि अध्यापक कोचिंग के बहाने छात्रों से धन की वसूली करते हैं तथा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। शिक्षक अपने पाठ्यक्रम को विद्यालय में अच्छी तरह नहीं पढ़ाते हैं तथा छात्रों से कहते हैं कि " पास होना चाहते हो तो ट्यूशन पढ़ने आओ" । ऐसे में छात्रों को मजबूरन ट्यूशन पढ़ना पड़ता है। कुछ छात्रों का विचार है कि विद्यालय आये दिन बंद रहते हैं तथा शिक्षक अपना कोर्स समय से पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में कोचिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं है।

7. परमाणु अस्त्रों का निर्माण

अन्तर्राष्ट्रीय जगत में आज विधि की नहीं, शक्ति की पूजा होती है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में भारत के पास परमाणु शक्ति की प्रहारक क्षमता का न होना इसकी शांति प्रियता नहीं बल्कि कमजोरी समझी जायेगी। विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटेन के परमाणु अस्त्र सम्पन्न न होने के कारण अमरीका ने उसकी अवहेलना की थी किन्तु प्रधान मंत्री चर्चिल द्वारा ब्रिटेन को परमाणु अस्त्र सम्पन्न बना देने पर अमरीका का अहम आहत हुआ और उसने समान स्तर पर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। यदि गुट निरपेक्षता की नीति के साथ साथ भारत अपनी सैनिक शक्ति भी बढ़ावे व परमाणु अस्त्र बनाए तो अन्तर्राष्ट्रीय जगत में उसे सम्मान प्राप्त होगा। परन्तु इसके विरोधियों का मत है कि यदि परमाणु अस्त्र से ही भारत की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है तो शांति प्रयासों का कोई मतलब नहीं होगा। वस्तुतः भारतीय परिप्रेक्ष्य में परमाणु अस्त्रों की परिकल्पना भी अग्राह्य है। जहाँ पर आध्यात्मिक शक्ति विद्यमान हो वहाँ अस्त्रों की क्या आवश्यकता है। अतः परमाणु अस्त्रों जैसे विध्वंसक, विनाशकारी प्रयासों से अलग रहना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है।

8. आरामदेह मृत्यु

अमरीका के एक चिकित्सक ने एक ऐसे इन्जेक्शन का निर्माण किया जिसको लगाने से आदमी आसानी से मौत की नींद सो सकता है। इस इन्जेक्शन को लगवाकर आदमी लेट जाता है और दो सेकेण्ड के बाद बिना किसी कष्ट के उसकी मृत्यु हो जाती है। अनेक लोग इसे लगवाकर अपने कष्टमय जीवन से छुटकारा पाना चाहते हैं। कुछ लोग इस इन्जेक्शन को वरदान मानते हैं क्योंकि वे अपनी मृत्यु को जीने से अच्छा समझते हैं। अनेक लोगों ने इसका प्रतिरोध भी किया। उनका मानना है कि यदि भावावेश में आकर व्यक्ति इसका प्रयोग कर ले तो वह अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा। रोगियों के परिवार इसलिए सन्तुष्ट हो सकते हैं कि रोगी आरामदेय मौत मरें। कुछ चिकित्सक भारत में ऐसे इन्जेक्शन के प्रयोग की अनुमति माँग रहे हैं।

9. रथ शोभा यात्रा

श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में राम मन्दिर के निर्माण के लिए सोमनाथ से रथ शोभायात्रा निकाली। उनका कहना था कि रथयात्रा हिन्दू मुसलमानों में परस्पर सौहार्द बढ़ाने के लिए निकाली गई है। परन्तु यात्रा के बाद विभिन्न प्रदेशों में जग जगह साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे तथा अनेक लोगों ने अपने प्राणो की आहुति दी। रथयात्रा के समर्थकों के अनुसार रथ जहाँ जहाँ गया मुसलमानों ने उसका स्वागत किया तथा भरपूर सहयोग दिया। भारत सरकार ने रथ यात्रा आन्दोलन की वजह से श्री आडवाणी को समस्तीपुर।बिहार। में गिरफ्तार कर लिया तथा रथयात्रा अधूरी रह गई। इसके फलस्वरूप जनता में आक्रोश व्याप्त है तथा इसके विरोध में विभिन्न प्रदर्शन किये गये हैं। भविष्य में ऐसी शोभायात्रा निकाले जाने का [illegible] है।

10. रेलवे की सम्पत्ति पर अवैध अधिकार

कल्पना करें कि आज से चालीस वर्ष पूर्व एक महिला के पिता ने रेलवे की जमीन पर मकान बनाया था। तब से आज तक वह महिला इस मकान में रह रही है। रेलवे अधिकारी ने मौखिक रूप से महिला से 10 दिन में मकान खाली करने को कहा व 11 वें दिन उसने आवास को ढहाकर ध्वस्त करने के लिए श्रमिक भेज दिये। महिला का कहना है कि उसे मकान खाली करने का न तो कोई लिखित आदेश दिया गया है और न ही सुनवायी का अवसर दिया गया है। वह एक गरीब विधवा है। उसे मकान से विधि सम्मत ढंग से ही बेदखल किया जा सकता है।

11. सांस्कृतिक प्रदूषण का भय

संस्कृति एवं धर्म प्रसार से सम्बन्धित लोगों के समक्ष आज तरह तरह की चुनौतियाँ विद्यमान हैं। श्री उपेन्द्र नाथ अश्क ने कहा है," हम बड़े ही भयानक दौर से गुजर रहे हैं और ऊपरी चकाचौंध के नीचे हमारे समाज में कल्पनातीत तड़ाप पैदा हो रही है। आज हमारे नैतिक और साहित्यिक मूल्यों का विघटन होता जा रहा है । एक आदिवासी क्षेत्र में कुछ मिशनरी लोग अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल रहे हैं जिसमें बच्चों को दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जाता है । आदिवासी लोगों में से अनेक इन स्कूलों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी संस्कृति के दूषित होने का भय है। वे मिशनरियों को आदिवासी क्षेत्र से बाहर निकलवाना चाहते हैं। मिशनरी खरीदी हुई जमीन बेचना नहीं चाहते हैं। कुछ आदिवासी चाहते है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को आदिवासी क्षेत्र में स्थायी निर्माण करने की अनुमति न दी जाय। उनकी राजनीतिक गतिविधियों या समाज सुधार कार्यक्रमों पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। सरकार आदिवासियों के जीवन स्तर को सुधारना चाहती है तथा आदिवासी अपनी सांस्कृतिक धरोहर व भाषाई पहचान बनाये रखने के लिए विशेष सुविधाओं की माँग कर रहे हैं।

12. सती प्रथा

सती प्रथा एक ज्वलंत सामाजिक समस्या है। प्राचीन काल में यह जौहर प्रथा के रूप में प्रचलित थी। 1986 में दिवराला में रूपकंवर के सती होने पर सती प्रथा पर पुनः वाद विवाद शुरू हुआ। कुछ लोगों ने सती प्रथा को परम्परा का नाम दिया। बहुत सी ताकतें परम्परा के नाम पर अन्यायपूर्ण रीति-रिवाजों को जारी रखना चाहती हैं। सरकार ने सती प्रथा विरोधी कानून को और अधिक कठोर बनाया है। परन्तु इस सामाजिक बुराई को सामाजिक व मानसिक चेतना के अभाव में पुलिस की निगरानी में या सरकारी प्रचार द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। अनेक महिला संगठनों का मत है कि यह एक प्रकार की हत्या है व इससे नारी के सम्मान एवं पहचान पर कुठाराघात होता है। सती समर्थकों का कहना है कि एक औरत का सती हो जाना उनकी धार्मिक परम्परा का हिस्सा है। जो लोग नारी पुरुष को समानता की दृष्टि से देखते हैं वह यह नहीं चाहते कि एक भी नारी के साथ यह हादसा हो। वे ऐसे मूल्यों का विरोध करते हैं जिनके आधार पर स्त्री की महानता को इस प्रकार की कसौटी पर कसा जाय।

13. डाक विधेयक

डाक विधेयक के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि राष्ट्रपति किसी भी डाक सामग्री को खोलकर पढ़ सकता है। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को पुनः विचार करने के लिए सरकार के पास वापस कर दिया था। लोगों का कहना है कि यदि राष्ट्रपति को यह अधिकार हो तो लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव पड़ेगा तथा उन्हें परेशानी होगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से बहुत से गोपनीय सुराग मिल सकेंगे। जो देश को पतन में जाने से रोकेंगे। लोगों की धारणा है कि पत्रों तथा अन्य डाक के माध्यमों से ऐसी सूचनायें बाहर भेजी जाती हैं जिससे देश का नुकसान होता है।

14. अनुच्छेद 370 का हटना-एक आवश्यकता

संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू-काश्मीर पर पूरी तरह से लागू है परन्तु शेष संविधान उस हद तक व उस रूप में लागू है जिसे राष्ट्रपति संवैधानिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें। इस अनुच्छेद के कारण क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार भारतीय संसद राज्यों का नाम, उनका क्षेत्रफल और उनकी सीमाएं घटा बढ़ा सकती है। दो या अधिक राज्यों को मिला कर एकराज्य कर सकती है। ऐसा कानून बनाते समय जहाँ अन्य राज्यों के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रभावित राज्यों की विधान सभाओं को सिर्फ अपनी रायदेने का अवसर दिया जायेगा, वहाँ अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-काश्मीर के सन्दर्भ में विधान सभा की सहमति लेना

जरूरी होगा। इस प्रकार अनुच्छेद 3 कश्मीर पर इस तरह लागू होता है कि कश्मीर का अन्य राज्यों से भारी अलगाव मान्य होता है। चुनाव आयोग का अधिकार भी सीमित है क्यों कि जम्मू कश्मीर के स्थाई निवासियों के अलावा और किसी को जम्मू कश्मीर में विधान सभा के लिए मतदान का अधिकार नहीं है। कुछ लोग 370 अनुच्छेद को हटाने की माँग कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह राष्ट्र की एकात्मकता में बाधक है। किसी एकराज्य के विशेष दर्जे को संविधान में बनाये रखना अन्य राज्यों को वैसी ही माँग करने के लिए प्रेरित करेगा। इस अनुच्छेद में बहुराष्ट्रवाद के बीज छिपे हैं।

15. आत्मदाह की पीड़ा

जब सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को भारत में लागू करने की बात कही तो देश के विद्यार्थी वर्ग में तूफान सा आ गया था। सवर्ण छात्रों ने तन मन धन से इसका विरोध किया। जब सरकार पर कोई असर नहीं हुआ तो छात्रों ने " आत्मदाह" जैसे कठोर व दर्दनाक तरीके का सहारा लिया। विद्यार्थी कहते हैं कि "अब हमारे जीने से कोई फायदा नहीं है। हमें नौकरी नहीं मिलेगी। अतः अब मरना ही बेहतर होगा। बहुत से होनहार विद्यार्थियों ने आत्मदाह का समर्थन किया है। उनके अनुसार आत्मदाह एक अहिंसक तथा शांतिपूर्ण आंदोलन है। कुछ लोगों का मत है है कि " आत्मदाह से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। यह कायरता है तथा करने वालों को सजा देनी चाहिए।

16. प्रवेश परीक्षा अभिशाप या वरदान

विद्यार्थी विद्यालयों की आधारशिला होते हैं। उनका चयन सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। अगर यह गलत ढंग से होता है तो विश्वविद्यालय की ख्याति गिरती है। आजकल फर्जी प्रमाणपत्रों व जाली अंकपत्रों को बनाकर प्रवेश पाने वालों की भरमार है। आजकल अनेक उच्च शिक्षा संस्था स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए परीक्षा लेती हैं, कुछ लोगों ने प्रवेश परीक्षा को वैध तो कुछ लोगों ने अवैध माना है। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा को वैध माना। एक समाचार के अनुसार प्रवेश परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गये वे इन्टर स्तर के नहीं थे। गैस पेपर के नाम पर छात्रों को सस्ते प्रकाशकों के जरिये लूटा जरूर गया। तमाम पैसे खर्च करने के बावजूद जिन छात्रों का प्रवेश नहीं हुआ वे एक वर्ष तक क्या करेंगे? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। कुछ शिक्षक व विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा के विरुद्ध हैं। इन्टरमीडियट परीक्षा में 60% से अधिक अंक पाने वाले अनेक विद्यार्थी इस परीक्षा में असफल रहे हैं व उन्होंने अन्य महाविद्यालयों में भी प्रवेश नहीं लिया है। यह सभी छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश चाहते है व इसके लिए आन्दोलन करना चाहते हैं।

प्रारूपी पाठ योजना

1: शैक्षिक उद्देश्य-

1. विद्यार्थी अपने प्रारंभिक निर्णय को संशोधित कर सकेंगे।
2. विद्यार्थी अपने निर्णय के परिणामों को अनुमानित कर सकेंगे।
3. विद्यार्थी सामाजिक चर्चा सम्बन्धी कौशल विकसित कर सकेंगे।
4. विद्यार्थी समस्या विवरण में निहित मूल्यों को पहचान सकेंगे।

2: प्रावस्था 1: समस्या परिचय

समस्या शीर्षक-"राष्ट्रगान में धर्मगान के स्वर"
समस्या सम्बन्धी मुख्य तथ्य-समस्या विवरण में रेखांकित करें।

3: प्रावस्था 2: विवादों की पहचान

(अ) सार्वजनिक नीति प्रश्नों की पहचान

1. क्या प्रत्येक भारतवासी के लिए राष्ट्रगान गाना अनिवार्य करने के लिए कानून बनना चाहिए ?
2. क्या अल्पसंख्यक विद्यालयों में राष्ट्रगान के बजाय धर्मगान गाने की अनुमति मिलनी चाहिए ?

(ब) एक नीति प्रश्न का चयन तथा उसमें निहित मूल्य द्वन्द्व का वर्णन

राष्ट्रीय धरोहर पर गर्व　　　अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व धर्मनिरपेक्षता

विरोधी

(स) समस्या से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्यात्मक प्रश्न

1. क्या संविधान के अनुच्छेद 19(1) व 25(1) के अनुसार छात्रों को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है ?
2. क्या राष्ट्रगान में कोई ऐसी बात है जिसे गाने से किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं ?

(द) द्वन्द्व में निहित परिभाषिक समस्याएं

....

4: प्रावस्था 3: निर्णय लेना

नीति प्रश्न का उत्तर: हाँ( ) नहीं ( )

5: प्रावस्था 4: निर्णय कीखोज

निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त तर्क विमर्श प्रतिमान पर (✓) का निशान लगायें। किसी एक या अधिक उपयुक्त प्रतिमान को चुनें।

(अ) तथ्यात्मक बल: उस बिन्दु का निर्धारण जहाँ किसी मूल्य का उल्लंघन होता है। उदाहरण लिखें।

1.यदि कोई गूँगा या गम्भीर रूप से बीमार व्यक्ति राष्ट्रगान न गाये परन्तु खड़ा हो जाये तो क्या इससे उसके राष्ट्रप्रेम का पता नहीं चलेगा ?

2.यदि किसी धर्म के प्रमुख देश के किसी भाग को भारत से अलग करने की घोषणा करें तो क्या यह धर्मनिरपेक्षता होगी ?

3.किन परिस्थितियों में राष्ट्रगान न गाया जाना क्षम्य होना चाहिए ?

(ब)तथ्यात्मक बल: प्रत्येक निर्णय के वांछनीय तथा अवांछनीय परिणामों को सिद्ध करना। उदाहरण लिखें-

....

....

(स)सादृश्य की सहायता से मूल्य द्वन्द्व का स्पष्टीकरण करना। उदाहरणार्थ-

....

....

(द)मूल्य प्राथमिकताओं का निर्धारण: एक मूल्य के सापेक्ष दूसरे मूल्य की प्राथमिकता पर बल देना तथा दूसरे मूल्य के पूर्ण उल्लंघन न होने का प्रदर्शन करना । उदाहरणार्थ-

1.आप किस धर्म गुरू को अधिक सम्मान देते हैं?

2.यदि इस धर्म गुरू पर कोई हमला करे तो आप क्या करेंगे?

3.यदि कोई व्यक्ति आपके देश के साथ गद्दारी कर रहा हो तो आप क्या करेंगे?

4.यदि आपके धर्म गुरू देश को गुलाम बनाने की साजिश करें तो आप क्या करेंगे ?

5.राष्ट्र व धर्म में कौन अधिक महत्वपूर्ण है?

6:प्रावस्था 5: प्रारम्भिक निर्णय का परिष्कार व विशिष्टीकरण
संभव स्थानान्तरित निर्णय का उल्लेख करें।

प्रत्येक भारतवासी के लिए राष्ट्रगान गाना कानूनन अनिवार्य होना चाहिए यदि वह गाना गाने में सक्षम हो व भारत में रहने का इच्छुक हो।

वैयक्तीकृत न्यायिक पृच्छा कार्यपत्रक

कार्य (1) प्रथम पृष्ठ पर दिये गये समस्या विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ो तथा उसमें दी गई मुख्य बातों के नीचे रेखा खींचो।

कार्य (2) दिये गये समस्या विवरण के आधार पर नीति निर्णय के लिए कौन से विवाद उभरते हैं ?
जैसे—

उपर्युक्त के अलावा अन्य नीति प्रश्नों को सोचो तथा उन्हें लिखो।

1 ....

2 ....

3 ....

कार्य (3) उपर्युक्त नीति प्रश्नों में से प्रथम प्रश्न पर विचार करो तथा अपना निर्णय लिखो ?

निर्णय— हाँ/नहीं

अपने निर्णय के समर्थन में तर्क लिखो—

....

....

....

....

कार्य (4) आपके कुछ साथी आपके निर्णय से असहमत हो सकते हैं। उनके मूल्य आपसे भिन्न होंगे। नीति निर्णय के समय आपको किन मूल्यों में विरोध का सामना करना पड़ सकता है ?

.... विरोध ....

कार्य (5) आप अपने साथियों के निर्णयों का विरोध करते समय कौन से तर्क दे सकते हैं। अपने तर्क नीचे लिखो

1 ....

2 ....

3 ....

4 ....

कार्य (6) आपके साथी आपके निर्णय का विरोध करने हेतु कौन से तर्क दे सकते हैं ? उनके संभव तर्क नीचे लिखो

1 ....

2 ....

3 ....

4 ....

कार्य (7) नीचे नीति निर्णयों के कुछ परिणाम दिये गये हैं। इन पर विचार करो तथा दिये गये परिणामों के अतिरिक्त अन्य परिणाम सोचो व रिक्त स्थान में लिखो। फिर वांछनीय परिणामों के सामने बने खाने में (✓) का चिन्ह बनाओ तथा अवांछनीय परिणामों के सामने बने खाने में (×) का चिन्ह बनाओ। यह भी सोचो कि ये परिणाम किन परिस्थितियों में संभव होंगे ?

उत्तर:- हाँ/नहीं

कारण:- ....

....

कार्य॥9॥ अभी तक आपने नीति निर्णयों के पक्ष में तथा विपक्ष में दिये जा सकने वाले तर्कों तथा उनसे सम्बन्धित परिस्थितियों पर विचार किया है। अब एक ऐसा निर्णय लिखो जिसमें तुम्हारे पहले निर्णय के विरोधी भी सहमत हों।

....

....

....

....

कार्य॥10॥ यदि आपके द्वारा ऊपर लिखे गये निर्णय को आपके द्वारा बतायी गयी परिस्थितियों में लागू किया जाय तो क्यापरिणाम होगें ?

....

....

....

....

न्यायिक पृच्छा कार्य-पत्रक

1. समस्या संख्या लिखो : [ ]

2. समस्या विवरण से सम्बंधित नीति प्रश्न नीचे लिखो—

   1. ....
   2. ....
   3. ....

3. चुने गये नीति प्रश्न में निहित विरोधी मूल्य नीचे लिखो—

   .... विरोध ....

   ....

4. नीति प्रश्न के बारे में अपना निर्णय लिखो—

   हाँ [ ] नहीं [ ]

5. अपने निर्णय के पक्ष/समर्थन में तर्क लिखो—

   ....
   ....
   ....
   ....

6: अपने निर्णय के परिणाम लिखो—

   ....
   ....
   ....
   ....
   ....
   ....

7. अपना संशोधित निर्णय नीचे लिखो—

   ....
   ....
   ....

न्यायिक पृच्छा प्रतिमान द्वारा शिक्षण: एक आलेख

§शि§ आज हम लोग विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर बातचीत करेंगे तथा मुद्दे में जुड़े हुए तथ्यों, परिभाषाओं और विरोधों का विश्लेषण करेंगे और बौद्धिक वाद विवाद के द्वारा उन मुद्दों को हल करने का प्रयास करेंगे । इस कार्य के लिए हम लोग एक शिक्षण प्रतिमान का उपयोग करेंगे जिसे न्यायिक पृच्छा प्रतिमान या ज्यूरिस प्रूडेन्शियल माडल कहते है । इस प्रतिमान को विकसित करने का श्रेय हारवर्ड विश्व विद्यालय के दो विद्वानों ओलिवर एवं शेवर को है । इस प्रतिमान के उपयोग से व्यक्ति में सामाजिक मुद्दों को हल करने तथा उन पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने की योग्यता का विकास होता है एवं लोक तान्त्रिक समाज के योग्य कुशल नागरिक का निर्माण होता है । इस प्रतिमान के द्वारा विचार करने के दौरान हमें इस प्रतिमान के निर्धारित 6 चरणों से गुजरना पड़ता है । ये चरण हैं §1§ विवरण की जानकारी- जिसके अन्तर्गत एक समस्या प्रधान विवरण को पढ़ा और समझा जाता है तथा उसकी पूरी जानकारी सुनिश्चित करने के लिए उसके तथ्यों का विवेचन व पुनरावलोकन किया जाता है । §2§ मुद्दे का चयन- इसके अन्तर्गत तथ्यों के आधार सार्वजनिक नीतिके मुद्दों की पहचान होती है तथा विचारार्थ किसी एक महत्वपूर्ण मुद्दे का चयन होता है । तदुपरान्त चुने गए मुद्दे से सम्बन्धित तथ्यात्मक एवं परिभाषात्मक प्रश्नों का निराकरण किया जाता है । मुद्दे से सम्बन्धित मूल्यों का चयन तथा मूल्यों का विरोध दर्शाया जाता है । §3§ पक्ष लेना- इस चरण में ज्ञात तथ्यों के आधार पर समस्या §मुद्दे§ पर अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाता है । तथा अपने पक्ष के समर्थन में दलीलें §प्रमाण§ प्रस्तुत की जाती हैं । §4§ पक्ष की जाँच- इस चरण में विभिन्न पक्षों की प्रासंगिकता स्थिरता, तथा विभिन्न परिस्थितियों में उनकी सार्थकता की जाँच वाद-विवाद या तर्कों द्वारा की जाती है । §5§ पक्ष के सुधार या परिवर्तन- चौथे चरण में प्रस्तुत तर्कों के आधार पर अपने पक्ष में सुधार या परिवर्तन किया जाता है । §6§ इस चरण में सुधरे हुए पक्ष के परिणामों तथा उनकी सार्थकता

की जाँच की जाती है तथा आधारभूत मान्यताओं पर विचार किया जाता है ।

यहाँ एक विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक नीति के मुद्दे निहित हैं । अपने अध्ययन के प्रथम चरण में हम लोगों को विवरण को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, उसके उपरांत विवरण पर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे जिससे उसमे दिये गये सभी तथ्य सुस्पष्ट हो जायें अतः मुख्य तथ्यों का एक बार पुनरावलोकन करेंगे । इसके बाद विवरण की समस्याओं पर विचार करके उसके अन्तर्गत आने वाले सार्वजनिक नीति के मुद्दों की पहचान कर समस्या के रूप में संश्लिष्ट करेंगे ।

<u>विवरण का प्रस्तुतीकरणः-</u>

7 अगस्त 90 को भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक जन सभा को सम्बोधित करते हुए इस बात की घोषणा कर दी कि सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति के लोगों के लिए 27 % पद आरक्षित रहेंगे । इस घोषणाओं के दूसरे ही दिन से इस घोषणा का प्रबल विरोध किया जाने लगा । जगह-जगह प्रधान मन्त्री तथा उनके समर्थकों के पुतले जलाए गये, देश के विभिन्न भागों में विरोध प्रदर्शन के लिए बन्द रखा गया जिसमें करोड़ों रुपये की हानि हुई, देश के अधिकांश भाग में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया । विभिन्न प्रदेशों के उच्चन्यायालयों में उक्त घोषणा के विरूद्ध याचिकाएं दाखिल होने लगी । बुद्धिजीवि तथा पत्रकारों की इस घोषणा पर <u>मिली जुली प्रतिक्रियायें</u> हुई । कुछ सांसदों ने इसका विरोध किया तथा लोक सभा में इस मुद्दे को लेकर <u>ध्रुवीकरण</u> आरम्भ हो गया । प्रधान मन्त्री ने विरोध को देखते हुए उक्त आशय का एक अध्यादेश लागू किया, विरोध और तीव्र हो गया जगह-जगह सवर्ण युवकों ने आत्मदाह करना प्रारम्भ किया और पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर पुलिस के सतर्कता के बावजूद सैकड़ों लोगों ने आत्मदाह किया । प्रधान मन्त्री का कहना था कि हर इस प्रकार के परिवर्तन में इस प्रकार की दुखद घटनाएं होती है और आरक्षण की घोषणा

करके हमने पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति सामाजिक न्याय किया है । उनका कथन था कि वो इस आशय का वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में कर चुके थे अतः उसे पूरा न करके वो लोगों से विश्वासघात नहीं करना चाहते थे । उधर आरक्षण के समर्थकों ने भी जगह-जगह प्रदर्शन किया तथा अनेक जगहों पर समर्थकों एवं विरोधियों के बीच हिंसक झड़पें हुई । उधर प्रधान मन्त्री के समर्थक नेताओं ने विभिन्न स्थानों पर आरक्षण के समर्थन में रैलियाँ प्रारम्भ कर दीं तथा समर्थकों को हर प्रकार के संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान किया । उनके दृष्टिकोण में सरकारी कार्य कलापों में पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या केवल 4 % आस-पास थी जबकि उनकी जनसंख्या पूरी जन संख्या (देश की जन संख्या) की लगभग आधी है अतः आरक्षण अपने को देश की मुख्य धारा में जोड़ने का जरिया है । कुछ नेताओं ने देश की जनता को दो धाराओं में बाँटने का प्रयास किया और बहुत अंशों तक वो सफल भी रहें ।

§शि§ आइये इस बात को स्पष्ट कर लें कि विवरण के विभिन्न तथ्यों की जानकारी आपको हो गई है । इसके लिए आप लोग इस विवरण के प्रमुख तथ्यों को बताइये ।

§वि.§ पिछड़ी जाति के लिए 27% पद आरक्षित किए गए ।

§वि.§ आरक्षण विरोधी आन्दोलन में बहुत जन-धन की हानि हुई ।

§वि.§ आरक्षण को प्रधान मन्त्री और समर्थकों ने सामाजिक न्याय की संज्ञा दी ।

§वि.§ सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या 4% है ।

§शि.§ कुछ अन्य तथ्य बताइये, जैसे विरोध के लिए कानूनी प्रक्रियायें कौन-कौन सी की गयी?

§वि.§ प्रदेश के उच्च न्यायालयों में आरक्षण के विरुद्ध याचिकायें दायर की गयीं ।

§शि.§ न्याय पालिका ने इस सम्बन्ध में क्याकदम उठाये?

§वि.§ सर्वोच्च न्यायालय ने सभी याचिकाओं को अपने पास विचारार्थ मंगवा लिया तथा फैसले तक उक्त अध्यादेश पर स्थगन आदेश दे दिया ।

§शि.§ लोगों की आरक्षण के सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है?

§वि.§ कुछ लोग इसे उचित मानते हैं तथा कुछ लोग इसे अनुचित मानते हैं ।

§शि.§ मैं समझता हूँ कि सभी लोगों ने इस विवरण के विभिन्न पक्षों को अच्छी तरह समझ लिया है । अब इन तथ्यों के आधार पर आपको विवरण मे निहित सार्वजनिक नीति के मुद्दों की पहचान करनी है, तथा उसे प्रश्न के रूप में लिखना है । यहाँ आपको पुनः याद दिला दूँ कि सार्वजनिक नीति का मुद्दा वह प्रश्न है जो व्यक्तियों को सरकारी या सामाजिक मामलों में कार्य करने के चुनाव या निर्णय से सम्बन्धित हो, §अर्थात सार्वजनिक कार्य करने के सन्दर्भ में पूछा गया निर्णय प्रश्न है §उदाहरण के लिये, §1§ क्या भारत को परमाणु बम का निर्माण करना चाहिए? यह एक सार्वजनिक नीति का मुद्दा है यहाँ कार्य करने या चुनने का आशय § परमाणु बम का निर्माण § क्या उस कार्य का सार्वजनिक महत्व स्पष्ट है । इसी प्रकार का प्रश्न है कि क्या भारत को गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में शामिल होना चाहिए? अब आप सार्वजनिक नीति के मुद्दों, जो इस विवरण से सम्बन्धित हैं को प्रश्न के रूप में §चाहिए प्रश्न§ बतायें ।

§वि.§ क्या आरक्षण होना चाहिए ?

§शि.§ आप अपने प्रश्न को और स्पष्ट करें, कि, किसका आरक्षण, किस लिए? आदि

§वि.§ क्या सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति के लोगों का आरक्षण होना चाहिए?

§शि.§ ठीक है। अन्य कौन-कौन से मुद्दे यहाँ सम्बन्धित हैं?

§वि.§ क्या पिछड़ी जाति की उन्नति आरक्षण से होगी?

§शि.§ ध्यान से देखिए कि यह प्रश्न कार्य करने के चुनाव या निर्णय से सम्बन्धित नहीं है अतः यह प्रश्न सार्वजनिक नीति का मुद्दा नहीं हो सकता । यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है । इसके समाधान के लिए हम इसके दावे की सत्यता की जाँच करेंगे । अन्य मुद्दों की चर्चा करिये ।

§वि.§ क्या आरक्षण का समर्थन करने वालों को तोड़-फोड़ करनी चाहिए?

§वि.§ क्या आरक्षण का विरोध करने वालों को आत्मदाह करना चाहिए?

§शि.§ दोनों प्रश्नों में आप लोगों ने यही कहने की कोशिश की है कि "क्या

अपने अधिकारों के मांग के लिए प्रदर्शन करना चाहिए?"

{वि.} हाँ.

{शि.} कुछ और मुद्दे ।

{वि.} क्या चुनाव जीतने के बाद पार्टी के सदस्यों को पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में किये गये वादों का विरोध करना चाहिए? ।

{शि.} बहुत अच्छा, अब हमलोग आज के विवाद के लिए एक मुद्दा चुनते हैं । पहला प्रश्न "क्या सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति के लोगों के लिए आरक्षण होना चाहिए?" विवरण का केन्द्रीय मुद्दा प्रतीत होता है । क्या हम इस मुद्दे को विचार हेतु ले लें ।

{वि.} ठीक है ।

{शि.} आइये, हम लोग यह देखें कि इस मुद्दे से कौन-कौन से मूल्य सम्बन्धित हैं । आप बताइये ।

{वि.} निर्बल वर्ग का कल्याण ।

{वि.} न्याय, योग्यता

{शि.} और कौन-कौन से मूल्य होंगे

{वि.} गुणवत्ता, श्रेष्ठता

{वि.} प्रतिनिधित्व

{वि.} दया, न्याय

{शि.} अच्छा, अभी तक हम लोगों ने मूल्यों को चुना, अब हम परस्पर विरोधी मूल्यों को एक साथ रखेंगे । अब आप लोग, विरोधी मूल्यों को बतायें ।

{वि.} निर्बल वर्ग का कल्याण तथा योग्यता

{वि.} निर्बल वर्ग का कल्याण तथा गुणवत्ता

{वि.} श्रेष्ठता या गुणवत्ता तथा प्रतिनिधित्व

{वि.} योग्यता तथा प्रतिनिधित्व

{शि.} अब हम लोग उपर्युक्त मूल्यों में से प्रमुख विरोधी मूल्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे । यहाँ योग्यता तथा प्रतिनिधित्व मुद्दे के प्रमुख विरोधी मूल्य प्रतीत होते हैं ।

अब हम लोग मुद्दे से सम्बन्धित तथ्यात्मक प्रश्नों और परिभाषात्मक कठिनाइयों पर ध्यान देंगे । आइये देखें कि चुने गए मुद्दे से सम्बन्धित कौन-कौन से तथ्यात्मक प्रश्न है तथा कौन-कौन सी परिभाषात्मक कठिनाइयाँ हैं ।

{वि.} क्या आरक्षण का लाभ उचित लोगों को मिल जाता है?

{शि.} उचित लोगों से तुम्हारा क्या तात्पर्य है?

{वि.} उचित लोगों से हमारा तात्पर्य उन लोगों से है जो गरीब हैं?

{शि.} अर्थात् आपके कहने का तात्पर्य है कि क्या गरीब लोगों को आरक्षण का लाभ मिल पाता है? यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है । इसी प्रकार के अन्य प्रश्न बताइये ।

{वि.} क्या आरक्षण के द्वारा चुने गए लोगों से गुणवत्ता प्रभावित होती है?

{वि.} सरकारी नौकरियाँ कुल नौकरियों की कितनी प्रतिशत हैं ?

{शि.} अब हम लोग परिभाषात्मक कठिनाइयों पर भी विचार करेंगे । आपको मुद्दे से सम्बन्धित कौन से शब्द इस प्रकार के लग रहे हैं जिनका अर्थ विभिन्न लोग अलग-अलग लगायेंगें ।

{वि.} पिछड़ी जाति के लोग

{शि.} आप लोग पिछड़ी जाति के अन्तर्गत किन लोगों को मानते है ?

{वि.} इसके अन्तर्गत वो लोग आते हैं जो गरीब हैं ।

{वि.} क्या गरीब ब्राह्मण पिछड़ी जाति का माना जायेगा?

{वि.} नहीं गरीबी के साथ सामाजिक रूप से पिछड़ा होना आवश्यक है । चूँकि ब्राह्मण या क्षत्रिय जाति की सामाजिक प्रतिष्ठा है, अतः उन्हें पिछड़ा नहीं कहा जा सकता है ।

{शि.} तो क्या पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति एक ही है?

{वि.} नहीं, इसके अन्तर्गत वो जातियाँ आयेंगी जो सामाजिक व आर्थिक रूप से अनुसूचित जाति की तुलना में विकसित एवं सवर्णों से कम विकसित हैं ।

{वि.} उनमें शैक्षिक पिछड़ापन भी होना चाहिए।

{शि.} अर्थात् पिछड़ी जातियाँ, वोजातियाँ हैं जिनमें अधिकांश लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सवर्णों की तुलना में कमजोर है तथा अनुसूचित जातियों

से बेहतर है । तथा इन जातियों में तुलनात्मक रूप से शैक्षिक पिछड़ा पन भी होना चाहिए ।

॥वि.॥ "हाँ"

॥शि.॥ अच्छा, अब हम विचारार्थ "प्रतिनिधित्व एवं योग्यता" इन विरोधी मूल्यों को चुनते हैं । मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि चुने गए मुद्दे पर आप अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा उसके लिए तर्क दें । आप क्या सोचते हैं ?

॥वि.॥ मैं सोचता हूँ कि निर्बल वर्ग के उत्थान के लिए सरकारी नौकरियों मे आरक्षण होना चाहिए । क्यों कि उनमें अधिकांश लोग शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं और साधन के अभाव में उनको उच्च पद नहीं प्राप्त हो पाता है । अतः सरकार का दायित्व है कि ऐसे लोगों को विशेष सुविधा प्रदान करे ।

॥वि.॥ स्वतंत्रता के 40 वर्षों के बाद भी पिछड़ी जाति की संख्या सरकारी नौकरियों में 4% के करीब है जब कि पूरे देश में उनकी जन संख्या 50% से अधिक है अतः उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिल सके इसके लिए उन्हे आरक्षण मिलना चाहिए ।

॥शि.॥ आप दोनों लोग यह सोचते हैं कि पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए । और आप लोग प्रतिनिधित्व के हिमायती हैं । आप क्या सोचते हैं ॥वि.॥

॥वि.॥ सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, अधिक परिश्रम करके एक सवर्ण युवक अधिक अंक प्राप्त करता है परन्तु कम अंक वाले पिछड़ी जाति के युवक का चुनाव हो जाता है । यह एक प्रकार का अन्याय है अतः पिछड़ी जाति के लिए कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए ।

॥वि.॥ आरक्षण से आये लोगों की योग्यता अपेक्षाकृत कम होती है अतः इससे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है ।

॥वि.॥ उच्च वर्ग में भी साधन हीन लोग हैं अतः उनको आरक्षण न देकर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण देने का कोई औचित्य नहीं है ।

॥शि.॥ अर्थात् आप लोगों का कहना है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए । और सबको एक समान अवसर मिलना चाहिए या योग्यता के अनुसार चयन

होना चाहिए ।

{वि.} "हाँ"

{शि.} मैं यह भी अनुरोध करूँगा कि आपसी विचार विमर्श के लिए एक पक्ष के लोग पास-पास आ जाएँ । इस प्रकार दो पक्ष हो गए एक पक्ष योग्यता का हिमायती है तो दूसरा प्रतिनिधित्व का । आइये हम लोग पहले उन लोगों के पक्ष पर विचार करें जो यह सोचते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए । अच्छा तो आप तैयार हैं? आप अपनी बात कहिए ।

{वि.} जैसा मैंने कहा है कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए और योग्यता को ही मान दण्ड माना जाना चाहिए । ऐसा न करने से सवर्णों के प्रति अन्याय होता है ।

{शि.} आपका तात्पर्य यह है कि योग्यता की उपेक्षा करके पिछड़े एवं कमजोर लोगों को विशेष सुविधा नहीं देनी चाहिए ।

{वि.} "हाँ"

{वि.} हम जानते हैं कि माता-पिता की गरीबी और अशिक्षा का प्रभाव बालक की शिक्षा पर पड़ता है और अधिकांश पिछड़ी जाति के छात्र सवर्णों की तरह उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर सकने में असमर्थ हैं । अन्यथा वो भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते अतः इस पिछड़े पन की पूर्ति के लिए उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए ।

{वि.} गरीबी व अशिक्षा उच्च वर्ग के लोगों में भी है अतः आरक्षण की सुविधा उन्हे भी प्राप्त होनी चाहिए ।

{शि.} अर्थात् आपका मानना है कि यदि गरीबी और अशिक्षा को आधार माना जाय तो आरक्षण किया जा सकता है ।

{वि.} "हाँ"

{वि.} कम अंक पाने वाले लोग सरकारी कार्यों को ठीक से नहीं कर सकते । अतः ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए ।

{शि.} यदि अंको का अन्तर कम हो तो क्या इससे भी कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होगी?

{वि.} "हाँ"

§शि.§ मान लीजिए किसी प्रतियोगितात्मक परीक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले ने 70% अंक प्राप्त किए है तथा दसवाँ स्थान पाने वाले ने 60% अंक प्राप्त किये है । यदि कुल 90 प्रतियोगियों का चयन होता है तो क्या उन सभी की गुणवत्ता में विशेष अन्तर होगा?

§वि.§ विशेष अन्तर नहीं होगा परन्तु थोड़ा अन्तर तो होगा ही ।

§शि.§ अच्छा मान लें कि इस अन्तर की पूर्ति के लिए पिछड़े गरीब लोगों को विशेष ट्रेनिंग दे दी जाय जिससे गुणवत्ता भी प्रभावित न हो और उनका प्रतिनिधित्व भी हो जाय तो क्या आपत्ति है?

§वि.§ शायद सम्भव है । परन्तु योग्यता का अन्तर एक निश्चित सीमा तक ही होना चाहिए ।

§वि.§ परन्तु वैज्ञानिकों, विद्वानों न्यायाधीशों तथा ऐसी सेवाओं में जहाँ योग्यता बहुत महत्व पूर्ण है वहाँ थोड़ा अन्तर भी बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है ।

§शि.§ ठीक है यदि इस प्रकार की सेवाओं को आरक्षण से मुक्त कर दिया जाय तो ।

§वि.§ ठीक है ।

§शि.§ अब हम लोग दूसरे पक्ष के दलीलों पर भी विचार केन्द्रित करेंगे । आप क्या सोच रहे हैं §वि§

§वि.§ मैं कहना चाहता हूँ कि साधन हीनता और अशिक्षा मुख्यतः पिछड़ी जाति के लोगों में ही है अतः उन्हे आरक्षण मिलना चाहिए ।

§शि.§ क्या आपका कहना यह है कि आरक्षण का आधार जाति ही हो?

§वि.§ "हाँ"

§शि.§ क्यों?

§वि.§ क्यों कि पिछड़ी जातियों की सामाजिक स्थिति भी उनके योग्यता प्राप्त करने में बाधक है ।

§शि.§ सामाजिक स्थिति से आपका क्या तात्पर्य है?

§वि.§ मेरे कहने का तात्पर्य है कि पिछड़ी जाति के लोगों को उनके जाति के कारण समाज के निम्न समझा जाता है ।

§शि.§ क्या आरक्षण से उनकी जाति परिवर्तित हो जायगी?

{वि.} नहीं, परन्तु उनकी आर्थिक प्रगति तथा सरकारी पद प्राप्ति से उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार आयेगा ।

{शि.} यदि इन जातियों के आर्थिक विकास के अन्य उपाय कर दिये जायें तो भी क्या आप चाहेंगे कि सरकारी नौकरियोंमेंआरक्षण हो ।

{वि.} हाँ, क्यों कि अन्य साधनों से भी आर्थिक उन्नति की जा सकती है शैक्षिक उन्नति हो सकती है । सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति के लोगों की संख्या बहुत कम है और उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है ।

{वि.} मैं भी यही बात कहना चाहता हूँ कि 50 प्रतिशत लोगों के प्रतिनिधि अभी तक केवल 4% ही है । इनकी संख्या बढ़ाने के लिए आरक्षण होना चाहिए ।

{शि.} आपका तात्पर्य जाति के प्रतिनिधित्व से है या साधन हीन लोगों के प्रतिनिधित्व से?

{वि.} दोनों से

{शि.} यदि जाति को आधार माना जाय तो ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसमे पिछड़ी जाति के सम्पन्न घरों के लोग ही इस सुविधा का लाभ उठा पायेंगे । इसप्रकार आरक्षण की सुविधा गरीब पिछड़े लोगों तक नहीं पहुँच पायेगी और उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा ।

{वि.} साधन सम्पन्न पिछड़े वर्ग के लोगों को सुविधा नहीं मिलनी चाहिए ।

{शि.} तब सम्भव है कि बहुत से पद रिक्त रह जायें और उनके लिए उचित अभ्यर्थी न मिल पायें क्यों कि अनुसूचित जातियों के मामले में ऐसा ही होता है ।

{वि.} बाकी पदों को साधन युक्त पिछड़े वर्ग के लोगों से भरना चाहिए । इस तरह दोनों ही उद्देश्य पूर्ण होंगे ।

{शि.} हम जानते हैं कि पिछड़ी जातियों की सूची में लगभग 150 जातियाँ शामिल हैं और उनमें से कुछ जातियाँ इस तरह की हैं जिनके लोग निर्धारित न्यूनतम योग्यता भी नहीं रखते और वो भी यदि अपना प्रतिनिधित्व चाहें तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे ?

{वि.} आरक्षण निर्धारित न्यूनतम योग्यता को ध्यान में रखकर ही होना

चाहिए ।

[शि.] क्या आपके कहने का अर्थ है कि आरक्षण का अनुपात वर्ग विशेष के उन लोगों के अनुपात में होना चाहिए जो उन पदों के लिए निर्धारित योग्यता रखते हों?

[वि.] "हाँ"

[शि.] अभी आप ने कहा कि बाकी पदों को साधन युक्त पिछड़े वर्ग के लोगों से भरा जाना चाहिए । अर्थात् शायद आप यह कहना चाहते हैं कि जाति की तुलना में साधन हीनता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए ।

[वि.] "हाँ"

[शि.] यदि एक तरफ साधन युक्त पिछड़ी जाति के लोग है और दूसरी ओर साधन हीन सवर्ण हैं तो ऐसी स्थिति में आप किसको आरक्षण की सुविधा प्रदान करना चाहेंगे ।

[वि.] साधन हीन सवर्णों को

[शि.] अब हम लोग अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। आप लोगों ने इस मुद्दे पर अच्छी प्रकार विचार कर लिया है । आप अपने को एक ऐसा समूह माने जिसे इस मुद्दे पर एक नीति प्रदान करनी है । आपके विवाद के दौरान आपने अपने पक्षों में संशोधन किया है इसके आधार पर एक ऐसी नीति बनाइये जिस पर सबकी सहमति हो या कम से कम विरोध हो ।

आइये हम लोग सभी के संशोधित निर्णयों को एक साथ रख कर देखें ।

[वि.] साधन हीनता को आरक्षण का आधार माना जाय तथा आरक्षण का अनुपात उस वर्ग में उपलब्ध न्यूनतम योग्यता के व्यक्तियों की तुलना में हो ।

[वि.] साधन सम्पन्न पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए ।

[वि.] साधन हीनता को आरक्षण का आधार माना जाय ।

[वि.] आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम योग्यता व सामान्य लोगों के लिए न्यूनतम योग्यता में निश्चित सीमा तक ही अन्तर होना चाहिए ।

§वि.§ ऐसी सेवाओं को आरक्षण से मुक्त रखा जाय जिनमें योग्यता की कमी बहुत हानिकारक हो सकती है ।

§शि.§ हमारे सामने कई निर्णय आये । अपनी नीति को अन्तिम रूप देने से पहले यह आवश्यक है कि इन निर्णयों की आधारभूत मान्यताओं की जाँच कर ली जाय तथा उसके दूरगामी परिणामों पर विचार कर लिया जाय । आप बतायें की इस निर्धारित नीति की कौन सी मान्यतायें हैं ।

§वि.§ साधन हीनता अच्छे अंको की प्राप्ति में बाधक होती हैं ।

§वि.§ साधन सम्पन्न पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने से आरक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती ।

§वि.§ योग्यता में एक निश्चित सीमा तक अन्तर गुणवत्ता को अधिक प्रभावित नहीं करता ।

§वि.§ कुछ सेवाओं में गुणवत्ता की अधिकतम आवश्यकता होती है ।

§शि.§ आप लोग उपर्युक्त मान्यताओं में से किन्हें सही मानते हैं?

§ सभी विद्यार्थी सभी मान्यताओं को सही मानते हैं§

§शि.§ अब आप अपनी नीति के लागू होने पर उसके सम्भावित प्रभावों पर विचार करें तथा अपने उत्तर मुझे बतायें ।

§वि.§ इस नीति को लागू करने पर जाति विद्वेष नहीं फैलेगा ।

§वि.§ पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को लाभ मिलेगा ।

§वि.§ नेताओं को, लोगों को बहकाने का आधार नहीं मिलेगा ।

§वि.§ इस नीति को किसी भी राज्य में लागू किया जा सकता है ।

§वि.§ इस नीति को अनुसूचित जाति के आरक्षण के मामलों में भी लागू कर सकते हैं ।

§ इसके बाद समूह साधन हीनता, योग्यता में शिथिलता तथा आरक्षण से मुक्त सेवाओं की सीमा निर्धारित करने के लिए सम्बन्धित तथ्यों का विश्लेषण करते हैं §

—————0—————

आलेख:- सत्य प्रकाश पाण्डेय

सामाजिक चेतना परीक्षण
(SOCIAL CONSCIOUSNESS TEST)

डॉ० एस० के० पाल एवं डॉ० के० एस० मिश्र

नाम कक्षा

विद्यालय

निर्देश

इस परीक्षण में तीन प्रकार के प्रश्न दिये गये हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देते समय आपको सामाजिक समस्याओं, उनके समाधानों तथा समाधानों के परिणामों के बारे में सोचने का अवसर मिलेगा।

प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा प्रश्न के नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखें। आपके उत्तर पूर्णतः गोपनीय रखे जायेंगे।

ERIC शोध प्रायोजना
शिक्षाशास्त्र विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

परीक्षण I

नीचे तीन प्रश्न प्रस्तुत हैं। इनके अनेक उत्तर देने की कोशिश करें—

प्रश्न (1) आजकल भारतीय समाज को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ?

उत्तर—

प्रश्न (2) सन् 2000 में भारतीय नागरिकों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ?

उत्तर—

परीक्षण II

नीचे कुछ सामाजिक समस्याएँ दी जा रही हैं। इन्हें अनेक प्रकार से हल किया जा सकता है। प्रत्येक समस्या के अनेक समाधान सोचें तथा उन्हें सम्बंधित समस्या के नीचे लिखें—

समस्या : भ्रष्टाचार	समस्या : सामाजिक पिछड़ापन
समाधान—	समाधान—
समस्या : दहेज	समस्या : हड़ताल करना
समाधान—	समाधान—

परीक्षण III

नीचे कुछ सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु लिये जा सकने वाले कुछ निर्णय छपे हैं। इन निर्णयों के कारण अनेक बातें घटित हो सकती हैं। प्रत्येक निर्णय ध्यान से पढ़ें तथा फिर उसके परिणामों को सोचें। अनेक परिणाम सोचने का प्रयत्न करें तथा उन्हें सम्बंधित निर्णय के नीचे लिखें—

1—यदि सभी धर्मों के भारतीयों के लिए समान कानून लागू कर दिये जाएं

....

....

....

....

....

2—यदि अहिंसक आन्दोलनों को कुचलने के लिए पुलिस अधिकारियों को लाठी व गोली चलाने की खुली छूट दी जाए

....

....

....

....

....

3—यदि धार्मिक स्थलों में पुलिस के प्रवेश पर रोक लगा दी जाए

....

....

....

....

....

4—यदि स्त्रियों के लिए नौकरियों में 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर दिये जाएं

....

....

....

....

....

मूल्य द्वन्द्व समाधान योग्यता परीक्षण

Value Conflict Solution Ability Test

डॉ० एस० के० पाल

डॉ० के० एस० मिश्र

नाम कक्षा

विद्यालय

दिनांक

ERIC शोध प्रायोजना

शिक्षाशास्त्र विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

परीक्षण 1

विरोधी मूल्य पहचान परीक्षण (CVIT)

निर्देश

इस परीक्षण में कुछ महत्त्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक समस्या के नीचे समस्या में निहित मूल्य छपे हैं। इनमें से उन मूल्यों को पहचानें जिनमें परस्पर विरोध है। विरोधी मूल्यों को रिक्त स्थानों में लिखें —

1. **समस्या** : राम जन्म भूमि — बाबरी मस्जिद विवाद

निहित मूल्य : धर्म निरपेक्षता, धार्मिक आस्था, न्याय, स्वतंत्रता, शांति व व्यवस्था, समानता।

विरोधी मूल्य

.... विरोध ....

....

....

2. **समस्या** : आरक्षण

निहित मूल्य : न्याय, समता भ्रातृत्व, राष्ट्रीय एकता, सहनशीलता, समाज कल्याण।

विरोधी मूल्य :

.... विरोध ....

....

....

३. **समस्या** : सती प्रथा

निहित मूल्य : शान्ति, भारतीयता पर गर्व, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता, जीवन का अधिकार।

विरोधी मूल्य :

.... विरोध ....

....

....

४. **समस्या** : धार्मिक स्थलों में पुलिस प्रवेश

निहित मूल्य : अनुशासन, शांति, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, न्याय, भ्रातृत्व, सुरक्षा।

विरोधी मूल्य :

.... विरोध ....

....

....

परीक्षण 2

सामाजिक तर्क परीक्षण (SRT)

निर्देश

अनेक समस्याओं पर विचार करते समय हम स्वयं को दो विरोधी मूल्यों की ओर समान रूप से आकर्षित पाते हैं। नीचे दो सामाजिक समस्याएं व प्रत्येक समाधान के लिए एक सुझाव दिया गया है। आप प्रत्येक सुझाव से सहमत या असहमत हो सकते हैं। प्रत्येक समस्या व उसके समाधान पर विचार करें तथा निर्धारित स्थान पर अपनी राय के पक्ष में तर्क लिखें—

1. समस्या—आरक्षण

निर्णय—पिछड़ी जाति के लोगों को नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए।

आपकी राय—सहमत/असहमत/अनिर्णय

अपने निर्णय के पक्ष में तर्क लिखें—

....

....

....

....

....

....

2 समस्या—खाद्य पदार्थों में मिलावट।

निर्णय—खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा मिलनी चाहिए।

आपकी राय : सहमत/असहमत/अनिर्णय

अपने निर्णय के पक्ष में तर्क लिखें—

....

....

....

....

....

....

परीक्षण 3

भूमिका अनुमान परीक्षण (PTT)

निर्देश

किसी समस्या का समाधान स्वयं सोच लेने के बाद कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि विरोधी लोग उनके निर्णयों के विरोध में कौन से तर्क देंगे तथा क्या करेंगे ? नीचे दो समस्याएँ दी गयी हैं। उनके लिए अपना समाधान लिखो। फिर रिक्त स्थान में उन तर्कों को लिखो जिन्हें आपके निर्णय के विरोधी प्रस्तुत करेंगे।

1. **समस्या :** राम जन्मभूमि - बाबरी मस्जिद क्षेत्र में मंदिर बनाने के लिए कार-सेवा की अनुमति

   आपका निर्णय : अनुमति मिलनी चाहिए/अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।

   आपके निर्णय से असहमत लोग आपके निर्णय के विरोध में कौन से तर्क देंगे ? तर्क नीचे लिखें।

   ....

   ....

   ....

   ....

   ....

   ....

   ....

   ....

2. **समस्या**—पिछड़ी जाति के लोगों के लिए नौकरी में 27% आरक्षण

   आपका निर्णय : आरक्षण होना चाहिए/आरक्षण नहीं होना चाहिए

   आपके निर्णय से असहमत लोग आपके निर्णय के विरोध में कौन से तर्क देंगे ? तर्क नीचे लिखें।

   ....

   ....

   ....

   ....

   ....

   ....

   ....

   ....

परीक्षण 4

विशेषक सुझाव परीक्षण (OST)

निर्देश

प्रत्येक समस्या के समाधान हेतु अनेक निर्णय लिये जा सकते हैं तथा कोई भी निर्णय सभी परिस्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता है ! नीचे दो समस्या समाधान दिये गये हैं। प्रत्येक समाधान निर्णय के नीचे दो ऐसी परिस्थितियाँ दी गयी हैं जिनमें दिये गये निर्णय को लागू किया जा सकता है। दी गयी परिस्थितियों से भिन्न ऐसी अनेक परिस्थितियाँ सोचें जिनमें निर्णय लागू किया जा सकता हो अपने उत्तर रिक्त स्थान में लिखें।

1. निर्णय : किसी धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना
   परिस्थितियाँ—
   - यदि धर्म से सम्बंधित धर्माचार्य धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय स्मारक बनाना चाहें।
   - यदि धार्मिक स्थल विवादग्रस्त हो।
   - यदि उच्चतम न्यायालय इसकी अनुमति दे।

   अन्य परिस्थितियाँ स्वयं सोचें तथा नीचे लिखें—

   ....
   ....
   ....
   ....
   ....
   ....

2. निर्णय : पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण।
   परिस्थितियाँ—
   - यदि पिछड़े वर्गों में ग्रामीणों को शामिल किया जाए।
   - यदि आरक्षित स्थानों का प्रतिशत 27 से कम हो।
   - यदि ऐसा करने से जातीय संघर्ष की रोकथाम हो।

   अन्य परिस्थितियाँ स्वयं सोचें तथा नीचे लिखें—

   ....
   ....
   ....
   ....
   ....
   ....

व्यक्तित्व प्रश्नावली

PERSONALITY QUESTIONNAIRE

निर्माता

डा० करुणा शंकर मिश्र

रीडर,

शिक्षा शास्त्र विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

प्रकाशक

रूपा साइकोलोजिकल सेन्टर

बी-१९/६० बी, डेबरियाबीर

भेलुपुर, वाराणसी

© १९८६ रूपा साइकोलोजिकल सेन्टर

निर्देश

इस प्रश्नावली के द्वारा हम आपके व्यक्तित्व की विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें १७६ प्रश्न दिए गए हैं। सर्वप्रथम प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा फिर यह सोचें कि आपका उत्तर 'हां' या 'नहीं' में से कौन सा है ?

यदि आपका उत्तर 'हाँ' हो तो उत्तर-पत्र पर सम्बन्धित प्रश्न-संख्या के सामने दिये गए खाने में [√] का निशान बना दें। यदि आपका उत्तर 'नहीं' हो तो खाने में [X] का निशान बनाएँ।

उदाहरणार्थ

प्रश्न १. क्या आप मन को बुरी लगने वाली बातें बर्दाश्त कर पाते हैं ?

उत्तर-पत्र १ [ ]

उत्तर-पत्र पर प्रत्येक प्रश्न संख्या के सामने इसी तरह का एक खाना दिया गया है। इस खाने में √ का निशान 'हाँ' उत्तर के लिए लगाओ। यदि तुम्हारा उत्तर 'नहीं' हो, तो इसमें x का निशान लगाओ।

आपके उत्तर किसी भी परिस्थिति में आपके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को नहीं बताए जाएँगे। अतः बिना किसी संकोच के उत्तर देने का कष्ट करें। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर न देना चाहते हों, तो उस प्रश्न संख्या के सामने दिये गए खाने में [?] का निशान बना दें।

१. क्या आपको उचित नियमों का पूर्ण रूप से पालन करने में प्रसन्नता होती है ?
२. क्या आपको एक साथी के सामने दूसरे साथी की बुराई करना अच्छा लगता है ?
३. क्या दूसरों से सहायता न मिलने पर भी आप हाथ में लिए गए अधिकांश कार्यों को पूरा कर सकते हैं ?
४. क्या आप अवसर मिलने पर भी अपनी राय को व्यक्त करना नापसन्द करते हैं ?
५. क्या आप अपने आलोचकों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं ?
६. क्या आप दूसरों से अच्छे सम्बन्धों को कायम रखने के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं ?
७. जब कोई व्यक्ति आपका उपहास करता है तब क्या आप दुखी हो जाते हैं ?
८. क्या आप अपने विरोधियों की बातों का विश्लेषण करते हैं ?
९. क्या आप अकेले घूमते हैं ?
१०. क्या आपको अनुचित विचारों की आलोचना करते समय संकोच होता है ?
११. क्या आप स्वतंत्रतापूर्वक अपने निर्णय लेते हैं ?
१२. क्या आपके साथी आपके मन को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं ?
१३. क्या आप कुछ परेशान होने पर भी अपने काम को मन लगाकर करते रहते हैं ?
१४. क्या आपको अधिक थकान महसूस होती है ?
१५. क्या आप दूसरों के विरोध के बावजूद अपने विचारों को सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं ?
१६. क्या आप अनोखे जीवों की आदतों को जानने के लिए प्रयत्न करते हैं ?
१७. क्या आप महत्त्वपूर्ण कार्यों को दूसरों से आदेश न मिलने पर भी कर सकते हैं ?
१८. क्या आप कम वर्षों तक जीवित रहना चाहते हैं ?
१९. क्या आप हाथ में लिए गए कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए चिन्तित रहते हैं ?
२०. क्या आप अपने हाथ में लिए गए अनेक कार्यों को नये ढंग से करने का प्रयत्न करते हैं ?
२१. क्या आप अपने विचार के विरुद्ध अनेक प्रमाण मिलने पर उसे बदल पाते हैं ?
२२. जब लोग आपके कार्यों को पूरा न होने देने का प्रयास करते हैं तब क्या आप प्रसन्न रह पाते हैं ?
२३. क्या आप व्यवस्थित ढंग से कार्य करते हैं ?
२४. क्या आप सफलता पाने के लिए दूसरों का कुछ अहित कर सकते हैं ?
२५. क्या आप महत्त्वपूर्ण समस्याओं का समाधान कर सकते हैं ?
२६. क्या आप अपने मित्रों के साथ होने पर उनसे अधिक बातें न करने की कोशिश करते हैं ?

२७. क्या आप अपनी बातों को ही अच्छा मानते हैं।

२८. क्या आप उन कार्यों को नहीं करते जिनसे आपके साथियों को दुख होता है ?

२९. क्या अप्रिय घटनाओं की याद आते ही आप दुखी हो जाते हैं ?

३०. क्या आप विभिन्न समस्याओं के लिए जिम्मेदार बातों का पता लगाते हैं ?

३१. क्या आप व्यक्तियों से अधिक मिलना-जुलना नापसन्द करते हैं ?

३२. क्या आप अवसर मिलने पर भी अपने विचारों को अपने मन में रखने का प्रयास करते हैं ?

३३. क्या आप दूसरों के विचारों की उपयुक्तता के बारे में स्वतंत्रतापूर्वक सोचते हैं ?

३४. क्या आप यह सोचते हैं कि अपने साथियों से अधिक सहायता प्राप्त किए बिना आप महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकते हैं ?

३५. क्या आप सभी कार्यों को धैर्यपूर्वक करते रहते हैं ?

३६. क्या आप प्राय: कम रुचि के साथ धीरे-धीरे काम करते हैं ?

३७. क्या आप दूसरों के व्यवहार पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करते हैं ?

३८. क्या आप असमर्थित विचारों की सत्यता का पता लगाते हैं ?

३९. क्या आप व्यक्तियों से सबसे पहले प्रश्न पूछने का प्रयत्न करते हैं ?

४०. क्या आप सोचते हैं कि इस दुनिया में जिन्दा रहना बेकार है ?

४१. क्या आप कार्य करते समय कार्य-लक्ष्यों की प्राप्ति की चिन्ता करते हैं ?

४२. क्या आप समस्याओं को अनेक प्रकार से हल करने का प्रयास करते हैं ?

४३. क्या आप दूसरों के विचारों के आधार पर अपनी गलतियों को सुधारते हैं ?

४४. क्या किसी व्यक्ति से झगड़ा होने के बाद आप पढ़ सकते हैं ?

४५. क्या आप वही व्यवहार सीखते हैं जिन्हें आपके साथी उचित मानें ?

४६. क्या आप अपनी इच्छा के कार्य के पूरा होने तक धैर्य रखते हैं ?

४७. क्या आप अधिक समय तक पूरी शक्ति से अपना काम नहीं कर पाते हैं ?

४८. क्या आप अनुचित कार्यों की बहुत अधिक आलोचना करना पसन्द करते हैं ?

४९. किसी व्यक्ति की राय का समर्थन करने से पहले क्या आप उस राय के पक्ष व विरोध में प्रमाण पूछते हैं ?

५०. क्या आप योजनाएँ बनाने में पहल करते हैं ?

५१. क्या आप सोचते हैं कि आप उन्नति नहीं कर सकते ?

५२. क्या आप अपने कार्यों के पूरा होने तक अधिक चिन्तित रहते हैं ?

५३. क्या आप प्रत्येक घटना के अनेक परिणामों का अनुमान लगाते हैं ?

५४. क्या आप नए तथ्यों का पता लगने पर अपने विचार को बदलने की कोशिश करते हैं ?

५५. क्या आप दूसरों की अप्रिय मजाक को सह सकते हैं ?

५६. क्या आप कार्यों को अच्छी तरह से समझने के बाद करते हैं ?

५७. क्या आप अपने मित्रों के शुभचिन्तक बनने का दिखावा करते हैं ताकि वे आपकी मदद करते रहें ?

५८. क्या आप अपने व्यवहार को स्वयं सुधार सकते हैं ?

५९. क्या आप अपने साथियों से कम बातें करते हैं ?

६०. क्या आप अपने मन को बुरी लगने वाली दूसरों की अच्छी बातों की कटु आलोचना करते हैं ?

६१. क्या आप यह सोचते हैं कि सभी व्यक्तियों को एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है ?

६२. क्या आप अपने विरोधियों की धमकी से डर जाते हैं ?

६३. क्या आप अपने प्रिय व्यक्तियों के अच्छे व बुरे व्यवहार जानने का प्रयास करते हैं ?

६४. क्या आप अकेले रहना पसन्द करते हैं ?

६५. क्या आपको अपने मन की बात दूसरों को बताने में संकोच होता है ?

६६. क्या आपको अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान करना अच्छा लगता है ?

६७. क्या आप पहले से निश्चित विधि के अनुसार कार्य करते हैं ।

६८. क्या आप दूसरों से अपना काम करवाने के लिए उनकी अनावश्यक प्रशंसा कर सकते है ?

६९. क्या दूसरों से समर्थन न मिलने पर भी आप किसी कार्य को पूरा करने के लिए कोशिश कर सकते हैं ?

७०. क्या आपको कम बोलने के कारण व्यक्तियों के साथ रहने पर भी उन्हें जानने में अधिक समय लगता है ?

७१. क्या आप आलोचना होने पर अपनी गलत लगने वाली बातों को ही सही मानते है ?

७२. क्या आप उन कौशलों को अर्जित करने का प्रयास करते हैं जिनको आपसे अधिक उम्र के लोग सही मानते हो ?

७३. जब आपके सामने कोई नयी समस्या आती है तब क्या आप घबड़ा जाते हैं ?

७४. क्या आप दो एक जैसी दिखाई देने वाली वस्तुओं में अन्तर ज्ञात कर सकते हैं ?

७५. क्या आपको अपरिचित व्यक्तियों के बीच बैठने में परेशानी होती है ?

७६. क्या आप अपने मित्रों के गलत व्यवहारों की निन्दा करने में हिचकिचाते हैं ?

७७. क्या आप दूसरों की प्रतिक्रिया की चिन्ता किए बिना अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं ?

७८. क्या आप सदैव दूसरों के आदेश के अनुरूप कार्य करना पसन्द करते हैं ?

७९. क्या आप अपने इच्छित कार्य को पूरा करने के लिए प्रायः प्रयत्नशील रहते हैं ?

८०. क्या आप प्रायः कुछ निरुत्साहित होकर कार्य करते हैं ?

८१. क्या आप अपनी बात को अधिक दृढ़ता के साथ कह सकते हैं ?

८२. क्या आपको सभी व्यक्तियों से प्रश्न पूछना पसन्द है ?

८३. क्या आप कठिन कार्यों को करने के लिए अधिकांशतः तैयार रहते हैं ?

८४. क्या आप थोड़ी सी परेशानी होने पर निराश हो जाते हैं ?

८५. स्वयं से गलती होने पर क्या आप बहुत समय तक परेशान रहते हैं ?

८६. क्या आप शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के अत्यधिक अनोखे उत्तर देने का प्रयास करते हैं ?

८७. क्या आप प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं ?

८८. क्या आप अपने साथियों के विरोध को बर्दाश्त कर पाते हैं ?

८९. जब आपके मित्र अपनी बात मनवाने के लिए आप पर दबाव डालते हैं तब क्या आप उनकी बात मान लेते हैं ?

९०. क्या आप लक्ष्य प्राप्त होने तक अपने काम को करते रहते हैं ?

९१. क्या आपको शारीरिक खेलों में भाग लेते समय थकान परेशान करती है ?

९२. क्या आप अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते रहते हैं ताकि वे सदा आपका समर्थन करते रहें ?

९३. क्या कहानियाँ सुनने पर आपके मन में प्रायः अनेक प्रश्न उठते हैं ?

९४. क्या आप समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रायः पहल करते हैं ?

९५. जब आपके प्रिय व्यक्ति आपकी असफलता पर हँसते हैं तब क्या आप उदास हो जाते हैं ?

९६. क्या आप सोचते हैं कि आपके कार्यों में अधिक त्रुटियाँ न हों ?

९७. क्या आप अवसर मिलते ही अपने नए विचारों को कह देते हैं ?

९८. क्या आप आवश्यकतानुसार अपने व्यवहार को नियन्त्रित करने की कोशिश करते हैं ?

९९. क्या आप अपनी निन्दा बर्दाश्त कर पाते हैं ?

१००. क्या आप समस्याओं के समाधान के लिए अधिकांशतः योजनानुसार कार्य करते हैं ?

१०१. क्या आपके साथी यह सोचते है कि आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं ?

१०२. क्या आप स्वयं निश्चित समय में अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं ?

१०३. क्या आप अन्य व्यक्तियों को अपने अधिकांश कष्ट बताना पसन्द करते हैं ?

१०४. क्या आप अपने मत का विरोध करने वाले सभी तर्कों को काटने का प्रयत्न करते हैं ?

१०५. क्या आप नाराज होते समय दूसरों की भावनाओं का ध्यान रख पाते हैं ?

१०६. क्या आप शीघ्र ही क्रोधित हो जाते हैं ?

१०७. क्या आप समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं ?

१०८. क्या आप अपने साथियों से मित्रता करने के लिए कम प्रयत्न करते हैं ?

१०९. क्या आप अवसर मिलने पर बुद्धिमान व्यक्तियों के सामने अपने विचार रखने में हिचकिचाते ?

११०. क्या अन्य व्यक्तियों से सहायता न मिल पाने पर आप अपने कार्यों को मन-पसन्द ढंग से : पाते हैं ?

१११. क्या आप कार्य करने से पहले उसे करने की विधियों के बारे में अत्यधिक सोचते हैं ?

११२. क्या आप आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को थोड़ा सा धोखा दे सकते हैं ?

११३. क्या आप मनचाहे कार्यों को स्वयं कर सकते हैं ?

११४. क्या आप दूसरे व्यक्तियों से अपने मन की बात कहना नापसन्द करते हैं ?

११५. क्या आप अपनी आलोचना करने वाले व्यक्ति की बुराई करते हैं ?

११६. क्या आप आवश्यकता पड़ने पर दूसरों से सहयोग करते हैं ?

११७. क्या आप अपने प्रिय व्यक्तियों से डाँट मिलने पर अधिक समय तक परेशान रहते हैं ?

११८. क्या आप किसी व्यक्ति के भाषण की कमियों को जानने की कोशिश करते हैं ?

११९. क्या आप यह सोचते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर भी दूसरों से अधिक मित्रता नहीं करनी चाहिए ?

१२०. क्या आपको अपने मन-पसन्द कार्यों को करने की योजना अन्य व्यक्तियों को बताने में संकोच होता है ?

१२१. क्या आप अधिकांश समस्याओं के बारे में स्वयं स्वतन्त्रतापूर्वक विचार कर पाते हैं ?

१२२. क्या मित्रों का सहयोग न मिलने पर आप महत्वपूर्ण कार्य नहीं करते हैं ?

१२३. क्या आप अपने कार्यों को तब तक पूरे जोश से करते हैं जब तक कि वह पूरे न हो जाए ?

१२४. क्या आप मानसिक चिन्तन करने पर जल्दी ही थक जाते हैं ?

१२५. क्या आप अपने सत्य कथनों पर दृढ़ रह पाते हैं ?

१२६. क्या किसी नई घटना को देखने पर आप यह जानने की कोशिश करते हैं कि वह क्यों घटित हुई ?

१२७. क्या आप नए व्यक्तियों को परिचय देने में पहल करते हैं ?

१२८. क्या आपके दिल को आसानी से ठेस लग जाती है ?

१२९. क्या आप परीक्षाएं देने से पहले तैयारी करते समय अधिक चिन्तित रहते हैं ?

१३०. क्या आप एक समस्या के अनेक समाधान खोजने के लिए प्रयत्न करते हैं ?

१३१. क्या आप आवश्यकतानुसार अपने व्यवहार को आसानी से बदल लेते हैं ?

१३२. क्या आप दूसरों द्वारा दिए जाने वाले दंड को सहन कर लेते हैं ?

१३३. क्या आप किसी कार्य को अपने मित्रों की राय के अनुसार करते हैं ?

१३४. क्या आप निराश होने पर भी अपने काम को मन लगाकर करते रहते हैं ?

१३५. क्या आपको कार्यों को करने में सामान्य से अधिक समय लगता है ?

१३६. क्या आप दूसरों से अपनी इच्छानुसार काम करवाते हैं ?

१३७. जब आप कोई अनोखी वस्तु देखते हैं तब क्या आप उसके महत्व का पता लगाते हैं ?

१३८. क्या आप शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का अधिकांशतः सबसे पहले उत्तर देते हैं ?

१३९. क्या आप अधिकांशतः उदास रहते हैं ?

१४०. क्या आप अपने कार्यों को ध्यानपूर्वक करने के लिए परेशान रहते हैं ?

१४१. क्या आप समस्याओं के अनोखे समाधान खोजने के लिए प्रयत्न करते हैं ?

१४२. क्या आप दूसरों के सही विचारों को मानने का प्रयत्न करते हैं ?

१४३. क्या आप दूसरों से अपशब्द (गालियाँ, अशोभनीय बातें) सुन सकते हैं ?

१४४. क्या आपको जल्दबाजी में काम करना बुरा लगता हैं ?

१४५. क्या आप सफलता पाने के लिए दूसरों का कुछ अहित कर सकते हैं ?

१४६. क्या आप अपने कार्य को अधिक त्रुटियाँ किए बिना कर सकते हैं ?

१४७ क्या आप चुपचाप (शान्त) रहना पसन्द करते हैं ?

१४८. क्या आप अपने विरोधियों की सही बातें नहीं मानते हैं ?

१४९. क्या आप अपने मित्रों की परेशानियाँ दूर करने के लिए अधिक प्रयत्न करते हैं ?

१५०. क्या आप अपने साथियों की आलोचना सुनकर अधिक दुखी हो जाते हैं ?

१५१. क्या आप दो व्यक्तियों के विचारों में भिन्नता ज्ञात करने का प्रयास करते हैं ?

१५२. क्या आपको बहुत अधिक घनिष्ठ मित्रता कायम रखने में कठिनाई होती है ?

१५३. क्या आप अपनी नाराजगी व्यक्त करने में हिचकिचाते हैं ?

१५४. क्या आप अपनी इच्छानुसार काम कर पाते है ?

१५५. क्या आप अपने सभी कार्य एक निश्चित योजना के अनुसार करने का प्रयास करते हैं ?

१५६. क्या आप ऐसे कार्य करने का दिखावा करते हैं कि सभी आपकी प्रशंसा करें ?

१५७. क्या आप किसी नए काम को अकेले कर सकते हैं ?

१५८. क्या आप दूसरे व्यक्तियों से अपने मन की बात पूरी तरह नहीं कह पाते हैं ?

१५९. क्या आप अपने विरोधियों की अधिक आलोचना करते हैं ?

१६०. क्या आप आवश्यकता पड़ने पर अपने मित्रों को प्रोत्साहित करते हैं ?

१६१. क्या आप डरावनी परिस्थितियों में घबड़ा जाते हैं ?

१६२. क्या आप अवसर मिलने पर कुछ समान बातों में भिन्नता ज्ञात कर सकते हैं ?

१६३. क्या आपको अकेले काम करना अच्छा लगता है ?

१६४. क्या आपको अपने ही जैसे व्यक्तियों के सामने बोलने में हिचकिचाहट का अनुभव होता है ?

१६५. क्या आप किसी बात के उचित या अनुचित होने का स्वयं निर्णय कर पाते हैं ?

१६६. क्या आप मित्रों के इच्छानुसार कार्य करते हैं ?

१६७. लक्ष्य प्राप्ति में असफल होने पर क्या आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए अधिक कठिन परिश्रम करते हैं ?

१६८. क्या आप कम थकान होने पर परिश्रम करने की अपेक्षा आराम करना अधिक पसन्द करते हैं ?

१६९. क्या आप अपने कार्यों को दूसरों से करवाते हैं ?

१७०. किसी नये जीव को देखने पर क्या आप उसके रहने के स्थान को जानने की कोशिश करते हैं ?

१७१. क्या आप कार्यों को सबसे पहले शुरू करना पसन्द करते हैं ?

१७२. क्या आप अपनी असफलताओं से निराश हो जाते हैं ?

१७३. किसी कार्य को न कर पाने पर क्या आप स्वयं को परेशान पाते हैं ?

१७४. क्या आप अपने ज्ञान का नई समस्याओं का समाधान करते समय प्रयोग करते हैं ?

१७५. क्या आप जरूरत होने पर अपने काम करने के ढंग को बदल पाते हैं ?

१७६. क्या आप चुपचाप अपनी आलोचना सुन सकते हैं ?

IPAT

Test of "g": CULTURE FAIR

Scale 2, Form A

Prepared by R. B. Cattell and A. K. S. Cattell

Name ______________________________ Sex ________
First Last (Write M or F)

Name of School (or Address) ______________________________

Today's Date ______________________ Grade (or Class) ____________

Date of Birth ______________________ Age ______________________
Month Day Year Years Months

Test	Score	Remarks
1		
2		
3		
4		
		Total Score

M. ________

Q. ________

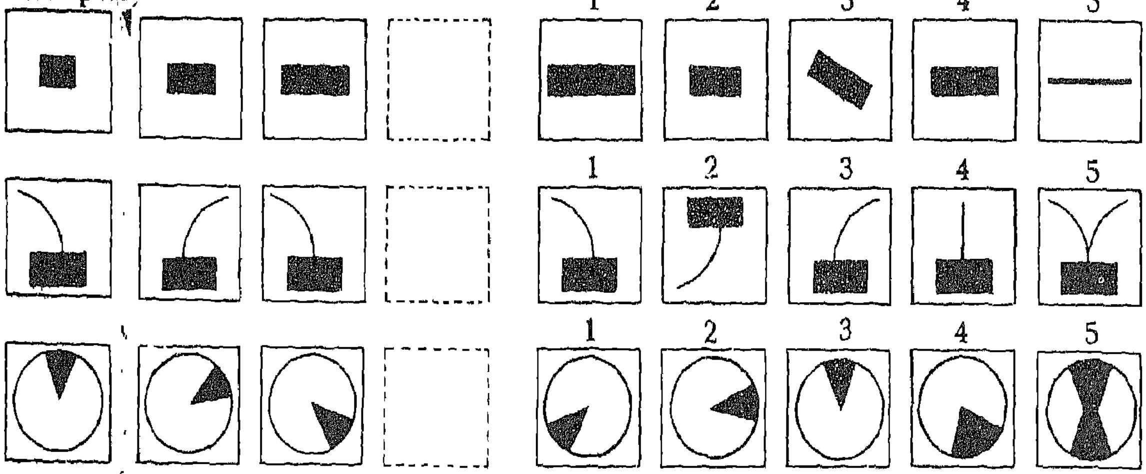
Do not turn the page until told to do so.

Copyright © by The Institute for Personality & Ability Testing, 1949, 1957. International copyright in all countries under the Berne Union, Buenos Aires, Bilateral, and Universal Copyright Conventions All property rights reserved by The Institute for Personality & Ability Testing, 1602-04 Coronado Drive, Champaign, Illinois, U.S.A Printed in India.

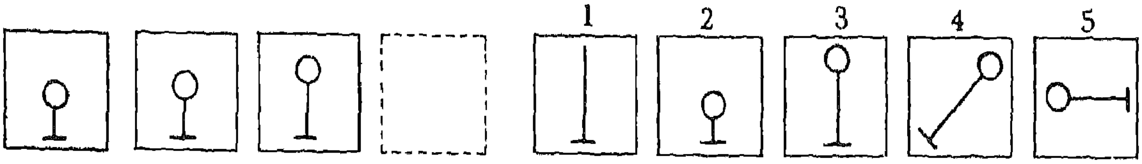
TEST 1

Examples

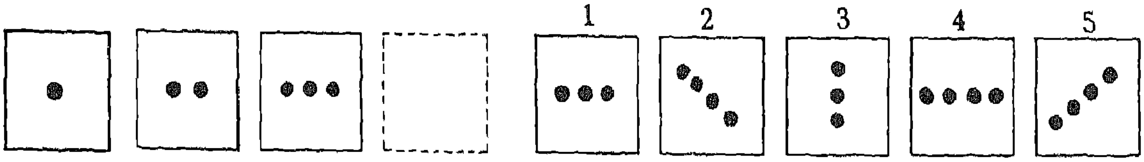
1 2 3 4 5



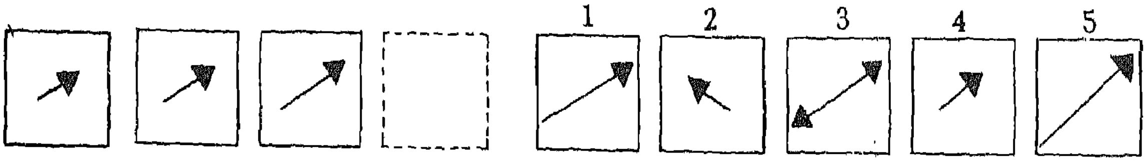
1. 1 2 3 4 5



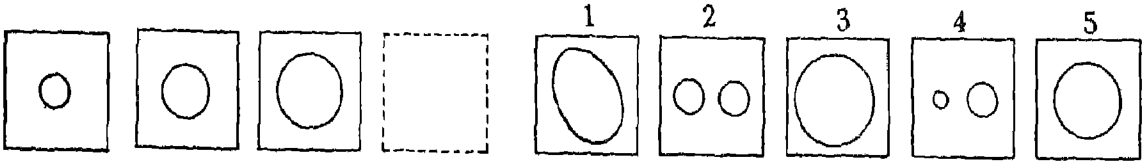
2. 1 2 3 4 5



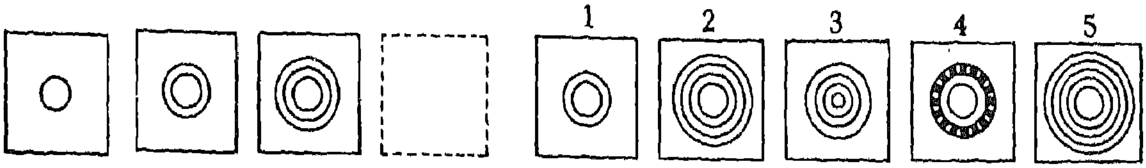
3. 1 2 3 4 5

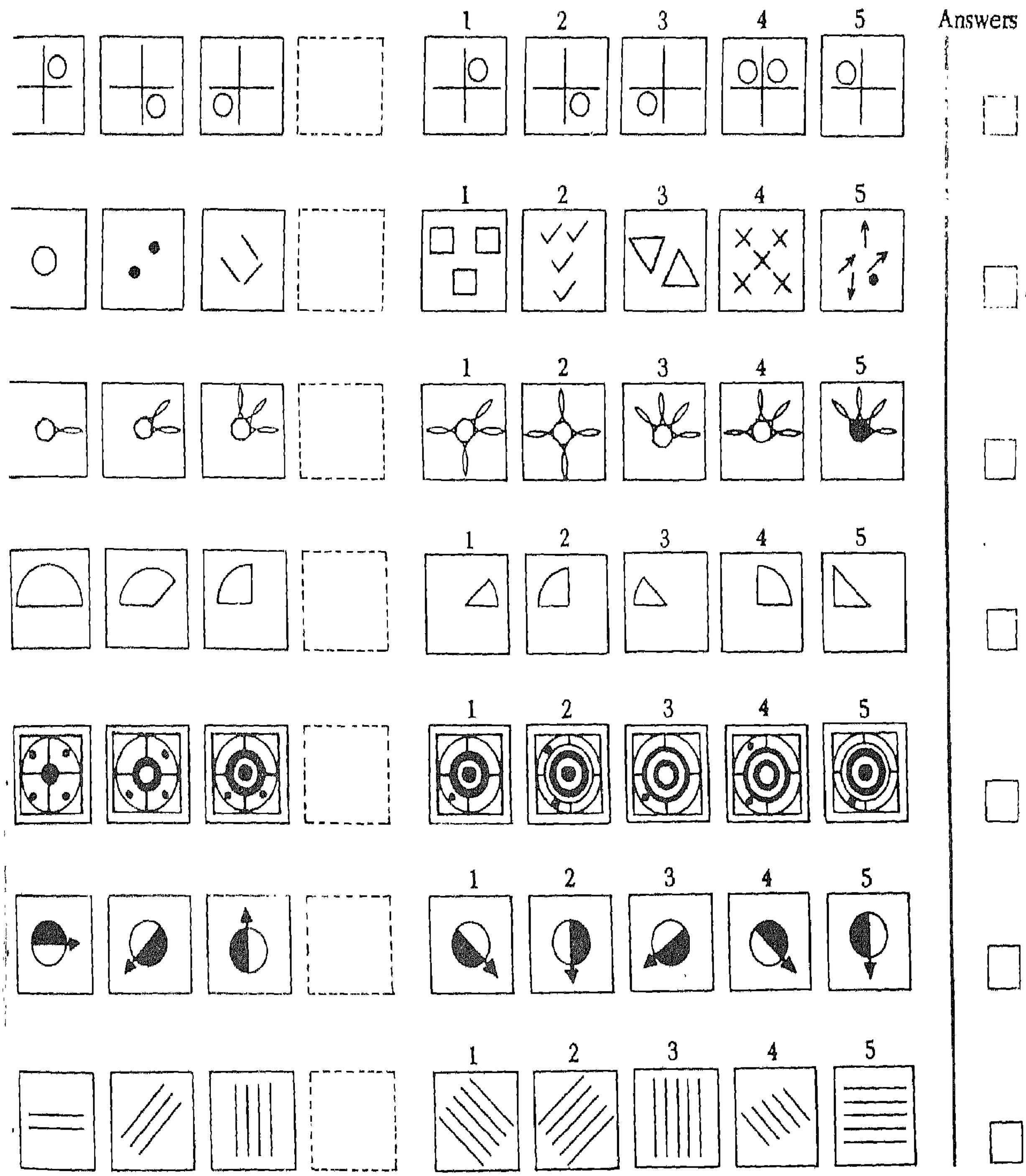


4. 1 2 3 4 5



5. 1 2 3 4 5



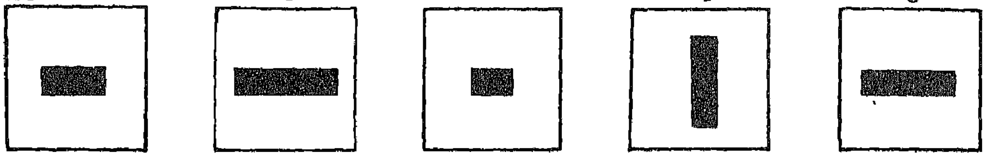


End of Test 1

STOP! Do not turn the page until told to do so.

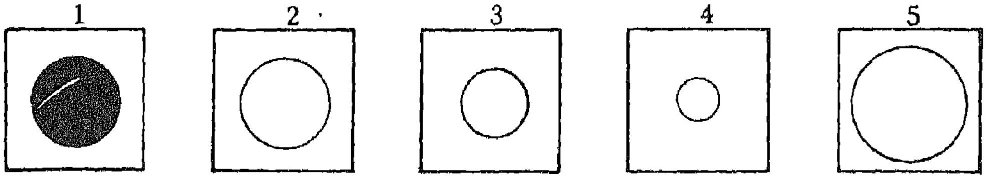
TEST 2

Examples 1 2 3 4 5 Answers

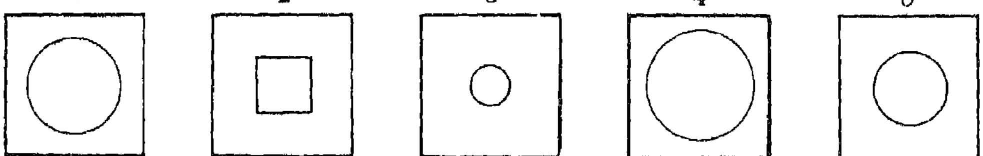


4

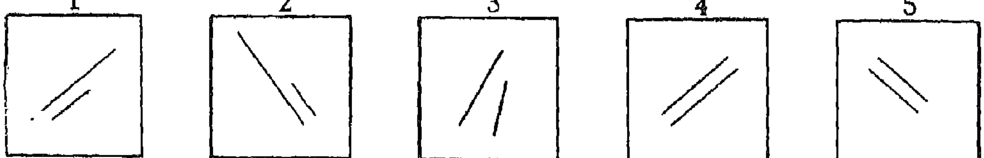
1 2 3 4 5



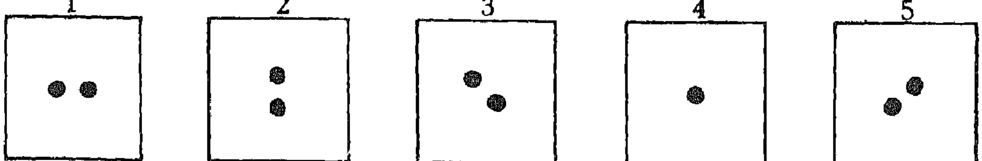
1 2 3 4 5

1. 

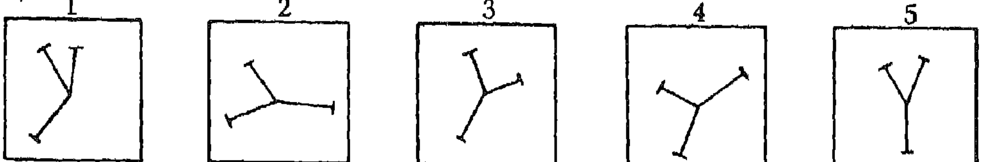
1 2 3 4 5

2. 

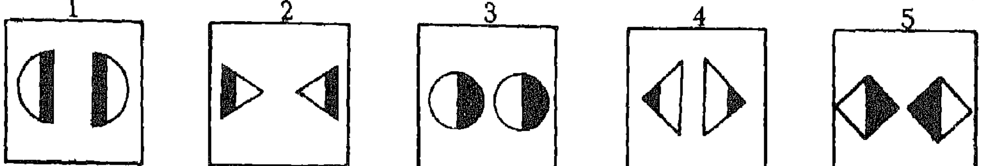
1 2 3 4 5

3. 

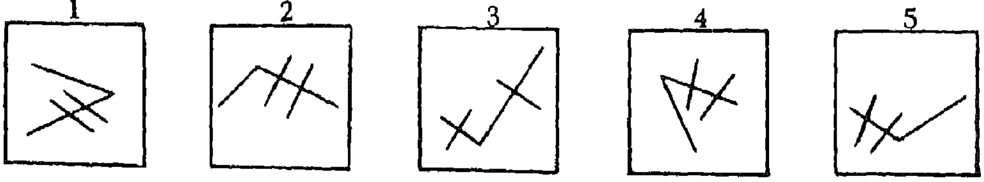
1 2 3 4 5

4. 

1 2 3 4 5

5. 

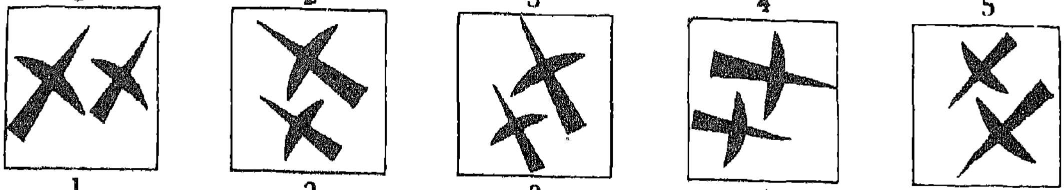
1 2 3 4 5

6. 

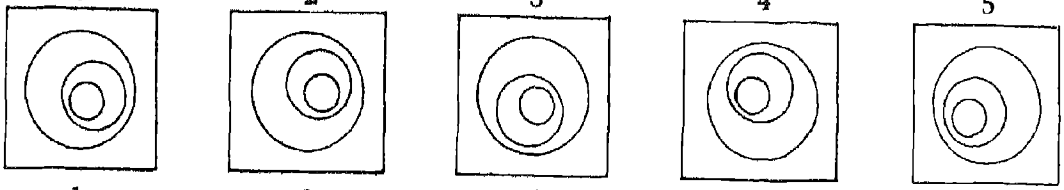
Go on to the next page.

Answers

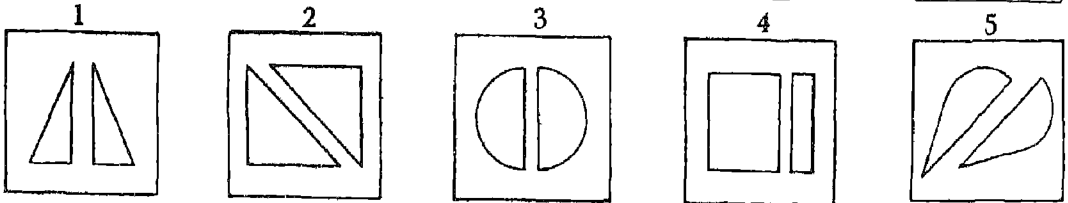
1 2 3 4 5



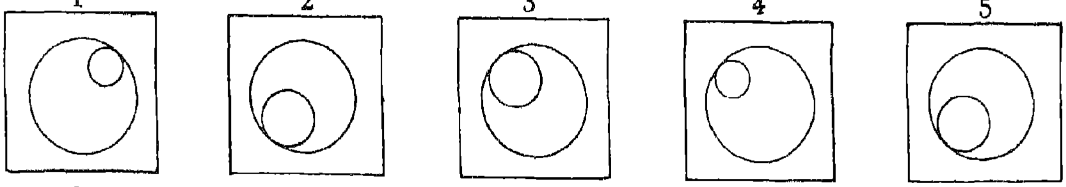
1 2 3 4 5



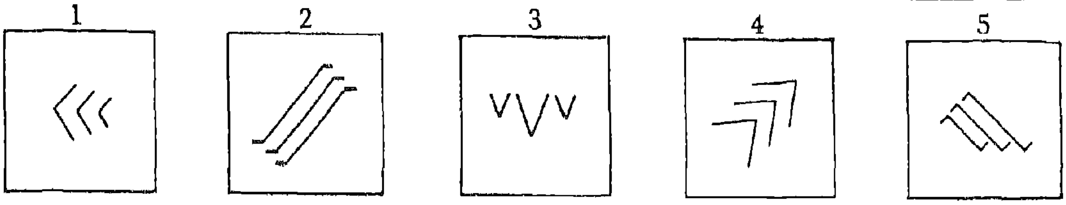
1 2 3 4 5



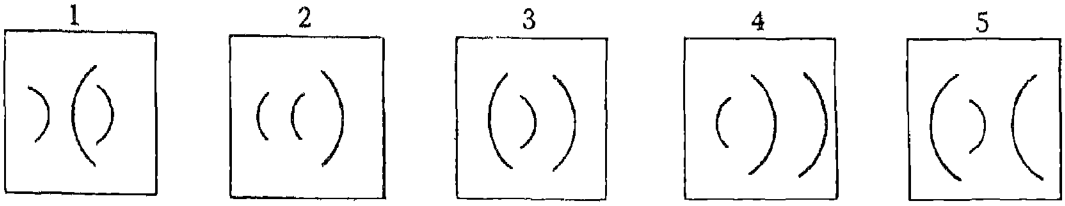
1 2 3 4 5



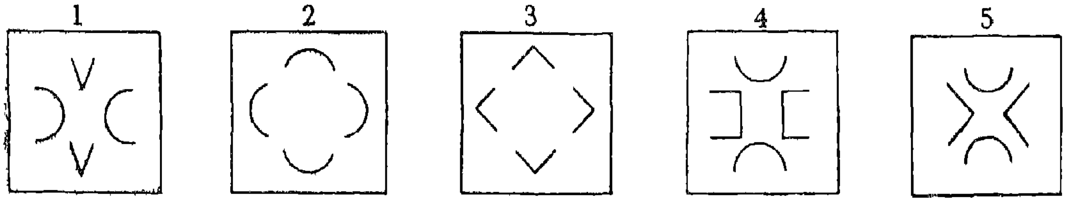
1 2 3 4 5



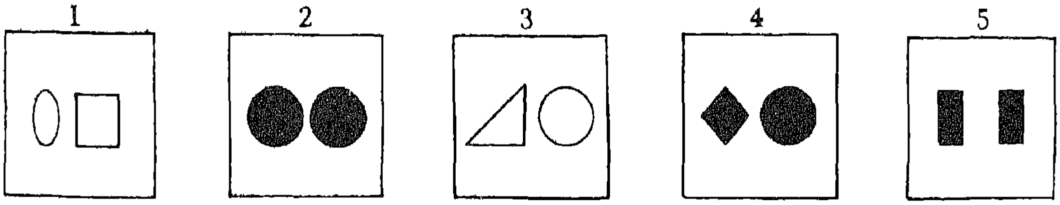
1 2 3 4 5



1 2 3 4 5



1 2 3 4 5

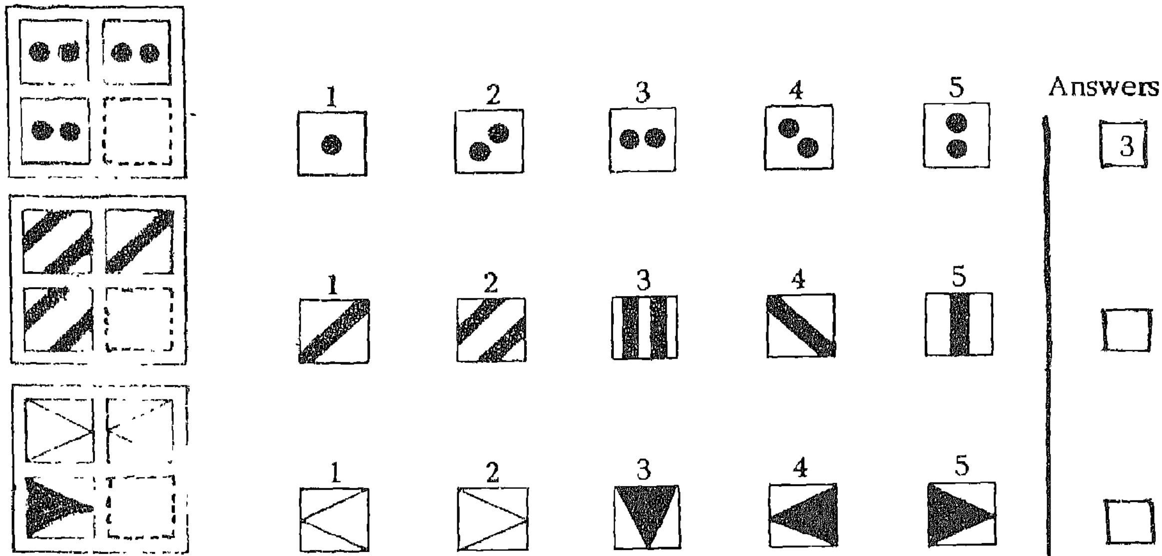


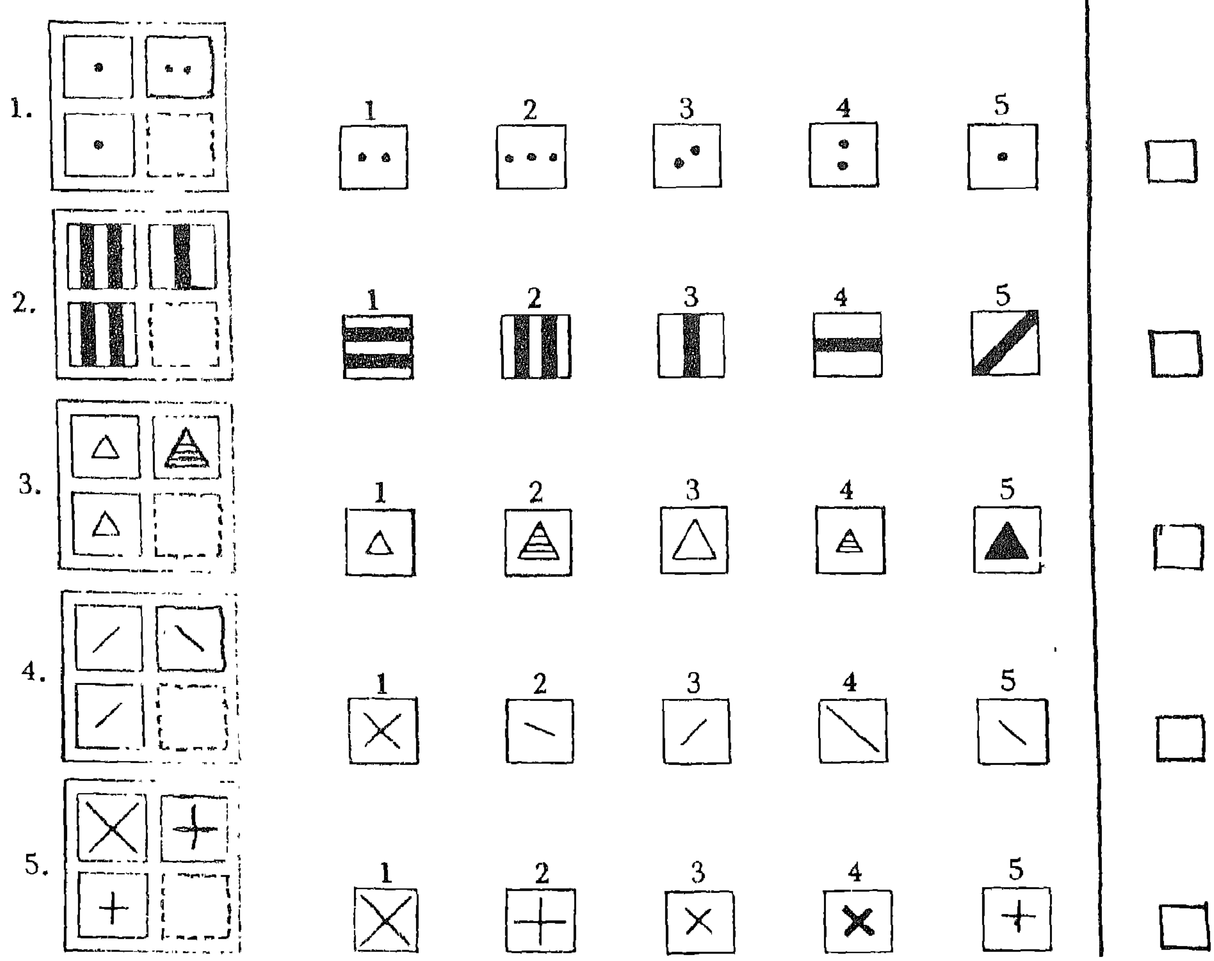
End of Test 2

STOP! Do not turn the page until told to do so.

TEST 3

Examples

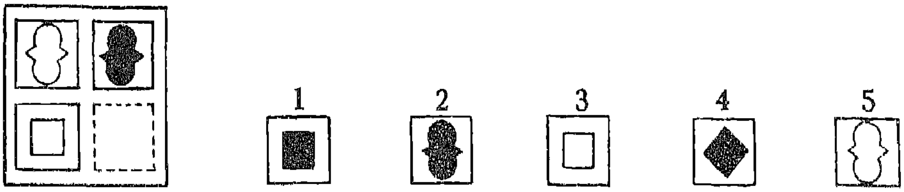




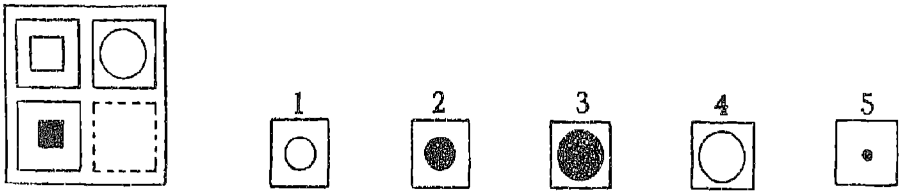
Go on to the next page.

Answers

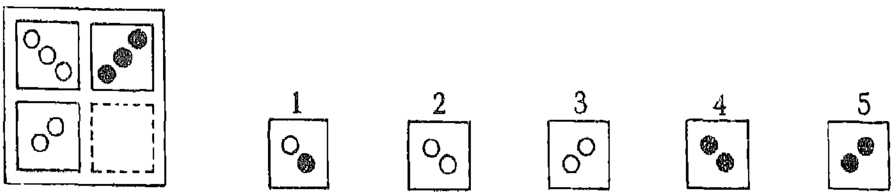
6.



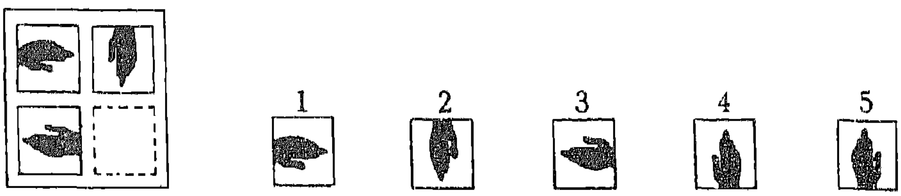
7.



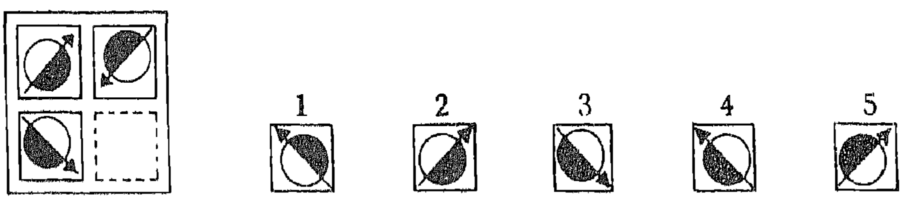
8.



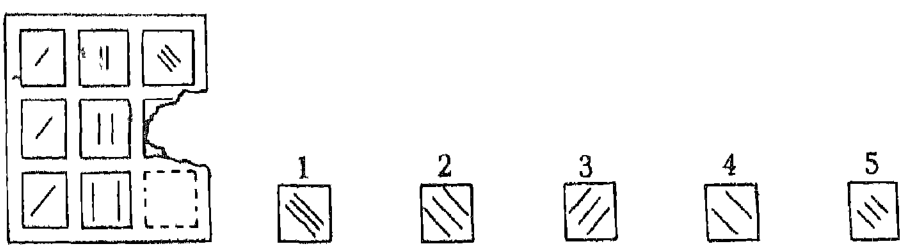
9.



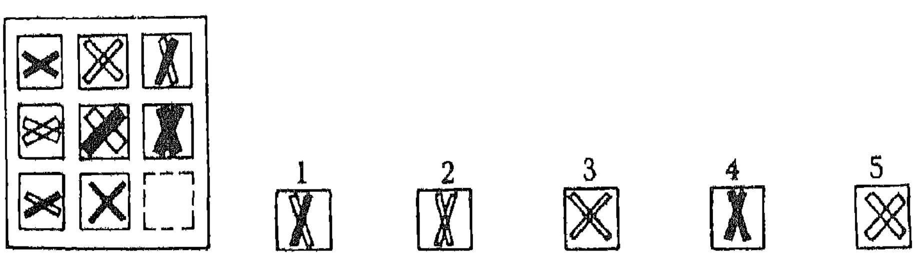
10.



11.



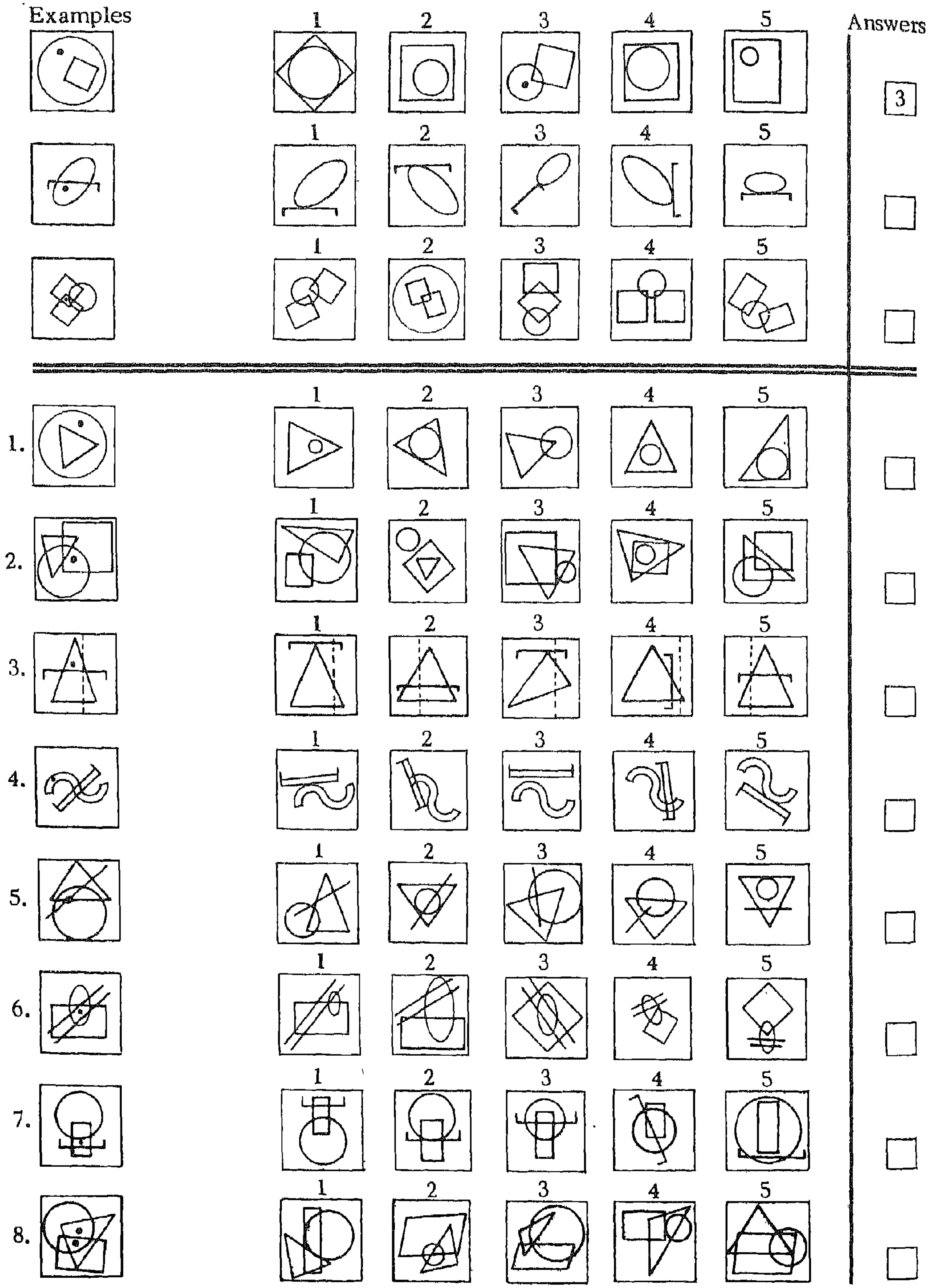
12.



End of Test 3

STOP! Do not turn the page until told to do so.

TEST 4



End of Test 4

D. SCALE

प्रो० एस० के० पाल

डा० करुणा शंकर मिश्र

डा० कल्पलता पाण्डेय

शिक्षा शास्त्र विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

नाम ....

कक्षा .... वर्ग .... आयु .... जाति ....

विद्यालय का पता ....

निर्देश

यहाँ तुम्हारे व्यवहार से सम्बन्धित कुछ कथन लिखे हुए हैं। प्रत्येक कथन के सामने तीन सम्भावित उत्तर दिये गये है। तुम जिस उत्तर को अपने लिए ठीक समझते हो उसपर सामने बने कोष्ठक में सही का निशान (√) लगाओ।

उदाहरण—अगर मेरे भाई बहनों की संख्या कम होती तो मेरी जरूरतें पूरी हो जातीं।

अ. सहमत ( ) ब. अनिश्चित ( ) स. असहमत ( )

अगर उपरोक्त कथन तुम्हारे ऊपर लागू होता है तो तुम सहमत पर सही (√) निशान लगाओ। अगर यह कथन तुम पर लागू नहीं हो रहा है तो तुम असहमत पर निशान (√) लगाओ। अगर तुम इस कथन के बारे में निश्चित नहीं हो तभी अनिश्चित पर सही (√) का निशान लगाओ।

तुम्हारे उत्तर किसी को बताए नही जायेंगे अतः बिना किसी संकोच के तुम उत्तरों पर निशान लगाओ। आशा है अब तुम शीघ्रता से अपना कार्य पूरा करोगे।

Published by :

RUPA PSYCHOLOGICAL CENTRE

B 19/60 B, Deoriabir, Bhelupura

VARANASI - 221010

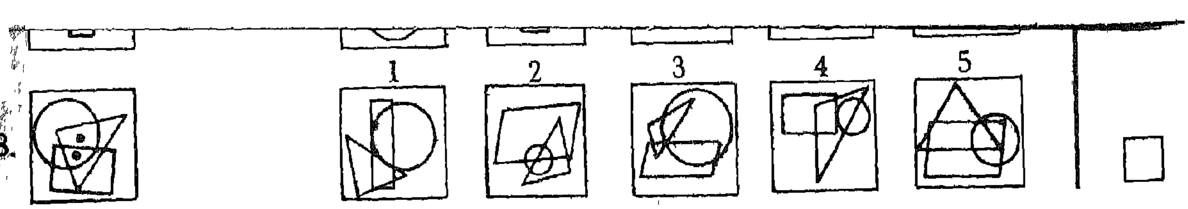
Copyright : 1985 by Rupa Psychological Centre

All Rights Reserved

The reproduction of this scale by a duplicating machine or otherwise, whether the reproductions are to be sold or not, is a violation of the copyright law.

	सहमत	अनिश्चित	असहमत
१. मैं विद्यालय की नाट्य प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले पाता हूँ।	( )	( )	( )
२. मेरे अध्यापक मेरी हँसी उड़ाते हैं।	( )	( )	( )
३. मैं शायद ही आगे पढ़ूँ क्योंकि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।	( )	( )	( )
४. अमीर छात्रों को अध्यापक अधिक अंक (नम्बर) देते हैं।	( )	( )	( )
५. मेरे माता-पिता मुझे मेरे मित्रों से मिलने नहीं देते हैं।	( )	( )	( )
६. मुझे ढेर सारे लोगों से बातें करने की अपेक्षा किसी कोने में चुपचाप बैठना अधिक पसन्द है।	( )	( )	( )
७. मेरे माता-पिता मेरी इच्छाओं को महत्व नहीं देते।	( )	( )	( )
८. विद्यालय में जब मेरे अन्य साथी भोजन करते हैं तो मुझे अच्छानहीं लगता।	( )	( )	( )
९. अगर मुझे घर पर भी पढ़ने के लिए अध्यापक की व्यवस्था होती तो मैं पढ़ने में अच्छा होता।	( )	( )	( )
१०. अगर मेरी माता मुझ पर ध्यान देती तो मैं भी विद्यालय में साफ कपड़े पहन कर आता।	( )	( )	( )
1. ११. मुझे नाटक या नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर नहीं मिल पाता।	( )	( )	( )
१२. यदि माता पिता मुझ पर अधिक ध्यान देते तो मुझे प्रसन्नता होती।	( )	( )	( )
१३. विद्यालय मे मुझे फीस नहीं देनी पड़ती है।	( )	( )	( )
2. १४. मेरे पढ़ाई में कमजोर होने का कारण विद्यालय में ठीक तरह से पढ़ाई का न होना है।	( )	( )	( )
१५. जब कभी मैं बीमार पड़ता हूँ तो मेरे माता-पिता मुझ पर ध्यान नहीं देते है।	( )	( )	( )
3 १६. मुझे सभी त्योहारों को अच्छी तरह मनाने की सुविधा नहीं मिलती।	( )	( )	( )
१७. मेरे मित्र मुसीबत में कभी मेरी सहायता नहीं करते है।	( )	( )	( )
१८. मेरा जन्म दिन घर मे इसलिए नहीं मनाया जाता है क्योंकि इसमे धन खर्च होता है।	( )	( )	( )
4 १९. मेरा भविष्य और अच्छा होता अगर मुझे किसी अच्छे विद्यालय में पढ़ने का अवसर मिलता।	( )	( )	( )
२०. अगर मेरे माता-पिता पढ़े लिखे होते तो मैं भी पढ़ने में तेज होता।	( )	( )	( )
२१. मुझे हमेशा अकेला रहना पड़ता है।	( )	( )	( )
5 २२. मेरे अध्यापक मुझसे स्नेह नहीं करते हैं।	( )	( )	( )
२३. मुझे घर पर बहुत अधिक काम करना पड़ता है।	( )	( )	( )
२४. कक्षा में तेज बच्चे मुझसे दोस्ती करना पसन्द नहीं करते।	( )	( )	( )
२५. मेरे माता-पिता मेरे अध्यापकों से मिलकर कभी मेरी प्रगति के बारे में नही पूछते हैं।	( )	( )	( )

8.



End of Test 4

7.

२६. मुझे खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर नहीं मिल पाता है। ( ) ( ) ( )

२७. मेरे माता-पिता मेरे भाई बहनों को मुझसे अधिक प्यार करते हैं। ( ) ( ) ( )

२८. मेरे घर में निम्नलिखित उपकरण हैं। क-कुछ नहीं ख–रेडियो, घड़ी ग- फ्रिज, टेलीफोन, टेलिविजन

२९. जब मै पहली बार विद्यालय गया था तो मेरी उम्र थी क–६ वर्ष से अधिक ख–४-६ वर्ष ग–३-४ वर्ष

३०. मेरे पिता ने जिस स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है, वह है— (क) हाईस्कूल से कम (ख) हाईस्कूल, इण्टरमीडियेट (ग) उच्च शिक्षा

३१. बड़े समूह में कभी भी मेरे साथी मुझे कुछ बोलने नहीं देते। (क) सहमत (ख) अनिश्चित (ग) असहमत

३२. यदि मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा शिक्षक का पुत्र होता तो मुझे अधिक महत्व दिया जाता। सहमत अनिश्चित असहमत

३३. अगर मैं धनी होता तो मैं भी अच्छी तरह पढ़ाई कर सकता था। ( ) ( ) ( )

३४. अगर शिक्षक पक्षपात न करते तो मैं अवश्य ही कक्षा का मॉनीटर होता। ( ) ( ) ( )

३५. मेरे माता-पिता आपस में लड़ाई करते हैं। (क) अधिकतर (ख) कभी कभी (ग) कभी नहीं

३६. मै सामाजिक उत्सवो मे भाग नहीं ले पाता हूँ। (क) सहमत (ख) अनिश्चित (ग) असहमत

३७. अच्छे कार्य करने पर भी मेरे माता-पिता मेरी प्रशंसा नहीं करते हैं। ( ) ( ) ( )

३८. मुझे पैसे के अभाव के कारण बहुत सी वस्तुएं नहीं मिलती। (अ) अधिकतर (ब) कभी-कभी (स) कभी नहीं

३९. मुझे रोज विद्यालय जाना अच्छा नहीं लगता। सहमत अनिश्चित असहमत

४०. अगर मेरे माता-पिता किसी अच्छे पद पर होते तो मुझे इतनी कठिनाई न उठानी पड़ती। ( ) ( ) ( )

४१. मुझे तरह-तरह के लोगों से मिलने के अवशर नहीं प्राप्त होते हैं। ( ) ( ) ( )

४२. यदि मुझे माता-पिता का अधिक स्नेह मिले तो मैं पढ़ने मे अधिक मन लगा सकता हूँ। ( ) ( ) ( )

४३. मुझे अपने धनी मित्रों को घर बुलाने में संकोच होता है। ( ) ( ) ( )

४४. विद्यालय में कठोर अनुशासन के कारण मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है। ( ) ( ) ( )

४५. मेरी माता ने जिस स्तर तक शिक्षा पाई है, वह है। (अ) हाईस्कूल से कम (ब) हाईस्कूल इण्टर मीडियेट (स) उच्चशिक्षा

४६. किसी अपरिचित से बात करना पड़े तो मुझे बहुत संकोच होगा। सहमत अनिश्चित असहमत

४७. परेशानी के समय मेरे मित्र मुझसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। ( ) ( ) ( )

४८. मेरे घर में निम्नलिखित फर्नीचर हैं। (क) केवलचारपाई (ख) कुछ कुर्सी मेज, चारपाई (ग) सोफा, कुर्सी, मेज आलमारी आदि

४९. मुझे घर में अधिक पढ़ना पड़ता है क्यों कि मेरे विद्यालय मे अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। (क) सहमत (ख) अनिश्चित (ग) असहमत

५०. मुझे अपने माता-पिता अच्छे नहीं लगते हैं। सहमत अनिश्चित असहमत

५१. विद्यालय के आयोजनों में मुझे जिम्मेदारी का कार्य नहीं दिया जाता है। ( ) ( ) ( )

५२. मुझे मेरे पड़ोसी अच्छा बालक नहीं समझते है। ( ) ( ) ( )

५३. मेरे घर मे पढ़ने के लिए निम्नलिखित सामग्रियाँ मँगवायी जाती है। (क) कुछ नहीं (ख) केवल अखबार (ग) पत्रिकाए तथा अखबार

५४. मेरे विद्यालय में खेलने का कोई साधन नहीं है। सहमत अनिश्चित असहमत

५५. वे बच्चे बहुत दुर्भाग्यशाली होते हैं जिनके माता-पिता की मृत्यु बचपन में ही हो जाती है। ( ) ( ) ( )

५६. मेरे विद्यालय मे बच्चों को पर्यटन (घूमने) के लिए नही ले जाया जाता। ( ) ( ) ( )

५७. मेरे मित्र पढ़ाई में मेरी सहायता नहीं करते हैं। ( ) ( ) ( )

५८. यदि मेरे पास भी मेरे मित्र के घर ऐसी सुविधाएँ होतीं तो बहुत अच्छा होता। ( ) ( ) ( )

1 ५९. पढ़ाई में असफलता का कारण अधिकतर अध्यापकों का व्यवहार होता है। ( ) ( ) ( )

६०. मेरी माता मुझे स्वयं कोई कार्य करने की छूट नहीं देती हैं। ( ) ( ) ( )

६१. मुझे नये व्यक्तियों से मिलने का कोई अवसर नहीं मिलता है। ( ) ( ) ( )

2 ६२. अगर मेरे भाई-बहनों की संख्या कम होती तो मेरी अधिकांश जरुरतें पूरी हो जाती। सहमत अनिश्चित असहमत ( ) ( ) ( )

६३. मेरा परिवार आर्थिक (पैसे की) दृष्टि से निम्नलिखित वर्ग मे आता है।

3 निम्नवर्ग (५०० रु० से कम) मध्यमवर्ग (५०० रु० से ३००० रु० तक) उच्चवर्ग (३००० रु० से ऊपर)

६४. विद्यालय में शिक्षक मेरे साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार करते है। सहमत अनिश्चित असहमत

६५. घर में मुझे बिना किसी गलती के भी माता-पिता दण्ड देते हैं। ( ) ( ) ( )

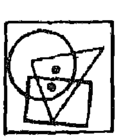
4 ६६. खाली समय में मैं ये करना ठीक समझूँगा।
(क) अकेले चुपचाप बैठे रहना
(ख) कहानी की पुस्तक पढ़ना
(ग। नाटक देखना, नृत्य देखना या चित्र देखना

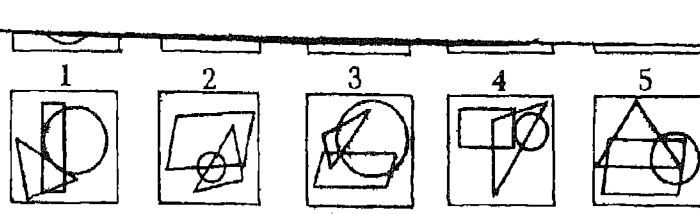
5 ६७ मेरे ऊपर घर में अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। सहमत अनिश्चित असहमत

६८. यदि मेरे घर में पढ़ने के लिए अलग कमरा हो तो मैं अच्छी पढ़ाई कर सकता हूँ। ( ) ( ) ( )

६९. यदि मेरे पास सभी पुस्तकें होती तो मेरा परीक्षाफल अच्छा होता। ( ) ( ) ( )

6 ७०. स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे माता-पिता ऐसे हैं— (क) दोनों ही अस्वस्थ (ख) एक स्वस्थ एक स्वस्थ (ग) दोनों ही स्वस्थ

8. 



End of Test 4

7.

Appendix -

WILLINGNESS SCALE FOR IMPLEMENTATION OF MODELS (FOR EDUCATORS)

B.K. Passi & D.N. Sansanwal

Name ____________________ Sex ____________

Institution ______________________________

INSTRUCTIONS

You have studied a model of Teaching. You might be thinking about the possibilities of its implementation in teacher training programme. This scale is designed to assess your willingness about the implementation of the Model. For this purpose, statements have been listed in this proforma. Five choices are given against each statement. These are strongly Agree (SA), Agree (A), Undecided (U), Disagree (D), and Strongly Disagree (SD). Read each statement carefully. If you strongly agree with a statement, put a tick mark ( ) on SA, if you agree, put a tick mark( ) on A. Sometimes, if you are undecided about your opinion on a statement, put a tick mark ( ) on U, and likewise you have to give your opinion.

Please feel free while giving your opinion. Your responses will be kept confidential.

1.	My Head of Institution will give academic support for implementing Models of Teaching.	SA	A	U	D	SD
2.	I do not understand the theory underlying the Model.	SA	A	U	D	SD
3.	My Head of Institution does not allow any change in the time table.	SA	A	U	D	SD
4.	I have lost faith in educational innovations.	SA	A	U	D	SD
5.	Models of teaching are more useful in those situations where hardware facilities are available.	SA	A	U	D	SD

6. I dont't have time for its preparation. SA A U D SD

7. I am ready to implement only if I get recognition. SA A U D SD

8. The instructional materials required for implementing this Model of Teaching are available. SA A U D SD

9. Models of Teaching need not be applied as these may not improve teacher training programme. SA A U D SD

10. Students of my institution will find it difficult to understand even theoretical part of th Model. SA A U D SD

11. The use of this Model of teaching in my institution is not practicable. SA A U D SD

12. Through practice I could develop abilities needed for implementation of Models of Teaching. SA A U D SD

13. I am sure Models of Teaching can improve the quality of teacher training programme. SA A U D SD

14. I can implement this Model of teaching inspite of all types of difficulties. SA A U D SD

1. List down essential requirements of models for implementation (Write at least three points)

2. List the possible hinderances for implementating this Model of Teaching (Give at least three hindrances)

3. Given the present conditions of educational institutions, give suggestions for its effective implementation (Write at least three suggestions)

" न्यायिक पृच्छा शिक्षण प्रतिमान निष्पत्ति परीक्षण "

ई०आर०आई०सी०शोध प्रायोजना

शिक्षाशास्त्र विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

1991

TEACHING ANALYSIS GUIDE (JURISPRUDENTIAL INQUIRY MODEL)

Name ______________________________

INSTRUCTIONS

This guide is designed to help you analyze the process of teaching as you practice the jurisprudential Model. The analysis focuses on aspects of teaching that are important to the syntax of the model, the teacher's role, and specific teaching skills.

The Guide consists of a series of questions and phrases. As you observe a practice session (whether peer teaching or microteaching), analyze the teaching using the rating scale that appears opposite each question and statement. This scale uses the following :

Categories

4	3	2	1	0
Very Large Extent	Large Extent	Average	Below Average	Not at all

4. Very Large Extent

   This category signifies that the teacher is engaged in the behaviour to a point where students responded comfortably and fluently.

3. Large Extent

   This category signifies that the teacher was engaged in the behaviour which was appropriate to the situation but not as thoroughly as possible.

2. Average

   This category signifies that the teacher was trying to engage in the appropriate behaviour but could not elicit comfortable and fluent responses of the students in a natural way.

1. Below Average

   This category signifies that the teacher was trying to engage in the appropriate behaviour artificially and that could not elicit comfortable and fluent responses from the students.

0. Not at all

   This category signifies that the appropriate behaviour on the part of the teacher was missing.

0. Not at all

This category signifies that the appropriate behaviour on the part of the teacher was missing.

Keeping in mind the above categories for each statement in the guide, encircle the term that best describes the teacher's behaviour.

Phase One: Orientation to the Case

1. Did the teacher orient students to the model--to the idea of issues and of taking a stance on issues, for example? 4 3 2 1 0

2. Did the teacher introduce the case? 4 3 2 1 0

3. Did the teacher ask for or respond to students' requests for clarification of the case material? 4 3 2 1 0

4. Did the teacher ask the students to identify the most important facts of the case? 4 3 2 1 0

Phase Two: Identifying the Issues

5. Did the teacher explain the purposes of this Phase to identify policy questions, and value, factual, and definitional issues? 4 3 2 1 0

6. Did the teacher ask the students to synthesize the facts of the case into public policy questions? 4 3 2 1 0

7. Did the teacher explain the idea of a policy question and provide an example of it? 4 3 2 1 0

8. Did the teacher have students select one policy question to explore? 4 3 2 1 0

9. Did the teacher students helps identify the values and value conflicts at issue in the public policy question? 4 3 2 1 0

10. Did the teacher explain the concepts of factual and definitional issues? 4 3 2 1 0

11. Did the teacher ask the students to identify factual or definitional questions pertinent to the public policy question? 4 3 2 1 0

Phase Three: Taking a Position

12. Did the teacher ask students to take a position on the public policy question and give their reasons for their stance? 4 3 2 1 0

13. Did some of the students share their position with the rest of the group? 4 3 2 1 0

Phase Four: Exploring the Stances

14. Did the teacher help student to summarize what they had done so far in the model? 4 3 2 1 0

15. Did the teacher explain the purposes and procedures of arguing the case? 4 3 2 1 0

16. Did the teacher explore the issue with one or more students (or groups of students)? 4 3 2 1 0

17. Did the teacher maintain a Socratic style of dialogue in questioning students' assumptions? 4 3 2 1 0

18. Did the teacher avoid advocating a stand and trying to convince the students to adopt an alternative stand? 4 3 2 1 0

19. Did the teacher use one or more of the following patterns of argumentation? 4 3 2 1 0

a. factual emphasis: establishing the point at which the value is violated

b. factual emphasis: proving desirable or undesirable consequences of an action

c. clarifying the value conflict

d. asserting the priority of one value over an-other and the lack of gross violation of the second value

20. While exploring the students' stances, did the teacher probe the students' ideas for: 4 3 2 1 0

a. relevance? 4 3 2 1 0

b. consistency? 4 3 2 1 0

c. specificity? 4 3 2 1 0

d. generality? 4 3 2 1 0

e. definitional clarity? 4 3 2 1 0

21. While exploring the students' stances, did the teacher enforce and maintain continuity of thought? 4 3 2 1 0

Phase Five: Refining and Qualifying the Position.

22. Did the students identify the most convincing position(s)? 4 3 2 1 0

23. Did the students identify a number of similar situations in order to test the strength of the position(s)? 4 3 2 1 0

24 Did the students qualify the position? 4 3 2 1 0

Phase Six: Testing Factual Assumptions Behind the Qualified Position

25. Did the students test the position(s) by identifying factual assumptions and determining their relevance? 4 3 2 1 0

26. Did the students determine the predicted consequences of the position(s) and whether they are likely to occur? 4 3 2 1 0

NOTE The minimum score will be zero and maximum score 120.